वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2019-20

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
विजया VIJAYA | देना DENA

मिलकर हम साथ, करें उज्ज्वल भविष्य निर्माण.
COMING TOGETHER. SHAPING THE FUTURE.

संपूर्ण प्रक्रिया में अत्याधुनिक तकनीक
ADVANCED TECHNOLOGY ACROSS PROCESSES

श्रेणी में बेहतरीन बैंकिंग
BEST IN CLASS BANKING

उपयुक्त डिजिटल समाधान
OPTIMIZED DIGITAL PRODUCTS

विषय	पृष्ठ
अध्यक्ष का संदेश	06
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य	10
निदेशकों की रिपोर्ट	16
कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	66
कार्पोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट	68
एमडी व सीईओ द्वारा घोषणा	107
सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	108
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	111
तुलन पत्र	114
लाभ व हानि खाता	115
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	127
नकदी-प्रवाह विवरण	222
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	224
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	237
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	238
समेकित वित्तीय विवरणियां	239
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा - समेकित	308
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	309
लाभांश संवितरण नीति	310
बासेल III प्रकटीकरण	312
नोटिस	313
हरित पहल - शेयरधारकों से अपील	327

Contents	Page
Chairman's Statement	08
MD & CEO's Statement	13
Directors' Report	42
Auditors' Certificate on Corporate Governance	66
Corporate Governance Report	68
Declaration by MD & CEO	107
Secretarial Audit Report	108
Key Financial Indicators	111
Balance Sheet	114
Profit & Loss Account	115
Significant Accounting Policies	127
Cash Flow Statement	222
Auditors' Report	224
Declaration of Unmodified Opinion	237
CEO / CFO Certification	238
Consolidated Financial Statement	239
Declaration of Unmodified Opinion - Consolidated	308
CEO / CFO Certification	309
Dividend Distribution Policy	310
Basel III Disclosures	312
Notice	313
Green Initiative Appeal	327

उच्च कासा अनुपात, लागत-आय अनुपात में गिरावट एवं आस्ति गुणवत्ता में सुधार के रूप में लाभ

Benefits in the form of higher CASA ratio, declining cost-income ratio and improving asset quality

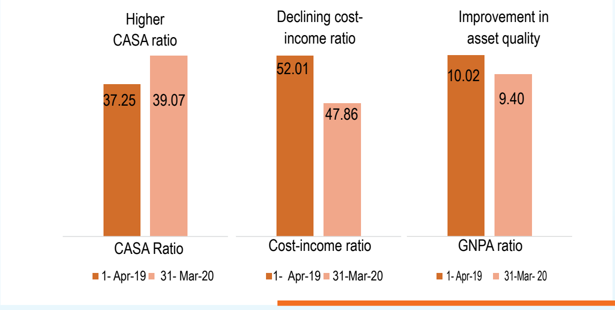

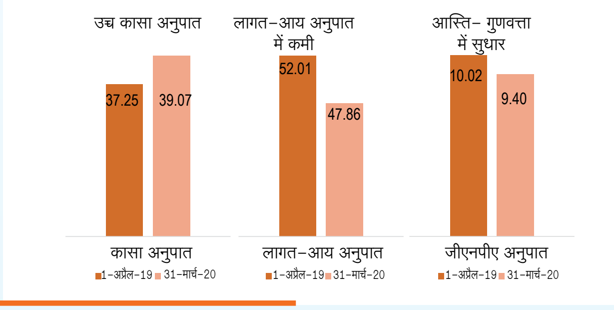

In the first year of the merger itself, the Bank reduced its cost-income ratio by more than 4.0%, improved the CASA ratio by 1.8%, increased operating profit as well as reduced non-performing assets.

The Bank's absolute CASA deposits crossed the Rs 3 lakh crore milestone and reached Rs 3.16 lakh crore as of March 31, 2020.

The Bank has taken a number of steps to ensure sustained growth of these deposits. We have enhanced the gamut of our offerings and optimised our processes. We launched new products especially catering to the differentiated needs of our various customer segments, for instance, exclusive SB account with add-on benefits for our HNI customers, Government bodies and PSU employees.

Besides introducing new products, the Bank undertook strategic initiatives for improving CASA deposit base, including integration with Ministry of Corporate Affairs (MCA) for instant current account generation for new companies, salary / pension accounts of defence and police personnel.

The Bank has also introduced current account opening through TAB for individual proprietorship concerns.

मर्जर के प्रथम वर्ष में ही बैंक ने अपना लागत आय अनुपात 4% से अधिक से कम किया, कासा अनुपात में 1.8% की वृद्धि की, परिचालन लाभ में वृद्धि के साथ-साथ गैर-निष्पादक आस्तियों को घटाया.

बैंक की समग्र कासा जमाराशियां रु. 3 लाख करोड़ के माइलस्टोन को पार करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2020 को रु. 3.16 लाख करोड़ पर पहुंची.

बैंक ने इन जमाराशियों में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु कई कदम उठाए. हमने अपने प्रस्तावों को व्यापक और हमारी प्रक्रियाओं को इष्टतम बनाया. हमने अपने विभिन्न ग्राहक वर्ग की वैविध्यपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विशेष रूप से नए उत्पाद प्रारंभ किए. उदाहरणस्वरूप हमने अपने एचएनआई ग्राहकों, सरकारी निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए एड-ऑन लाभों सहित विशिष्ट बचत खाता शुरु किया.

नए उत्पाद शुरु करने के साथ-साथ बैंक ने कासा जमाराशि आधार को बेहतर बनाने के लिए नई कंपनियों के लिए तत्काल बचत खाता खोलने हेतु कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ इंटिग्रेशन, रक्षा एवं पुलिस कर्मियों के वेतन/ पेंशन खाते खोलना आदि जैसी कार्यनीतिगत पहलें की.

बैंक ने वैयक्तिक प्रोपराइटरशिप के लिए टैब के माध्यम से चालू खाते खोलने की शुरुआत भी की.

नए डिजिटल लेंडिंग विभाग की स्थापना, एम-कनेक्ट अनुप्रयोग का गूगल प्लेस्टोर एवं एप्पल स्टोर में सर्वोत्तम 3 में स्थान

Setting up of a new Digital Lending Department, M-Connect App among top 3 in Google Playstore and Apple Store

The Bank embarked on a transformation journey under various streams with a focus on digitisation and centralisation to improve productivity and customer experience. The Bank's technological and digital journey is continuing and the Bank is focusing on key initiatives in each vertical to build a digital intensive interface which will ensure that the Bank sustains its competitive advantage.

Mobile banking emerged as the preferred mode for most of the customers to transact with the Bank. Our mobile banking application (M-Connect) was revamped and the new version was, within weeks of launch, ranked third best among top large banks.

The next step in this journey was setting up a Digital Lending vertical which would provide end-to-end digital journey through data sourcing, sanctioning of limits and integration with ancillary systems that would provide best-in-class risk monitoring using machine learning and algorithms.

बैंक ने उत्पादकता एवं ग्राहक अनुभव में वृद्धि करने हेतु डिजिटाइजेशन और केन्द्रीकरण पर ध्यान केंद्रीत करते हुए विभिन्न स्ट्रीम के तहत रूपांतरण यात्रा को आगे बढ़ाया. बैंक की तकनीकी एवं डिजिटल यात्रा जारी है और बैंक प्रत्येक वर्टिकल में डिजिटल इंटेंसिव इंटरफेस स्थापित करने की प्रमुख पहलों पर ध्यान केंद्रीत कर रहा है जोकि बैंक के प्रतिस्पर्धात्मक लाभों को बनाए रखना सुनिश्चित करेगा.

मोबाइल बैंकिंग अधिकांश ग्राहकों के लिए बैंक के साथ संव्यवहार का पसंदीदा माध्यम बनकर उभरा है. हमारे मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोग (एम-कनेक्ट) में व्यापक सुधार किया गया और नए वर्जन के शुभारंभ के कुछ सप्ताहों में बड़े बैंक की श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा.

इस यात्रा में अगला कदम डिजिटल लेंडिंग वर्टिकल की स्थापना था जो डेटा सोर्सिंग, ऋण सीमा स्वीकृति एवं अनुषंगी प्रणाली के साथ एकीकरण सहित एण्ड-टू-एण्ड डिजिटल प्रक्रिया उपलब्ध कराएगा जो मशीनी लर्निंग एवं एलगोरिद्म के माध्यम से सर्वोत्कृष्ट जोखिम निगरानी की सुविधा उपलब्ध कराएगा.

बढ़े हुए संपर्क केंद्रों के जरिए पहुंच का विस्तार

Extending Reach through more touch-points

Agriculture loans for the Bank have been growing above industry at 8.3%. This has been driven by the Bank moving beyond granting simple farm credit to a more diversified rural lending strategy by focusing on new products like farm mechanisation, horticulture loans, warehouse receipt financing, food and agro-processing, financing to Self Help Groups (SHGs), and adopting a community-based lending model for the small farmers across rural customer segments.

The Bank introduced Agri Digital Platform - "Baroda Kisan", to cater to all the major needs of farmers ranging from notifications, weather forecast information, crop health, soil moisture, pest infection information, mandi prices, crop specific advisory, input buying (like seeds, fertilisers, pesticides), equipment renting advisory services and innovative financing options for sale of agriculture produce.

During FY 2020, the Bank disbursed Rs. 18,423 crore in gold loan to farmers.

The Bank's strategy is to expand rural reach through differentiated formats to meet customer needs. The number of no-frills accounts have crossed 5 crore and the Bank has more than 14% market share in PMJDY accounts.

Business Correspondent (BC) network has emerged as a critical channel to serve customers, particularly in rural areas. The Bank is in the process of enhancing its outreach by increasing the number of touch points through BC network in rural, semi urban and urban centres to complement its branch network.

बैंक का कृषि अग्रिम, उद्योग जगत के स्तर से ऊपर 8.3% की दर से बढ़ता जा रहा है. यह बैंक द्वारा सामान्य कृषि ऋण प्रदान करने से आगे बढ़ते हुए सभी ग्रामीण ग्राहक वर्ग के लिए कृषि यांत्रिकीकरण, बागबानी ऋण, गोदाम रसीद के पेटे ऋण, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तपोषण और समुदाय आधारित ऋण मॉडल अपनाने की वजह से हो पाया है.

बैंक ने किसानों की सभी प्रमुख आवश्यकताओं जैसे नोटिफिकेशन, मौसम पूर्वानुमान की सूचना, फसल स्वास्थ्य, मिट्टी की नमी, कीट संक्रमण की जानकारी, मंडी में कीमतें, फसल संबंधी विशेष सलाह, निविष्टियों की खरीद (जैसे बीज, खाद, कीटनाशक), किराए पर उपकरण लेने संबंधी सलाहकार सेवाएं और कृषि उपज की बिक्री के लिए नवोन्मेषी वित्तपोषण विकल्पों को पूरा करने के लिए 'बड़ौदा किसान' नामक कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है.

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान, बैंक ने किसानों को ₹18,423 करोड़ के स्वर्ण ऋण वितरित किए हैं.

बैंक की यह कार्यनीति रही है कि वह ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न माध्यमों से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाए. नो-फ्रिल खातों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो गई है तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत बैंक की बाजार हिस्सेदारी 14% से अधिक है.

व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) नेटवर्क ग्राहक सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल के रूप में उभरा है, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में. बैंक अपने शाखा नेटवर्क के पूरक के रूप में ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी केन्द्रों पर बीसी नेटवर्क के माध्यम से संपर्क केन्द्रों की संख्या बढ़ाते हुए अपनी आउटरीच को विस्तार देने की प्रक्रिया में है.

कहीं भी बैंकिंग से सभी जगह बैंकिंग

The Bank is working towards enabling paperless approvals and flexibility to staff to work from home.

The Bank implemented e-approvals and Board-Pack for paperless approval and paperless e-meeting respectively, which resulted in substantial reduction in usage of paper in the Bank. Arrangements for alternate teams of employees were made to effectively reduce risk.

The emphasis is towards virtual meetings, virtual attendance and digital mode of reviewing work and performance. This is possible now as the Bank has already adopted quantitative Key Responsibility Areas (KRAs) for employees instead of qualitative ones. This ensures employees can track performance vis-à-vis targets. In fact, we have enabled digital tracking for employees even on their mobile phones. Moreover, virtual training and skill upgrading was carried out continuously for the staff.

The Bank provided risk protection to its employees since they put their lives on the line to ensure that the Bank continues to function and deliver.

बैंक पेपरलेस अनुमोदन की ओर अग्रसर है तथा कर्मचारियों द्वारा घर से कार्य करने के प्रति उदारता बरत रहा है.

बैंक ने पेपरलेस अनुमोदन और पेपरलेस ई- मीटिंग के लिए क्रमशः ई-अनुमोदन तथा बोर्ड-पैक को क्रियान्वित किया है जिसके परिणामस्वरुप बैंक में कागज़ के उपयोग में काफी गिरावट आई है. जोखिम को प्रभावी रूप से कम करने हेतु कर्मचारियों की वैकल्पिक टीम बनाई गई है.

वर्चुअल बैठकों, वर्चुअल उपस्थिति तथा कार्य एवं कार्यनिष्पादन की समीक्षा डिजिटल रूप में किए जाने पर हमारा जोर है. यह अब संभव है क्योंकि बैंक ने कर्मचारियों के लिए गुणात्मक के बदले मात्रात्मक रूप में प्रमुख दायित्व क्षेत्र (केआरए) को पहले ही अपना लिया है. इससे कर्मचारी निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अपने कार्यनिष्पादन की ट्रैकिंग कर सकते हैं. वस्तुतः हमने कर्मचारियों के लिए मोबाइल के जरिए डिजिटल ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है. इसके अतिरिक्त स्टाफ सदस्यों के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन हेतु लगातार प्रयास किए गए.

बैंक ने अपने कर्मचारियों को जोखिम सुरक्षा प्रदान की है क्योंकि बैंक अपनी सेवाएं देता रहे इसके लिए वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं.

लेखापरीक्षक / AUDITORS

सिंघी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
Singhi & Co.
Chartered Accountants

एस आर डिनोडया व कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
S. R. Dinodia & Co. LLP.
Chartered Accountants

जी एम कपाड़िया व कं.
सनदी लेखाकार
G M Kapadia & Co.
Chartered Accountants

दास गुप्ता एण्ड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants

जे. काला एण्ड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
J. Kala & Associates
Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय

बड़ौदा भवन, अलकापुरी, वडोदरा 390 007.

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर

सी–26, जी–ब्लॉक, बान्द्रा–कुर्ला कॉम्पलेक्स,
बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

निवेशक सेवाएं वभाग

7वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी–26, जी–ब्लॉक,
बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई 400 051.

रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड,
(पूर्व में – कार्वी फिनटेक प्राइवेट लि.)
यूनिटः बैंक ऑफ बड़ौदा
सेलेनियम बिल्डिंग टॉवर बी, प्लाट नं 31 व 32,
फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगम्पल्ली, मंडल,
हैदराबाद – 500 032.

डिबेंचर न्यासी

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
एशियन बल्डिंग, भू–तल,17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट,
मुंबई – 400 001
दूरभाष : 022–40807000, ई–मेल: itsl@idbitrustee.com

केनरा बैंक
एफ एम एवं एस विंग, प्रधान कार्यालय नं. 112,
जे सी रोड, बेंगलुरू – 560002
दूरभाषः 080–22223165/080–22223170
ई–मेलः hoett@canarabank.com;

कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लि.
जीडीए हाउस, प्लॉट नं. 85, भुसारी कॉलोनी (राइट)
पौड रोड, पुणे – 411038
टेलीफोन: 020 – 2528 0081
ई–मेल: dt@ctltrustee.com

सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.
सेंट्रल बैंक – एमएमओ बिल्डिंग, तीसरा तल (पूर्व विंग)
55 एमजी रोड, फोर्ट, मुंबई 400001
टेलीफोन: 022– 2261 6217, Fax: (022) 2261 6208
ई–मेल: hv.kamdar@cfsl.in; md@cfsl.in

Head Office

Baroda Bhavan, Alkapuri, Vadodara 390 007.

Baroda Corporate Centre

Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400051

Investor Services Department

7th Floor, Baroda Corporate Centre,
C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400051

Registrars & Transfer Agent

KFin Technologies Private Limited
(Formerly known as Karvy Fintech Pvt. Ltd.)
(Unit: Bank of Baroda)
Selenium Building, Tower B, Plot Nos. 31 & 32,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad 500032

Debenture Trustees

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor, 17, R Kamani Marg,
Ballard Estate, Mumbai – 400001.
Tel: 022-40807000 E-mail: itsl@idbitrustee.com

Canara Bank
FM&S Wing, Head Office, No. 112,
JC Road, Bangalore – 560002.
Tel: 080-22223165/080-22223170
E-mail: hoett@canarabank.com;

Catalyst Trusteeship Ltd
GDA House, Plot No. 85, Bhusari Colony (Right),
Paud Road, Pune - 411 038
Tel: 020 - 2528 0081 E-mail: dt@ctltrustee.com

Centbank Financial Services Ltd
Central Bank - MMO Bldg, 3rd Floor (East Wing)
55 MG Road, Fort, Mumbai 400001
Tel: 022- 2261 6217, Fax: (022) 2261 6208
E-mail: hv.kamdar@cfsl.in; md@cfsl.in

नोट: शेयरधारक "व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट" तथा "बासेल-III प्रकटीकरण" को बैंक की वेबसाईट www.bankofbaroda.in पर देख सकते हैं / डाउनलोड कर सकते हैं.

Note: The Shareholders can view / download "Business Responsibility Report" and "Basel-III Disclosures" from Bank's Website www.bankofbaroda.in

निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS

डॉ. हसमुख अढिया
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष
Dr. Hasmukh Adhia
Non-Executive Chairman

श्री संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

श्री मुरली रामस्वामी
कार्यपालक निदेशक
Shri Murali Ramaswami
Executive Director

श्री शांति लाल जैन
कार्यपालक निदेशक
Shri Shanti Lal Jain
Executive Director

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची
कार्यपालक निदेशक
Shri Vikramaditya Singh Khichi
Executive Director

निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS

श्री अमित अग्रवाल
भारत सरकार के नामित निदेशक
Shri Amit Agrawal
GOI Nominee Director

श्री अजय कुमार
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
Shri Ajay Kumar
RBI Nominee Director

डॉ. भरतकुमार डांगर
शेयरधारक निदेशक
Dr. Bharatkumar Dangar
Shareholder Director

श्रीमती सौंदरा कुमार
शेयरधारक निदेशक
Smt. Soundara Kumar
Shareholder Director

श्री श्रीनिवासन श्रीधर
शेयरधारक निदेशक
Shri Srinivasan Sridhar
Shareholder Director

श्री बिजू वर्क्की
गैर–कार्यपालक निदेशक
Shri Biju Varkkey
Non-Executive Director

सीवीओ	CVO
श्रीमती श्रीधर श्रीमथी	Mrs. SRIDHAR SRIMATHY
महाप्रबंधक	**General Managers**
श्री मिगलानी रमेश कुमार	Mr. MIGLANI RAMESH KUMAR
श्री दास बिस्वरूप	Mr. DASH BISWARUP
श्री पात्रा सिद्धेश्वर	Mr. PATRA SIDHESWAR
श्री कुमार बीरेन्द्र	Mr. KUMAR BIRENDRA
श्री कौल कृष्ण ओपिंदर	Mr. KAUL KRISHEN OPINDER
श्री शर्मा रजनीश	Mr. SHARMA RAJNEESH
श्री कुमार संजय	Mr. KUMAR SANJAY
सुश्री चक्रबर्ती डे जया	Ms. CHAKRABORTY DE JAYA
श्री पटेल रोहितकुमार आई	Mr. PATEL ROHITKUMAR I
श्री पटेल भूपिनकुमार रतिलाल	Mr. PATEL BHUPINKUMAR RATILAL
श्री माथुर राधाकांत	Mr. MATHUR RADHAKANT
श्रीमती रवि ऊषा	Mrs. RAVI USHA
श्री गुप्ता कुल भूषण	Mr. GUPTA KUL BHUSHAN
श्री डुडेजा विनीत कुमार	Mr. DUDEJA VINEET KUMAR
श्री एम जगन मोहन	Mr. M JAGAN MOHAN
श्री कनोजिया कुकु राम	Mr. KANOJIA KUKU RAM
श्री मेहता जयेशकुमार वसंतराय	Mr. MEHTA JAYESHKUMAR VASANTRAY
श्री नामदेव दिनेश कुमार	Mr. NAMDEO DINESH KUMAR
श्री ए सुदर्शन एस	Mr. A SUDARSAN S
श्री गुप्ता मन मोहन	Mr. GUPTA MAN MOHAN
श्री देव हेमन्त कुमार	Mr. DEO HEMANT KUMAR
श्री कुमार सुब्रत	Mr. KUMAR SUBRAT
श्री देवराकोण्डा आनंद कुमार	Mr. DEVARAKONDA ANANDA KUMAR
श्री डोभाल संजीव	Mr. DOBHAL SANJEEV
श्री खोसला अजय के	Mr. KHOSLA AJAY K
श्री के सत्यनारायण राजू	Mr. K SATYANARAYANA RAJU
श्री गोयल कृष्ण गोपाल	Mr. GOYAL KRISHAN GOPAL
श्री पी राजशेखरन	Mr. P RAJSHEKHARAN
श्री नागराज एम जे	Mr. NAGARAJA M J
श्री रमेश गोपालरत्नम	Mr. RAMESH GOPALARATNAM
श्री ह्यांकी महिराज सिंह	Mr. HYANKEY MAHIRAJ SINGH
डॉ. यादव रामजस	Dr. YADAV RAMJASS
सुश्री पांडेय अर्चना	Mrs. PANDEY ARCHANA
श्री गुप्ता सर्वेश कुमार	Mr. GUPTA SARVESH KUMAR
श्री मल्होत्रा राजेश	Mr. MALHOTRA RAJESH
श्री ग्रोवर संजय कुमार	Mr. GROVER SANJAY KUMAR
श्री एल श्रीधर इनुमेल्ला वी	Mr. L SRIDHAR INUMELLA V
श्री सेन सिद्धार्थ	Mr. SEN SIDDHARTHA
श्री श्रीवास्तव सुनील कुमार	Mr. SRIVASTAVA SUNIL KUMAR
श्री पुरुषोत्तम	Mr. PURSHOTAM

श्री राठी प्रकाश वीर	Mr. RATHI PRAKASH VIR
श्री दास तपन कुमार	Mr. DAS TAPAN KUMAR
श्री राय जयदीप दत्ता	Mr. ROY JOYDEEP DUTTA
श्री वेणुगोपाल एन	Mr. VENUGOPAL N
श्री गग्गड़ रमेश चंद्र	Mr. GAGGAR RAMESH CHANDRA
श्री श्रीनिवास पि	Mr. SREENIVAS P
श्री रेड्डी पि विनोद कुमार	Mr. REDDY P VINOD KUMAR
श्री गुप्ता अमर नाथ	Mr. GUPTA AMAR NATH
श्री ए श्रीधरा मूर्ति	Mr. A SRIDHARA MURTHY
श्री सेठी वीरेन्द्र कुमार	Mr. SETHI VIRENDRA KUMAR
श्री मेनन वेणुगोपाल	Mr. MENON VENUGOPAL
श्री बेहरा नित्यानंद	Mr. BEHERA NITYANANDA
श्री एलांगो बालासुब्रमण्यम	Mr. ELANGO BALASUBRAMANIAM
श्री पानेरी गजेन्द्र कुमार	Mr. PANERI GAJENDRA KUMAR
श्री महापात्रा उमेश चंद्र	Mr. MOHAPATRA UMESH CHANDRA
श्री ग्रोवर देवेन्दर पाल	Mr. GROVER DEVINDER PAL
श्री गुप्ता द्वारिका प्रसाद	Mr. GUPTA DWARIKA PRASAD
श्री जी चिन्नासामी	Mr. G CHINNASAMY
डॉ. एम कृष्णमाचारी	Dr. M KRISHNAMACHARY
श्री रोहिल्ला मोहन लाल	Mr. ROHILLA MOHAN LAL
श्री रंजन निशांत	Mr. RANJAN NISHANT
श्री शर्मा प्रभात के	Mr. SHARMA PRABHAT K
श्री चतुर्वेदी रवि	Mr. CHATURVEDI RAVI
श्री लोही अरविंद डी	Mr. LOHI ARVIND D
श्री सिंह शैलेन्द्र एच	Mr. SINGH SHAILENDRA H
श्री चौधरी कमलेश कुमार	Mr. CHOUDHARY KAMLESH KUMAR
श्री पोलुरी श्रीनिवास रेड्डी	Mr. POLURI SRINIVASA REDDY
श्री सी मालोलन	Mr. C MALOLAN
श्री शर्मा सुरेन्द्र	Mr. SHARMA SURENDRA
श्री के वेंकटेशन	Mr. K VENKATESAN
श्री महनोत महेन्द्र सिंह	Mr. MAHANOT MAHENDRA SINGH
श्री नायक ए सुधाकर डी	Mr. NAYAK A SUDHAKARA D
श्री श्रीजित कोट्टारातिल	Mr. SREEJITH KOTTARATHIL
श्री धीरेंद्र सेट्टीपल्ली	Mr. DHEERENDRA SETTIPALLI
श्री मुदलियार संजय विनायक	Mr. MUDALIAR SANJAY VINAYAK
श्री चोपड़ा जेठा नंद	Mr. CHOPRA JETHA NAND
श्री कृष्णा एम वेंकट मुरली	Mr. KRISHNA M VENKAT MURALI
उप महाप्रबंधक एवं कार्यात्मक प्रमुख	**Dy. General Managers & Functional Head**
श्री शर्मा रोशनलाल	Mr. SHARMA ROSHANLAL
श्री कुमार राजीव	Mr. KUMAR RAJEEV
श्री सिंह सुधांशु कुमार	Mr. SINGH SUDHANSHU KUMAR
श्री जानी पंकजकुमार मुकुंदलाल	Mr. JANI PANKAJKUMAR MUKUNDLAL
श्री शर्मा राकेश कुमार	Mr. SHARMA RAKESH KUMAR

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय हितधारक,

मुझे आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 (विव 2020) के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करते हुए अपार खुशी हो रही है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन के पश्चात् समामेलित संस्था का यह पहला वर्ष था. मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ग्राहकों को बिना किसी व्यवधान अथवा असुविधा के समामेलन प्रक्रिया सहज रूप से संपन्न हुई. चालू वित्त वर्ष में जैसे ही हम प्रौद्योगिकी संबंधित प्लेटफॉर्म में आवश्यक बदलाव कर लेंगे, हमारे पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहक हमारी उच्च स्तरीय विविध सेवाओं का निर्बाध लाभ उठा सकेंगे.

वित्त वर्ष 2020 के दौरान हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पदधारिता में परिवर्तन हुआ. श्री पी. एस जयकुमार ने बैंक में -4 वर्षों की सफल सेवा पूरी की, जिन्होंने बैंक में कई नवोन्मेषी कार्यों की शुरुआत की थी. मैं निदेशक मंडल की ओर से समामेलन प्रक्रिया के दौरान बैंक को नेतृत्व प्रदान करने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं. मैं नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री संजीव चड्ढा का स्वागत करता हूं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक- भारतीय स्टेट बैंक में कार्य करने का व्यापक अनुभव है. मुझे विश्वास है, उनके कार्यकाल के दौरान हमारे बैंक में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे.

डॉ. हसमुख अढ़िया
अध्यक्ष

बैंकिंग परिदृश्य

सरकार की प्रमुख सुधारवादी प्राथमिकताओं में भारतीय बैंकों के व्यवसाय और आकार को बढ़ाना है. इस रणनीति के तहत विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ हुआ. इस रणनीति को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को -4- में समामेलित/समेकित करने की घोषणा की है. इससे तुलन पत्र को मजबूत करने और अन्तर्निहित लाभप्रदता को बढ़ाने में मदद मिलेगी ताकि प्रौद्योगिकी में निवेश और बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके. बड़े बैंक इक्विटी और बॉंड-मार्केट से पूंजी संग्रहण करने में और मजबूत हो सकेंगे.

समामेलन के अलावा, सरकार ने भारत की प्रगति के लिए कई सुधारवादी कदम उठाए हैं. उनमें से कार्पोरेट कर की दर में कमी, जीएसटी, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी), निजी क्षेत्रों के लिए खनन क्षेत्र तक पहुंच, संघशासित प्रदेशों में विद्युत वितरण का प्रस्तावित निजीकरण, आधारभूत संरचना में निवेश तथा व्यवसाय में सुगमता (ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस) उल्लेखनीय हैं.

इन सुधारवादी उपायों के लाभ अगले कुछ समय में परिलक्षित होंगे. तथापि, चक्रीय कारकों की वजह से वित्त वर्ष 2020 के दौरान विकास की रफ्तार कम हुई जिसके फलस्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण विकास में कमी आयी जो पिछले वित्तीय वर्ष के 13.1% की तुलना में इस वित्त वर्ष के अंत में 6.1% रहा. विकास की धीमी गति के लिए वर्ष के अंत में कोविड-19 महामारी के प्रकोप को भी आंशिक रूप से कारक माना जा सकता है.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को सहयोग देने के उद्देश्य से फरवरी 2019 से पॉलिसी दर में 250 आधार अंकों की कटौती की है. इन्होंने तीव्रतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रिटेल और एमएसएमई ग्राहकों हेतु बाहरी बेंचमार्क संबद्ध उधार दर की शुरुआत की. भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 के कारण मंदी के प्रभाव को कम करने हेतु भी कदम उठाए हैं जिसके तहत तरलता बढ़ायी गई है, सीआरआर में कटौती की गई है तथा उधारकर्ताओं को छह माह का स्थगन उपलब्ध कराने हेतु बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं. बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने भी अपने ग्राहकों को स्थगन सुविधा उपलब्ध करायी है तथा कोविड-19 के प्रकोप के दौरान भी देश भर में निरंतर बैंकिंग सेवाएं जारी रखना सुनिश्चित किया है. मैं बैंक के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिवादन करता हूं जिन्होंने लॉकडाउन के समय में भी बैंकिंग परिचालन को जारी रखा. वे भी कोविड-19 के विरुद्ध जारी जंग की अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा– निरंतर रुपान्तरण

हम बैंक ऑफ़ बड़ौदा में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश करते रहे हैं. टैब बैंकिंग के जरिए खाता खोलने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, हमारे मोबाइल अनुप्रयोगों का उन्नयन, बैक ऑफिस परिचालन का केन्द्रीकरण, एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (एसीओई) की स्थापना तथा हमारे किसानों के लिए बड़ौदा किसान प्लेटफॉर्म जैसे नवोन्मेषी कार्य इस दिशा में किए गए हमारे उल्लेखनीय प्रयास हैं. हम अपने डिजिटल संकेन्द्रण को और बढ़ा रहे हैं जिसके तहत एक समर्पित डिजिटल लेंडिंग डिपार्टमेंट की स्थापना की जा रही है जो अत्याधुनिक मशीन लर्निंग एवं एलगरिद्म का प्रयोग करते हुए आंतरिक और बाह्य सूचना स्रोत का इस्तेमाल कर विशेष रूप से रिटेल और एमएसएमई ग्राहकों के ऋण प्रस्तावों की ऑन बोर्डिंग और प्रोसेसिंग की आवश्यकता पूरी करेगा. इन उपायों के परिणामस्वरूप टर्न अराउंड टाइम में कमी आयी है तथा ग्राहक अनुभव में सुधार हुआ है. हमारे उन्नत मोबाइल अनुप्रयोग की सराहना देश के सर्वोच्च 3 बड़े बैंकों में की जा रही है. सरकार की ईएएसई (EASE) रैंकिंग में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है.

वित्तीय कार्यनिष्पादन

तीनों बैंकों के समामेलन का लाभ पहले वर्ष में ही लागत दक्षता के रूप में परिलक्षित होने लगा है जिसके तहत वित्त वर्ष 2020 में आय पर लागत अनुपात में कमी आई है जो 47.86% रहा, कासा अनुपात में वृद्धि के जरिए मार्जिन में सुधार आया जो 39.07% रहा तथा गैर–निष्पादक ऋणों में गिरावट से ऋण गुणवत्ता में सुधार हुआ है जो 3.13% रहा. समामेलित संस्था ने न केवल उच्चतर परिचालनगत लाभ दर्ज किया है बल्कि इसने वित्त वर्ष 2020 में पुनः लाभप्रदता की स्थिति प्राप्त की. यह स्थिति बैंक द्वारा इस वित्त वर्ष के दौरान प्रावधान कवरेज अनुपात को बढ़ाकर 81.33% करने के बावजूद रही है. बैंक ने एटी–1 एवं टीयर–II बॉन्ड के माध्यम से ₹ 6,817 करोड़ की पूंजी संग्रहीत की. बैंक के परिणाम यह दर्शाते हैं कि सरकार के सुधारवादी कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं जिसके तहत मजबूत बैंकों का गठन किया जा रहा है जो प्रौद्योगिकी में निवेश कर सकते हैं, उच्चतर लाभ अर्जित कर सकते हैं तथा बाजार से पूंजी संग्रहीत कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मजबूत पूंजीगत गुंजाइश संभव हो सके.

आगे की राह

हमारे बैंक का निदेशक मंडल प्रबंधन के निरंतर संपर्क में है ताकि व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें और जिससे शेयरधारकों सहित सभी हितधारकों को लाभ मिल सके. इस वर्ष हमारी रणनीति ऐसी होगी कि हम समामेलन का इष्टतम लाभ उठा सकें तथा सुदृढ़ क्रेडिट वृद्धि और लाभप्रदता दर्ज करते हुए बेहतर दक्षता मानदण्ड स्थापित कर सकें. इसके अलावा, हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि हमें कोविड के प्रकोप की समाप्ति पर अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा. हम इस दिशा में रणनीति तैयार करने की योजना बना रहे हैं ताकि हम प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसर में बदल सकें. बैंक के अध्यक्ष के रूप में, मैं इस यात्रा का सहभागी बनने हेतु उत्साहित हूं.

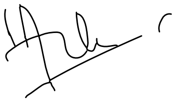

हसमुख अढ़िया

अध्यक्ष

CHAIRMAN'S STATEMENT

Dr. Hasmukh Adhia
Chairman

Dear Stakeholder,

It gives me great pleasure to place before you the highlights of the Bank's performance during the financial year 2019-20 (FY 2020). This was the first year of the amalgamated entity after merger of Vijaya Bank and Dena Bank into Bank of Baroda. I am happy to say that the amalgamation process was completed smoothly without any disruption or inconvenience to the customers. Once the changeover of the technology platform is completed in the current financial year, the customers of all erstwhile banks will have seamless benefit of advanced level of bouquet of services.

FY 2020 was the year in which the change of MD and CEO happened. Mr. P S Jayakumar completed his tenure of 4 years in the Bank successfully, leaving behind many innovative practices in the Bank. I would like to express the gratitude of the Board of Directors to him for steering the Bank through the amalgamation. I would also like to welcome new MD and CEO, Shri Sanjiv Chadha, who brings with him the rich experience of the largest Public Sector Bank - SBI. I am sure new milestones will be achieved during his tenure in our Bank.

The Banking Landscape

One of the important areas of reform for the Government has been increasing scale and size of the Indian banks. As part of this strategy, Vijaya Bank and Dena Bank were amalgamated with Bank of Baroda. Continuing with this strategy, the Government has announced consolidation of 10 PSBs into 4. This will be helpful in strengthening balance sheet and underlying profitability to invest in technology to gain market share. Large banks will also be in a better position to raise capital from the equity and bond markets.

Other than amalgamation, the Government has implemented a number of reforms to increase India's growth. Notable among them are reduction in corporate tax rate, GST, Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), opening up of mining sector to private sector, proposed privatisation of power distribution in Union Territories, investment in infrastructure and focus on Ease of Doing Business.

The benefit of these reform measures would be visible in the medium-term. However, due to cyclical factors, growth slowed down in FY 2020 which resulted in deceleration in credit growth of SCBs to 6.1% towards end of financial year from 13.1% in the previous financial year. The lower growth can also be partly attributed to outbreak of COVID-19 at the end of the year.

The Reserve Bank of India reduced policy rate by 250bps since February 2019 to support the economy. It also introduced an external benchmark linked lending rate for retail and MSME customers to ensure faster transmission. RBI has also taken steps to mitigate the impact of the slowdown due to COVID-19 by injecting liquidity, reducing CRR and advising banks to provide 6-month moratorium to borrowers. Bank of Baroda too has extended moratorium to its customers and has ensured continuous operation of banking services during the COVID-19 outbreak in the country. I would

like to salute all officers and staff of the Bank who continued banking operations during lockdown also. They too are the frontline warriors of the war against COVID-19.

Bank of Baroda – The Continuing Transformation

We at Bank of Baroda have been investing in technology to improve customer experience. Initiatives such as digitising account opening through TAB Banking, revamping our mobile application, centralisation of back office operations, setting up an Analytics Centre of Excellence (ACoE) and Baroda Kisan platform for our farmers are efforts in that direction. We are expanding our digital focus even further with setting up of a dedicated Digital Lending Department which will exclusively cater to digital on-boarding and processing of loans for Retail and MSME customers using internal and external sources of information and state-of-the-art machine learning and algorithms. These initiatives have already resulted in lower turnaround time and better customer experience. Our revamped mobile application is rated amongst the top 3 large banks in the country. Bank of Baroda has been ranked 2nd in Government's EASE ranking.

Financial Performance

The benefits from amalgamation of the three Banks are visible in the first year itself in the form of cost efficiency through reduction in cost to income ratio to 47.86% in FY 2020, improvement in margins through increase in CASA ratio to 39.07% and better credit quality in the form of decline in non-performing loans to 3.13%. The combined entity has not only reported a much higher operating profit, but also returned to positive profit in FY 2020. This is despite the Bank increasing its provision coverage ratio to 81.33% in the financial year. The Bank also raised capital by way of AT-1 and Tier II bonds of ₹ 6,817 crore. The results of the Bank show that Government's reform initiative is in the right direction of creating stronger banks which can invest in technology, have higher profits and raise capital from the markets leading to deeper capital cushion.

Looking Ahead

The Board of Directors of our Bank is continuously engaged with the management to set up business goals which benefit all the stakeholders including the shareholders. Our strategy this year will be to consolidate the gains of amalgamation and achieve better efficiency parameters while delivering healthy growth in credit and profitability. Also, we are conscious of the fact that the way we do business has to change in the post COVID world. We plan to strategise on these lines so that the adversity is converted into an opportunity. As the Chairman of the Bank, I am excited to be part of this journey.

Hasmukh Adhia
Chairman

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय हितधारक,

यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा को नेतृत्व प्रदान करने का अवसर मिला है. यह एक ऐसी संस्था है जिसका एक समृद्ध इतिहास रहा है और लगभग 112 वर्षों से सभी हितधारकों की सेवा करने का एक शानदार रिकॉर्ड रहा है. यह मेरा प्रयास होगा कि मैं एमडी एवं सीईओ के रूप में विश्वास और सेवा की इस परंपरा को और मजबूत कर पाऊं.

कोविड-19 का हम सभी पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है. हमारे कार्यालयीन जीवन के साथ-साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. मैं आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं. विशेष रूप से हमारे स्टाफ सदस्यों के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी रही है. उनमें से प्रत्येक ने अपने ऊपर भारी व्यक्तिगत जोखिम के बावजूद भी यह सुनिश्चित किया है कि बैंक न केवल एक अनिवार्य सेवा के रूप में अपनी फंक्शनिंग को सामान्य रूप में जारी रखे बल्कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन की जटिल एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया जैसी सभी प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य करता रहे.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था जिसका चयन 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक के साथ समामेलन हेतु किया गया. यह भारत सरकार की सुधारवादी योजना के तहत किया गया जिसके अन्तर्गत सीमित किन्तु बड़े सार्वजनक क्षेत्र बैंक बनाए जाने हैं जिनकी लागत कम हो, लाभप्रदता अधिक हो, बाजार से पूंजी संग्रहीत करने की क्षमता हो तथा जो प्रौद्योगिकी में निरंतर निवेश कर सकें. समामेलन के पहले साल में ही समामेलित बैंक अपने लागत-आय अनुपात में 4% से अधिक की कमी ला सका, कासा अनुपात में 1.8% से अधिक की बढ़ोत्तरी कर सका, परिचालनगत लाभ में वृद्धि हुई और साथ ही गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी आयी. समामेलन की प्रक्रिया योजना के अनुरूप चल रही है जिसके तहत समामेलित बैंकों की रिटेल शाखाओं का विलयन हो रहा है और शेष प्रक्रिया अंतिम चरण में है जो वित्तीय वर्ष 2021 में पूरी हो जाएगी. पूर्णबंदी के कारण होने वाली समस्या के बावजूद हमारी टीम इस दिशा में काम करती रही है और हम कार्यान्वयन हेतु निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने हेतु प्रतिबद्ध हैं.

समृद्ध ग्राहक अनुभव

विलय प्रक्रिया को क्रियान्वित करते हुए भी बैंक ने ग्राहक अनुभव को बेहतर और समृद्ध बनाने के लिए समानांतर रूप से कई कदम उठाए हैं. इनमें से टैब बैंकिंग ऐसी सुविधा है जो हमारे ग्राहकों को पेपरलेस डिजिटल ऑन-बोर्डिंग अनुभव प्रदान करती है. ये सुविधाएं कोरोना वायरस महामारी के दौरान नितांत आवश्यकताएं बन गई हैं. प्रमुख बाजारों के लगभग 88% बचत बैंक खाते टैब बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए पेपरलेस फार्मेट में खोले गए. इससे हमारी उत्पादकता-वृद्धि में सुधार आया है और पिछले वर्ष की तुलना में कासा अनुपात में वृद्धि दर्ज करने में मदद मिली है. हमने यह सुविधा चालू खाता के ग्राहकों को ऑन- बोर्डिंग के लिए भी उपलब्ध करायी है.

मोबाइल बैंकिंग भी ग्राहकों के साथ संबंध बढ़ाने में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो हमारे अधिकांश ग्राहकों के लिए बैंक के साथ संव्यवहार करने के पसंदीदा माध्यम के रूप में उभर रहा है. इस उत्पाद के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए हमने अपने मोबाइल बैंकिंग (एम-कनेक्ट) अनुप्रयोग में व्यापक सुधार किया है तथा नया वर्जन शुभारंभ के कुछ ही सप्ताहों में बड़े बैंकों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा. हम इस अनुप्रयोग (ऐप) में लगातार नई सेवाएं जोड़ते जा रहे हैं तथा हमारा यह प्रयास है कि हम इसे अपने ग्राहकों के लिए सभी बैंकिंग आवश्यकताओं हेतु वन स्टॉप शॉप बना सकें.

रिमोट एक्सेस की बढ़ती महत्ता को देखते हुए हमारे कॉल सेंटरों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है. बैंक अपने ग्राहकों के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुभव स्थापित करने की प्रक्रिया में लगातार प्रयासरत है. हम कॉल सेंटरों को लागत वाले सेंटरों से डिजिटल समर्थित लाभकारी सेंटरों में रूपान्तरित करने हेतु सक्रिय प्रयास कर रहे हैं.

डिजिटल लेंडिंग का सशक्तिकरण

बैंक अपनी ऋण स्वीकृति और संवितरण प्रक्रिया को डिजिटाइज करने हेतु प्रयास करता रहा है. बैंकों ने ग्राहकों को शीघ्रतर क्रेडिट डिलीवरी हेतु लोन लाइफ साइकल प्रोसेसिंग सिस्टम (एलएलपीएस) की शुरुआत की है. बैंक ने रिटेल और कार्पोरेट ऋणों की प्रोसेसिंग प्रक्रिया को भी केन्द्रीकृत कर दिया है. उपर्युक्त उपायों से रिटेल और एमएसएमई ग्राहकों की सेवा हेतु टर्न-अराउंड-टाइम (टीएटी) में क्रमशः 10 और 15 दिनों की उल्लेखनीय कमी आयी है.

इस वर्ष हम डिजिटल लेंडिंग वर्टिकल की स्थापना के जरिए अपनी डिजिटाइजेशन यात्रा को और आगे ले जा रहे हैं. इससे रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट में डिजिटल समर्थित लेंडिंग करने हेतु ध्यान केंद्रित करने में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. हमारा प्रयास डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म तैयार करना है जो डिजिटल डाटा सोर्सिंग, ऋण सीमा की स्वीकृति और अनुषंगी प्रणाली के साथ स्वीकरण के जरिए एण्ड-टू-एण्ड डिजिटल प्रक्रिया उपलब्ध करा सकेगा. इससे हमें मशीन लर्निंग तथा एलगोरिदम के माध्यम से सर्वोत्कृष्ट जोखिम निगरानी की सुविधा प्राप्त होगी.

ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का भविष्य ग्राहक की मांग और जनसांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित होगा जिसके लिए मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा. बैंक ने पहले ही एनालिटिक्स सेंटर ऑफ़ एक्सिलेंस (एसीओई) की स्थापना की है जिसने ग्राहकों द्वारा वांछित उत्पादों एवं सेवाओं को चिह्नित करने के लिए मशीन लर्निंग और प्रेडिक्टिव मॉडल तैयार किया है. हम अपने ग्राहकों को, उनकी मांग पर आधारित पूर्व-अनुमोदित ऋण सीमाएं उपलब्ध करा रहे हैं जो उन्हें न्यूनतम संभावित समय में उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती हैं.

बैंक इसके साथ-साथ अपने उत्पाद आधार का भी विस्तार करता रहा है और इसने उन उत्पाद एवं सेवा क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है जहां पहले इसकी उपस्थिति नहीं थी, जैसे नकदी प्रबंधन और सप्लाई चेन फाइनेंसिंग.

बैंक साझा सेवा अनुषंगी शुरु करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है जिसके कारण शाखाओं के बैक ऑफिस परिचालन को केन्द्रीकृत कर दिया गया है. फलस्वरूप, शाखाओं को ग्राहक सेवा पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु पर्याप्त समय मिल रहा है. इससे टर्न-अराउंड-टाइम (टीएटी) में भी कमी आयी है.

शाखा बैंकिंग से आगे

यद्यपि हमारे ग्राहकों को बेहतर एवं उनकी पसंद के स्थान और समय पर सेवाएं देने हेतु डिजिटल-पहुंच (आउटरिच) हमारे लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा, तथापि हमें इस बात का पूर्णतया संज्ञान लेना चाहिए कि डिजिटल विभाजन अभी भी जारी है और हमें उन ग्राहकों तक पहुंचना आवश्यक है, जो अन्य लागत प्रभारी माध्यमों के जरिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने में सक्षम नहीं हैं.

इस परिप्रेक्ष्य में ग्राहकों को, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने हेतु व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) नेटवर्क एक महत्वपूर्ण चैनल के रूप में उभरा है. हमारे शाखा-नेटवर्क के पूरक के रूप में हम ग्रामीण, अर्ध शहरी एवं शहरी केंद्रों पर बीसी नेटवर्क के माध्यम से संपर्क केंद्रों की संख्या बढ़ा कर हमारी पहुंच को विस्तारित करने की प्रक्रिया में हैं. बैंक ने अपने बीसी प्वाइंट की संख्या 31 मार्च, 2019 के 17,587 को बढ़ाते हुए 31 मार्च, 2020 को 18,120 तक पहुंचा दी है जो संख्या की दृष्टि से देखें तो हमारी शाखाओं की संख्या से लगभग दुगुनी है और हमारी इस नेटवर्क को न केवल विस्तारित करने की, बल्कि इसे और प्रभावी, उत्पादक एवं हमारी संवितरण कार्यनीति का एक प्रमुख घटक बनाने की महत्वकांक्षी योजना भी है.

इस प्रकार ग्रामीण नेटवर्क स्ट्रेटेजी हमें तीव्र गति से बढ़ते हुए बाज़ार का एक हिस्सा बनने का अवसर उपलब्ध कराएगी और हमें कम लागत की जमाराशियां बढ़ाने में योगदान भी करेगी. उदाहरण के लिए हमारे शून्य बेलेंस वाले खातों में 31 मार्च, 2019 को औसत बेलेंस ₹ 3,200 से कम थी, वह 31 मार्च, 2020 को बढ़ कर ₹ 3,650 हो गई.

बैंक ने हमारे किसानों के लिए ऋण-प्रोसेसिंग को टीएटी को कम करने की दृष्टि से केंद्रीकृत किया है और एक डिजिटल प्लएटफॉर्म 'बड़ौदा किसान' प्रारंभ किया है, जो किसानों की सूचना, मौसम संबंधी जानकारियां, फसल के स्वास्थ्य, मिट्टी की नमी और किटाणु-रुग्णता, अंतिम उत्पादों एवं इनपुट्स के मूल्य आदि सहित सभी प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करता है.

भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग हमारे व्यवसाय के लगभग 15% के साथ हमारी जोखिम-वैविधिकरण स्ट्रेटेजी के मूल्यवान घटक के रूप में बना रहा. बैंक ने पूर्वी-अफ्रिका जैसे कई बाज़ारों में उल्लेखनीय सफलता हांसिल की और हम व्यवसाय के माध्यम से प्रतिफल अर्जन और जोखिम प्रोफाइल दोनों में सुधार की दृष्टि से हमारे नेटवर्क एवं व्यवसाय मॉडेल की समीक्षा कर रहे हैं.

चुनौतीपूर्ण समय में पथप्रदर्शन

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण विगत कुछ माह समस्त मानव-जाति के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं. स्वास्थ्य-कर्मी एवं अग्रिम पंक्ति के कोरोना-योद्धा पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपना कर्तव्य निभाते रहे हैं. हम उन्हें नमन करते हैं और अपने जीवन का खतरा मोल लेते हुए समस्त समाज के लिए उनके योगदान हेतु हृदयपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं.

स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के अलावा दीर्घकालीन लॉकडाउन की वजह से आई भारी आर्थिक मंदी के कारण सभी क्षेत्र अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, जिससे आय में निरंतर गिरावट आ रही है और जीवन-निर्वाह भी प्रभावित हो रहा है. बैंक ने किसानों, एमएसएमई एवं कार्पोरेट

उधारकर्ताओं के लिए कोविड इमर्जेंसी लाईन ऑफ़ क्रेडिट अनुमोदित करने, ऋण–भुगतान स्थगन सुविधा प्रदान करने तथा भारत सरकार की विभिन्न पहलों के अनुपालन के द्वारा अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है. हमने अपने स्टाफ सदस्यों और व्यवसाय प्रतिनिधियों को भी जोखिम से सुरक्षा उपलब्ध करा कर उन्हें सपोर्ट किया है, क्योंकि बैंक अपने कार्य जारी रख सके और सेवाएं देते रहे यह सुनिश्चित करने के लिए वे अपने जीवन का खतरा उठा रहे हैं. लॉकडाउन के दौरान, 99% शाखाएं परिचालित रहीं और हमारे एटीएम में भी नकदी का स्टॉक भरा रहा, ताकि हमारे ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने में हमारे व्यवसाय–प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही. व्यवसाय प्रतिनिधि सहित हमारे कर्मचारी एवं साझेदारों ने भी अग्रिम पंक्ति के कोविड–योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जिन पर हमें गर्व है.

मैं निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री हसमुख अढ़िया एवं निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के प्रति हमारे प्रयासों में प्रबंधन को अमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन एवं इनपुट्स प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता हूं. मैं समय–समय पर सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को धन्यवाद देता हूं.

मैं अपने सभी कर्मचारियों को उनके कड़े परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं. बैंक ऑफ़ बड़ौदा में हम उत्कृष्टता की दिशा में अपनी अविराम यात्रा में आप सभी के संरक्षण, सहयोग और सद्भावना की कामना करते हैं.

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

MD & CEO'S STATEMENT

Dear Stakeholder,

It is a singular privilege to have the opportunity to lead Bank of Baroda, an institution which has a rich history and stellar record of serving all stakeholders over a period of 112 years and it will be my endeavour as MD and CEO to build on this tradition of trust and service.

COVID-19 has had a serious impact on each one of us, our working lives as well as our health and well-being and I do hope everyone is well and keeping safe. For our staff members in particular, it has been a very testing time and each one of them has at great personal risk made sure that the Bank, not only as an essential service continues to function as close to normal as possible but also delivers on key projects including the complex and critical amalgamation of Bank of Baroda with Vijaya Bank and Dena Bank.

Sanjiv Chadha
Managing Director and CEO

Successful Amalgamation a new template for PSBs

Bank of Baroda was the first Public Sector Bank chosen for three-way amalgamation with Dena and Vijaya Bank effective from April 1, 2019 as part of Government's reform agenda of fewer but larger PSBs which would have lower costs, higher profitability, ability to raise capital from the markets and consistently invest in technology. In the first year of the merger itself, the amalgamated Bank has been able to bring down its cost to income ratio by more than 4%, improve the CASA ratio by more than 1.8%, increase operating profit as well as reduce non-performing assets. The merger is being executed as per plan with the amalgamation of retail branches of the merging banks, the final step, now in progress and scheduled for completion during FY 2021. Despite the dislocation caused by the shutdowns, the team has continued to press ahead and we remain committed to the implementation schedule.

Enriching Customer Experience

Even while executing the merger process, the Bank has simultaneously taken multiple steps to improve and enrich customer experience. Some of these such as TAB Banking which offer a paperless digital on-boarding experience to our customers have become an even more compelling proposition in the context of the coronavirus pandemic. Almost 88% of savings bank accounts in key markets were opened in paperless format using TAB Banking. This has helped us in improving our productivity and helped increase our CASA ratio. We have extended this facility for on-boarding current account customers as well.

An equally powerful tool to drive customer engagement is mobile banking which has emerged as the preferred mode for most of our customers to transact with the Bank. Keeping the centrality of this product and looking at the future, we have revamped our Mobile Banking application (M-Connect) and the new version is already, within weeks of launch, ranked third best among top large banks. We are constantly adding new services to the app and aim to make it the one-stop shop for all the banking needs of our clients.

With remote access becoming more important the role of our call centres has become even more critical. The Bank has been consistently investing in building a best-in-class experience for our customers. We are also actively working to transform the call centre from a cost centre to a digitally empowered profit centre that fully leverages analytics and artificial intelligence for personalisation of offers.

Enabling Digital Lending

The Bank has been investing in digitising its loan sanctioning and disbursal process. The Bank deployed a Loan Lifecycle Processing System (LLPS) for faster credit delivery to customers. The Bank has also centralised processing of retail and corporate loans. The above steps have already resulted in a significant reduction in Turnaround Time (TAT) for retail and MSME asset customers by about 10 days and 15 days respectively.

This year we are taking the next step in our digitisation journey by setting up a Digital Lending vertical. This will significantly increase focus on enabling digital driven lending in Retail and MSME segments. The endeavour is to create a lending platform that would provide an end-to-end digital journey through data sourcing, sanctioning of limits and integration with ancillary systems that would provide best-in-class risk monitoring using machine learning and algorithms.

The future of lending lies in analysing customer behaviour and demographic data using machine learning. The Bank has already set-up an Analytics Centre of Excellence (ACOE) which has generated machine learning and predictive models for identifying the products and services required by customers. We are assigning pre-approved limits to our customers based on their behaviour which enables them to meet their financing needs in the shortest possible time.

Simultaneously, the Bank has been broadening its product base and has seen significant success in product and service segments where it was not present earlier such as Cash Management and Supply Chain Financing.

The Bank was also the first one amongst PSBs to start a shared service subsidiary because of which the back office operations at branches have been centralised leaving branches free to focus on servicing customers. This also has resulted in reduction in TAT.

Beyond Branch Banking

While our digital outreach will remain a prime focus to serve our customers better and at a place and time of their choosing, we have to be fully cognizant that there still remains a digital divide and we need to reach other customers who may not be able to access technology through other cost effective means. It is in this context that the Business Correspondent (BC) network has emerged as a critical channel to serve customers, particularly in rural areas. We are in the process of enhancing our outreach by increasing the number of touch points through BC network in rural, semi urban and urban centres to complement our branch network. The Bank has increased its BC reach to 18,120 points as of March 31, 2020 from 17,587 as of March 31, 2019 taking the number to nearly twice of that of our branches and we have an ambitious plan to not only to expand the network but also to make it a more effective, productive and key component of our distribution strategy.

The rural network strategy thus will give us an opportunity to be part of a fast-growing market and contribute positively to our low-cost deposits. For instance, average balance in our zero balance accounts has increased to more than ₹ 3,650 as of March 31, 2020 from less than ₹ 3,200 as of March 31, 2019.

The Bank has centralised loan processing for our farmers to reduce TAT and also launched a digital platform “Baroda Kisan” which caters to all the major needs of farmers ranging from notifications, information on weather, crop health, soil moisture and pest infection, prices of final products and inputs.

India’s International Bank

International banking remains a key business

segment accounting for nearly 15% of our business as well as a valuable component of our risk diversification strategy. The Bank has achieved significant success in many markets like East Africa and we are reviewing our network and business model to improve both the returns generated by the business as well as the risk profile.

Navigating through challenging times

The last few months have been challenging for the entire humanity due to outbreak of COVID-19 pandemic. Health care and frontline COVID warriors have been performing their duty with an unwavering commitment. We salute them and express our deep gratitude for they are risking their lives for the society at large.

Besides the health concerns, the significant economic fallout due to protracted lockdown has led to all sectors facing uncertainty which is impacting the livelihoods due to sudden decline in incomes. The Bank has tried to play its part by approving a COVID Emergency Line for our farmers, MSMEs and corporate borrowers, extending moratorium on payment of loans and implementing various initiatives of the Government of India. We have also tried to support our staff members and Business Correspondents by providing risk protection since they have put their lives on the line to ensure that the Bank continues to function and deliver. During the lockdown, 99% of branches have been operational and our ATMs were fully stocked to fulfil the cash needs of our customers. Our BCs have been instrumental in providing services in remote areas unstintingly. Our employees and partners including our Business Correspondents, as COVID frontline warriors, have made us proud.

I would like to acknowledge and thank the Chairman of the Board, Shri Hasmukh Adhia and all the members of the Board for their valuable support, guidance and inputs to the management in our endeavours. I also thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for their support and guidance from time to time.

I acknowledge and thank all our employees for their hard work, dedication and commitment. At Bank of Baroda, we look forward to your continued patronage, support and goodwill as we march ahead in our quest for excellence.

Sanjiv Chadha
Managing Director and CEO

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

आपके निदेशकगण बैंक की एक सौ बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020) के लेखा-परीक्षित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा और व्यवसाय तथा परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं.

वित्तीय कार्यनिष्पादन

₹ करोड़

विवरण	31.03.19*	31.03.20
जमाराशियां	638,689.7	945,984.4
जिसमें से – घरेलू जमाराशियां	517,966.6	808,705.5
अंतर्राष्ट्रीय जमाराशियां	120,723.2	137,278.9
घरेलू जमाराशियां	517,966.6	808,705.5
जिसमें से – चालू खाता जमाराशियां	34,327.6	49,650.1
बचत बैंक जमाराशियां	174,076.2	266,301.3
कासा जमाराशियां	208,403.8	315,951.4
घरेलू जमाराशियों में घरेलू कासा (%)	40.2	39.1
अग्रिम	468,818.7	690,120.7
जिसमें से – घरेलू अग्रिम	370,185.0	570,340.8
अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम	98,633.8	119,780.0
कुल आस्तियाँ	**780,987.4**	**1,157,915.5**
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	**18,683.8**	**27,451.3**
अन्य आय	**6,294.5**	**10,317.3**
जिसमें से – शुल्क आय	3,576.1	4951.0
विदेशी मुद्रा आय	693.2	1,016.1
व्यापारिक अभिलाभ	989.5	
पीडब्ल्यूओ से वसूली	832.0	1,531.8
गैर ग्राहक ब्याज आय	204.0	67.0
एनआईआई + अन्य आय	**24,774.7**	**37,768.6**
परिचालनगत व्यय	**11,288.0**	**18,077.2**
परिचालनगत लाभ	**13,486.8**	**19,691.4**
प्रावधान	**12,788.7**	**21,493.5**
जिसमें से – एनपीए व बट्टाकृत अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान	12,192.40	16404.9
कर पूर्व लाभ	**698.2**	**-1802.1**
कर हेतु प्रावधान	**264.6**	**-2348.3**
निवल लाभ	**433.5**	**546.2**
विनियोजन / अंतरण		
सांविधिक प्रारक्षित निधि	108.4	145.9
पूंजी प्रारक्षित निधि	210.4	822.2
राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधि		
i) सामान्य प्रारक्षित निधि	0	-560.3
ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (I) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधि	182.1	180.0
iii) निवेश अधिशेष खाता		-41.6
प्रस्तावित लाभांश	0	0

* आंकड़े समामेलन से पूर्व की अवधि हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टैंड अलोन वित्तीय परिणामों से संबद्ध हैं, अतः 31 मार्च, 2020 के वार्षिक वित्तीय परिणामों से तुलनीय नहीं है.

₹ करोड़

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक	31.03.19*	31.03.20
निधियों की औसत लागत (%)	4.83	5.11
औसत अर्जन (%)	7.28	7.55
औसत ब्याज अर्जन आस्तियाँ	6,86,743.0	10,07,058.7
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं	6,48,495.6	9,49,179.9
निवल ब्याज मार्जिन (%)	2.72	2.72
लागत-आय अनुपात (%)	45.56	47.9
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (%)	0.06	0.06
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	1.18	1.23
प्रति शेयर बही मूल्य (रुपये)	138.42	96.22
मूल ईपीएस (रुपये)	1.64	1.36

दिनांक 31 मार्च को बैंक की कुल जमा राशि बढ़कर रू. 9,45,985 करोड़ हो गई. अंतरराष्ट्रीय ऋण एवं घरेलू रिटेल ऋण के मुख्य योगदान से अग्रिम बढ़कर रू. 6,90,121 करोड़ हो गया. वित्त वर्ष में शुद्ध ब्याज मार्जिन 2.72% पर स्थिर रहा. बैंक ने रु. 19,691 करोड़ का परिचालन लाभ दर्ज किया है. कुल प्रावधान (कर के अलावा) एवं आकस्मिकता निधि रू. 21,493 रही और एनपीए हेतु रू. 16,405 करोड़ का प्रावधान किया गया. बैंक ने रु. 546 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया.

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)		अनुपात%
	31.03.19*	31.03.20
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बासेल III	13.42	13.30
सीईटी-I	10.38	9.44
टीयर-I	11.55	10.71
टीयर-II	1.87	2.59

दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) और सीईटी-1 क्रमशः 13.30% और 9.44% रहा. समेकित समूह पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.87% रहा.

दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक की निवल मालियत रू. 44,457 करोड़ रही जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी रू. 925 करोड़ रही, प्रारक्षित निधि रू. 43, 532 करोड़ रही (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों, विदेशी मुद्रा अंतरण

प्रारक्षित निधियों और अन्य अमूर्त आस्तियों को छोड़कर). शेयर (अंकित मूल्य रू. 2) का बुक वैल्यू 31.03.2020 को रू. 96.22 रहा.

लाभांश

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना आरबीआई/2019-20/218 डीओआर. बीपी.बीसी.नं 64/21.02.067/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 द्वारा बैंकों को कोविड-19 के कारण आई अनिश्चितता के कारण पूंजी संरक्षण, अपनी क्षमता को बनाए रखने, अर्थव्यवस्था का समर्थन करने एवं हानि को कम करने के बारे में सूचित किया गया है. तदनुसार बैंक द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष में हुए लाभ पर किसी लाभांश की घोषणा नहीं की गई है.

प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

कैलेंडर वर्ष 2018 के 3.6% के मुकाबले कैलेंडर वर्ष 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि घटकर 2.9% हो गई. मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के नवीनतम अध्ययन के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में कै.वर्ष 2020 में 4.5% की कमी आने का अनुमान है. व्यापार और टैरिफ युद्ध के कारण विश्व व्यापार की मात्रा में संकुचन के फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कै. वर्ष 2018 के दौरान 3.8% से घटकर कै. वर्ष 2019 में 0.9% होने के कारण मंदी आई है. इससे वैश्विक स्तर पर विनिर्माण गतिविधि एवं निवेश प्रभावित हुआ है. इसके अलावा उच्च ब्याज दर, ब्रेक्सिट और अमरीकी राजकोषीय उपायों में कमी के प्रभाव की वजह से भी वृद्धि में कमी आई है. इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में 29.4% की वृद्धि दर्ज करने के पश्चात कै. वर्ष 2019 में वैश्विक कोमोडिटी मूल्य में 10.2% की गिरावट दर्ज की गई है.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर कै. वर्ष 2018 के 4.5% से कै. वर्ष 2019 में 3.7% होने के रूप में मंदी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है जोकि मुख्य रूप से भारत एवं चीन की वृद्धि दर में कमी के कारण है. जर्मनी व अमेरिका जैसे समुन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों में विकास दर कै. वर्ष 2018 के 2.2% के मुकाबले धीमा होकर कै. वर्ष 2019 में 1.7% हो गई. जर्मनी में वृद्धि दर कै. वर्ष 2018 के 1.5% के मुकाबले घटकर वर्ष कै. वर्ष 2019 में 0.6% हो गई है जोकि यूरो क्षेत्र में नये इमिशन मानकों के परिणाम स्वरूप वाहन उद्योग की समस्याओं के कारण हुआ है.

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि वित्त वर्ष 2019 के 6.1% के स्तर से वित्त वर्ष 2020 में 4.2% तक घट गई. यह वित्त वर्ष 2009 से न्यूनतम है. यह गिरावट निवेश माँग में 9.8% की बढ़ोत्तरी के स्तर से (-) 2.8% तक घट जाने के कारण आई है. यहां तक कि वित्त वर्ष 2020 में खपत भी 2019 के 7.2% से घटकर 5.3% पर आ गया है. वर्ष के दौरान सरकारी व्यय की गति बनी रही. क्षेत्रोन्मुख दृष्टि से कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने वर्ष के दौरान खपत और मांग को समर्थन किया. इस वर्ष भी मॉनसून के सामान्य रहने की उम्मीद है जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है.

वित्त वर्ष 2020 में औद्योगिक गतिविधियां भी अपेक्षाकृत कम ही हुई और वित्त वर्ष 2019 के 4.6% के मुकाबले इस वर्ष मात्र 0.9% की वृद्धि हो सकी. औद्योगिक क्षेत्र में आई कमी का कारण विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2020 के दौरान मात्र 0.1% वृद्धि थी. वित्त वर्ष 2019 में 7.7% की वृद्धि की तुलना में सेवा संबंधी गतिविधियों में भी वित्त वर्ष 2020 में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई. कोविड-19 के प्रकोप के निवारण के लिए किए जा रहे उपायों की वजह से आई घरेलू और वैश्विक बाधाओं के कारण वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में वृद्धि में गिरावट आई.

वृद्धि में आई कमी के साथ ही ग्राहक मूल्य सूचकांक(सी.पी.आई) से सम्बद्ध मुद्रास्फीति जो कि वित्त वर्ष 2019 में 3.4 % थी, वर्ष 2020 में 4.8 % के स्तर पर आ गयी. ऐसा खाद्य मुद्रास्फीति के अधिक होने के कारण हुआ. वित्त वर्ष 2020 के उत्तरार्ध में खाद्य मुद्रास्फीति 10.9 % रही जो कि वर्ष 2019 की पहली छमाही में (-) 1.5 % थी. खराब मौसम से आपूर्ति में आई बाधाओं एवं सब्जियों की कीमत में उछाल के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी हुई. विशेषकर तेल की घटी कीमतों और इसकी मांग में आई कमी के कारण कोर मुद्रास्फीति वर्ष 2019 के 5.8 % के मुक़ाबले वर्ष 2020 में 4% के स्तर पर आ गई.

हालांकि कोविड-19 के चलते आई बाधाओं के कारण यह वर्ष चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ज्यादा उत्पादन और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण ग्रामीण खपत में वृद्धि बनी रहने की उम्मीद है. शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन और मनरेगा पर होने वाले अधिक सरकारी व्यय से ग्रामीण मांग बढ़ेगी. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सरकार ने अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए रू. 21 लाख करोड़ के मौद्रिक एवं राजकोषीय पैकेज की घोषणा की है

भारतीय बैंकिंग का विकास

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि में वित्त वर्ष 2019 की 13.2% की तुलना में वर्ष 2020 में कई वर्षों में सबसे कम 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई. एक ओर जहां रिटेल ऋणों में उछाल जारी है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि है, दूसरी ओर एमएसएमई एवं कारपोरेट क्षेत्रों की मांग में आई गिरावट के कारण जीडीपी वृद्धि में कमी आई है. हालांकि जमा में वृद्धि वित्त वर्ष 2020 में वर्ष दर वर्ष आधार पर 7.9% रही. ऋण में कम वृद्धि को छोड़ बैंकिंग क्षेत्र में आईबीसी के अंतर्गत कुछ खातों के सक्रिय समाधान से आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार आया और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूंजीकरण के कारण उनकी स्थिति में सुधार आ सका.

अपेक्षाकृत धीमी आर्थिक गति को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2019 और अक्टूबर 2019 के मध्य नीतिगत रेपो दर को 135 बीपीएस कम कर दिया. इसके पश्चात फरवरी और मार्च 2020 के दौरान फिर से 115 बीपीएस की कमी की गई. वास्तविक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर के ट्रांसमिशन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने नए रिटेल ऋणों के लिए 1, अक्टूबर 2019 से बाह्य बेंचमार्क पद्धति लागू की जिसे 1, अप्रैल 2020 को एमएसएमई ऋण के लिए विस्तारित किया गया.

ब्याज दर में कमी के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था के समर्थन के लिए अन्य महत्वपूर्ण उपायों की भी घोषणा की गई. इस क्रम

में सर्वप्रथम यह सूचित किया गया कि बैंक द्वारा कोविड-19 के प्रभाव के कारण आई कठिनाइयों से निपटने हेतु ग्राहकों को 3 महीने की अवधि तक स्थगन सुविधा प्रदान की जा सकती है. बाद में इसे फिर से 3 महीने के लिए विस्तारित किया गया. हालांकि बैंकों को स्टैंडस्टील कारणों से होने वाले लाभों का दावा करने वाले खातों पर 10% का अतिरिक्त प्रावधान प्रदान करना आवश्यक होगा जिन्हें अन्यथा एनपीए घोषित कर दिया जाता. दूसरी ओर इसने बैंकों की आहरण शक्ति में वृद्धि करते हुए ऋणकर्ताओं को उनकी कार्यशील पूंजी में विस्तार करने की छूट प्रदान की. तीसरे, भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एक्जिम बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को क्रेडिट लाइन भी प्रदान की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, म्यूच्यूअल फंड और एचएफसी/एनबीएफसी को पर्याप्त लिक्विडिटी का लाभ मिल सके. चौथे, इसने दीर्घकालिक रेपो, लक्षित दीर्घकालिक रेपो और ओएमओ के माध्यम से स्थायी लिक्विडिटी प्रदान किया. इसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का लिक्विडिटी अधिशेष वर्ष 2019 में 1.2 लाख करोड़ की कमी की तुलना में वर्ष 2020 में औसतन 1.8 लाख करोड़ अधिक रहा.

बैंकिंग प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई लिक्विडिटी के संचयी प्रभाव के कारण औसत उधार दर में 65 बीपीएस और मध्यम अवधि की जमा दरों में 47 बीपीएस की गिरावट आई है. वित्त वर्ष 2020 में दीर्घ अवधि (10 वर्ष) सोवरेन बॉन्ड प्रतिफल में 121 बीपीएस की गिरावट दर्ज की गई.

भारत सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्रों के लिए सुधारात्मक उपायों की एक श्रृंखला की भी घोषणा की गई है. प्रथमतः, सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को 4 बड़े पीएसबी में विलय किया गया जिससे अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 हो गई है. दूसरे, सरकार ने वित्त वर्ष 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण भी किया जिसके माध्यम से कुल रु. 65,443 करोड़ की पूंजी उपलब्ध कराई गई है. इसके अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा को भी रु. 7, 000 करोड़ की पूंजी प्राप्त हुई है. तीसरे, बैंक सहित समस्त कार्पोरेट इकाइयों के कार्पोरेट कर दर में कमी की गई. चौथे, सुधार के तौर पर सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए रु. 21 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है जिसमें एमएसएमई क्षेत्र को ऋण दिए जाने हेतु रु. 3 लाख करोड़ का पैकेज भी शामिल है.

तीन तरफा समामेलन से उत्पन्न सह क्रियात्मकता (सिनर्जी)

दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को पूर्ववर्त्ती विजया बैंक एवं देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में समामेलन हो गया है. इस समामेलित इकाई अर्थात बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने संयुक्त परिचालन का 1 वर्ष पूरा कर लिया है. विगत 1 वर्ष के दौरान बैंक ने 'तीनों में सर्वोत्तम (बेस्ट ऑफ थ्री)' सिद्धांत के आधार पर बैंक के सभी उत्पादों एवं प्रक्रियाओं का सामंजस्य कर लिया है और ग्राहकों के लिए आवश्यक उत्पाद तैयार किया है. बैंक ने अपने साथ पूर्ववर्ती देना बैंक और विजया बैंक की भुगतान पद्धति का भी सफलतापूर्वक एकीकरण कर लिया है और अब आगे बैंक द्वारा निरंतर समामेलित संस्था की कार्यपद्धति को सामंजस्यपूर्ण और बेहतर बनाने हेतु आवश्यक पहल किया जा रहा है.

शाखाओं के आंकड़ों का समेकन, शाखाओं का माइग्रेशन एवं अन्य सभी एप्लीकेशन के कार्य ने काफी प्रगति की है. बैंक द्वारा सभी शाखाओं के आंकड़ों के समेकन को वित्त वर्ष 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही बैंक अपने साथ पूर्ववर्त्ती बैंकों का एकीकरण का कार्य पूरा कर चुका होगा.

समामेलन की पूरी प्रक्रिया 'ग्राहक केंद्रित' है. अपने ग्राहकों को न्यूनतम असुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने अत्यधिक सावधानी बरती है. नियमित तौर पर ग्राहकों के संपर्क में रहने के कारण अब तक इस इंटिग्रेशन कार्य के संबंध में कोई भी बड़ी शिकायत दर्ज नहीं हुई है.

व्यावसायिक - कार्यनिष्पादन

हमारे बैंक के व्यावसायिक - कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

संसाधन संग्रहण, ऋण विस्तार एवं परिचालन कार्यनिष्पादन

₹ करोड़

विवरण	**31.03.19***	**31.03.20**
जमा राशियां	6,38,689.7	9,45,985.4
जिसमें से - घरेलू जमा राशियां	5,17,966.6	8,08,706.5
अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियां	1,20,723.2	1,37,278.9
घरेलू जमा राशियां	**5,17,966.6**	**8,08,706.5**
जिसमें से - चालू खाता जमा राशियां	34,327.6	49,651.1
बचत बैंक जमा राशियां	1,74,076.2	2,66,301.3
कासा जमा राशियां	2,08,403.8	3,15,952.4
घरेलू कासा जमा राशियां (%)	**40.2**	**39.0**
अग्रिम	**4,68,818.7**	**6,90,120.73**
जिसमें से - घरेलू अग्रिम	3,70,185.0	5,70,340.8
अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम	98,633.8	1,19,780.0
कुल आस्तियां	**7,80,987.4**	**11,57,915.5**

बैंक की समग्र कासा जमाओं ने 31 मार्च, 2020 को रु. 3 लाख करोड़ के मील स्तंभ को पार कर लिया और रु. 3.16 लाख करोड़ के स्तर तक जा पहुंची. बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के दौरान 94.70 लाख नए कासा खाता खोले जिनमें अधिकांश पात्र खाते टैब बैंकिंग के माध्यम से खोले गए. बैंक ने अनेक नए उत्पादों की शुरुआत की है और ग्राहक अनुभव में बेहतरी हेतु प्रक्रियाओं में सुधार तथा उत्पाद संबंधी विशेषताओं को सुदृढ़ एवं आकर्षक बनाने हेतु अनेक नई पहलें आरंभ की है.

वित्त वर्ष 2020 के दौरान आरंभ किए गए उत्पादों में बड़ौदा प्लैटिनम बचत खाता, बड़ौदा सरकारी निकाय बचत खाता-सरकारी निकायों के लिए विशिष्ट खाता, रु. 40 लाख की अंतर्निहित व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज की सुविधायुक्त बीएसएनएल/एमटीएनएल बचत खाता, एसईजेड एवं प्रोजेक्ट ऑफ़िस के लिए विदेशी मुद्रा चालू खाता, कारपोरेट, रियल स्टेट डेवलपर्स एवं सरकारी निकायों के लिए एस्क्रो चालू खाता, स्टार्ट अप की जरुरतों को पूरा करने हेतु स्टार्ट-अप इंडिया तथा स्केल अप इंडिया चालू खाता योजनाएं, प्रथम वर्ष में रु. 50,000 की व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज युक्त महिला शक्ति - महिला बचत खाता की शुरुआत है.

कासा जमाओं को बढ़ाने हेतु बैंक द्वारा की गई कुछ रणनीतिक पहलों में एमसीए पोर्टल के माध्यम से गठित नई कंपनियों के लिए तत्काल चालू खाता खोलने हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ इंटीग्रेशन की व्यवस्था, भारतीय सेना के साथ वेतन एवं पेंशन खातों के लिए समझौता ज्ञापन तथा परिचालित चालू खाता खोलने के लिए मुंबई पुलिस के साथ प्रतिष्ठापूर्ण बैंकिंग संबंध कायम करना शामिल है. बैंक ने वैयक्तिक प्रोप्राइटरशिप के लिए टैब के माध्यम से चालू खाता खोलने की शुरुआत की है. बैंक ने अपने स्वास्थ्य बीमा संबद्ध बचत उत्पाद – बॉब सेहत सुरक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया एवं इसके तहत 1.19 लाख खाते खोले. महिलाओं के बीच स्वास्थ्य बीमा की जागरूकता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से बैंक ने अपने महिला बचत खाते– बॉब महिला शक्ति खाता के साथ स्वास्थ्य बीमा की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है.

बैंक ने मौजूदा ग्राहकों से संबंध पुख्ता करने के लिए 'फिर एक मुलाकात' के नाम से एक व्यापक ग्राहक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया एवं कार्यक्रम के तहत 3.8 लाख ग्राहकों से संपर्क किया गया. बैंक ने भारत सरकार के अटल टिंकरिंग लैब स्कीम के तहत प्राप्त अनुदानों के क्रियान्वयन के लिए 1163 से अधिक स्कूलों के खाते खोले.

बैंक अनेक डिपोजिटरी सेवाएं जैसे खाता रखरखाव, डिमैटरियलाइजेशन, बाजार अंतरणों के माध्यम से सौदों का निपटान, बाजार इतर अंतरण तथा अंतर डिपोजिटरी अंतरण, गैर–नकदी कारपोरेट लाभों का वितरण, नामांकन/प्रेषण इत्यादि उपलब्ध कराता है. वर्ष के दौरान बैंक ने 55,300 डिमैट खाते खोले हैं. बैंक, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) साथ नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) का डिपोजिटरी भागीदार है.

ऋण विस्तार :

वित्त वर्ष 2020 के दौरान, 31 मार्च, 2020 तक कुल ऋण रू. 6,90,121 करोड़ हो गए, जबकि बैंक के घरेलू अग्रिम रू. 5,70,341 करोड़ हो गए. घरेलू अग्रिमों में वृद्धि मुख्यतः खुदरा ऋण एवं कृषि ऋण के कारण हुई. रिटेल ऋण बढ़कर रू. 1,20,657 करोड़ हो गया जो कि मुख्यतः गृह एवं ऑटो ऋणों में क्रमशः रू.83,012 करोड़ एवं रू. 16,490 करोड़ के कारण संभव हुआ. इसके साथ ही वर्ष के दौरान कुल घरेलू ऋणों में खुदरा ऋणों का अनुपात बढ़कर 19.8% हो गया. 31 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ऋण बही 21.4% से बढ़कर रू.1,19,731 करोड़ हो गया.

बैंक की कुल आस्तियां 31 मार्च, 2020 को बढ़कर रू.11, 57,915 करोड़ हो गई

परिचालनगत कार्यनिष्पादन :

बैंक की परिचालनगत कार्यनिष्पादन संबंधी महत्वपूर्ण बातें निम्नानुसार हैं :

₹ करोड़

विवरण	31.03.2019	31.03.2020
अर्जित ब्याज	49,770.0	75,983.7
दिया गया ब्याज	31,290.3	48,532.4
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	**18,479.7**	**27,451.3**

विवरण	31.03.2019	31.03.2020
अन्य आय	6,294.5	10,317.3
जिसमें से – शुल्क आय	3,576.1	4,951.0
फॉरेक्स आय	693.2	1,016.1
ट्रेडिंग लाभ	989.5	2,750.7
पीडब्ल्यूओ से वसूली	832.0	1,531.8
गैर ग्राहक ब्याज आय	204.0	67.0
परिचालनगत आय (एनआईआई + अन्य आय)	24,774.2	37,768.6
परिचालनगत व्यय	**11,287.9**	**18,077.2**
कर्मचारी व्यय	5,039.1	8,769.5
अन्य परिचालनगत व्यय	6,248.9	9,307.7
परिचालनगत लाभ	**13,486.8**	**19,691.4**
प्रावधान	12,788.7	21,493.5
जिसमें से – एनपीए और बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान	12,192.4	16,404.9
मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान	(35.5)	3,085.0
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	138.5	987.0
अन्य प्रावधान	493.3	(1,332.0)
कर पूर्व लाभ	**698.2**	**(1,802.1)**
कर हेतु प्रावधान	264.6	(2,348.3)
निवल लाभ	433.5	546.2

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक	**31.03.2019**	**31.03.2020**
जमाराशियों की लागत –वैश्विक – (%)	4.68	4.98
जमाराशियों की लागत – घरेलू – (%)	5.33	5.39
जमाराशियों की लागत – अंतर्राष्ट्रीय – (%)	1.89	2.03
अग्रिम पर प्रतिफल –वैश्विक – (%)	7.65	7.99
अग्रिम पर प्रतिफल – घरेलू – (%)	8.67	8.82
अग्रिम पर प्रतिफल – अंतर्राष्ट्रीय – (%)	4.12	3.77
निवल ब्याज मार्जिन – वैश्विक – (%)	2.72	2.72
निवल ब्याज मार्जिन –घरेलू – (%)	2.93	2.84
निवल ब्याज मार्जिन –अंतर्राष्ट्रीय – (%)	1.71	1.34
लागत–आय अनुपात (%)	45.56	47.86
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (%)	0.06	0.06
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	1.18	1.23

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान बैंक की ब्याज आय बढ़कर रू. 75,984 करोड़ हो गई. अग्रिमों पर वैश्विक प्रतिफल 7.65% से बढ़कर 7.99% हो गया और घरेलू अग्रिमों पर प्रतिफल 8.67% से बढकर 8.82% हो गया.

कुल ब्याज व्यय वित्त वर्ष 2020 में रू. 48,532 करोड़ रहा. घरेलू जमा राशियों की लागत 5.39% रही. अंतरराष्ट्रीय बहियों में जमा राशियों की लागत 1.89% से बढ़कर 2.03% हुई. बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई)

वित्त वर्ष रू. 27,451 करोड़ के स्तर पर पहुंची. वैश्विक शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.72% पर स्थिर है.

बैंक का ट्रेजरी अभिलाभ रू. 2,751 करोड़ की वृद्धि के साथ अन्य आय भी बढ़कर रू. 10,317 करोड़ हो गई. बट्टाकृत खातों में वसूली रू.1,532 करोड़ के उच्च स्तर पर रही.

वित्त वर्ष 2020 में परिचालन व्यय बढ़कर रू. 18,077 करोड़ हो गया. वर्ष के दौरान कर्मचारी लागत रू. 8,770 करोड़ रही जबकि अन्य परिचालन व्यय रू. 9,308 करोड़ रहा. परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंक का परिचालन लाभ बढ़कर रू. 19,691 करोड़ हो गया. वित्त वर्ष 2020 में कुल प्रावधान (कर के अतिरिक्त) एवं आकस्मिकता बढकर रू. 21,493 करोड़ हो गया क्योंकि एनपीए पर प्रावधान बढ़कर रू.16,405 करोड़ हो गया. बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में रू. 546 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया.

कार्पोरेट क्रेडिट

बैंक में कार्पोरेट ऋण सेवाएं, 14 कार्पोरेट वित्त सेवा शाखाओं (सीएफएस) द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं जो बैंक के कुल कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो के लगभग 77% हिस्से का प्रबंधन करती हैं. 31 मार्च, 2020 तक बैंक का कार्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो बढ़कर रू. 2,91,543 करोड़ हो गया.

कार्पोरेट क्रेडिट संवितरण की दिशा में नवीन दृष्टिकोण के साथ वित्त वर्ष 2020 के दौरान पोर्टफोलियो के जोखिम स्वरूप में सुधार दर्ज किया गया है जो कि घरेलू ऋण पोर्टफोलियो में निम्नानुसार रेटिंग डिस्ट्रिब्यूशन के निर्धारण से प्रतीत होता है :

क्रेडिट रेटिंग डिस्ट्रिब्यूशन*	31.03.19*	31.03.2020
ए एवं उससे ऊपर	60%	61%
बीबीबी	14%	19%
बीबीबी से नीचे	16%	15%
अनरेटेड	10%	5%

* रु. 5 करोड़ से अधिक के अग्रिम की बाह्य रेटिंग डिस्ट्रिब्यूशन

वित्तीय वर्ष 2020 में निवेश ग्रेड (बीबीबी एवं उससे अधिक) से युक्त कुल पोर्टफोलियो पिछले वर्ष में 74% की तुलना में 80% रहा. उच्च श्रेणी के खातों में एक्सपोजर से पूंजी प्रभार कम करने तथा पूंजी दक्षता बढ़ाने में मदद मिली है.

उन्नत ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक के पास अनेक उत्पाद एवं सेवाएं हैं:

- विक्रेता वित्तपोषण, डीलर वित्तपोषण तथा प्राप्य वित्तपोषण सहित सप्लाय चेन फायनांस.
- बड़ौदा डिजीनेक्स्ट अर्थात् नकदी प्रबंधन सेवाएं जिसमें दक्ष संग्रहण एवं एकीकृत भुगतान प्रणालियां शामिल हैं, के माध्यम से प्राप्यों तथा देयों के प्रबंधन की प्रणाली शामिल है.
- "यूसांस पेयेबल ऐट साइट" (यूपीएएस) एलसी जिसे क्रेता क्रेडिट उत्पाद के विकल्प के रूप में पेश किया जाता है, की शुरुआत. इससे शुल्क आधारित आय में वृद्धि हुई है.
- बाह्य परामर्शदाताओं पर निर्भरता कम करने, टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) में सुधार करने और बैंक की लाभप्रदता में सहयोग देने के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की जांच के लिए इन-हाउस प्रोजेक्ट फायनांस डिवीजन.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कार्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो ने निम्नानुसार समामेलन का लाभ लिया है:

- कार्पोरेट वर्टिकल अकाउंट्स एक आईटी प्लेटफॉर्म (फिनेकल 10) में माइग्रेट हो चुके हैं. इसने प्रसंस्करण, रिपोर्टिंग तथा निगरानी का ऑटोमेशन संभव बनाया है. परिणामस्वरूप, समामेलित इकाई के सभी कार्पोरेट ऋणकर्ताओं के सप्लाय चेन फायनांस, वैल्यू चेन फायनांस नकदी प्रबंधन सेवाएं आदि जैसे नए उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध हो गई है.
- सभी ग्राहकों के लिए एक सार्वजनिक नीति विकसित करने हेतु एक व्यापक अभियान चलाया गया जिसमें तीनों बैंकों के सबसे लाभदायक एवं तर्कसंगत नियम तथा नीतिगत दिशानिर्देशों को अंगीकृत किया गया. इससे मूल्यांकन में सरलीकरण संभव हुआ. फलस्वरुप निर्णय लेने में लगने वाले समय में कमी आई.
- उपरोक्त के अतिरिक्त ऋणकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी दरें प्रदान करने के लिए कीमतों को युक्तिसंगत बनाया गया. इससे उत्पादों एवं सेवाओं के उपयोग में बढ़ोत्तरी हुई.
- सभी बड़े कार्पोरेट खातों को विशेष कार्पोरेट क्रेडिट शाखाओं के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है जिसका परिणाम सेवाओं के मानकीकरण, बेहतर जोखिम प्रबंधन तथा त्वरित निर्णय लेने के रूप में आया है.

लक्ष्य बाजार दृष्टिकोण : वित्त वर्ष 2021

- कार्पोरेट प्रस्तावों के त्वरित निपटान हेतु बैंक की वित्त वर्ष 2021 के दौरान देश भर में चार एकीकृत सीएफएस (आईसीएफएस) शाखाएं स्थापित करने की योजना है. बैंक लक्ष्य बाजार दृष्टिकोण का अनुसरण करता है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
- उद्योग आउटलुक आधारित विकास की दृष्टि से उद्योगों / क्षेत्रों की पहचान अर्थात् बाजार के आकार, विकास सूचकांकों, मांग-आपूर्ति दृष्टिकोण, लागत संरचना, प्रतिस्पर्धा, वित्तीय कार्यनिष्पादन, सरकार की नीतियों और निवेश की रूपरेखा सहित विभिन्न उद्योग मापदंडों का संयुक्त प्रतिफल.
- एक्सपोज़र कैप, मौजूदा एक्सपोज़र पर आधारित लक्ष्य बाजार ऋण देने हेतु क्षेत्रवार व्यवसाय योजना तथा चालू वित्त वर्ष के लिए नए अर्जन हेतु क्षमता बढ़ाना.
- व्यवसाय के अवसरों के निर्धारण, अनुमोदन एवं क्लोज़र हेतु सुव्यवस्थित कॉलिंग योजना के साथ सटीक खाता आयोजना.
- बैंक भर में समर्पित रिलेशनशिप प्रबंधकों के माध्यम से टार्गेट मार्केट अप्रोच के तहत व्यवसाय योजना का निष्पादन.
- बैंक सप्लाय चेन फायनांस, वैल्यू चेन फायनांस, सीएमएस सुविधा व अन्य खुदरा उत्पादों जैसी अनुषंगी सेवाएं उपलब्ध कराकर ब्याज आय की बजाय ग्राहक से प्राप्त समग्र आय पर अपना ध्यान केंद्रित करता है.

एमएसएमई क्रेडिट

31 मार्च, 2020 को एमएसएमई पोर्टफोलियो रू. 87,328 करोड़ रहा. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020 में 94,775 नए एमएसएमई ग्राहकों को जोड़ा है. ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम (टीआरईडीएस) पर एमएसएमई को प्रतिस्पर्द्धी दरों पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाने के लिए बैंक ने तीनों टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर स्वयं को ऑनबोर्ड किया है. 31 मार्च 2020 को टीआरईडीएस व्यवसाय रु. 385 करोड़ रहा. 31 मार्च 2020 को सप्लाई चेन व्यवसाय, जिसका उद्देश्य एमएसएमई को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और चलनिधि सहयोग उपलब्ध कराना है, में रु. 721 करोड़ का बकाया रहा. यह पूर्ण डिजिटलीकृत सप्लाई चेन फायनांस उत्पाद द्वारा समर्थित हैं और इसने एमएसएमई ग्राहकों, विशेष तौर पर वेंडरों और ऐंकर कॉर्पोरेटों के आपूर्तिकर्ताओं को, ऋण स्रोत लिए एक नया माध्यम उपलब्ध कराया है.

बैंक द्वारा एमएसएमई क्षेत्र की सेवा में समर्पित 37 एमएसएमई प्रोसेसिंग कक्ष 'एसएमई लोन फॅक्ट्री' तथा लक्ष्य बाजार दृष्टिकोण के आधार पर एमएसएमई सेंगमेंट को सेवा देने वाली शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से सेवा दी जाती है. समामेलन के उपरांत तीनों संस्थानों के उत्पाद एवं प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया गया है ताकि मौजूदा एवं नए ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराई जा सके.

रोजगार सृजन के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत सरकार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने रु. 10,303 करोड़ का ऋण प्रदान किया है, जिससे वित्त वर्ष 2020 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो पाया. स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ से अब तक बैंक ने योजना के अंतर्गत अजा, अजजा एवं महिला उद्यमियों को रु. 2,194 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की है. बैंक ने स्टैंड अप इंडिया के तहत 'बड़ौदा टैंकर्स स्कीम' नामक उत्पाद की शुरुआत एससी/एसटी ऋणकर्ताओं के लिए की एवं वित्त वर्ष 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रथम रहा. एमएसएमई को शीघ्र ऋण स्वीकृत किए जाने संबंधी भारत सरकार की पहल 'PSB loans in 59 minutes' पोर्टल के तहत बैंक सैद्धांतिक मंजूरी / अंतिम मंजूरी / संवितरण की दृष्टि से 31 मार्च 2020 को सभी पीएसबी में प्रथम स्थान पर रहा.

बैंक ने एमएसएमई ऋणकर्ताओं को बाधा रहित वित्त उपलब्ध कराने तथा गुजरात सरकार के पोर्टल के तहत प्राथमिक बैंक बनने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

बैंक ने भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत नए उद्यमों/ उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 15 स्टार्टअप शाखाएं खोली हैं.

इसके अतिरिक्त, बैंक के पास एसएमई क्लस्टरों को वित्तपोषित करने के लिए 11 क्षेत्र विशेष योजनाएं हैं. इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक में एमएसएमई इकाइयों को सुविधा उपलब्ध करवाने वाले उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 30 हो गई. बैंक ने रु. 25 लाख से अधिक और रु. 5 करोड़ से कम के ऋण जोखिमों वाले एमएसएमई उद्यमों के लिए सिबिल एमएसएमई रैंक (सीएमआर) आधारित मूल्य निर्धारण नामक नई मूल्य निर्धारण नीति को अपनाया है जिससे एमएसएमई उद्यमों को प्रतिस्पर्द्धी दरों पर बैंक वित्तपोषण प्राप्त होना संभव हो पाया है. नई व्यवसाय संभावनाओं तक पहुंचने और एनबीएफसी की तुलना में कम ब्याज दरों का लाभ प्रदान करने के लिए बैंक ने विभिन्न एनबीएफसी के साथ सह प्रवर्तन समझौते में प्रवेश किया है.

एमएसएमई खंड के लिए वाणिज्यिक वाहनों एवं निर्माण एवं खनन उपकरणों को वित्तपोषित करने के लिए बैंक ने एमएसएमई ऋण फैक्ट्री में एक समर्पित टीम तैयार की है. इस उद्देश्य से, वाणिज्यिक वाहनों के क्षेत्र में नया व्यवसाय प्राप्त करने के लिए बैंक ने टाटा मोटर फायनांस लिमिटेड एवं एसआरईआई के साथ नीतिगत गठबंधन किया है. इसके अलावा बैंक ने एक नई योजना 'वैल्यू चैन फायनांस' जो विशेष रूप से अधिकतम रु. 2000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बनाई गई है, के अंतर्गत ग्राहकों को ऑनबोर्ड किया है।

एमएसएमई बाजार खंड तक अपनी बेहतर पहुंच बनाने के लिए बैंक ने एसएमई लोन फैक्ट्रियों, अंचलों, क्षेत्रों एवं कार्पोरेट कार्यालय में बिक्री एवं ऋण प्रोसेसिंग के लिए एक अलग विशेष समर्पित टीम का गठन किया है. बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के दौरान 'ग्राहक संपर्क कार्यक्रम' में प्रतिभागिता की एवं अभियान के तहत 27 जिलों में दो चरणों में शिविर आयोजित किए. बैंक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवर्तित 'एक जिला एक उत्पाद' जैसी योजनाओं में भी प्रतिभागिता कर रहा है. बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा राज्य विशिष्ट सरकारी प्रायोजित योजनाओं के आवेदनों पर बाधारहित कार्रवाई के लिए सरकारी योजना प्रसंस्करण कक्ष (जीएसपीसी) की भारत भर में स्थापना की है.

रिटेल ऋण

बैंक का रिटेल पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2020 को बढ़कर रू. 1,20,657 करोड़ हो गया. घरेलू अग्रिमों में रिटेल ऋणों का हिस्सा 31 मार्च 2019 के 18.3% की तुलना में बढ़कर एक 31 मार्च, 2020 को 19.8% हो गया. यह ग्राहकों को बाधारहित तरीके से ऋण प्रदान करने के बैंक के निरंतर प्रयासों के कारण संभव हो पाया है.

बैंक ने शिक्षा ऋण के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा ऋण संवितरण के आबंटित लक्ष्य को 99.47% हासिल किया. हालांकि शिक्षा ऋण के बाजार में (–) 3.30% का संकुचन आया है. बैंक ने वर्ष दर वर्ष आधार पर 16.13% की वृद्धि दर्ज की है. 'जागो ग्राहक अभियान' के तहत उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा समर्थित संगठन कंज्यूमर वायस द्वारा बैंक को शिक्षा ऋण के लिए ग्राहकों को श्रेष्ठ वित्तपोषक विकल्प निर्धारित किया गया.

देश में पीएसयू बैंकों के पहले त्रिस्तरीय समामेलन के संबंध में उत्पाद एवं प्रक्रियाओं की दृष्टि से 'तीनों में श्रेष्ठ के' दृष्टिकोण को अपनाया गया. इससे अनेक नए उत्पादों जैसे कि सुविधा पर्सनल लोन, विशेष टेक ओवर योजना तथा ग्राहकों को पूर्व अनुमोदित ऋण भी उपलब्ध हो गए. इसके अतिरिक्त परिचालन इकाइयों को वित्त वर्ष 2020 में लोन मैनेजमेंट सिस्टम (एलएलपीएस) उपलब्ध कराया गया जिससे ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया का मानकीकरण हुआ और टीएटी में सुधार आया.

वित्तीय वर्ष 2020 में रिटेल कारोबार के क्षेत्र में की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- विभिन्न स्थानों पर विशेषीकृत और तत्काल रूप से क्रेडिट डिलीवरी हेतु 14 नए विशेषीकृत मोर्टगेज स्टोर खोलना और 10 एसएमएस को

नई जगह स्थापित करना, जिससे एसएमएस की कुल संख्या 31 मार्च 2020 को 99 हो गई है.

- टैब बैंकिंग के माध्यम से पूर्णतया डिजिटलीकृत रूप से पूर्व -अनुमोदित ऋण (वैयक्तिक ऋण/ कार ऋण) उपलब्ध करना
- सभी रिटेल ऋण उत्पादों में बाह्य बेंचमार्क (रेपो-रेट) के साथ लिंकेज के माध्यम से कीमतों को युक्तिसंगत बनाना. इससे ग्राहकों को पॉलिसी दरों को तत्काल अंतरित करने में सफलता मिली है.
- क्रेडिट इंश्योरेंस अटैचमेंट अनुपात में 50% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि, जिसके फलस्वरूप पोर्टफोलियो के साथ-साथ जीवन की अनिश्चितताओं से उधारकर्ता के परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षित किया गया.
- डिजिटल प्रत्यक्ष विक्रय एजेंटों को पैनल में शामिल करने संबंधी संकेन्द्रित दृष्टिकोण

ग्रामीण और कृषि ऋण

बैंक के पास ग्रामीण क्षेत्रों में 2,934 और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में 2,525 शाखाओं का नेटवर्क है जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को ऋण के लिए लाभप्रद है. वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान, बैंक का कृषि अग्रिम 31 मार्च, 2020 को बढ़कर रु. 87,921 करोड़ हो गया.

बैंक 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और 1 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात दादरा और नगर हवेली के नए केंद्र शासित प्रदेश तथा दमन और दीव में केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) का संयोजक है और पूरे देश के 67 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है.

बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने में अग्रणी बना हुआ है जिसे वित्तीय वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य से और गति मिली है. छोटे किसानों और समुदायों के लिए बैंक सामान्य कृषि ऋण प्रदान करने से आगे बढ़कर व्यापक ऋण की नीति पर कार्य करते हुए सभी ग्रामीण ग्राहक वर्ग के लिए कृषि यांत्रिकीकरण, बागवानी ऋण, गोदाम रसीद के पेटे वित्त पोषण, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तपोषण, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण और समुदाय आधारित ऋण मॉडल अपना रहा है.

वर्ष के दौरान बैंक ने 3.76 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं. बड़ौदा किसान रुपे कार्ड जोकि एटीएम समर्थित स्मार्ट कार्ड है, 18.11 लाख किसानों को जारी किए गए.

अपनी सूक्ष्मवित्त पहल के रूप में बैंक ने रु. 1093 करोड़ की ऋण स्वीकृति द्वारा 56,367 स्वयं सहायता समूहों को लिंक किया.

कृषि ऋणों के प्रोसेसिंग के लिए केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) ने गांधीनगर और हैदराबाद में कार्य आरंभ किया है.

दिनांक 21 सितंबर 2019 को बैंक द्वारा बड़ौदा किसान के रूप में एक अनूठी पहल आरंभ की गई. यह डिजिटल प्लैटफॉर्म महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ भागीदारी में किसानों की सभी प्रमुख आवश्यकताओं जैसे नोटिफिकेशन, मौसम पूर्वानुमान की सूचना, फसल स्वास्थ्य, मिट्टी की नमी, कीट संक्रमण की जानकारी, मंडी में कीमतें, फसल संबंधी विशेष सलाह, (बीज, खाद, कीटनाशक), निविष्टियों की खरीद, किराए पर उपकरण लेने संबंधी सलाहकार सेवाएं और कृषि उपज की बिक्री के लिए नवोन्मेषी वित्तपोषण विकल्पों को पूरा करने के लिए एकल समाधान बनने का लक्ष्य रखता है.

ग्राहक संपर्क को बढ़ाने के लिए समग्र देश में दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से 15 अक्टूबर 2019 के दौरान बड़ौदा किसान पखवाड़ा- एक पखवाड़े तक चलने वाला किसान संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया और दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को बड़ौदा किसान दिवस मनाते हुए इसका समापन किया गया. इस पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों में 6 लाख से अधिक किसानों ने सक्रिय सहभागिता की और रु. 2229 करोड़ की ऋण राशि 1,39,893 खातों में संवितरित की गई.

वित्तीय वर्ष 2020 में बड़ौदा किसान पखवाड़ा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों एवं संपर्क किए गए किसानों के विवरण निम्नानुसार हैं:

मद सं	विवरण	संख्या
1.	आयोजित चौपाल की संख्या	13,385
2.	चौपाल में सहभागियों की संख्या	3,56,056
3.	किसान मेला (क्रेडिट कैम्प)/ मेगा किसान मेला की संख्या	1079
4.	स्वास्थ्य कैम्पों (मिट्टी/जानवर/किसान) की संख्या	745
5.	किसानों की बैठक (चौपाल के अलावा)	6135
6.	किसानों की संख्या में वृद्धि	28,311
7.	संपर्क किए गए कुल किसान	6,11,779

लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड द्वारा बड़ौदा किसान पखवाडा के माध्यम से किसानों से जुड़नेवाली इस पहल को देश में किसी भी बैंक द्वारा अधिकतम किसानों से जुड़ने वाले कार्यक्रम के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की गई है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण 31 मार्च, 2020 को रु. 2,26,336 करोड़ हो गया. बैंक प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण और इसके अन्य उप-घटकों के अनिवार्य स्तर से काफी ऊपर है. बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2020 को 'लघु और सीमांत किसान और कमजोर वर्ग को अग्रिम' के अंतर्गत अनिवार्य लक्ष्यों को प्राप्त किया है.

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को ऋण

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को बकाया ऋण 31 मार्च, 2020 को 11,106 करोड़ हो गया. बैंक द्वारा कमजोर वर्गों को मंजूर किए गए. अग्रिम का 17.06% शेयर अनु.जाति/ अनु. जनजातियों को प्रदान किया गया.

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), मुद्रा ऋण, स्टार्ट-अप इंडिया एवं स्टैंड-अप इंडिया जैसी विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों के वित्त पोषण के लिए बैंक द्वारा विशेष बल दिया गया. इस वर्ष के दौरान, बैंक ने महिला सशक्तिकरण मिशन को आगे बढ़ाने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के साथ करार किया है.

वित्तीय समावेशन (एफआई)

किफायती लागत पर समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण, अर्द्ध शहरी और शहरी गरीबों, को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने वित्तीय समावेशन को सामाजिक बचनबद्धता के रूप में और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से कारोबार प्राप्त करने के लिए एक अवसर के रूप में अपनाया है. बैंक अपनी शाखा और बीसी नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है. तकनीक के आगमन के साथ बैंक रहित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए अभिनव कदम उठाए जा रहे हैं. बैंक ने देश भर में ग्रामीण, अर्द्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए 18000 से अधिक बीसी नियुक्त किए हैं.

बैंक ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पहलें आरंभ की है:

- विभिन्न चैनलों जैसे कि मिस्ड कॉल/ नेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग/ एसएमएस/ बीसी/ शाखा के माध्यम से माइक्रो इंश्योरेंस नामांकन.
- महिला ग्राहकों द्वारा पीएमजेडीवाई खातों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए महिला विश्व बैंकिंग, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन और शहरी पीएमजेडीवाई महिला ग्राहकों में बचत आदत को बढ़ाने और बेहतर जुड़ाव के लिए बड़ौदा जन धन प्लस योजना का शुभारंभ.
- बीसी केन्द्रों पर विभिन्न सेवाओं जैसे कि पासबुक मुद्रित करना, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण) जारी करना, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से भुगतान, चेक बुक प्राप्त करने के लिए अनुरोध करना, चेक स्थिति की जानकारी, चेक का भुगतान रोकना, रुपे डेबिट कार्ड के लिए अनुरोध हेतु व्यवस्था की गई.

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020 के महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन

- बेसिक बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों में रु. 41.20 लाख से वृद्धि हुई है और जमाराशियाँ रु. 3758 करोड़ हो गई.
- पीएमजेडीवाई खातों में 410.62 लाख से वृद्धि हुई है और पीएमजेडीवाई जमाराशियों में रु.14294 करोड़ से बढ़ोतरी हुई है.
- बैंक की 31 मार्च 2020 को बैंक की पीएमजेडीवाई खातों की संख्या में 13.45% और पीएमजेडीवाई खातों के अंतर्गत जमाराशियों में 14.75% की बाजार हिस्सेदारी रही.
- 31 मार्च 2020 को बैंक में शून्य शेष वाले पीएमजेडीवाई खातों के अंश को घटाकर 7.88% पर लाया गया.
- पिछले वर्ष की तुलना में 44.40 लाख की वृद्धि के साथ माइक्रो इंश्योरेंस में संचयी नामांकन 212.69 लाख हो गए हैं.
- वर्ष के दौरान पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 7.8 लाख और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 31.49 लाख नए नामांकन किए गए.
- बैंक ने वर्ष के दौरान 5.74 लाख खाते खोलकर 5.62 लाख अटल पेंशन योजना (एपीवाई) खातों के वार्षिक लक्ष्य को पार कर लिया है.

वर्ष के दौरान 935 केंद्रों के निर्धारित संख्या के समक्ष 998 आधार नामांकन केंद्र की स्थापना गई की है. बैंक ने यूआईडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष भर में न्यूनतम नामांकन/ अद्यतन के प्रति दिन प्रति शाखा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

बैंक ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को प्रायोजित किया है: बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक तथा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक. तीनों आरआरबी का समग्र व्यवसाय 31 मार्च, 2020 को रु. 76,278 करोड़ रहा. तीनों आरआरबी ने समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 2020 में रु. 166 करोड़ का लाभ दर्ज किया. तीनों आरआरबी की समेकित निवल संपत्ति 31 मार्च, 2020 को रु. 3038 करोड़ हो गई है.

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ संख्या 7/8/2017 आरआरबी (गुजरात) दिनांक 22 फरवरी 2019 के संदर्भ में दिनांक 1 अप्रैल 2019 से बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और देना गुजरात ग्रामीण बैंक के समामेलन को प्रभावी किया गया है और नई संस्था बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक ने अंतरिती के रूप में कार्य आरंभ कर दिया है.

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

हमारे बैंक की 21 देशों में 101 विदेशी शाखाएं/ कार्यालय हैं जिनमें 13 देशों में 35 विदेशी शाखाएं, 1 मोबाइल यूनिट और 9 इलेक्टॉनिक बैंकिंग सेवा यूनिट, विदेशी अनुषंगियों की 55 शाखाएं और गिफ्ट सिटी (एसईजेड), गांधीनगर, गुजरात, भारत में है जो विशेष रूप से विदेशी मुद्रा का कारोबार करते हैं. इसके अलावा, बैंक का एक संयुक्त उद्यम मलेशिया में इंडिया इंटरनेशल बैंक (मलेशिया) बीएचडी है और एक सहयोगी बैंक जांबिया में इंडो जांबिया बैंक लि. है जिसकी 30 शाखाएं हैं. वर्ष के दौरान, बोत्सवाना में बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड ने पलापें में एक नई शाखा खोली है.

बैंक की न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, ब्रसेल्स और दुबई में आदि विश्व के प्रमुख वित्तीय केंद्रों पर उपस्थिति है. अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा बैंक भारतीय कॉर्पोरेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करके, भारतीय और स्थानीय रूप से निगमित कंपनियों/ फर्मों के लिए इंडिया– लिंक्ड क्रॉस बार्डर व्यापार प्रवाह आवश्यकताओं को पूरा करके और एनआरआई/ भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पसंदीदा बैंक बनकर संवृद्धि और मूल्यवर्धन की नीति अपना रहा है. बैंक अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को नए वैश्विक परिवेश के अनुरूप निरंतर समेकित और पुनर्गठित कर रहा है और जोखिम प्रबंधन, कम अर्जन वाली आस्तियों पर ध्यान कम देने और लाभप्रदता में वृद्धि के उद्देश्य से पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया है.

वित्तीय वर्ष 2018 से बैंक ने व्यापक मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर रणनीतिक दृष्टि से अपनी विदेशी उपस्थिति को युक्तिसंगत बनाया है. यह इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप भी है. बैंक ने चीन और दक्षिण अफ्रीका में अपनी शाखाओं को बंद करने का फैसला किया है और त्रिनिदाद और टोबैगो में सहायक कंपनियों में अपने पूरे निवेश को विभाजित कर दिया है. बैंक ने हांगकांग में अपनी शाखा को बंद करने और बाद में एक प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया है.

31 मार्च, 2020 तक समामेलन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं से बैंक का कुल व्यवसाय रु. 2,57,010 करोड़ रहा जो वैश्विक व्यवसाय का 15.71%

रहा. कुल जमाराशियां रु. 1,37,279 करोड़ रहीं जबकि निवल अग्रिम रु. 1,19,731 करोड़ रहा.

ट्रेजरी परिचालन

हमारा बैंक मुंबई में स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थापित अत्याधुनिक डीलिंग रूम से ट्रेजरी परिचालनों का संचालन करता है. ट्रेजरी विभिन्न बाजारों जैसे विदेशी विनिमय, ब्याज आय, स्थायी आय, मुद्रा बाजार, डेरिवेटिव्स, इक्विटी, मुद्रा एवं ब्याज दर फ्यूचर्स एवं अन्य वैकल्पिक आस्तिश्रेणियों में प्रमुख भूमिका निभा रही है. बैंक आधुनिक डीलिंग पद्धतियों और पूरे देश में विदेशी मुद्रा में डीलिंग करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा स्वैप, मुद्रा विकल्प और वायदा संविदा जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है.

ट्रेजरी बैंक की निधि के प्रबंधन और इनकी सुरक्षा, तरलता और इनका इष्टतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है. यह सांविधिक प्रारक्षित निधि की आवश्यकताओं की देखरेख करता है और निधि प्रबंधन कार्यों के एक भाग के रूप में कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र, इक्विटी, उद्यम पूंजी, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करता है.

31 मार्च, 2020 को बैंक की घरेलू निवेश बही का आकार रु. 2,65,016 करोड़ रहा. कुल निवेश में एसएलआर प्रतिभूतियों का शेयर 83.46% रहा. 31 मार्च, 2020 को एनडीटीएल के सापेक्ष एसएलआर प्रतिभूतियां (भारमुक्त) 22.58% रहीं.

बैंक ने बाजार में अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावी रूप से निपटने में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है. बैंक यील्ड मूवमेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसर को भुनाने में सक्षम रहा है. बैंक ने अपने पोर्टफोलियो को कुशलता से प्रबंधित किया है और 31 मार्च, 2020 तक ब्याज-युक्त निवेश पर 8.43% (बिक्री पर लाभ सहित) औसत लाभ बनाए रखा है. वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंक द्वारा निवेश की बिक्री पर लाभ और विदेशी मुद्रा आय क्रमशः रु. 2751 करोड़ और रु. 746 करोड़ रही है.

महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान निर्बाध व्यावसायिक परिचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आकस्मिक उपाय किए गए हैं. एक स्थान पर ट्रेजरी के कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) के अतिरिक्त मुंबई में अतिरिक्त दो अस्थायी स्थान और मुंबई में पूर्ण शटडाउन से निपटने के लिए गुजरात में एक वैकल्पिक सेटअप भी तैयार किया गया. कर्मचारियों को रिमोट एक्सेस प्रदान किया गया जिससे ट्रेजरी के बैक और फ्रंट ऑफिस के सभी कार्य कवर हो गए. अतः इन सेटअप के साथ संपूर्ण ट्रेजरी परिचालन को सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक चलाया गया.

सरकारी कारोबार

सरकारी कारोबार में कारोबार वृद्धि और कासा एवं शुल्क आधारित आय में उल्लेखनीय रूप से योगदान करने की बड़ी संभावना है.

बैंक अपनी नामित शाखाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विधि कार्य मंत्रालय का यह एक मान्य सहयोगी बैंकर है. बैंक ने राज्य सरकार के कारोबार में अधिक से अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने और सेवाओं और उत्पादों के शीघ्र वितरण के लिए राज्य सरकार में विभिन्न विभागों के साथ अच्छे संपर्क बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में सरकारी विभागों में रिलेशनशिप मैनेजर को तैनात किया है. बैंक को मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम किसान के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में नियुक्त किया था.

बैंक भारत सरकार की डिजिटल पहल के अनुरूप केंद्र और राज्य स्तर पर कई विभागों के साथ ई-समाधान उपलब्ध कराने के लिए साझेदारी कर रहा है जिससे पारदर्शिता एवं कार्यक्षमता में तेजी आई है. नए व्यावसायिक अवसर बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, नौपरिवहन मंत्रालय - हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, नोएडा प्राधिकरण, रेझरपे और वेतन एवं पेंशन खातों के लिए भारतीय थलसेना (आर्मी) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है.

दीनदयाल उपाध्याय कांडला पोर्ट के अलावा, बैंक ने हल्दिया, पारादीप और विशाखापट्टनम में बंदरगाहों के साथ पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (पीसीएस) के साथ भी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है.

बैंक को भारत सरकार के राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा पीपीएफ, एसएसए और एससीएसएस में किए गए सर्वोत्तम कार्य के लिए एवं एपीवाई तथा एनपीएस के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है.

धन संपदा प्रबंधन

धनसंपदा प्रबंधन बैंक के महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक रहा है एवं तद्नुकूल ग्राहकों को निवेश तथा बीमा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. समामेलन के उपरांत पूर्ववर्ती देना बैंक एवं विजया बैंक के ग्राहक भी बैंक द्वारा अपने कारपोरेट भागीदार के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली मूल्यवर्धित सेवाओं का लाभ उठाने में सफल रहे. बैंक ग्राहकों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर रहा है. बैंक का प्रतिष्ठित कार्यक्रम 'बडौदा रेडियंस' रिलेशनशिप प्रबंधकों की समर्पित संरचना के माध्यम से उच्च मूल्य वाले ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है. बैंक अपने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ समाधान एवं सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है. इस हेतु बैंक डिजिटल समाधानों को विकसित कर रहा है. वर्ष के दौरान की गई कुछ पहले निम्नानुसार हैं:

1. रेडियंस कार्यक्रम के बाहर के ग्राहकों को निवेश तथा सीमा सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंक ने वर्ष के दौरान वैल्थ एक्जेक्यूटिव की विशेषज्ञ टीम की बहाली की है.
2. बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थात बडौदा वेल्थ सोल्यूशन का विकास एवं परिष्कार ताकि निवेश एवं बीमा उत्पादों के संबंध में ग्राहकों की सुगमतापूर्ण ऑनलाइन बोर्डिंग/ वितरण संभव हो सके.
3. वित्त वर्ष 2020 के दौरान 97096 जीवन बीमा पॉलिसी जारी करना.
4. वर्ष के दौरान 3.26 लाख ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा उत्पाद की व्यवस्था.
5. आकस्मिकता (जीवन या गंभीर बीमारी) के संबंध में रिटेल ऋणकर्ताओं को ग्रुप क्रेडिट लाइफ एवं 'ग्रुप क्रेडिट केयर' उपलब्ध कराना.

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

पिछले कुछ वर्षों से अनर्जक ऋणों में बढ़ोतरी के साथ बैंक ने वसूली बढ़ाने और स्लिपेज घटाने की अपनी नीति में सुधार किया है. इसके लिए बैंक ने

"दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल" का गठन किया है, जहां सभी बड़े और मध्यम आकार वाले एनपीए खाते और सभी सरफेसी पात्र खातों को अंचल और क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (एसएआरबी) नामक विशेषीकृत इकाइयों द्वारा संभाला जाता है. ये विशेषीकृत शाखाएं कॉर्पोरेट कार्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आती हैं. पिछले दो वर्षों के दौरान एनपीए की स्थिति निम्नानुसार है :

रु. करोड़

विवरण	**31.03.19***	**31.03.20**
सकल एनपीए	48,233	69,381
सकल एनपीए (%)	9.61	9.40
निवल एनपीए	15,609	21,577
निवल एनपीए (%)	3.33	3.13
एनपीए में जोड़	13,614	23,315
वसूली/ उन्नयन	8,759	7,972
टीडबल्यूओ सहित बट्टे खाते	13,102	15,806
बट्टे खातों में वसूली	832	1,532
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ सहित) (%)	78.68	81.33
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ को छोड़कर) (%)	67.64	68.90

आस्ति वर्गीकरण के अनुसार, ऋण बही का विभाजन निम्नानुसार है:

आस्ति की वर्गीकरण	31.03.19*	31.03.20
मानक अग्रिम	4,53,473	6,68,715
सकल एनपीए	48,233	69,381
कुल सकल अग्रिम	5,01,706	7,38,096
सकल एनपीए जिसमें सम्मिलित है		
अवमानक	9,014	14,311
संदिग्ध	32,398	37,005
हानि	6,821	18,065
कुल सकल एनपीए	48,233	69,381

बड़ी संख्या में लघु एनपीए खातों के निपटान के लिए, बैंक ने क्षेत्रवार विशेष ओटीएस योजनाओं की शुरूआत की है. एमएसएमई क्षेत्र के लिए, बैंक ने बकाये की चुकौती के लिए अवसर प्रदान करने हेतु विशेष ओटीएस योजना "एमएसएमई ओटीएस योजना" की शुरूआत की है. संकट में किसानों के लिए वित्त वर्ष 2020 के दौरान एक विशेष ओटीएस योजना की शुरूआत की गई है. बैंक ने अपनी पूर्ववर्ती ओटीएस योजना लक्ष्य II (लक्ष्य कृषि, खुदरा और एमएसएमई) जारी रखा है. बैंक ने इन योजनाओं के तहत रु. 1,296 करोड़ की राशि की वसूली तथा एनपीए खातों को अपग्रेड किया है. ''वन टाइम सेटलमेंट ट्रेकिंग सिस्टम'' के नाम से एक एप्लिकेशन को लागू किया गया था जिसमें ग्राहक द्वारा निपटान संबंधी कार्रवाइयों को ऑनलाइन आरंभ किया जा सकता है. बैंक ने वसूली कार्रवाइयों और त्वरित निर्णय में सहायता हेतु रियल टाइम ट्रेकिंग के लिए लीगल वार-रूम भी स्थापित किया है जिसमें हाई वैल्यू वाद-दाखिल खातों की निगरानी की जाती है.

बैंक ने बड़े एनपीए खातों के अर्थात् रु. 30 करोड़ से ज्यादा के एक्सपोजर वाले, के लिए रिजोल्यूशन कार्यनीति उपलब्ध कराने के लिए समाधान प्रदाता सेल की स्थापना की है. बहुभाषी सपोर्ट के साथ खुदरा और एसएमई क्षेत्र के ग्राहकों से समय पर वसूली के लिए 500 सदस्यों वाला कॉल सेंटर स्थापित किया गया तथा यह ऑन-ग्राउंड कलेक्शन के लिए फीट-ऑन-स्ट्रीट स्टाफ द्वारा समर्थित है. लघु खातों में एनपीए और संभावित एनपीए वसूली के लिए बैंक के लगभग 2300 अधिकारियों का एक विशेष कार्यदल गठित किया गया है. इसके अतिरिक्त, फसल ऋण की वसूली के लिए व्यवसाय प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है.

बैंक ने स्लिपेज को कम करने और वसूली में वृद्धि के लिए डेज़ पास्ट ड्यू (डीपीडी) रिपोर्ट, एनपीए मूवमेंट चार्ट और फॉरकास्टिंग डिग्रेडेशन के लिए मोक रन जैसे दैनिक डैशबोर्ड के साथ एनपीए प्रबंधन को मजबूत बनाया है. इसके अतिरिक्त, बैंक एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने की प्रक्रिया में है जो सिस्टम में दर्ज डेटा के आधार पर वसूली एजेन्टों को फील्ड में वसूली करने के लिए सक्षम बनाएगा और वसूली विवरण भी अद्यतन करेगा.

इसके साथ-साथ, बैंक ने गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली को आसान बनाने के लिए निरंतर आधार पर निम्नलिखित उपायों को स्थापित किया है:

- दैनिक आधार पर कानूनी मामलों के फॉलो-अप के लिए प्रत्येक डीआरटी में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना ताकि न्यायिक आदेश प्राप्त करने और आदेश पर कार्रवाई करने में कम से कम देरी और अधिकतम वसूली हो सके.
- आधिकारिक लिक्विडेटर (ओएल) के साथ चर्चा करने के लिए अधिवक्ताओं/ परामर्शदाताओं से सहायता लेना, ताकि ओएल द्वारा राशियों की वसूली वास्तविक रूप से की जा सके.
- आधिकारिक लिक्विडेटरों के साथ विचार-विमर्श, शाखाओं में वसूली कैंपों का आयोजन, सभी स्तरों पर दबावग्रस्त खातों एवं वसूली एजेन्टों की कड़ी निगरानी और विशेषकर डीआरटी वाद दाखिल एनपीए खातों में मासिक ई-नीलामी.
- ओटीएस मंजूरी में टीएटी को कम करने के लिए ऑनलाइन ओटीएस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग.
- सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक के भौतिक कब्जे वाली संपत्तियों की लिस्टिंग के लिए मैजिक ब्रिक्स के साथ टाई अप किया गया.
- बैंक के कब्जे वाली संपत्तियों की बिक्री के लिए ग्राहक खोजने हेतु रियल स्टेट ब्रोकर को सूचीबद्ध किया गया.
- बैंक ने विशेष रूप से एनसीएलटी और हाई वैल्यू एनपीए खातों के लिए पांच नई दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाएं (एसएएम) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है.

डिजिटल रूपान्तरण

बैंक डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और डिजिटल चैनलों पर लेनदेन को स्थानांतरित करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है जिससे ग्राहक अनुभव बेहतर हो. डिजिटल बैंकिंग का प्रमुख लक्ष्य ग्राहकों को बैंक के उत्पादों

डिजिटल और वैकल्पिक वितरण चैनलों जैसे, भीम बड़ौदा पे, बड़ौदा एम-कनेक्ट प्लस, बड़ौदा कनेक्ट, डेबिट कार्ड, भीम आधार, मल्टी-फंक्शन किओस्क, सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर, टैब बैंकिंग, आईपीजी, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, आदि उपलब्ध कराना है.

बैंक ने "डिजिटल भुगतान सहित डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने" की शुरुआत करने की जिम्मेदारी ली है और यह विभिन्न रणनीतियों पर कार्य कर रहा है तथा डिजिटल भुगतान सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ग्राहकों हेतु डिजिटल यात्रा सक्षम करने के लिए इकोसिस्टम बनाने हेतु विचार कर रहा है. बैंक देश के नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के माध्यम से जागरूकता पैदा करने पर काम कर रहा है.

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का लक्ष्य है. "फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस" डिजिटल इंडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है.

भुगतान के डिजिटल माध्यमों में परिवर्तनों को देखते हुए ग्राहकों की संख्या में वृद्धि के साथ, बैंक इस यात्रा के माध्यम से उन्हें संभालने और उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और मिशन मोड में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई पहल की गई है जो निम्नानुसार हैं:

- मोबाइल बैंकिंग : बैंक ने फास्टैग रिचार्ज, ई-मेल आईडी अद्यतनीकरण, सुकन्या समृद्धि योजना का लिंकिंग और निधि अंतरण, बीमा और निवेश (पीएमजेजेबीवाई/ पीएमएसबीवाई/एपीवाई), बड़ौदा वेल्थ के लिए एक्सेस, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड रीसेट करना, मोबाइल के माध्यम से ''बड़ौदा किसान'' की सुविधा प्रदान करना, एक्सपोर्ट क्रेडिट और लॉकर सुविधा हेतु आवेदन जैसी कई सेवाएं जोड़ी हैं. वर्ष के दौरान औसतन 44 नई विशेषताओं एवं सेवाओं को जोड़ा गया है.
- इंटरनेट पेमेंट गेटवे : 18 एग्रीगेटर/ मास्टर मर्चेन्ट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का प्रयोग कर भुगतान संग्रहण में समर्थ बनाने के माध्यम से ई-कॉमर्स व्यवसाय हेतु इलेक्ट्रोनिक भुगतान प्लेटफॉर्म बड़ौदा ई गेटवे उपलब्ध करवाने के लिए नए इंटरनेट पेमेंट गेटवे इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की गई. समामेलन के बाद, पूर्ववर्ती देना और विजया बैंक के 304 मर्चेन्टों को जून 2019 में बैंक के भुगतान गेटवे पर ऑनबोर्ड किया गया. बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के दौरान मर्चेंट ऑन बोर्डिंग में 110% की वृद्धि और लेनदेन वृद्धि में 274% का लक्ष्य हासिल किया है.
- डेबिट कार्ड : 31.03.2020 को बैंक के पास 5.40 करोड़ सक्रिय कार्ड आधार था. ई-कॉमर्स/ पीओएस संव्यवहारों को बढ़ाने और ग्राहकों के लिए बैंक के डेबिट कार्ड को वरीयता, पसंदीदा कार्ड बनाने के लिए बैंक ने डेबिट कार्ड ग्राहकों को आकर्षक ऑफर उपलब्ध करवाने के लिए विविध मर्चेंट के साथ टाई अप किया है. बैंक ने अपने रुपे डेबिट कार्ड धारकों के लिए भूटान में प्रयोग हेतु रुपे डेबिट कार्ड को समर्थित किया है.
- भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) : बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग, भीम यूपीआई, भीम बड़ौदा पे यूपीआई ऐप, नेट बैंकिंग, बीसी पॉइंट और उमंग एप्लिकेशन में बीबीपीएस सेवाएं उपलब्ध करा रहा है. सितंबर 2019 में बीसी पॉइंट के साथ बीबीपीएस के इंटीग्रेशन के साथ ग्राहक बीसी पॉइंट पर भी बीबीपीएस बिल भुगतान सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं. बैंक ने मार्च 2020 में बीओबी बीबीपीएस पर बिलर के रूप में बड़ौदा फास्टैग को ऑनबोर्ड किया है और फ्रंट एंड चैनल में नई शुभारंभ की गई श्रेणियों को समर्थित किया है. बैंक ने बीबीपीएस ग्राहक ऑपरेटिंग यूनिट (सीओयू) में 30.55% और बिलर ऑपरेटिंग यूनिट (बीओयू) में 60.22% संव्यवहार प्राप्त किया है.
- बड़ौदा फास्टैग (नेशनल ई टोल कलेक्शन - एनईटीसी): हमारा बैंक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा फास्टैग पहल के लिए एक टैग जारीकर्ता के रूप में कार्य करता है. इससे ग्राहक बिना किसी असुविधा के टोल सेवा का भुगतान कर पाते हैं. टैग को विभिन्न भुगतान चैनलों जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई ऐप के माध्यम से आसानी से रिचार्ज किया जा सकता है. बैंक ने फास्टैग की बिक्री बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान विभिन्न अभियान चलाए, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान टैग जारी करने और संव्यवहार में अच्छी-खासी वृद्धि हुई.
- एटीएम बैंकिंग: यूजर-फ्रेंडली ग्राफिक स्क्रीन और ग्राहकों की पसंद की भाषा में अनुदेशों के पालन की सहजता, एटीएम बैंकिंग को एक सुचारू अनुभव बनाते हैं. एटीएम को ग्रीन-पिन जनरेशन, एनईएफटी, बिल भुगतान आदि जैसी सुविधाओं से समृद्ध किया गया है. बैंक ने पूर्ववर्ती देना और पूर्ववर्ती विजया बैंक के सभी अनुसूचित एटीएम को बैंक ऑफ बड़ौदा स्विच में सफलतापूर्वक अंतरित कर दिया है. बैंक में 31 मार्च, 2020 तक 13193 एटीएम हैं, जिनमें कैश रिसाइकलर्स शामिल हैं.
- सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर (एसएसपीबीपी): एक पूर्णतः स्वचालित मशीन है जिसमें बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के ग्राहक के पासबुक को ऑटो फ्लिप, ऑटो अलाइन और अद्यतन करने की क्षमता है, जिससे सभी प्रकार के ग्राहकों के लिए पासबुक की प्रिंटिंग सुविधाजनक हो गई है. बैंक में 4,012 एसएसपीबीपी हैं. बैंक ने चार स्थानों पर क्यूआर कोड आधारित सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर्स स्थापित किए हैं और हमारा बैंक, बैंकिंग उद्योग में क्यूआर कोड आधारित पूर्णतः स्वचालित मशीनों को लागू करने वाला पहला बैंक बन गया है.
- टैबइट: बैंक ने बड़ौदा टैबइट द्वारा टैबलेट के माध्यम से तत्काल खाता खोलने के लिए अपने चालू खाता ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण आरंभ किया है. यह सुविधा एकल स्वामित्व और व्यक्तिगत चालू खातों के लिए उपलब्ध है और साझेदार खातों के लिए प्रक्रिया चल रही है. बैंक ने बड़ौदा टैबइट के माध्यम से चालू खाते (व्यक्तिगत और एकल स्वामित्व) खोलने के एक भाग के रूप में यूपीआई मर्चेंट्स की ऑन-बोर्डिंग की प्रक्रिया को भी डिजिटल किया है.
- रिकॉर्ड डिजिटलीकरण: रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण बैंक की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत -3,500- से अधिक शाखाओं को शामिल करते हुए लगभग 25 करोड़ दस्तावेजों को स्कैन

किया गया. इसके परिणामस्वरूप, बैंक की निर्धारित शाखाओं में लगभग 2 लाख वर्ग फुट का स्थान खाली हुआ. बैंक की निर्धारित शाखाओं और कार्यालयों में रिकॉर्डो के डिजिटलीकरण के सफल कार्यान्वयन के बाद, इसे पूर्ववर्ती देना और पूर्ववर्ती विजया बैंक की निर्धारित शाखाओं और कार्यालयों में लागू किया जा रहा है.

एनालेटिक सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स (एसीओसीई)

एनालेटिक सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स (एसीओसीई) ने पेटाबाइट स्केल पर –बिग डेटा लेक (बीडीएल) प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे बड़े पैमाने पर संरचित और गैर संरचित डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है. बिग डाटा लेक से फायदा लेते हुए बैंक ने कई संभावनाओं का विश्लेषण करने वाले एवं मशीन लर्निंग आधारित मॉडेल और स्वतः–सेवा के साथ निर्णय लेने वाले डैशबोर्ड तैयार किए हैं जिससे राजस्व बढ़ाने, लागत घटाने, जोखिम के अनुमान में सुधार करने में सहायता मिली है.

पिछले दो वर्षो से एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग बैंक के राजस्व बढ़ोतरी योजना के मूल में रहे हैं. रिटेल बैंकिंग में बैंक की क्रॉस सेल और अप सेल संभावनाएँ तथा एमएसएमई एवं धन संपदा प्रबंधन सेगमेंट में 15 मशीन लर्निंग और प्रेडिक्टिव मॉडेल कार्यरत हैं. एसीओसीई योजना का एक सबसे महत्वपूर्ण आधार डाटा विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेना है जैसे सेल्फ सर्विस कैम्पेन डैशबोर्ड विभिन्न अभियानों के बारे में वास्तविक समय आधारित सटीक जानकारी देता है. इससे बैंक को प्रभावी रूप से अपने उत्पादों और सेवाओं को क्रॉस सेल करने में मदद मिलती है.

संग्रहण विभाग के अपने संग्रहण प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक ने पाँच प्रेडिक्टिव कलेक्शन मॉडेल तैयार किये हैं जो उच्च जोखिम के मामले के बारे में सूचित करते हैं. इन मॉडेल से बैंक के संग्रहण के प्रयासों में वृद्धि होने के साथ–साथ संग्रहण की समग्र लागत में भी कमी आती है और स्लिपेज भी कम होता है. एनपीए और चूक का पता लगाने के लिए सभी शाखाओं में सेल्फ सर्विस डैशबोर्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि सभी स्तरो पर जालसाज ग्राहकों का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके.

संभावित क्रेडिट हानि का प्रभावी अनुमान लगाने के लिए जोखिम संबन्धित कई सांख्यिकीय मॉडेल लगाए गए हैं . ये मॉडेल अत्यधिक सटीक प्रावधान करने में मदद करते हैं. स्थायी जमा राशि शेष का अनुमान लगाने के लिए मशीन लर्निंग आधारित मॉडेल बैंक के एएलएम प्रबंधन में सहायता प्रदान करते हैं. आंतरिक और बाहरी डाटा के समेकन के आधार पर कुल 60 अर्ली वार्निंग सिग्नल –ईडबल्यूएस (आरंभिक चेतावनी संकेत) तैयार किए गए हैं. और एएमएल ट्रिगर को बेहतर बनाने, धोखाधड़ी की पहचान करने और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक की क्षमता को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है.

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी).

बैंक ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों, प्रणालियों और संरचनाओं में लगातार सुधार कर रहा है.बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण ने आईटी संबंधी आधारभूत सुविधाओं को लगातार अपग्रेड किया है. वर्ष के दौरान शुरू की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

टैब आधारित उत्पादों का निम्नानुसार विस्तार :

- पूर्व अनुमोदित वैयक्तिक ऋण (पीएल) और वाहन ऋण (एएल) पात्र ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से पूर्व अनुमोदित ऋण प्रस्ताव भेजा जाता है. इच्छुक ग्राहक ऋण लेने के लिए शाखा में आ सकते हैं.
- चालू खाता जो एंड–टू –एंड डीजटलीकरण प्रस्तुत करता है, जिससे ग्राहक सरलता से वैयक्तिक, एकल स्वामित्व और गैर वैयक्तिक चालू खाता खोल सकते हैं.
- नए और मौजूदा ग्राहकों को फास्टटैग जारी करना. यदि ग्राहक बैंक के लिए नया है तो पहले उससे केवाईसी विवरण प्राप्त किया जाता है.

बैंक ने ईएमआई विशेषता वाला डेबिट कार्ड जारी किया है. इस उत्पाद को इस प्रकार से डिजाइन और तैयार किया गया है कि पात्र ग्राहकों को पॉइंट ऑफ सेल पर तत्काल ईएमआई के रूप में पूर्व अनुमोदित वैयक्तिक ऋण उपलब्ध कराया जा सके. बैंक ने कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय से प्राप्त अनुरोध पर एसपीआईसीई (कंपनी को इलेक्ट्रोनिकली रूप से शामिल करने के लिए सरल प्रारूप) के तहत ऑनलाइन अनुरोध प्राप्त होने पर तत्काल चालू खाता खोलने का अभियान शुरू किया है. बैंक ने वाहन ऋण के लिए एमएसआईएल (मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड) से गठबंधन किया है. ग्राहकों के लिए विभिन्न मॉडेल के कार को खरीदने हेतु एमएसआईएल के पोर्टल पर पूर्व अनुमोदित वाहन ऋण का अनुमोदन एवं संवितरण उपलब्ध है. बैंक ने किसान ग्राहकों के लिए वन स्टॉप शोल्यूशन 'बड़ौदा किसान' नमक कृषि प्लेटफॉर्म तैयार किया है. बैंक ने बड़ौदा किसान के लिए 7 एग्रिटेक के साथ सहयोग स्थापित किया है.

बैंक ने अपने पूर्ववर्ती ऋण प्रबंधन प्रणाली को नए लाइफ साइकल प्रोसेसिंग सिस्टम से अपग्रेड किया है. यह नई प्रणाली त्वरित ऋण संवितरण हेतु ऋण व्युत्पत्ति और ट्रैफिकिंग प्रक्रिया को सक्षम बनाती है तथा टर्न अराउंड टाइम में सुधार के लिए इमेज आधारित वर्कफ़्लो और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (बीपीएम) टूल का उपयोग करके ऋण प्रस्तावों की एंड–टू –एंड प्रोसेसिंग को सक्षम बनाती है. सभी माड्यूल (रिटेल, एमएसएमई, लार्ज कार्पोरेट तथा कृषि) लाइव हो चुके हैं तथा देशभर में सफलतापूर्वक काम करे रहे हैं. इसके अलावा पूर्ववर्ती विजया और पूर्ववर्ती देना की शाखाएं भी इस प्रणाली के तहत सामिल की गईं.

बैंक प्रेडिक्टिव मॉडेल को तैयार करने, एनालिटिक्स के परिणामों के माध्यम से कार्यो को अनुरूप बनाने के लिए मॉडेल बिल्डर को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में हैं ताकि प्रतिस्पर्धा का लाभ लेते हुए व्यावसायिक कार्यनिष्पादन को बेहतर किया जा सके. यह सोलुशन पूरे इंटरप्राइज के लिए जटिल निर्णयों के प्रबंधन के लिए विशिष्ट क्षमता प्रदान करता है, ताकि विश्वास के साथ त्वरित मूल्य प्राप्त हो सके और उच्च प्रभावी निर्णय लिया जा सके.

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी अधिदेशों अर्थात्त पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक से समामेलन से संबन्धित पुराने एमआईसीआर और आईएफ़एससी को 31 मार्च 2020 तक बदलने, का अनुपालन किया है. उपर्युक्त के अलावा बैंक ने सभी पेमेंट एप्लीकेशनों अर्थात् एटीएम, डेबिट कार्ड, आईएमपीएस, एनईएफ़टी, ईसीएस अधिदेश, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को माइग्रेट किया है. बैंक ने हाल ही में निर्मित बेस्ट इन क्लास डाटा सेंटर के संचलन का कार्य पूरा कर लिया है ताकि अपने ग्राहकों

को निरंतर सेवा उपलब्ध कराई जा सके. बैंक का डाटा सेंटर और डीआर परिचालन आईएसपी 27001 मानक से प्रमाणित है जो सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का एक समूह है.

साइबर सुरक्षा

कई वर्षों के दौरान बैंक ने साइबर हमले से बचने के लिए सूचना सुरक्षा उपायों के साथ व्यापक साबर सुरक्षा तंत्र के लिए के मजबूत आधार तैयार किया है. बैंक के पास पूर्ण परिभाषित साइबर सुरक्षा कार्यनीति फ्रेमवर्क है जो प्रबंधन संरचना, नीतिगत फ्रेमवर्क और परिचालन नियंत्रण के समन्वय में परिचालित होता है. बैंक ने पांचों साइबर सुरक्षा डोमेन क्षेत्रों (पहचान, बचाव, पता लगाना, प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्त करना) के प्रत्येक क्षेत्र साइबर सुरक्षा तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं जो कि एनआईएसटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एंड टेक्नोलोजी, यूएसए) साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क और रिज़र्व बैंक के साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क में परिभाषित अनुसार है.

साइबर घटनाओं की पहचान करने और उनको रोकने के लिए बैंक ने अपने कैप्टिव सुरक्षा परिचालन सेंटर को साइबर सुरक्षा परिचालन सेंटर (सी –एसओसी) में अपग्रेड किया है जो 24X7 आधार पर रातदिन कार्य करता है. इसके अलावा बैंक ने साइबर सुरक्षा को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित नियंत्रणों को जोड़ा है.

- डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी परिचालन आईएसओ 27001: 2013 मानक से प्रमाणित हैं (सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का एक समूह)
- आईटी आस्तियों जैसे कि डाटा लीकेज प्रीवेंशन और क्रिटिकल सर्वर एवं डिवाइस के कन्फिगरेशन में किसी तरह के बदलाव की पहचान के लिए फ़ाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरींग (एफ़आईएम) सोलुशन के संरक्षण के लिए लागू बहू स्तरीय सुरक्षा संरचना.
- मौजूदा प्रणाली में कमियों का पता लगाने एवं त्रुटियों को सुधारने हेतु कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशनों एवं संरचना की अवधिक लेखापरीक्षा.
- फिशिंग साइट, अविश्वसनीय मोबाईल एप्प एवं सोशल मीडिया साइटों की संदिग्ध गतिविधियों /विषय वस्तुओं की नियमित निगरानी करना तथा एंटी फिशिंग और ब्रांड सुरक्षा सेवाओं के माध्यम से इनकी पहचान कर इन पर उपयुक्त कार्रवाई करना.
- नेटवर्क बिहैवियर एनोमोली डिटेक्सन (एनबीएडी) और फोरेंसिक सोलुशन को कार्यान्वित करना.
- समामेलन योजना के तहत पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक की शाखाओं के सिस्टम को अपने नेटवर्क में सुरक्षित रूप से माइग्रेट करने के लिए समाधान मूल्यांकन (सीए) की व्यवस्था करना.
- स्विफ्ट कस्टमर सेक्यूरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क वी2019 के अनुसार स्विफ्ट सिस्टम की साइबर सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करना.
- डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस(डीडीओएस) से सिस्टम के बचाव के लिए तकनीकी को लागू करना और निर्बाध ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्लीन पाइप को प्राप्त करना.

बैंक ने साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में ग्राहकों को विभिन्न माध्यमों जैसे कि एसएमएस, एटीएम पर्चियाँ , एटीएम स्क्रीन, डिजिटल प्रदर्शन आदि के माध्यम से शिक्षित करने के लिए कई कदम उठाएँ हैं. कर्मचारियों को भी साइबर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है. बैंक ने साइबर हमलों से बचाव के लिए सुरक्षा प्रणाली को और सशक्त करने तथा अपनी क्षमताओं की जांच के लिए आईडीआरबीटी, सीईआरटी–इन, जैसी एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली सुरक्षा ड्रिल में भाग लिया है. बैंक के पास आपात स्थिति में कार्य करने वाली टीम एवं साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना है तथा ड्रिल के माध्यम से इन योजनाओं की प्रभावशीलता की आवधिक जांच की जाती है.

फिनटेक

बैंक डिजिटल क्रांति का अग्रणी रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र का पहला ऐसा बैंक है जहां 2016 से समर्पित फिनटेक वर्टीकल है. इसने बैंक को फिनटेक के साथ साझेदारियाँ विकसित करने, नए उत्पादों का शुभारंभ करने और व्यवसाय प्रक्रियाओं को नवीनीकृत करने में समर्थ बनाया है. 31 मार्च 2020 को बैंक के पास ऋण, धन संपदा, भुगतान और प्रौद्योगिकी में विविधिकृत फिनटेक स्टार्ट आप के साथ लगभग 50 साझेदारियाँ हैं.

वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियां और पहले :

- टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर 16% बाज़ार हिस्से के साथ बैंक ने अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है. 31 मार्च 2020 को संचयी थ्रुफुट ₹ 2000 से अधिक हो गया.
- ऑनलाइन पीएसबी प्लेटफॉर्म पर आवास ऋण, वैयक्तिक ऋण और वाहन ऋण जैसे रिटेल ऋण उत्पादों का शुभारंभ किया गया. इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहक 30 मिनट के भीतर सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिटेल ऋणों की प्रोसेसिंग में बैंकों ने सभी ऋणियों के बीच अग्रणी स्थान बनाए रखा है.
- ऑनलाइन पीएसबी ऋण प्लेटफॉर्म पर मुद्रा ऋण के शुभारंभ ने एमएसएमई सेगमेंट तक डिजिटल रूप में अपनी पहुँच बनाने में सहायता की है. पात्र आवेदकों को 30 मिनट में मुद्रा ऋण हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जा रहा है. बैंक ने अन्य ऋणियों की तुलना में प्लेटफॉर्म माध्यम से मुद्रा ऋण की अधिकतम मंजूरी के साथ शीर्ष स्थान बनाए रखा है.
- बैंक ने पाइन लैब्स के साथ साझेदारी में अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए ऑफ दी फ़्लाइ डेबिट कार्ड ईएमआई (ओटीएफ़ –डीसीईएमआई) का शुभारंभ किया है. यह पूर्व अनुमोदित बचत बैंक ग्राहकों के लिए बैंक का पहला एंड टू एंड डिजिटल ऋण उत्पाद है. यह उत्पाद पूर्व अनुमोदित ग्राहक आधार को लघु टिकट सूक्ष्म /उपभोक्ता ऋण प्रस्तुत करता है.
- फरवरी 2020 में बैंक द्वारा माननीय वित्त सचिव, श्री राजीव कुमार के कर कमलों से बड़ौदा स्टार्टअप प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी. इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बैंक ने 15 केंद्रों पर विशेष रूप से स्टार्टअप शाखाएं स्थापित कीं जो स्टार्टअप के वित्तीय और बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेषीकृत चालू खातों, पेमेंट गेटवे, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड आदि जैसी सेवाओं की शृंखला प्रदान करेंगी. बैंक स्टार्टअप की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डिज़ाइन किए गए एक विशिष्ट क्रेडिट उत्पाद पर भी काम कर रहा है.
- वर्ष के दौरान बैंक ने आईआईटी, मुंबई के साथ अपने पवई परिसर में बीओबी इनोवेशन सेंटर (बीओबीआईसी) की स्थापना की. इस केंद्र के

माध्यम से, बैंक ने बीएफएसआई सेगमेंट द्वारा सामना किए गए विभिन्न मुद्दों के अभिनव समाधान खोजने के उद्देश्य से 100 आइडिया कार्यक्रम शुरू किया.

विपणन

बैंक ने नियमित टीवी और रेडियो अभियानों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रभावशाली उपस्थिति सुनिश्चित की है. वाह्य इवेंट एसोसिएशन के संदर्भ में, बैंक ने कई सिग्नेचर कार्यक्रमों जैसे जयपुर साहित्य महोत्सव, पृथ्वी महोत्सव, आईआईटी – बॉम्बे ई–सम्मेलन और काला घोड़ा कला महोत्सव को शामिल करते हुए दूसरों के मध्य अपनी छवि को विस्तारित किया.

बैंक ने महामारी के दौरान जनता के लिए "स्टे सेफ, बैंक सेफ" टैगलाइन के माध्यम से जागरूकता संदेश जारी किए, जिसने लोगों में सामाजिक प्रतिबद्धता वाले बैंक के रूप हमारे ब्रांड नाम को स्थापित करने में मदद की.

प्रमुख पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में तथा अभियान अवधि एवं त्यौहारों के अवसर पर बैंक के लोकप्रिय उत्पादों जैसे कार ऋण, गृह ऋण, बचत खाता, एनआरआई, एफसीएनआर योजनाओं पर व्यावसायिक विज्ञापन विज्ञप्तियां प्रकाशित करवाई गयी थी. बैंक द्वारा आयोजित दो प्रमुख अभियानों "हैप्पी लाइफ फेस्टिवल" और "खुशियों का रिमोट कंट्रोल" को बैंक के ब्रांड एंडोर्सर पी. वी. सिंधु द्वारा प्रचारित किया गया.

बैंक ने सभी डेटा और ग्राहक जुड़ाव के लिए अभिसरण बिंदु के रूप में बैंक की वेबसाइट के साथ भौतिक से डिजिटल मार्केटिंग तक अपनी रूपान्तरण यात्रा को जारी रखा है.

उपर्युक्त रणनीतिक दिशा के साथ, बैंक ने सोशल मीडिया सहित डिजिटल मार्केटिंग की गतिविधियों को गति प्रदान की और ग्राहकों के लिए एवं जागरूकता फैलाने, ब्रांड जुड़ाव और व्यवसाय निर्माण की संभावनाओं के लिए कई अभियान चलाए.

बैंक की सोशल मीडिया उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

सोशल मीडिया माध्यम	**31.03.2020 तक के आंकड़े (लाइक / फॉलोअर्स की संख्या)**
फेसबुक लाइक	14,45,000+
ट्विटर फॉलोअर्स	95,000+
यूट्यूब सब्सक्राइबर	44,000+
लिंकडीन फॉलोअर्स	77,000+
इन्स्टाग्राम फॉलोअर्स	1,10,000+

जैसा कि बैंक ने आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम को निर्मित करने और भौतिक एवं डिजिटल मार्केटिंग के बीच एक संतुलन बनाए रखने का कार्य जारी रखा है जिसका उद्देश्य एक आकांक्षात्मक ब्रांड होना है जो उपयुक्त सामग्री प्रदान करके डिजिटल दर्शकों को जोड़ने, सशक्त और जागरूक बनाता है तथा निरंतर अनुभव, प्रतिक्रिया एवं क्षमताओं का विश्लेषण, खोज एवं सुधार करते हुए बैंकिंग जरूरतों को पूरा करता है.

ग्राहक सेवा

बैंक ग्राहकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार है और यह मानता है कि ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी, उत्पादों, प्रक्रियाओं और मानव संसाधनों का लाभ उठाना चाहिए.

बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वोत्तम कार्यपद्धति को लागू करने एवं बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई रणनीतिक पहल ''ईज़ ऑफ बैंकिंग इंडेक्स'' में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच दूसरा स्थान हासिल किया.

''पहुंच, विस्तार एवं सेवा उत्कृष्टता'' – ईज़ ऑफ बैंकिंग को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान कई पहलें शुरू की गईं. ग्राहक संपर्क की लगातार सभी चैनलों पर निगरानी की जाती है और चैनल क्षमताओं (कार्यात्मकता और उपयोगकर्ता अनुभव) में घर से आसान बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए बढ़ोत्तरी की गयी थी.

बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि ग्राहकों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणालियों को डिजिटल चैनलों एवं संपर्क केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए. 24 घंटे कार्यरत यह संपर्क केंद्र ग्राहकों से उनकी पसंदीदा भाषा में संवाद करने की क्षमता रखता है. अंग्रेजी एवं हिंदी के अलावा 9 क्षेत्रीय भाषाओं में भी सुविधा उपलब्ध करायी गई. इस संपर्क केंद्र ने वर्ष के दौरान 1.51 करोड़ ग्राहक कॉल हैंडल किए (लगभग 85% कॉल के जवाब 15 सेकंड में दिए गए).

बैंक ने इस वर्ष एक इंटरप्राइज वाइड सीआरएम शुरू किया है. ग्राहकों द्वारा अब व्यापक रूप से ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली (सीआरएम पैकेज का एक मॉड्यूल) का उपयोग किया जा रहा है जो समयबद्ध स्वत: एस्कलेशन, दस्तावेजों को संलग्न करने के विकल्प, समाधान की गुणवत्ता से संबन्धित प्रतिक्रिया प्रदान करने और पुन: शिकायत करने की सुविधा से युक्त है.

वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंक ने शिकायतों के प्रबंधन के लिए रिमोट चैनलों के उपयोग में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया है (केवल 12% ग्राहक शिकायतों को दर्ज करने के लिए शाखा में जाते हैं). वित्त वर्ष 2020 में 75% शिकायतों का समाधान 7 दिनों के भीतर किया गया.

बैंक ने 500 शाखाओं में एक नई कतार प्रबंधन प्रणाली लागू की. शाखाओं का भी नवीनीकरण किया गया और बेहतर माहौल, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग ग्राहकों पर विशेष ध्यान देते हुए बैठने की बेहतर व्यवस्था के माध्यम से ग्राहक अनुभव की वृद्धि के लिए इसे डिज़ाइन किया गया.

बैंक ग्राहक पहले की संस्कृति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और लगातार अपने ग्राहकों के साथ जुड़कर उनकी जरूरतों, सुविधाओं की पुनर्संरचना (उत्पाद डिजाइन, सिस्टम और प्रोसेस) को समझने और सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रदान करने के लिए गवर्नेंस मॉडल को बेहतर बना रहा है. शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति की बैठकों के माध्यम से शाखाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता से संबन्धित फीडबैक प्राप्त किया जाता है. ये बैठकें मासिक आधार पर आयोजित की जाती हैं जिसमें वरिष्ठ नागरिक और पेंशनरों सहित समाज के विभिन्न क्रॉस सेक्शन के ग्राहकों को आमंत्रित किया जाता है. सभी शाखाओं के सेवा संबंधी स्तर की निगरानी मिस्ट्री शॉपिंग / सेवा ऑडिट के माध्यम से की जाती है.

महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक में ग्राहकों की शिकायतों हेतु प्रमुख नोडल अधिकारी के रूप में नामित हैं. इसके अलावा, सभी अंचल प्रमुखों और क्षेत्रीय प्रमुखों को उनके संबंधित अंचलों और क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है. इसके अलावा, बैंक की सभी शाखाओं से

संबंधित नोडल अधिकारियों के नाम उनके संपर्क नंबर के साथ प्रदर्शित किए गए हैं.

बैंक ने एक आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति की है जो ग्राहकों के लिए ऐसा उपलब्ध फोरम है जिसका उपयोग बैंकिंग लोकपाल को संपर्क करने से पहले शिकायत निवारण के लिए किया जा सकता है. ऐसी सभी शिकायतें, जो बैंक द्वारा अस्वीकृत या आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती हैं, उन्हें समीक्षा के लिए आंतरिक लोकपाल को व्यवस्थित रूप से एक्सलेट किया जाता है. यह बैंक की व्यवस्था में ग्राहक के विश्वास को बढ़ाता है और शिकायत निवारण की प्रक्रिया में गति लाता है और फलस्वरूप इससे इसे अधिक पारदर्शी बनाता है.

निदेशक मण्डल स्तर पर, ग्राहक सेवा के लिए निदेशक मण्डल की उप-समिति ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सतत सुधार के उद्देश्य के साथ नीतियां बनाने संबंधी मामलों का निपटान करती है और उसके साथ अनुपालन का मूल्यांकन करती है. ग्राहकों और एमएसएमई के प्रति विविध उत्पाद, सेवाओं और नीतियों में पारदर्शिता बरतते हुए निष्पक्ष बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता का कोड, नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण नीति, बैंकिंग लोकपाल योजना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

शेयर्ड सेवाएं

बैंक ने प्रमुख परिचालन और गतिविधियों को केंद्रीकृत करने के लिए शेयर्ड सर्विसेज सेंटर (एसएससी) की स्थापना के माध्यम से 2017 में जिस यात्रा की शुरूआत की थी, वह अब बहुत आगे बढ़ गई है. केंद्रीकरण के माध्यम से, बैंक ने न केवल ग्राहक सेवा और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रण को बढ़ाया है, बल्कि मापनीयता, मानकीकरण और जोखिम प्रबंधन में भी सुधार किया है. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज (बीजीएसएस) दैनिक और आवर्ती प्रकार के केंद्रीकृत हब में माइग्रेट कर शाखाओं की सहायता कर रही हैं. इसके साथ, शाखाएं अपने संसाधनों के 30 - 35% को मुक्त रख पाएंगी जिन्हें बिक्री, वसूली और ग्राहक सेवा में लगा सकते हैं.

एसएससी चार स्थानों (मुंबई, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, बेंगलुरु और हैदराबाद) से परिचालन करता है और इसके पास नॉन-वाइस (संव्यवहार प्रोसेसिंग) में 1400 पूर्णकालिक कर्मचारी (एफ़टीई) और वाइस (बहुभाषी क्षमताओं वाले कॉल सेंटर के साथ) में 850 एफ़टीई से अधिक कर्मचारी हैं.

व्यापार एवं विदेशी मुद्रा परिचालन, खाता प्रबंधन सेवाएं, बंधक आधारित ऋण परिचालन, कृषि ऋण प्रसंस्करण, क्रेडिट कार्ड परिचालन, डिजिटल बैंकिंग परिचालन (रिकन्सिलेशन / वेंडर प्रबंधन / एटीएम निगरानी / आईपीजी) और पेंशन सेवाओं जैसे कार्यों को केंद्रीकृत किया गया है. इसके अलावा, संग्रहण सेवाओं को माईग्रेट करने, सीएमएस परिचालन, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, आधार नामांकन केंद्र, विशिष्ट बंधक स्टोर और एमएसएमई ऋण परिचालन में लॉगिन शॉप की स्थापना जैसी गतिविधियों की स्थापना बिक्री और ग्राहक सेवा के लिए और अधिक क्षमता रिलीज करने में मदद करेगी.

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट ग्राहकों जैसे ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक 'प्राथमिकता डेस्क' स्थापित किया गया.

शाखा नेटवर्क

31 मार्च, 2020 को बैंक का शाखा नेटवर्क निम्नानुसार है:

	31.03.19*		31.03.20 (समामेलित)	
घरेलू शाखाएँ	शाखाओं की संख्या	कुल में% हिस्सा	शाखाओं की संख्या	कुल में% हिस्सा
मेट्रो	1 , 203	21.66%	2 , 163	22.81%
शहरी	959	17.27%	1 , 860	19.62%
अर्ध शहरी	1 , 546	27.84%	2 , 525	26.63%
ग्रामीण	1 , 845	33.23%	2,934	30.94%
कुल	5,553	100	9 , 482	100
विदेशी शाखाएं / कार्यालय (विदेशी सहायक शाखाओं सहित)	100		101	

वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंक ने 44 नई घरेलू शाखाएं खोली और नौ शाखाओं को मौजूदा शाखाओं के साथ विलय किया गया.

करेंसी चेस्ट

समामेलन के बाद करेंसी चेस्ट की संख्या 100 से बढ़कर 150 हो गई है. ये चेस्ट बैंक में प्रभावी नकदी प्रबंधन के साथ-साथ आरबीआई की ओर से नकद को तिजोरी में रखने में सहयोग प्रदान करते हैं. सभी करेंसी चेस्टों के साथ-साथ शाखाओं को भी नोट सॉर्टिंग मशीन (NSMs) उपलब्ध करवाई गई है.

जोखिम गवर्नेंस और आंतरिक नियंत्रण

बैंक ने संस्थागत रूप से एक मजबूत जोखिम संस्कृति को स्थापित करने के लिए एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को लागू किया है. यह फ्रेमवर्क सुनिश्चित करता है कि पूरे संस्थान में जोखिम प्रबंधन और निर्णय लेने में सहयोग के लिए प्रणाली और क्षमता को स्थापित किया गया है.

जोखिम प्रबंधन गवर्नेंस

जोखिम प्रबंधन गवर्नेंस यह सुनिश्चित करता है कि जोखिम लेने वाली गतिविधियाँ बैंक की रणनीति और जोखिम लेने की क्षमता के अनुसरण में हों और बैंक को लागू सभी जोखिम की श्रेणियों को कवर करता है. निदेशक मंडल जोखिम संबंधी जागरुकता को बढ़ावा देने के द्वारा शीर्ष स्तर पर कार्यप्रणाली को स्थापित करता है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वास्तविक जोखिम और जोखिम लेने की क्षमता अपनी सीमा से अधिक, यदि कोई है तो, उनकी पहचान कर मामले को आगे बढाया जाता है और समय रहते उसका निवारण किया जाता है.

न्यूनतम सीआरएआर सेट करने के अलावा बैंक का जोखिम क्षमता संबंधी फ्रेमवर्क समेकित स्तर पर बैंक की जोखिम लेने की क्षमता को दर्शाता है और

यह पिलर 1 जोखिम क्षमता के लिए जैसे क्रेडिट जोखिम, ट्रेडिंग बुक के लिए मार्केट जोखिम और परिचालनगत जोखिम और पिलर 2 जोखिम जैसे तरलता जोखिम, साख जोखिम आदि को परिभाषित करता है.

त्रिस्तरीय सुरक्षा

प्रभावी जोखिम प्रबंधन गवर्नेंस को लागू करने और संभावित जोखिम की सभी संभावनाओं के समाप्त करने के लिए, बैंक की विभिन्न इकाइयों के बीच जिम्मेदारियों को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि सुरक्षा के तीन चरण हैं जो एक दूसरे से हर प्रकार से स्वतंत्र हैं. बैंक जवाबदेही और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के लिए जोखिम प्रबंधन के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा, जो उद्योग–मानक है का उपयोग करता है. यह पूरे संस्थान में प्रभावी जोखिम प्रबंधन को स्थापित करने में सहयोग करता है.

I. सुरक्षा का प्रथम चरण व्यावसायिक वर्टिकल और परिचालन इकाइयां हैं जहाँ जोखिम लिया जाता है. व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान, व्यवसाय वर्टिकल में और परिचालन इकाइयों में कार्य करने वाले कर्मचारी अग्रणी श्रेणी में आते हैं और वे उचित पहचान, मूल्यांकन, प्रबंधन और जोखिम एक्सपोज़र के दैनिक आधार पर बैंक की जोखिम क्षमता तथा सीमा/ उच्चतम सीमाएं, नीतियां, प्रक्रियाएं और नियंत्रण के अनुसरण रिपोर्टिंग की प्राथमिक जिम्मेदारी सम्भालते हैं.

II. सुरक्षा का द्वितीय चरण जोखिम प्रबंधन कार्य और अनुपालन कार्य द्वारा प्रदान किया जाता है जो एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र रूप से परिचालन एवं कार्य करते हैं तथा सुरक्षा की प्रथम श्रेणी के भाग भी है. निगरानी करते समय जोखिम स्तर और जोखिम रिपोर्टिंग और लागू कानूनों, विनियमों, कॉर्पोरेट प्रशासन के नियमों और आंतरिक नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है.

III. तृतीय स्तर की सुरक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों द्वारा प्रदान की जाती है जोकि आंतरिक जोखिम–आधारित और अन्य लेखापरीक्षा आयोजित करने के द्वारा स्वतंत्र रूप से आश्वासन प्रदान करेने के लिए उत्तरदायी है. यह समीक्षा बोर्ड को यह आश्वासन प्रदान करती है कि जोखिम गवर्नेंस सहित समग्र गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रभावी है और यह कि नीतियां और प्रक्रियाएं स्थापित हैं और उनका अनुपालन लगातार किया जा रहा है. लेखापरीक्षा कार्य की भूमिका निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित की जाती है और उसकी देख–रेख की जाती है.

जोखिम प्रबंधन और अनुपालन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का एक अविभाज्य अंग है और बैंक का लक्ष्य जोखिम और रिटर्न के बीच एक उचित संबंध स्थापित करना है. सतत एवं निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित किया है ताकि बैंक द्वारा माने गए जोखिमों का सही मूल्यांकन और निगरानी की जा सके. बैंक परिभाषित जोखिम क्षमता सीमा और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अंदर ही व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करता है. विभिन्न जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा हेतु निदेशक मंडल ने निदेशक मंदल जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है. इसमें विषय विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया भी शामिल है. प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल की समिति द्वारा समय – समय पर गवर्निंग फ्रेमवर्क बनायी जाती है.

बैंक की एक व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया और तनाव परीक्षण नीति है. पिलर 2 जोखिम जैसे तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, संकेन्द्रण जोखिम, व्यवसाय और सामरिक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, पेंशन दायित्व जोखिम आदि और सामान्य एवं तनाव दोनों स्थितियों के तहत पूंजी पर्याप्तता का आकलन मौजूदा नीतियों के अनुसार किया जाता है. बैंक के भीतर विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए तैयार की गयी व्यवस्था की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है:

उद्यम जोखिम प्रबंधन

व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के लिए समग्र बैंक में सशक्त जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने, सभी जोखिमों की जल्द पहचान, मूल्यांकन, मापन, एकत्रीकरण और प्रबंधन में मदद करने और पूंजी आबंटन की सुविधा के लिए एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता है. सभी जोखिम ओवरआर्चिंग रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क द्वारा स्वीकृत हैं और पर्याप्त रूप से सुरक्षित किए गए हैं.

बैंक सभी स्तरों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके और विभिन्न स्थानीय कार्यशालाओं का आयोजन करके एक मजबूत जोखिम जागरूकता संस्कृति विकसित करने का प्रयास कर रहा है.

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क के माध्यम से क्रेडिट प्रबंधन किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरुप नीतियां, प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग पद्धति को निर्धारित करते हैं. बेहतर ऋण संस्कृति और एक सुगठित ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की स्थापना के लिए जोखिम मूल्यांकनकर्ताओं और व्यावसायिक कार्यों की स्वतंत्रता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है. स्वतंत्र मॉडल सत्यापनकर्ताओं द्वारा उनके विवेकाधीन शक्ति, सटीकता और स्थिरता के साथ क्रेडिट जोखिम मापन मॉडल को सत्यापित किया जाता है.

बैंक को इन कुछ वर्षों में आंतरिक रेटिंग में अच्छा अनुभव रहा है, जिससे 31 मार्च, 2013 से बासेल II दिशानिर्देशों के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए फाउंडेशन आंतरिक रेटिंग (एफआईआरबी) दृष्टिकोण को चलाने के लिए नियामक की स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम बना है. आईआरबी दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक ने ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता के निर्धारण हेतु लिए अपना अनुभव सिद्ध मॉडल विकसित किया है.

बैंक ने उधारकर्ताओं को आंतरिक रेटिंग देने के लिए अच्छी तरह से मॉडल स्थापित किए हैं और इन मॉडलों को समय–समय पर समर्पित आंतरिक टीम के साथ–साथ बाहरी एजेंसियों द्वारा सत्यापित और मान्य कराया जाता है. बैंक ने क्रेडिट संकेन्द्रण प्रबंधन करने हेतु उद्योगों, क्षेत्रों और ऋणकर्ताओं के लिए विवेकशील उच्च सीमाएं तय कर रखी हैं. पोर्टफोलियो समीक्षा कक्ष, क्षेत्रवार एक्सपोजर, ऋण संकेन्द्रण, रेटिंग विभाजन तथा माइग्रेशन की समीक्षा करता है.

बैंक ने शेयरधारकों को आर्थिक मूल्यवर्धन की दृष्टि से ऋण जोखिम एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए कार्पोरेट क्रेडिट एक्सपोज़र के लिए रिस्क अडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल (आरएआरओसी) फ्रेमवर्क को क्रियान्वित किया है.

बैंक ने जोखिम लेने / नहीं लेने के जोखिम निर्णय के साथ ऋण प्रस्तावों को उच्च / माध्यम / कम जोखिम में वर्गीकृत करने सहित. बैंक के जोखिम वर्टिकल के द्वारा ऋण प्रस्तावों की स्वतंत्र जोखिम आधारित एक्सिलेंस (ईअएसई) जोखिम स्कोरिंग मॉडल को क्रियान्वित्त किया है.

बाजार जोखिम

बाज़ार जोखिम का अर्थ बाजार दरों या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण अर्जन या आर्थिक मूल्य के नुकसान का जोखिम है. विभिन्न बाजार उत्त्पादों के आर्थिक मूल्य में बदलाव के मुख्य कारकों में ब्याज आदि के दरों, विनिमय दरों, आर्थिक विकास तथा कारोबार विश्वास में परिवर्तन शामिल हैं. बैंक ने अपने ट्रेजरी–कार्यो को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी करने के लिए व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं जो बाजार जोखिम स्थितियों को सम्हालती है.

बैंक दैनिक आधार पर अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01 और जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर के जोखिम का आकलन करता है और निगरानी करता है. विदेशी मुद्रा जोखिम का दैनिक आधार पर निवल एक रात की प्रारंभिक सीमा (एनओओपीएल), वीएआर सीमा, कुल गैप सीमाएं (एजीएल), व्यक्तिगत गैप सीमाएं (आईजीएल) के संदर्भ में आकलन किया जाता है और निगरानी की जाती है. इक्विटी मूल्य जोखिम का वीएआर सीमाओं और पोर्टफोलियो आकार सीमाओं के माध्यम से आकलन किया जाता है और उसकी निगरानी की जाती है. लेनदेन स्तर पर, स्टॉप हानि सीमा और डीलर–वार सीमा निर्धारित और कार्यान्वित की गई है. अपने दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क के तहत, बैंक त्रैमासिक आधार पर अपनी व्यापारिक बही–पोर्टफोलियो का व्यापक दबाव परीक्षण करता है.

आस्ति देयता प्रबंधन

तरलता जोखिम उचित लागत पर अपेक्षित और अप्रत्याशित नकदी और संपार्श्विक दायित्वों को पूरा करने में एक असमर्थता है. बैंक में तरलता जोखिम का आकलन, प्रवाह दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण और भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य विवेकपूर्ण निर्धारणों से किया जाता है एवं मॉनीटर किया जाता है. बैंक ने तरलता मानकों पर बासेल III फ्रेमवर्क, तरलता कवरेज अनुपात, तरलता जोखिम मॉनीटरिंग टूल्स और एलसीआर प्रकटीकरण मानकों को कार्यान्वित कर दिया है. एलसीआर मानकों का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त भार रहित उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके, जो महत्वपूर्ण गंभीर तरलता दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा कर सके. बैंक हमेशा एकल के साथ–साथ समेकित आधार पर भी एलसीआर के निर्धारित स्तर से ऊपर रहा है. बैंक अपनी वेबसाइट पर संबंधित तिमाही के लिए लेखा संबंधी नोट के रूप में दैनिक एलसीआर के साधारण औसत का प्रकटीकरण करता है.

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) संवेदनशील आस्तियों और देनदारियों के बीच अंतर के कारण उत्पन्न होता है, जो बाजार में ब्याज दरों में बदलाव के साथ बैंक की इक्विटी की आय / आर्थिक मूल्य पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम के आकलन और निगरानी के लिए बैंक जोखिम प्रबंधन माध्यमों का उपयोग करता है जैसे कि पारंपरिक अंतर विश्लेषण, जोखिम पर आय और इक्विटी की परिवर्तित अवधि. निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर ब्याज दर संचलन का अल्पकालिक प्रभाव 'जोखिम पर आय' दृष्टिकोण के माध्यम से निर्धारित होता है, जिसमें आय वक्र जोखिम, बेसिस जोखिम और निहित ऑप्शन्स जोखिम में समानांतर रूप से परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण को अपनाया जाता है. ब्याज दर संचलन के दीर्घकालीन प्रभाव का इक्विटि के बाज़ार मूल्य (एमवीई) में परिवर्तन के माध्यम से आकलन किया जाता है एवं उसकी निगरानी की जाती है.

परिचालन जोखिम

संगठन में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बैंक के पास एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) और परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ORMS) है. ओआरएमएफ में परिचालन जोखिम, शासकीय संरचना, नीतियां, प्रक्रिया और प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना शामिल है; ओआरएफएस में बैंक द्वारा परिचालन जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी, नियंत्रण और इसे कम करने संबंधी प्रणालियां शामिल हैं.

परिचालनगत जोखिम के व्यवस्थित, सम्पूर्ण और एकीकृत प्रबंधन के लिए हमारे बैंक ने वेब आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन सिस्टम एसएएस एंटरप्राइज गवर्नेंस, जोखिम और अनुपालन (एसएएस ईजीआरसी) को लागू किया है.

मुख्य जोखिम संकेतक कार्यक्रम (केआरआई), रिस्क कंट्रोल एंड सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम (आरसीएसए) की शुरूआत और मूल कारण विश्लेषण ने नियंत्रण वातावरण को और मजबूत किया है. बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में आंतरिक क्षति डेटा का भंडार बनाया है.

संव्यवहार स्तर पर परिचालनगत जोखिम को कम और नियंत्रित करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने केवायसी/एएमएल/सीएफटी दृष्टिकोण से सभी घरेलू संव्यवहारों की निगरानी करने के लिए केंद्रीकृत संव्यवहार निगरानी इकाई की स्थापना की है. बैंक ने कई बैक ऑफिस गतिविधियों को केंद्रीकृत कर संव्यहारों के निष्पादन (बैक ऑफिस) को कार्यान्वित करते हुए ग्राहक इंटरफेस (फ्रंट ऑफिस) को अलग किया है. फोरेक्स लेनदेन में परिचालनगत जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने फोरेक्स लेनदेन के लिए केंद्रीकृत ट्रेड फ़ाइनेंस बैक ऑफिस (टीएफ़बीओ) की स्थापना की है.

बैंक ने इंटरप्राइज स्तर पर जोखिम संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजना की व्यवस्था की है. जोखिम से बचाव (नियर मिस इवेंट) संबंधी रिपोर्टिंग के लिए कर्मचारियों हेतु वित्तीय और गैर–वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की गई है.

जलवायु जोखिम

हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन जोखिम वित्तीय उद्योग के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है. बैंक जलवायु परिवर्तन जोखिम के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और सचेत रूप से अपने बैंकिंग परिचालनों के सतत विकास की दिशा में काम कर रहा है ताकि पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक गुणवत्ता को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सके.

ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने के लिए, एक नीतिगत मामले के रूप में, बैंक ओजोन पराबैंगनी पदार्थ (ओडीएस) का उत्पादन / खपत करने वाली नई इकाइयों की स्थापना के लिए उधारकर्ताओं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) का उपयोग करते हुए एयरोसोल इकाइयों के निर्माण में कार्यरत सूक्ष्म/ लघु स्तर की इकाइयों का वित्तपोषण नहीं कर रहा है. प्रोजेक्ट ऋण को मंजूर

करते समय, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी वैधानिक अनुमतियां जैसे कि पर्यावरण मंजूरी, प्रदूषण नियंत्रण आदि की अनुमति या मंजूरी संवितरण से पहले प्राप्त कर ली जाए.

बैंक हरित प्रौद्योगिकियों जैसे डीजल जनरेटर (डीजी) सेट, जो पर्यावरण प्रदूषकों के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है, उनके संचालन को कम / बंद कर उत्सर्जन को कम करने और हाइब्रिड यूपीएस, सोलर आधारित प्रणालियों आदि जैसे वैकल्पिक संसाधनों को अपनाने का इरादा रखता है.

बैंक प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, जंगल की आग, तूफान आदि के दौरान परिचालन जोखिमों का आकलन करते समय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर भी विचार कर रहा है. बैंक के परिचालन पर ऐसे प्रभाव और परिणाम समय-समय पर विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं.

बैंक ने जलवायु परिवर्तन जोखिम को कम करने, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए निम्नलिखित हरित पहलें की है:

ए) बैंक ने कागज रहित अनुमोदन और पेपरलेस ई मीटिंग के लिए क्रमशः ई-अनुमोदन और बोर्ड-पैक लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप बैंक में कागज के उपयोग में पर्याप्त कमी आई. बैंक ने आंतरिक परिचालन के लिए भौतिक परिपत्र जारी करना बंद कर दिया है. बैंक ने इच्छुक ग्राहकों को सुरक्षित ईमेल के माध्यम से खातों का विवरण भेजना शुरू कर दिया ताकि कागज की खपत कम हो सके.

बी) स्टाफ कैंटीन के गीले कचरे / कचरे को संसाधित करने और इसे जैविक-गैस और खाद, जिसका उपयोग खाना पकाने और कृषि कार्यों के लिए किया जाता है, में परिवर्तित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में एक गीला कचरा (बायो-गैस) संयंत्र स्थापित किया गया.

सी) कॉर्पोरेट कार्यालयों एवं बैंक के कुछ स्टाफ क्वार्टरों में सौर पैनलों / ट्री को स्थापित किया गया है. बैंक अपनी आंतरिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए नवीकरणीय (सौर) ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

डी) सभी शाखाओं / कार्यालयों में एनर्जी इफिशियेंट एलईडी लाइट फिक्स्चर स्थापित किए गए हैं.

बैंक ने अपने स्वामित्व वाले भवनों में वर्षा जल संचयन शुरू किया, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किया गया.

अनुपालन

अनुपालन कार्यकलाप बैंक के कार्पोरेट गवर्नेंस संरचना में एक महत्वपूर्ण घटक है. बैंक में अनुपालन कार्य पर्याप्त रूप से सक्षम एवं स्वतंत्र है.

अनुपालन कार्य विभिन्न कानूनों में निहित सभी वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है जैसे कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, और धन शोधन निवारण अधिनियम आदि के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए अन्य विनियामक अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करता है. यह बैंक की आंतरिक नीतियों और निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अनुपालन को भी सुनिश्चित करता है. बैंक ने अच्छी तरह से अभिलिखित अनुपालन नीति के साथ साथ एक सुदृढ़ अनुपालन प्रक्रिया को स्थापित किया है जो बैंक के अनुपालन का दर्शन, भूमिका और अनुपालन विभाग का गठन, उसके स्टाफ की संरचना और उनकी विशेष जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है.

अनुपालन प्रणाली बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धन और निदेशक मंडल को लागू कानूनों, नियमों और वैश्विक मानकों पर सलाह देती है और इस क्षेत्र में हो रही प्रगति से उनको अवगत कराती है. यह बैंक के व्यवसाय, स्टाफ और नामित अनुपालन अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों के लिए आवधिक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के द्वारा अनुपालन के मामलों पर उन्हें शिक्षित करती है. इस उद्देश्य के लिए बैंक की साइट पर नॉलेज मैनेजमेंट टूल को भी अपलोड किया गया है. बैंक ने अनुपालन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक में प्रत्येक स्तर पर प्रमाणीकरण और विभिन्न नियामक, सांविधिक और आंतरिक दिशानिर्देशों की निगरानी के लिए एक वेब आधारित अनुपालन प्रबन्धन समाधान को कार्यान्वित किया है. बैंक ने सेबी के निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचरण में परिभाषित 'इंसाइडर्स' से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को स्वचालित किया है.

अन्य गतिविधियों के तहत घरेलू मोर्चे पर निगरानी संबंधी अनुपालन के अंतर्गत, क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारियों (आरसीओ) के माध्यम से तिमाही आधार पर 20 प्रतिशत औचक रूप से चयनित शाखाओं में केवाईसी-एएमएल के लिए 80 मानदंडों पर ऑन-साइट अनुलपान टेस्ट जांच संबंधी घरेलू अनुपालन कार्य पूरा किया गया. केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों और अन्य अनुपालन के अन्य मानदंडों से संबंधित लगभग 30 मानदंडों में मासिक आधार पर ऑफसाइट अनुपालन जांच कार्य पूरा किया गया.

ईज़ सुधार वर्जन 2.0 के तहत बैंक ने सभी पीएसबी के बीच पहली तिमाही (जून 2019), दूसरी तिमाही (सितंबर 2019) और तीसरी तिमाही (दिसंबर 2019) में लगातार दूसरा स्थान बरकरार रखा.

क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में, बैंक ने सभी अनुपालन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और अपने अधिकारियों को अनुपालन के क्षेत्रों में नवीनतम घटनाचक्रों पर प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया. व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के लिए, बैंक स्टाफ सदस्यों को प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईबीएफ, एसीएएमएस आदि से पेशेवर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है.

वित्त वर्ष 2020 के दौरान अनुपालन में कमी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई.

केवाईसी / एएमएल अनुपालन

बैंक के पास एक सुपरिभाषित केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीति है. इस नीति के आधार पर, धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंक के केवायसी मानदंडों, एएमएल मानकों एवं सीएफटी उपायों तथा बैंक के दायित्वों को कार्यान्वित्त किया जाता है. बैंक के पास वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू - आईएनडी) को प्रस्तुत करने के लिए नकद लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर) को इलेक्ट्रानिक रुप से जनरेट करने हेतु विस्तृत प्रणाली है. बैंक इलेक्ट्रानिक रुप से जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर), गैर लाभकारी संगठनों की लेन-देन रिपोर्ट (एनटीआर) और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांस्फर (ईएफटी) रिपोर्ट को एफआईयू - आईएनडी, नई दिल्ली के पोर्टल पर प्रत्येक माह निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करता है. बैंक ने केन्द्रीय

लेन-देन निगरानी इकाई (सीटीएमयू) की स्थापना की है और ग्राहकों के खातों में संदिग्ध लेन-देन पैटर्न की निगरानी और पहचान तथा सिस्टम में पूर्व परिभाषित अलर्ट मानदंड के आधार पर सिस्टम आधारित लेन-देन अलर्ट जनरेट करने के लिए एक एएमएल सॉल्यूशन स्थापित किया है.

ग्राहकों के खातों का अर्धवार्षिक आधार पर सिस्टम आधारित जोखिम वर्गीकरण किया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुरुप धन शोधन जोखिम वर्गीकरण करने के पश्चात उच्च जोखिम वाले ग्राहकों का अर्धवार्षिक आधार पर पुनः केवाईसी किया जाता है. इस उद्देश्य से, बैंक ने ऐसे ग्राहकों की पहचान एवं उनके लिए सूचना जनरेट करने तथा उन्हें अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज जमा करने संबंधी सूचना प्रेषित करने हेतु स्वचालित प्रक्रिया विकसित की है.

बैंक ने ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के लिए ग्राहकों की स्वैच्छिक घोषणा पर यूआईडीएआई के साथ मिलकर आधार आधारित ई-केवाईसी भी लागू किया है. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक अपने सभी मौजूदा ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आवंटित करने की प्रक्रिया में है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वैयक्तिक ग्राहकों को सीकेवायसी नंबरों के आवंटन के लिए सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री को लागू किया है.

आंतरिक लेखापरीक्षा

बैंक का केंद्रीय आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग (सीआईएडी) आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है. सीआईएडी शाखाओं और कार्यालयों की जोखिम आधारित लेखापरीक्षा के अलावा विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करता है. निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति समग्र आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यकलापों की निगरानी करती है और आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, आईएस लेखापरीक्षा और अन्य सभी लेखापरीक्षा कार्यकलापों को प्रभावी बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है. समिति बैंक में कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के कार्यकलापों की निगरानी करती है.

सीआईएडी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति द्वारा लिए गए निर्णय की आवधिकता के अनुसार अठारह अंचल आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभागों के माध्यम से शाखाओं/ कार्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षण का कार्य करता है. बैंक की सभी शाखाएं जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत आती हैं. वित्त वर्ष 2020 के दौरान लेखापरीक्षित 9,482 शाखाओं में से 8,481 शाखाएं (89.44%) न्यूनतम जोखिम में थीं, 829 शाखाएं (8.74%) मध्यम जोखिम में थीं, 122 शाखाएं (1.29%) उच्च जोखिम में थीं, 4 शाखाएं (0.04%) अत्यधिक उच्च जोखिम वर्ग में थीं.

बैंक ने प्रौद्योगिकी, इमेजिंग समाधान और डिजिटलीकरण के उपयोग के द्वारा गतिविधियों के केंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ लेखापरीक्षा की व्यापक समीक्षा के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में एक स्वतंत्र फर्म की सेवाएं ली हैं. लेखापरीक्षा रूपांतरण प्रक्रिया पूरी हो गयी है और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत लेखापरीक्षा पद्धति की शुरुआत की है.

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ऋण लेखापरीक्षा (01.09.19 से) और यूनिवर्सल ब्रांच (01.02.20 से) के लिए स्वचालित वातावरण के तहत लेखापरीक्षा शुरू की गई है और इसका स्थायीकरण किया गया है जिसके बाद संपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रिया तकनीक, विश्लेषण, नमूना और उन्नत लेखापरीक्षा पद्धति के व्यापक उपयोग के साथ परिवर्तन के दौर से गुजरेगी. इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तकनीक की सहायता से नया रूप प्रदान किया जाएगा.

सतर्कता

बैंक में सतर्कता प्रशासन प्रबंधन के अन्य कार्यों की तरह महत्वपूर्ण कार्य है. इन कार्यों को करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि पद्धति एवं प्रक्रियाएं न केवल पर्याप्त हों बल्कि नीतिपरक, उचित एवं निष्पक्ष हो.

बैंक के सतर्कता प्रशासन में तीन खंड शामिल हैं:

ए) निवारक सतर्कता

बी) दंडात्मक सतर्कता

सी) निगरानी और जांच

जहां दंडात्मक कार्रवाई निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, वहीं निवारक और निगरानी उपायों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये दंडात्मक कार्रवाई की घटनाओं को कम करने में अधिक सहायक सिद्ध हो सकती हैं.

दंडात्मक और निगरानी संबंधी कार्य पूर्णत: परिभाषित विनियमों के अनुसार किए जाते हैं. एक ओर, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी स्तरों पर अधिकारी और कर्मचारी जो अनुचित साधनों का सहारा लेते हैं, दुराग्रही और दुर्भावनापूर्ण व्यवहारों में लिप्त रहते हैं और जिनकी सत्यनिष्ठा में खोट होती है, उन्हें दंडित किया जाए. जबकि दूसरी ओर, बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय के सामान्य गतिविधियों के रूप में उद्देश्यपरक और विवेकपूर्ण ढंग से किए गए निर्णय भविष्य में गलत भी साबित हो जाते हैं तो भी उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो.

मानव संसाधन

बैंक के पास 84,000+ प्रतिभाशाली कर्मचारियों का समृद्ध समूह है. बैंक अपने मानव संसाधन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर नई पहले करता है जैसे कि भर्ती, कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, कर्मचारी नियोजन और क्षमता निर्माण.

बैंक नई अवधारणाओं, प्रथाओं और प्रक्रियाओं को अपनाने और कुछ नया करने में हमेशा अग्रणी रहा है. समामेलन के पश्चात समामेलित इकाई में मानव संसाधन नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए "तीनों में श्रेष्ठ" दृष्टिकोण अपनाया गया था.

विभिन्न कर्मचारी-केंद्रित पहलों ने पीसीआई (पीपल कैपिटल इंडेक्स) में भारत की सर्वश्रेष्ठ 50 कंपनियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त करने में बैंक की मदद की, जो मेसर्स जोम्बे नामक अग्रणी एचआर कंसल्टेंसी फर्म द्वारा ब्रिटिश मानक संस्थान (बीएसआई) के सहयोग से कंपनियों के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को मापने हेतु स्थापित किया गया सूचकांक है. बैंक को वित्तीय वर्ष 2020 में लगातार तीसरे वर्ष यह सम्मान मिला है.

वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलें की गईं जिनका हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन पर प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रभाव रहा:

श्रम शक्ति आयोजन और भर्ती:

बैंक ने विभिन्न स्तरों पर कौशल–आधारित श्रम शक्ति आवश्यकताओं के आकलन के लिए एक नया वैज्ञानिक श्रमशक्ति आयोजन मॉडल तैयार किया है. इससे बैंक को भर्ती, तैनाती, पदोन्नति, प्रशिक्षण आदि जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसले लेने में मदद मिलेगी.

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से 1,728 अधिकारियों और 2,430 व्यवसाय सहयोगियों की भर्ती की है. बैंक ने विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए मुख्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विशेष स्टाफ सदस्यों की भर्ती की है.

बड़ौदा जेम्स ''विकास और सशक्तिकरण प्रबंधन प्रणाली''

बैंक ने अपनी मानव पूंजी की क्षमताओं को उजागर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की थी. इस रूपान्तरण यात्रा में ''बड़ौदा जेम्स'' ''विकास और सशक्तीकरण प्रबंधन प्रणाली" नामक एक नई वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली शामिल थी.

बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम

यह एक कर्मचारी इंगेजमेंट कार्यक्रम है, जिसे टीम एकजुटता की भावना और सहयोग तथा कार्यस्थल को खुशनुमा बनाने के लिए तैयार किया गया है. समग्र रूप से कर्मचारी जुड़ाव के स्तरों को उच्च बनाने हेतु विभिन्न पहलें जैसे सभी शाखाओं/कार्यालयों में माह का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, स्पॉट रिकॉग्निशन–खुशनुमा पल, मनोरंजन का समय, कर्मचारियों द्वारा स्थानीय सामुदायिक सेवा/ सामाजिक गतिविधियां आदि प्रारंभ की गईं. सभी शाखाओं/कार्यालयों के माध्यम से छ: महीनों में अनिवार्य रूप से सामुदायिक सेवा कार्यक्रम चलाया जाता है.

बड़ौदा अनुभूति के तहत, बैंक प्रति वर्ष नवंबर के चौथे शनिवार को वार्षिक खेल दिवस का आयोजन करता है. पिछले वर्ष विभिन्न वर्गों में अंतर अंचल खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखी गई थी और कर्मचारियों के बीच टीम भावना और जुड़ाव को बेहतर बनाने में मदद मिली थी.

वेलनेस और फिटनेस अभियान

बैंक ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कुशलता के लिए कई पहलें की हैं, जिसमें कर्मचारियों और उनके पति–पत्नी के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य जांच योजना शामिल है. बैंक सभी स्थायी कर्मचारियों को रु. 20 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रदान करता है. ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से कर्मचारियों की मेडिकल चिकित्सा संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाता है. बैंक अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कुशलता के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर, फिटनेस अभियान, योग सत्र आदि आयोजित करता है. बैंक ने अक्टूबर–नवंबर 2019 की अवधि के दौरान 'वेलनेस मंथ' मनाया, जिसके तहत निवारक स्वास्थ्य जांच और फिटनेस अभियान आयोजित किए गए थे.

बैंक की शिशु गृह सुविधा

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने कर्मचारी हितैषी कल्याणकारी उपायों के तहत, कॉरपोरेट कार्यालय, मुंबई में स्थापित पहली क्रेश सुविधा के अलावा, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा और अंचल कार्यालय बैंगलुरु में एक अत्याधुनिक ऑनसाइट शिशु गृह सुविधा की स्थापना की है. यह सुविधा कर्मचारियों के छोटे बच्चों के लिए डे–केयर सुविधा उपलब्ध कराती है.

ज्ञानार्जन और विकास

बैंक ने हमेशा माना है कि ज्ञानार्जन और विकास, किसी संगठन की मानव पूंजी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और तदनुसार बैंक ने पिछले वर्ष के दौरान ज्ञानार्जन संबंधी विभिन्न पहलें की हैं. बड़ौदा गुरुकुल जोकि बैंक की व्यापक ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली है, ई–लर्निंग मॉड्यूल, बड़ौदा ट्यूब, बड़ौदा रेडियो, मार्गदर्शक, डिजिटल लाइब्रेरी, साप्ताहिक क्विज़ आदि जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से ज्ञानार्जन सुविधा उपलब्ध कराती है.

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान, बड़ौदा एपेक्स अकादमी ने समामेलित बैंकों के कर्मचारियों को शामिल करने के लिए "UTSUK" नामक एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया, जिसने समामेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. गेम–जैसी ज्ञानार्जन सुविधा की शुरुआत के लिए वर्ष के दौरान 'बड़ौदा बाहुबली' नामक ज्ञानार्जन प्रतियोगिता नामक शुभारंभ किया गया. भारत भर में विभिन्न अकादमियों द्वारा शोध पत्रों का संकलन 'बड़ौदा संहिता' का भी शुभारंभ किया गया.

'वी लीड' एक व्यापक नेतृत्व विकास कार्यक्रम

अपने कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर मानव संसाधन नीति एवं प्रक्रिया स्थापित करने में बैंक ऑफ बड़ौदा हमेशा अग्रणी रहा है. अपनी रूपांतरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, बैंक ऐसे संभावित लीड़रों की पीढ़ी तैयार करने के लिए प्रयासरत है जो नेतृत्व करने और बैंक के भावी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हों.

प्रारम्भ के पहले चरण में वीलीड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की निरंतरता और भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में वीलीड –II की शुरुआत की है, जिसका समामेलन के संदर्भ में महत्व और बढ़ जाता है. इसलिए वीलीड –II का एक महत्वपूर्ण घटक सांस्कृतिक आत्मसात था. यह कार्यक्रम एकीकरण को सफल बनाने, सहक्रियता का अहसास कराने, विकास की गति को बरकरार रखने और भविष्य के लिए तैयार रहने पर भी केंद्रित है.

वीलीड II कार्यक्रम में तीन स्तरों में विशेष रूप से पहचान किए गए निम्नलिखित कर्मचारी शामिल हैं :

कार्यक्रम	कवरेज	शामिल प्रतिभागियों की संख्या
बड़ौदा सीनियर लीडरशिप कार्यक्रम	महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक	150
बड़ौदा इमर्जिंग लीडर्स कार्यक्रम	सहायक महाप्रबंधक	275
बड़ौदा राइजिंग स्टार्स कार्यक्रम	मुख्य प्रबंधक	575

कॅरियर विकास

बैंक ने कर्मचारियों को कॅरियर विकास के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने, उनके निष्पादन को पुरस्कृत करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं. बैंक अपने कर्मचारियों को व्यापक एक्सपोज़र प्रदान करने के लिए उन्हें विभिन्न स्थानों पर तैनात करता है और उन्हें विदेशों में भी नियुक्ति दी जाती है.

मानव संसाधन नीतियां और प्रणालियों का विकास

बैंक समयानुकूल परिवर्तनों, कर्मचारी आकांक्षाओं और बैंक की समग्र आवश्यकताओं तथा व्यावसायिक लक्ष्यों के आधार पर अनुकूल परिवर्तन लाने की दृष्टि से अपनी नीतियों और प्रणालियों को लगातार अद्यतन कर रहा है. वित्त वर्ष 2020 के दौरान विभिन्न नीतियों अर्थात् ओवरसीज़ प्लेसमेंट पॉलिसी, एचआर रिसोर्सिंग पॉलिसी, कर्मचारी नियोजन नीति, खेल नीति, पदोन्नति नीति, स्थानांतरण नीति और सोशल मीडिया नीतियों को अद्यतन किया गया और इन्हें समयानुकूल बनाया गया है.

कर्मचारी कल्याण निधि के तत्वावधान में बैंक ने अपनी सुविधाओं को मानकीकृत किया है, अवकाश गृहों में कमरों की संख्या में वृद्धि की है और साथ ही अलीबाग और मैसूर जैसे नए स्थानों पर अवकाश गृह की सुविधा शुरू की है. अवकाश गृहों की कुल संख्या अब 57 हो गई है. बैंक का मानव संसाधन केंद्रीकृत प्रसंस्करण कक्ष (एचआरसीपीसी) सभी कर्मचारियों के ऋण आवेदनों और अन्य ऑनलाइन टीए/ डीए दावों को आवेदन प्राप्त होने के दिन ही प्रोसेस कर देता है और एक मानकीकृत टीएटी का पालन करता है तथा कर्मचारी संतुष्टि में योगदान देता है. बैंक ने उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए नवीनतम सुविधाओं के साथ अपने मानव संसाधन नेटवर्क "कर्मचारी सेवाओं हेतु मानव संसाधन नेटवर्क (एचआरएनईएस)" में और सुधार किया है.

विविधता पर जोर

बैंक अपने सभी कर्मचारियों के लिए भेदभाव रहित और समान अवसर नीति का पालन करता है. बैंक पदोन्नति, कॅरियर-पाथ, स्थानांतरण नीति और कर्मचारी लाभ/ कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सभी मुद्दों में पारदर्शी है. बैंक ने दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए 'जॉब रोल्स' आरम्भ किया है. इसके अलावा बैंक एक बेहतर वैविध्यपूर्ण कार्यस्थल बनाने के लिए महिला कर्मचारियों की भर्ती में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है. वित्त वर्ष 2020 में समग्र स्टाफ संरचना में महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर 25.6% हो गया है.

सभी स्तरों पर महिला कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए तथा महिलाओं की सहगामी जिम्मेदारियों को मान्यता देते के लिए बैंक ने महिला कर्मचारियों की सहायता हेतु अन्य पहलों के साथ-साथ कई सुविधाएँ प्रदान की हैं जैसे कि महिला कर्मचारियों के लिए विराम-अवकाश, स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम, शिशुगृह की सुविधा.

आरक्षण कक्ष

अजा/अजजा/ दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिकों और अपिव कर्मचारियों के लिए आरक्षण व अन्य क्षमतादायी प्रावधानों को लागू करने के लिए एक विशेष आरक्षण कक्ष की स्थापना की गई है. महाप्रबंधक स्तर के कार्यपालक को क्रमशः अजा/अजजा/ दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिकों और अपिव कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप नियुक्त किया गया है, जो उनसे संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं.

1 फरवरी, 2019 से बैंक में सभी सीधी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% का आरक्षण लागू है. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अधिकारी (निर्धारित पद), लिपिक और सब-स्टाफ संवर्ग में वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के 4% के अनुपात में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को आरक्षण प्रदान कर रहा है.

31.03.2020 तक जाति, वर्गवार संख्या

संवर्ग	अजा	अजजा	अपिव	भू. पू. सैनिक
अधिकारी	7662	3495	12015	587
लिपिक	4803	2938	7794	2817
सब-स्टाफ	3332	1143	3049	975
कुल	15797	7576	22858	4379
कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	18.78%	9.01%	27.18%	5.21%

आवधिक बैठकें: बैंक सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार हर तिमाही में अखिल भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा एससी / एसटी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही बैठकें और अखिल भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा ओबीसी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ छमाही बैठक आयोजित करता है.

कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम: बैंक एआईबीओबीएससीएसटी कर्मचारी कल्याण संघ और एआईबीओबीओबीसी कर्मचारी कल्याण संघ के सदस्यों तथा एससी/ एसटी एवं ओबीसी संपर्क अधिकारियों के लिए हर वर्ष एपेक्स अकादमी, गांधीनगर में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है.

- एससी/ एसटी उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण
- आरक्षण नीति के संबध में कार्यशाला
- अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

परिसर पुनर्संरचना

ग्राहक संपर्क बिंदुओं के परिसर को सुधारने और सभी शाखाओं में परिवेशगत समानता लाने की दृष्टि से देश भर में सभी शाखाओं की पुनर्सजावट की गई है. शेष शाखाओं को भी इसी तरह नवीकृत किया जा रहा है. बैंक अहमदाबाद में एपेक्स अकादमी का निर्माण भी कर रहा है. यह प्लेटिनम रेटेड और अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र होगा जिसमें कक्षाएं, आवासीय कमरे और मनोरंजक सेवाएं होंगी.

जैसा कि भारत सरकार ने स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है, उसमें बैंक भी भाग ले रहा है और पूरे भारत में बैंक परिसर के अंदर और बाहर सफाई अभियान चलाए गए हैं.

राजभाषा (रा.भा) नीति का कार्यान्वयन

व्यवसाय को बढ़ावा देने तथा ग्राहकों को डिजिटल उत्पाद प्रदान करने में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का उपयोग बैंक की भाषा नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है. भारत सरकार और नियामक प्राधिकारियों द्वारा बैंक के इस दृष्टिकोण को समय–समय पर सराहा गया है.

वर्ष के दौरान की गई विभिन्न पहलों के अंतर्गत बैंक द्वारा 'भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका' विषय पर एक अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन किया गया. 'समावेश से समृद्धि', 'वसूली की दास्तां', 'खुदरा ऋण मार्गदर्शिका', 'एमएसएमई ऋण मार्गदर्शिका', 'कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह की संभावनाएं' और 'बरगद की छाँव में' कविता संग्रह जैसे विषयों पर विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं. भूमिका आधारित प्रमाणन पाठ्यक्रम 'भाषा निर्झर' की शुरुआत की गई और बैंक के ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म पर 'राजभाषा नीति' और 'यूनिकोड' जैसे अनिवार्य पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध कराए गए. भारत सहित विदेशों में स्थित विभिन्न कार्यालयों/ शाखाओं में हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और मातृभाषा दिवस मनाया गया.

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा अपनी महाराजा सयाजीराव भाषा सम्मान योजना के तहत हिंदी के प्रचार–प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए वरिष्ठ पत्रकार और आजतक टीवी चैनल की प्रसिद्ध एंकर सुश्री श्वेता सिंह को सम्मानित किया गया. महाराजा सयाजीराव लोकभाषा सम्मान योजना के तहत बैंक ने चौधरी, घोडिया, गामित और कुंकाना जैसी गुजरात की जनजातीय बोलियों को संरक्षण देने के लिए प्रो.बिक्रम चौधरी को चुना है.

भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कायालयों द्वारा बैंक के संयोजन में कार्यरत बरेली, जयपुर, वाराणसी, फैजाबाद, राजकोट और जोधपुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां (नराकास) कार्यरत हैं. हमारे पणजी, लुधियाना, गुवाहाटी, बड़ौदा और पटना में अंचल/ क्षेत्रीय कार्यालयों को पुरस्कार हेतु चुना गया.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बैंक की विरासत में, सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु अपने विभिन्न विकास कार्यों के जरिए समाज सेवा का एक लंबा इतिहास है. एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक समाज कल्याण में, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए और उनके जीवन में सतत सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है. लाभदायक रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, मानव कल्याण और महिलाओं एवं किसानों के उत्थान के लिए अन्य सामाजिक गतिविधियां बैंक के प्रमुख केन्द्र बिन्दु हैं. बैंक कमजोर वर्ग और ग्रामीण नागरिकों के लाभार्थ विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक–आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे विभिन्न संगठनों की मदद कर रहा है.

बैंक निम्नलिखित दो आधार स्तंभों के रूप में सीएसआर गतिविधियां करता है :

- बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान ट्रस्ट (बीएसवीएस ट्रस्ट) जो आरएसईटीआई केंद्र का संचालन करता है, स्वरोजगार पैदा करने के लिए ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है.
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची– VII में उल्लिखित गतिविधियों के लिए दान और/ या निधियन.

बैंक के देश में 10 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में –64– आरएसईटीआई केंद्र हैं. इन केंद्रों ने 17,922 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 5,03,145 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है जिनमें से 3,30,213 ने पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है या अपने स्वयं के उद्यम स्थापित किए हैं. 64 आरएसईटीआई केंद्रों में से 53 आरएसईटीआई केंद्रों को आरएसईटीआई के समग्र प्रदर्शन/ कार्यप्रणाली के आधार पर "एए/ए" (उत्कृष्ट) के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

बैंक ने बारह राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में –87– वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) भी स्थापित किए हैं जो औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श सेवाएं और शिक्षा प्रदान करते हैं. ये केंद्र वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय आयोजना और किसी व्यक्ति के ऋण से संबंधित संकट को दूर करने संबंधी कार्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां करते हैं.

घरेलू अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम

बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड

बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (बीएफ़एसएल, जिसे पहले बॉबकार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है. यह जमा स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) है. बीएफ़एसएल की स्थापना वर्ष 1994 में तेजी से बढ़ते क्रेडिट कार्ड उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी. बीएफ़एसएल क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली भारत की पहली गैर बैंकिंग कंपनी थी. कंपनी का मुख्य व्यवसाय क्रेडिट कार्ड जारी करना है. यह अपने मर्चेंट अधिग्रहण परिचालनों के माध्यम से बैंक को सहायता प्रदान करती है.

वित्त वर्ष 2020 में नए क्रेडिट कार्ड का अधिग्रहण 2.47 लाख था जिसके कारण 31 मार्च, 2020 को 4.53 लाख का सक्रिय कार्ड आधार रहा. बीएफएसएल वित्त वर्ष 2020 में कुल 32 क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं में से क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला 10 वां सबसे बड़ा जारीकर्ता रहा.

बीएफ़एसएल ने बैंक, बीएफ़एसएल और ट्रांस यूनियन सीबील के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी के तहत बैंक के ग्राहकों को पूर्व–अनुमोदित क्रेडिट कार्ड जारी करना जारी रखा. बीएफ़एसएल ने पूर्व अनुमोदित ग्राहकों के साथ–साथ वॉक–इन ग्राहकों हेतु केंद्रित क्रेडिट कार्ड अधिग्रहण के लिए शीर्ष 2,500 बैंक शाखाओं को कवर करने हेतु 2,000 से अधिक बिक्री प्रतिनिधियों के नेटवर्क का उपयोग किया.

वित्त वर्ष 2020 के दौरान ग्राहक आधार पर खुदरा व्यय में 80% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन व्यय दोनों श्रेणियों में शीर्ष ब्रांडों के साथ विपणन गठजोड़ और साझेदारी द्वारा समर्थित है.

बीएफ़एसएल ने ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पहलों में निवेश करना जारी रखा है (अर्थात निर्बाध प्रोसेसिंग के लिए ग्रीन पिन, सक्षम निष्पादन मंच, डिजिटल अडाप्शन, संशोधित वेबसाइट और ग्राहक सेवा पोर्टल के साथ रोबोटिक्स–आधारित समाधान.)

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (बॉबकैप्स), बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है जो सेबी पंजीकृत श्रेणी- I मर्चेंट बैंकर है और साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ स्टॉक ब्रोकर है. बॉबकैप्स वित्तीय सेवाओं का विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रदान करता है जिसमें प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), ऋण समूहन, दबावग्रस्त आस्तियों का निपटान, व्यापार मूल्यांकन, विलय और अधिग्रहण और स्टॉक ब्रोकिंग शामिल हैं. इसमें पाँच प्रकार के व्यवसाय हैं, निवेश बैंकिंग – इक्विटी; निवेश बैंकिंग – कर्ज; संस्थागत ब्रोकिंग, रिटेल ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट.

वित्त वर्ष 2020 के दौरान बॉबकैप्स ने विस्तृत विस्तार के माध्यम से अपने मार्ग पर जारी रहते हुए अनुषंगी के सभी व्यवसाय वर्टिकल ने स्वस्थ वृद्धि दर्शाई. निवेश बैंकिंग के तहत – कर्ज, कई कर्ज समूहन और दबावग्रस्त आस्ति निपटान लेनदेन वर्ष के दौरान पूरे हुए. जबकि वर्ष के दौरान इक्विटी पूंजी बाजार गतिविधि को नियंत्रित किया गया था, निवेश बैंकिंग – इक्विटी ने आईपीओ/ एफपीओ/ ओएफएस, पीई निधि सृजन और एम एंड ए लेनदेन के लिए 10 मैंडेट प्रक्रियाधीन है. संस्थागत ब्रोकिंग ने गुणवत्ता अनुसंधान, बिक्री और मजबूत प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से ग्राहक सूचीबद्धता में वृद्धि की है. इसने विदेशी संस्थागत निवेशकों को जुटाने की शुरुआत की है. रिटेल ब्रोकिंग में, ग्राहक अधिग्रहण और व्यापार वॉल्यूम में वृद्धि को 3-इन-1 डीमैट, ट्रेडिंग और बैंक अकाउंट, प्रीपेड ब्रोकरेज, ऑनलाइन खाता खोलने संबंधी प्लैटफ़ार्म और गुणवत्ता अनुसंधान जैसे उन्नत उत्पादों और सेवाओं द्वारा संचालित किया गया था. फर्म की निवेश सलाहकार टीम बैंक के संपदा प्रबंधन का सहयोग करती है.

बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.

वित्त वर्ष 2017 में स्थापित बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली आबद्ध "बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज" 4 स्थानों (मुंबई, गांधी नगर गिफ्ट सिटी, बेंगलुरु और हैदराबाद) से परिचालित होती है और इसमें नॉन-वॉयस (लेनदेन प्रोसेसिंग) संबंधी 1400+ पूर्णकालिक कर्मचारी (एफ़टीई) और वॉइस (बहुभाषी क्षमताओं के साथ कॉल सेंटर) संबंधी 850 एफ़टीई हैं.

व्यापार और विदेशी मुद्रा परिचालन, खाता प्रबंधन सेवाएं, बंधक आधारित उधार परिचालन, कृषि ऋण प्रोसेसिंग, क्रेडिट कार्ड परिचालन, डिजिटल बैंकिंग परिचालन (समायोजन/ विक्रेता प्रबंधन/ एटीएम निगरानी/ आईपीजी) और पेंशन सेवाओं जैसी गतिविधियों को केंद्रीकृत किया गया है. साथ ही, संग्रहण सेवाओं को माइग्रेट करने, सीएमएस परिचालन, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, आधार नामांकन केंद्र, विशेषीकृत बंधक स्टोर में लॉगिन संबंधी शॉप स्थापित करने और एमएसएमई ऋण परिचालन जैसी गतिविधियों का केंद्रीकरण जारी है.

बड़ौदा सन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड

बड़ौदा सन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में निगमित किया गया है. कंपनी 5 जुलाई, 2017 को रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज, मुंबई और महाराष्ट्र में पंजीकृत हुई. कंपनी को बैंक के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापार में आईटी समर्थित व्यापार समाधान/ आईटी सॉफ्टवेयर उत्पाद कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर सिस्टम इंटीग्रेटर/ कंसल्टेंसी सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है. यह बैंक के विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकलों में विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्यमवार आईटी परियोजनाओं और वित्तीय उत्पादों के विकास और समाधानों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन/ परियोजना प्रबंधन सेवाओं में संलग्न है.

नैनीताल बैंक लि.

नैनीताल बैंक लिमिटेड (एनबीएल) मूल रूप से 1922 में स्वर्गीय भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत और अन्य द्वारा प्रवर्तित है जो वर्ष 1973 में बैंक ऑफ बड़ौदा की अनुषंगी बनी. नैनीताल बैंक लिमिटेड में बैंक की धारिता 98.57% है. एनबीएल का नैनीताल में अपना पंजीकृत कार्यालय है और पांच राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान में इसकी परिचालन करती है. 31 मार्च, 2020 तक एनबीएल की 141 शाखाएं हैं.

एनबीएल का कुल कारोबार 31 मार्च, 2019 को रु. 10,931 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2020 को रु. 11,797 करोड़ हो गया. वृद्धिशील प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं के कारण पिछले वर्ष के दौरान रु. 26.89 करोड़ के निवल लाभ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2020 में बैंक को 59.61 करोड़ रुपये का निवल घाटा हुआ, हालांकि बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2019 में रु. 109.30 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में रु. 114.27 करोड़ हो गया.

बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड

बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड (बड़ौदा एएमसी) 28 सितंबर, 2018 से बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है. बड़ौदा एएमसी, बड़ौदा म्यूचुअल फंड (बड़ौदा एमएफ) में निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करता है जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत म्यूचुअल फंड है. वित्त वर्ष 2020 के लिए बड़ौदा म्यूचुअल फंड के प्रबंधन (एयूएम) के तहत औसत आस्तियां रु. 11,204 करोड़ थीं जो कि कर्ज खंड में एयूएम में गिरावट के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 9% की गिरावट दर्ज की गई. समग्र एयूएम के भीतर इक्विटी एयूएम में पिछले वर्ष की तुलना में 30% की वृद्धि हुई. बड़ौदा एएमसी ने मुख्यतः आईएफ़ए पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ अपने अन्य-पक्ष वितरण नेटवर्क का विस्तार करना जारी रखा है. कंपनी ने साल के दौरान कुछ नए फंड लॉन्च किए.

बैंक और बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड (बीएनपी एशिया) ने दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को भारत में अपनी एसेट मैनेजमेंट और ट्रस्टी कंपनियों का विलय करने के लिए बाध्यकारी करार पर हस्ताक्षर किए हैं. बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रबंधित म्यूचुअल फंड के लिए समर्पित ट्रस्टी कंपनी है.

इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

मुंबई में मुख्यालय वाली इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. देश की सबसे नवीनतम बीमा कंपनियों में से एक है जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 635 करोड़ है. कंपनी भारत के दो सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक – बैंक ऑफ़ बड़ौदा और आंध्रा बैंक की क्रमशः 43.3% और 29.5% के साथ कार्मल प्वाइंट इनवेस्टमेंट्स लि. द्वारा निगमित कार्मल प्वाइंट इनवेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 27.2% की हिस्सेदारी द्वारा प्रवर्तित है और मॉरीशस के

कानूनों के तहत शामिल एक निकाय कॉर्पोरेट और वारबर्ग पिंकस एलएलसी द्वारा प्रबंधित निजी इक्विटी फंडों के स्वामित्व में है.

वित्त वर्ष 2020 में इंडिया फ़र्स्ट लाइफ, जीवन बीमा में 6% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि की तुलना में 25% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ व्यक्तिगत नए व्यवसाय एपीई (वार्षिक प्रीमियम समतुल्य) में सबसे तेजी से बढ़ती जीवन बीमा कंपनी बन गई. कंपनी निजी कंपनियों के बीच रु. 31 मार्च, 2020 को रु. 14,723 करोड़ के साथ वर्तमान में व्यक्तिगत नए व्यापार एपीई (वार्षिक प्रीमियम समतुल्य) में 12 वें स्थान पर है.

इंडिया फ़र्स्ट लाइफ को ग्रेट प्लेस टू वर्क (जीपीटीडब्ल्यू) के रूप में प्रमाणीकृत किया गया था, यह सम्मान व्यावसायिक, शैक्षणिक और सरकारी संगठनों में सर्वश्रेष्ठ मानक के रूप में देखा जाता है. इसे जीपीटीडब्ल्यू बीएफ़एसआई सर्वेक्षण द्वारा 'बीएफ़एसआई में 25 बेस्ट कार्यस्थल', ब्रांड स्टोरी द्वारा 'इंडियाज मोस्ट अवेटेड ब्रांड्स 2019-20' और इंडिया इंश्योरेंस समिट एंड अवाड्‌र्स 2019 में 'कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर' सम्मान भी प्राप्त हुआ.

इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड (इंफ्राडेब्ट) पहला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ़) - एनबीएफ़सी है. यह आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के साथ बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित है. सिटी कॉर्प फ़ायनांस (इंडिया) लिमिटेड एवं भारतीय जीवम बीमा निगम इसके अन्य शेयरधारक हैं. इसकी स्थापना के बाद से इसे क्रिसिल, आईसीआरए और भारत रेटिंग द्वारा एएए रेट किया गया है. यह अपेक्षाकृत सुरक्षित, पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है जिन्होंने एक वर्ष का वाणिज्यिक परिचालन पूर्ण कर लिया है. इसके अलावा, इंफ्राडेब्ट 100% आयकर रियायत प्राप्त करता है. मजबूत, स्थायी, इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं - विशेष रूप से एनएचएआई सड़क परियोजनाओं और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण देने पर ध्यान केंद्रित होने के कारण बैंक के साथ सक्रियता उत्पन्न होती है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 को समाप्त प्रथम पूर्ण छह वर्षों के अपने परिचालन में स्वस्थ वृद्धि की है. दिनांक 31 मार्च 2020 तक इसकी ऋण बही रु. 11,565 करोड़ और वित्त वर्ष 2020 के लिए निवल लाभ रु. 259 करोड़ (भारतीय जीएएपी के अनुसार) थी.

घरेलू अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम का एक संक्षिप्त सारांश निम्नानुसार है:

(रु करोड़)

इकाई (पंजीकरण की तारीख के साथ)	स्वामित्व वाली धनराशि	कुल आस्तियां	निवल लाभ	कार्यालय	कर्मचारी
बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड	196.36	572.17	(31.53)	38	561
बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	152.98	160.71	(0.80)	1	104
बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	4.55	4.45	(0.09)	1	6
बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.	16.03	17.19	4.00	5	1019
दी नैनीताल बैंक लि.	556.01	8440.39	(68.07)	4	971
बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड	65.01	80.02	0.85	5	76
बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्रा. लिमिटेड	0.10	0.15	0.01	1	0
इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	716.93	15273.30	(97.42)	29	2772
इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड	1866.82	12,289.03	259.05	1	21

पुरस्कार और सम्मान

तारीख :	पुरस्कार : 2019-20
11.06.2019	डीएवाई-एनआरएलएम, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में बैंक को "एसएचजी बैंक लिंकेज 2018-19 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार" से सम्मानित किया गया है.
29.06.2019	मुंबई में आयोजित चतुर्थ भारत बैंकिंग सुधार कॉन्क्लेव एवं बीएफएसआई पुरस्कार 2019 के दौरान "गवर्नेंस नाउ" पुरस्कार.
29.06.2019	डिजिटल वित्तीय समावेशन हेतु नई दिल्ली में स्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट 2019-गोल्ड अवार्ड नई दिल्ली में ''डिजिटल वित्तीय समावेशन हेतु बैंकिंग सिल्वर'' स्कोच अवार्ड 2019
06.07.2019	मानव संसाधन विकास प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित विश्व एचआरडी कांग्रेस में बैंक को दो पुरस्कार प्रदान किए गए 1. "प्रशिक्षण और विकास में उत्कृष्टता'' पुरस्कार की श्रेणी के अंतर्गत प्रशिक्षण और विकास में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार. 2. "शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ नियोजन" की श्रेणी के अंतर्गत - कक्षा शिक्षण एवं विकास में सर्वश्रेष्ठता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार
26.07.2019	बैंक को कांतर आईएमआरबी द्वारा पीएसयू श्रेणी में ''द एक्सपीरिएन्स एडवांटेज फ़ॉर डिलेवरिंग लास्टिंग मोमेंट्स''(ग्राहक पारस्परिक प्रभाव) पुरस्कार
09.08.2019	रीडर्स डाइजेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड सर्वे द्वारा बैंक को राष्ट्रीयकृत् बैंकों की श्रेणी में द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में पुरस्कार
09.08.2019	बैंक ने एसएएमएमआईई 2019- सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया ब्रांड अवार्ड (बीएफएसआई - बैंकिंग श्रेणी) में सिल्वर प्राप्त किया
14.09.2019	बैंक को भारत सरकार की राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत भाषिक क्षेत्र 'ख' में लगातार तीसरे वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ
25.11.2019	महाप्रबंधक (मार्केटिंग, पीआर एवं धन संपदा प्रबंधन), बैंक ऑफ बड़ौदा को वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस द्वारा ताज लैंड्स एंड होटल में "सबसे प्रभावशाली ग्लोबल मार्केटिंग लीडर्स अवार्ड" से सम्मानित किया गया.
31.12.2019	बैंक को वीजा द्वारा वैश्विक सेवा गुणवत्ता अवार्ड्स 2018 में 'वैश्विक - न्यूनतम सकल धोखाधड़ी (जारीकर्ता)' का अवार्ड प्रदान किया गया.
04.01.2020	बैंक ने पीएसयू बैंक श्रेणी में नए खाते खोलने में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसे सर्वोच्च निष्पादक के रूप में ताज लैंड्स एंड, मुंबई में एनएसडीएल स्टार परफॉर्मर अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया.
13.01.2020	बैंक को एनबीसीएफडीसी के 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर ''सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं में एनबीसीएफडीसी ऋणों के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु गोल्ड श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्टता पुरस्कार" प्राप्त हुआ.
31.01.2020	बैंक को आजीविका पहल हेतु "बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सीएसआर अवाड्र्स -2020 में आईपीई अवार्ड प्राप्त हुआ.
07.02.2020	होटल ट्राइडेंट, नरीमन पॉइंट में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, एक्सपो एंड अवाड्र्स 2020 1. वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक - लार्ज बैंक - उप विजेता 2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वश्रेष्ठ भुगतान की पहलें- उप विजेता 3. प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सबसे अधिक ग्राहक केंद्रित बैंक - लार्ज बैंक - संयुक्त उप विजेता बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन तथा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार प्राप्त किया.
10.02.2020	बैंक को अपने ध्वनि आधारित भुगतान प्रणाली- 'टोनटैग' के लिए एफआईएनएनओवीआईटी 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया.

लाभांश वितरण नीति

कोविड-19 के कारण बढ़ी हुई अनिश्चितता के वातावरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचना आरबीआई/2019-20/218 डीओआर.बीपी.बीसी.नं.64 /21.02.067/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के द्वारा बैंकों को पूंजी संरक्षण, अपनी क्षमता बनाए रखने, अर्थव्यवस्था में सहयोग करने तथा नुकसान को वहन करने हेतु सूचित किया है. तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ में से लाभांश के भुगतान की घोषणा नहीं की है. यह नीति इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है तथा यह बैंक की वेब साइट के लिंक : https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/images/pdf/dividend-distribution-policy-of-the-bank-25-04-2019-17042020.pdf पर भी उपलब्ध है.

निदेशक मंडल (वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/उनके कार्यकाल की समाप्ति)

नियुक्तियां

श्री मुरली रामस्वामी को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम की धारा 9(3)(ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 से उनकी अधिवर्षिता की अवधि अर्थात् दिनांक 31.12.2020 तक, अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

प्रोफेसर बिजू वर्क्की को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) एवं 9(3-ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 से -1- वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

श्री संजीव चड्ढा को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम की धारा 9(3)(ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2020 से -3- वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया.

श्री अमित अग्रवाल को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2020 से सरकार मनोनीत निदेशक के रूप में अगले आदेश तक पद पर आसीन रहने हेतु नामित किया गया.

कार्यकाल समाप्ति

प्रोफेसर बिजू वक्कीं, अपने 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात दिनांक 25 अप्रैल, 2019 से गैर-कार्यपालक निदेशक नहीं रहे.

श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अपने 3 वर्षो का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात दिनांक 26 जुलाई, 2019 से सनदी लेखाकार श्रेणी के तहत नामित निदेशक नहीं रहे.

श्रीमती पापिया सेनगुप्ता, 30 सितंबर, 2019 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 से कार्यपालक निदेशक नहीं रहीं.

श्री देबाशीष पांडा , दिनांक 25 जनवरी, 2020 से सरकार मनोनीत निदेशक नहीं रहे और उनकी जगह श्री अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया.

श्री पी. एस. जयकुमार, अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात दिनांक 13 अक्टूबर, 2019 से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहीं रहे.

बोर्ड का मूल्यांकन

बैंक, पीएसबी गवर्नेंस सुधार – गैर-सरकारी निदेशकों की बेहतर प्रभावशीलता के माध्यम से गवर्नेंस में वृद्धि हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 30 अगस्त, 2018 का पालन कर रहा है.

कार्पोरेट गवर्नेंस पर लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची V के भाग 'ई' के अनुसरण में इस रिपोर्ट के साथ वर्ष 2019-20 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र संलग्न है.

व्यावसायिक दायित्व संबंधी रिपोर्ट

सेबी द्वारा यथा वांछित, व्यावसायिक दायित्व संबंधी रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.co.in) पर उपलब्ध है. यदि कोई सदस्य उसकी भौतिक प्रति चाहते हैं तो वे बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं.

निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशक गण, इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक लेखों को तैयार करते समय:

ए) तथ्यात्मक विसंगतियां, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है;

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियों का पालन किया गया तथा निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें विवेकपूर्ण, तर्कसंगत एवं न्यायोचित बनाया गया ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक की सत्य एवं वास्तविक स्थिति तथा उस अवधि हेतु बैंक के लाभ और हानि की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत हो सके;

सी) निदेशकों ने, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने तथा उनका पता लगाने हेतु बैंक के लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरुप लेखा-अभिलेखों के रखरखाव में समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

डी) निदेशकों ने, लेखों को उत्तरोत्तर प्रगति के आधार पर तैयार किया है; और

ई) निदेशकों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि बैंक द्वारा अपनाया जा रहा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी ढंग से परिचालित हो रहा है.

स्पष्टीकरण: इस खंड के उद्देश्यों के अनुरूप 'आंतरिक वित्तीय नियंत्रण' शब्दावली का अर्थ बैंक द्वारा अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनायी गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है. इसमें बैंक की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों को सुरक्षित रखना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें रोकना, लेखा रिकार्डों की शुद्धता और संपूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना शामिल है;

एफ़) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां बनाई थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से परिचालित हो रही हैं.

आभार

निदेशक मंडल पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री पी. एस. जयकुमार और अन्य पूर्व निदेशकों जैसे श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, श्रीमती पापिया सेनगुप्ता तथा श्री देवाशीष पांडा के योगदान की सराहना करता है.

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकारणों और विदेशी विनियामकों के प्रति उनके सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सम्मानपूर्वक अपना आभार प्रकट करता है. निदेशक मंडल अपने मूल्यवान ग्राहकों के प्रति बैंक के साथ उनके विश्वसनीय नियमित बैंकिंग संबंधों के लिए सम्मानपूर्वक अपना आभार प्रकट करता है. निदेशक मण्डल सभी शेयरधारकों, बैंक और वित्तीय संस्थाओं, रेटिंग एजेंसियों, स्टॉक एक्सचेंजों और भारत और विदेश स्थित अपने हितैषियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता एवं समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करता है.

निदेशक मंडल बैंक के कर्मचारियों के प्रति उनके कठिन परिश्रम और निष्ठापूर्ण समर्पण के लिए तहे - दिल उनकी प्रशंसा करता है.

कृते और निदेशक मंडल की ओर से,

संजीव चड्ढा

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Twelfth Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2020 (FY 2020).

Financial Performance

₹ crore

Particulars	31.03.19*	31.03.20
Deposits	6,38,689.7	9,45,984.4
of which- Domestic Deposits	5,17,966.6	8,08,705.5
International Deposits	1,20,723.2	1,37,278.9
Domestic Deposits	5,17,966.6	8,08,705.5
of which- Current Account Deposits	34,327.6	49,650.1
Savings Bank Deposits	1,74,076.2	2,66,301.3
CASA Deposits	2,08,403.8	3,15,951.4
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	40.2	39.1
Advances	4,68,818.7	6,90,120.7
of which- Domestic Advances	3,70,185.0	5,70,340.8
International Advances	98,633.8	1,19,780.0
Total Assets	**7,80,987.4**	**11,57,915.5**
Net Interest Income (NII)	**18,683.8**	**27,451.3**
Other Income	**6,294.5**	**10,317.3**
of which-Fee Income	3,576.1	4,951.0
Forex Income	693.2	1,016.1
Trading Gains	989.5	2,750.7
Recovery from PWO	832.0	1,531.8
Non-customer interest income	204.0	67.0
NII + Other Income	**24,774.7**	**37,768.6**
Operating Expenses	**11,288.0**	**18,077.2**
Operating Profit	**13,486.8**	**19,691.4**
Provisions	**12,788.7**	**21,493.5**
of which- Provisions for NPAs and Bad debts written off	12,192.40	16,404.9
Profit Before Tax	**698.2**	**-1,802.1**
Provision for Tax	**264.6**	**-2,348.3**
Net Profit	**433.5**	**546.2**
Appropriations/Transfers		
Statutory Reserve	108.4	145.9
Capital Reserve	210.4	822.2
Revenue and Other Reserves		
I) General Reserve	0	-560.3
II) Special Reserve u/s 36 (I) (viii) of the Income Tax Act 1961	182.1	180.0
III) Investment Reserve Account		-41.6
Proposed Dividend	0	0

*Figures are related to standalone Bank of Baroda financial results for pre- amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2020

₹ crore

Key Performance Indicators	31.03.19*	31.03.20
Average Cost of Funds (%)	4.83	5.11
Average Yield (%)	7.28	7.55
Average Interest Earning Assets	6,86,743.0	10,07,058.7
Average Interest Bearing Liabilities	6,48,495.6	9,49,179.9
Net Interest Margin (%)	2.72	2.72
Cost-Income Ratio (%)	45.56	47.86
Return on Average Assets (ROAA) (%)	0.06	0.06
Return on Equity (%)	1.18	1.23
Book Value per Share (₹)	138.42	96.22
Basic EPS (₹)	1.64	1.36

Total deposits of the Bank increased to ₹ 9,45,985 crore as on March 31, 2020. Advances increased to ₹ 6,90,121 crore led by international loans and domestic retail loans. The net interest margin (NIM) was stable at 2.72% in FY 2020. The Bank posted an operating profit of ₹ 19,691 crore. Total provisions (other than tax) and contingencies was ₹ 21,493 and provisions for NPAs were ₹ 16,405 crore. The Bank posted a net profit of ₹ 546 crore.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Ratios in %

	31.03. 19*	31.03.20
Capital Adequacy Ratio – Basel III	13.42	13.30
CET-I	10.38	9.44
Tier – I	11.55	10.71
Tier – II	1.87	2.59

The Capital Adequacy Ratio (CAR) and CET-1 of the Bank stood at 13.30% and 9.44% respectively as on March 31, 2020. The consolidated group capital adequacy ratio was 13.87%.

The Bank's net worth as of March 31, 2020 was ₹ 44,457 crore comprising of paid-up equity capital of ₹ 925 crore and reserves of ₹ 43,532 crore (excluding revaluation reserves, foreign currency translation reserves and other intangible assets). The book value of the share (FV ₹ 2) was ₹ 96.22 as on 31.03.2020.

Dividend

Reserve Bank of India (RBI) Vide notification RBI/2019-20/218 DOR.BP.BC.No.64/21.02.067/2019-20 dated April 17, 2020 has advised banks, due to heightened uncertainty caused by COVID-19, to conserve capital, retain their capacity, support the economy and absorb losses. Accordingly, Bank has not declared dividend pay outs from the profits pertaining to the financial year ended March 31, 2020.

Management Discussion and Analysis

Global Economy

Growth in the global economy slowed down to 2.9% in Calendar Year (CY) 2019 compared with 3.6% in CY 2018. With the ongoing COVID-19 pandemic, global GDP growth is expected to contract sharply by 4.5% in CY 2020 as per latest estimates by IMF. The sluggishness in GDP growth was driven by contraction in world trade volume from 3.8% in CY 2018 to 0.9% in CY 2019 as trade and tariff wars disrupted global value chains. This in turn impacted global manufacturing activity and investments. Apart from this, higher interest rates, Brexit and waning effects of US fiscal stimulus also contributed to the moderation in growth. Further, global commodity prices also fell by 10.2% in CY 2019 after increasing by 29.4% in CY 2018.

According to IMF, growth slowdown was more pronounced in Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) from 4.5% in CY 2018 to 3.7% in CY 2019 led by India and China. Advanced Economies (AEs) too slowed down to 1.7% versus 2.2% in CY 2019 led by Germany and US. In Germany, growth slowed down to 0.6% in CY 2019 from 1.5% in CY 2018 due to the disruptions in the auto industry resulting from new emission standards in the Euro Area.

Indian Economy

India's FY 2020 growth slipped to 4.2% from 6.1% in FY 2019, its lowest since FY 2009. The decline was led by investment demand at (-) 2.8% from an increase of 9.8%. Even consumption slipped to 5.3% in FY 2020 from 7.2% in FY 2019. Government spending maintained its momentum during the year. From a sectoral perspective, agriculture sector was the only one which stood out in the year and supported rural consumption and demand. Even this year, monsoon is expected to be normal which should support the rural economy.

Industrial activity was relatively subdued in FY 2020 and increased by only 0.9% compared with an increase of 4.6% in FY 2019. The dip in industrial activity was led by manufacturing sector which registered an increase of only 0.1% in FY 2020. Services activity was also muted and increased by 5.5% compared with an increase of 7.7% in FY 2019. Growth slipped in Q4 FY 2020 on the back of domestic and global disruptions on account of measures taken to restrict the spread of COVID-19.

While growth came off, CPI inflation edged up to 4.8% in FY 2020 from 3.4% in FY 2019. This was on account of higher food inflation. Food inflation build-up was visible in H2 FY 2020 at 10.9% compared with (-) 1.5% in H2 FY 2019. Unusual supply disruption due to weather and higher vegetable prices were responsible for increase in food inflation. Core inflation, however moderated to 4% in FY 2020 compared with 5.8% in FY 2019, especially on account of muted oil prices and slowdown in demand.

While this year is expected to be challenging due to disruptions caused by COVID-19, rural consumption may remain buoyant due to higher output and increase in Minimum Support Prices. Migration from urban to rural areas and higher government spending on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) imply rural demand will be higher in the year. The government along with RBI has announced a monetary and fiscal package of ₹ 21 lakh crore to mitigate the impact on the economy.

Developments in Indian Banking

Credit growth of Scheduled Commercial Banks (SCBs) declined to a multiyear low of 6.1% in FY 2020 from 13.2% in FY 2019. While retail loans continued to remain buoyant, growth in agriculture, MSME and corporate sector declined due to a fall in demand as seen in lower GDP growth. However, deposit growth continued to show traction at 7.9% YoY in FY 2020. Besides subdued credit growth, the banking sector saw some semblance of improvement in asset quality triggered by effective resolution of some accounts under IBC and improved capital position due to recapitalisation of Public Sector Banks (PSBs).

In view of relatively muted economic momentum, RBI reduced policy repo rate by 135bps between February 2019 and October 2019. It was followed by another 115bps rate cut in February and March 2020. In order to improve interest rate transmission to real economy, RBI introduced external benchmark system from October 1, 2019 for pricing of new retail loans which was extended to MSME loans on April 1, 2020.

Along with rate reduction, RBI announced significant measures to support the economy. First, it advised that banks may extend a three month moratorium to customers on account of impact of COVID-19. This was further extended by another three months. However, banks would have to provide additional provision of 10% on the accounts claiming benefit of standstill clause which otherwise would have been declared NPA. Second, it gave banks the flexibility to extend working capital loans to borrowers by increasing drawing power. Third, RBI provided credit lines to NABARD, SIDBI, NHB, EXIM Bank and SCBs to ensure there is enough transmission of liquidity to RRBs, mutual funds and HFCs/NBFCs. Fourth, it infused durable liquidity by way of long term repos, targeted

long term repos and Open Market Operations (OMOs.) As a result, liquidity surplus of SCBs increased to an average of ₹ 1.8 lakh crore in FY 2020 compared with a deficit of ₹ 1.2 lakh crore in FY 2019.

The cumulative impact of RBI's liquidity infusion in the banking system led to 65bps decline in median lending rates and 47bps decline in median term deposit rates. Long-end (10 year) sovereign bond yield fell sharply by 121bps in FY 2020.

Government of India too announced a series of reform measures for the banking sector. First, the number of PSBs has been reduced to 12 by way of merger of 10 PSBs into 4 large PSBs. Second, Government also recapitalised PSBs in FY 2020 with a total capital injection of ₹ 65,443 crore. Bank of Baroda too received capital of ₹ 7,000 crore. Third, corporate tax rate was reduced for all corporate entities including banks. Fourth, Government announced ₹ 21 lakh crore package for the economy which included a package of ₹ 3 lakh crore for onward lending to MSME sector.

Synergies derived from the three-way amalgamation

Erstwhile Vijaya Bank and Dena Bank amalgamated into Bank of Baroda with effect from April 1, 2019 and the amalgamated entity. i.e. Bank of Baroda has completed one year of unified operations. Over the past year, the Bank completed harmonisation of all products and processes based on the 'Best of Three' principle and created the optimum product suite for customers. Bank successfully integrated the payment systems of the erstwhile Dena Bank and Vijaya Bank with itself and the Bank continues on implementing initiatives to further harmonise and improve the functioning of the amalgamated entity.

Data integration / migration of the branches and all other applications made good progress. The Bank aims to complete data integration of all branches during FY 2021. With this, the Bank would have successfully completed the entire integration process of the erstwhile banks with Bank of Baroda.

The entire amalgamation exercise is 'customer centric'. Bank has taken extreme care to ensure minimum customer inconvenience. Constant customer communication ensured that no major customer grievances related to integration were reported.

Business Performance

The highlights of business performance of the Bank are as below:

Resource Mobilisation, Credit Expansion and Operating Performance

₹ in crore

Particulars	**31.03.19***	**31.03.20**
Deposits	**6,38,689.7**	**9,45,985.4**
of which- Domestic Deposits	5,17,966.6	8,08,705.5
International Deposits	1,20,723.2	1,37,278.9
Domestic Deposits	**5,17,966.6**	**8,08,705.5**
of which- Current Account Deposits	34,327.6	49,650.1
Savings Bank Deposits	1,74,076.2	2,66,301.3
CASA Deposits	2,08,403.8	3,15,952.4
Domestic CASA Deposits (%)	**40.2**	**39.1**
Advances	**4,68,818.7**	**6,90,120.73**
of which- Domestic Advances	3,70,185.0	5,70,340.8
International Advances	98,633.8	1,19,780.0
Total Assets	**7,80,987.4**	**11,57,915.5**

The Bank's absolute CASA deposits crossed the ₹ 3 lakh crore milestone and reached ₹ 3.16 lakh crore as of March 31, 2020. The Bank opened 94.70 lakh new CASA accounts during FY 2020 of which bulk of the eligible accounts were opened through TAB Banking. The Bank introduced a host of new products and implemented several new initiatives to improve its processes and strengthen the product proposition to meet the enhanced customer expectations.

New products introduced during FY 2020 include Baroda Platinum Savings account in the value segment, Baroda Government Bodies SB account - an exclusive product for government bodies, BSNL/MTNL savings account with inbuilt personal accident insurance cover of ₹ 40 lakh, foreign currency current account for SEZ and for project offices, escrow current account for corporates, real estate developers, and government bodies, "Startup India" and "Scale-Up India" current account schemes exclusively designed to meet the requirements of Startups and, Mahila Shakti- women's savings account with inbuilt complimentary personal accident insurance of ₹ 50,000/- for first year.

Some of the strategic initiatives taken by the Bank to increase CASA deposits include integration with Ministry of Corporate Affairs (MCA) for instant current account generation for new companies which are formed through the MCA portal, Memorandum of Understanding (MoU) with Indian Army for salary and pension accounts, and acquiring prestigious banking relationship with Mumbai Police for opening current accounts. The Bank also introduced current account opening through TAB for individual proprietorship concerns. The Bank promoted its health insurance linked SB product – BOB Sehat Suraksha and opened over 1.19 lakh accounts under this segment. To bring strong awareness of health insurance to the women, Bank bundled a complimentary health insurance in its Women Savings Account – BOB Mahila Shakti Account.

The Bank also conducted an extensive customer contact programme "Phir Ek Mulakat" to contact existing customers at their residence or work place to strengthen relationships and over 3.8 lakh customers were contacted under this programme. Bank opened accounts of over 1163 schools for implementation of the grants under the ATAL TINKERING LAB scheme by Government of India.

The Bank offers various depository services like account maintenance, dematerialisation, settlement of trades through market transfers, off-market transfers and inter-depository transfers, distribution of non-cash corporate actions and nomination/ transmission etc. During the year, Bank opened 55,300 demat accounts. The Bank is a depository participant of Central Depository Services Ltd (CDSL) as well as National Securities Depository limited (NSDL).

Credit Expansion:

During FY 2020, credit growth increased to ₹ 6,90,121 crore as on March 31, 2020 within which domestic advances of the Bank amounted to ₹ 5,70,341 crore. The increase in domestic advances was led by retail loans and agriculture loans. Retail loan increased to ₹ 1,20,657 crore led by home and auto loans at ₹ 83,012 crore and ₹ 16,490 crore respectively. With this, the ratio of retail loans to total domestic loans increased to 19.8% during the year. The international loan book grew by 21.4% to ₹ 1,19,731 crore as on March 31, 2020.

The total assets of the Bank increased to ₹ 11,57,915 crore as on March 31, 2020.

Operating Performance:

The highlights of operating performance of the Bank are as below: ₹ crore

Particulars	**31.03.19***	**31.03.20**
Interest Earned	49,770.0	75,983.7
Interest Expended	31,290.3	48,532.4
Net Interest Income (NII)	**18,479.7**	**27,451.3**
Other Income	6,294.5	10,317.3
of which- Fee Income	3,576.1	4,951.0
Forex Income	693.2	1,016.1
Trading Gains	989.5	2,750.7
Recovery from PWO	832.0	1,531.8
Non-customer interest income	204.0	67.0
Operating Income (NII + Other Income)	**24,774.2**	**37,768.6**
Operating Expenses	11,287.9	18,077.2
Employee Expenses	**5,039.1**	**8,769.5**
Other Operating Expenses	6,248.9	9,307.7
Operating Profit	**13,486.8**	**19,691.4**
Provisions	12,788.7	21,493.5
of which-Provisions for NPAs and Bad debts written off	12,192.4	16,404.9
Provision for Standard Advances	(35.5)	3,085.0
Provision for Depreciation on Investment	138.5	987.0
Other Provisions	493.3	(1,332.0)
Profit Before Tax	**698.2**	**(1,802.1)**
Provision for Tax	264.6	(2,348.3)
Net Profit	433.5	546.2

Key Performance Indicators	**31.03.19***	**31.03.20**
Cost of Deposits - Global (%)	4.68	4.98
Cost of Deposits - Domestic (%)	5.33	5.39
Cost of Deposits - International (%)	1.89	2.03
Yield on Advances – Global (%)	7.65	7.99
Yield on Advances (Domestic) (%)	8.67	8.82
Yield on Advances (International) (%)	4.12	3.77
Net Interest Margin – Global (%)	2.72	2.72
Net Interest Margin – Domestic (%)	2.93	2.84
Net Interest Margin – International (%)	1.71	1.34
Cost-Income Ratio (%)	45.56	47.86
Return on Average Assets (ROAA) (%)	0.06	0.06
Return on Equity (%)	1.18	1.23

The interest income of the Bank increased to ₹ 75,984 crore during FY 2020. The global yield on advances increased to 7.99% from 7.65% and yield on domestic advances rose to 8.82% from 8.67%.

Total interest expenses stood at ₹ 48,532 crore in FY 2020. The domestic cost of deposits stood at 5.39%.The cost of deposits in the international book increased from 1.89% to 2.03%. Net Interest Income (NII) for the Bank increased to a level of ₹ 27,451 crore during FY 2020. Global NIM has remained constant at 2.72%.

Other income of the Bank increased to ₹ 10,317 crore on account of increase in treasury gains to ₹ 2,751 crore. Recovery from written-off accounts was higher at ₹ 1,532 crore.

Operating expenses increased to ₹ 18,077 crore in FY 2020. Employee cost during the year was ₹ 8,770 crore whereas other operating expenses were ₹ 9,308 crore. As a result, operating profit of the Bank increased to ₹ 19,691 crore during FY 2020. Total provisions (other than tax) and contingencies increased to ₹ 21,493 crore as provisions for NPAs increased to ₹ 16,405 crore in FY 2020. The Bank posted a net profit of ₹ 546 crore in FY 2020.

Corporate Credit

Corporate credit in the Bank is serviced through 14 Corporate Financial Services (CFS) branches which manage about 77% of the total corporate credit portfolio of the Bank. The corporate credit portfolio of the Bank increased to ₹ 2,91,543 crore as on March 31, 2020.

With revamp in approach towards corporate credit delivery, the risk profile of the portfolio further improved during FY 2020 as observed in the rating distribution of domestic credit portfolio as below:

Credit Rating Distribution**	**31.03.19***	**31.03.20**
A and above	60%	61%
BBB	14%	19%
Below BBB	16%	15%
Unrated	10%	5%

**External rating distribution of advances above ₹ 5 crore.

Total portfolio comprising of investment grade (BBB and above) in FY 2020 was 80% as against 74% in the previous year. Exposure to high rated accounts has helped to reduce capital charge and enhanced capital efficiency.

With a view to ensure enhanced customer experience, Bank has a bouquet of products and services as under:

- Supply chain finance including vendor financing, dealer financing and receivable financing.
- Baroda Diginext i.e. Cash Management Services (CMS) consisting of receivables and payables management services through efficient collection and integrated payment systems.
- "Usance Payable at Sight" (UPAS) LC - a product introduced as an alternate to buyer's credit leading to augmented growth in fee based income.
- In-house Project Finance Division for carrying out techno-economic viability to reduce dependence on external consultants, improving the turnaround time (TAT) and contributing to the Bank's bottom line.

During the year under review, the corporate credit portfolio reaped the benefits of the amalgamation as under:

- Corporate vertical accounts have already been migrated to a common IT platform (Finacle 10). This has enabled automation in processing, reporting and monitoring. As a result, all corporate borrowers of the amalgamated entity have access to new products and services like supply chain finance, value chain finance, cash management services etc.
- An extensive exercise was undertaken to develop a common policy for all clients wherein the most beneficial and rational terms and policy guidelines of all three banks were incorporated. This led to simplification in assessment thus reducing time taken for decision making.
- In addition to the above, rationalisation of pricing was done to provide competitive rates to borrowers. This led to improved utilisation and availment of products and services.
- All large corporate accounts are serviced through specialised corporate credit branches which has resulted in standardisation of services, improved risk management and quick decision making.

Target Market approach: FY 2021

The Bank proposes to set up four Integrated CFS (ICFS) branches across the country during FY 2021 for quick processing of corporate proposals. The Bank follows a target market approach which has the following features:

- Identification of industries / sectors for growth based on industry outlook i.e. the combined output of various industry parameters including market size, growth, demand-supply outlook, cost structure, competition, financial performance, government policies and investment outlay.
- Sector-wise business plan for target market lending, based on exposure caps, existing exposures and further appetite for fresh acquisitions for the current financial year.
- Precise account planning with structured calling plans for meetings, identifying business opportunities, approval and closure.
- Execution of the business plan under target market approach through dedicated relationship managers across the Bank.
- The Bank focuses on overall yield from the customer rather than interest income by offering ancillary services like supply chain finance, value chain finance, CMS facility and other retail products.

MSME Credit

The MSME portfolio as on March 31, 2020 stands at ₹ 87,328 crore. The Bank added 94,775 new MSME customers to its base in FY 2020. To provide access to working capital to MSMEs at competitive rates on Trade Receivables electronic Discount System (TReDS), the Bank on-boarded itself on all the three TReDS platforms. As on March 31, 2020, the TReDS business accounted for ₹ 385 crore. The Supply Chain business, which aims at addressing the working capital requirement and liquidity support to the MSMEs, has an outstanding book of ₹ 721 crore as on March 31, 2020. It is backed by a fully digitised supply chain financing product and has provided a new vehicle for sourcing of MSME customers, specifically vendors and suppliers of anchor corporates.

The Bank serves the MSME sector through 37 dedicated SME processing cells named 'SME loan factories' and a wide network of branches servicing the MSME segment with a target market approach. Upon amalgamation, products and processes of the three entities have been harmonised to reach out to existing and new customers.

Supporting the Government's efforts under MUDRA scheme on employment generation, the Bank disbursed ₹ 10,303 crore to the sector, thereby achieving the targets set for FY 2020. The Bank also extended credit of ₹ 2,194 crore to SC, ST and women entrepreneurs under the Stand-Up India programme since the launch of the scheme. The Bank devised a product "Baroda Tankerz Scheme" for financing LPG tankers to SC/ ST borrowers under Stand-Up India scheme and was ranked first amongst PSBs during FY 2020. Under support of the Government's initiative to augment MSME units by speedy sanction of MSME loans through the 'PSBloansin59minutes' portal, the Bank was ranked first amongst all PSBs in terms of in-principle sanction/ final sanction/ disbursement, as on March 31, 2020.

The Bank entered into a MoU with Government of Gujarat for hassle free finance to MSME borrowers and to be the preferred Bank under the Government of Gujarat's portal for the new entrepreneurs in the identified industrial area.

The Bank also opened 15 startup branches across India to cater to the needs of new entrepreneurs under "Make in India" initiatives by Government of India.

In addition, the Bank has 11 area specific schemes for

financing SME units. The Bank has been serving its MSME clientele through 30 different products, denoting the thrust of the Bank on this segment. The Bank has also adopted a new pricing strategy named CIBIL MSME Rank (CMR) based pricing for MSME enterprises with credit exposure above ₹ 25 lakh and up to ₹ 5 crore, which enables MSME businesses to access finance at competitive rates. To reach out to newer business segments and to deliver the benefit of lower interest rates in comparison to NBFCs, the Bank has entered into co-origination partnership with different NBFCs.

The Bank commissioned a dedicated team for financing commercial vehicles, and construction and mining equipment for the MSME segment. For this purpose, Bank entered into a strategic alliance with Tata Motor Finance Ltd. and SREI for capturing new business in the commercial vehicles segment. Further, the Bank on-boarded clients under a new scheme 'Value Chain Finance' which is specifically designed to address the working capital requirements of such MSME customers who are dealing with anchors having maximum turnover of up to ₹ 2,000 crore.

To ensure better reach to MSME market segments, the Bank established a separate specialised team dedicated to sales and loan processing, deployed at SME loan factories. The Bank participated in "Customer Outreach Initiatives" during FY 2020, by organising camps at 27 districts in 2 phases of the campaign. The Bank is also participating in MSME schemes such as 'One District One Product' promoted by the Uttar Pradesh Government. Government Schemes Processing Cells (GSPC) have been set up across India to enable seamless processing of Pradhan Mantri Mudra Yojana, Stand-Up India, Pradhan Mantri Employment Generation Programme, National Urban Livelihoods Mission and State-specific government sponsored schemes.

Retail Credit

The retail portfolio of the Bank increased to ₹ 1,20,657 crore as on March 31, 2020. The share of retail loans increased to 19.8% as of March 31, 2019 of domestic advances as against 18.3% as on March 31, 2019. This was possible as the Bank constantly strives to provide seamless credit delivery to customers in a hassle free manner

The Bank achieved 99.47% of the disbursement target given by Ministry of Finance for education loans. Although education loan market contracted by (-) 3.30%, the Bank registered a growth of 16.13% on YoY basis. The Bank was also adjudged as Best Buy for customer in education loans by Consumer Voice, which is an organisation supported by Ministry of Consumer Affairs under 'Jago Grahak Jago' campaign. The Bank also continued to gain market share in vehicle loan business.

With the first ever three way amalgamation of PSU banks in the country, 'best of three' approach was followed in products and processes. This led to availability of various new products such as Suvidha Personal Loans, special takeover schemes and pre-approved loans to customers of all three banks. Further, operating units were provided access to Loan Management System in FY 2020, which led to standardisation of loan appraisal process and improvement in TAT.

The key initiatives taken by retail business in FY 2020 include:

- Opening of -14- new Specialised Mortgage Stores (SMS) and relocation of -10- SMS across geography to deliver specialised and faster credit delivery thereby taking the total number of SMS to 99 as on March 31, 2020.
- Offering of fully digitised pre-approved loans (personal loans/ car loans) through TAB banking.
- Rationalisation of pricing through linkage with external benchmark (Repo rate) in all retail lending products. This enabled instant transmission of policy rates to the customers.
- Achievement of 50% YoY growth in credit insurance attachment ratio thereby securing the portfolio as well as family members of borrowers from life uncertainties.
- Focused approach on empanelment of digital Direct Selling Agents.

Rural and Agricultural Lending

The Bank has a network of 2,934 branches in rural and 2,525 branches in semi urban areas which are leveraged for priority sector and agriculture lending. The Bank's agriculture advances grew to ₹ 87,921 crore as on March 31, 2020.

The Bank is the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in 3 states i.e. Uttar Pradesh, Gujarat and Rajasthan and Union Territory Level Bankers' Committee (UTLBC) in 1 Union Territory i.e. New Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Bank also shoulders the Lead Bank responsibility in 67 districts across the country.

The Bank continues to be the leader in lending to agriculture sector which received an impetus with the Government's vision of doubling farmers' income by 2022. The Bank has moved beyond granting simple farm credit to a more diversified rural lending strategy by focusing on new products like farm mechanisation, horticulture loans, warehouse receipt financing, financing to Self Help Groups (SHGs) , food and agro-processing and adopting a community based lending model for the small farmers across rural customer segments.

During the year, the Bank issued 3.76 lakh new Kisan Credit Cards. Baroda Kisan RuPay Card, an ATM enabled smart card, was issued to 18.11 lakh farmers.

As a part of its microfinance initiatives, the Bank has credit linked 56,367 SHGs by granting loans amounting to ₹ 1093 crore.

Centralised Processing Centres (CPC) for processing of agriculture loans have started functioning at Gandhinagar and Hyderabad.

Baroda Kisan, a unique initiative by the Bank was launched on September 21, 2019. This digital platform in partnership with strategic players aims to become a one-stop solution to cater to all major needs of a farmer ranging from notifications, weather forecast information, crop health, soil moisture, pest infection information, mandi prices, crop specific advisory, purchasing inputs (seeds, fertilisers, pesticides), equipment renting advisory services and innovative financing options for sale of agriculture produce.

In order to extend customer outreach, Baroda Kisan Pakhwada, a fortnight-long farmer outreach programme was organised across the country from October 1, 2019 to October 15, 2019 and culminated with the celebration of Baroda Kisan Divas on October 16, 2019. During this fortnight, more than 6 lakh farmers were engaged with the Bank in active participation in various activities and loans amounting to ₹ 2,229 crore were disbursed in 1,39,893 accounts.

The details of events organised and farmers connected during Baroda Kisan Pakhwada in FY 2020 are as given below::

S N	Particulars	Count
1	No. of Choupals organised	13,385
2	No. of participants in Choupals	3,56,056
3	No. of Kisan Melas (Credit Camps)/ Mega Kisan Mela	1,079
4	No. of Health Camps (Soil / Animal / Farmer)	745
5	Farmer Meetings (Other than Choupals)	6,135
6	Farmers Appreciated	28,311
7	Total Farmers Connected	6,11,779

Limca Book of Records has recognised the initiative of connecting with the farmers through Baroda Kisan Pakhwada as 'being the largest farmer engagement programme by a Bank in the country'.

Priority Sector Lending

Priority sector advances of the Bank stood at ₹ 2,26,336 crore as of March 31, 2020. The Bank achieved the mandatory targets under "Small and Marginal Farmers and weaker section advances" segments as on March 31, 2020.

Advances to SC/ST Communities

The outstanding advances to SC/ST communities went up to ₹ 11,106 crore as of March 31, 2020. The SC/ST communities accounted for 17.06% share in total advances granted to weaker sections by the Bank.

Furthermore, special thrust is laid by the Bank in financing SC/ST communities under various government sponsored schemes such as National Rural Livelihood Mission (NRLM), MUDRA Loan, Startup India and Stand-Up India. Bank is exploring possibilities of entering into tie-ups with various State Rural Livelihood Missions (SRLMs) for providing finance to women SHGs to further the mission of women empowerment.

Financial Inclusion (FI)

In order to provide banking services to all sections of the society especially to rural, semi urban and urban poor at an affordable cost, Bank has taken financial inclusion as a social commitment and also an opportunity to tap business through Business Correspondent (BC) model. The Bank has been actively working towards ensuring financial inclusion in the country through its branch and BC network. With the advent of technology, innovative steps are being taken for serving in unbanked areas. The Bank deployed more than 18,000 BCs to cater to rural, semi urban and urban areas across the country.

The Bank took the following initiatives towards promoting financial inclusion:

- Micro insurance enrolment through various channels such as missed call / net banking / mobile banking/ SMS/ BC / branch.
- MoU with Women's World Banking, USA to increase usage of PMJDY accounts by women customers and launch of Baroda Jan Dhan Plus scheme for greater engagement with urban PMJDY women customers to inculcate saving habits.
- Availability of various services such as printing of passbook, issuing of digital life certificate (JeevanPramaan), payments through Bharat Bill Payment System (BBPS), initiation of request for cheque book, cheque status enquiry, stop payment of cheque, initiation of request for RuPay debit card at BC point

Performance highlights under financial inclusion during FY 2020

- Basic Saving Bank Deposit (BSBD) accounts increased by 41.20 lakh and deposits increased by ₹ 3,758 crore.
- PMJDY accounts increased to 410.62 lakh and PMJDY deposits increased to ₹ 14,294 crore.
- The Bank's market share as on March 31, 2020 improved to 13.45% for number of PMJDY accounts and 14.75% for deposits under PMJDY accounts.
- The share of zero balance PMJDY accounts of the Bank were brought down to 7.88% as on March 31, 2020.
- Cumulative enrolment in micro insurance was 212.69 lakh an increase of 44.40 lakh over last year.
- Fresh enrolment under PMJJBY for the year was 7.80 lakh and under PMSBY was 31.49 lakh.
- Bank surpassed the annual target of 5.62 lakh Atal Pension Yojana (APY) accounts by opening 5.74 lakh accounts during the year.

During the year, 998 Aadhar enrolment centres were set up as against an identified number of 935 centres. The Bank achieved the target as per UIDAI guidelines for minimum enrolment/ updation per day per branch throughout the year.

Performance of RRBs sponsored by Bank of Baroda

The Bank has sponsored three Regional Rural Banks (RRBs) viz. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank and Baroda Gujarat Gramin Bank. The aggregate business of these three RRBs rose to ₹ 76,278 crore as of March 31, 2020. The three RRBs together posted a net profit of ₹ 166 crore during FY 2020. The net worth of these RRBs put together improved to ₹ 3,038 crore as of March 31, 2020.

In terms of Government of India notification no. F. No. 7/8/2017-RRB (Gujarat) dated February 22, 2019, amalgamation of Baroda Gujarat Gramin Bank and Dena Gujarat Gramin Bank has been made effective on April 1, 2019 and new entity namely Baroda Gujarat Gramin Bank as transferee bank started functioning.

International Operations

The Bank has 101 overseas branches/ offices across 21 countries comprising of 35 overseas branches, 1 Mobile Unit and 9 Electronic Banking Service Units in 13 countries, 55 branches of the Bank's eight overseas subsidiaries and one International Banking Unit in GIFT City (SEZ), Gandhinagar, Gujarat, India which deals exclusively in foreign currency. In addition, the Bank has one joint venture viz. India International Bank (Malaysia) Bhd. in Malaysia and one associate bank viz. Indo Zambia Bank Ltd. in Zambia with 30 branches. During the year, Bank's wholly owned subsidiary at Botswana viz. Bank of Baroda (Botswana) Ltd. opened one new branch at Palapye.

The Bank has presence in the world's major financial centres viz. New York, London, Singapore, Brussels and Dubai. In the international arena, the Bank pursues a strategy of driving growth and value by meeting the international banking requirements of Indian corporates; catering to India linked cross-border trade flows for Indian and locally incorporated companies or firms and being the preferred Bank for NRIs/ Persons of Indian Origin. The Bank is continuously consolidating and re-organising its international operations in-line with the new global environment and is focused on rebalancing the portfolio with a view to manage risks, shed low-yield assets and increase profitability.

Since FY 2018, the Bank has strategically undertaken rationalisation of its overseas presence based on a comprehensive evaluation framework. This is also in consonance with the Government of India directives in this regard. The Bank decided to close its branches at China and South Africa, and divest its entire investment in the Subsidiaries at Trinidad and Tobago. Bank has also proposed to close its branch at Hong Kong and subsequently, set up a representative office

As of March 31, 2020, the Bank's total business from international branches was ₹ 2,57,010 crore and constituted 15.71% of the overall business. Total deposits were at ₹ 1,37,279 crore while net advances were ₹ 1,19,731 crore.

Treasury Operations

The Bank operates its treasury operations from a state-of-the-art dealing room at its corporate office in Mumbai. The treasury is a prominent player in various markets e.g. foreign exchange, interest rates, fixed income, money market, derivative, equity, currency and interest rate futures and other alternate asset classes. The Bank offers various services like interest rate swaps, currency swaps, currency options and forward contracts through authorised branches dealing in foreign exchange across India.

The treasury is responsible for managing the funds position of the Bank and ensuring safety, liquidity and optimal yield on these funds. It maintains Statutory Reserve Requirements and invests in corporate bonds, commercial papers, equity, venture capital, mutual funds, etc. as a part of the fund management operations.

The total size of the Bank's domestic investment book as of March 31, 2020 stood at ₹ 2,65,016 crore. The share of Statutory Liquidity Ratio (SLR) securities in total investments was 83.46%. The percentage of SLR securities (unencumbered) to NDTL at March 31, 2020 was at 22.58%.

The Bank demonstrated its capabilities in effectively dealing with extreme adverse circumstances in the market. The Bank has been able to capitalise on the opportunities offered by yield movements. The Bank managed its portfolio efficiently and maintained average yields on investment for FY 2020 at 8.43% (including profit on sale). During FY 2020, the profit on sale of investment and foreign exchange earnings were ₹ 2,751 crore and ₹ 746 crore respectively.

Various contingency measures were undertaken to ensure uninterrupted business operations during the lockdown period caused by the pandemic. In addition to a Business Continuity Plan (BCP) setup of treasury at one location and additional two temporary, alternate sites in Mumbai, an alternate setup was also prepared in Gujarat to counter total shutdown in Mumbai. Remote access was enabled for staff, thus covering all functions of front and back office of treasury function. Hence, the entire treasury operations was run successfully and efficiently with these setups.

Government Business

Government business has huge potential to act as an effective vehicle for business growth and contribute significantly to CASA and fee based income.

The Bank is authorised to collect direct taxes through its designated branches and is an accredited banker to the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Legal Affairs. Bank deployed relationship managers for government business in different states to provide much required thrust to obtain greater share in state government business and for good liaisoning with different departments in the state government for prompt delivery of services and products. Bank was appointed as Sponsor Bank for PM KiSaN of Madhya Pradesh Government.

The Bank is partnering with various departments at the central and state levels in developing e-solutions in line with the digital initiatives of the Government of India, leading to transparency and efficiency. MoUs with Ministry of Tourism, Sports Authority of India, Ministry of Shipping - Haldia Dock Complex, Noida Authority, Razorpay, and Indian Army for salary and pension accounts were signed to enhance fresh business opportunities.

In addition to the Deendyal Upadhyay Kandla Port, the Bank also signed MoU of Port Community System (PCS) with the ports at Haldia, Paradeep and Vishakhapatnam.

The Bank received recognition by National Saving Institute of Government of India for good work in Public Provident Fund (PPF), Sukanya Samriddhi Yojna (SSA) and Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) and by Pension Fund Regulatory Development Authority for the achievement of the targets under APY and NPS.

Wealth Management

Wealth management services remain an area of focus for the Bank and provide investment and insurance services to customers. With the amalgamation, customers of erstwhile Dena Bank and Vijaya Bank were also able to benefit from

the value added services and products offered by the Bank through its corporate partners. The Bank strives to be a one-stop shop for all financial needs of its customers. The Bank's flagship programme, 'Baroda Radiance' continues to cater to the requirements of High Net worth Individuals through a dedicated structure of relationship managers. The Bank aims at providing best-in-class solutions and services to its customers and is developing digital solutions to do so. Some of the initiatives taken during the year are:

1) Fresh recruitment of a specialised team of wealth executives during the year to render investment and insurance services to the customers outside the 'Radiance' programme.
2) Development and refining of the Bank's digital platform i.e. Baroda Wealth Solutions to enable seamless online boarding / distribution of investment and insurance products for customers.
3) Issuance of 97,096 life insurance policies.
4) Provision of health Insurance products to 3.26 lakh customers.
5) Offering 'Group Credit Life' and 'Group Criti Care' to the retail borrowers, covering the credit risk in case of any eventuality (life or critical illness).

Stressed Asset Management

With an increase in non-performing loans over the years, the Bank revamped its strategy to augment recoveries and reduce slippages. For this, the Bank created a 'Stressed Assets Management Vertical', where all major and medium sized NPA accounts are handled by specialised units called Stressed Assets Recovery Branches (SARB) set up at zonal and regional level. These specialised branches are under direct control of the corporate office. The movement of NPAs during the last two years is as under:

(₹ crore)

Particulars	**31.03.19***	**31.03.20**
Gross NPA	48,233	69,381
Gross NPA (%)	9.61	9.40
Net NPA	15,609	21,577
Net NPA (%)	3.33	3.13
Additions to NPAs	13,614	23,315
Recovery/ Upgradations	8,759	7,972
Write offs including TWOs	13,102	15,806
Recoveries in written off accounts	832	1,532
Provision Coverage Ratio (including TWO) (%)	78.68	81.33
Provision Coverage Ratio (excluding TWO) (%)	67.64	68.90

As per asset classification, the bifurcation of loan book is as given below:

Asset Category	**31.03.19***	**31.03.20**
Standard advances	4,53,473	6,68,715
Gross NPA	48,233	69,381
Total Gross Advances	5,01,706	7,38,096
Gross NPAs comprising		
Sub-standard	9,014	14,311
Doubtful	32,398	37,005
Loss	6,821	18,065
Total Gross NPA	48,233	69,381

In order to address the large number of small NPA accounts, sector wise special OTS schemes were launched by the Bank. For MSME sector, the Bank launched special OTS scheme "MSME OTS Scheme" to provide opportunity for repayment of dues. For farmers in distress, a special OTS scheme was launched during FY 2020. The Bank continued with its earlier OTS scheme Lakshya II (Lakshya Agriculture, Retail and MSME). The Bank has made recoveries and upgraded NPA accounts amounting to Rs.1,296 crore under these schemes. An application called 'One Time Settlement Tracking System' was implemented wherein customers could initiate settlement proceedings online. The Bank also set up a legal war-room for real-time tracking of recovery proceedings and to aid accelerated decision making wherein high value suit-filed accounts are monitored.

The Bank set up a solution provider cell to augment recoveries to ensure minimal slippages and to provide resolution strategies for large NPA accounts i.e. exposure above ₹ 30 crores. For timely collections from retail and SME customers, a - 500 - member call centre with multilingual support was set up and supported by feet-on-street staff to drive on-ground collections. A special taskforce of about 2,300 officials of the Bank was deployed for recovery of small NPA and potential NPA accounts. Additionally, BCs are incentivised for collections in crop loans.

The Bank strengthened its NPA management with daily dashboards like Days Past Due (DPD) Report, NPA movement chart and mock runs for forecasting degradations to ensure reduction in slippages and improvement in collections. Further, the Bank is in the process of developing a mobile application which would enable the collection agents on the field to collect the amount based on data fed in the system and also update recovery details.

In addition, the Bank put in place the following measures on an ongoing basis to facilitate recovery of non-performing assets:

- Assigning nodal officers at each DRT for follow-up of legal cases on a daily basis so as to minimise the delay in obtaining decrees and execution and to maximise the recoveries.
- Taking assistance from advocates/consultants to liaise with Official Liquidators (OL) to get the recoveries in actual realisation of amounts by OLs.

- Liaising with Official Liquidators, organising recovery camps across branches, close monitoring of stressed accounts and recovery agents at all levels and monthly e-auctioning, especially in DRT suit filed NPA accounts.
- Improved use of online OTS platform to reduce TAT in OTS sanctions.
- Entered into tie-up with Magic Bricks for listing of properties in Bank's physical possession under SARFAESI Act.
- Empanelled real estate brokers for finding buyers for sale of properties in Bank's possession.
- The Bank proposes to set up five new Stressed Assets Management branches (SAM) exclusively for NCLT and high value NPA accounts.

Digital Transformation

The Bank is committed to digitisation and continuously strives to migrate transactions to digital channels which leads to better customer experience. The major focus of digital banking is to make Bank's products available to customers through digital and alternate delivery channels such as BHIM Baroda Pay, Baroda M-connect Plus, Baroda Connect, debit card, BHIM Aadhaar, Multi-Function Kiosk, Self Service Passbook Printers, TAB Banking, Internet Payment Gateway (IPG), BBPS, etc.

Bank has taken up responsibility of leading the initiative on "Promotion of Digital Transactions including Digital Payments" and is working on various strategies to create an ecosystem to enable digital journeys for customers. The Bank is working on strengthening of digital payment infrastructure and creating awareness through promotions of digital payments to achieve Government's vision of making citizens of the country digitally empowered.

The Digital India programme is a flagship programme of the Government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. "Faceless, Paperless, Cashless" is one of professed role of Digital India.

With an increased number of customers looking to transition to digital modes of payment, the Bank seeks to handhold and guide them through this journey. Several initiatives were undertaken to promote digital payments and achieve the targets in a mission mode. They are outlined as below:

- **Mobile Banking:** The Bank added a number of services such as FASTag recharge, updation of email ID, linking and fund transfer to SSA, insurance and investments (PMJJBY/PMSBY/APY), access to Baroda Wealth, reset of internet banking password, extension of Baroda Kisan through mobile, application for export credit and locker facility. On an overall basis, 44 new features and services were added during the year.
- **Internet Payment Gateway:** A new IPG infrastructure was set up to provide an electronic payment platform, Baroda e-Gateway for e-commerce business by enabling payment collection using credit card/ debit card and net banking through 18 aggregators/master merchants. Post amalgamation, 304 merchants from erstwhile Dena and Vijaya Bank were on-boarded on the Bank's payment gateway in June 2019. Bank achieved growth of 110% in Merchant on-boarding and transaction growth of 274% in FY 2020.
- **Debit cards:** The Bank has an active card base of 5.40 crore as on 31.03.2020. To increase e-commerce / POS transactions and to make Bank's debit card as the preferred card of choice for the customer, the Bank tied up with various merchants for providing lucrative offers to debit card customers. The Bank has also enabled RuPay debit cards for use in Bhutan for its RuPay debit card holders.
- **Bharat Bill Payment System (BBPS):** Bank provides BBPS services in mobile banking, BHIM UPI, BHIM Baroda Pay UPI app, net banking, BC points and UMANG application through net banking. With the integration of BBPS with BC points in September 2019, customers can avail the BBPS bill payment services at BC points as well. The Bank on-boarded Baroda FASTag as a biller to BOB BBPS systems in March 2020 and enabled newly introduced categories in front-end channels. Bank has achieved 30.55% transaction growth in BBPS – Customer Operating Unit (COU) and 60.22% in Biller Operating Unit (BOU).
- **Baroda FASTag (National E Toll Collection - NETC):** The Bank acts as a tag issuer for the FASTag initiative by National Highway Authority of India (NHAI). This enables the customers hassle free toll payment service. The tag can be easily recharged through various payment channels such as debit cards, credit cards, net banking or UPI app. Bank launched various campaigns during FY 2020 to increase the FasTag sales, which resulted in good growth numbers in issuances as well as transactions.
- **ATM banking:** User-friendly graphic screens and easy to follow instructions in a language of customer's choice makes ATM Banking a smooth experience. ATMs are enriched with features such as green pin generation, NEFT, bill payment etc. The Bank successfully migrated all scheduled ATMs of erstwhile Dena and Vijaya Bank to Bank of Baroda switch. Bank has 13,193 ATMs, including cash recyclers as on March 31, 2020.
- **Self Service Pass Book Printer (SSPBP):** A fully automated machine having the ability to auto flip, auto align and update the customer passbook without any manual intervention makes printing of passbooks convenient for all strata of customers. The Bank has 4,012 SSPBPs. The Bank enabled QR code based SSPBPs at four locations and is the first in the industry to implement QR code based fully automatic machines.
- **TabiT:** The Bank embarked upon digitising its current account customer onboarding process through tablet for instant account opening through Baroda TabiT. This facility is available for sole proprietorship and individual current account and the process for partnership account is underway. Bank has also digitised the process of on-boarding UPI merchants as part of current account

(Individual and sole proprietorship) opening through Baroda TabiT.

- **Record digitisation:** Digitisation of records is an ambitious project of the Bank under which around 25 crore documents covering more than -3,500- branches were scanned. As a result, around 2 lakh sq.ft of space was unlocked in the identified branches of the Bank. After successful implementation of the records digitisation in the Bank's identified branches and offices, it is being implemented in identified branches and offices of eDena and eVijaya Bank.

Analytics Centre of Excellence (ACoE)

Analytics Centre of Excellence (ACoE) built a petabyte scale Big Data Lake (BDL) platform which can process large volumes of structured and unstructured data. Leveraging the BDL, the Bank developed several predictive and machine learning based analytics models and self-service decision dashboards helping the Bank increase revenue, reduce cost and improve risk profile. This big data lake has a cutting edge architecture allowing it to seamlessly scale horizontally and vertically.

Analytics and machine learning has been at the core of the Bank's revenue programmes over the last two years. The Bank's cross-sell and up-sell opportunities in retail banking, MSME and wealth management segments are driven by over 15 machine learning and predictive models. One of the key tenets of the ACoE programme was driving the culture of data driven decision making – self-service campaign tracking dashboards provide near real time updates on different campaigns. This helps the Bank to effectively cross-sell its products and services.

To support the collection department in prioritising its collection effort, the Bank has built five predictive collection models indicating the high risk cases. These models augment the Bank's collection efforts bringing down overall collection cost and lowering slippages. Self-service dashboards for NPA and delinquency have been enabled for all branches to ensure management of delinquent customers across the board.

A number of risk related statistical models have been deployed for better prediction of expected credit loss. The models allow for more accurate provisioning. The machine learning based models for predicting core deposit balances allow the Bank to improve asset liability management. Over 60 Early Warning Signals (EWS) have been built through aggregation of internal and external data and the focus is on improving the Bank's ability to ensure AML triggers, detect fraud and drive regulatory compliance.

Information Technology (IT)

The Bank is constantly evolving its products, systems and structure to meet the growing aspirations of the customers. Digitisation requires continuous upgradation of the IT infrastructure. Some of the measures taken in the year are:

Extension of TAB based products to:

- Pre-Approved personal loan and auto loan . Pre-approved loan offers are sent to eligible customers through SMS. Interested customers can walk into a branch to avail the loans.
- Current accounts which offer an end-to-end digitised, simplified on-boarding journey for customers to open individual, sole-proprietor and non-individual current account.
- FASTag issuance for new and existing customers. If customer is New to Bank (NTB) the KYC details will be captured first.

Bank also rolled out a debit card with EMI feature. This product is designed and developed to offer instant pre-approved personal loans to eligible customers at Point of Sale in the form of EMIs. Bank has also initiated an exercise of instant current account opening of online requests received from MCA under SPICe (Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically) process. Bank has also tied up with MSIL (Maruti Suzuki India Ltd.) for auto loans. Pre-approved auto loan sanction and disbursement for customers is available at MSIL portal for purchasing cars of various models. The Bank embarked on the journey to build a one-stop solution "Baroda Kisan – Agri Platform" for farmer customers and collaborated with 7 AgriTechs for implementing Baroda Kisan.

The Bank upgraded its Loan Management System with new Loan Lifecycle Processing System. This new system streamlines loan origination and tracking process to ensure faster loan disbursals leading to business growth. The digitised solution enables end-to-end processing of loan proposals using image based workflow and Business Process Management (BPM) tool to improve TAT.

Bank is in process of implementing model builder to build predictive models, aligning actions and outcomes through analytics to maximise business performance to build competitive advantage. The solution delivers unique capabilities for managing complex decisions across the enterprise resulting in immediate value and allowing high impact decisions to be made with confidence.

The Bank is compliant with all the RBI mandates i.e. changes of old MICR, IFSC by March 31, 2020 related to amalgamation of eVijaya and eDena Bank. In addition to the above, the Bank migrated all the payment applications i.e ATM, debit card, IMPS, NEFT, RTGS, ECS mandates, internet banking and mobile banking. Bank has completed the movement to the newly built best in class Data Centre to ensure uninterrupted service delivery to its customers. Bank's Data Centre and DR operations are certified to ISO27001 standard which is a set of international best practices in the field of information security and provides assurance to all the stakeholders.

Cyber Security

Over the years, the Bank has built a strong foundation for cyber security comprising of a comprehensive set of information security measures to counter cyber attacks. The Bank has a well-defined cyber security governance framework in place that is operated through a combination of management structure, policy framework and operational controls. The Bank took major steps towards improving the cyber security preparedness in each of the five cyber security domain areas (Identify, Protect, Detect, Respond and Recover) defined

in NIST (National Institute of Science and Technology, USA) cyber security framework and RBI cyber security framework.

In order to detect and prevent cyber incidents, the Bank upgraded its captive security operations centre to Cyber Security Operations Centre (C-SOC) which operates round the clock on a 24x7 basis. Further, the Bank has placed the following controls to enhance cyber security:

- ISO 27001:2013 certified data centre and disaster recovery operations (set of international best practices related to information security).
- Implementation of multi-layered security architecture to protect IT assets such as Data Leakage Prevention and Implementation of File Integrity Monitoring (FIM) solution for detection of any changes in configuration of critical servers and devices.
- Periodic audits of applications and infrastructure to identify weaknesses in the existing system and to take steps to rectify deficiencies.
- Monitoring of phishing sites, rogue mobile apps and social media sites for malicious activities/contents and the same are taken down on detection through anti-phishing and brand protection services.
- Implementation of Network Behavior Anomaly Detection (NBAD) and forensic solutions.
- Compromise Assessment (CA) activity in place for secure migration of the systems of eVB and eDB branches to Bank's network as per amalgamation plan.
- Assessment of cyber security preparedness of SWIFT system as per SWIFT Customer Security Controls Framework v2019.
- Implementation of technology to protect the systems from Distributed Denial of Service (DDoS) and obtained clean pipe to ensure uninterrupted customer service.

The Bank also took various initiatives for educating customers for cyber security through various channels such as SMS, ATM slips and digital displays. Employees were also given training to enhance cyber security. The Bank participated in the cyber security drills conducted by agencies such as IDRBT, CERT-In to test its capabilities and further strengthen defence against cyber attacks. The Bank has an emergency response team and cyber crisis management plan in place and their effectiveness is periodically tested through drills.

FinTech

The Bank has been in the forefront of the digital revolution and has been the first PSU bank to have a dedicated Fintech vertical since 2016. It has enabled the Bank to develop partnerships with fintechs, launch new products and reinvent business processes. The Bank has about 50 partnerships with diverse fintech startups across lending, wealth, payments and technology as of March 31, 2020.

Major achievements and initiatives during the year:

- The Bank continued to maintain its dominant position with a market share of 16% on TReDS platform. The cumulative throughput crossed ₹ 2000 crore as on March 31, 2020.
- Retail loan products such as home loans, personal loans and auto loans were launched on the Online PSB loans platform. Through this platform customers are able to get an in-principle approval within 30 minutes. The Bank maintained a leadership position in processing retail loans through the platform amongst other lenders.
- Launch of MUDRA loans on the Online PSB loans platform enabled the Bank to extend its reach, digitally to the MSME segment. In-principle approval for MUDRA loans are granted in 30 minutes to eligible applicants. The Bank maintained top position with maximum sanctions of MUDRA loans through the platform amongst other lenders.
- The Bank launched the 'Off-The-Fly Debit Card EMI' (OTF-DCEMI) for its valued customers in partnership with Pine Labs. This is the Bank's first end-to-end digital loan product to its pre-approved savings bank customers. This product offers small ticket micro /consumer loans to a pre-approved customer base.
- The Baroda StartUp programme was launched by the Bank at the hands of Honorable Finance Secretary, Mr. Rajeev Kumar in February 2020. Under this programme, the Bank established dedicated startup branches at 15 centres that would offer bouquet of services such as customised current accounts, payment gateway, corporate credit cards etc. to meet the financial and banking needs of startups. The Bank is also working on a specific credit product designed to meet the financial needs of the startups.
- During the year the Bank established the BOB Innovation Centre (BoBIC) in collaboration with IIT, Mumbai at its Powai campus. Through this centre, the Bank launched a 100 ideas programme aimed at finding innovative solutions to the various issues faced by the BFSI segment.

Marketing

The Bank has ensured impactful presence in electronic media through regular TV and radio campaigns. In terms of external event associations, the Bank expanded its horizon to include more number of signature events such as Jaipur Literature Festival, Prithvi Festival, IIT – Bombay E-Summit and the Kala Ghoda Arts Festival among others.

The Bank released awareness messages for the public during the COVID-19 pandemic with the tagline "Stay Safe, Bank Safe" which helped register the brand name in mind of the public as a Bank with social commitment.

Professional advertorial releases were made in prominent magazines and newspapers and on Bank's popular products like car loan, home loan, savings account, NRI, FCNR schemes during campaign periods and festival seasons. Bank conducted two major campaigns "Happy Life Festival" and "Khushiyon Ka Remote Control" promoted by the Bank's brand endorser P.V Sindhu.

Bank continues its transformation journey from physical to digital marketing with the Bank's website as the convergence point for all the data and customer engagement.

With the above strategic direction, Bank ramped up the digital marketing activities including social media and series of campaigns were conducted for customers for building awareness, creating brand engagement and business generation.

The details of Bank's social media presence are as below:

Social Media Channels	Statistics (No of likes / Followers) as on 31.03.2020
Facebook Likes	14,45,000+
Twitter Followers	95,000+
YouTube Subscribers	44,000+
LinkedIn Followers	77,000+
Instagram Followers	1,10,000+

As the Bank continues to build modern day digital marketing ecosystem and create an equilibrium between the physical and digital marketing, the objective is to be an aspirational brand which engages, empowers and educates digital audience by providing relevant content and fulfill banking needs by constantly analysing, measuring and improving experience, response and capabilities.

Customer Service

The Bank is sensitive and responsive towards customer needs and believes that technology, products, processes and human resources must be leveraged for delivering superior banking experience to customers.

Bank secured second place amongst PSBs in the 'EASE of Banking Index', a strategic initiative undertaken by Government of India to imbibe best practices and provide superior customer experiences in PSBs.

Several initiatives were undertaken round the year to ensure "Enhanced Access and Service Excellence" – EASE of banking. Customer interactions are continuously monitored across channels and channel capabilities (functionalities and the user experience) were enhanced to ensure ease of banking from home.

The Bank ensured that frequently used functionalities by customers were made available through digital channels and contact centre. The 24*7 contact centre has the capability to connect with customers in their preferred language. Apart from Hindi and English, the language capability was increased to nine regional languages. The contact centre handled 1.51 crore customer calls during the year (approx. 85% of the calls were answered in 15 seconds).

The Bank launched an enterprise wide Customer Relationship Management (CRM) in the year. Customer Grievance Redressal System (a module of the CRM package) with time-bound auto escalation, options to attach documents, provide feedback on resolution quality and reopen complaints is now widely used by customers.

During FY 2020, the Bank saw significant improvement in the usage of remote channels for managing grievances (only 12% customers' use the branch for lodging complaints). As much as 75% of the grievances were resolved within 7 days in FY 2020.

The Bank implemented a new Queue Management System in 500 branches. Branches also underwent a facelift and were designed to enhance customer experience through better ambience, increased seating area with special focus for senior citizens and the differently abled customers.

Bank is focused on building the 'Client First' culture and constantly engages with its customer to understand their needs, redesign experiences (product design, systems and processes) and enhance the governance model to deliver superior experiences. Feedback on quality of customer service at branches is obtained through the branch level customer service committee meetings that are held monthly in which customers from various cross sections of the society including senior citizens and pensioners are invited. Service levels across the network of branches are monitored through mystery shopping/service audits as well.

The General Manager, Operations & Services, is designated as Principal Nodal Officer for customer complaints in the Bank. Moreover, all zonal heads and regional heads are designated as nodal officers for their respective zones and regions. Further, the names of respective nodal officers along with their contact numbers are displayed in all the branches of the Bank.

The Bank has appointed an Internal Ombudsman which is a forum made available to customers for grievance redressal prior to approaching the Banking Ombudsman. All complaints, which are rejected or partially accepted by the Bank, are systematically escalated to the Internal Ombudsman for review. This enhances the customer confidence in the Bank's systems and expedites the process of grievance redressal, thus making it more transparent.

At the Board level, the sub-committee of Board for Customer Service addresses the issues relating to the formulation of policies and assessment of compliance with same with the aim of consistent improvement in the quality of customer service. The Bank's code of commitment to customers and MSME's, citizen charter, grievance redressal policy, and banking ombudsman scheme are available on the Bank's website to promote fair banking practices by maintaining transparency in various products, services and policies.

Shared Services

The journey that the Bank started in 2017, through formulating a Shared Services Centre (SSC) to centralise the key operations and activities has come a long way. Through centralisation, Bank has not only enhanced focus on customer service and risk management but also improved scalability, standardisation and risk management. Baroda Global Shared Services (BGSS) helps branches by migrating routine and repetitive transactions to a centralised hub. With this, branches are able to free up to 30 - 35% of their resources and redeploy this capacity in sales, recovery and customer service.

SSC operates from four locations (Mumbai, GIFT City, Gandhinagar, Bengaluru and Hyderabad) and has more than 1400 full time employees (FTEs) in non-voice (transaction processing) and 850 FTEs in voice (call centre with multilingual capabilities).

Functions such as trade and forex operations, account management services , mortgage based lending operations, agriculture loan processing, credit card operations, digital banking operations (reconciliations / vendor management / ATM monitoring / IPG) and pension services have been centralised. Further, centralisation of activities such as migration of collection services, CMS operations, international operations, Aadhar enrolment centres, establishing login shops at SMS and MSME lending operations, would help in releasing even more capacity for sales and customer service.

During the year, a 'Priority Desk' was set-up to provide services to customers such as corporate customers.

Branch Network

As of March 31, 2020, the branch network of the Bank is as under:

	31.03.19*		31.03.20 (Amalgamated)	
Domestic Branches	**Number of Branches**	**% Share in Total**	**Number of Branches**	**% Share in Total**
Metro	1,203	21.66%	2,163	22.81%
Urban	959	17.27%	1,860	19.62%
Semi-urban	1,546	27.84%	2,525	26.63%
Rural	1,845	33.23%	2,934	30.94%
Total	5,553	100	9,482	100
Overseas Branches/ Offices (including branches of overseas subsidiaries)	100		101	

The Bank opened 44 new domestic branches and merged nine branches with existing branches during FY 2020.

Currency Chests

The number of currency chests increased from 100 to 150 after amalgamation. These chests support effective cash management in the Bank as well as vaulting cash on behalf of RBI. All the currency chests as well as branches are provided Note Sorting Machines (NSMs).

Risk Governance and Internal Controls

The Bank has implemented an integrated risk management framework for embedding a strong risk culture within the organisation. The framework ensures the tools and capability are in place to facilitate risk management and decision-making across the organisation.

Risk Management Governance

Risk management governance ensures that risk-taking activities are in-line with the Bank's strategy and risk appetite, and covers all material risk categories applicable to the Bank. The Board establishes the tone at the top by promoting risk awareness to promote a sound risk culture. The Bank ensures that material risks and risk-taking activities exceeding the risk appetite and limits, if any, are recognised, escalated and addressed in a timely manner.

The risk appetite framework of the Bank, apart from setting the minimum CRAR reflecting the Bank's risk appetite at the aggregate level, also defines risk appetite for Pillar 1 risks, viz. credit risk, market risk for the trading book and operational risk and Pillar 2 risk, namely Liquidity Risk, Reputation Risk etc.

Three Lines of Defence

To implement effective risk management governance and address the full spectrum of possible risks, the responsibilities among different units of the Bank are defined in such a way that there are three lines of defence which are independent from each other. The Bank uses the industry-standard three lines of defence model to articulate accountabilities and responsibilities for managing risk. It supports the embedding of effective risk management throughout the organisation.

i. First Line of Defence is the business verticals and operating units where risks are taken. In the course of conducting business activities, staff in the business verticals and operating units hold frontline positions and undertake the primary responsibility for the proper identification, assessment, management and reporting of risk exposures on an ongoing basis, having regard to the Bank's risk appetite and the limits/caps therein, policies, procedures and controls.

ii. Second Line of Defence is provided by risk management function and compliance functions which operate and function independently of each other and of the first line of defence. It is primarily responsible for overseeing the measurement and reporting of risk while monitoring and remaining compliant with applicable laws, regulations, corporate governance rules and internal policies.

iii. Third Line of Defence is provided by the internal audit function, which is responsible for providing independent assurance by conducting internal risk-based and other audits. The reviews provide assurance to the Board that the overall governance framework including the risk governance framework is effective and that policies and processes are in place and consistently applied. The role of the audit function is defined and overseen by the Audit Committee of the Board.

Risk Management and Compliance

Risk is an integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed

and monitored. The Bank undertakes business activities within the defined risk appetite limits and policies approved by the Board of Directors of the Bank. Specific committees of the Board have been constituted to facilitate focused oversight on various risks. The Board has also constituted a Risk Management Committee of the Board which oversees the different type of risks. It is supported by on-boarding specialists in the area. Policies approved from time to time by the Board of Directors or Committees of the Board form the governing framework for each type of risk.

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process and stress test policy. The Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Concentration Risk, Business and Strategic Risk, Reputation Risk, Pension Obligation Risk etc. and Capital Adequacy under both normal and stressed conditions are assessed as per the extant policies. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within the Bank is as follows:

Enterprise Risk Management

The diversity of business lines requires a comprehensive Enterprise Risk Management approach to promote an enterprise-wide strong risk management culture to help in the early identification, assessment, measurement, aggregation and management of all risks and to facilitate capital allocation among various business lines. All risks are approved within the overarching risk appetite framework and are adequately hedged.

The Bank is constantly endeavouring to create a strong risk culture by imparting trainings to the employees at all levels.

Credit Risk

Credit risk is managed through a Board approved framework that sets out policies, procedures and reporting which is in-line with international best practices. Adequate attention is given to the independence of the risk evaluators and business functions for establishing a sound credit culture and a well-structured credit approval process. Credit risk measurement models are validated by independent model validators for their discriminatory power, accuracy and stability.

The Bank's experience in internal ratings over the years has enabled the Bank to obtain the regulator's approval for running the Foundation Internal Rating (F-IRB) approach of credit risk under Basel II guidelines from March 31, 2013. Under the IRB approach, banks develop their own empirical model to quantify required capital for credit risk.

Bank has well established models for awarding internal rating to the borrowers and these models are calibrated and validated periodically by dedicated internal team as well as external agencies. The Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers to manage credit concentration risk. The portfolio review cell carries out detailed reviews on sectoral exposure, credit concentration, rating distributions and migration.

The Bank has implemented 'Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)' framework for corporate credit exposures for evaluating credit risk exposures from the point of 'economic value addition' to the shareholders.

The Bank has also implemented Enhanced Access and Service Excellence (EASE) Risk Scoring Model for independent risk-based review of the credit proposals by risk vertical of the Bank, including classification of credit proposals into high/ medium/ low risk along with risk decisions of go/ no go.

Market Risk

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The Bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertake market risk positions.

The Bank measures and monitors interest rate risk in its trading book through duration, modified duration, PV01 and Value at Risk (VaR) on a daily basis. The foreign exchange risk is measured and monitored in terms of Net Overnight Open Position limits (NOOPL), VaR limits, Aggregate Gap Limits (AGL), Individual Gap Limits (IGL) on a daily basis. Equity price risk is measured and monitored through VaR limits and portfolio size limits, etc. At a transaction level, stop loss limits and dealer wise limits have been prescribed and implemented. Under its stress testing framework, the Bank conducts comprehensive stress tests of its trading book portfolio on a quarterly basis.

Asset Liability Management

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost. In the Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Flow Approach and Stock Approach and other prudential stipulations as per the latest guidelines of the RBI. The Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards - Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR Standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High-Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30-calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The Bank has always been well above the stipulated level of LCR on a solo basis as well as on a consolidated basis. The Bank discloses simple average of daily LCR for the respective quarter as part of Notes to Accounts on its website.

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and liabilities which may adversely impact the earnings/economic value of equity of the Bank with the change in interest rates in the market. For measurement and monitoring of interest rate risk in banking book, the Bank uses risk management tools such as Traditional Gap Analysis, Earning at Risk and Modified Duration of Equity. The short- term impact of interest rate movements on NII is worked out through the 'Earnings at Risk' approach by taking into consideration parallel shift in

yield curve, yield curve risk, basis risk and embedded options risk. The long-term impact of interest rate movements is measured and monitored through change in Market Value of Equity (MVE).

Operational Risk

The Bank has a well-defined Operational Risk Management Framework (ORMF) and Operational Risk Management System (ORMS) for effective management of Operational Risk in the organisation. ORMF comprises of the organisational structure for management of operational risk, governance structures, policies, procedures and processes whereas ORMF consists of the systems used by the Bank in identifying, measuring, monitoring, controlling and mitigating operational risk.

The Bank implemented a web based Operational Risk Management System SAS Enterprise Governance, Risk and Compliance (SAS EGRC) for systemic and integrated management of Operational Risk.

Roll out of Key Risk Indicators Programme (KRI), Risk Control and Self-Assessment Programme (RCSA) and root cause analysis further strengthened the control environment. The Bank created a repository of Internal Loss Data as part of Operational Risk Management.

To mitigate and control operational risk at a transaction level, the Bank has established a Centralised Transaction Monitoring Unit for monitoring of all domestic transactions from the KYC/ AML/ CFT perspective. The Bank segregated customer interface (front office) from the execution of transactions (back office) by centralising a number of back office functions. The Centralised Trade Finance Back Office (TFBO) has been set up to minimise operational risk in forex transactions.

The Bank has put in place an incentive scheme to promote risk culture at enterprise wide level. Financial and non -financial incentives were announced for the employees for reporting of near miss events.

Climate Risk

Climate change risk has become crucial challenge to the financial industry of late. The Bank is committed to reduce the impact of climate change risk and is consciously working towards sustainable development of its banking operations so as to achieve the economic development while maintaining the quality of environmental and social ecosystems.

As a policy matter, to reduce the greenhouse effect, the Bank is not financing borrowers for setting up new units producing / consuming Ozone Depleting Substances (ODS) and small / medium scale units engaged in the manufacturing of aerosol units using Chlorofluorocarbons (CFC). While sanctioning project loans, the Bank ensures that all statutory permissions such as environmental clearance, pollution control etc. are put in place before sanction or disbursement.

The Bank intends to reduce the emissions by adoption of green technologies such as minimising / discontinuing the operation of Diesel Generator (DG) Sets, which acts as one of the major contributors to the environment pollutants and shift to alternate resources like hybrid UPS, solar based systems etc.

The Bank is also considering the impact of climate change while assessing operational risks during natural calamities such as floods, cyclone, earthquake, landslides, wildfires, storms etc. The impact of such risks on the Bank's operations and outcome is presented to various risk management committees from time to time.

The Bank has undertaken following green initiatives for reduction of climate change risk, environmental protection and sustainable development:

a) The Bank implemented e-approvals and Board-Pack for paperless approval and paperless e-meeting respectively, which resulted in substantial reduction in usage of paper in the Bank. The Bank stopped issuance of physical circulars for internal circulation. The Bank started sending statement of accounts through secured emails to willing customers so as to reduce paper consumption.

b) A wet garbage (Bio-Gas) plant was set up at the Corporate Office to process wet garbage / waste from staff canteen and convert into bio-gas and manure which was used for cooking and agricultural purposes.

c) Solar Panels / Tree were installed at Corporate Offices and at some of the Bank's staff quarters. The Bank is committed to increase the usage of renewable (Solar) energy resources for its internal energy requirements.

d) Energy efficient LED light fixtures were installed in all branches/offices.

The Bank started rain water harvesting in its owned buildings. Sewerage Treatment Plant (STP) was set up at Baroda Corporate Centre.

Compliance

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in the Bank is adequately enabled and made sufficiently independent. The compliance function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as ensures observance of other regulatory guidelines issued from time to time. It also ensures adherence to the Bank's internal policies and fair practices code. The Bank has put in place a robust compliance system including a well-documented compliance policy, outlining the compliance philosophy of the Bank, role and set up of the compliance department, composition of its staff and their specific responsibilities.

The compliance function advises senior management and the Board on the Bank's compliance with applicable laws, rules and global standards and keeps them informed of developments in the area. It also educates employees about compliance issues by conducting periodic trainings and workshops for business staff and designated compliance officers. Knowledge management tools for this purpose have

also been uploaded on the Bank's website. The Bank has implemented a web based compliance management solution for certification and monitoring of various regulatory, statutory and internal guidelines at each level in the Bank for further strengthening the compliance function. The Bank has also automated the process for obtaining information from the "Insiders" as defined in the SEBI's Code of Fair Disclosure and Conduct.

Amongst several activities monitoring compliances on the domestic front, the domestic compliance function conducts on-site compliance test checks on more than 80 parameters on KYC-AML carried out through Regional Compliance Officers (RCOs) of randomly selected 20% of the branches on a quarterly basis. Off-site compliance test check on around 30 parameters on issues related to KYC/AML guidelines and other parameters of compliance issues is carried out on monthly basis.

Under the EASE Reforms version 2.0, Bank retained the 2nd position across all PSBs in Q1 (June 2019), Q2 (September 2019) and Q3 (December 2019).

In the process of capacity building, the Bank imparted training to all compliance officers and nominated its officials to various external training programmes conducted by reputed institutions on latest developments in the areas of compliance. In order to promote professionalism, the Bank is encouraging staff members to pursue professional courses from reputed institutes like IIBF, ACAMS etc.

There were no significant incidents reported during FY 2020 relating to compliance failure.

KYC/ AML Compliance

The Bank has a well-defined KYC-AML-CFT policy. On the basis of this Policy, KYC norms, AML standards and CFT measures and obligations of the Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002, are implemented. The Bank has elaborate systems to generate Cash Transaction Reports (CTRs) electronically for submission to Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND). The Bank electronically files Counterfeit Currency Reports (CCRs), Non-profit Organisations Transaction Reports (NTRs) and cross border wire transfer (EFT) reports to FIU-IND, New Delhi on its portal every month within prescribed timelines. The Bank established a Central Transaction Monitoring Unit (CTMU) and put in place an AML Solution for monitoring and detection of unusual transaction patterns in customers' accounts and generation of system based transaction alerts on the basis of predefined alert parameters in the system. System based risk categorisation of customers' accounts is done on half yearly basis. Re-KYC of High Risk Customers is being done on half yearly basis after carrying out money laundering risk categorisation exercise, as per extant guidelines of the RBI. For this purpose, the Bank has developed automated process flow for identification and generation of notices for such customers to notify them for submission of requisite KYC documents.

The Bank has also implemented Aadhar based e-KYC in collaboration with UIDAI on voluntary declaration of customers for e-KYC authentication.

The Bank is in the process of allotting Unique Customer Identification Code (UCIC) to all its existing individual customers as per the RBI guidelines and has implemented a Central KYC Registry for allotment of CKYC Numbers to individual customers, as per prescribed RBI guidelines.

Internal Audit

The Bank's Central Internal Audit Division (CIAD) is responsible for Internal Audit. CIAD administers various streams of audits besides Risk Based Internal Audit (RBIA) of branches and offices. The Audit Committee of the Board oversees overall internal audit function and guides in developing effective internal audit, concurrent audit, IS Audit and all other audit functions of the Bank. The committee monitors the functioning of the audit committee of executives and internal audit department in the Bank.

CIAD operates through eighteen zonal internal audit divisions to carry out internal audit of branches/offices as per the periodicity decided by the RBIA policy. All branches of the Bank are covered under RBIA. Of the 9,482 branches audited during FY 2020, 8,481 branches (89.44%) were in Low Risk, 829 branches (8.74%) were in Medium Risk, 122 branches (1.29%) were in High Risk, 4 branches (0.04%) were in Very High Risk.

The Bank engaged an independent firm as a knowledge partner for comprehensive review of audit function with focus on centralisation of activities using imaging solutions and digitisation. The audit transformation process was completed and audits under the revised approach commenced during the previous financial year.

The audit execution under automated environment commenced for Credit Audit (from 01.09.2019) and Universal Branch (from 01.02.2020) during the FY 2020 and are stabilising, post which whole gamut of audit approach will undergo a change with extensive use of technology, analytics, sampling and advanced audit methodology. Internal audit processes thus will be revamped aided by technology.

Vigilance

Vigilance administration in the Bank is an integral function like other functions of management. While carrying out these functions every endeavour is made that not only procedure and processes are efficient but also ethical, just and fair.

The Bank's vigilance administration comprises of three segments:

a) Preventive Vigilance

b) Punitive Vigilance

c) Surveillance and Detection

While punitive actions are certainly important, preventive and surveillance measures are deemed to be more important as these are likely to be more helpful in reducing occurrence of punitive actions.

Punitive and surveillance functions are undertaken as per well-defined regulations. On the one hand, the Bank ensures that officers and employees at all levels resorting to unfair means, indulging in wilful and malafide practices, lacking in integrity are not allowed to go unpunished, while on the other

hand the Bank also ensures that bonafide decisions taken in normal course of business with objectivity and required prudence are protected if the decision is proven wrong in hindsight.

Human Resources

The Bank has a rich talent pool with over 84,000+ employees on its rolls. The Bank continuously undertakes multiples initiatives for strengthening and developing its human resources viz., recruitment, addressing training needs of employees, employee engagement and capability building.

Bank has always been a forerunner in adopting and innovating new concepts, practices and processes. Post amalgamation "Best of Three" approach was adopted in framing the HR policies and schemes in the amalgamated entity.

The various employee-centric initiatives propelled Bank to be recognised as one of the Best 50 companies in India on the PCI (People Capital Index), an index measuring people practices of companies, instituted by a leading HR consultancy firm, M/s Jombay in association with the British Standards Institute (BSI). The Bank received this recognition in FY 2020 for the third year in succession.

The following initiatives have been taken during the year which had a direct and significant impact on Bank's performance:

Manpower Planning and Recruitment

The Bank has built a new scientific manpower planning model designed to estimate skill-based manpower needs at various levels. This would help the Bank in taking key strategic decisions viz. recruitment, deployment, promotions, trainings, etc.

The Bank recruited 1,728 officers and 2,430 business associates through direct recruitment during FY 2020. The Bank also hired specialised staff with expertise in niche and key focus areas to strengthen its capabilities and strength in different domain areas.

Baroda GEMS "Growth and Empowerment Management System"

The Bank had embarked upon an ambitious journey to unlock the potential of human capital. The transformation included a new scientific and objective performance management system named: Baroda GEMS "Growth and Empowerment Management System".

Baroda Anubhuti Programme

It is an employee engagement programme designed to foster the spirit of team bonding and collaboration, and creating a happy and fun workplace. Various initiatives like employee of the month, spot recognition – capturing 'WoW' moments, fun hour at all branches/offices, local community service/ social activities are undertaken to enhance the overall employee engagement levels. Mandatory community service programmes are carried out through all branches/offices once in six months.

Under the banner of Baroda Anubhuti, the Bank has also been conducting annual sports day on the 4th Saturday in November every year. Inter zonal sports and cultural tournaments in various disciplines were conducted during the last year which saw very enthusiastic participation from various employees and helped build team bonding and engagement levels amongst employees.

Wellness and Fitness Drives

The Bank has launched many initiatives for managing employee health and well-being, which include a mandatory health checkup scheme for employees and their spouses. The Bank offers all permanent employees with a Group Term Life Insurance cover of Rs. 20 lakh. The medical treatment needs of employees are met through a Group Medical Insurance Policy. The Bank regularly conducts health checkup camps, fitness drives, yoga sessions, etc. to promote the health and well-being of its employees. Bank observed 'Wellness Month' during October-November 2019 under which preventive health checkups and fitness drives were conducted.

Bank's Crèche facility

During the year, as part of its employee friendly welfare measures, the Bank set up a state-of-the-art onsite crèche facility at Head Office, Baroda and Zonal Office, Bangalore, in addition to the first crèche facility set up in Corporate Office, Mumbai. This crèche facility provides day care facilities for the small children of employees.

Learning and Development

The Bank has always believed that learning and development plays a vital role in shaping the organisation's human capital and accordingly it has taken various learning initiatives during the last year. Baroda Gurukul, the Bank's comprehensive learning management system provides learning through various channels like e-learning modules, Baroda Tube, Baroda Radio, Margdarshak, digital library, weekly quizzes etc.

During FY 2020, the Baroda Apex Academy has designed a special programme named "UTSUK" for on boarding employees of amalgamating banks which played an important role in amalgamation. "Baroda Bahubali" a learning competition was launched during the year to introduce gamified learning. "Baroda Samhita", a compilation of research papers conducted by various academies across India was also launched.

'We Lead' – Comprehensive Leadership Development Programme

Bank of Baroda has been at the forefront in instituting leading HR policies and processes aimed at all round development of its talent. As part of its ongoing transformation, the Bank aspires to build a pipeline of leaders with the potential to take on leadership roles and play an instrumental role in driving the future growth of the Bank.

With a view to maintain continuity and spirit of the WeLead Leadership Development Programme in Phase I of its roll out, the Bank embarked upon WeLead II in FY 2020 which assumes greater significance in the context of the amalgamation. Hence, an important component of the WeLead II was cultural assimilation. The programme also focuses on making the integration successful, realising synergies, maintaining the pace of growth and becoming future ready.

The WeLead II program covers the following number of especially identified people in three levels:

Programme	Coverage	No. of participants covered
Baroda Senior Leadership Programme	General Managers and Dy. General Managers	150
Baroda Emerging Leaders Programme	Asst. General Managers	275
Baroda Rising Stars Programme	Chief Managers	575

Career Progression

Concerted efforts have been taken by Bank for fostering career progression of employees, for rewarding them for their performance and motivating them. Horizontal movement of officers across different functions and overseas placements are encouraged to provide employees with wider exposure.

HR policies and Development of Systems

The Bank is constantly updating its policies and systems with a view to bringing in relevant changes as may be necessitated on account of environmental changes, employee aspirations and the Bank's overall needs and business goals. During FY 2020, various policies viz., overseas placement policy, hr resourcing policy, employee engagement policy, sports policy, promotion policy, transfer policy and Social Media Policies were updated and put in place to keep up with the changing times.

Under the aegis of staff welfare fund, the Bank has standardised its facilities, increased the number of holiday home rooms and also started holiday home facility in new places like Alibaug and Mysore. The total number of holiday homes now stands at 57. The Bank's Human Resource Centralised Processing Cell (HRCPC) processes all staff loan applications and other online TA/DA claims on the same day of receiving the applications, maintaining a standardised TAT and contributing to employee satisfaction. The Bank has further improved its HR technology platform, "Human Resources Network for Employee Services (HRNes)" with latest features to enhance user experience.

Thrust on Diversity

The Bank follows a non-discriminatory and equal opportunity policy for all its employees. Bank is transparent in all issues relating to promotion, career path, transfer policy and employee benefit / welfare schemes. The Bank has put in place 'Job Roles' for visually impaired employees. Further, in order to create a more diverse workplace, Bank has been progressively increasing its recruitment of women employees. The percentage of women in the overall staff composition has increased to 25.6% in FY 2020.

In order to retain women employees at all levels and in recognition of the concomitant responsibilities of women, Bank has put in place various facilities to support women employees such as sabbatical leave, health check-up programme for women employees, establishment of crèche facility among other initiatives.

Reservation Cell

An exclusive Reservation Cell has been functioning to monitor the reservation and other enabling provisions for SC/ST/PWD/Ex-Serviceman and OBC employees. Executives in the rank of General Manager are appointed as Chief Liaison Officers for SC/ST/PWD and ex-serviceman employees and OBC employees, respectively, who ensure compliance of various guidelines pertaining to them.

With effect from February 1, 2019, reservation of 10% for Economically Weaker Sections (EWSs) in all exercises for direct recruitment in the Bank is implemented. The Bank provides reservations for Persons with Disabilities (PWDs) at the rate of 4% of the total vacancies arising in Officer, (identified posts) Clerical and Sub-Staff Cadre in a year, as per Government guidelines.

Caste category wise count as on 31.03.20				
Cadre	SC	ST	OBC	Ex-SM
Officer	7662	3495	12015	587
Clerk	4803	2938	7794	2817
Sub staff	3332	1143	3049	975
Total	15797	7576	22858	4379
% to total staff strength	18.78%	9.01%	27.18%	5.21%

Periodical Meetings: The Bank holds quarterly meetings with the representatives of All India Bank of Baroda SC/ST Employees' Welfare Association and half yearly meeting with the representatives of All India Bank of Baroda OBC Employees' Welfare Association, as per the Government guidelines.

Workshops and Training Programmes: Bank conducts following training programmes every year for members of AIBOBSCST Employees' Welfare Association and AIBOBOBC Employees' Welfare Association and Liaison Officers of SC/STs and OBCs at Apex Academy, Gandhinagar:

- Pre-Promotion Training for SC/ST candidates
- Workshop on Reservation Policy
- Training programme on disciplinary proceedings

Premises Re-engineering

In an effort to improve the ambience of customer touch points, all identified branches across the country have been refurbished with special emphasis on maintaining a uniform look and feel in all branches. Remaining branches are also being refurbished on similar line. Bank is undertaking the work of construction of Apex Academy, Ahmedabad. It is proposed to have Platinum rated, state-of-the-art training Centre including classrooms, residential accommodation and recreational services.

As the Government of India initiated Swachhata Hi Sewa Abhiyaan, Bank took steps to participate in the event and

undertook cleanliness drive inside and outside Bank premises throughout India.

Implementation of Official Language (OL) Policy

Use of Hindi and other Indian Languages for promoting business as well as providing digital products to the customers is a significant characteristic of the Bank's language policy. This approach has been well appreciated by Government of India and regulatory authorities from time to time.

Under various initiatives taken during the year, Bank organised an All India seminar on 'Role of Public Sector Bank in making India a $5 trillion Economy'. Various books on topics such as 'Samaavesh Se Samridhhi', 'Vasooli Kee Daastaan', 'Retail Rin Margdarshika', 'MSME Rin Maargdarshika', 'Opportunities for Credit Flow to Agricultural Sector' and collection of poetries 'Bargad Kee Chhaon Mein' were published. Role based certification course 'Bhasha Nirjhar' was introduced and mandatory courses like 'OL Policy' and 'Unicode' were made available in Hindi on the Bank's e-learning platform. Hindi Diwas, Vishwa Hindi Diwas and Matrubhasha Diwas were celebrated at various offices/branches across India and overseas.

During the year, Bank under its 'Maharaja Sayajirao Bhasha Samman Yojana', felicitated Ms. Sweta Singh, senior journalist and famous anchor of 'AajTak' TV channel for her outstanding contribution in propagating Hindi. Under 'Maharaja Sayajirao Lokbhasha Samman Yojana', the Bank selected Prof. Bikaram Chaudhary for patronising the tribal dialects of Gujarat like Chaudhary, Ghodia, Gaamit and Kunkanaa.

The Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) functioning under the auspices of the Bank at Bareilly, Jaipur, Varanasi, Faizabad, Rajkot and Jodhpur and the ROs/ZOs at Panaji, Ludhiana, Guwahati, Baroda and Patna were selected for awards by the respective regional implementation offices of Government of India.

Corporate Social Responsibility (CSR)

The Bank has a long legacy and tradition of actively contributing to the social and economic development of the communities through various developmental activities. The Bank as a responsible corporate citizen, continuously strives to contribute to the welfare of the society, particularly for the upliftment of the underprivileged sections of the society to make sustainable social changes in their lives. Skill development through training, for gainful employment, human welfare and other social activities for women and farmers continue to remain the Bank's key focus areas. The Bank is helping different organisations engaged in various community development and socio-economic welfare activities for the benefit of weaker sections and rural citizens.

The Bank undertakes CSR activities in two pillars as mentioned below:

- Baroda Swarojgar Vikas Sansthan Trust (BSVS Trust) which runs RSETI centres, imparts skill development training programmes to youth of rural and semi urban areas for generating self employment.
- Donations and/or funding of activities as mentioned in Schedule- VII of Companies Act, 2013.

The Bank has -64- RSETI centres in 10 states/UTs across the country. These centres have conducted 17,922 training programmes and imparted training to 5,03,145 youth, out of which 3,30,213 have already secured employment or have setup their own ventures. Out of 64 RSETI centres, 53 RSETI centres have been graded as "AA/A" (outstanding) based on the overall performance/functioning of the RSETIs.

The Bank has also set up -87- Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCCs) in twelve states/UTs which provide financial counseling services and education to the people in rural and urban areas about various financial products and services available from the formal financial sector. These centres also take up activities that promote financial literacy, awareness about banking services, digital banking, financial planning and amelioration of debt-related distress of an individual.

Domestic Subsidiaries and Joint Ventures

BOB Financial Solutions Ltd.

BOB Financial Solutions Limited (BFSL, formerly known as BOBCARDS Limited) is a wholly owned subsidiary of the bank. It is a non-deposit taking Non-Banking Finance Company (NBFC). BFSL was established in the year 1994 to cater to the need of rapidly growing credit card industry. BFSL was the first non-banking company in India to issue credit cards. The company's core business is credit card issuance. It also provides support to the Bank by carrying out its merchant acquiring operations.

New credit card acquisition in FY 2020 stood at 2.47 lakh which resulted into an active card base of 4.53 lakh ending March 31, 2020. BFSL was the 10th largest issuer of credit cards out of a total of 32 credit card issuers in FY 2020.

BFSL continued to issue pre-approved credit cards to Bank's customers under the tripartite partnership between the Bank, BFSL and Trans Union CIBIL. BFSL used a network of more than 2,000 sales representatives to cover the top 2,500 bank branches for focused credit card acquisition from both pre-approved as well as walk-in customers.

Retail spends on the customer base increased by more than 80% during FY 2020, backed by marketing alliances and partnerships with top brands in both offline and online spend categories.

BFSL continues to invest in technology initiatives to improve customer experience (viz. Green Pin, robust execution platform, digital adoption, revamped website and customer service portal with robotics-based solutions for flaw less processing)

BOB Capital Markets Ltd.

BOB Capital Markets Ltd. (BOBCAPS), a wholly owned subsidiary of the Bank is a SEBI registered Category-I merchant banker as well as a stock broker with National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). BOBCAPS offers a wide spectrum of financial services that includes Initial Public Offerings, Debt Syndication,

Stressed Asset Resolution, Business Valuation, Mergers and Acquisitions and Stock Broking. It has five lines of businesses viz. Investment Banking – Equity; Investment Banking – Debt; Institutional Broking, Retail Broking and Wealth Management.

During FY 2020, all business verticals of the subsidiary delivered healthy growth as BOBCAPS continued on its path of scaling up. Under Investment Banking – Debt, many debt syndications and stressed asset resolution transactions were completed during the year. While equity capital market activity was subdued during the year, Investment Banking - Equity built up a good pipeline of 10 mandates for IPOs / FPOs / OFS, PE fund raise and M&A transactions. Institutional Broking ramped up client empanelment, through quality research, sales and a robust technology platform. It commenced coverage of foreign institutional investors. In Retail Broking, rise in client acquisitions and business volumes were driven by enhanced products and services like 3-in-1 demat, trading and bank account, prepaid brokerage, online account opening platform and quality research. The firm's investment advisory team supports the wealth management vertical of the Bank.

Baroda Global Shared Services Ltd.

Bank's wholly owned captive "Baroda Global Shared Services" established in FY 2017, operates from 4 locations (Mumbai, Gandhinagar Gift City, Bengaluru and Hyderabad) and has more than 1400+ full time equivalents (FTEs) in non-voice (transaction processing) and 850 FTEs in voice (Call Centre with multilingual capabilities).

Functions such as trade and forex operations, account management services , mortgage based lending operations, agriculture loan processing, credit card operations, digital banking operations (reconciliations / vendor management / ATM monitoring / IPG) and pension services have been centralised. Further, centralisation of activities such as migration of collection services, CMS operations, international operations, Aadhar enrolment centres, establishing login shops at SMS and MSME lending operations is continuing.

Barodasun Technologies Ltd.

Barodasun Technologies Limited has been incorporated as a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda. The company was registered on July 5, 2017 with the Registrar of Companies, Mumbai, and Maharashtra. The company has been formed to provide, system integrator / consultancy services on matters relating to IT enabled business solutions / IT software product implementation across various lines of business for the Bank

It is engaged in the programme management / project management services to implement enterprise-wide IT projects and development of financial products and solutions to cater to various business needs across different business verticals of the Bank

The Nainital Bank Ltd.

The Nainital Bank Limited (NBL), originally promoted by Late Bharat Ratna Pandit Govind Ballabh Pant and others in 1922, became a subsidiary of Bank of Baroda in the year 1973. The Bank's holding in Nainital Bank Ltd. is 98.57%. NBL has its registered office at Nainital and has operations in five states namely, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi and NCR, Haryana and Rajasthan. NBL has 141 branches as on March 31, 2020.

The total business of NBL increased to ₹ 11,797 crore on March 31, 2020 from ₹ 10,931 crore as on March 31, 2019. The Bank incurred a net loss of ₹ 59.61 crore in FY 2020 against a net profit of ₹ 26.89 crore during the previous year on account of enhanced provisioning requirements even though the operating profit of the Bank increased from ₹109.30 crore in FY 2019 to ₹114.27 crore in FY 2020.

Baroda Asset Management India Ltd.

Baroda Asset Management India Limited (Baroda AMC) is a wholly owned subsidiary of the Bank with effect from September 28, 2018. Baroda AMC acts as the investment manager to Baroda Mutual Fund (Baroda MF), a mutual fund registered with the Securities and Exchange Board of India. The average assets under management (AUM) of Baroda MF for FY 2020 were ₹ 11,204 crore, a decline of 9% over the previous year due to fall in AUM in debt segment. The equity AUM within the overall AUM, grew by 30% over previous year. Baroda AMC continues to expand its third-party distribution network, with particular focus on IFAs. The company launched a few new funds during the year.

The Bank and BNP Paribas Asset Management Asia Ltd (BNP Asia) have signed binding agreements on October 11, 2019 to merge their Asset Management and Trustee Companies in India. Baroda Trustee India Private Ltd is the dedicated trustee company for the mutual funds managed by Baroda Asset Management India Limited.

IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.

Headquartered in Mumbai, IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., is one of the country's youngest life insurance companies, with a paid-up share capital of ₹ 635 crore. The company is promoted by two of India's largest public-sector banks – Bank of Baroda and Andhra Bank, which hold 43.3% and 29.5% stake in the company respectively along with 27.2% stake held by Carmel Point Investments India Private Limited incorporated by Carmel Point Investment Ltd, a body corporate incorporated under the laws of Mauritius and owned by private equity funds managed by Warburg Pincus LLC.

In FY 2020, IndiaFirst Life became the fastest growing Life Insurance Company in Individual New Business APE (Annual Premium Equivalent) with 25% YoY growth as compared to Life Insurance YoY growth of 6%. The company is currently ranked 12th in Individual New Business APE (Annual Premium Equivalent), among the private players with assets under management (AUM) at ₹ 14,723 crore as on March 31, 2020.

IndiaFirst Life was certified as a Great Place to Work (GPTW), a recognition considered as the gold standard for defining great workplaces across business, academia and government organisations along with being recognised among the '25 Best Workplaces in BFSI' by GPTW BFSI Survey, 'India's Most Admirable Brands 2019-20' by The Brand Story and 'Customer Service Provider of the Year' award at India Insurance Summit and Awards 2019.

India Infradebt Ltd.

India Infradebt Limited (Infradebt) is the first Infrastructure Debt Fund (IDF) – NBFC. It was sponsored by Bank of Baroda along with ICICI Bank Limited. Citicorp Finance (India) Limited and LIC of India are its other shareholders. It has been rated AAA by CRISIL, ICRA and India Ratings since its inception. It finances the relatively safe, completed infrastructure projects which have achieved one year of commercial operations. Further, Infradebt enjoys 100% income-tax exemption. The synergy with the Bank arises from its focus on lending to strong, stable infrastructure projects - mainly NHAI road projects and renewable energy projects. The company has delivered healthy growth in its first full six years of operations, ending FY 2020. Its loan book as on March 31, 2020 was ₹ 11,565 crore and net profit for FY 2020 was ₹ 259 crore (as per Indian GAAP).

A brief summary of domestic subsidiaries and Joint Ventures is as below

(₹ crore)

Entity	Owned funds	Total assets	Net profit	Offices	Staff
BOB Financial Solutions Ltd	196.36	572.17	(31.53)	38	561
BOB Capital Markets Ltd.	152.98	160.71	(0.80)	1	104
BarodaSun Technologies Limited	4.55	4.45	(0.09)	1	6
Baroda Global Shared Services Ltd.	16.03	17.19	4.00	5	1,019
The Nainital Bank Ltd.	556.01	8,440.39	(68.07)	4	971
Baroda Asset Management India Ltd.	65.01	80.02	0.85	5	76
Baroda Trustee India Pvt. Ltd.	0.10	0.15	0.01	1	0
IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	716.93	15,273.30	(97.42)	29	2,772
India Infradebt Limited	1,866.82	12,289.03	259.05	1	21

Awards and Accolades

Date	Awards 2019-20
11.06.2019	Bank awarded "National award for SHG bank linkage 2018-19 "by DAY-NRLM, Government at New Delhi.
29.06.2019	Award from "Governance Now" in 4th India Banking Reforms Conclave and BFSI Awards 2019 at Mumbai.
29.06.2019	Skoch Order of Merit 2019–Gold Award for Digital Financial Inclusion at New Delhi.
	Skoch Award 2019–"BANKING SILVER for Digital Financial Inclusion" at New Delhi
06.07.2019	Bank was bestowed two Awards at World HRD Congress organised by the Human Resource Development Management Committee
	1. National Award for Excellence in Training and Development under category – "Excellence in Training and Development Award."
	2. National Awards for Best in Class Learning and Development – under category "Best Deployment of a Learning Management System"
26.07.2019	Bank awarded 'The Experience Advantage for Delivering Lasting Moments' (customer interactions) in the PSU category by Kantar IMRB.
09.08.2019	Bank was awarded as the Most Trusted Brand in the Nationalised - Banks category by Reader's Digest TRUSTED BRAND SURVEY.
09.08.2019	Bank bagged Silver at SAMMIE 2019 - Best Social Media Brand Award (BFSI - banking category)
14.09.2019	The Bank received First Prize consecutively for third year in linguistic region 'B' under Rajbhasha Kirti Puraskar Yojna of Government of India.
25.11.2019	General Manager (Marketing, PR and Wealth Management), Bank of Baroda was conferred with "Most Influential Global Marketing Leaders Award", by World Marketing Congress, at Taj Lands end Hotel.
31.12.2019	Bank was awarded the 'Global – Lowest Gross Fraud (Issuer)' by Visa at the Global Service Quality Awards 2018
04.01.2020	Bank secured 1st position and has been awarded Top Performer in New Accounts Opened under PSU Bank category, at NSDL Star Performer Awards 2019, at Taj Lands End, Mumbai
13.01.2020	Bank received "The Excellence Award under Gold Category for outstanding performance in implementation of NBCFDC Loans in the public sector schemes "on the occasion of 28th foundation day of NBCFDC

Date	Awards 2019-20
31.01.2020	Bank received the IPE award for "Best Practices in CSR Awards-2020" For Livelihood Initiative.
07.02.2020	Indian Banks' Association (IBA) Banking Technology Conference, Expo and Awards 2020 at Hotel Trident, Nariman Point
	1. Best Technology bank of the year - Large Bank - Runner Up
	2. Best payments initiatives Amongst Public Sector Banks -Runner Up
	3. The most customer centric bank using technology - Large Bank -Joint Runner Up Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank received Best Digital Financial Inclusion amongst RRBs and Technology Bank of the year amongst RRBs.
10.02.2020	The Bank was awarded the FINNOVITI 2020 Award for its sound based payment system – "TONETAG".

Dividend Distribution Policy

RBI Vide notification RBI/2019-20/218 DOR.BP.BC. No.64/21.02.067/2019-20 dated April 17, 2020 has advised banks, due to environment of heightened uncertainty caused by COVID-19, to conserve capital, retain their capacity, support the economy and absorb losses. Accordingly, Bank has not declared dividend pay outs from the profits pertaining to the financial year ended March 31, 2020.The policy is given in this Annual Report and is also available on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/images/pdf/dividend-distribution-policy-of-the-bank-25-04-2019-17042020.pdf.

Board of Directors (Appointment /Cessation of Directors during the year)

Appointments

Shri Murali Ramaswami was appointed as Executive Director w.e.f. October 1, 2019 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, till his superannuation i.e., 31.12.2020, or until further order, whichever is earlier.

Prof. Biju Varkkey was appointed as Part Time Non Official Director w.e.f. October 21, 2019 by the Central Government u/s 9 (3) (h) and 9(3-A) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of -1- year or until further orders, whichever is earlier.

Shri Sanjiv Chadha was appointed as Managing Director and CEO w.e.f. January 20, 2020 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of -3- years or until further orders, whichever is earlier.

Shri Amit Agrawal was nominated as Government Nominee Director w.e.f. January 25, 2020 by the Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.

Cessations

Prof. Biju Varkkey ceased to be Non-Executive Director w.e.f. April 25, 2019 on completion of his tenure of 3 years.

Shri Gopal Krishan Agarwal ceased to be Director nominated under Chartered Accountant Category w.e.f. July 26, 2019 on completion of his tenure of 3 years.

Smt. Papia Sengupta ceased to be Executive Director w.e.f. October 1, 2019 upon attaining the age of superannuation on 30th September, 2019.

Shri Debasish Panda ceased to be Government Nominee Director w.e.f. January 25, 2020 and Shri Amit Agrawal was appointed in his place.

Shri P. S. Jayakumar ceased to be Managing Director and CEO w.e.f. October 13, 2019 on completion of his tenure.

Board Evaluation

Bank is following Government of India guidelines dated August 30, 2018 for PSB Governance Reforms – Enhancing governance through improved effectiveness of non-official directors.

Auditors' Compliance Certificate on Corporate Governance:

The Auditors' Compliance Certificate regarding the compliance of the conditions of Corporate Governance for the year 2019-20 is annexed with this report pursuant to "Part E" of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Business Responsibility Report

Business Responsibility Report as required by SEBI has been hosted on the website of the Bank (www.bankofbaroda.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary of the Bank.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2020:

a) The applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of RBI were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the

Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) The directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are adequate and were operating effectively.

Explanation: For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and procedures adopted by the Bank for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information;

f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

The Directors place on record their appreciation for the contributions made by the outgoing Managing Director and CEO Shri P. S. Jayakumar and other outgoing Directors viz., Shri Gopal Krishan Agarwal, Smt. PapiaSengupta and Shri Debasish Panda. The Directors express their sincere thanks to the Government of India, RBI, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities and the overseas regulators for their continued co-operation, guidance and support. The Directors would like to take this opportunity to express sincere thanks to valued clients for their continued patronage and support.

The Directors acknowledge with deep appreciation the cooperation extended by all shareholders, banks and financial institutions, rating agencies, stock exchanges and all well-wishers in India and abroad.

The Directors also take this opportunity to place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the employees of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors,

Sanjiv Chadha

Managing Director and CEO

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र – वित्तीय वर्ष 2019–2020

सेवा में,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

मुंबई

1. यह प्रमाणपत्र बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित') के साथ हमारे करार की शर्तों के अनुरूप जारी किया गया है.

2. इस रिपोर्ट में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीयन विनियम'), विनियम 17–27, विनियम 46(2) के उपबंध (बी) से (आई) तक और अनुसूची V के अनुच्छेद सी, डी और ई के अनुसार बैंक द्वारा 31 मार्च, 2020 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के ब्यौरे प्रस्तुत हैं.

प्रबंधन का दायित्व

3. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करने का दायित्व प्रबंध तंत्र का होगा. कॉर्पोरेट गवर्नेंस में निर्धारित सूचीयन विनियम की शर्तों का अनुपालन करने के लिए, आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव करना इनकी जिम्मेदारी होगी.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

4. हमारी जिम्मेदारी, कॉर्पोरेट गर्वनेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और इनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित होगी. यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है न ही उन पर हमारी राय.

5. हमने बैंक द्वारा कार्पेरेट गवर्नेंस संबंधी आवश्यक शर्तों के अनुपालन के संबंध में आश्वस्त होने के लिए बैंक के बही–खातों और तत्संबंधी अन्य अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है.

6. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी विशेष प्रयोजन के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्र पर मार्गदर्शी नोट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणन मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') दोनों के अनुसार जांच की है. मार्गदर्शी नोट में हमसे अपेक्षित है कि हम आईसीएआई द्वारा नैतिक मूल्य संहिता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें.

7. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, गुणवत्ता नियंत्रण की लेखापरीक्षा और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना की समीक्षा करने वाली संस्थाओं और अन्य आश्वासन एवं संबंधित करार सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं पर लागू अपेक्षाओं का पालन किया है.

राय

8. हमारी राय में और हमारी पूर्ण सूचना और बैंक द्वारा हमे दिए गए स्पष्टीकरण और अभ्यावेदनों के अनुरूप हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक

Independent Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance – Financial Year 2019-2020

To,

The Members,

Bank of Baroda

Mumbai

1. This certificate is issued in accordance with our terms of engagement with the Bank of Baroda (hereinafter referred as "the Bank").

2. This report contains details of compliance of conditions of Corporate Governance by the Bank for the year ended March 31, 2020, as stipulated in Regulations 17 – 27, clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") amended from time to time.

Management Responsibility

3. The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. This responsibility includes the design, implementation and maintenance on internal control and procedures to ensure the compliance with conditions of Corporate Governance stipulated in Listing Regulations.

Auditors Responsibility

4. Our responsibility is limited to examining procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring compliance with the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Bank.

5. We have examined the books of account and other relevant records and documents maintained by the Bank for the purpose of providing reasonable assurance on the compliance with Corporate Governance requirements by the Bank.

6. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates forSpecial Purposes and Guidance Note on Certification of Corporate Governance, ("Guidance Notes") both, issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). The Guidance Notes require that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.

7. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC)1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and OtherAssurance and Related Services Engagements.

Opinion

8. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and the

ने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में उपर्युक्त सेबी विनियमन में यथा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का इस हद तक अनुपालन किया है जिससे कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की अवहेलना न हो, जो निम्नलिखित के अधीन है:

ए. बैंक की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के बोर्ड में निदेशकों की संख्या सूचीयन विनियमन के तहत निर्धारित अपेक्षित संख्या से कम है.

9. हम स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भविष्य में व्यवहार्यता पर और न ही प्रबंध तंत्र द्वारा बैंक के कार्य निर्वाह की दक्षता या प्रभाविकता पर कोई आश्वासन है.

उपयोग पर प्रतिबंध

10. यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को संबोधित और जारी किया गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि बैंक सूचीयन विनियम का पालन कर सके और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तद्नुसार, किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना पूर्व लिखित सहमति के इस प्रमाणपत्र को दिखा कर/किसी के हाथ लगने पर इससे उत्पन्न किसी प्रकार की देयता या असावधानी के लिए हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते.

representations provided by the Bank, we certify that the Bank in all material aspects has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI Regulations to the extent these do not contradict the Banking Regulation Act, 1949 and Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, subject to –

a. The number of directors on the Board of Nomination and Remuneration Committee of the Bank is less than the required number prescribed under the Listing Regulation.

9. We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Restriction on Use

10. The certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any otherpurpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to anyother person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

कृते सिंघी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 302049E
For Singhi & Co.
Chartered Accountants
FRN : 302049E

(सीए श्वेता सिंघल)
साझेदार
एम नं. 414420
(CA Shweta Singhal)
Partner
M No. 414420
UDIN:20414420AAAABN1756
Place: Mumbai

कृते जी एम कपाडिया एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104767W
For **G M Kapadia & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 104767W

(सीए राजेन अशर)
साझेदार
एम नं. 048243
(CA Rajen Ashar)
Partner
M No. 048243
UDIN:20048243AAAAEZ9303
Place: Mumbai

कृते एस आर डिनोडिया एवं कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001478N / N500005
For **S R Dinodia & Co. LLP.**
Chartered Accountants
FRN : 001478N / N500005

(सीए संदीप डिनोडिया)
साझेदार
एम नं. 083689
(CA Sandeep Dinodia)
Partner
M No. 083689
UDIN:20083689AAAACE8087
Place: New Delhi

कृते दास गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000112N
For Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants
FRN : 000112N

(सीए पंकज मंगल)
साझेदार
एम नं. 097890
(CA Pankaj Mangal)
Partner
M No. 097890
UDIN:20097890AAAAAY5948
Place: New Delhi

कृते जे काला एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 118769W
For **J Kala & Associates**
Chartered Accountants
FRN : 118769W

(सीए जयेश काला)
साझेदार
एम नं. 101686
(CA Jayesh Kala)
Partner
M No. 101686
UDIN: 20101686AAAAAP8415
'Place: Mumbai

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2019-20
Corporate Governance Report 2019-20

गवर्नेंस संहिता पर बैंक की मान्यता

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस पर उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसी हर पद्धति पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उत्कृष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस का अनुपालन बैंक के परिचालनों का एक अभिन्न अंग है.
- विश्व भर में कार्पोरेट गवर्नेंस संगठनात्मक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है. सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियां, स्पर्धात्मक बढ़त बनाने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई हैं.
- बैंक की कार्पोरेट गवर्नेंस मान्यता पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेहिता जैसे मूल्यों में प्रतिबिम्बित होती है.
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा यह मानता है कि कार्पोरेट गवर्नेंस को मात्र एक नियामक आवश्यकता की दृष्टि से न देखा जाए क्योंकि कारोबार के संगठन, कार्पोरेट दायित्व और शेयरधारकों की आय को अधिकाधिक बढ़ाना, यह सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.

बैंक ने अपनी सभी गतिविधियों में कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत को सर्वव्यापी रुप से अपनाया है. बैंक इन आयामों में निरंतर उत्कृष्टता लाने में सदैव प्रयासरत रहता है और अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के अन्य सदस्यों सहित सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य में अविरत वृद्धि करता रहता है. बैंक का कार्पोरेट गवर्नेंस निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होता है:

- शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें अधिकतम स्तर पर पहुंचाना.
- सभी हितधारकों के साथ संव्यवहार में निष्पक्ष, नैतिक एवं पारदर्शिता.
- ग्राहकों, कर्मचारियों एवं बृहद् समाज सहित सभी हितधारकों के हितों का संरक्षण.
- कार्यनिष्पादन एवं ग्राहक सेवा हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना.
- बैंक के कार्यनिष्पादन एवं परिचालनों से संबंधित सभी मामलों में समय पर एवं सटीक प्रकटीकरण.
- हमारे बुनियादी मूल्यों का पालन करते हुए व्यवसाय करना.
- उत्कृष्ट स्तर का कार्पोरेट नेतृत्व तैयार करना.

बैंक के बुनियादी मूल्य इस प्रकार हैं:

1. सत्यनिष्ठा: हम अपने सभी हितधारकों के साथ वाणी, कार्यों और संव्यवहार में नैतिक और पारदर्शी हैं.
2. ग्राहक केन्द्रीयता: हमारी सभी गतिविधियों का केंद्र हमारे ग्राहकों का हित है.
3. साहस: हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं और अपने मूल्यों पर विश्वास करते हैं.
4. उत्साहपूर्ण स्वामित्वः हम अपने बैंक के प्रति ऊर्जा, उत्साह एवं अपनत्व का भाव रखते हैं और एक साथ मिल कर बैंक के लिए कार्य करते हैं.
5. नवोन्मेषिताः हम नवीन विचारों से मूल्य संवर्धन करते हैं.

BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

- Bank of Baroda is committed to adopting best recognized corporate governance practices and continuously benchmarking itself against each such practice. The adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations.
- Corporate Governance is emerged as an essential tool in the organizational management globally. Strong corporate governance practices have become crucial in achieving competitive advantage and positively impacting profitability.
- The Bank's corporate governance philosophy is reflected by the values of transparency, professionalism and accountability.
- Bank of Baroda believes that there is a need to view Corporate Governance as more than just regulatory requirements as there is a generic connection among the organization of business, corporate responsibility and shareholder's wealth maximization

The Bank has infused the philosophy of corporate governance into all its activities. The Bank constantly strives towards betterment of these aspects and thereby perpetuates it into generating long term economic value for all its stakeholders including shareholders, customers, employees and other society members. Bank's corporate governance is governed by the following principles:

- Enhance and maximize the shareholders value
- Fair, ethical and transparent in dealings with all the stake holders
- Protection of the interest of all stake holders including customers, employees and society at large
- Ensuring accountability for performance and customer service and to achieve excellence at all levels
- Timely and accurate disclosures on all matters pertaining to the performance and operations of the Bank
- Carrying the business adhering to our core values
- Creating corporate leadership of highest standard

The core cardinal values of the Bank are:

1. Integrity: We are ethical and transparent in our words, actions and dealings with all stakeholders.
2. Customer Centricity: Our customers' interests lie at the core of all our actions.
3. Courage: We are resilient in the face of adversity and having faith in our beliefs.
4. Passionate Ownership: We display energy, enthusiasm and commitment towards our Bank and we work together for the Bank.
5. Innovation: We create value with break-through ideas.

6. उत्कृष्टता: हम अपनी नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने का प्रयत्न करते हैं.

बैंक यह मानता है कि मजबूत कार्पोरेट गवर्नेंस एक जिम्मेदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, निरंतरता एवं प्रभावोत्पादकता की संस्कृति है जो संगठन में सर्वत्र प्रचलित है. बैंक एक सूचीबद्ध एंटीटी है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः बैंक सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा, सिवाय इसके कि ये विनियमन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधान और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ सुसंगत नहीं होते हैं.

बैंक में कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल

कार्यदायित्व एवं गठन

निदेशक मंडल का कार्यदायित्व अन्य दायित्वों के साथ निम्नानुसार है:

- नीतियां और नीतिगत फ्रेमवर्क को स्थापित करना,
- सार्थक एवं नीतिपरक निर्णय लेना,
- लक्ष्य प्राप्ति का अवलोकन,
- हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना,
- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी रखना

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है. 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निदेशक मण्डल का **स्वरूप अनुबंध-1 एवं 1ए** में प्रस्तुत है.

प्रत्येक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों अर्थात् कोर प्रबंधन टीम जिसमें सभी महाप्रबंधक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, वे आचार संहिता के अंतर्गत शासित होते हैं, जिसे निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा जिसे बैंक की बेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किया गया है. निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है.

निदेशक मंडल की बैठकें :

बैंक को एक वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित करनी होती है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल की -17- बैठकें संपन्न हुईं. बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 17

बैठकों की तारीखें: 25.04.2019, 22.05.2019, 07.06.2019, 13.06.2019, 14.06.2019, 27.06.2019, 25.07.2019, 21.08.2019, 26.09.2019, 08.11.2019, 28.11.2019, 12.12.2019, 13.12.2019, 26.12.2019, 24.01.2020, 27.02.2020, 23.03.2020

6. Excellence: We strive for continuous improvement in our policies, systems and processes.

The Bank believes that sound corporate governance is a culture of accountability, fairness, transparency, consistency and effectiveness which is practiced across the organization. The Bank is a listed entity; not a company but body corporate under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. The Bank has complied with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 except where the provisions of these regulations are not in conformity with The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India.

A report on implementation on provisions of Corporate Governance in the Bank is as below:

BOARD OF DIRECTORS

Role and Composition

The role of the Board includes amongst others:

- To establish policies and policy framework,
- To make significant and strategic decisions,
- To oversee the pursuit of objectives,
- To protect and maximize the interest of the stakeholders
- To oversee the risk profile of the Bank

The composition of Board of Directors is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended. The composition of the Board as on 31st March, 2020 is as per **Annexure-1 and 1A.**

Each Director and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all General Managers and Departmental Heads are governed by Code of Conduct approved by the Board which is posted on the Bank's website i.e. www.bankofbaroda.in . All the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed the compliance of the Code.

MEETINGS OF BOARD

Board is required to meet a minimum of six times in a year. During the Financial Year 2019-20, 17 meetings were held. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 17

Dates of Meetings: 25.04.2019, 22.05.2019, 07.06.2019, 13.06.2019, 14.06.2019, 27.06.2019, 25.07.2019, 21.08.2019, 26.09.2019, 08.11.2019, 28.11.2019, 12.12.2019, 13.12.2019, 26.12.2019, 24.01.2020, 27.02.2020, 23.03.2020

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया	Dr. Hasmukh Adhia	17	17
श्री पी. एस. जयकुमार*	Shri P.S. Jayakumar*	9	9
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	3	3
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	9	9
श्री मुरली रामास्वामी	Shri Murali Ramaswami	8	8
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	17	17
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	17	17
श्री देबाशीष पांडा*	Shri Debasish Panda*	15	8
श्री अमित अग्रवाल	Shri Amit Agrawal	2	2
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	17	14
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल*	Shri Gopal Krishan Agarwal*	7	5
डॉ. भरत कुमार डी डांगर	Dr. Bharatkumar D. Dangar	17	17
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	17	16
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	17	16
प्रो. बीजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	8	8

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

इसके अतिरिक्त गैर-कार्यपालक निदेशकों की अलग बैठक 2019-20 के दौरान निम्नानुसार हुई:

बैठक की तारीख: 26.02.2020

निदेशकों / कार्यपालकों की समितियां / उप-समितियां

बैंक के निदेशक मण्डल ने कार्यनीति के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और / अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है. महत्त्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

1. निदेशक मण्डल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
3. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
4. निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति
5. हितधारक संबंधपरक समिति
6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
7. ग्राहक सेवा समिति
8. बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति
9. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संबंधी समिति
10. निदेशक मण्डल की मानव संसाधन पर नीतिपरक सलाहकार समिति
11. निदेशकों की समिति
12. वसूली निगरानी समिति
13. शेयर/ बांड अंतरण समिति
14. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन एवं सीएसआर पर निदेशक मंडल की स्टियरिंग समिति
15. गैर-सूचीबद्ध अनुषंगियों के लिए गवर्नेंस समिति
16. इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति

*ceased to be member during the year.

In addition, separate meeting of independent non-executive directors was also held during 2019-20 as under:

Date of Meeting: 26.02.2020

COMMITTEES / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

Board has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance. The important Committees are as under:

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)
3. Audit Committee of the Board (ACB)
4. Risk Management Committee of the Board
5. Stakeholders Relationship Committee
6. Nomination & Remuneration Committee
7. Customer Service Committee
8. Committee on High Value Frauds
9. IT Strategy Committee
10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR
11. Committee of Directors
12. Committee for Monitoring of Recovery
13. Shares/Bonds Transfer Committee
14. Steering Committee of the Board on Rural – FI & CSR
15. Governance Committee for Unlisted Subsidiaries
16. Review Committee on Wilful Defaulters

1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

समिति व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण मामलों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव की मंजूरी, समझौता/बट्टे खाते वाले प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व संबंधी खर्चों की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत नामित निदेशकों में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक (गण) तथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 9(3) की उप धारा (ई) (एफ) (एच) तथा (आई) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों में से एक निदेशक होते हैं. बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 41

बैठकों की तारीखें: 09.04.2019, 16.04.2019, 26.04.2019, 07.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 29.05.2019, 04.06.2019, 07.06.2019, 11.06.2019, 18.06.2019, 25.06.2019, 02.07.2019, 09.07.2019, 16.07.2019, 23.07.2019, 06.08.2019, 21.08.2019, 03.09.2019, 11.09.2019, 20.09.2019, 24.09.2019, 26.09.2019, 03.10.2019, 23.10.2019, 31.10.2019, 07.11.2019, 14.11.2019, 26.11.2019, 10.12.2019, 23.12.2019, 26.12.2019, 02.01.2020, 08.01.2020, 22.01.2020, 31.01.2020, 07.02.2020, 04.03.2020, 06.03.2020, 17.03.2020, 27.03.2020.

1. Management Committee of the Board (MCB)

The Committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

It consists of Managing Director & CEO, Executive Director(s) and Directors nominated by Government of India under Section 9(3)(c) and One Director from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 41

Dates of Meetings: 09.04.2019, 16.04.2019, 26.04.2019, 07.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 29.05.2019, 04.06.2019, 07.06.2019, 11.06.2019, 18.06.2019, 25.06.2019, 02.07.2019, 09.07.2019, 16.07.2019, 23.07.2019, 06.08.2019, 21.08.2019, 03.09.2019, 11.09.2019, 20.09.2019, 24.09.2019, 26.09.2019, 03.10.2019, 23.10.2019, 31.10.2019, 07.11.2019, 14.11.2019, 26.11.2019, 10.12.2019, 23.12.2019, 26.12.2019, 02.01.2020, 08.01.2020, 22.01.2020, 31.01.2020, 07.02.2020, 04.03.2020, 06.03.2020, 17.03.2020, 27.03.2020.

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी. एस. जयकुमार (अध्यक्ष)*	Shri P.S. Jayakumar (Chairman)*	24	22
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	7	7
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	23	21
श्री मुरली रामस्वामी	Shri Murali Ramaswami	18	18
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	41	34
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	41	34
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	41	22
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	41	31
श्री श्रीनिवासन श्रीधर*	Shri Srinivasan Sridhar*	16	12

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

* Ceased to be member during the year.

2. निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)

ऐसे ऋण प्रस्ताव जो प्रबंध निदेशक व सीईओ को प्रायोजित शक्तियों से अधिक है तथा रु 800/- करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों को सीएसीबी द्वारा मंजूर किया जाता है. समिति में सभी पूर्णकालिक निदेशक, सीएफओ, सीआरओ एवं संबद्ध वर्टिकल के प्रमुखों का समावेश है. बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं.

2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)

The credit proposals which exceed the powers delegated to Managing Director & CEO and are up to Rs. 800 crore are considered for approval by the CACB. The Committee comprises of all Whole Time Directors, CFO, CRO and respective Heads of verticals. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

आयोजित बैठकें: 27

बैठकों की तारीखें: 10.04.2019, 14.05.2019, 11.06.2019, 21.06.2019, 28.06.2019, 11.07.2019, 23.07.2019, 06.08.2019, 20.08.2019, 09.09.2019, 20.09.2019, 26.09.2019, 30.09.2019, 11.10.2019, 02.11.2019, 14.11.2019, 05.12.2019, 13.12.2019, 18.12.2019, 26.12.2019, 31.12.2019, 07.01.2020, 31.01.2020, 06.02.2020, 04.03.2020, 12.03.2020, 30.03.2020.

No. of Meetings held: 27

Dates of Meetings: 10.04.2019, 14.05.2019, 11.06.2019, 21.06.2019, 28.06.2019, 11.07.2019, 23.07.2019, 06.08.2019, 20.08.2019, 09.09.2019, 20.09.2019, 26.09.2019, 30.09.2019, 11.10.2019, 02.11.2019, 14.11.2019, 05.12.2019, 13.12.2019, 18.12.2019, 26.12.2019, 31.12.2019, 07.01.2020, 31.01.2020, 06.02.2020, 04.03.2020, 12.03.2020, 30.03.2020.

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी. एस. जयकुमार (अध्यक्ष)*	Shri P.S. Jayakumar (Chairman)*	14	14
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	5	5
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	13	11
श्री मुरली रामस्वामी	Shri Murali Ramaswami	14	14
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	27	21
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	27	23
श्री रमेश गोपालरतनम – सीएफओ	Shri Ramesh Gopalratnam – CFO	27	24
श्री सिद्धेस्वर पात्रा – सीआरओ	Shri Sidheswar Patra – CRO	27	17

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year

3. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

एसीबी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

- लेखापरीक्षा समिति समग्र बैंक की लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों के परिचालनों को तथा लेखापरीक्षा आयोजना को दिशा देती है तथा उनकी देखरेख करती है, जिसमें आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजित करना, उनका परिचालन एवं गुणवत्ता, आंतरिक नियंत्रण संस्तुतियों और बैंक के आंतरिक/ समवर्ती/ सांविधिक/ बाहरी लेखापरीक्षकों के सुझावों का अनुवर्तन शामिल है. यह बैंक द्वारा केवाईसी – एएमएल अनुपालन, हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र, नियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों की अपवादात्मक रिपोर्टिंग एवं अनुपालन की समीक्षा भी करती है.
- यह, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा बैंक के वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आईएस लेखापरीक्षा एवं बैंक की लेखा नीतियों/प्रणाली नीतियों की समीक्षा करती है.
- लेखापरीक्षा समिति बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति का निर्धारण एवं उसकी समीक्षा करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही हैं एवं संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन किया गया है. यह समिति तिमाही/ वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों से विचार-विमर्श करती है; समीक्षा करती है तथा बोर्ड को अनुमोदन के लिए संस्तुत करती है.
- लेखापरीक्षा समिति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के अनुपालन के लिए फॉलो-अप करती है. यह लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी फॉलो-अप करती है.

समिति में कुल पांच सदस्य हैं (i) भारत सरकार के नामित निदेशक (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक (iii) बैंक के कार्यपालक निदेशक- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के प्रभारी (iv) गैर-कार्यपालक निदेशक (सीए) (v) एक गैर- कार्यपालक निदेशक.

3. Audit Committee of the Board (ACB)

The functions of ACB, inter alia, include

- ACB provides directions and oversees the operations of audit function and audit plan of the Bank including the internal audit organization, its operation and quality, internal control recommendations and follow-up the suggestions of Internal / concurrent/ Statutory/ External Auditors of the Bank. It also reviews KYC-AML compliance by the Bank, major areas of housekeeping, exception reporting and compliance of regulatory and statutory guidelines.
- It reviews the adequacy of internal control systems and the financial, risk management, IS Audit, and Accounting Policies / System Policies of the Bank.
- The committee assesses and reviews the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are accurate and in compliance with relevant guidelines. It interacts with Statutory Auditors before finalization of quarterly / annual financial statements; reviews them and recommends to the Board for approval.
- ACB follows up for compliance of all the issues raised by RBI, during Risk Based Supervision of the Bank under Section 35 of B. R. Act 1949. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR)

The Committee comprises -5- members (i) GOI Nominee Director (ii) RBI Nominee Director (iii) Bank's Executive Director- In charge of Internal Audit Function (iv) Non-Executive Director (CA) (v) One Non-Executive Director

आयोजित बैठकें: 17

बैठकों की तारीखें: 04.04.2019, 25.04.2019, 18.05.2019, 22.05.2019, 27.06.2019, 12.07.2019, 24.07.2019, 25.07.2019, 04.09.2019, 27.09.2019, 09.10.2019, 07.11.2019, 08.11.2019, 29.11.2019, 23.01.2020, 24.01.2020, 28.02.2020.

No. of Meetings held: 17

Dates of Meetings: 04.04.2019, 25.04.2019, 18.05.2019, 22.05.2019, 27.06.2019, 12.07.2019, 24.07.2019, 25.07.2019, 04.09.2019, 27.09.2019, 09.10.2019, 07.11.2019, 08.11.2019, 29.11.2019, 23.01.2020, 24.01.2020, 28.02.2020.

निदेशक का नाम	Name of Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री श्रीनिवासन श्रीधर (अध्यक्ष)	Shri Srinivasan Sridhar (Chairperson)	9	9
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	17	17
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	17	15
डॉ. भरतकुमार डी डांगर	Dr. Bharatkumar D. Dangar	7	7
श्री अमित अग्रवाल	Shri Amit Agrawal	1	0
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल*	Shri Gopal Krishan Agarwal*	8	8
श्री देबाशीष पांडा*	Shri Debasish Panda *	16	5

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, एसीबी ने अन्य के अलावा निम्नलिखित की समीक्षा की:

- आरबीआईए नीति-घरेलू, आरबीआईए नीति-अंतर्राष्ट्रीय, ऋण लेखापरीक्षा नीति, संगामी लेखापरीक्षा नीति, आईएस लेखापरीक्षा नीति का अनुमोदन/ समीक्षा.
- बैंक की अधिवर्षिता योजना के निधियन हेतु नीति का अनुमोदन.
- कर्मचारियों/निदेशकों के लिए आंतरिक व्हिसल ब्लोवर नीति का अनुमोदन.
- संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी समीक्षा एवं अनुमोदन.
- संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति के अंतर्गत बहुप्रयोजन लेनदेन का अनुमोदन.
- आंतरिक/ कार्यालय बहियों को खोलना, परिचालित करना, समीक्षा, निगरानी, मिलान और अन्य आस्तियों के प्रावधान संबंधी नीति का अनुमोदन.
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ पूर्ववर्ती विजया बैंक एवं पूर्ववर्ती देना बैंक के समामेलन के संबंध में प्रदत्त लेखांकन विधि पर नोट.
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों दोनों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति.
- विदेशी विनियामक द्वारा अनुषंगियों/शाखाओं का विनियामक निरीक्षण.
- एनबीएफसी/ एचएफसी में बैंक के प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष एक्स्पोज़र की स्थिति की समीक्षा.
- आंतरिक/ कार्यालय बहियों के परिचालन संबंधी विशेष लेखापरीक्षा.
- जोखिम अल्पीकरण योजना (आरएमपी-2018 एवं आरएमपी-2019) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अवलोकनों की समीक्षा.

During FY 2019-20, ACB inter-alia approved/reviewed the following:

- Approval/ Review of RBIA Policy-Domestic, RBIA Policy-International, Credit Audit Policy, Concurrent Audit Policy, IS Audit Policy
- Approval of Policy for funding of Superannuation schemes of Bank.
- Approval of Internal Whistle Blower Policy for Employees / Directors
- Review and approval of Policy on Related Party Transactions & Material Subsidiaries
- Approval of Omnibus Transactions under Policy on Related Party Transactions & Material Subsidiaries
- Approval of policy on Opening, Operating, Reviewing, Monitoring, Reconciliation of Internal / Office Accounts and Provisioning of other Assets
- Note on accounting treatment to be given on amalgamation of Erstwhile Vijaya Bank & Erstwhile Dena Bank with Bank of Baroda
- Appointment of Statutory Auditors for both Domestic & International operations.
- Regulatory examination of Subsidiaries / Branches by Overseas Regulator
- Review the status of Bank's Direct / Indirect exposure to NBFCs/HFC
- Special Audit on Operation of Internal / Office accounts
- Review of observations made by RBI under Risk Mitigation Plan (RMP-2018 & RMP-2019)

- वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं तिमाही (जून-2019 से दिसंबर-2019) के लिए बैंक के स्टैंडअलोन/समेकित परिणाम के अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल की अनुशंसा.

4. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

जोखिम प्रबंधन समिति, बैंक द्वारा उठाए जा रहे समग्र जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है. बैंक ने जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण और जोखिम लेखापरीक्षा को शामिल कर समुचित जोखिम प्रबंधन सभी के लिए संरचना इस दृष्टि से तैयार की है कि विभिन्न श्रेणियों के जोखिमों अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिमों का निर्धारण, प्रबंधन, निगरानी तथा नियंत्रण किया जा सके.

बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) इस समिति के संयोजक हैं. जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दृढ़ बनाने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों को निदेशक मंडल के सलाहकार के रूप में शामिल किया है. इन बैठकों की तारीखें और समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 8

बैठकों की तारीखें: 21.05.2019, 07.06.2019, 24.07.2019, 26.09.2019, 07.11.2019, 26.12.2019, 23.01.2020, 23.03.2020.

- Recommended to the Board for approval of the Standalone / Consolidated Financial results of the Bank for the FY 2018-19 and Quarter (June -2019 to Dec-2019).

4. Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee reviews and evaluates the overall risks assumed by the Bank. The Bank has set up risk management architecture comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Controls and Risk Audit, all with a view to identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

Chief Risk Officer (CRO) of the Bank is the convener of the Committee. To strengthen the expertise on Risk Management, the Bank has also inducted specialists in the area of risk management as advisors to the Board who are part of this Committee. The dates of the meetings and attendance of the members of Committee are as under:

No. of Meetings held: 8

Dates of Meetings: 21.05.2019, 07.06.2019, 24.07.2019, 26.09.2019, 07.11.2019, 26.12.2019, 23.01.2020, 23.03.2020.

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	8	7
श्री पी. एस. जयकुमार*	Shri P. S. Jayakumar*	4	4
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	2	2
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	4	3
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	8	8
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	8	8
श्री मुरली रामस्वामी	Shri Murali Ramaswami	4	4
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	8	6
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	8	8
श्रीमती सुजाता वेंकटरमन – सलाहकार*	Smt. Sujatha Venkatramanan - Advisor*	3	1
श्री हिमाद्रि भट्टाचार्य – सलाहकार	Shri Himadri Bhattacharya - Advisor	8	8

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year.

वर्ष के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन/ समीक्षा की:

- कृषि ग्राहकों के लिए लक्ष्य बाजार पद्धति
- एमएसएमई वर्ग के लिए लक्ष्य बाजार पद्धति
- फाटका/सीआरएस संबंधी नीति
- वैश्विक ऋण एक्सपोजर प्रबंधन नीति
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों पर विवेकसम्मत वैश्विक सीमा निर्धारण.
- आरबीआई विनियमित एनबीएफसी-एनडी-सिस, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, मार्केट जोखिम प्रबंधन नीति और जोखिम संबंधी नीतियों सहित प्रतिपक्षी बैंकों पर एक्स्पोज़र सीमा संबंधी नीति और ऋणों की सह-उत्पत्ति के लिए नीति.

During the year, the Committee inter-alia approved/reviewed following:

- Target Market Approach for Agriculture customers
- Target Market Approach for MSME segment
- Policy on FATCA-CRS
- Global Credit Exposure Management Policy
- Global Prudential caps on various Industries and Sectors for the financial year 2019-20
- Policy on Exposure Limits on Counterparty banks, Policy for Co-origination of loans with RBI regulated NBFC-ND-Sis, Cyber Security Policy, Market Risk Management Policy and other Risk related policies

5. हितधारक संबंधपरक समिति

यह समिति शेयरों के ट्रांसफर/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होने, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, सामान्य बैठकों आदि सहित सूचीबद्ध एंटिटियों के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों से संबंधित निगरानी करती है. यह समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है.

इस समिति में कार्यपालक निदेशक (निदेशकगण) एवं दो गैर-कार्यपालक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं तथा एक गैर-कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं. इन बैठकों की तारीखें और समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 3

बैठकों की तारीखें: 26.06.2019, 01.10.2019, 26.12.2019.

5. Stakeholders Relationship Committee

The Committee monitors grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/ transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The Committee consists of Executive Director (s) and two non-Executive Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 3

Dates of Meetings: 26.06.2019, 01.10.2019, 26.12.2019.

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री श्रीनिवासन श्रीधर (अध्यक्ष)	Shri Srinivasan Sridhar (Chairman)	1	1
डॉ. भरतकुमार डी डांगर	Dr. Bharatkumar D. Dangar	3	3
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	1	1
श्री मुरली रामास्वामी	Shri Murali Ramaswami	2	2
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	3	3
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	3	3

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई निम्नलिखित शिकायतों / अनुरोधों को समिति द्वारा नोट किया गया:

Following requests/complaints received and resolved during the year were noted by the Committee:

दि. 01.04.2019 तक लंबित Pending as on 01.04.2019	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year	वर्ष के दौरान निस्तारित Resolved during the year	दि. 31.03.2020 तक लंबित Pending as on 31.03.2020
0	8014	8014	0

श्री पी के अग्रवाल, कम्पनी सचिव को सेबी (सूचीयन करार और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियम 6 के तहत बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है.

Shri P K Agarwal, Company Secretary is the designated "Compliance Officer" of the Bank under Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

6. नामांकन समिति

यह समिति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचन हेतु व्यक्तियों के लिए तथा इस श्रेणी के अंतर्गत मौजूदा निदेशकों हेतु वार्षिक आधार पर फिट एण्ड प्रॉपर'' स्टेटस सुनिश्चित करती है. इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 1

बैठकों की तारीखें: 22.05.2019,

6. Nomination Committee

The Committee ascertains 'Fit and Proper' status of persons to be elected as shareholder director on the Board as per the provisions of Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and also on annual basis for these directors. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 1

Date of Meeting: 22.05.2019

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	1	1
श्री देबाशीष पांडा*	Shri Debasish Panda*	1	1
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल*	Shri Gopal Krishan Agarwal*	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार इस समिति का पारिश्रमिक समिति में विलय कर दिया गया है और अब दिनांक 26.09.2019 से इसे नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के नाम से जाना जाता है.

7. ग्राहक सेवा समितियां

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने एवं नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफॉर्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करना और संतुष्टि स्तर में सुधार करना शामिल है.

समिति निम्नलिखित कार्यों का भी निष्पादन करती है:

I. सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना.

II. अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक बीत जाने पर भी लागू न किए गए बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.

III. मृत जमाकर्ताओं/ लॉकर किराएदारों/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से सम्बन्धित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक समय से बकाया दावों की संख्या की स्थिति संबंधी समीक्षा करना.

IV. लंबित सीओपीआरए मामलों की स्थिति की समीक्षा.

इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 3

बैठकों की तारीखें: 26.06.2019, 27.09.2019, 27.12.2019.

The Committee has since been merged with Remuneration Committee and now known as “Nomination & Remuneration Committee” as per RBI directives w.e.f. 26.09.2019.

7. Customer Service Committee

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times.

The Committee has also the following tasks:

I. To oversee the functioning of and compliance with the recommendations of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services.

II. To review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.

III. To review the status of the number of deceased claims remaining pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors / locker hirers / depositor of safe custody articles.

IV. To review the status of the COPRA cases remaining pending.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 3

Dates of Meetings: 26.06.2019, 27.09.2019, 27.12.2019.

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	0	0
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P. S. Jayakumar*	2	0
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	2	2
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	3	3
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	3	2
श्री मुरली रामस्वामी	Shri Murali Ramaswami	1	1
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinvasan Sridhar	3	3

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*ceased to be member during the year.

8. बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति

समिति बैंक में रु 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी करती है ताकि:

(ए) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जा सकें.

(बी) धोखाधड़ी पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान, यदि है, तथा बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबन्धकों को उसकी रिपोर्टिंग.

(सी) सीबीआई/ पुलिस जांच पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति की निगरानी.

(डी) यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही का परीक्षण हो और जहां स्टाफ पर कार्रवाई अपेक्षित हो, अविलम्ब की जाए.

(ई) धोखाधड़ी की पुनरावृति के निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना.

इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 25.04.2019, 21.08.2019, 28.11.2019, 27.02.2020.

8. Committee on High Value Frauds

The Committee monitors high value frauds of ₹1.00 crore and above in the Bank so as to:

a) Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place remedial measures to plug the same.

b) Identify the reasons for delay in detection, if any, and reporting to the Top Management and RBI.

c) Monitor progress of CBI / Police Investigation, and recovery position.

d) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.

e) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 25.04.2019, 21.08.2019, 28.11.2019, 27.02.2020.

निदेशक/ सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	4	4
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	1	1
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P S Jayakumar*	2	1
श्री देबाशीष पांडा*	Shri Debasish Panda*	3	3
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल*	Shri Gopal Krishan Agarwal*	1	1
श्रीमती सौंदरा कुमार*	Smt. Soundara Kumar*	2	2
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	2	2
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	4	4
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	4	4
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	4	3
प्रो. बीजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	2	2
श्री मुरली रामास्वामी	Shri Murali Ramaswami	4	3
श्री के एन नायक (सीवीओ)*	Shri K N Nayak (CVO)*	3	3
श्रीमती एस श्रीमथी (सीवीओ)	Smt. S Srimathy (CVO)	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*ceased to be member during the year

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की समीक्षा/ अनुमोदन किया है:

- वेयरहाउस/ स्टोरेज रसीद के पेटे वित्तपोषण से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया.
- स्वर्ण आभूषण/ गहनों के पेटे ऋण हेतु सुदृढ़ नियंत्रणों को लागू किया गया.
- बड़े ऋण एक्सपोजर की बेहतर तथा विशेषीकृत निगरानी के लिए ऋण निगरानी एजेंसियों (सीएमए)/ और प्रोजेक्ट निगरानी एजेंसियों (पीएमए) के नियोजन हेतु दिशानिर्देशों को परिचालित किया गया
- फिनाकल सिस्टम के साथ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मेसेजिंग सिस्टम (एसएफ़एमएस) को एकीकृत किया गया
- धोखाधड़ी की स्थिति में सीबीआई शिकायत को दर्ज करने के लिए मानक परिचालनगत प्रक्रिया (एसओपी) को लागू किया गया.

9. बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं सायबर धोखाधड़ियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार, बैंक ने अपने निदेशक मंडल की दिनांक 27 फरवरी, 2012 की बैठक में आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया. बैंक ने तीन आईटी विशेषज्ञों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जो इस समिति के सदस्य हैं. इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 21.05.2019, 24.07.2019, 07.11.2019, 23.01.2020.

During FY 2019-20, the Committee inter-alia approved/ reviewed the following:

- Guidelines on financing against warehouse/storage receipts have been revised.
- Enhanced controls have been implemented for lending against gold ornaments/jewellery.
- Guidelines for engagement of Credit Monitoring Agencies (CMA)/and Project Monitoring Agencies (PMA) for better and specialized monitoring of large credit exposure have been circulated.
- Structured Financial Messaging System (SFMS) has been integrated with finacle system.
- Standard Operating Procedure (SOP) on lodgment of CBI Complaint in fraud has been implemented.

9. IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee. The Bank has inducted three IT specialists as Advisors who are also members of the Committee. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 21.05.2019, 24.07.2019, 07.11.2019, 23.01.2020.

निदेशक/ सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. भरतकुमार डी. डांगर (अध्यक्ष)	Dr. Bharatkumar D. Dangar (Chairman)	4	4
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	1	1
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P.S. Jayakumar*	2	2
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल*	Shri Gopal Krishan Agarwal*	2	2
श्री शांति लाल जैन*	Shri Shanti Lal Jain*	4	1
श्री मुरली रामस्वामी	Shri Murali Ramaswami	4	4
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची*	Shri Vikramaditya Singh Khichi*	4	1
श्री शरद सक्सेना – सीटीओ	Shri Sharad Saxena – CTO	4	3
डॉ. दीपक बी फाटक – सलाहकार	Dr. Deepak B. Phatak – Advisor	4	4
श्री कल्याण राव* – सलाहकार	Shri Kalyana Rao* - Advisor	3	3

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*ceased to be member during the year

बैंक, ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर अपने उत्पाद, प्रणाली व संरचना में सुधार कर रहा है. बैंकिंग सेवाओं के डिजिटल होने पर ग्राहकों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं जिससे कि सूचना प्रौद्योगिकी संरचना का निरंतर उन्नयन करना पड़ता है.

The Bank is constantly evolving its products, systems and structure to meet the growing aspirations of the customers. Digitization of banking services has raised the expectations of the customers thus driving continuous upgradation of the IT infrastructure.

10. मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की कार्यनीति सलाहकार समिति

यह समिति मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/ मुद्दों पर चर्चा करती है. बैंक ने मा.सं. के क्षेत्र में दो विशेषज्ञों को बोर्ड के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जो इस समिति के भी सदस्य हैं. इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 5

बैठकों की तारीखें: 11.04.2019, 26.06.2019, 25.10.2019, 27.12.2019, 28.01.2020.

10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR

The Committee discusses various matters/issues related to Human Resources. The Bank has inducted two specialists in the area of HR as Advisors to the Board who are also members of the Committee. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 5

Dates of Meetings: 11.04.2019, 26.06.2019, 25.10.2019, 27.12.2019, 28.01.2020.

निदेशक/ सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया	Dr. Hasmukh Adhia	3	3
प्रो. बीजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	4	4
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P.S.Jayakumar*	2	2
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	5	4
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta *	2	2
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	5	5
श्री कृष शंकर – सलाहकार	Shri Krish Shankar - Advisor	5	1

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*ceased to be member during the year

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की समीक्षा/ अनुमोदन किया है:

- कर्मचारी नियोजन नीति का अनुमोदन
- बैंक में खेल नीति का अनुमोदन
- बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को देखते हुए स्टाफ संबंधी लाभ और स्टाफ संबंधी ऋण उत्पादों को अनुकूल करने हेतु संशोधन/ आशोधन
- समामेलित इकाई के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कर्मचारी कल्याण निधि के लिए भारतीय रुपए में 50 करोड़ के ऋण का अनुमोदन
- समामेलन के बाद बैंक की आईआर स्थिति की समीक्षा की गई
- बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद की शुरुआत से भारत सरकार द्वारा जारी संबंधित दिशानिर्देशों का समावेश.
- 1) सीआरओ की नियुक्ति, 2) महाप्रबंधक या मुख्य महाप्रबंधक पद हेतु पदोन्नति के लिए न्यूनतम शेष सेवा, 3) बैंक में नेतृत्व प्रक्रिया का निर्माण करना, 4) विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए जॉब फैमिली पद्धति की शुरुआत, 5) निरंतर प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों के लिए वार्षिक, अनिवार्य भूमिका आधारित ई-लर्निंग कार्यक्रम की व्यवस्था - के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का समावेश
- सेवा की उत्कृष्टता के लिए बैंक स्तरीय कार्यक्रम हेतु अनुमोदन

During FY 2019-20, the Committee inter-alia approved/ reviewed the following:

- Approval of the Employee Engagement policy.
- Approval of Sports Policy in the Bank.
- Revision / Modification in Harmonization of staff Benefits and Staff Loans products in view of amalgamation of Vijaya Bank & Dena Bank with Bank of Baroda
- Approval of credit of INR 50 crores towards staff welfare fund for FY 2019-20 for the amalgamated entity
- Reviewed the IR Scenario of the Bank post amalgamation.
- Incorporation of the guidelines issued by the Govt of India on the introduction of the post of CGMs in the Bank.
- Incorporation of the guidelines issued by the Govt of India in the matter of 1) Appointment of CRO, 2) Minimum residual service for promotion to GM or CGM, 3) creating leadership pipeline in the Bank, 4) Introduction of a system of Job families for facilitating specialization, 5) Institution of annual, mandatory role based e- learning programme for officers for continuous learning.
- Approval for the Bank wide programme on service Excellence.

11. निदेशकों की समिति

यह समिति वित्त मंत्रालय के अनुरुप सतर्कता/ गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य करती है. इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 3

बैठकों की तारीखें: 22.05.2019, 24.07.2019, 26.12.2019.

11. Committee of Directors

This Committee deals with review of vigilance/non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with MOF guidelines. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 3

Dates of Meetings: 22.05.2019, 24.07.2019, 26.12.2019.

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी एस जयकुमार (अध्यक्ष)*	Shri P.S. Jayakumar (Chairman)*	2	2
श्री देबाशीष पांडा*	Shri Debasish Panda*	3	1
श्री अमित अग्रवाल	Shri Amit Agrawal	0	0
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	3	3
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	3	3

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*ceased to be member during the year

12. वसूली निगरानी के लिए समिति

यह समिति बैंक में एनपीए प्रबंधन की समीक्षा करती है; ऋण एवं अग्रिमों की वसूली प्रणाली एवं वसूली कार्यनिष्पादन की निगरानी करती है और बड़ी राशि के एनपीए खातों की निगरानी करती है. इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 11

बैठकों की तारीखें: 26.04.2019, 24.05.2019, 26.06.2019, 26.07.2019, 18.09.2019, 01.10.2019, 11.10.2019, 06.11.2019, 22.01.2019, 29.02.2020, 23.03.2020.

12. Committee for Monitoring of Recovery

The Committee reviews NPA management in the Bank; provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 11

Dates of Meetings: 26.04.2019, 24.05.2019, 26.06.2019, 26.07.2019, 18.09.2019, 01.10.2019, 11.10.2019, 06.11.2019, 22.01.2019, 29.02.2020, 23.03.2020.

निदेशक/ सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	3	3
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P. S. Jayakumar*	7	5
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	5	3
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	11	10
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	11	7
श्री मुरली रामस्वामी	Shri Murali Ramaswami	11	9
डॉ. भरतकुमार डी. डांगर	Dr. Bharatkumar D. Dangar	11	11
श्रीमती सौंदरा कुमार*	Smt. Soundara Kumar*	8	8
प्रो. बीजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	3	3
श्री रजनीश शर्मा (म.प्र., प्रमुख कॉर्पोरेट एवं संस्थागत ऋण)	Shri Rajneesh Sharma (GM, Head Corporate & Inst. Credit)	11	9
श्री के जी गोयल (म.प्र. - प्रमुख ऋण गुणवत्ता एवं पोर्टफोलियो निगरानी)	Shri K G Goyal (GM - Head Credit Quality & Portfolio Monitoring)	11	10

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*ceased to be member during the year.

समिति ने एनपीए एवं बट्टाकृत खातों में वसूली की समग्र स्थिति, एनपीए खातों में वसूली कार्रवाई की स्थिति, इरादतन चूककर्ता, आईबीसी के अंतर्गत प्रगति एवं वसूली में वृद्धि हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यनीतियों/ पहलों के समग्र कार्यान्वयन/ प्रगति की समीक्षा की.

13. शेयर/ बांड अंतरण समिति

समिति शेयरों/ बांडों के अंतरण/ हस्तांतरण तथा अन्य मामलों जैसे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करना, नाम हटाना, स्टेटस बदलना आदि पर विचार करती हैं एवं अनुमोदन करती है.

आयोजित बैठकें: 46

बैठकों की तारीखें: 05.04.2019, 15.04.2019, 20.04.2019, 03.05.2019, 04.05.2019, 20.05.2019, 30.05.2019, 06.06.2019, 10.06.2019, 17.06.2019, 25.06.2019, 01.07.2019, 09.07.2019, 18.07.2019, 24.07.2019, 26.07.2019, 07.08.2019, 09.08.2019, 22.08.2019, 26.08.2019, 28.08.2019, 09.09.2019, 17.09.2019, 23.09.2019, 26.09.2019, 03.10.2019, 10.10.2019, 22.10.2019, 31.10.2019, 06.11.2019, 20.11.2019, 22.11.2019, 04.12.2019, 10.12.2019, 02.01.2020, 04.01.2020, 13.01.2020, 21.01.2020, 11.02.2020, 13.02.2020, 28.02.2020, 02.03.2020, 04.03.2020, 18.03.2020, 20.03.2020, 31.03.2020

The Committee reviewed overall position of recovery in NPA and written off accounts, status of recovery actions in NPA accounts, wilful defaulters, progress under IBC and overall implementation/progress of various strategies/initiatives taken by the Bank for maximization of recovery.

13. Shares/Bonds Transfer Committee:

The Committee considers and approves transfer / transmission of shares / bonds and other issues like issue of duplicate share certificate, deletion of name, change of status, etc.

No. of Meetings held: 46

Dates of Meetings: 05.04.2019, 15.04.2019, 20.04.2019, 03.05.2019, 04.05.2019, 20.05.2019, 30.05.2019, 06.06.2019, 10.06.2019, 17.06.2019, 25.06.2019, 01.07.2019, 09.07.2019, 18.07.2019, 24.07.2019, 26.07.2019, 07.08.2019, 09.08.2019, 22.08.2019, 26.08.2019, 28.08.2019, 09.09.2019, 17.09.2019, 23.09.2019, 26.09.2019, 03.10.2019, 10.10.2019, 22.10.2019, 31.10.2019, 06.11.2019, 20.11.2019, 22.11.2019, 04.12.2019, 10.12.2019, 02.01.2020, 04.01.2020, 13.01.2020, 21.01.2020, 11.02.2020, 13.02.2020, 28.02.2020, 02.03.2020, 04.03.2020, 18.03.2020, 20.03.2020, 31.03.2020

निदेशक/ सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	9	1
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P. S. Jayakumar*	27	6
श्री मुरली रामास्वामी	Shri Murali Ramaswami	21	14
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	25	19
श्री शांति लाल जैन	Shri Shantil Lal Jain	46	33
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	46	31
श्री आर के माथुर	Shri R K Mathur	46	44
श्री एन वेणुगोपाल	Shri N Venugopal	46	37

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*ceased to be member during the year.

14. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन एवं कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर निदेशक मंडल की संचालन समिति

समिति द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा बैंक द्वारा की जाने वाली सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा उसके सामाजिक प्रभाव हेतु पारदर्शी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाती है. इन बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 25.04.2019, 21.08.2019, 29.11.2019, 27.02.2020

14. Steering Committee of the Board on Rural – FI & CSR

The Committee oversees all activities under the Bank's Corporate Social Responsibility Policy and institutes a transparent monitoring mechanism for implementation of CSR projects or programs or activities undertaken by the Bank and social impact of the same. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 25.04.2019, 21.08.2019, 29.11.2019, 27.02.2020

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	4	4
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P S Jayakumar*	2	2
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	1	1
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	2	2
श्री मुरली रामस्वामी	Shri. Murali Ramaswami	2	2
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	4	4
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	4	4
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल*	Shri Gopal Krishan Agarwal*	1	1
डॉ. भरतकुमार डी. डांगर	Dr. Bharatkumar D Dangar	4	4
प्रो. बीजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	4	2

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

* ceased to be member during the year

15. सूचीबद्ध न हों, ऐसी अनुषंगियों की गवर्नेंस समिति

सूचीबद्ध न हो, ऐसी अनुषंगियों के गवर्नेंस पर निगरानी रखने के लिए सेबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप यह समिति गठित की गई है. इसकी बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 2

बैठकों की तारीखें: 26.06.2019, 26.09.2019

15. Governance Committee for Unlisted Subsidiaries

This Committee is constituted as per SEBI guidelines to monitor the governance of unlisted subsidiaries. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 2

Dates of Meetings: 26.06.2019, 26.09.2019

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी एस जयकुमार (अध्यक्ष)*	Shri P.S. Jayakumar (Chairman)*	2	2
श्री संजीव चड्ढा	Shri. Sanjiv Chadha	0	0
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	2	2
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	2	2

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

* ceased to be member during the year

16. इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति

यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जनवरी, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुरूप इरादतन चूककर्ताओं की पहचान संबंधी प्रणाली में संशोधन के अनुसार गठित की गई है.

आयोजित बैठकें: 12

बैठकों की तारीखें: 26.04.2019, 24.05.2019, 26.07.2019, 18.09.2019, 01.10.2019, 11.10.2019, 15.11.2019, 20.11.2019, 27.12.2019, 22.01.2020, 29.02.2020, 23.03.2020.

16. Review Committee on Wilful Defaulters

This Committee is constituted as per modification in the Mechanism for identification of Wilful Defaulters as per Reserve Bank of India guidelines dated 7th January, 2015.:

No. of Meetings held: 12

Dates of Meetings: 26.04.2019, 24.05.2019, 26.07.2019, 18.09.2019, 01.10.2019, 11.10.2019, 15.11.2019, 20.11.2019, 27.12.2019, 22.01.2020, 29.02.2020, 23.03.2020.

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	3	3
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P.S. Jayakumar*	6	6
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	3	3
डॉ. भरतकुमार डी. डांगर	Dr. Bharatkumar D. Dangar	12	12
श्रीमती सौंदरा कुमार*	Smt. Soundara Kumar*	6	6
प्रो. बीजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	6	6

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

* ceased to be member during the year

निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर- कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तो के अनुरूप समय - समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है.

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) को पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप वेतन के रूप में किया गया. इस समय बैंक में कोई स्टॉक ऑप्शन योजना नहीं है. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक:

नाम	पदनाम	वित्त वर्ष 2019-20 में पारिश्रमिक (रु.)
श्री संजीव चड्ढा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	रु. 6,96,137/-
श्री पी एस जयकुमार*	पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	रु.18,58,595/-
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	कार्यपालक निदेशक	रु. 16,99,561/-
श्री शांति लाल जैन	कार्यपालक निदेशक	रु. 31,64,877/-
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	कार्यपालक निदेशक	रु. 31,75,563/-
श्री मुरली रामास्वामी	कार्यपालक निदेशक (दिनांक 01.10.2019 से प्रभावी)	रु. 45,05,016/-

*कार्यकाल की समाप्ति होने पर वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे. श्री पी. एस. जयकुमार को रु.11,11,453/ - का और श्रीमती पापिया सेनगुप्ता को रु. 57,13,568/ - का सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान किया गया है.

वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रदत्त प्रोत्साहन - शून्य

REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to non-Executive Directors is paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. At present the Bank has no Stock Option Scheme. The details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Director/s are detailed below:

Remuneration paid during the Financial Year 2019-20:

Name	Designation	Remuneration in FY 2019-20 (₹)
Shri Sanjiv Chadha	MD & CEO	Rs.6,96,137/-
Shri P S Jayakumar*	Ex-MD & CEO	Rs.18,58,595/-
Smt. Papia Sengupta*	Executive Director	Rs.16,99,561/-
Shri Shanti Lal Jain	Executive Director	Rs.31,64,877/-
Shri Vikramaditya Singh Khichi	Executive Director	Rs.31,75,563/-
Shri Murali Ramaswami	Executive Director (w.e.f. 01.10.2019)	Rs.45,05,016/-

*ceased during the year on completion of tenor. Retirement benefits of Rs. 11,11,453/- also paid to Shri P. S. Jayakumar and Rs. 57,13,568/- paid to Smt. Papia Sengupta.

Performance Linked Incentives paid during 2019-20: Nil

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल समितियों में भाग लेने हेतु गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क दिया जाता है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क देय नहीं है):

क्र.सं.	निदेशक का नाम	राशि (रु.)
1	डॉ. हसमुख अढ़िया	18,30,000/-
2	श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल*	5,10,000/-
3	डॉ. भरतकुमार डी. डांगर	22,25,000/-
4	श्रीमती सौंदरा कुमार	23,25,000/-
5	श्री श्रीधर श्रीनिवासन	21,05,000/-
6	प्रो. बिजू वक्की	12,30,000/-

* कार्यकाल की समाप्ति होने पर वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

सामान्य सभा की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक के शेयरधारकों की 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार, दिनांक 27 जून, 2019 को बड़ौदा में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1.	डॉ. हसमुख अढ़िया	शेयरधारक
2.	श्री पी एस जयकुमार	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3.	श्री शांति लाल जैन	कार्यपालक निदेशक
4.	श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	कार्यपालक निदेशक
5.	श्री अजय कुमार	निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक)
6.	श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	निदेशक - अध्यक्ष एसीबी
7.	डॉ. भरतकुमार डी. डांगर	निदेशक (शेयरधारक)- अध्यक्ष एससीआर
8.	श्रीमती सौंदरा कुमार	निदेशक (शेयरधारक)
9.	श्री श्रीधर श्रीनिवासन	निदेशक (शेयरधारक)

Sitting Fee paid to Non-executive Directors:

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2019-20 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India & RBI):

Sr. No.	Name of the Director	Amount (₹)
1	Dr. Hasmukh Adhia	18,30,000/-
2	Shri Gopal Krishna Agarwal*	5,10,000/-
3	Dr. Bharat Kumar Dangar	22,25,000/-
4	Smt. Soundara Kumar	23,25,000/-
5	Shri Sridhar Srinivasan	21,05,000/-
6	Prof. Biju Varkkey	12,30,000/-

*ceased during the year on completion of tenor

GENERAL BODY MEETINGS

The 23rd Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for FY 2018-19 was held on Thursday, 27th June 2019 at Vadodara, in which following directors participated.

1.	Dr. Hasmukh Adhia	Chairman
2.	Shri P. S. Jayakumar	Managing Director & CEO
3.	Shri Shanti Lal Jain	Executive Director
4.	Shri Vikramaditya Singh Khichi	Executive Director
5.	Shri Ajay Kumar	Director (RBI)
6.	Shri Gopal Krishan Agarwal	Director – Chairperson ACB
7.	Dr. Bharatkumar D Dangar	Director (Shareholder)-Chairman SRC
8.	Smt. Soundara Kumar	Director (Shareholder)
9.	Shri Sridhar Srinivasan	Director (Shareholder)

गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य सभा/ पोस्टल बैलट की आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

The details of General Body Meetings held / postal ballot conducted during the last three years are given below:

बैठक का स्वरूप **Nature of Meeting**	दिनांक एवं समय **Date & Time**	स्थान **Venue**	कार्यवाही **Business Performed**
23वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) 23rd Annual General Meeting (AGM)	दिनांक 27 जून, 2019 को सुबह 10.00 बजे 27th June, 2019 at 10.00 a.m.	पंडित दीनदायल उपाध्याय नगर गृह, कैलाश पार्टी प्लॉट के सामने, आजवा चोकड़ी के पास, आजवा रोड - 390019 Pandit Deendayal Upadhyay Nagar Gruh, Opp. Kailash Party Plot, Near Ajwa Chowkdi, Ajwa Road, Vadodara - 390019	• वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम का अनुमोदन • विशेष संकल्प द्वारा कई प्रणालियों से रु. 11,900/- करोड़ तक इक्विटी पूंजी प्राप्त करने के लिए अनुमोदन • बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी शेयर खरीदी योजना (बीओबी-ईएसपीएस) के अंतर्गत कर्मचारियों और पूर्ण कालिक निदेशकों को 15,00,00,000 तक इक्विटी शेयर जारी करना. • Approved Annual Financial Results for the year 2018-19. • Approved raising of Equity Capital upto ₹ 11,900/- crore by way of various modes by Special Resolution. • Issue of upto 15,00,00,000 Equity Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank under Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme (“BOB-ESPS”)
पोस्टल बैलट Postal Ballot	10 दिसंबर, 2019 10th December 2019	पोस्टल बैलट Postal Ballot	विशेष संकल्प द्वारा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य की दर से रु. 107.45 प्रति शेयर पर 65,14,65,798 तक के इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन Approved by Special Resolution to issue upto 65,14,65,798 equity shares of the FV of ₹ 2/- each @ ₹ 107.45 per share to GOI on preferential basis. पोस्टल बैलट की प्रक्रिया कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार / सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की गई और मेसर्स एस एन अनंतासुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई द्वारा आयोजन/ संवीक्षा की गई Postal Ballot exercise has been coundcted in accordance with guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs, GOI / SEBI and conducted / scrutinized by M/s S N Ananthasubramanian & Co, Company Secretaries, Mumbai.
पोस्टल बैलट Postal Ballot	8 जून, 2019 08th June 2019	पोस्टल बैलट Postal Ballot	विशेष संकल्प द्वारा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य की दर से रु. 117.65 प्रति शेयर पर 42,85,59,286 तक के इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन Approved by Special Resolution to issue upto 42,85,59,286 equity shares of the FV of ₹ 2/- each @ ₹ 117.65 per share to GOI on preferential basis. पोस्टल बैलट की प्रक्रिया कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार / सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की गई और मेसर्स एस एन अनंतासुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई द्वारा आयोजन/ संवीक्षा की गई Postal Ballot exercise has been coundcted in accordance with guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs, GOI / SEBI and conducted / scrutinized by M/s S N Ananthasubramanian & Co, Company Secretaries, Mumbai.

बैठक का स्वरूप **Nature of Meeting**	दिनांक एवं समय **Date & Time**	स्थान **Venue**	कार्यवाही **Business Performed**
असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) Extra Ordinary General Meeting (EGM)	दिनांक 21 जनवरी, 2019 को सुबह 10.00 बजे 21st January 2019 at 10.00 a.m.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा भवन, सर सयाजी सभागार, भू-तल, प्रधान कार्यालय, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390007 Bank of Baroda, "Baroda Bhavan", Sir Sayaji Hall, Ground Floor, Head Office, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390007	बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी शेयर खरीद योजना (बीओबी-ईएसपीएस) के अंतर्गत कर्मचारियों और पूर्ण कालिक निदेशकों को इक्विटी शेयर जारी करना Issue of Equity Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank under Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme ("BOB-ESPS")
असाधारण सामान्य बैठक EGM	दिनांक 10 दिसंबर, 2018 को सुबह 10.00 बजे 10th December 2018 at 10.00 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा टी.पी.-। एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020	श्री श्रीनिवासन श्रीधर का बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चयन किया गया. Elected Shri Srinivasan Sridhar as Shareholder Director of the Bank.
22वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) 22nd Annual General Meeting (AGM)	दिनांक 13 जुलाई, 2018 को सुबह 10.00 बजे 13th July, 2018 at 10.00 a.m.		• वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम का अनुमोदन • विशेष संकल्प द्वारा कई प्रणालियों से रु. 6,000/- करोड़ तक इक्विटी पूंजी बढ़ाने के लिए अनुमोदन • Approved Annual Financial Results for the year 2017-18. • Approved raising of Equity Capital upto ₹ 6,000/- crore by way of various modes by Special Resolution.
असाधारण सामान्य बैठक EGM	दिनांक 13 मार्च, 2018 को सुबह 10.00 बजे 13th March 2018 at 10.00 a.m.		विशेष संकल्प द्वारा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य की दर से रु. 157.46 प्रति शेयर पर 34,13,56,534 तक के इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन Approved by Special Resolution to issue upto 34,13,56,534 equity shares of the FV of ₹ 2/- each @ ₹ 157.46 per share to GOI on preferential basis.
असाधारण सामान्य बैठक EGM	दिनांक 22 दिसंबर, 2017 को सुबह 10.00 बजे 22nd December 2017 at 10.00 a.m.		श्री भरतकुमार डी. डांगर एवं श्रीमती सौंदरा कुमार का बैंक के शेयरधारक निदेशकों के रूप में चयन किया गया. Elected Shri Bharatkumar D Dangar and Smt Soundara Kumar as Shareholder Directors of the Bank.
21वीं वार्षिक सामान्य बैठक 21st AGM	दिनांक 30 जून, 2017 को सुबह 10.00 बजे 30th June, 2017 at 10.15 a.m.		• वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम का अनुमोदन • विशेष संकल्प द्वारा कई प्रणालियों से रु. 6,000/- करोड़ तक इक्विटी पूंजी प्राप्त करने के लिए अनुमोदन • Approved Annual Financial Results and declared dividend for the year 2016-17. • Approved raising of Equity Capital upto ₹ 6,000/- crore by way of various modes by Special Resolution.

संप्रेषण के साधन

बैंक मौजूदा संचार साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से सम्बद्ध जानकारियों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता समझता है. निवेशकों एवं हितधारकों को समय पर, पारदर्शी तरीके से एवं व्यापक स्तर पर सूचनाओं का प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाता है. शेयरधारकों की सहभागिता में सुविधा हो इसके लिए बैंक इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है और प्रॉक्सी एवं प्रतिनिधियों को शेयरधारकों की अनुपस्थिति में उनकी ओर से मतदान की अनुमति देता है.

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं. ये परिणाम कम से कम एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, जिसका प्रसार पूरे भारत या भारत के महत्वपूर्ण स्थानों पर हो और दूसरा समाचार पत्र उस राज्य की भाषा, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है अर्थात् गुजरात (गुजराती में), में प्रकाशित करवाए जाते हैं. बैंक वित्तीय परिणामों तथा प्रबंधन के दृष्टिकोण के संबंध में विश्लेषकों की बैठकें, मीडिया मीट, निवेशकों/ विश्लेषकों आदि के साथ भी बैठकें आयोजित करता है.

बैंक के तिमाही/ ईयर टू डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ विश्लेषकों को दी गई प्रेजेंटेशन की प्रति तथा अन्य आधिकारिक घोषणाएं बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर उपलब्ध रहते हैं. विश्लेषक बैठक में की गई प्रस्तुति के वेबकास्ट का सीधा प्रसारण देखने हेतु वेबसाइट में लिंक उपलब्ध कराया जाता है और संग्रहीत वेबकास्ट भी 30 दिनों तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है.

वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020
खातों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) पर विचार विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	23 जून, 2020
24वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान	दिनांक: 31 जुलाई, 2020 समय: प्रातः 10.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
बहियां बंद करने की तारीख	24 जुलाई, 2020 से 31 जुलाई, 2020

शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. "एक्सचेंज प्लाजा" बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 एनएसई कोड : BANKBARODA	बीएसई लि. फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट फोर्ट मुंबई - 400 001 बीएसई कोड : 532134

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present means of communication. Timely, transparent and enhanced level of disclosures to investors and stakeholders is ensured. To facilitate shareholders' participation, the Bank is using Electronic voting platform and allowing proxies and authorized representatives to vote on behalf of shareholders in absentia.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in at least one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Gujarat (in Gujarati). The Bank also organizes analyst meets, media meets, meetings with investors/analysts etc. on Bank's financial results and management outlook on the same.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank as well as the copy of presentation made to Analysts and other official announcements are posted on the Bank's Website - www.bankofbaroda.in. The live webcast of presentation made to Analysts' Meet is made accessible from links uploaded in the website and the archived webcast is also made available on the website for 30 days.

FINANCIAL CALENDAR

Financial Year	1st April, 2019 to 31st March, 2020
Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated)	23rd June 2020
Date, Time & Venue of the 24th AGM	Date: 31st July 2020 Time: 10.00 A.M. Through Video Conference
Book Closure Dates	24th July 2020 to 31st July 2020

SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

National Stock Exchange of India Ltd., "Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra,(East), Mumbai - 400 051 NSE CODE : BANKBARODA	B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 BSE CODE : 532134

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) has been paid.

स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के मूल्य, शेयरों के सौदों की मात्रा और इंडेक्स डाटा

ए. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य (01.04.2019 से 31.03.2020 तक) (प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर)

SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES AND INDEX DATA

a. **Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2019 to 31.03.2020) (Equity Share of the Face Value of ₹2/- each)**

अवधि/Period	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE)			बीएसई लिमिटेड (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) BSE LTD. (Bombay Stock Exchange)		
	उच्चतम (रु.) Highest (₹)	न्यूनतम (रु.) Lowest (₹)	व्यापार प्रमात्रा (सं.) Volume Traded (Nos.)	उच्चतम (रु.) Highest (₹)	न्यूनतम (रु.) Lowest (₹)	व्यापार प्रमात्रा (सं.) Volume Traded (Nos.)
अप्रैल-19/Apr-19	137.30	113.75	37,98,97,042	137.15	113.80	2,14,49,953
मई-19/May-19	144.00	104.25	58,23,22,518	143.60	104.15	3,41,64,674
जून-19/Jun-19	135.10	114.30	44,64,87,505	135.10	114.35	2,50,04,216
जुलाई-19/Jul-19	132.85	101.35	53,29,14,616	132.80	101.40	3,20,76,135
अगस्त-19/Aug-19	107.15	89.65	55,97,99,125	107.10	89.10	3,18,32,036
सितंबर-19/Sep-19	103.15	90.30	53,11,59,609	103.05	90.45	3,65,05,130
अक्तूबर-19/Oct-19	99.00	85.65	56,16,25,582	99.00	85.70	3,61,71,238
नवंबर-19/Nov-19	108.25	90.65	62,08,67,229	108.25	90.60	4,68,58,090
दिसंबर-19/Dec-19	106.15	94.20	51,23,97,753	106.15	94.20	2,97,82,278
जनवरी-20/Jan-20	104.85	92.00	48,45,77,783	104.85	92.00	2,13,26,794
फरवरी-20/Feb-20	93.25	73.30	39,21,91,545	93.25	73.40	1,65,54,702
मार्च-20/Mar-20	78.35	46.50	60,63,71,493	78.10	47.00	3,11,59,429

बी. अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक इंडेक्स डेटा (मासिक अंतिम मूल्य)

b. **Index Data from April 2019 to March 2020 (Monthly Closing Values)**

तारीख Date	निफ्टी 50 NIFTY 50	निफ्टी बैंक NIFTY BANK	बीओबी एनएसई (प्रत्येक 2 रुपए के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर) BOB NSE (Equity Share of FV of ₹2/- each)	एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स S&P BSE SENSEX	एसएंडपी बीएसई बैंकेक्स S&P BSE BANKEX	बीओबी बीएसई (प्रत्येक 2 रुपए के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर) BOB BSE (Equity Share of FV of ₹2/- each)
30 अप्रैल, 2019/30-Apr-19	11748.15	29764.8	116.65	39031.55	33328.45	116.4
31 मई, 2019/31-May-19	11922.8	31375.4	133.25	39714.2	35264.03	133.25
28 जून, 2019/28-Jun-19	11788.85	31105.2	121.60	39394.64	34971.86	121.85
31 जुलाई, 2019/31-Jul-19	11118	28876	106.70	37481.12	32689.44	106.65
30 अगस्त, 2019/30-Aug-19	11023.25	27427.85	92.60	37332.79	30949.72	92.6
30 सितंबर, 2019/30-Sep-19	11474.45	29103.15	93.05	38667.33	32889.09	93.05
31 अक्तूबर, 2019/31-Oct-19	11877.45	30066.25	95.65	40129.05	33924.81	97.2
29 नवंबर, 2019/29-Nov-19	12056.05	31946.1	104.90	40793.81	36190.99	104.9
31 दिसंबर, 2019/31-Dec-19	12168.45	32161.65	101.90	41253.74	36671.5	101.9
31 जनवरी, 2020/31-Jan-20	11962.1	30833.6	92.70	40723.49	35289.35	92.65
28 फरवरी, 2020/28-Feb-20	11201.75	29147.15	76.30	38297.29	33416.19	76.5
31 मार्च, 2020/31-Mar-20	8597.75	19144	53.55	29468.49	22050.02	53.55

रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निपटान

बैंक ने मेसर्स केफिन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर/बॉण्ड अंतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान को प्रोसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बॉण्ड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों/ कार्यों को सुनिश्चित करना है. निवेशक अपने अंतरण विलेख/ अनुरोध/ शिकायतें निम्नलिखित पते पर आरटीए को भेज सकते हैं :-

मेसर्स केफिन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32,
गचिबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद - 500 008
फोन: (040) 67162222;
ई मेल : einward.ris@karvy.com

निजी रूप से रखे गए बाँडों के लिए बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है , जिनके पते निम्नानुसार हैं :-

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए	पूर्ववर्ती विजया बैंक के लिए	पूर्ववर्ती देना बैंक के लिए
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. एशियन बिल्डिंग, भू - तल, 17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट मुंबई - 400 001 टेलीफोन : (022) 40807000 ई मेल : itsl@ idbitrustee.com	मेसर्स केटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लि.: जीडीए हाउस, प्लॉट नं. 85, भूसारी कलोनी (दाएं), पौड़ रोड, पुणे -411 038 टेलीफोन : (020) 2528 0081 ई मेल : dt@ ctltrustee.com मेसर्स केनरा बैंक: मेसर्स केनरा बैंक: ईटी एवं टी सेक्शन, एफएम एवं एस विंग, हेड ऑफिस, सं. 112, जे. सी. रोड, बेंगलुरु - 5460002 टेलीफोन : 080-22223165 ई मेल : hoett@ canarabank.com	सेंटबैंक फ़ाइनेंशियल सर्विसेज लि. सेंट्रल बैंक - एमएमओ बिल्डिंग, तृतीय तल (ईस्ट विंग), 55 एमजी रोड, मुंबई - 400001 टेलीफोन : (022) 2261 6217 ई मेल : hv.kamdar@ cfsl.in

बैंक ने कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में निवेशक सेवाएं विभाग भी स्थापित किया है, जिसके प्रभारी कंपनी सचिव हैं, जहां शेयरधारक अपने अनुरोध / शिकायतों के समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. वे अपनी शिकायतें /

REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT, SHARE TRANSFER SYSTEM AND REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES

The Bank has appointed M/s. KFin Technologies Private Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address:

M/s. KFin Technologies Private Limited

(Unit: Bank of Baroda)

Karvy Selenium Tower B, Plot No.31 & 32

Gachibowli, Financial District

Nanakramguda, Serilingampally,

Hyderabad - 500 008

Phone: (040) 67162222;

E Mail: einward.ris@karvy.com

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

For Bank of Baroda	For eVijaya Bank	For eDena Bank
IDBI Trusteeship Services Ltd. Asian Building, Ground Floor, 17, R Kamani Marg, Ballard Estate Mumbai – 400 001 Tel: (022) 40807000; Email: itsl@ idbitrustee.com	M/s. Catalyst Trusteeship Ltd: GDA House, Plot No. 85, Bhusari Colony (Right), Paud Road, Pune - 411 038 Tel: (020) 2528 0081; Email: dt@ ctltrustee.com M/s. Canara Bank: M/s. Canara Bank: ET & T Section, FM&S Wing, Head Office, No. 112, JC Road, Bangalore – 560002 Tel: 080-22223165; Email: hoett@ canarabank.com	Centbank Financial Services Ltd Central Bank - MMO Bldg, 3rd Floor (East Wing) 55 MG Road, Fort, Mumbai 400001 Tel: (022) 2261 6217; Email: hv.kamdar@cfsl.in

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given

अनुरोध प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं:

बैंक ऑफ़ बडौदा निवेशक सेवाएं विभाग सातवीं मंजिल, बडौदा कॉर्पोरेट सेंटर सी–26, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुला कॉम्पलेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051 दूरभाष : (022) 6698 5733/5743 ई–मेल: investerservices@ bankofbaroda.com	बैंक ऑफ़ बडौदा महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवाएं 7 वां तल, बड़ौदा भवन आर.सी. दत्त रोड अल्कापुरी, वड़ोदरा 390 007 टेलीफोन : (0265) 2316792 ई–मेल : operations.ho@ bankofbaroda.com
(उपरोक्त ई–मेल आईडी विशेष रूप से सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के नियम 6(2) (डी) के अनुपालन में निवेशकों की शिकायतों के लिए बनाई गई है. इसके अलावा यदि कोई शेयरधारक निदेशक मंडल से किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे अपने प्रश्न निम्नलिखित मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं – shareholderdirectors@bankofbaroda.com	

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत किए गये सभी भौतिक शेयरों के अंतरण, अनुरोध किए जाने के 15 दिन की अवधि के भीतर प्रभावी हो जाएं.

शेयरधारिता का वितरण

ए. 31 मार्च 2020 तक की शेयरधारिता का पैटर्न:

below at Head Office, Vadodara:

Bank of Baroda Investors' Services Department 7th Floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai – 400 051 Telephone : (022) 6698 5733/5743 E – mail : investorservices@ bankofbaroda.com	Bank of Baroda General Manager, Operations and Services, 7th Floor, Baroda Bhavan, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 Telephone : (0265) 2316792 E–mail: operations.ho@ bankofbaroda.com
(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. Further, Shareholders who wish to ask questions to the Board of Directors of the Bank can mail their questions at – shareholedrdirectors@bankofbaroda.com	

The Bank ensures that transfer of all the physical shares tendered are duly effected within a period of -15- days from the date of their lodgment.

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

a. Shareholding Pattern as on 31st March 2020

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Description	कुल मामले Total Cases	कुल शेयर Total Shares	कुल मामले % Total Cases %
1	विदेशी नागरिक	Foreign Nationals	6	10,238	0.00
2	भारत सरकार	Government Of India	1	3,30,81,84,689	71.60
3	यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया	Unit Trust Of India	2	544	0.00
4	वैकल्पिक निवेश फंड	Alternative Investment Fund	3	46,99,710	0.10
5	समाशोधन सदस्य	Clearing Members	437	74,82,081	0.16
6	अविभाजित हिन्दू परिवार (एचयूएफ)	H U F	10739	59,39,508	0.13
7	अनिवासी भारतीय	Non Resident Indians	6775	1,17,65,250	0.25
8	बैंक	Banks	25	1,26,62,560	0.27
9	निवासी व्यक्ति	Resident Individuals	884206	35,56,17,848	7.70
10	कर्मचारी	Employees	1886	19,30,340	0.04
11	भारतीय वित्तीय संस्थाएं	Indian Financial Institutions	4	54,696	0.00
12	एनबीएफसी	Nbfc	10	30,239	0.00
13	कॉर्पोरेट निकाय	Bodies Corporates	3239	3,02,28,363	0.65
14	विदेशी संस्थागत निवेशक	Foreign Institutional Investors	25	55,000	0.00
15	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	Overseas Corporate Bodies	3	1,10,000	0.00
16	म्यूचुअल फंड	Mutual Funds	115	46,26,30,377	10.01
17	ट्रस्ट	Trusts	60	3,47,17,499	0.75
18	विदेशी पोर्टफोलियो – कोर्प	Foreign Portfolio - Corp	145	21,11,60,342	4.57
19	पात्र संस्थागत क्रेता	Qualified Institutional Buyer	14	53,95,497	0.12
20	बीमा कम्पनियां	Insurance Companies	43	16,46,25,544	3.56
21	अनिवासी भारतीय–गैर प्रत्यावर्तनयोग्य	Non Resident Indian Non Repatriable	3351	32,66,261	0.07
	कुल	Total	911089	4,62,05,66,586	100.00

बी. शेयरधारकों का वितरण - 31 मार्च 2020 तक का श्रेणीवार

b. Distribution of Shareholders – Category Wise as on 31st March 2020

क्र. सं. Sr. no	श्रेणी Category	मामलों की संख्या No. of Cases	मामलों का प्रतिशत % of Cases	शेयरों की संख्या No of Shares	राशि Amount	राशि का प्रतिशत % Amount
1	1-5000	884249	97.05	22,50,42,931	45,00,85,862	4.87
2	5001- 10000	15848	1.74	5,67,25,320	11,34,50,640	1.23
3	10001- 20000	8916	0.98	5,91,19,229	11,82,38,458	1.28
4	20001- 30000	709	0.08	87,66,324	1,75,32,648	0.19
5	30001- 40000	354	0.04	62,37,308	1,24,74,616	0.14
6	40001- 50000	163	0.02	36,60,340	73,20,680	0.08
7	50001- 100000	378	0.04	1,35,90,478	2,71,80,956	0.29
8	100001& Above	472	0.05	4,24,74,24,656	8,49,48,49,312	91.92
	TOTAL:	911089	100.00	4,62,05,66,586	9,24,11,33,172	100.00

सी. प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से सेबी की डीमेट लिस्ट के अंतर्गत आते है एवं बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.(सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए करार किया है. शेयरधारक अपने शेयर एन.एस.डी.एल अथवा सी.डी.एस.एल. के माध्यम से अभौतीकृत करा कर सकते हैं.

31 मार्च 2020 तक बैंक के पास भौतिक एवं अभौतिक रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नानुसार है :

c. Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered into Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2020 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below:

क्र.सं. Sr No	धारिता का प्रकार	Nature of holding	मामलों की संख्या No. of Cases	शेयरों की संख्या No. of Shares	प्रतिशत % Percentage %
1	सी.डी.एस.एल.	CDSL	3,17,084	3,45,41,69,418	74.76
2	एन.एस.डी.एल.	NSDL	4,67,328	1,12,99,71,220	24.46
3	भौतिक	PHYSICAL	1,26,677	3,64,25,948	0.79
	कुल:	Total:	9,11,089	4,62,05,66,586	100.00

बैंक ने वर्ष 2003 में 1,36,91,500 शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 27,38,300 शेयर) जब्त किए जिनमें से 24000 शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 4800 शेयर) 31 मार्च 2020 तक रद्द कर दिए गए.

31 मार्च 2020 तक एस्क्रो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति:

ए. उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (भौतिक शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

The Bank had forfeited 1,36,91,500 equity shares (27,38,300 shares before sub-division) in the year 2003 and out of the same 24000 equity shares (4800 shares before sub-division) were annulled up to 31st March 2020.

STATUS OF SHARES LYING IN ESCROW/SUSPENSE ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 2020

a. Status of shares lying in Suspense A/c (Physical Shares – returned undelivered)

01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01.04.2019		वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2019-20		31 मार्च 2020 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2020	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
69	86000	0	0	0	69	86000

बी. एस्क्रो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (डीमेट शेयर – बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

b. Status of Shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares – returned undelivered)

01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01.04.2019		वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2019-20		31 मार्च 2020 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2020	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
155	92690	0	0	0	155	92690

हम पुष्टि करते हैं कि जब तक उक्त शेयरों के वास्तविक दावेदार इनके लिए दावा नहीं करते तब तक उपर्युक्त अंतिम कॉलम (ए) तथा (बी) के शेयरों के लिए मताधिकार पर रोक जारी रहेगी.

लाभांश / ब्याज का इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से भुगतान:

बैंक निवेशकों को, जहां निवेशकों द्वारा मेंडेट दिए गए हैं, शेयरों पर लाभांश / बाँडों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से कर रहा है, इस उद्देश्य के लिए बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाऊस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्टॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी तथा सीधे जमा आदि की सेवाओं का उपयोग कर रहा है.

निवेशक अपने मेंडेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् मै. केफिन टेक्नोलॉजिज प्रा. लि. के पास इस रिपोर्ट में दिए पते पर दर्ज करा सकते हैं.

सचिवालीय लेखा परीक्षा

बैंक द्वारा 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए मे. रागिनी चोकशी एंड कंपनी को वार्षिक सचिवालयीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक सचिवालयीय अनुपालन रिपोर्ट से सम्बंधित कार्य हेतु कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. वार्षिक सचिवालयीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है.

प्रकटीकरण :

1. यहां भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पार्टी संव्यवहार नहीं होता है जिसका व्यापक स्तर पर बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो. इस सम्बंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए लेखांकन संबंधी टिप्पणियों में पार्टी संबंधी प्रकटीकरण किया गया है.
2. बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात स्टॉक एक्सचेंज और / अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया और न ही किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया गया है.
3. हम सेबी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर सूचीबद्ध नियमों की अनुसूची V के उपभाग (2) से (10) के अनुपालन की पुष्टि करते है.
4. सभी निदेशकों द्वारा ये घोषणा की गई है कि 31 मार्च 2020 तक उनका परस्पर किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है.
5. बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें अथवा अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें अथवा वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव – शून्य.

We confirm that the voting rights on the shares stated at the last column of table (a) and (b) above shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the investors. For the purpose, the Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit etc.

Investors may lodge their mandate with the Bank's Registrar & Share Transfer Agent i.e. M/s. KFin Technologies Private Limited, at the address given in this report.

SECRETARIAL AUDIT

The Bank has appointed M/s. Ragini Chokshi & Co, Practicing Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the year ended 31.03.2020. Annual Secretarial Audit Report has been annexed hereto.

DISCLOSURES

1. There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Disclosure is made in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.
2. There is no non-compliance by the Bank in respect of Regulations/ Guidelines issued by SEBI / Stock Exchanges / any Statutory Authority on any matter related to capital markets during the last 3 years and as such no penalties / strictures imposed on the Bank.
3. We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations
4. All the Directors have disclosed that they have no relationship inter-se as on 31st March 2020.
5. Outstanding global depository receipts or american depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity - NIL.

6. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कॉमोडिटी में कोई व्यापार नहीं किया है, अत: "कॉमोडिटी कीमत जोखिम और कॉमोडिटी बचाव गतिविधियां" शून्य हैं.

7. **स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम:**

बैंक के स्वतंत्र निदेशकों के लाभार्थ आयोजित किए गए परिचय-कार्यक्रम का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/training-to-directors-2019-20-17-04-2020.pdf पर उपलब्ध है.

8. **व्हीसल ब्लोअर दिशानिर्देश**

भारत सरकार के जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना प्रदाता की सुरक्षा संबंधी संकल्प (पीआईडीपीआई) के आधार पर लोगों के लिए व्हीसल ब्लोअर दिशानिर्देश संबंधी विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website-new.pdf पर उपलब्ध है. इस संबंध में किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति को एक्सेस करने से मना नहीं किया गया है.

9. **संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति**

संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/RPT-Policy-2019-16-10-2019.pdf पर उपलब्ध है.

10. **महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारक, प्रतिषेध व प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण**

6. The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2019-20 and hence the information on "Commodity price risks and commodity hedging activities" is NIL.

7. **Familiarization programme for Independent Directors**

The details of the Familiarization Programme conducted for the Independent Director of the Bank are available on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/training-to-directors-2019-20-17-04-2020.pdf

8. **Whistle Blower Guidelines**

The details of the Bank's Whistle Blower Guidelines for the public based on Government of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) are available on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website-new.pdf No personnel has been denied access to the audit committee.

9. **Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries**

The details of the Bank's Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries are available on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/images/pdf/RPT-Policy-2019-16-10-2019.pdf

10. **Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013**

क्र. सं. Sr No	वित्त वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या **Number of Complaints filed during the financial year**	वित्त वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या **Number of Complaints disposed off during the year**	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या **Number of Complaints pending as on end of the financial year**
1	14	12	2

11. संबंधित वित्तीय वर्ष अर्थात 2019-20 के दौरान संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग, संशोधन सहित, यदि कोई हो, जिसमें उस संस्था के सभी नामे लिखत या सावधि जमा कार्यक्रम या निधियों के संग्रहण के लिए सूचीबद्ध संस्था की योजना या प्रस्ताव, चाहे भारत में हो या विदेश में, उनकी सूची:

11. List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year i.e. 2019-20, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad

लिखत का स्वरुप/Type of Instrument	क्रिसिल/ CRISIL	केयर/CARE	आईसीआरए/ ICRA	इंडिया रेटिंग/ INDIA Rating	ब्रिकवर्क/ Brickwork	मूडी/Moody	फिच/ Fitch
बासेल II लोअर टियर II/Basel II Lower Tier II	एएए/स्थिर/ AAA/Stable	एएए/स्थिर/ AAA/Stable			एएए/स्थिर/ AAA/Stable		
बासेल II अपर टियर II/Basel II Upper Tier II	एएए/स्थिर/ AAA/Stable	एए+/स्थिर/ AA+/Stable					
आईपीडीआई (बासेल II)/IPDI (Basel II)	एएए/स्थिर/ AAA/Stable	एए+/स्थिर/ AA+/Stable					
बासेल III टियर II/ Basel III Tier II	एएए/स्थिर/ AAA/Stable	एएए/स्थिर/ AAA/Stable	एएए/स्थिर/ AAA/Stable	एएए/स्थिर AAA/Stable	एएए/स्थिर/ AAA/Stable		
एटी-1 (बासेल III)/AT-1 (Basel III)	एए+/ऋणात्मक /AA+/ Negative	एए/ स्थिर/ AA/Stable	एए/ स्थिर/ AA/Stable	एए+/स्थिर/ AA+/Stable	एए+/स्थिर/ AA+/Stable		
जमा प्रमाणपत्र/ Certificate of Deposit		ए1+/A1+		ए1+/A1+			
बैंक ऑफ़ बड़ौदा व बैंक ऑफ़ बड़ौदा (लंदन) नामे लिखत के प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन - नामे लिखत/ Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) - debt instruments						बीएए3 (सीआर) / पी-3 (सीआर)/ Baa3 (cr) / P-3 (cr)	
व्यवहार्यता रेटिंग - नामे लिखत/Viability Rating - debt instruments							बीबी/bb
बैंक ऑफ़ बड़ौदा व बैंक ऑफ़ बड़ौदा (लंदन) सावधि जमा कार्यक्रम के प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन - सावधि जमा कार्यक्रम/Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) - fixed deposit programme						बीएए3 (सीआर) / पी-3 (सीआर)/ Baa3 (cr) / P-3 (cr	
व्यवहार्यता रेटिंग - सावधि जमा कार्यक्रम/Viability Rating - fixed deposit programme							बीबी/bb

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रेटिंग में संशोधन:

दिनांक 4 मार्च 2020 को मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (लंदन) के बेसलाइन क्रेडिट एसेसमेंट को डाउनग्रेड किया और बीसीए को बीए2 से समायोजित कर बीए3 किया तथा काउंटरपार्टी रिस्क एसेसमेंट को बीएए3[सीआर)/पी-3(सीआर) निश्चित किया. दिनांक 17 दिसंबर 2019 को फिच रेटिंग्स ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा की व्यवहार्यता रेटिंग को रेटिंग वॉच निगेटिव से हटा दिया.

Revision in rating during F. Y. 2019-20:

Moody's Investor Service on 4th March 2020 downgraded the Baseline Credit assessment and Adjusted BCA to ba3 from ba2 and affirmed Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) of Baa3(cr)/P-3(cr). Fitch Ratings on 17th December 2019 removed the Viability Rating of Bank of Baroda from Rating Watch Negative.

12. **इसका पुष्टीकरण कि निदेशक मंडल की राय में स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में दी गई शर्तों का पूरा पालन करते हैं और प्रबंध तंत्र पर निर्भर नहीं हैं** – हां

13. **जहां वित्तीय वर्ष 2019-20 में निदेशक मंडल ने, अनिवार्य रूप से अपेक्षित निदेशक मंडल की किसी समिति की सिफारिश को स्वीकार नही किया**– शून्य

14. **विनियम 32 (7ए) के अधीन निर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन या अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट के जरिए निधियों के उपयोग के ब्यौरे** – निधियों का प्रयोग पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने तथा बैंक की सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं के निधियन के लिए किया गया.

15. **सूचीबद्ध संस्था व उसकी अनुषंगियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और उन सभी नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क संस्थाओं, जिसमें लेखा परीक्षक एक भागीदार है, सभी सेवाओं के लिए प्रदत्त कुल फीस** –रू. 63.95 करोड़ (जीएसटी सहित)

16. कंपनी सचिव से प्राय: इस आशय का प्रमाण पत्र कि निदेशक मण्डल के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक/ कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसी किसी वैधानिक स्वायत्तत्ता द्वारा नियुक्त अथवा जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है. – प्राप्त किया गया.

गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं

बैंक द्वारा सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के तहत उपलब्ध कराई गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है.

गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार हैं –

12. **Confirmation that in the opinion of the board, the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management.** - Yes

13. **Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required, in the FY2019-20 –** NIL

14. **Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A)** – Funds utilized to improve the capital adequacy and to fund general business needs of the Bank.

15. **Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/ network entity of which the statutory auditor is a part. -** Rs. 63.95 crore (excluding GST)

16. certificate from a company secretary in practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.- obtained

NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

क्र. सं. Sr. No.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
1	**बोर्ड** सूचीबद्ध कम्पनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यभार सम्भालने के लिए गैर कार्यपालक अध्यक्ष अधिकृत किए जा सकते हैं और उनकी ड्यूटी संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है. **The Board** A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	अनुपालन किया गया. भारत सरकार ने डॉ. हसमुख अढ़िया की नियुक्ति बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में की है. भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया. Complied with. The Government of India has appointed Dr. Hasmukh Adhia as Non-Executive Chairman of the Board. The guidelines issued by GOI are complied with.
2	**लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित अभिमत** कंपनी को अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए. **Modified opinion(s) in audit report** Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	बैंक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है. There is no qualification in Auditors report of the Bank.
3	**आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं. **Reporting of Internal Auditor** The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना एवं इसकी संदर्भ शर्तें सदैव विनियामकों अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देशों एवं परिपत्रों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिनका बैंक अनुपालन करता है. The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board inter-alia covering Internal Audit function are governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank complies with.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण:

Disclosure of the compliance with Corporate Governance requirements

नियम क्र. Regu No.	**संक्षिप्त विवरण Title / Brief description**	**अनुपालन स्थिति Compliance Status**
17	निदेशक मंडल Board of Directors	बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल का गठन और इसकी संदर्भ शर्तें ''बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970'' अर्थात अधिनियम के अधीन है. कम्पनी एक्ट 1956/2013 में किया गया संशोधन इस सम्बंध में लागू नहीं होता है. अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अनुसरण में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित तीन निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9(3)(आई) के अधीन किया जाता है. बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है. बोर्ड का अधिकांश समय व्यवसाय की रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, गवर्नेंस एवं बैंक के प्रोफाइल पर चर्चा करने में व्यतीत होता है. यह सुनिश्चित किया जाता है की बोर्ड की कार्यप्रणाली पारदर्शी एवं स्वतंत्र रहे. **बोर्ड का मूल्यांकन** बैंक पीएसबी गवर्नेंस सुधार – गैर–आधिकारिक निदेशकों की बेहतर प्रभावशीलता के माध्यम से गवर्नेंस में वृद्धि संबंधी भारत सरकार के दिनांक 30.08.2019 के दिशानिर्देशों का अनुसरण कर रहा है. The Composition & terms of reference of Board of Directors of Bank of Baroda are governed through “Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970” i.e. the Act, meaning thereby the provision of the Companies Act, 1956/2013 in this regard are Not Applicable. All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders’ other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / Nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India. Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and profile of the Bank. Transparency and independence in functioning of the Board are ensured. **Board Evaluation** The Bank is following GOI guidelines dated 30.08.2019 for PSB Governance Reforms – Enhancing governance through improved effectiveness of non-official directors.
18	लेखा समिति Audit Committee	बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के गठन एवं इसके संदर्भ की शर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार अधिशासित होती है, जिनका अनुपालन किया गया है. The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board of Bank of Baroda are governed through RBI’s directives / guidelines, which are complied with.
19	नामांकन एवं पारितोषिक समिति Nomination and remuneration committee	इसकी सरंचना एवं संदर्भ शर्ते भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अधिशासित होती है. The composition and terms of reference of which are governed through RBI / GOI directives.
20	हितधारक सम्बंध समिति Stakeholders Relationship Committee	अनुपालन किया गया है. Complied with
21	जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	अनुपालन किया गया है. Complied with
22	सतर्कता प्रणाली Vigil Mechanism	अनुपालन किया गया है. Complied with

नियम क्र. Regu No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
23	संबंधित पार्टी लेनदेन Related party transactions	अनुपालन किया गया है. Complied with
24	सूचीबद्ध इकाइयों की अनुषंगियों के लिए कॉर्पोरेट गर्वनेंस की आवश्यकता Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	अनुपालन किया गया है. Complied with
25	स्वतंत्र निदेशकों के सम्बंध में दायित्व Obligations with respect to independent directors	विनियम 17 के अनुसार - यथा उपर्युक्त As per Regulation 17, as above.
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों एवं प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के सम्बंध में दायित्व Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters	अनुपालन किया गया है. Complied with
27	अन्य कॉर्पोरेट गर्वनेंस आवश्यकताएं Other corporate governance requirements	अनुपालन किया गया है. Complied with
46 (2) (बी) से (आई) 46 (2) (b)to(i)	वेबसाइट Website	अनुपालन किया गया है. Complied with

भौतिक शेयरों को अभौतीकृत करना- एक विशेष अनुरोध:

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनाक 27.03.2019 के जरिए यह निर्णय लिया है कि संप्रेषण या पुनर्व्यवस्थापन के मामले छोड़कर प्रतिभूतियों के अंतरण करने के लिए अनुरोध तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के साथ डिमैट रूप में धारित न हों, जोकि 01.04.2019 से प्रभावी होगा. अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डिमैट करवा लें.

डिमैट करवाने के लिए शेयरधारक अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करें जहां उनका डिमैट खाता है. डिमैट करवाने के निम्न लाभ हैं. 1) बाधारहित अंतरण 2) शेयर प्रमाणपत्र के खोने का कोई भय नहीं 3) लाभांश/कंपनी से प्राप्य लाभ का सीधे और तत्काल खाते में जमा हो जाना 4) नामांकन सुविधा 5) एएसबीए/आईपीओ आदि के माध्यम से सीधा आवेदन.

भौतिक/डिमैट के रूप में धारित शेयर के शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी दर्ज नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि वे, भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण पहल (गो ग्रीन) के समर्थन में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी/बैंक के आरटीए में अपना ईमेल आईडी दर्ज करवाएं.

DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA/IPO, etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support GOI's green initiatives.

पारदर्शिता एवं अनुपालन अधिकारी

साथ ही, निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यकलाप भी बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रणाली के तहत अधिक से अधिक प्रकटीकरण के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

पारदर्शिता अधिकारी

केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन स्वरूप फरवरी 2011 से बैंक ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है.

पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए उत्तरदाई हैः

ए) सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की धारा 4, जो सार्वजनिक प्राधिकारणों के दायित्व से संबंधित है, के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा इसकी प्रगति से उच्च प्रबंधन को अवगत कराना.

बी) सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में , केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करना.

सी) केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), मानद सीपीआईओ द्वारा आरटीआई अनुरोधों पर सकारात्मक एवं समयबद्ध कार्रवाई के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में मदद करना.

डी) आरटीआई संबंधित सभी विषयों के लिए आम जन के लिए संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करना.

बैंक ने इस अधिनियम के निर्देशानुसार अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित सूचना अपलोड की है जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है.

अनुपालन संबंधी कार्य

बैंक में अनुपालन संबंधी कार्य, कार्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य है. बैंक में इस कार्य को पर्याप्त रूप से सुचारू बनाया गया है और इसे स्वतंत्रता दी गई है. निदेशक मंडल, बैंक के अनुपालन जोखिम के प्रबंधन पर निगरानी रखता है. बैंक ने अनुपालन संबंधी कार्यों को स्पष्ट करते हुए अनुपालन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करवाकर एक प्रभावी और सक्रिय अनुपालन प्रणाली लागू की है.

अनुपालन कार्य, विभिन्न अधिनियमों अर्थात् बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम तथा धनशोधन निवारक अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी अन्य नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. विदेशों में जहां पर बैंक के कार्यालय/शाखाएं स्थित हैं वहां पर भी बैंक वहां के विभिन्न नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड का सदस्य है और बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित मानकों और संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करता है. साथ ही बैंक आईबीए (भारतीय बैंक संघ), फेडाई (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ) तथा फिम्डा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ), राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय के नियमों द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों तथा आवश्यकतों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है.

TRANSPARENCY & COMPLIANCE OFFICER

Further, the following additional functions also enhance the Bank's commitment to more and more disclosures and compliance under the Corporate Governance mechanism of the Bank.

Transparency Officer

In Compliance with the directions of Central Information Commissioner (CIC), the Bank has appointed one of the Senior Officers as Transparency Officer, since February 2011.

The transparency officer is responsible for the following functions:

a) To oversee the implementation of Section 4 of Right to Information (RTI) Act detailing with obligations of public authorities and to apprise the top management of its progress.

b) To be the interface for the Central Information Commissioner (CIC) regarding the progress in implementation of the RTI Act.

c) To help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI requests by Central Public Information Officers (CPIS), deemed CPIOs.

d) To be a contact point for the public in all RTI- related matters.

The Bank has uploaded all the required information as required by the Act in the specified format/s on Bank's website and information is updated from time to time.

Compliance Function

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The Compliance function in the Bank is adequately enabled and made sufficiently independent. The Board of Directors of the Bank oversees the management of the Bank's compliance risk. The Bank has put in place a robust compliance system including a well-documented and Board approved Compliance Policy outlining the Compliance philosophy of the Bank.

The Compliance Function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as ensures observance of other regulatory guidelines issued from time to time. Bank also ensures adherence to regulations of various Regulatory Authorities where the Bank is having its Offices/ Branches at overseas Centres. The Bank is a member of Banking Codes and Standard Board of India and ensures compliance of Standards and Codes prescribed by BCSBI. It also ensures adherence of various guidelines/ instructions issued by IBA (Indian Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India), National, State and Local Body laws and requirements.

अनुबंध 1

निदेशक मण्डल का गठन

डॉ. हसमुख अढ़िया - अध्यक्ष (गैर कार्यपालक)

(जन्म तिथिः 3 नवंबर, 1958)

डॉ. हसमुख अढ़िया को भारत सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत गैर कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में दिनांक 01.03.2019 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है.

डॉ. हसमुख अढ़िया भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो भारत सरकार के केन्द्रीय वित्त सचिव एवं राजस्व सचिव के रूप में 30.11.2018 को सेवानिवृत्त हुए. वे गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं. वे इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, बेंगलुरु के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर के सदस्य भी हैं.

आपने एकाउंटैंसी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है. इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, बेंगलुरु से स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और साथ ही स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, बेंगलुरु से योग में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है.

वित्त सचिव बनने से पहले वे नवंबर, 2014 से अगस्त, 2015 के दौरान भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव थे. सचिव, वित्तीय सेवाएं के रूप में इन्हें कई नई कार्यनीतियां लागू करने का श्रेय प्राप्त है जैसे कि बैंकिंग सुधार के लिए ज्ञान संगम व इंद्रधनुष कार्यक्रम और साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना और लघु ऋण के लिए मुद्रा योजना.

वित्त/राजस्व सचिव के रूप में उन्हें, आयकर, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में कर अनुकूल पहल करने का श्रेय प्राप्त है. साथ ही उन्होंने विधिवत जीएसटी लागू करने का कार्य संचालन भी किया जिससे जीएसटी सुचारू रूप से लागू हो सकी. उन्हें, कालाधन के खिलाफ निरंतर प्रयासरत रहने के लिए भी जाना जाता है.

वित्त मंत्रालय में तैनाती से पहले उन्होंने कई अन्य पद संभाले जैसे कि गुजरात के मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव (2003-06), प्रधान सचिव (शिक्षा), गुजरात (2008-13), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) गुजरात (2013-14), उद्योग आयुक्त, गुजरात (2001-02), गुजरात औद्योगिक निवेश निगम और गुजरात औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक.

श्री संजीव चड्ढा-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (कार्यपालक)

(जन्मतिथि: 25 जून 1963)

श्री संजीव चड्ढा को भारत सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (कार्यपालक) के रूप में दिनांक 20.01.2020 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है.

श्री संजीव चड्ढा को बैंकिंग में 32 वर्षों का अनुभव है और उन्होनें 1987 में भारतीय स्टेट बैंक में अपने करियर की शुरुआत की थी. बैंक ऑफ़ बड़ौदा में नियुक्ति से पूर्व श्री संजीव चड्ढा भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक एवं एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जो कि भारतीय स्टेट बैंक की मर्चेन्ट एवं इनवेस्टमेंट बैंकिंग इकाई है, के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे.

ANNEXURE 1

COMPOSITION OF THE BOARD

Dr. Hasmukh Adhia - Chairman (Non-Executive)

(DoB: 3rd November, 1958)

Dr. Hasmukh Adhia was appointed as Non-Executive Chairman by the Central Government u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 01.03.2019, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Dr. Hasmukh Adhia, an officer of Indian Administrative Service, retired on 30.11.2018 as Union Finance Secretary & Revenue Secretary in Government of India. He is also the Chancellor of Central University of Gujarat. He also serves as a member of Board of Governors of Indian Institute of Management, Bangaluru.

Dr. Hasmukh Adhia has Post-Graduate degree in Accountancy. He is a Gold medalist from Indian Institute of Management, Bangalore and holds a Ph.D. in Yoga from Swami Vivekanand Yoga University, Bangalore.

Prior to his posting as Finance Secretary, he was Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for the period from November, 2014 till August, 2015. As Secretary, Financial Services, he was credited with many new strategies for banking reforms such as Gyan Sangam and Indradhanush as well as social security schemes of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna, Jivan Jyoti Bima Yojna and Atal Pension Yojna, as also for the scheme of micro-financing of Mudra.

As Finance/Revenue Secretary, he was credited with bringing in many tax-friendly initiatives in the Income-Tax as well as Excise Duty and Service Tax. Also he pursued the agenda of GST systematically as a result of which GST was implemented smoothly. He is also known for his relentless drive against the black money.

Prior to posting in the Ministry of Finance, some of the other positions held by him include Principal Secretary to Chief Minister of Gujarat (2003-06), Principal Secretary (Education), Gujarat (2008-13), Additional Chief Secretary (Finance), Gujarat (2013-14), Industries Commissioner, Gujarat (2001-02), Managing Director of Gujarat Industrial Investment Corporation and Gujarat Industrial Development Corporation.

Shri Sanjiv Chadha - Managing Director & CEO (Executive)

(DoB: 25th June, 1963)

Shri Sanjiv Chadha was appointed as Managing Director & CEO (Executive) by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 20.01.2020, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Shri Sanjiv Chadha has over 32 years' experience in Banking having started his career with SBI in 1987. Prior to joining Bank of Baroda, Shri Sanjiv Chadha was working as DMD, SBI and MD & CEO of SBI Capital Markets Ltd., the Merchant and Investment Banking arm of SBI.

आपने भारतीय स्टेट बैंक के देश भर में विस्तृत विभिन्न मंडलों एवं विदेशी कार्यालयों में कार्य किया है. आपके कुछ विगत कार्यदायित्वों में भारतीय स्टेट बैंक समूह के अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव का दायित्व शामिल है. आपने भारतीय स्टेट बैंक के लॉस एंजिलिस कार्यालय में भी कार्य किया है और यू.के. में क्षेत्रीय प्रमुख भी रहे हैं.

उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में खुदरा बैंकिंग, कार्पोरेट वित्त, निवेश बैंकिंग, विलय और अधिग्रहण, संरचित वित्त एवं प्राइवेट इक्विटी शामिल हैं.

श्री मुरली रामस्वामी – कार्यकारी निदेशक

(जन्मतिथि: 20 दिसंबर 1960)

श्री मुरली रामस्वामी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत के कार्यपालक निदेशक के रूप में 01.10.2019 से अपनी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 31.12.2020 तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, की गई है.

श्री मुरली रामस्वामी ने दिनांक 01.10.2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है. श्री मुरली रामास्वामी ने एमबीए, प्रमाणित लागत एवं कार्य लेखाकार (AICWA) और सीएआईआईबी की योग्यता प्राप्त की है. दिनांक 01.10.2019 को कार्यपालक निदेशक के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मण्डल में शामिल होने से पूर्व आपने 19.02.2018 से 31.03.2019 तक विजया बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया.

आपने विजया बैंक में 08.04.1989 को प्रबंधक– वित्तीय विश्लेषक (स्केल –II) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, तदुपरान्त आपने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न वर्टिकल में काम किया. आपने प्रबंधन के सोपानों पर निरंतर अग्रसर होते हुए महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति प्राप्त की तथा मुंबई और कई अन्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए. इसके अलावा, जुलाई, 2015 में आपको विजया बैंक के महाप्रबंधक ऋण (परिचालन एवं नीति) के रूप में नियुक्त किया गया. आप बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद पर भी आसीन रहे.

श्री मुरली रामस्वामी एक अनुभवी विशेषज्ञ क्रेडिट पेशेवर हैं जो अपनी सुदृढ़ वित्तीय एवं विश्लेषण संबंधी दक्षताओं के लिए जाने जाते हैं, आपने लंबे समय (12 वर्ष) के लिए ऋण विभाग में काम किया है जिससे आपको उद्योग जगत के विभिन्न क्षेत्रों के प्रस्तावों के अध्ययन में कुशलता हासिल है.

आप दिनांक 19 फरवरी, 2018 को विजया बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत हुए और आपने विभिन्न पोर्टफोलियो जैसे– ऋण [परिचालन], नीति, वसूली, विधि, ट्रेजरी और अन्य महत्वपूर्ण विभागों का संचालन किया.

आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य किया तथा तीन बैंकों (बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक) के समामेलन के पश्चात एकीकरण प्रक्रिया के समग्र रुप से प्रभारी रहे और सहज एकीकरण प्रक्रिया की अगुवाई करते हुए आपने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा डिजिटल बैंकिंग विभाग को नेतृत्व प्रदान किया.

इसके अलावा आप लार्ज कार्पोरेट क्रेडिट, कार्पोरेट एवं संस्थागत ऋण, ट्रेड क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, ट्रेजरी और ग्लोबल मार्केट, नकदी प्रबंधन सेवांए तथा सप्लाई चेन फाइनेंस विभागों को भी नेतृत्त्व प्रदान कर रहे हैं।

श्री शांति लाल जैन– कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 1 जनवरी, 1965)

श्री शांति लाल जैन की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण]) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए)

He served in various geographical locations of SBI spread across different circles and abroad. Some of his previous assignments includes Executive Secretary to the Chairman of the SBI Group. He has worked in SBI's Los Angeles Office and was also UK Regional Head.

His areas of specialism include Retail Banking, Corporate Finance, Investment Banking, Mergers & Acquisitions, Structured Finance and Private Equity.

Shri Murali Ramaswami - Executive Director

(DoB: 20th December, 1960)

Shri Murali Ramaswami was appointed as Executive Director by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 01.10.2019, till his superannuation i.e., 31.12.2020, or until further order, whichever is earlier.

Mr. Murali Ramaswami has joined as Executive Director in Bank of Baroda on 01.10.2019. Mr. Murali Ramaswami is an MBA, Certified Cost & Works Accountants (AICWA) and CAIIB. Prior to joining the Board of Bank of Baroda as Executive Director on 01.10.2019, he served on the Board of Vijaya Bank as an Executive Director from 19.02.2018 till 31.03.2019.

He joined Vijaya Bank as Manager – Financial Analyst [Scale –II] on 08.04.1989, worked in various verticals in various Geographical Areas. He climbed up the echelons of Management and promoted as General Manager and appointed as the Regional Head of Mumbai and many other Regions. Further, he was posted as General Manager Credit (Operations & Policy) of Vijaya Bank in July, 2015. He was also holding the position of Chief Financial Officer (CFO) of the Bank.

Mr. Murali Ramaswami, groomed as an expert Credit Professional known for his strong finance and analytical skills, he worked in Credit Dept. for a major part (12 years) thereby enabling to study the proposals emanating from various cross section of Industries.

He was elevated to the rank of Executive Director in Vijaya Bank on 19th February, 2018 and handled various portfolios such as Credit [operations], Policy, Recovery, Legal, Treasury and other critical Departments.

He served as an Officer on Special Duty in Bank of Baroda and was in charge of Overall Integration process subsequent to Amalgamation of three Banks [Bank of Baroda, Vijaya Bank and Dena Bank] spearheading smooth integration process and heading Information Technology Department and Digital Banking Dept.

Further he is also handling the Large Corporate Credit, Corporate & Institutional Credit, Trade Credits, International Banking, Treasury & Global Markets, Cash Management Service, and Supply Chain Management.

Shri Shanti Lal Jain – Executive Director

(DoB: 1st January, 1965)

Shri Jain was appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 20.09.2018 by the

के तहत पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के पद पर) के रूप में 20.09.2018 से अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक के लिए की गई है.

श्री शांति लाल जैन वाणिज्य में स्नातकोत्तर होने के साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव और सीएआईआईबी की व्यवसायिक योग्यता प्राप्त हैं. इलाहाबाद बैंक में शामिल होने से पूर्व, आपने लगभग 6 वर्ष विभिन्न उद्योगों में कार्य किया. आपने इलाहाबाद बैंक में 1993 में मध्यम प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान- II में ज्वाइन किया और महाप्रबंधक पद तक पहुचें. आपने शाखाओं, अंचल कार्यालय, फील्ड महाप्रबंधक कार्यालय, स्टाफ महाविद्यालय और प्रधान कार्यालय में कार्य किया है. आपने इलाहाबाद बैंक में अंचल प्रबंधक, आगरा अंचल के रूप में भी कार्य किया है और साथ ही बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और महाप्रबंधक- आईटी का दायित्व भी संभाला है.

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 24 जुलाई, 1962)

श्री खीची की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के पद पर) के रूप में 01 अक्टूबर, 2018 को अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए की गई है.

श्री खीची ने एमबीए (वित्त एवं मार्केटिंग) किया है. साथ ही उन्होंने सीएआईआईबी और जीवन बीमा में एसोसिएट की व्यावसायिक योग्यता भी हासिल की है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा में आने के पूर्व आप देना बैंक में क्षेत्रीय महाप्रबंधक (गुजरात परिचालन) के पद पर कार्यरत थे. देना बैंक में आपने दिसम्बर,1985 में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया, विभिन्न जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए आप महाप्रबंधक पद तक पदोन्नत हुए और मई, 2015 में देना बैंक के फील्ड महाप्रबंधक (गुजरात परिचालन) का प्रभार ग्रहण किया.

प्रोबेशनरी अधिकारी से शुरूकर महाप्रबंधक के रूप में विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान आपको बैंकिंग परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है. शाखा परिचालन के साथ-साथ नियंत्रक कार्यालय स्तर से आयोजना एवं नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी आपका अहम योगदान रहा है.

आपको बैंक के रिटेल बैंकिंग, मार्केटिंग (नई पहल और उत्पाद विकास), मर्चेंट बैंकिंग, वसूली प्रबंधन, विदेशी कारोबार जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्य करने का गहन अनुभव है.

श्री खीची ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, गुजरात के संयोजक के रूप में राज्य सरकार के वरिष्ठ प्राधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक सहित सभी बैंकों, बीमा कंपनियों एवं विभिन्न संगठनों के उच्चाधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल के साथ गुजरात में सरकार की वित्तीय समावेशन संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान दिया है.

श्री अमित अग्रवाल- निदेशक (गैर- कार्यपालक) - केंद्र सरकार के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि: 27 जून, 1970)

श्री अमित अग्रवाल भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत सरकार के मनोनीत निदेशक के रूप में 25.01.2020 से अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किए गए हैं.

Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Shanti Lal Jain is a Post Graduate in Commerce, with Professional Qualification of Chartered Accountant, Company Secretary and CAIIB. Prior to joining Allahabad Bank, he worked in various Industries for about 6 years. He joined Allahabad Bank in 1993 in Middle Management Grade/ Scale-II and reached upto General Manager. He worked in Branches, Zonal Office, Field General Manager Office, Staff College and Head Office. He also worked as Zonal Manager, Agra Zone in Allahabad Bank. He also worked as Chief Financial Officer, Chief Risk Officer and General Manager-IT of the Allahabad Bank.

Shri Vikramaditya Singh Khichi – Executive Director

(DoB: 24th July, 1962)

Shri Khichi was appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 01.10.2018 by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on 1st October, 2018, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Khichi is an MBA (Finance and Marketing), with Professional Qualifications of CAIIB and Associate in Insurance. Prior to joining Bank of Baroda, he was working as Field General Manager (Gujarat Operations) in Dena Bank. He Joined Dena Bank as Probationary Officer in December' 1985, gradually climbed up the ladder and got promoted as Field General Manager (Gujarat Operations) in May'2015 in Dena Bank.

Inculcated blend of operational experience at field level and of planning/policy formulation at Controlling Office during the tenure of 33 years in Dena Bank by serving in varying capacities from being Probationary Officer to General Manager in various Branches & Departments.

Acquired enriching experience across the breadth of various key departments such as Retail Banking, Marketing (New Initiative & Product Development), Merchant Banking, Recovery Management, Overseas Business Center etc.

Groomed leadership quality while discharging duty as Convenor of State Level Bankers' Committee, Gujarat and collaborated efforts with senior officials of State Govt., RBI, various Banks, Insurance Cos. & different organisations in executing numerous Financial Inclusion initiatives in Gujarat State.

Shri Amit Agrawal - Director (Non-Executive) - Representing Central Government

(DoB: 27th June 1970)

Shri Amit Agrawal was appointed as Government Nominee Director by the Central Government u/s 9(3)(b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 25.01.2020, until further order.

श्री अमित अग्रवाल 1993 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं. वर्ष 2016 से आप वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं.

आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पूर्ववर्त्ती छात्र रहे हैं. आपने भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों में विशेष रूप से वित्त, तकनीक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पदों पर कार्य किया है.

आपके पूर्व दायित्वों में प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद कार्यालय में सलाहकार एवं निदेशक, राष्ट्रीय नवोन्मेषिता परिषद के अध्यक्ष के साथ विशेष पदाधिकारी, विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों और एजेंसियों के प्रमुख तथा जिला स्तर पर स्थानीय सरकारी कार्यालयों के प्रमुख के दायित्व शामिल हैं.

श्री अजय कुमार – निदेशक (गैर- कार्यपालक) भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि: 20 मई, 1969)

श्री अजय कुमार की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत नामित निदेशक के रूप में 13.01.2017 से अगले आदेश तक के लिए की गई है.

आपने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और बैंकिंग में एमएस की डिग्री प्राप्त की है. वे भारतीय बैंकिंग संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य (सीएआईआईबी) भी हैं.

आपने भारतीय रिजर्व बैंक में 1991 में सेवा ग्रहण की और आपके पास मुद्रा प्रबंधन, ग्रामीण ऋण एवं आयोजना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य करने का 27 वर्षों का व्यापक अनुभव है. आपने एचडीएफसी बैंक तथा कोटक महिन्द्रा बैंक के वरिष्ठ पर्यवेक्षण प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है. आप इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक तथा यूको बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के लिए प्रिंसिपल निरीक्षणकर्ता अधिकारी (पीआईओ) भी थे और आपने अपने नेतृत्व में यूको बैंक की व्यापक आस्ति गुणवत्ता समीक्षा भी की थी. आपको भारत में विदेशी बैंकों के व्यवहार की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी. विदेशी मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्र में, बैंकों हेतु जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति रूपरेखा को प्रमाणित करने का कार्य भी आपके संचालन के अधीन हुआ है. पूर्व में ग्रामीण ऋण और आयोजना में अपने कार्यकाल के दौरान आप चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नामित निदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं. वर्तमान में आप भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में मार्च 2019 से नई दिल्ली में कार्यरत हैं और नई दिल्ली में समग्र बैंकिंग ढांचे के विकास के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं.

श्री भरत कुमार डी डांगर- निदेशक (गैर-कार्यपालक)- शेयरधारक निदेशक

(जन्म तिथि: 18 सितंबर, 1978)

श्री भरत कुमार डी. डांगर को बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 24.12.2017 से 23.12.2020 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया है.

आपकी शैक्षिक योग्यताओं में विद्युत अभियांत्रिकी में डिस्टिंक्शन सहित

Shri Amit Agrawal is a member of the Indian Administrative Service since 1993. Since 2016, he is serving as Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services.

An alumnus of Indian Institute of Technology Kanpur, he has served in top positions in the Government of India and the State Governments of Chhattisgarh and Madhya Pradesh, broadly in the areas of finance, technology and technical education.

His earlier charges include that of Director in the Prime Minister's Office; Adviser and Director in the Office of Prime Minister's Economic Advisory Council; Officer on Special Duty with the Chairman of the National Innovation Council; Head of various State Government departments and agencies; and Head of District-level Local Governments.

Shri Ajay Kumar - Director (Non-Executive) - Representing Reserve Bank of India

(DoB: 20th May, 1969)

Shri Ajay Kumar is nominated as a Director w.e.f. 13.01.2017 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.

He has done his Masters in Economics and MS in Banking. He is also a Certified Associate of the Indian Institute of Banking (CAIIB).

Shri Ajay Kumar joined RBI in December 1991 and has had a wide experience of 27 years of working in various capacities in the areas of currency management, rural credit and planning, foreign exchange management and banking supervision. He has worked as the Senior Supervisory Manager for the HDFC Bank and the Kotak Mahindra Bank. He was also the Principal Inspecting Officer (PIO) for the annual supervisory process of the Allahabad Bank, the United Bank of India and the UCO Bank and also conducted the comprehensive Asset Quality Review of the latter under his stewardship. He was also assigned the responsibility of monitoring the conduct of foreign banks in India. In the area of foreign exchange management, he has been at the helm of formulating Risk Management Guidelines for banks and also Foreign Direct Investment Policy Framework. Earlier, he has also served as Nominee Director in four Regional Rural Banks during his stint in rural credit and planning. Currently, he is posted as the Regional Director, Reserve Bank of India at New Delhi since March 2019 and is fulfilling his responsibilities towards development of the overall banking infrastructure in New Delhi.

Dr. Bharatkumar D. Dangar - Director (Non-Executive) - Shareholder Director

(DoB: 18th September, 1978)

Dr. Bharatkumar D. Dangar is an elected Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 24.12.2017 to 23.12.2020.

स्नातक और माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम और एप्लिकेशन में विशेषज्ञता के साथ अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री शामिल है. आपने आर्टिफिशिल (एआई) में अपनी डॉक्टरेट (पीएचडी) पूरी की है. वर्तमान में आप एम.एस यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा के तकनीकी एवं अभियांत्रिकी संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवारत हैं. आपको विभिन्न कॉर्पोरेट और एसएमई में एक्सपोज़र के साथ शैक्षणिक, परिचालन, प्रबंधन, लेखाशास्त्र और मानव संसाधन के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त है. आप वित्तपोषण, फसल बीमा, ऋण सुविधाओं आदि के साथ किसानों के विभिन्न मुद्दों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं. आप सरकार के विभिन्न स्तरों पर किसानों एवं उद्योग जगत के विभिन्न मुद्दों को उठाते रहे हैं जिससे संबंधित क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं. आप सामाजिक कल्याण के विभिन्न मामलों के साथ काफी सक्रियता से जुड़े रहे हैं.

श्रीमती सौंदरा कुमार- निदेशक (गैर-कार्यपालक)- शेयरधारक निदेशक

(जन्म तिथि: 15 अगस्त, 1954)

श्रीमती सौंदरा कुमार का चयन, बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत दिनांक 24.12.2017 से 23.12.2020 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए, शेयरधारक निदेशक के रूप में किया है.

आपने स्टेला मैरिस कॉलेज, चेन्नई से गणित में स्नातक किया है. आपने सीएआईआईबी भी किया है. उन्होंने 1975 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और 2014 में अपनी सेवानृवित्त तक कार्यरत रही. इस अवधि के दौरान उन्होंने एसएमई, रिटेल और कृषि एवं ग्रामीण (वित्तीय समावेशन) शाखाओं के शाखा प्रमुख सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया. आप तिरुचिरापल्ली में बैंक के प्रशिक्षण केन्द्र में संकाय सदस्य के रूप में, चेन्नै सर्कल में क्षेत्रीय प्रमुख के पद पर, वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टेसिया शाखा, कैलिफोर्निया यूएस, बाद में प्रेसिडेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) एवं बैंक के लॉस एंजल्स एजेंसी के सीईओ के रूप में कार्यरत रही हैं. आप अक्तूबर 2008 से बैंक के स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की प्रबंध निदेशक भी रहीं जहां उन्होंने 2010 में इसका सफलता पूर्वक विलय मूल बैंक में करवाया. वर्ष 2014 में अपनी सेवानिवृति तक आप बैंक के भारतीय स्टेट बैंक में दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन प्रभारी के रूप में उप प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहीं.

आपने 3 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए एसबीआई के होलसेल बैंकिंग क्रेडिट समिति की अध्यक्षता भी की है एवं कार्पोरेट सेंटर निवेश समिति एवं क्रेडिट नीति व प्रक्रिया समिति की भी स्थायी सदस्य रही हैं. आपने वित्तीय समावेशन हेतु कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल को ऊपर उठाने हेतु उपाय सिफारिश करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यकारी समूह के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है. आप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित कार्पोरेट ऋण पुनर्गठन तंत्र के कोर समूह की भी सदस्य रही हैं. आपने एआरसीआईएल, सरसाई आदि के निदेशक मंडल में एसबीआई के नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया है.

श्री श्रीनिवासन श्रीधर- निदेशक (गैर-कार्यपालक)- शेयरधारक निदेशक

(जन्मतिथि 3 मई, 1960)

श्री श्रीनिवासन श्रीधर शेयरधारक निदेशक के रूप में, बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत दिनांक 12.12.2018 से 11.12.2021 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए हैं.

His education accomplishments include Electrical Engineering with distinction and Masters in Engineering with specialization in Microprocessor systems and application. He did his doctorate (Ph.d) in Artificial Intelligence (AI). He currently serves as Assistant Professor in Faculty of Technology and Engineering of M.S. University, Baroda. He brings with him a rich experience in fields of Academics, Operations, Management, Accountancy and Human Resource with exposure to various Corporates and SMEs. He is well versed with various farmers' issues including financing, crop insurance, credit facilities etc. He has raised issues of farming community and Industry at various levels of Government which resulted into many improvements in respective fields. He is quite active in issues related to welfare of society at large.

Smt. Soundara Kumar - Director (Non-Executive) - Shareholder Director

(DoB: 15th August, 1954)

Smt. Soundara Kumar is an elected Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 24.12.2017 to 23.12.2020.

She has done her graduation in Mathematics from Stella Maris College, Chennai. She is also CAIIB. She joined State Bank of India as a Probationary Officer in 1975 and continued till her retirement in 2014. During this period she held various assignments including heading branches, SME, Retail and Rural & Agriculture (Financial Inclusion). She was also a faculty member in the Bank's Training Centre, at Tiruchirapalli; Regional Manager, Chennai Circle; Senior Vice President, Artesia branch, California US; later as President State Bank of India (California) and CEO of the Los Angeles Agency of the Bank. She was Managing Director of the State Bank of Indore from October, 2008, where she successfully steered the merger of the Bank with the Parent Bank in 2010. She held the position of Dy. Managing Director, in charge of Stressed Assets Management, in SBI till her retirement in 2014.

She has also headed Wholesale Banking Credit Committee of SBI for over -3- years and was a permanent member of Corporate Centre Investment Committee and Credit Policies and Procedures Committee. She served as member of RBI Working Group to recommend measures for scaling up the Business Correspondent (BC) model for Financial Inclusion. She was also a member of Core Group of Corporate Debt Restructuring mechanism set up by RBI. She also served as a nominee director of SBI on the Boards of ARCIL, CERSAI, etc.

Shri Srinivasan Sridhar - Director (Non-Executive) - Shareholder Director

(DoB: 3rd May, 1960)

Shri Srinivasan Sridhar is an elected Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 12.12.2018 to 11.12.2021.

आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) किया है और एक सनदी लेखाकार हैं.

श्री श्रीधर 2013 से एक अग्रणी ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म से जुड़े हुए हैं. इस क्षेत्र में वे अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, निदेशक मंडल एवं अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ प्रबंधन कार्यनीति, क्लाइंट कवरेज मॉडल, उत्पाद एवं वितरण कार्यनीति तथा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जैसे विषयों पर कार्य करते हैं.

श्री श्रीधर का देश-विदेश में वित्तीय सेवा विशेषज्ञ के रूप में 30 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है. वे सिटीग्रुप से 28 वर्षों से जुड़े रहे और एशिया, अफ्रीका व यूरोप के 6 देशों में कार्य किया. उन्होंने सिटीग्रुप के 3 देशों के सीईओ, भारत के कॉर्पोरेट प्रमुख, अफ्रीका में ट्रांजेक्शन सेवाओं के प्रमुख तथा मध्य व पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका में बैंकिंग सेवा समूहों के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया. श्री श्रीधर को बैंकिंग तथा कॉर्पोरेट इनवेस्टमेंट बैंकिंग, उत्पाद प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, गवर्नेंस एवं विनियामक अनुपालन जैसे क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है.

श्री श्रीधर मुंबई में रहते हैं तथा वे बॉलीवुड, फुटबॉल एवं वन्य प्राणियों के शौकीन हैं. वे बाल कल्याण, आर्थिक सशक्तीकरण, सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक कार्यों के लिए कार्य करते हैं.

प्रोफेसर बिजू वर्की - निदेशक (गैर कार्यपालक)

(जन्मतिथि: 22 दिसंबर 1965)

प्रो. बिजू वर्की की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में 25 अक्टूबर, 2019 से 1 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए की गई है.

आपने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केरला से मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री प्राप्त की और साथ ही एनआईबीएम, पुणे से प्रबंधन में उपाधि प्राप्ति की है. वर्तमान में आप आईआईएम, अहमदाबाद में मानव संसाधन प्रबंधन में संकाय सदस्य हैं. इसके अतिरिक्त आप आईआईएमए की ई-पीजीपी कार्यदल के प्रमुख भी हैं जिसे आईआईएम में लंबी अवधि के लिए वर्चुअल शिक्षण कार्यक्रम के लिए अनिवार्य किया जा रहा है.

आपको विभिन्न उद्योगों, कंसल्टिंग तथा अग्रणी प्रबंधन स्कूलों के साथ कार्य का पेशेवर अनुभव है. आपने आईआईएम, लखनऊ तथा एमडीआई, गुड़गांव में अध्यापन कार्य किया है. आपने बहुविध संगठनों जैसे आईएलओ, आईओएम, यूएनडीपी और संगठनों जैसे यूएनआईटीईएस एवं आईटीयूसी के साथ भी काफी सन्निकटता के साथ कार्य किया है. आपकी शैक्षणिक अभिरूचियों में नीतिपरक मा.सं.प्र., परिवर्तन प्रबंधन, नया लोक प्रबंधन, नेतृत्व विकास, फर्मों के लिए मानव संसाधन संरचना, कार्यनिष्पादन प्रबंधन और सुधार, फ्लेक्सीबल कार्यस्थल, रोजगार संबंध, स्टार्ट अप और पारिवारिक व्यवसाय रूपांतरण प्रमुख हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में आपके आलेख प्रकाशित हुए हैं तथा आपने एचआरएम से संबंधित पुस्तकों का सह-संपादन भी किया है. आपने गैरी डेस्लर के साथ मिलकर मानव संसाधन प्रबंधन पर एक पाठ्य पुस्तक भी लिखी है. आपने 30 से भी ज्यादा केस स्टडी एवं तकनीकी नोट्स तैयार किए जिसमें एक केस स्टडी को पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है. साथ ही आप सेंट पीटर्स स्कूल, पंचगनी तथा एमसीमैट, केरल के न्यासी-मंडल के सदस्य हैं. आपने नेशनल एचआरडी नेटवर्क दिल्ली चैप्टर (1998-1999) की कोर समिति, साथ ही इंडिया यंग एचआर सम्मेलन की आयोजन समिति में नामित सदस्य के तौर पर कार्य किया है. आपने एनआईपीएम, केरल (2015) के वार्षिक एचआर कान्क्लेव की तकनीकी समिति की अध्यक्षता की, साथ ही आप स्ट्रैटिजिक मैनेजमेंट फोरम ऑफ़ इंडिया की स्थापनाकर्ता शासकीय निकाय के सदस्य भी रहे हैं.

Mr. Sridhar is a B.Com (Hons.) from Delhi University and a Chartered Accountant.

Mr. Sridhar has been associated with a leading global management consulting firm since 2013. In this role he works with CEOs, Boards of Directors and other senior leaders of top Financial Services companies in the region on topics such as Management Strategy, Client Coverage Models, Product and Distribution Strategies, Cost Optimization etc.

Mr. Sridhar is a financial services expert with over 30 years of experience gained internationally and in India. He was with Citigroup for 28 years and has worked in 6 countries across Asia, Africa and Europe. Some of the leadership positions he held with Citigroup included being CEO for three countries, Corporate Bank Head for India, Transaction Services Head for Africa and Bank Services Group Head for Central, Eastern Europe, Middle East and Africa. Mr. Sridhar brings deep banking experience and track record from around the globe in areas such as Corporate and Investment Banking, Product Management, Risk Management, Governance and Regulatory Compliance.

Mr. Sridhar lives in Mumbai and is passionate about Bollywood, Football and Wildlife. The social causes that he cares about are child welfare, economic empowerment, education and health for the under-privileged.

Prof. Biju Varkkey – Director (Non-Executive)

(DoB: 22nd December 1965)

Prof. Biju Varkkey was nominated as a Part Time Non-Official Director w.e.f. 21st October, 2019 by the Central Government u/s 9(3) (h) and 9(3-A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 1 year or until further orders, whichever is earlier.

He obtained Master's degree in Human Resource Management from Mahatma Gandhi University, Kerala and Fellow title in Management from NIBM, Pune. Currently he is faculty member at IIM Ahmedabad with the Human Resource Management. Additionally he heads the e-PGP task force of IIMA, which is mandated to lounge long duration virtual learning programs from IIMA.

His professional experience spans across industry, consulting and leading management schools, having taught at IIM Lucknow and MDI Gurgaon. He works closely with multilateral organizations like ILO, IOM, UNDP and organizations like UNITES and ITUC. His areas of academic interest include Strategic HR, Change Management, New Public Management, Leadership Development, HR Architecture for firms, Performance Management & Improvement, Flexible Work places, Employment Relations, Startups and Family Business transformation. He has published in national and international journals and also co-edited books on HRM practices. He coauthored text book `Human Resource Management' along with Gary Dessler. He has authored more than 30 case studies and technical notes, including award winning case study. He is also a member of the board of trustees of St Peters School, Panchgani and member of governing council of MCMAT, Kerala. He has served as nominated member in the Core Committee of the National HRD Network – Delhi Chapter (1998-1999), organizing committee for India Young HR Conference, Chair of Technical Committee for Annual HR Conclave of NIPM Kerala (2015) and was member of the founding governing body of the Strategic Management Forum of India.

अनुलग्नक – 1ए
निदेशकों से संबन्धित अन्य विवरण:
(यथास्थिति 31.03.2020)

Annexure – 1A
OTHER DETAILS OF DIRECTORS:
(Position as on 31.03.2020)

निदेशक का नाम Name of Director	बैंक के शेयरों की संख्या No. of shares of Bank	बैंक की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं No. of membership in Sub - Committees of the Bank	अन्य कम्पनियों में सदस्य/ अध्यक्ष के रूप में निदेशक मण्डल की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों/ इकाइयों के निदेशक मण्डल में निदेशक स्वरूप शामिल Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank
डॉ. हसमुख अढ़िया Dr. Hasmukh Adhia	शून्य NIL	5	0	शून्य NIL
श्री संजीव चड्ढा Shri Sanjiv Chadha	शून्य NIL	11	0	शून्य NIL
श्री मुरली रामस्वामी Shri Murali Ramaswami	7143	11	0	1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड 2. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड 1. BOB Capital Market Limited 2. India Infradebt Limited
श्री शांति लाल जैन Shri Shanti Lal Jain	6500	10	0	1. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड 2. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड 3. बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड 4. बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड 1. Baroda Global Shared Services Limited 2. Barodasun Technologies Ltd 3. Bank of Baroda (Uganda) Limited 4. Bank of Baroda (Tanzania) Limited
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची Shri Vikramaditya Singh Khichi	6500	10	1	1. इंडिया फस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 2. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड 3. बॉब फायनेंशियल सॉल्यूशन्स लिमिटेड 4. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड 5. बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड 1. IndiaFirst Life Insurance Company Limited 2. Baroda Asset Management India Limited 3. BOB Financial Solutions Limited 4. Indo Zambia Bank Ltd. 5. Bank of Baroda (Kenya) Ltd.
श्री अमित अग्रवाल Shri Amit Agrawal	शून्य NIL	2	0	शून्य NIL
श्री अजय कुमार Shri Ajay Kumar	शून्य NIL	3	0	शून्य NIL

निदेशक का नाम Name of Director	बैंक के शेयरों की संख्या No. of shares of Bank	बैंक की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं No. of membership in Sub - Committees of the Bank	अन्य कम्पनियों में सदस्य/ अध्यक्ष के रूप में निदेशक मण्डल की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों/ इकाइयों के निदेशक मण्डल में निदेशक स्वरूप शामिल Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank
डॉ. भरतकुमार डी. डांगर Dr. Bharatkumar D. Dangar	500	6	0	शून्य NIL
श्रीमती सौंदरा कुमार Smt. Soundara Kumar	200	2	4	1. राजपल्लयम मिल्स लिमिटेड 2. तामिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड 3. शांति गियर्स लिमिटेड 4. रामको सिस्टम्स लिमिटेड 5. सुंदरम ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 6. क्यूमी लिमिटेड 1. Rajapalayam Mills Limited 2. Tamilnadu Newsprint and Papers Limited 3. Shanthi Gears 4. Ramco Systems Limited 5. Sundaram Trustee Company Limited 6. Cumi Limited
श्री श्रीनिवासन श्रीधर Shri Srinivasan Sridhar	500	6	4	1. ओरेकल फायनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड 2. इंडिया फैक्ट्रींग एवं फायनेंस सॉल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड 3. एफआईएनसीए बैंक जॉर्जिया 4. विवृति कैपिटल प्रा. लिमिटेड 5. विवृति एसेट मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड 6. एफआईएनसीए अज़रबैजान 1. Oracle Financial Services Software Limited 2. India Factoring and Finance Solutions Private Limited 3. FINCA Bank Georgia 4. Vivriti Capital Private Limited 5. Vivriti Asset Management Private Limited 6. FINCA Azerbaijan
प्रो. बिजू वर्क्की Prof. Biju Varkkey	शून्य NIL	6	0	1. कॉनेक्ट सीएसआर इंपैक्टर्स प्रा. लिमिटेड 2. हसीस कंसल्टिंग लिमिटेड 3. एस्टर डीएम हेल्थकेयर 1. Konnect CSR Impactors Private Limited 2. Husys Consulting Limited 3. Aster DM Healthcare

घोषणा

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 की अनुसूची V - भाग (डी) के अनुसार प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ का घोषणा-पत्र.

यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के उच्च प्रबंधन कार्मिक, 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 26 (3) के अनुसार ''बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक हेतु निर्धारित आचार संहिता" के अनुपालन हेतु वचनबद्ध हैं. यह आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

श्री संजीव चड्ढा

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई

दिनांक: 23 जून, 2020

DECLARATION

Declaration of the Managing Director & CEO pursuant to Schedule V – Part (D) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the “Bank of Baroda - Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel” for the Financial Year ended on 31st March, 2020 in accordance with Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct has been posted on the Bank’s website.

For Bank of Baroda

Sanjiv Chadha

Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date 23rd June 2020

फॉर्म सं. एमआर-3

सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

Form No. MR – 3

Secretarial Audit Report

For the financial year ended March 31, 2020

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

प्रति,

सदस्य

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (इसके बाद जिसे बैंक के नाम से संदर्भित किया जाएगा) द्वारा श्रेष्ठ कॉर्पोरेट पद्धतियों के पालन हेतु 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवालीय लेखापरीक्षा करवाई थी. सचिवालीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी कि कॉर्पोरेट आचरणों/ सांविधिक अनुपालनों और उस पर हमारे विचारों के मूल्यांकन के लिए व्यवहार्य आधार उपलब्ध हो सके.

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त संबंधी कागजातों, फॉर्मों, फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों तथा सचिवालीय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेन्टों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च 2020 (लेखा परीक्षा अवधि) को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा बैंक के पास निम्नलिखित तरीके और रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली भी है:

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त से संबंधित कागजातों, फॉर्मों, फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसमें उल्लिखित नियमों (जहां तक लागू हो);

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसमें उल्लिखित नियमों;

iii. निक्षेपागार अधिनियम 1996 और उसमें उल्लिखित विनियमों और उप कानूनों;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों और बाह्य वाणिज्यिक उधारों से संबंधित उल्लिखित लागू विनियमनों;

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत प्रस्तावित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों:-

   ए. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम (शेयरों का तात्विक अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011.

   बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 2015

   सी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018

   डी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

   ई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीयन) विनियम, 2008

   एफ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम करने वाले रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम एवं क्लाइंटों से डील करने के संदर्भ में (जहां तक लागू हो)

   जी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का गैर सूचीयन) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं); और

   एच. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटीज विनियम, 1998 का बायबैक; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं);

To,

The Members

BANK OF BARODA

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Bank of Baroda (hereinafter called the Bank) for the year ended on March 31, 2020. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2020 (Audit Period) complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended March 31, 2020 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder (to the extent applicable);

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act,1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

   a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

   b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

   c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018

   d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

   e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008

   f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client (to the extent applicable.)

   g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of equity shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Bank during the Audit Period); and

   h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities Regulations, 1998; (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

आई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015; तथा

vi. हमने बैंक के लिए अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा स्थापित सिस्टम एवं पद्धतियों हेतु बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर विश्वास किया है.

हमारा यह मानना है कि प्रबन्धन ने विशेष तौर से बैंक के लिए लागू होने वाले निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है.

1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ('अधिनियम')

2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

4) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, बैंक को नियंत्रित करने वाला विशेष प्रावधान है, चूंकि बैंक संसद के अधिनियम के अंतर्गत गठित एक कॉर्पोरेट संस्था है.

हमने लागू निम्नलिखित धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

i. भारतीय सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालीय मानक.

ii. बैंक द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया सूचीयन करार.

समीक्षा अवधि के दौरान बैंक नें उपर्युक्त उल्लिखित अभिमतों के अधीन अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है.

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47 (ए)(1)(सी) के अंतर्गत निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने की विफलता और रोटोमैक ग्रुप कंपनी के खाते में धोखाधड़ी से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा पर रू. 1.50 करोड़ (एक करोड़ पचास लाख रूपए मात्र) का अर्थदंड लगाया है.

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47 (ए)(1)(सी) और धारा 51 के अंतर्गत ऋणी के एक खाते में धोखाधड़ी रिपोर्ट करने में विलंब करने पर बैंक पर रू. 50 लाख (पचास लाख रूपए मात्र) का अर्थदंड लगाया है.

(सी) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47 (ए)(1)(सी) और धारा 51(1) के अंतर्गत भागलपुर शाखा में सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के विभिन्न खातों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अवमानना के लिए बैंक पर कुल रू. 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख रूपए मात्र) का अर्थदंड लगाया है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

बैंक का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए बदलाव भारत सरकार की अधिसूचनाओं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं.

वर्ष के दौरान बैंक के प्रबंधन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

1) बैंक के गैर-कार्यपालक निर्देशक के रूप में प्रो. बीजू वर्क्की का कार्यकाल 24.04.2019 को समाप्त हो गया.

2) सनदी लेखाकार श्रेणी के तहत बैंक के निदेशक के रूप में श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल का कार्यकाल 25.07.2019 को समाप्त हो गया.

3) बैंक के कार्यपालक निदेशक सुश्री पापिया सेनगुप्ता 30.09.2019 को सेवानिवृत्त हो गई हैं.

4) अधिसूचना सं. एफ.नं.4/4/2018-बीओ.आई दिनांक 15.04.2019 के माध्यम से श्री मुरली रामास्वामी की नियुक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में 01.10. 2019 से उनकी अधिवर्षिता अर्थात् 31.12.2020 तक की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, की गई है.

5) अधिसूचना सं. एफ.नं.6/1/2018-बीओ.आई (खंड-III) 1 दिनांक 21.10.2019 के माध्यम से प्रो. बीजू वर्क्की की नियुक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा के अंशकालिक गैर-अधिकारिक निदेशक के रूप में 21.10. 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, की गई है.

i. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; and

(vi) We have relied on the representation made by the Bank and its Officers for systems and mechanism formed by the Bank for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Bank.

We are of the opinion that the management has complied with the following laws specifically applicable to the Bank:

1) The Banking Regulation Act, 1949 ('the Act')
2) The Reserve Bank of India Act, 1934
3) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
4) The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, being the special provisions governing the Bank, since the Bank is a body corporate constituted under the Act of Parliament.

We have also examined compliance with applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Secretaries of India.

(ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations.

(a) RBI under Section 47(A)(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act,1949, has imposed a penalty of Rs.1.50 crore (Rupees One crore Fifty Lakh only) on Bank of Baroda for failure to ensure end use of funds and non-compliance with directions on frauds in the account of Rotomac Group Companies..

(b) Reserve Bank of India under section 47(A)(1)(c) read with section 46(4)(i) and Section 51 of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 50 lakh (Rupees Fifty Lakh only) on the Bank for delay in reporting the fraud in one of the borrowal account.

(c) Reserve Bank of India under section 47(A)(1)(c) read with section 46(4)(i) and Section 51(1) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty aggregating to Rs. 2.50 crore (Rupees two crore fifty lakh only) on the Bank for non-compliance with the directions issued by the RBI in various accounts of Srijan Mahila Vikas Sahyog Samiti Ltd. at Bhagalpur Branch.

We further report that:

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out vide Government of India notifications and in compliance with the provisions of the Act.

During the year following changes took place in the Management of the Bank:

1) Completion of term of office of Prof. Biju Varkkey as Non Executive Director of Bank on 24.04.2019
2) Completion of term of office of Shri Gopal Krishan Agarwal as Director under Chartered Accountant Category of Bank on 25.07.2019.
3) Superannuation of Smt. Papia Sengupta as an Executive Director of the Bank on 30.09.2019.
4) Appointment of Shri Murali Ramaswami as Executive Director on the Board of Bank vide notification no. F. No. 4/4/2018-BO.I dated 15.04.2019 with effect from 01.10.2019 till his superannuation i.e., 31.12.2020, or until further order, whichever is earlier.
5) Appointment of Prof. Biju Varkkey as part-time non-official Director on the Board of Bank vide notification no. F.No.6/1/2018-BO-I (Vol-III)1 dated 21.10.2019 with effect from 21.10.2019, for a period of one year or until further orders whichever is earlier.

6) बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री पी. एस. जयकुमार का कार्यकाल 12.10.2019 को समाप्त हो गया.
7) अधिसूचना सं. एफ.नं.4/3/2019-बीओ.आई दिनांक 20.01.2020 के माध्यम से श्री संजीव चड्ढा की नियुक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में 20.01.2020 से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, की गई है.
8) अधिसूचना सं. एफ.नं.6/3/2012-बीओ.आई (खंड-II) दिनांक 24.01.2020 के माध्यम से श्री अमित अग्रवाल की नियुक्ति बैंक के निदेशक मंडल में सरकार के नामिति निदेशक के रूप में 25.01.2020 या अगले आदेशों तक, की गई है.

बोर्ड बैठकों को शिड्यूल करने हेतु सभी निदेशकों को यथोचित सूचना दी गई और सभी निदेशकों को एजेंडा तथा एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजा गया और बैठक से पहले और एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली उपलब्ध है.

अधिकांश निर्णयों पर सहमति बनी, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रुप में रिकॉर्ड किया गया है.

हम इसके अलावा रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में इसके आकार और परिचालन के अनुरुप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी को सुनिश्चित करते हैं.

हम इसके अतिरिक्त रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक में ऐसी विशिष्ट घटनाएं या कार्य रहे हैं जो उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण से संबंधित हैं:

1) बैंक ने 01.04.2019 को पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक के पात्र शेयरधारकों को प्रत्येक रु 2/- के 77,26,51,938 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं.
2) दिनांक 28.05.2019 को पूर्ववर्ती देना बैंक के आईपीडीआई बॉन्ड सीरीज II के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 125.00 करोड़ है.
3) दिनांक 10.06.2019 को बॉन्ड सीरीज XI के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 500.00 करोड़ है.
4) बैंक ने 17.06.2019 को प्रवर्तक तथा प्रवर्तक समूह को प्रत्येक रु 2/- के 42,85,59,286 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं.
5) दिनांक 11.09.2019 को रु. 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, मोचनीय) के अंकित मूल्य के 5000 7.75% - बैंक ऑफ़ बड़ौदा - बेसल III कंपलेंट टियर II बांड - सीरीज XXII का आबंटन किया गया.
6) भारत सरकार (प्रवर्तक) ने दिनांक 10.10.2019 को भारत ईटीएफ को 64,61,221 शेयर अंतरित किए हैं.
7) बैंक ने 25.10.2019 को बॉब ईएसपीएस के तहत बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कर्मचारियों को प्रत्येक रु 2/- के 12,23,73,432 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं.
8) दिनांक 25.11.2019 को आईपीडीआई बॉन्ड सीरीज III के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 600.00 करोड़ है.
9) दिनांक 28.11.2019 को रु. 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, बेमीयादी) के अंकित मूल्य के 16500 8.70% - बैंक ऑफ़ बड़ौदा - बेसल III कंपलेंट एटी I बांड - सीरीज X का आबंटन किया गया.
10) दिनांक 18.12.2019 को रु. 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, बेमीयादी) के अंकित मूल्य के 17470 8.99% - बैंक ऑफ़ बड़ौदा - बेसल III कंपलेंट एटी I बांड - सीरीज XI का आबंटन किया गया.
11) बैंक ने 12.12.2019 को प्रवर्तक तथा प्रवर्तक समूह को प्रत्येक रु 2/- के 65,14,65,798 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं.
12) दिनांक 03.01.2020 को रु. 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, मोचनीय) के अंकित मूल्य के 9200 7.44% - बैंक ऑफ़ बड़ौदा - बेसल III कंपलेंट टियर II बांड - सीरीज XXIII का आबंटन किया गया.
13) दिनांक 09.01.2019 को बेसल III कंपलेंट एटी I बांड - सीरीज V के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 1000.00 करोड़ है.
14) दिनांक 15.01.2020 को रु. 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, मोचनीय) के अंकित मूल्य के 2000 7.84% - बैंक ऑफ़ बड़ौदा - बेसल III कंपलेंट टियर II बांड - सीरीज XXIV का आबंटन किया गया.
15) दिनांक 01.02.2020 को पूर्ववर्ती विजया बैंक के बेसल III कंपलेंट एटी I बांड - सीरीज I के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 100.00 करोड़ है.
16) दिनांक 27.03.2020 को पूर्ववर्ती विजया बैंक के बेसल III कंपलेंट एटी I बांड - सीरीज II के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 400.00 करोड़ है.

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
रागिनी चोकशी
(साझेदार)
सी.पी.नंबर 1436
एफसीएस नंबर. 2390
यूडीआईएन: F002390B000317331

स्थानः मुंबई
दिनांकः जून 04, 2020

6) Completion of term of office of Shri P S Jayakumar as Managing Director and CEO of Bank on 12.10.2019.
7) Appointment of Shri Sanjiv Chadha, as Managing Director & Chief Executive Officer on the Board of Bank vide notification no. F. No. 4/3/2019-BO.I dated 20.01.2020, with effect from 20.01.2020 for a period of three years, or until further orders, whichever is earlier.
8) Appointment of Shri Amit Agrawal, as Government Nominee Director on the Board of Bank vide notification no. F.No.6/3/2012-BO.I (Vol. II) dated 24.01.2020, with effect from 25.01.2020 and until further orders.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank had following specific events or actions which might have a bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

1) The Bank has allotted 77,26,51,938 Equity Shares of Rs. 2/- each to eligible shareholders of eVijaya Bank and eDena Bank on 01.04.2019.
2) Call option/Redemption of IPDI Bond Series II aggregating Rs. 125.00 Cr. of eDena Bank on 28.05.2019.
3) Call option/Redemption of Bond Series XI aggregating Rs. 500.00 Cr. on 10.06.2019.
4) The Bank has allotted 42,85,59,286 Equity Shares of Rs. 2/- each to Promoter and Promoter Group on 17.06.2019.
5) Allotment of 5000 7.75% - Bank of Baroda – Basel III Compliant Tier II Bonds – Series XXII of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Redeemable) on 11.09.2019.
6) Government of India (Promoter) has transferred 64,61,221 Shares to Bharat ETF on 10.10.2019.
7) The Bank has allotted 12,23,73,432 Equity Shares of Rs. 2/- each to Employees of Bank of Baroda under BOB ESPS 2019 on 25.10.2019.
8) Call option/Redemption of IPDI Bond Series III aggregating Rs. 600.00 Cr. on 25.11.2019.
9) Allotment of 16500 8.70% - Bank of Baroda – Basel III Compliant AT 1 Bonds – Series X of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Perpetual) on 28.11.2019.
10) Allotment of 17470 8.99% - Bank of Baroda – Basel III Compliant AT 1 Bonds – Series XI of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Perpetual) on 18.12.2019.
11) The Bank has allotted 65,14,65,798 Equity Shares of Rs. 2/- each to Promoter and Promoter Group on 12.12.2019.
12) Allotment of 9200 7.44% - Bank of Baroda – Basel III Compliant Tier II Bonds – Series XXIII of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Redeemable) on 03.01.2020.
13) Call option/Redemption of Basel III Compliant AT 1 Bond Series V aggregating Rs. 1000.00 Cr. on 09.01.2020.
14) Allotment of 2000 7.84% - Bank of Baroda – Basel III Compliant Tier II Bonds – Series XXIV of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Redeemable) on 15.01.2020.
15) Call option/Redemption of Basel III Compliant AT 1 Bond Series I aggregating Rs. 100.00 Cr. of eVijaya Bank on 01.02.2020.
16) Call option/Redemption of Basel III Compliant AT 1 Bond Series II aggregating Rs. 400.00 Cr. of eVijaya Bank on 27.03.2020.

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)
Ragini Chokshi
(Partner)
C.P.No. 1436
FCS NO. 2390
UDIN: F002390B000317331

Place : Mumbai
Date : June 04, 2020

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक
Key Financial Indicators

क्र.सं. S. No.	विवरण (प्रतिशत में) Particulars (In Percentage)	31.03.2019	31.03.2020
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF)	7.26%	5.92%
2	ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest expenses / AWF	4.54%	3.78%
3	निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) Net Interest Margin (NIM)	2.72%	2.73%
4	ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ Interest spread / AWF	2.71%	2.14%
5	गैर-ब्याज आय | एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF	0.88%	0.80%
6	परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating expenses / AWF	1.64%	1.41%
7	लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio	45.56%	47.86%
8	सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) profit / AWF	1.96%	1.54%
9	निवल लाभ / एडब्ल्यूएफ Net profit / AWF	0.06%	0.04%
10	निवल मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth	1.18%	1.23%
11	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	0.06%	0.05%
12	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets	0.06%	0.06%
13	अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances	7.65%	7.99%
14	जमाराशियों की लागत Cost of Deposits	4.68%	4.98%
15	लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित) Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	0.00%	0.00%
16	ऋण-जमा अनुपात Credit -- Deposit Ratio	80.27%	77.38%
17	ऋण + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) / जमा अनुपात Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) /Deposit Ratio	83.01%	79.96%
18	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल II Capital Adequacy Ratio - BASEL II	-	
	टीयर - I Tier - I	-	
	टीयर - II Tier - II	-	
19	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल III **Capital Adequacy Ratio - BASEL III**	13.42%	13.30%
	टीयर - I Tier - I	11.55%	9.44%
	टीयर - II Tier - II	1.87%	1.27%

क्र.सं. S. No.	विवरण (प्रतिशत में) Particulars (In Percentage)	31.03.2019	31.03.2020
1	कर्मचारी (संख्या) Employees (number)	55754	84283
2	शाखाएं (संख्या) Branches (number)	5598	9528
3	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु. करोड़ में) Business per employee (Rs. in crore)	18.88	18.77
4	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (रु. करोड़ में) Average Business per employee (Rs in crore)	18.65	18.44
5	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु. लाख में) Gross Profit per employee (Rs. in lakhs)	24.19	23.36
6	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. लाख में) Net Profit per employee (Rs. in lakhs)	0.78	0.65
7	प्रति शाखा व्यवसाय (रु. करोड़ में) Business per branch (Rs. in crore)	197.84	171.72
8	प्रति शाखा सकल लाभ (रु. करोड़ में) Gross Profit per branch (Rs. in crore)	2.41	2.07
9	प्रति शाखा निवल लाभ (रु. करोड़ में) Net Profit per branch (Rs. in crore)	0.08	0.06
10	प्रति शेयर अर्जन (रु.) Earnings per share (Rupees)	1.64	1.36
11	प्रति शेयर बहीमूल्य (रु.) Book Value per share (Rupees)	138.42	96.22

स्रोत: विभिन्न वर्षो की वार्षिक रिपोर्ट (जहां उपयुक्त लगा, पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत / पुन:वर्गीकृत किया गया है) @ रु. 2/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर ※समामेलन से पूर्व की अवधि के लिए आंकड़े स्टैंडअलोन बैंक ऑफ़ बड़ौदा वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, अतः 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन के पश्चात वित्तीय परिणामों से तुलना नहीं की जा सकती है.

Source: Annual Reports of various years. (previous year's figures are regrouped and reclassified, where appropriate) @ after equlisation of face value to Rs.2.00 ※Figures are related to standalone Bank of Baroda financial results for pre- amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2020

परिभाषाएं /Definitions

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	:	कुल आस्तियों का पाक्षिक/दैनिक औसत;	**Average Working Funds (AWF)**	:	Fortnightly/Daily average of total assets
औसत जमाराशियां	:	कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत;	**Average Deposits**	:	Fortnightly/Daily average of total deposits
औसत अग्रिम	:	कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत;	**Average Advances**	:	Fortnightly/Daily average of total advances
औसत व्यवसाय	:	औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग;	**Average Business**	:	Total of Average Deposits & Average Advances
औसत निवेश	:	कुल निवेशों का पाक्षिक औसत;	**Average Investments**	:	Fortnightly/Daily average of total investments
ब्याज आय/(एडब्ल्यूएफ)	:	कुल ब्याज आय का औसत विभाजित करें कार्यशील निधियों से;	**Interest Income/AWF**	:	Total Interest Income Divided by AWF
ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल ब्याज व्यय भाग दें एडब्ल्यूएफ;	**Interest Expenses/AWF**	:	Total interest expenses Divided by AWF
ब्याज विस्तार/एडब्लूएफ	:	(कुल ब्याज आय घटाएं : कुल ब्याज व्यय) विभाजित करें एडब्लूएफ से;	**Interest Spread/AWF**	:	(Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF
गैरब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल गैर ब्याज आय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;	**Non-Interest Income/ AWF**	:	Total Non-Interest Income Divided by AWF
परिचालन व्यय	:	कुल खर्च घटाएं ब्याज खर्च	**Operating Expenses**	:	Total Expenses minus Interest Expenses
परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल परिचालन व्यय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;	**Operating expenses/ AWF**	:	Operating expenses Divided by AWF
लागत आय अनुपात	:	परिचालन व्यय विभाजित करें (गैरब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से;	**Cost Income Ratio**	:	Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread)
सकल (परिचालन) लाभ/एडब्ल्यूएफ	:	परिचालन लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	**Gross (Operating) Profit/AWF**	:	Operating profit divided by AWF
शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	**Net Profit/AWF**	:	Net Profit Divided by AWF
शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें शुद्ध मालियत से (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि को छोड़कर);	**Return on Net Worth**	:	Net Profit Divided by Net Worth (excluding revaluation reserves,FCTR & Deferred Tax Assets)
आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें कुल आस्तियों से;	**Return on Assets**	:	Net Profit Divided by Total Assets
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें औसत आस्तियों से;	**Return on Average Assets**	:	Net Profit Divided by Average Assets
अग्रिमों पर प्रतिफल	:	अग्रिमों पर अर्जित ब्याज विभाजित करें औसत अग्रिम से;	**Yield on Advances**	:	Interest earned on Advances Divided by Average Advances
जमाराशियों की लागत	:	जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज विभाजित करें औसत जमाराशियों से;	**Cost of Deposits**	:	Interest paid on Deposits Divided by average deposits
लाभांश भुगतान अनुपात (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित)	:	लाभांश, कार्पोरेट लाभांश कर सहित; विभाजित करें शुद्ध लाभ से;	**Dividend Payout Ratio (including corporate Dividend Tax)**	:	Dividend including corporate Dividend Tax Divided by Net Profit
ऋण जमा अनुपात	:	कुल अग्रिम विभाजित करें ग्राहकों की जमाराशियों से (अर्थात कुल जमाराशियां - घटायें अंतर बैंक जमा राशियां)	**Credit - Deposit Ratio**	:	Total advances Divided by Customer Deposits (i.e Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमाराशि अनुपात;	:	(कुल अग्रिम + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश - घटायें अनुषंगी इकाइयों में निवेश) विभाजित करें ग्राहकों की जमाओं से;	**Credit + Non SLR Investments (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio**	:	(Total Advances Plus Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries) Divided by Customer Deposits
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	:	समग्र जमाराशियां + कुल अग्रिम विभाजित करें, कर्मचारियों की कुल संख्या से	**Business Per Employee**	:	Core Deposits plus Net Advances Divided by Total No. of employees
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	:	औसत जमाराशियां + औसत अग्रिम/विभाजित करें कर्मचारियों की कुल संख्या से	**Average Business Per employee**	:	Average Deposits plus average advances divided by Total No. of employees
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	:	सकल लाभ को विभाजित करें, कर्मचारियों की कुल संख्या से;	**Gross Profit Per Employee**	:	Gross Profit Divided by Total No. of employees
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	:	शुद्ध लाभ को विभाजित करें कर्मचारियों की कुल संख्या से;	**Net Profit Per Employee**	:	Net Profit Divided by total No. of employees
प्रति शाखा कारोबार	:	कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	**Business Per Branch**	:	Total Deposits plus total advances divided by No. of Branches
प्रति शाखा सकल लाभ	:	सकल लाभ को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	**Gross Profit Per Branch**	:	Gross Profit Divided by No. of Branches
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	:	शुद्ध लाभ विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	**Net Profit Per Branch**	:	Net Profit Divided by No. of Branches
प्रति शेयर आय	:	शुद्ध लाभ को विभाजित करें अंकित मूल्य हेतु समायोजित बकाया शेयरों की संख्या से	**Earning Per Share**	:	Net Profit divided by number of outstanding shares adjusted for face value
प्रति शेयर बही मूल्य	:	शुद्ध मालियत {पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि + एफसीटीआर + डीटीए (वित्तीय वर्ष 15, 16, 17 एवं 18 के लिए) अंकित मूल्य हेतु समायोजित बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित}	**Book Value Per Share**	:	Net Worth [excluding revaluation reserves+FCTR + DTA (for FY'15,16, 17 & 18) divided by number of outstanding shares adjusted for face value.

*जहां भी दैनिक औसत का उल्लेख हुआ है, वे मार्च 2017, मार्च 2018 एवं मार्च 2019 से संबद्ध हैं.

*Wherever daily averages are mentioned, they relate to March 2017, March 2018 & March 2019.

31 मार्च, 2020 का तुलन-पत्र
Balance Sheet as at 31st March, 2020

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020	31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019
पूंजी और देयताएं	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूंजी	Capital	1	**925,37,45**	530,36,44
आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	Share Application Money Pending Allotment	1ए / 1A	**-**	5042,00,00
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves and Surplus	2	**70930,84,48**	45410,73,29
जमाराशियां	Deposits	3	**945984,42,56**	638689,71,72
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	**93069,30,58**	67201,29,78
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	**47005,56,44**	24113,29,26
कुल	TOTAL		**1157915,51,51**	780987,40,49
आस्तियां	**ASSETS**			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**32645,85,26**	26661,72,83
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**89255,26,75**	62567,88,71
निवेश	Investments	8	**274614,61,39**	182298,08,18
अग्रिम	Advances	9	**690120,73,40**	468818,73,62
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	**8889,29,11**	6990,29,54
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	**62389,75,60**	33650,67,61
कुल	TOTAL		**1157915,51,51**	780987,40,49
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	**320747,63,48**	380312,98,46
वसूली के लिए बील	Bills for Collection		**52009,73,51**	49059,93,06
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुरली रामस्वामी
कार्यपालक निदेशक

शांति लाल जैन
कार्यपालक निदेशक

विक्रमादित्य सिंह खीची
कार्यपालक निदेशक

सुब्रत कुमार
महाप्रबंधक
ट्रेजरी परिचालन एवं खाते

जी रमेश
महाप्रबंधक
कार्पोरेट खाते एवं कराधान एवं सीएफओ

स्थानः मुंबई
दिनांक: 23-06-2020

कृते सिंघी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 302049ई

(सीए श्वेता सिंघल)
साझेदार
एम नं. 414420
स्थानः मुंबई

कृते जी एम कपाडिया एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104767डब्ल्यू

(सीए राजेन अशर)
साझेदार
एम नं. 048243
स्थानः मुंबई

कृते एस आर डिनोडिया एवं कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001478एन / एन500005

(सीए संदीप डिनोडिया)
साझेदार
एम नं. 083689
स्थानः नई दिल्ली

कृते दास गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000112N

(सीए पंकज मंगल)
साझेदार
एम नं. 097890
स्थानः नई दिल्ली

कृते जे काला एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 118769W

(सीए जयेश काला)
साझेदार
एम नं. 101686
स्थानः मुंबई

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2020

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2020 को Year Ended 31st March 2020	31 मार्च 2019 को Year Ended 31st March 2019
I. आय	I. **INCOME**			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	**75983,65,50**	49770,60,60
अन्य आय	Other Income	14	**10317,32,38**	6294,49,48
कुल	TOTAL		**86300,97,88**	56065,10,08
II. व्यय	II. **EXPENDITURE**			
खर्च किया गया ब्याज	Interest Expended	15	**48532,36,95**	31290,30,04
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	**18077,19,09**	11287,97,81
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies		**19145,23,09**	13053,29,98
कुल	TOTAL		**85754,79,13**	55631,57,83
III. लाभ / हानि	III. **PROFIT / LOSS**			
अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/ (Loss) for the period		**546,18,75**	433,52,25
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Available for Appropriation		**546,18,75**	433,52,25
विनियोजन / अंतरण	IV. **Appropriations / Transfers**			
ए) सांविधिक आरक्षित निधि	a) Statutory Reserve		**136,54,69**	108,38,06
बी) पूंजीगत आरक्षित निधि	b) Capital Reserve		**822,24,62**	210,36,34
सी) राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां	c) Revenue and Other Reserves			
I) निवेश उतार- चढ़ाव प्रारक्षित निधि	I) Investment Fluctuation Reserve			215,783
II) सामान्य प्रारक्षित निधि	II) General Reserve		**(560,32,75)**	-
III) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	III) Special Reserve u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act 1961		**180,00,00**	182,08,00
IV) निवेश प्रारक्षित निधि - खाता	IV) Investment Reserve Account		**(41,58,33)**	(88,87,98)
V) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	V) Statutory Reserve (Foreign)		**9,30,52**	-
डी) प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	d) Proposed Dividend (including Dividend Tax)		**-**	-
कुल	TOTAL		**546,18,75**	433,52,25
V. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रति शेयर का अंकित मूल्य रु. 2/-)	V. **Earning Per Equity Share** (Face Value of Rs. 2 /- per share)			
प्रति शेयर मूल अर्जन (रु.)	Basic Earnings per Share (Rs.)		**1.36**	1.64
प्रति शेयर डायल्यूटेड अर्जन (रु.)	Diluted Earnings per Share (Rs.)		**1.36**	1.41
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन प्रत्र का एक अभिन्न भाग है.
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Murali Ramaswami
Executive Director

Shanti Lal Jain
Executive Director

Vikramaditya Singh Khichi
Executive Director

Subrat Kumar
General Manager
Treasury Operations
& Accounts

G Ramesh
General Manager
Corp. A/Cs & Taxation
and CFO

Place: Mumbai
Date: 23-06-2020

For **Singhi & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 302049E

(CA Shweta Singhal)
Partner
M No. 414420
Place: Mumbai

For **G M Kapadia & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 104767W

(CA Rajen Ashar)
Partner
M No. 048243
Place: Mumbai

For **S R Dinodia & Co. LLP.**
Chartered Accountants
FRN : 001478N / N500005

(CA Sandeep Dinodia)
Partner
M No. 083689
Place: New Delhi

For **Dass Gupta & Associates**
Chartered Accountants
FRN : 000112N

(CA Pankaj Mangal)
Partner
M No. 097890
Place: New Delhi

For **J Kala & Associates**
Chartered Accountants
FRN : 118769W

(CA Jayesh Kala)
Partner
M No. 101686
Place: Mumbai

तुलन-पत्र की अनुसूचियां
Schedules to Balance Sheet

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020	31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019
अनुसूची -1 पूंजी	**SCHEDULE - 1 CAPITAL**		
प्राधिकृत पूंजी	AUTHORISED CAPITAL		
प्रति रु.2/- के 1500,00,00,000 शेयर	1500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each		
(पिछली अवधि प्रति शेयर रु. 2/- के 1500,00,00,000/-)	(previous period 1500,00,00,000/- shares of ₹ 2/- each)	**3000,00,00**	3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	**ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL**		
प्रति रु.2/- के 463,42,34,086 इक्विटी शेयर	463,42,34,086 Equity Shares of ₹ 2/- each		
(पिछली अवधि प्रति शेयर रु. 2/- के 265,91,83,632)	(previous period 265,91,83,632 shares of ₹ 2/- each)	**926,84,68**	531,83,67
मांगी गयी पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	**CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL**		
प्रति रु.2/- के 462,05,66,586 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि 264,55,16,132) जिसमें केंद्र सरकार द्वारा धारित कुल रु. 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि के 167,34,59,020 शेयर) शामिल हैं.	462,05,66,586 (previous period 264,55,16,132) Equity Shares of ₹ 2 each including 330,81,84,689 Equity Shares (previous period 167,34,59,020 Shares) amounting to ₹ 661.64 crores held by Central Government	**924,11,33**	529,10,32
जोड़ें : जब्त किए गए शेयर 136,67,500 (पिछले वर्ष 136,67,500 शेयर)	Add: Forfeited Shares 136,67,500 (previous period (136,67,500)	**1,26,12**	1,26,12
कुल	TOTAL	**925,37,45**	530,36,44

अनुसूची -1 ए	**SCHEDULE - 1A**		
I शेयर आवेदन पत्र राशि लम्बित आवंटन **	I Share Application Money Pending Allotment **	**-**	5042,00,00
		-	5042,00,00

** आवंटन बाकी हो ऐसे शेयर आवेदन की धनराशि, दिनांक 28 मार्च, 2019 को भारत सरकार से प्राप्त आवेदन की है.

** In previous year, share application money pending allotment represents application received from Government of India on 28th March 2019

अनुसूची-2	**SCHEDULE - 2**				
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	**RESERVES & SURPLUS**				
I **सांविधिक आरक्षित निधियां**	I **Statutory Reserves**				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**9423,13,75**		9314,75,69	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	**3705,84,51**	**13128,98,26**	108,38,06	9423,13,75

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019	
II	**प्रारक्षित पूंजी**	II	**Capital Reserves**				
	(रु. 6079.52 करोड़ की पुर्नमूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित (पिछली अवधि रु. 4514.10 करोड़)		(including Revaluation Reserve of ₹ 6079.52crore (previous periods ₹ 4514.10 crore)				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	**6077,67,16**		4509,55,62	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	**7822,65,36**		2002,72,46	
	अवधि के दौरान समायोजन		Adjustments during the period	**(224,39,68)**		(46,56,98)	
				13675,92,84		6465,71,10	
	कटौतिया:		Deductions:				
	सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित पुर्नमूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on revalued fixed assets transferred to General Reserve	**792,96,77**	**12882,96,07**	388,03,94	6077,67,16
III	**शेयर प्रीमियम**	III	**Share Premium**				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	**16035,73,80**		16035,73,80	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	**21949,66,50**	**37985,40,30**	-	16035,73,80
IV	**राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां**	IV	**Revenue and other Reserves**				
	ए) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)		a) Statutory Reserve (Foreign)				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	**106,39,92**		106,39,92	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	**9,30,52**		-	
				115,70,44		106,39,92	
	बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां		b) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	**4948,20,03**		4766,12,03	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	**1159,25,74**		182,08,00	
				6107,45,77		4948,20,03	
	सी) विदेशी मुद्रा रूपांतरित प्रारक्षित निधियां		c) Foreign Currency Translation Reserve				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	**2441,03,50**		2084,96,77	
	अवधि के दौरान समायोजन		Adjustments during the period	**932,86,21**		356,06,73	
				3373,89,71		2441,03,50	
	डी) निवेश प्रारक्षित लेखा		d) Investment Reserve Account				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	**41,58,33**		130,46,31	
	अवधि के दौरान समायोजन		Adjustments during the period	**(41,58,33)**		(88,87,98)	
				-		41,58,33	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019	
ई)	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	e)	Investment Fluctuation Reserve				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	21,57,83		-	
	अवधि के दौरान परिवर्धन		Additions during the period	-		21,57,83	
				21,57,83		21,57,83	
एफ)	अन्य राजस्व प्रारक्षित निधियां	f)	Other Revenue Reserves				
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	6315,38,97		5916,40,62	
	अवधि के दौरान समायोजन		Adjustments during the period	2047,91,34		398,98,35	
				8363,30,31		6315,38,97	
	कुल - IV (ए, बी, सी, डी, ई और एफ)		TOTAL - IV (a, b, c, d, e & f)		17981,94,06		13874,18,58
	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	V	Debit Balance in Profit & Loss Account		(11048,44,21)		-
	कुल (I से V)		TOTAL (I to V)		70930,84,48		45410,73,29

वर्तमान वर्ष के दौरान परिवर्धन में सांविधिक प्रारक्षित निधि में पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक से प्राप्त शेष राशि रु. 3569.30 करोड़, पूंजीगत प्रारक्षित निधि में रु. 3593.48 करोड़, शेयर प्रीमियम में रु. 8993.67 करोड़, विशेष प्रारक्षित निधि में रु. 979.26 करोड़, अन्य राजस्व निधियों में रु. 2141.61 करोड़ और लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष के अंर्तगत रु. (-) 11048.44 शामिल है.

Additions during the current year includes balances carried forward from erstwhile Dena Bank and erstwhile Vijaya Bank of ₹ 3569.30 crore in Statutory reserve, ₹ 3593.48 crore in Capital reseves, ₹ 8993.67 crore in Share Premium, ₹ 979.26 crore in Special Reserve, ₹ 2141.61 crore in Other Revenue Reserves and ₹ (-) 11048.44 crore in Debit Balance in P&L Account.

समामेलन के कारण समामेलित प्रारक्षित निधि रु. 3406.93 करोड़ सहित पूंजीगत निधि जोड़ें.

Addition to capital reserve also includes Amalgamation reserve of ₹ 3406.93 crore on account of Amalgamation.

अनुसूची-3 जमाराशियां / SCHEDULE - 3 DEPOSITS

ए. I	मांग-जमाराशियां	A. I	Demand Deposits				
	i) बैंकों से		i) From Banks	2419,75,88		2007,90,35	
	ii) अन्य से		ii) From Others	62160,86,13	64580,62,01	44892,82,26	46900,72,61
II	बचत बैंक जमाराशियां	II	Savings Bank Deposits		269243,04,60		176893,64,72
III	मीयादी जमाराशियां	III	Term Deposits				
	i) बैंकों से		i) From Banks	51752,88,55		52626,95,35	
	ii) अन्य से		ii) From Others	560407,87,40	612160,75,95	362268,39,04	414895,34,39
	कुल (I से III)		TOTAL (I to III)		945984,42,56		638689,71,72
बी. I	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I	Deposits of branches in India	808705,49,45		517966,56,07	
II	भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II	Deposits of branches outside India	137278,93,11		120723,15,65	
	कुल (I और II)		TOTAL (I & II)	945984,42,56		638689,71,72	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019	
अनुसूची – 4 उधार ली गयी राशियां		**SCHEDULE - 4 BORROWINGS**					
I.	**भारत में उधार ली गयी राशियां**	**I**	**Borrowings in India**				
i)	भारतीय रिज़र्व बैंक	i)	Reserve Bank of India	**45792,00,00**		27500,00,00	
ii)	अन्य बैंक	ii)	Other Banks	**9243,77,77**		7321,70,32	
iii)	अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii)	Other Institutions and Agencies	**4611,68,49**		4452,85,75	
iv)	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) एवं एटी 1	iv)	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) & AT1	**8283,50,00**		5961,50,00	
v)	गौण बांड	v)	Subordinated Bonds	**13106,50,00**		6456,50,00	
	कुल (i to v)		**TOTAL (I to V)**		**81037,46,26**		51692,56,07
II.	**भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां**	**II**	**Borrowings outside India**		**12031,84,32**		15508,73,71
	कुल-उधार ली गयी राशियां (I एवं II)		**Total - Borrowings (I & II)**		**93069,30,58**		67201,29,78
	उपरोक्त में शामिल जमानती उधार राशियां		Secured Borrowings included in above		**48723,21,68**		30774,19,77

अनुसूची – 5 अन्य देयताएं और प्रावधान :		**SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**			
I	देय बिल	I	Bills Payable	**2122,48,61**	1889,89,97
II	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II	Inter Office Adjustments (Net)	**3609,37,80**	2561,49,48
III	उपचित ब्याज	III	Interest Accrued	**4856,20,78**	3615,09,63
IV	मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	IV	Contingent Provision against Standard Advances	**7403,64,12**	3153,12,25
V	अन्य (प्रावधानों सहित)	V	Others (including provisions)	**29013,85,13**	12893,67,93
	कुल (I से V)		**TOTAL (I to V)**	**47005,56,44**	24113,29,26

अनुसूची – 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष		**SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**			
I	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I	Cash in hand (including foreign currency notes)	**4761,60,20**	3336,73,22
II	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	II	Balances with Reserve Bank of India		
	चालू खाते में		in Current Account	**27884,20,77**	23324,99,61
	अन्य खाते में		In Other Account	**4,29**	-
	कुल (I और II)		**TOTAL (I & II)**	**32645,85,26**	26661,72,83

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019	
अनुसूची -7 बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	**SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT**				
I भारत में	I **In India**				
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks				
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	**262,51,30**		59,20,73	
बी) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	**4434,12,47**	**4696,63,77**	4458,88,75	4518,09,48
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice with				
ए) बैंकों के पास	a) Banks	**17000,00,00**		-	
बी) अन्य संस्थानों के पास	b) Other institutions	**-**	**170,000,000**	-	-
कुल(i और ii)	**TOTAL (i and ii)**		**21696,63,77**		4518,09,48
II **भारत से बाहर**	II **Outside India**				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	**28077,32,37**		26183,61,17	
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	**32738,63,81**		24927,18,96	
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	iii) Money at Call and Short Notice with Banks	**6742,66,80**		6938,99,10	
कुल (i, ii और iii)	**TOTAL (i, ii and iii)**		**67558,62,98**		58049,79,23
कुल (I और II)	**TOTAL (I and II)**		**89255,26,75**		62567,88,71
अनुसूची-8 निवेश	**SCHEDULE - 8 INVESTMENTS**				
I भारत में निवेश (सकल)	I Investments in India (Gross)	**265015,61,09**		172412,15,64	
घटायें : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	**2998,17,23**		1665,34,67	
भारत में निवल निवेश	Net Investments in India		**262017,43,86**		170746,80,97
अलग-अलग विवरण	B R E A K - U P				
i) सरकारी प्रतिभूतियां [क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया में लॉज किए गए रु. 3552.37 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछली अवधि रु. 848.14 करोड़) के रु. 3589.17 करोड़ सहित (पिछली अवधि रु. 839.40 करोड़ शामिल हैं)]	i) Government Securities [Includes ₹ 3589.17 crores (Previous period ₹ 848.14 crores) face value of ₹ 3552.37 crores (Previous period ₹ 839.40 crores) lodged with Clg. Corp. of India]	**244056,07,16**		158903,83,87	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019	
	[एमसीएक्स के साथ लॉज किए गए रु. 1.00 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछली अवधि के रु. 0.51 करोड़) के रु. 1.02 करोड़ सहित (पिछली अवधि के रु. 0.50 करोड़ शामिल हैं)].		[Includes ₹ 1.02 crores (Previous period ₹ 0.51 crores) face value of ₹ 1.00 crores (Previous period ₹ 0.50 crores) lodged with MCX]				
	[एनएसई के साथ लॉज किए गए रु. 5.98 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछली अवधि के रु. 5.04 करोड़) के रु. 6.08 करोड़ सहित (पिछली अवधि के रु. 5.00 करोड़ शामिल हैं)]		[Includes ₹ 6.08 crores (Previous period ₹ 5.04 crores) face value of ₹ 5.98 crores (Previous period ₹ 5.00 crores) lodged with NSE]				
	[बीएसई के साथ लॉज किए गए रु. 1.00 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछली अवधि के 0.91 करोड़) के रु. 1.02 करोड़ सहित (पिछली अवधि के रु. 0.90 करोड़ शामिल हैं)]		[Includes ₹ 1.02 crores (Previous period ₹ 0.91 crores) face value of ₹ 1.00 crores (Previous period ₹ 0.90 crores) lodged with BSE]				
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		ii) Other Approved Securities	**1,41,40**		1,28,00	
	iii) शेयर		iii) Shares	**2788,90,75**		2265,74,03	
	iv) डिबेंचर और बांड		iv) Debentures and Bonds	**10028,85,24**		6113,94,32	
	v) अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम		v) Subsidiaries and/or Joint Ventures	**1444,92,01**		1424,52,82	
	vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्रों, यूटीआई व अन्य म्यूचुअल फंड की यूनिटें, पास-थ्रू प्रमाणपत्र आदि)		vi) Other Investments (Commercial Papers, Units of UTI & Other Mutual Funds, Pass Through Certificates etc.)	**3697,27,30**		2037,47,93	
				262017,43,86		170746,80,97	
II	**भारत के बाहर निवेश (सकल)**	II	**Investments Outside India (Gross)**	**13032,45,94**		11848,07,56	
	घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान		Less: Provision for Depreciation	**435,28,41**		296,80,35	
	भारत के बाहर निवल निवेश		Net Investments Outside India		**12597,17,53**		11551,27,21
	अलग-अलग विवरण		B R E A K - U P				
	i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)		i) Government Securities (Including Local Authorities)	**4113,40,65**		3752,44,35	
	ii) विदेशों में अनुषंगियां और/या संयुक्त उद्यम		ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad	**2023,86,62**		2185,58,12	
	iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बांड आदि)		iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	**6459,90,26**		5613,24,74	
				12597,17,53		11551,27,21	
	कुल (I और II)		**TOTAL (I and II)**		**274614,61,39**		182298,08,18

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019	
अनुसूची-9 अग्रिम	**SCHEDULE - 9 ADVANCES**				
ए i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	**33167,54,17**		26369,80,08	
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	**264833,95,09**		201945,89,01	
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	**392119,24,14**		240503,04,53	
कुल ए (i से iii)	**TOTAL A (i to iii)**		**690120,73,40**		468818,73,62
बी. i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूत (बही ऋण के सापेक्ष अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	**537210,90,70**		365497,80,57	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	**68184,11,14**		40160,67,85	
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	**84725,71,56**		63160,25,20	
कुल बी (i से iii)	**TOTAL B (i to iii)**		**690120,73,40**		468818,73,62
सी. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India				
i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i. Priority Sector	**195316,53,51**		129969,03,18	
ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii. Public Sector	**69456,52,38**		37026,35,67	
iii बैंक	iii. Banks	**490,76,06**		202,01,49	
iv अन्य	iv. Others	**305076,94,91**	**570340,76,86**	202987,57,34	370184,97,68
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India				
i बैंकों से प्राप्य	i Due from Banks	**39331,50,23**		31227,97,25	
ii अन्य से प्राप्य	ii Due from Others				
a) खरीदे और भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	**3870,92,98**		4177,37,35	
b) सिंडीकेट ऋण	b) Syndicated Loans	**39368,99,34**		30432,99,73	
c) अन्य	c) Others	**37208,53,99**	**119779,96,54**	32795,41,61	98633,75,94
कुल सी (I एवं II)	**TOTAL C (I & II)**		**690120,73,40**		468818,73,62

अनुसूची-10 अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS**				
I **परिसर**	I **Premises**				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	**8284,72,34**		6349,11,70	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/adjustments during the period	**4037,43,62**		2060,83,34	
(पुनर्मूल्यांकित राशि सहित)	(Includes revalued amount)	**12322,15,96**		8409,95,04	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019	
	वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन		Deductions/adjustments during the period	351,75,39		125,22,70	
				11970,40,57		8284,72,34	
	घटाएं – आज की तारीख तक मूल्यह्रास/परिशोधन		Less:- Depreciation/ Amortisation to date	4556,81,19	7413,59,38	2526,76,25	5757,96,09
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर)**	II	**Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**				
	पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर		At cost as on 31st March of the preceding year	5525,84,64		5052,51,68	
	अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन		Additions/adjustments during the period	2666,29,52		556,03,98	
				8192,14,16		5608,55,66	
	घटाएं: अवधि के दौरान कटौती/समायोजन		Less:- Deductions/ adjustments during the period	285,06,84		82,71,02	
				7907,07,32		5525,84,64	
	घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास		Less:- Depreciation to date	6431,37,59	1475,69,73	4293,51,19	1232,33,45
	कुल (I से II)		**TOTAL (I to II)**		8889,29,11		6990,29,54

विलय के पश्चात पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक से रु. 3456.49 करोड़ का निवल बही मूल्य अन्तरित किया गया है.

A Net Book value of ₹ 3456.49 crore has been transferred from erstwhile Dena Bank and erstwhile Vijaya Bank on merger.

अनुसूची –11 अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS

				As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
I	उपचित ब्याज	I	Interest Accrued	6678,18,26	6001,81,53
II	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II	Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	8274,91,93	5881,92,01
III	लेखन सामग्री और स्टांप	III	Stationery & Stamps	9,32,09	5,95,60
IV	अन्य	IV	Others	47427,33,32	21760,98,47
	कुल (I से IV)		**TOTAL (I to IV)**	62389,75,60	33650,67,61

अनुसूची –12 आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES

				As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
I	बैंक के सापेक्ष दावे जिन्हें देनदारी नहीं माना गया	I	Claims against the Bank not acknowledged as Debts	18997,49,01	2919,27,09
II	आंशिक रूपसे चुकता निवेशों के लिये देयता	II	Liability for partly paid Investments	15,28,00	16,61,53
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III	Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	165443,29,61	260637,25,52

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019	
IV	संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियां :	IV	Guarantees given on behalf of Constituents :				
	ए) भारत में		a) In India	**5261,97,17**		26572,22,61	
	बी) भारत से बाहर		b) Outside India	**1187,37,09**	**6449,34,26**	4130,10,04	30702,32,65
V	स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	V	Acceptances, Endorsements and Other Obligations		**10051,96,49**		22433,77,30
VI	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता हैं,	VI	Other items for which the Bank is Contingently liable		**119790,26,11**		63603,74,37
	कुल (I से VI)		**TOTAL (I to VI)**		**320747,63,48**		380312,98,46

(₹ 000'मे) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2020 को For the Year Ended 31st March 2020		31 मार्च 2019 को For the Year Ended 31st March 2019
अनुसूची-13	**SCHEDULE - 13**					
अर्जित ब्याज	**INTEREST EARNED**					
I अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ बट्टा	I	Interest / Discount on Advances / Bills		**54115,77,25**		34388,96,60
II निवेशों पर आय	II	Income on Investments		**18097,35,72**		12786,71,55
III भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियां और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III	Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds		**1768,73,25**		1735,20,36
IV अन्य	IV	Others		**2001,79,28**		859,72,09
कुल (I से IV)		**TOTAL (I to IV)**		**75983,65,50**		49770,60,60
अनुसूची -14	**SCHEDULE - 14**					
अन्य आय	**OTHER INCOME**					
I कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	I	Commission, Exchange and Brokerage		**2590,26,78**		1989,44,63
II निवेशों के विक्रय पर लाभ	II	Profit on sale of Investments	**2864,96,32**		1055,18,59	
घटाएं : निवेशों की बिक्री पर हानि		Less: Loss on sale of Investments	**114,25,34**	**2750,70,98**	65,73,09	989,45,50
III भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	III	Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	**6,87,16**		18,67,45	
घटाएं : भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि		Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	**3,17,56**	**3,69,60**	3,31,91	15,35,54
IV विनिमय लेन-देन पर लाभ	IV	Profit on Exchange Transactions	**1020,82,43**		745,39,09	
घटाएं : विनिमय लेन-देन पर हानि		Less: Loss on Exchange Transactions	**4,67,46**	**1016,14,97**	52,24,08	693,15,01
V विदेशों/भारत में अनुषंगियों / कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V	Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/ or Joint Ventures abroad/ in India		**99,90,62**		154,08,40
VI विविध आय	VI	Miscellaneous Income		**3856,59,43**		2453,00,40
कुल (I से VI)		**TOTAL (I to VI)**		**10317,32,38**		6294,49,48
अनुसूची-15	**SCHEDULE - 15**					
खर्च किया गया ब्याज	**INTEREST EXPENDED**					
I जमाराशियों पर ब्याज	I	Interest on Deposits		**43656,58,97**		27621,10,58
II भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II	Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings		**2685,93,66**		2110,75,56
III अन्य	III	Others		**2189,84,32**		1558,43,90
कुल (I से III)		**TOTAL (I to III)**		**48532,36,95**		31290,30,04

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2020 को For the Year Ended 31st March 2020	31 मार्च 2019 को For the Year Ended 31st March 2019
अनुसूची-16	**SCHEDULE - 16**		
परिचालन व्यय	**OPERATING EXPENSES**		
I कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees	**8769,52,30**	5039,13,18
II किराया, कर और बिजली	II Rent, Taxes and Lighting	**1517,52,22**	1038,66,97
III मुद्रण और लेखन-सामग्री	III Printing and Stationery	**116,78,19**	80,76,51
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity	**206,57,75**	103,94,99
V बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	V Depreciation on Bank's Property	**1659,64,55**	910,37,91
VI निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses	**1,87,44**	1,59,66
VII लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)	**100,15,74**	60,68,07
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges	**159,29,69**	159,76,38
IX डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.	**197,44,48**	107,45,53
X मरम्मत और रखरखाव	X Repairs and Maintenance	**1132,51,07**	922,82,58
XI बीमा	XI Insurance	**1062,01,13**	700,06,21
XII अन्य	XII Other Expenditure	**3153,84,53**	2162,69,82
कुल (I से XII)	**TOTAL (I to XII)**	**18077,19,09**	11287,97,81

अनुसूची 17 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
Schedule - 17 Significant Accounting Policies for the year ended March 31, 2020

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार किए गए हैं. ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है. विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालीयों का अनुपालन किया गया है.

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गयी अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं. वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान एवं भविष्य की अवधि प्रभाव में मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.

3. निवेश

बैंक निपटान की तारीख के आधार पर निवेशों के लिए लेखांकन की एक समान पद्धतियों का अनुसरण करता है. बैंक के निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.सं. बीसी.6/21.04.141/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार किया जाता है.

3.1 वर्गीकरण

ए) वर्गीकरण का आधार

बैंक के निवेश पोर्टफोलियों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है, जिसमें–

i. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है.

ii. व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है. ऐसी प्रतिभूतियां, जिन्हें सैद्धांतिक रुप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री हेतु रखा गया है, उन्हें एचएफटी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

iii. बिक्री हेतु उपलब्ध '(एएफएस) में वे निवेश शामिल हैं, जो उर्पयुक्त (ए) तथा (बी) में शामिल नहीं हैं, अर्थात जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं.

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilites (including contingent liabilites) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3 INVESTMENTS:

The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Circular DBR. No. BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

3.1 Classification

a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

i) "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

ii) "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade. Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified under the HFT category.

iii) "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

तुलन पत्र में प्रकटीकरण के लिए निवेशों को अनुसूची 8 (निवेश) में प्रकटीकृत के रूप में 6 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉण्ड और डिबेंचर (ई) अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम एफ) अन्य

बी) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण के समय प्रदत्त लागत, निवेश संबंधी ब्रोकरेज और आंशिक अवधि के लिए ब्याज जैसी लागत भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में डाली जाती है.

सी) वर्गों के बीच अंतरण

एक वर्ग से दूसरे वर्ग का पुनःवर्गीकरण निवेश, यदि किया गया हो तो, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप है. एएफएस/एचएफटी वर्ग से एचटीएम वर्ग में स्क्रिप्ट का अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो कम हो, उस पर किया जाता है. एचटीएम से एएफएस/एचएफटी वर्ग में अंतरित प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले तो डिस्काउंट पर एचटीएम के अंतर्गत धारित निवेशों को अधिग्रहण दर पर एएफएस/एचएफटी वर्ग में अंतरित किया जाता है और एचटीएम वर्ग में प्रीमियम पर धारित निवेशों को एमौरटाइज्ड लागत पर एएफएस/एचएफटी में अंतरित किया जाता है.

एएफएस से एचएफटी के बीच आपस में निवेशों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है. ऐसे निवेशों पर मूल्यह्रास भी, यदि हो तो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अंतरित किया जाएगा.

इन वर्गों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, अंतरण की तारीख को लेखाकृत किया जाएगा और यदि अंतरण पर मूल्यह्रास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाएगा.

3.2 मूल्यांकन

''परिपक्वता तक धारित'' के रुप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है अन्यथा कि वह अंकित मूल्य से अधिक हो. इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक एमौरटाइज्ड किया गया है. एचटीएम वर्ग के निवेशों पर प्रीमियम के एमौरटाइजेशन व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जुलाई 2015 के परिपत्र सं. डीबीआर.सं. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुरुप ब्याज आय में से घटाया जाता है.

''परिपक्वता तक धारित'' के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बॉण्ड, जिन्हें स्वरूप/ प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल हैं (जिनके लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं).

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्र पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अपेक्षाओं के लिए खरीदे गए पास थ्रू प्रमाणपत्र का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर किया जाता है.

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups (a) government securities (b) other approved securities (c) shares (d) bonds and debentures (e) subsidiaries and joint ventures and (f) others.

b) Cost of acquisition

Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

c) Transfer between categories

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. Transfer of scrip from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In the case of transfer of securities from HTM to AFS / HFT category, the investments held under HTM at a discount are transferred to AFS / HFT category at the acquisition price and investments placed in the HTM category at a premium are transferred to AFS / HFT at the amortized cost.

Transfer of investments from AFS to HFT or vice-a-versa is done at the book value. Depreciation carried, if any, on such investments is also transferred from one category to another.

The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.2 Valuation

Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Amortization expense of premium on investments in the HTM category is deducted from interest income in accordance with RBI Circular DBR. No.BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book Value in accordance with RBI guidelines.

संयुक्त उद्यमों, अनुषंगियों और सहयोगी कंपनियों में (भारत तथा विदेश दोनों में) अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर, निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यह्रास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है.

जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) इकाइयों में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए परिपक्वता तक धारित संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. संवितरण के तीन वर्ष पश्चात इसे बिक्री के लिए उपलब्ध में अंतरित कर दिया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों में वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य या घोषित एनएवी पर मूल्यांकन किया जाता है. यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण 18 महिनों से अधिक समय से उपलब्ध न हो तो प्रत्येक वीसीएफ के लिए रु 1/- पर मूल्यांकन किया जाएगा.

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश, संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर मार्कड-टू-मार्केट (एमटीएम) होते हैं. अनुसूची 8 (निवेश) में उल्लिखित वर्गीकरण के अंतर्गत वर्ग में निवल मूल्यह्रास, यदि हो तो, लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है. प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में निवल मूल्य वृद्धि, यदि हो तो, उसे पहले प्रावधान किए गए मूल्यह्रास की राशि को छोड़कर शेष को अनदेखा कर दिया जाता है. निवेश के आवधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य बदला नहीं जाता.

पुनर्गठित अग्रिम योजना के बदले में प्राप्त निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. इन निवेशों के मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान किया जाता है और इसका उपयोग उस श्रेणी में अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में मूल्य वृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाता. बैंक द्वारा पुनर्गठन योजना के अंतर्गत अर्जित इक्विटी शेयरों पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है.

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे लिखतों के लिए प्रस्तावित लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा. तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद से नकदी प्रवाह को संबंधित योजना के तहत लिखत को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों के वास्तविक प्राप्य राशियों तक सीमित किया जाता है तो बैंक प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को इस तरह के लिखतों के मूल्यांकन के लिए आस्ति पुनर्संरचना कंपनी से समय -समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना करेगा. 01 अप्रैल 2017 को या इसके बाद प्रतिभूति रसीद में किए गए निवेश जो बैंक द्वारा 50% से ज्यादा बेची गई दबावग्रस्त आस्तियों द्वारा समर्थित हो, मूल्य में अवमूल्यन के लिए प्रावधान आस्ति पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) और प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान दर से अधिक होगी या मूल ऋण के लिए लागू मौजूदा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंड के अनुसार होगी और ऐसा माना जाएगा कि बैंक की बही में ऋण अनुमानतः जारी रहेगा. प्रतिभूति रसीद में अन्य दूसरे निवेश का मूल्यांकन जारीकर्ता आरसी/एससी से प्राप्त एनएवी के अनुसार होगा.

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS category. These are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF

Investments categorized under AFS and HFT categories are Marked-to-Market (MTM) on a periodical basis as per relevant RBI guidelines. Net depreciation, if any, in the category under the classification mentioned in Schedule 8 ('Investments') is recognized in the profit and loss account. The net appreciation, if any, in the category under each classification is ignored, except to the extent of depreciation previously provided. The book value of individual securities is not changed consequent to periodic valuation of investments.

Investments received in lieu of restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. Any diminution in value on these investments is provided for and is not used to set off against appreciation in respect of other performing securities in that category. Depreciation on equity shares acquired and held by the Bank under restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction company are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting date. In case of investment in Security Receipts on or after April 1, 2017 which are backed by more than 50% of the stressed assets sold by the bank, provision for depreciation in value is made at higher of – provisioning rate required in terms of net assets value declared by Reconstruction Company (RC)/ Securitization Company (SC) or the provisioning rate as per the extant asset classification and provisioning norms as applicable to the underlying loans, assuming that the loan notionally continue in the books of the Bank. All other investments in the Security Receipts are valued as per the NAV obtained from issuing RC / SC.

रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) / इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) के सूचीबद्ध लिखतों में निवेश अधिक मात्रा में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में समापन मूल्य पर होता है. यदि मूल्यांकन की तारीख से 15 दिनों के भीतर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर इनका क्रय-विक्रय नहीं होता है तो, उनका मूल्यांकन, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित नवीनतम एनएवी (जो 1 वर्ष से पुरानी न हो) के आधार पर किया जाता है.

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जा रहा है.

बैंक केंद्र सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प बिक्री लेनदेन करता है. शॉर्ट पोजीशन, बिक्री पर प्राप्त राशि के रुप में परिलक्षित होती है और निवेश अनुसूची में समायोजित होती है. शॉर्ट पोजीशन को बाजार और हानि के लिए चिह्नित किया जाता है और उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है जबकि उससे लाभ हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है. शॉर्ट पोजीशन के निपटान से हुई लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

विशेष बांड जैसे कि तेल बांड, उर्वरक बांड, यूडीएवाय बांड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन एफआईबीएल मुल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

क्रय-विक्रय के लिए धारित और बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणियों में कोटेड निवेश के मूल्यांकन के लिए दरें, स्टॉक एक्सचेंजों पर बाजार दरों / उद्धरण, वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों की तर्ज पर ली जाती हैं.

जिन निवेशों के लिए दरें/ कोट उपलब्ध न हों, उनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार दरें ली जाती हैं, जो निम्नानुसार हैं:

ए	सरकार / स्वीकृत प्रतिभूतियां	– परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
बी	इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर	– ब्रेक अप मूल्य पर (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि, यदि है पर विचार किए बिना) अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार (12 महीनों से अधिक पुराना न हो) नहीं तो रु 1/- प्रति कंपनी
सी	अधिमानी शेयर एवं पास थ्रू प्रमाणपत्र (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को छोड़कर)	– उपयुक्त क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
डी	पीएसयू बॉन्ड्स	– उपयुक्त क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
ई	म्युचुअल फंड की यूनिट	– प्रत्येक योजना के संबंध में निधि द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/ एनएवी पर

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर अनर्जक निवेश निर्धारित किए जाते हैं और इसमें मूल्यह्रास/ प्रावधान किए जाते

Investment in listed instruments of Real Estate Investment Trust (REIT) / Infrastructure Investment Trust (INVIT) is valued at closing price on a recognized stock exchange with the higher volumes. In case the instruments were not traded on any stock exchange within 15 days prior to date of valuation, valuation is done based on the latest NAV (not older than 1 year) submitted by the valuer.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is being valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short position is reflected as the amount received on sale and is netted in the Investment schedule. The short position is marked to market and loss, if any, is charged to the Profit and Loss account while gain, if any, is ignored. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc which are directly issued by Government of India, is valued based on FIBL valuation.

For the purpose of valuation of quoted investments in ”Held for Trading” and “Available for Sale” categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd(FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

a	Government / Approved securities	- On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	- At break-up value (without considering ‘Revaluation reserves’, if any) as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
c	Preference Shares & Pass through Certificates (other than priority sector)	- On Yield to Maturity basis. with appropriate Credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	- On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	- At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the

हैं. क्षति के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अलावा भी अतिरिक्त प्रावधान करता है. अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में ऐसे अनर्जक निवेशों पर मूल्यहास / प्रावधान, मूल्यवृद्धि के एवज में सेट ऑफ नही हैं. जब तक लाभ और हानि खाते में ब्याज प्राप्त नहीं हो जाता, अनर्जक निवेशों पर ब्याज नहीं माना जाता है.

विदेशी शाखाओं में निवेशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के या उन मेजबान देशों के दिशानिर्देशों, में से जो भी सख्त हो, उनका पालन किया जाता है. उन शाखाओं के मामले में जो ऐसे देशों में मौजूद हैं जहां कोई विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है.

3.3 निवेशों का निस्तारण

एचटीएम के रुप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि लेखा में लिया जाता है तथा 'परिपक्वता तक धारित'' वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत आरक्षित खाते में समायोजित की गयी है.

एएफएस/एचएफटी श्रेणी में निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

3.4 रेपो/ रिवर्स रेपो के लिए लेखांकन

बैंक ने मार्केट रेपो तथा रिवर्स रेपो लेनदेनों [भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2016-17 एफएमओडी. एमएओजी.नं./01.01.001/2016-17 दिनांक 15-09-2016 द्वारा जारी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित] लेखांकन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बतायी गयी समान लेखा प्रणाली को अपनाया है. सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के करार के साथ रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों को संपार्श्विक उधार/ ऋण परिचालन के अंतर्गत माना जाता है. रेपो के अन्तर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अन्तर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है. लागत एवं राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय के लिए किया जाता है, जैसा भी मामला हो.

3.5 निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि

यील्ड में बढ़ोतरी के विरुद्ध संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/147.डीबीआर नं.बीपी.बी सी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 से आईएफ़आर बनाने की सूचना दी है.

आईएफ़आर में अंतरित राशि निम्नलिखित से कम होगी: (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ (ii) वर्ष के निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन घटाया जाए, जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी एवं एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2% तक नहीं रहती.

3.6 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है. बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप, विनिमय ट्रेड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स

RBI guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/ provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in “Held to Maturity” classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

3.4 Accounting for repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD.MAOG. No. /01.01.001/2016-17 Dated 15-09-2016. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transferred to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

3.6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign

तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं. बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप और विनिमय ट्रेडेड मुद्रा फ्यूचर हैं. बैंक तुलन-पत्र की आस्तियों एवं देयताओं मार्केट मेकिंग/ट्रेडिंग एवं हेजिंग के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है.

3.7 मूल्यांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

हेज/ नॉन हेज संव्यवहार अलग - अलग रिकॉर्ड किए जाते है. हेजिंग के रुप में नामित डेरिवेटिव अनुबंध को मार्क्ड-टू-मार्केट के रूप में तब तक चिन्हित नहीं किया जाता है, जब तक उनकी अंडरलाइनिंग आस्तियों को मार्क्ड-टू-मार्केट के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता, जहां हेजिंग की अंडरलाइंग आस्तियों के मामले मार्क-टू-मार्केट के अधीन नहीं हैं, हेजिंग लिखत की गणना उपचय के आधार पर की जानी है. ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स मार्क्ड-टू-मार्केट (एमटीएम) है तथा किसी भी प्रकार की हानि, यदि कोई हो, लाभ- हानि खाते में दर्ज की जाती है. लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता. ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय दैनिक आधार पर दर्ज होता है. ट्रेडिंग स्वैप की समाप्ति पर लाभ/ हानि समाप्ति तिथि पर आय व व्यय के रूप में दर्ज की जाती है.

मूल्यांकन के लिए, कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है. संबंधित हानियों, यदि हों, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है.

बैंक फेडाई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांत का पालन करता है. ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर प्रीमियम को ट्रांजेक्शन की समाप्ति या समय पूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है.

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने पर प्राप्त/प्रदत्त राशि को ऑप्शन पर वसूली गई प्राप्तियों/ हानियों के रुप में माना जाता है. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और स्वैप्स के रद्द होने/ समाप्ति पर प्राप्य/ देय प्रभारों को रद्द होने/ समाप्ति की तारीख को आय/व्यय के रुप्र में स्वीकृत किया जाता है.

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराए गई प्रत्येक निविदा के दैनिक समझौता मूल्य के आधार पर किया जाएगा.

तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रुप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए पैरा 4.3 में दर्शाये प्रावधानो को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार किया जाता है. विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के

Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities.

3.7 Valuation

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying is marked to market. In cases where the underlying of the hedge is not subject to mark to market, the hedging instrument is to be accounted for on accrual basis. Trading derivative positions are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account and Profit, if any, is ignored. Income and expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/ termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/ termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF) is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4. ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in

संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हो, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है.

4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचंत ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं.

4.3 सतत प्रक्रिया के रुप में बैंक ने निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश किया है–

- जमानती सब–स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता के ऐवज में 20% का प्रावधान.
- एनपीए कर्जधारकों की निधि रहित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर (सीसीएफ़) का प्रावधान किया गया. प्रावधान ग्राहक की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित है.
- बैंक ने उन मौजूदा एनपीए खातों के लिए 100% प्रावधान भी किए हैं जो 6 माह से अधिक पुराने थे और मुक्त संपार्श्विक हैं जैसे कि ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण.
- संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो प्रत्याभूत हैं (संपार्श्विक) तथा 2 वर्ष से अधिक समय से अनर्जक हैं, के लिए बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं.
- मौजूदा अनर्जक खाते जैसे ट्रैक्टर्स/ टिलर/ पावर टिलर जो 6 माह पुराने हैं, के लिए भी बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं.

4.4 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है.

4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) / प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है, वर्तमान में बैंक द्वारा अनुपालन किये जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी) पर की गयी हो (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) तो हानि (कमी) को दो वर्षों की अवधि के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है. यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो जिस वर्ष के दौरान राशि प्राप्त होती है, अधिक्य प्रावधान राशि लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित कर दी जाती है.

बैंकों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के मामले में, और यह बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी), (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान हटा कर) पर हो, तो हानि को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है. यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो आधिक्य प्रावधान राशि प्रत्यावर्तित नहीं की जाएगी बल्कि अन्य अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई हानि/ कमी को पूरा करने लिए उसका उपयोग किया जाएगा.

5. अस्थायी प्रावधान

बैंक के पास अग्रिमों, निवेशों एवं अन्य सामान्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रावधानों की एक पॉलिसी है. किए जाने वाले प्रावधानों की मात्रा का प्रति वर्ष मूल्यांकन किया जाता है. इन अस्थायी प्रावधानों

accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 As a constant practice, the Bank has made the additional provision on the following:

- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
- Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan .
- With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.

4.4 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for dimunition in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.

4.5 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

In case of sale of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall be not reversed but will be utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.

5 FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The

का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से केवल पॉलिसी में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाता है.

6. अचल आस्तियां

6.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां परंपरागत मूल्य (या पुनर्मूल्यांकित राशियों, जैसा भी मामला हो) में से संचित मूल्यह्रास और अक्षत हानियों, यदि कोई हो, को घटा कर दर्शाया गया है. लागत में खरीद मूल्य तथा आस्ति को उसके अभीष्ट उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने हेतु की गई कोई आरोप्य लागत समाविष्ट है. जब ऐसी आस्ति का/ से भविष्य में लाभ/ कार्यशील दक्षता बढ़ती है, तो आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय को पूंजीगत किया जाता है. अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ बैंक के लाभ एवं हानि खाते का भाग होता है.

6.2 अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

चालू बाजार मूल्यांकन दर्शाने हेतु अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा आवधिक आधार पर किया जाता है. अचल आस्तियों की श्रेणी में बैंक के स्वामित्व वाले और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, स्टाफ के आवासों आदि के रूप में उपयोग की गई सभी भूमि और बिल्डिंग को बैंक के अपने परिसरों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है. पुनर्मूल्यांकन पर कोई मूल्यवृद्धि, यदि हो, तो उसे पूंजी प्रारक्षित निधि के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अन्य राजस्व प्रारक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है.

6.3 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है.

7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं / अनुषंगियों द्वारा सृजित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है.

8 राजस्व का निर्धारण

8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में दी गई मदों को छोड़कर)/ व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है. विदेशी कार्यालयों के मामले में आय/ व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गयी है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है.

8.2 गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, दलाली आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज, शुल्क आय, सभी प्रकार के कमीशन (सरकारी कारोबार और तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन के अलावा) के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है. अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर लाभांश वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं.

8.3 गैर निष्पादित आस्तियों / निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है.

8.4 जहां स्वामित्व का जोखिम एवं लाभ पट्टेदार अपने पास रखता है उस लीज को लेखा मानक 19 (लीज) के अनुसार परिचालन लीज के रुप

floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in fixed assets category. Appreciation, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6.3 Premises include land and building under construction.

7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

8.4 Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are

में वर्गीकृत किया गया है. ऐसे लीज पर लीज भुगतानों को लेखा मानक 19 (लीज) के अनुसार लीज शर्त पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया जाता है.

8.5 एनपीए खातों में वसूली का समायोजन:

खातों में समय-समय पर हुई वसूलियों (जनधन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) को निम्नानुसार समायोजित किया जाना चाहिए

- सभी लागतों, कमीशन, प्रभारों एवं बैंक द्वारा उठाए या किए गए व्ययों के प्रति
- बैंक पर बकाया ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आगामी ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के लिए

दावा-दायर/ डिक्री खातों में वसूली को विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित अदालत के निदेशों के अनुसार.
- अदालत के विनिर्दिष्ट निदेशों के अभाव में, गैर वाद-दायर खातों पर यथा लागू.

कॉम्प्रोमाइज/ एनसीएलटी संकल्प के माध्यम से समझौता द्वारा वसूली.

एनसीएलटी या कॉम्प्रोमाइज मंजूर खाते के माध्यम से संकल्प/ समझौते के मामले में, वसूली को कॉम्प्रोमाइज मंजूरी/ संकल्प समझौते की शर्तों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए.

9. कर्मचारियों को लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है. अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है.

9.2 उपदान

बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है. बैंक द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ़ बडौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है.

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनिमय, 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रुप में व्याख्या की गयी है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है. यह उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन फंड न्यास द्वारा इस योंजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है.

recognised in Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease tern in accordance with AS 19.

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time should be appropriated in the following manner:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts should be appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/ resolution settlement.

9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates.The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at

जिन कर्मचारियों ने बैंक सेवा 01.04.2010 को या उसके बाद ग्रहण की है, उनके लिए नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदान आधार पर लागू है. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है. बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदान लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

9.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थितियां यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) और चिकित्सा अवकाश के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रदान की जाती है.

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ (हित)

अन्य कर्मचारी लाभ यथा छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, अतिरिक्त सेवांत लाभ आदि के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

विदेशी शाखाओं/ कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है.

10. मूल्यह्रास

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (निम्न वर्णित अनुच्छेद 10.3 व 10.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावा) निम्नलिखित टेबल के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यह्रास प्रावधान किया जाता है.

क्र. सं.	श्रेणी	मूल्यह्रास के प्रभावी दर	मूल्यह्रास प्रक्रिया
1.	**फर्नीचर एवं फिटिंग्स**		
	ए. फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.89%	अवलिखित मूल्य
	बी. वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि.	18.1%	अवलिखित मूल्य
	सी. सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण	18.1%	अवलिखित मूल्य
	डी. कैश वैन, जीप, स्कूटर एवं अन्य वाहन		अवलिखित मूल्य
	– दो पहिया वाहन	25.89%	अवलिखित मूल्य
	– चार पहिया वाहन	31.23%	अवलिखित मूल्य
	ई. कार्यालय के उपकरण	45.07%	अवलिखित मूल्य
2.	**बैंक का अपना परिसर**		
	– आरसीसी फ्रेम संरचना	4.87%	अवलिखित मूल्य
	– आरसीसी फ्रेम संरचना के बिना	9.50%	अवलिखित मूल्य

pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10 DEPRECIATION

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
1.	**FURNITURE & FITTINGS**		
	a. Furniture & Fittings	25.89%	Written Down Value
	b. Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.1%	Written Down Value
	c. Safe Deposit Vault Equipments	18.1%	Written Down Value
	d. Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles		Written Down Value
	Two wheelers	25.89%	Written Down Value
	Four Wheelers	31.23%	Written Down Value
	e. Office Equipment	45.07%	Written Down Value
2.	**BANK'S OWN PREMISES**		
	– RCC Frame Structure	4.87%	Written Down Value
	– Without RCC Frame Structure	9.50%	Written Down Value

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यह्रास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है.

10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग है, पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रति वर्ष की दर से किया गया है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

10.4 एटीएम पर मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है.

10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास खरीद / उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर लिया जाता है.

10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है.

11. आस्तियों का मूल्यह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यह्रास हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों का मूल्यह्रास) के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

यदि आंतरिक/ बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आस्तियों की रखाव लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. मूल्यह्रास हानि की पहचान वहाँ की जाती है जहां आस्तियों की रखाव लागत राशि वसूली की राशि से अधिक हो जाती है. वसूली योग्य राशि आस्तियों की निवल बिक्री राशि और उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य से अधिक होती है. उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य में से बट्टा काट कर किया जाता है. इसके लिए पूर्व-कर बट्टा दर का उपयोग किया जाता है जो राशि के समय आधारित मूल्य और आस्ति से संबंधित विशेष जोखिम के वर्तमान बाज़ार मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है. मूल्यह्रास के बाद आस्तियों की शेष बची हुई उपयोग अवधि के ऊपर अवमूल्यन उपलब्ध कराया जाता है.

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव, संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक (एएस) 11 के अनुरुप किया गया है.

12.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) गैर-एकीकृत परिचालनों के रुप में वर्गीकृत किया गया है. सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को गैर-एकीकृत परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रुप में माना जाता है.

12.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण :

ए) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर एफईडीएआई द्वारा सूचित की गयी साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है.

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use..

10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease

11 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

12.3 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गयी क्लोज़िंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है.

सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रुप में की गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है. विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

डी) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाज़िर एवं वायदा संविदाओं के तुलन-पत्र की तिथि को 'एफईडीएआई' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपॉलेटेड' दरों पर बाजार को चिन्हित किया जाता है. इस प्रकार प्राप्त की गयी एमटीएम मूल्य को, एमटीएम के मौजूदा मूल्य पर भुनाया जाता है. इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाजिर एवं वायदा संव्यवहारों के पुनमूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है. इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है.

13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं. आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है. आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है.

14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारमूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है. आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank

प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है. यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है.

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणियों में प्रभारित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसी आय के निर्धारण के रुप में निकल सकता है जिसकी कभी वसूली संभव न हो.

16. सेगमेंट रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में मान्यता देता है.

17. नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद एवं नकद के समतुल्य जिसमें उपलब्ध नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचनापर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन को शामिल करते हुए) शामिल है.

recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

16 SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17 CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

अनुसूची –18 लेखों पर टिप्पणियां
Schedule-18 Notes on Accounts

ए. भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण / A. Disclosure in terms of RBI requirements

ए–1 पूंजी / A-1 Capital

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

		Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
			बेसेल III Basel III	
i)	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	9.44%	10.38%
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	Tier 1 Capital Ratio (%)	10.71%	11.55%
iii)	टीयर 2 कैपिटल रेशो (%)	Tier 2 Capital Ratio (%)	2.59%	1.87%
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	13.30%	13.42%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Govt. of India	71.60%	63.26%
vi)	अर्जित इक्विटी पूंजी की राशि	Amount of Equity Capital Raised	395.01	--
vii)	आवेदन पत्र राशि लंबित आवंटन	Application Money Pending allotment	0.00	5,042
viii)	अर्जित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि,	Amount of Additional Tier 1 capital raised,	3,397.00	--
	जिसमें से स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)	of which Perpetual Debt Instrument (PDI)	3,397.00	--
	स्थायी गैर–संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीसी)	Perpetual Non-Cumulative Preference Share (PNCPS)	--	--
	अर्जित अतिरिक्त टियर 2 पूंजी की राशि,	Amount of Additional Tier 2 capital raised,	3,420.00	1,956.50
	जिसमें से ऋण पूंजी लिखत	of which Debt Capital Instrument	3,420.00	1,956.50
	अधिमान्य शेयर पूंजी लिखत [स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर–संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) / प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)]	Preference Share Capital Instruments [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	--	--

ए) वर्ष के दौरान भारत सरकार को जारी शेयर

A. Shares issued during the year to GOI

- बैंक ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से बैंक के प्रवर्तक भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति को 42,85,59,286 इक्विटी शेयर, प्रति शेयर रु 117.65 के निर्गम दर पर (अंकित मूल्य रु 2 एवं प्रीमियम रु 115.65) समग्र रु 5,042 करोड़ आवंटित किए जाने का अनुरोध किया है. मूल्य का निर्धारण सेबी के आईसीडीआर विनियम 164 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है. शेयर 17.06.2019 को आवंटित किए गए थे.
- The Bank had sought approval from shareholders through postal ballot to allot 42,85,59,286 equity shares to the President of India acting on behalf of Government of India (GOI), the promoter of the bank, at an issue price of Rs. 117.65 per share (Face value Rs. 2 and premium Rs. 115.65)aggregating to Rs. 5,042 Cr. The price has been determined as per the provisions of Regulation 164 of the SEBI ICDR Regulation. The shares were allotted on 17.06.2019.
- बैंक ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से बैंक के प्रवर्तक भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति को 65,14,65,798 इक्विटी शेयर, प्रति शेयर रु 107.45 के निर्गम दर पर (अंकित मूल्य रु 2 एवं प्रीमियम रु 105.45) सेबी के आईसीडीआर विनियम 164 के प्रावधानों के अनुसार समग्र रु 7,000 करोड़ आवंटित किए जाने का अनुरोध किया. शेयर भारत सरकार को 12.12.2019 को आवंटित किए गए थे.
- The Bank had sought approval from shareholders through postal ballot to allot 65,14,65,798 equity shares to the President of India acting on behalf of Government of India (GOI), the promoter of the bank, at an issue price of Rs.107.45 per share (Face value Rs. 2 and premium Rs. 105.45) aggregating to Rs. 7,000 cr as determined as per the provisions of Regulation 164 of the SEBI ICDR Regulation. The shares were allotted to Government of India on 12.12.2019.

- बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्रांक डीबीआर.सीओ.बीपी. सं 2368/21.01.002/2019-20 दिनांक 24 सितंबर, 2019 के द्वारा अनुमोदन के अनुसार सीईटी- I के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए सीआरएआर की गणना के उद्देश्य से रु 3, 406.93 करोड़ (पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय के कारण) समामेलन प्रारक्षित के रूप में रखा है.
- The Bank has considered Amalgamation Reserve Rs.3,406.93 Crores (due to merger of eDB and eVB with BOB) under CET-I for the purpose of calculation of CRAR for the current Financial year. As per RBI approval vide letter no. DBR. CO. BP. No. 2368/21.01.002/2019-20 dated September 24, 2019.

बी) भारत सरकार से प्राप्त आवेदन राशि का लंबित आवंटन' रु शून्य (विगत वर्ष – रु. 5,042 करोड़) शेयर पूंजी की दिशा में भारत सरकार से प्राप्त राशि को दर्शाता है जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनके पत्रांक डीबीआर.सीओ.बीपी. नंबर 9771/21.01.002/2018-19 दिनांक 17.05.2019 में दर्शाए अनुसार सीईटी 1 कैपिटल के अंतर्गत विचार करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है.

B. Application Money Pending Allotment' Rs. Nil (PY – Rs.5,042 crore)represents amount received from Government of India towards share capital to be issued for which RBI approval is obtained vide letter no. DBR.CO.BP No. 9771/21.01.002/2018-19 dated 17.05.2019 for considering the same under CET 1 Capital.

सी) बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन योजना 2019 के अनुसार, एवं 2 जनवरी, 2019 को इन बैंकों के मध्य स्वैच्छिक अनुपात के आधार पर बैंक द्वारा पूर्ववर्ती विजया बैंक और देना बैंक के शेयरधारकों को 1 अप्रैल, 2019 को निम्न वितरण के अनुसार शेयरों का आवंटन किया गया है.

- रु. 52,42,00,772 का पूर्णतया भुगतान योग्य शेयरों को रु. 2/- प्रति शेयर के अंकित पर पूरी तरह से भुगतान करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा विजया बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को कुल रु.104,84,01,544/ – मूल्य के शेयर आवंटित किए जाएंगे.
- रु. 24,84,51,166 का पूर्णतया भुगतान योग्य शेयरों को रु. 2/- प्रति शेयर के अंकित पर पूरी तरह से भुगतान करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा देना बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को आवंटित किया जाएगा जिनका कुल मूल्य रु. 49,69,02,332 / – होगा.

उपर्युक्त शेयरों के आवंटन के पश्चात 31 मार्च, 2020 को भारत सरकार (प्रमोटर शेयरधारक) की शेयरधारिता मौजूदा 63.26% (शेयर आवेदन राशि सहित 69.23%) से बढ़कर 71.60% हो गई. (नोट सी – 8 का संदर्भ लें)

C. In pursuant to the scheme of Amalgamation 2019 of Vijaya Bank and Dena Bank with Bank of Baroda, and based on the Swap Ratio agreed upon between the banks on January 2, 2019. The bank has allotted the following shares to the shareholders to the erstwhile Vijaya Bank and erstwhile Dena Bank on April 1, 2019 as following

- 52,42,00,772 fully paid up equity shares of face value of Rs. 2/- each of Bank of Baroda aggregating Rs. 104,84,01,544/- be issued and allotted to equity shareholders of Vijaya Bank.
- 24,84,51,166 fully paid up equity shares of face value of Rs. 2/- each of Bank of Baroda aggregating Rs. 49,69,02,332/- be issued and allotted to equity shareholders of Dena Bank.

After the allotment of the above shares the Shareholding of the Government of India (the promoter shareholder) increased from 63.26% (69.23% including Share Application money) to 71.60% as at on 31st March 2020. (Refer note C -8)

डी) बैंक के शेयरधारकों ने 27 जून, 2019 को आयोजित अपनी 23 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में कर्मचारी शेयर क्रय योजना (ईएसपीएस) को मंजूरी दी थी. वर्ष के दौरान, 25 अक्टूबर, 2019 को बैंक ने बैंक के पात्र कर्मचारियों को जिन्होंने बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी शेयर क्रय योजना 2019 के तहत शेयरों को सबस्क्राइब किया है, उन्हें बैंक ने समग्र रु. 1,154.47 करोड़ के रु. 94.34 के निर्गम मूल्य (नकदी के अलावा प्रति शेयर रु. 18.87 सहित) पर अंकित मूल्य रु 2 / – प्रति शेयर के 12,23,73,432 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं.

D. The shareholder of the Bank had approved Employee Share Purchase Scheme (ESPS) in their 23rd Annual General Meeting held on June 27, 2019. During the year , the Bank has allotted 12,23,73,432 equity shares of face value of Rs. 2/- each at issue price of Rs.94.34 (including Rs. 18.87 per share other than consideration in cash) aggregating to Rs.1,154.47 Crores on October 25, 2019 to eligible employees of the Bank who have subscribed shares under Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme 2019.

ई) बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में संचलन का विवरण निम्नानुसार है:

E. The details of the movement in the paid-up equity share capital of the Bank are given below:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
प्रारंभिक शेष	Opening balance	**529.10**	529.10
समामेलन के अनुरूप योग	Addition pursuant to Amalgamation	**154.53**	-
अधिमानी आबंटन के अनुरूप योग	Addition pursuant to Preferential allotment	**216.00**	-
स्टॉक विकल्प के प्रयोग के अनुरूप योग	Addition pursuant to stock options exercised	**24.48**	-
अंतिम शेष	Closing Balance	**924.11**	529.10
जोड़ें: ज़ब्त किए गए शेयर	Add: Forfeited Shares	**1.26**	1.26
कुल	Total	**925.37**	530.36

एफ) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने अतिरिक्त टीयर I कैपिटल अर्जित किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

F. During the year ended 31 March 2020, the Bank raised Additional Tier I Capital, the details of which are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियरI/ टियरII/ अतिरिक्त)	Capital (Tier I/TierII/ Additional)	लिखत (सिरीज़) Instrument (Series)	जारी करने की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
बासेल III अनुपालित एटी 1	Basel III Compliant AT 1	X	28-नवं-19 28-Nov-19	लागू नहीं NA	स्थाई Perpetual	8.70%	1,650.00
बासेल III अनुपालित एटी 1	Basel III Compliant AT 1	XI	18-दिसं-19 18-Dec-19	लागू नहीं NA	स्थाई Perpetual	8.99%	1,747.00
							3,397.00

(Previous year – Nil)/(विगत वर्ष – शून्य)

जी) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने गौण बॉन्ड / ऋण लिखत पात्र टियर II पूंजी अर्जित की, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

G. During the year ended 31 March 2020, the Bank raised Subordinated Bonds/Debt Instruments eligible Tier II Capital, the details of which are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियरI/ टियरII/ अतिरिक्त)	Capital (Tier I/TierII/Additional)	लिखत (सिरीज़) Instrument (Series)	जारी करने की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
बासेल III अनुपालित टियर II	Basel III Compliant Tier II	XXII	11-सितं-19 11-Sep-19	11-सितं-34 11-Sep-34	15 वर्ष 15 years	7.75%	500.00
बासेल III अनुपालित टियर II	Basel III Compliant Tier II	XXIII	03-जन-20 03-Jan-20	03-जन-30 03-Jan-30	10 वर्ष 10 years	7.44%	920.00
बासेल III अनुपालित टियर II	Basel III Compliant Tier II	XXIV	15-जन-20 15-Jan-20	15-जन-35 15-Jan-35	15 वर्ष 15 years	7.84%	2,000.00
							3,420.00

(Previous year – Nil)/ (विगत वर्ष – शून्य)

एच) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखत अर्जित किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

H. During the year ended 31 March 2019, the Bank raised Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियरI/ टियरII/ अतिरिक्त)	Capital (Tier I/TierII/ Additional)	लिखत (सिरीज़) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amt
बासेल III अनुपालित टियर II	Basel III Compliant Tier II	XVIII	07-डिसें-28 07- Dec - 28	10 वर्ष 10 years	8.42%	971.50
बासेल III अनुपालित टियर II	Basel III Compliant Tier II	XIX	20-डिसें-28 20- Dec - 28	10 वर्ष 10 years	8.40%	240.00
बासेल III अनुपालित टियर II	Basel III Compliant Tier II	XX	10-जन-29 10 - Jan - 29	10 वर्ष 10 years	8.60%	285.00
बासेल III अनुपालित टियर II	Basel III Compliant Tier II	XXI	14-फर-29 10 - Feb - 29	10 वर्ष 10 years	8.55%	460.00
						1,956.50

आई 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

i. During the year ended 31 March 2020, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियरI/ टियरII/ अतिरिक्त)	Capital (Tier I/TierII/ Additional)	लिखत (सिरीज़) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
बासेल II अपर टीयर II	Basel II Upper Tier II	XI	8-जून-24 (कॉल की तारीख 8-जून -19) 8-Jun-24 (Date of call 8-Jun-19)	15 वर्ष 15 years	8.38%	500.00
बासेल III एटी- I	BASEL III AT-I	V	लागू नहीं (कॉल की तारीख 9-जन -20) NA (Date of call 9-Jan-20)	स्थायी Perpetual	9.48%	1,000.00
बासेल III एटी- I	BASEL III AT-I	I- (eVB)	लागू नहीं (कॉल की तारीख 1-फरवरी -20) NA (Date of call 1-Feb-20)	स्थायी Perpetual	9.54%	100.00
बासेल III एटी- I	BASEL III AT-I	II (eVB)	लागू नहीं (कॉल की तारीख 27-मार्च-20) NA (Date of call 27-Mar-20)	स्थायी Perpetual	10.40%	400.00
बासेल II टियर I	Basel II Tier I	II (eDB)	लागू नहीं (कॉल की तारीख 28-मई-19) NA (Date of call 28-May-19)	स्थायी Perpetual	9.00%	125.00
बासेल II टियर I	Basel II Tier I	II	लागू नहीं (कॉल की तारीख 9-अक्टूबर -19) NA (Date of call 9-Oct-19)	स्थायी Perpetual	9.20%	300.00
बासेल II टियर I	Basel II Tier I	III	लागू नहीं (कॉल की तारीख 23-नवं -19) NA (Date of call 23-Nov-19)	स्थायी Perpetual	9.15%	600.00
						3,025.00

जे) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर I / टियर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

J. During the year ended 31 March 2019, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टियरI/ टियरII/ अतिरिक्त)	Capital (Tier I/TierII/ Additional)	लिखत (सिरीज़) Instrument SERIES	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
बेसल II टियर I	Basel II Tier I	I	लागू नहीं (कॉल की तारीख 30.01.2019) NA (Date of call 30.01.2019)	स्थायी Perpetual	8.90%	300.20
बेसल II अपर टीयर II	Basel II Upper Tier II	IX	04.03.2024 (कॉल की तारीख 04.03.2019) 04.03.2024 (Date of Call 04.03.2019)	15 वर्ष 15 years	9.15%	1000.00
बेसल II लोअर टियर II	Basel II Lower Tier II	X	12.04.2018	9 वर्ष 1 माह 9 years 1 Month	8.95%	500.00
						1,800.20

ए- 2 निवेश
A-2 Investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को Current Year	31 मार्च 2019 को Previous Year
(1) निवेशों का मूल्य	(1) Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	(i) Gross Value of Investments		
(ए) भारत में	(a) In India	**2,65,015.61**	1,72,412.16
(बी) भारत से बाहर	(b) Outside India	**13,032.46**	11,848.07
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation		
(ए) भारत में	(a) In India	**2,998.17**	1,665.35
(बी) भारत से बाहर	(b) Outside India	**435.28**	296.80
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	(iii) Net Value of Investments		
(ए) भारत में	(a) In India	**2,62,017.44**	1,70,746.81
(बी) भारत से बाहर	(b) Outside India	**12,597.18**	11,551.27
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन	(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) प्रारम्भिक शेष	(i) Opening balance	**1,962.15**	1,847.29
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(ii) Add: Provisions made during the year	**1,641.59**	294.90
(iii) जोड़ें/(घटाएं):-विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन	(iii) Add /(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment	**14.79**	3.00
(iv) घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	(iv) Less: Write-back of excess provisions	**185.08**	183.04
(v) अंतिम शेष	(v) Closing balance	3,433.45	1,962.15

ए–2.1 रेपो संव्यवहार: (अंकित मूल्य के संदर्भ में) –
A-2.1 Repo Transactions: (in face value terms) -

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2020:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2020 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2020
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	3,203	46,132.79	16,439.40	45,979.90
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	1,886.96	3,551.07	2,516.12	2,743.02
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	0.00	31,500.00	4,225.41	17,000.00
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण :

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2019:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 219 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2019
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	525.72	45,251.64	15,462.30	27,203.07
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	1,393.76	3,245.55	2,131.62	3,245.55
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	204.90	19,677.63	2,696.26	0.00
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

ए–2.2 त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यहार ऐसे रेपो / रिवर्स रेपो संव्यहार हैं, जिसमें एक त्रिपक्षीय एजेंट रेपो / रिवर्स रेपो की दोनों पार्टियों के बीच संव्यवहार साइकल के दौरान संपार्श्विक चयन, भुगतान एवं निपटान तथा रख–रखाव और प्रबंधन जैसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने हेतु मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है. ऋण अथवा उधार ली गई धनराशि की गणना नीचे दिए गए टेबल के उद्देश्य से की गई है.

A-2.2 Triparty repo / reverse repo transactions are repo / reverse repo transactions where a triparty agent acts as an intermediary between the two parties to the repo / reverse repo to facilitate services such as collateral selection, payment and settlement and custody and management during the life of the transaction. The details of triparty repo / reverse repo transactions undertaken by the Bank during the year ended March 31, 2020 are given below. Amount of funds borrowed

or lent have been reckoned for the purpose of the below table.

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2020 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2020
त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	**Securities sold under triparty repo**				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	0.00	38,092.52	21,579.62	0.00
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	**Securities purchased under triparty repo**				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	0.00	2,370.27	59.64	0.00
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2019 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2019
त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूति	**Securities sold under triparty repo**				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	0.00	26,995.32	13,002.41	0.00
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति	**Securities purchased under triparty repo**				
i सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	0.00	2,499.56	108.98	0.00
ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

ए -2.3 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

A-2.3 Non SLR Investment Portfolio

i) गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता घटक

i) Issuer composition of Non SLR investments

Issuer Composition of non- SLR investments as on March 31, 2020 is given below:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S No	जारीकर्ता	Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियां की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' securities	'अनरेटेड प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	PSUs	4,235.32	1,597.30	259.77	608.59	0.00
(ii)	एफआई	FIs	7,440.39	6,639.50	714.90	10.08	69.20
(iii)	बैंक	Banks	6,397.02	501.54	697.41	132.94	338.50

(iv)	निजी कार्पोरेट	Private Corporate	5,189.23	2,685.69	124.22	1,114.52	6.60
(v)	अनुसंगियां / संयुक्त उद्यम ✻	Subsidiaries/ Joint Ventures *	3,468.79	3,468.79	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य #	Others #	30,143.35	24,940.71	0.00	345.16	345.16
(vii)	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	Provision held towards depreciation	3,433.39	0.00	0.00	237.68	18.06
	कुल	**Total**	**53,440.71**	**39,833.53**	**1,796.30**	**1,973.61**	**741.40**

✻ रु 2,023.87 करोड़ का विदेशी अनुषंगियों में निवेश शामिल है.

*Includes Investments in Overseas Subsidiaries of Rs. 2,023.87 Crores.

ए) सरकारी गैर–एसएलआर बॉन्ड में रु. 27,007.44 करोड़ के निवेश शामिल है

#a) includes Investments in Govt Non –SLR Bonds of Rs.27,007.44 Crores

कॉलम संख्या (4), (5) और (6) में उल्लिखित विवरण परस्पर अनैकांतिक हैं.

The details mentioned at column no (4), (5) and (6) are mutually non-exclusive.

Issuer Composition of non- SLR investments as on March 31, 2019 is given below:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S No	जारीकर्ता	Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियां की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' securities	'अनरेटेड प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों' की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	PSUs	1,428.44	44.90	0.00	0.00	0.00
(ii)	एफआई	FIs	5,979.67	4,969.59	162.68	0.00	25.00
(iii)	बैंक	Banks	4,918.03	919.13	195.00	130.38	69.15
(iv)	निजी कार्पोरेट	Private Corporate	3,985.23	2,111.80	123.35	856.31	9.00
(v)	अनुसंगियां/ संयुक्त उद्यम ✻	Subsidiaries/ Joint Ventures *	3,610.11	3,610.11	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य #	Others #	16,250.31	12,292.40	0.00	108.49	69.15
(vii)	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	Provision held towards depreciation	1,962.15	0.00	0.00	236.03	22.95
	कुल	**Total**	**34,209.64**	**23,947.93**	**481.03**	**859.15**	**149.35**

✻ रु 2,185.58 करोड़ का विदेशी अनुषंगियों में निवेश में शामिल है.

*Includes Investments in Overseas Subsidiaries of ₹ 2,185.58 Crore.

ए) सरकारी गैर–एसएलआर बॉन्ड में रु. 14,591.39 करोड़ के निवेश में शामिल है

a) includes Investments in Govt Non –SLR Bonds of ₹ 14,591.39 Crores

ii) गैर-एसएलआर निवेशों का गैर-निष्पादन

Non performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
प्रारंभिक शेष	Opening balance	1,649.21	1,947.75
पू.वि.बैं. और पू.दे.बैं. के विलय के कारण योग	Addition on Account of Merger eDB and eVB	602.40	0.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	425.10	452.22
वर्ष के दौरान कटौतियां	Reductions during the year	453.48	750.76
अंतिम शेष	Closing balance	2,223.23	1,649.21
कुल धारित प्रावधान	Total provisions held	2,038.97	1,484.53

ए-2.4 वर्ष के प्रारंभ में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही-मूल्य के 5% से अतिरिक्त के परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में रखे गए निवेशों की बिक्री एवं अंतरण

A-2.4 Sales and transfer of Investment held under Held to Maturity (HTM) Category in excess of 5% of the Book value of the investment held in HTM category at the beginning of the year

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

वित्त वर्ष Financial Year	निवेश (एचटीएम) का प्रारम्भिक शेष Opening Bal. of investment (HTM)	वर्ष के दौरान बिक्री / अंतरण Sale/ transfer during the year	जोड़ Addition	निवेश (एचटीएम) का अंतिम शेष Closing Bal. of Investment (HTM)	निवेश (एचटीएम) श्रेणी का बाजार मूल्य Market value of investment (HTM) category
2019-20	1,42,763.58	18,254.53*	29,009.15	1,45,237.20	1,51,650.47
2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* रु 7,138 करोड़ (ओएमओ, स्विच एवं वन टाइम अनुमत शिफ्टिंग के अतिरिक्त) की यह राशि वर्ष के प्रारंभ में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही-मूल्य के 5% के अतिरिक्त है और एचटीएम पोर्टफोलियो का 17.79% है.

*This amount is in excess of 5% of the Book Value of the investment held in HTM category at the beginning of the year, amounting to Rs.7,138 Crores (Other than OMO, switch and onetime permitted shifting) and 17.79% of HTM portfolio.

ए -2.5 एसएलआर निवेश

A-2.5 SLR Investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020		31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	
		बही मूल्य Book value	बाजार मूल्य Market value	बही मूल्य Book value	बाजार मूल्य Market value
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी और टीबी) *	Govt. sec SLR(CG,SG,&TB) *	2,21,172.55	2,21,172.55**	1,48,087.16	1,48,087.16**
अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर	Approved sec-SLR	1.41	1.41	1.28	1.28

* इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/यूएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं

* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / USE / NSE

** एसएलआर की गणना के लिए बाजार मूल्य में वृद्धि को ध्यान में नहीं लिया गया है

** Appreciation in market value is ignored for SLR calculation

ए-2.6 श्रेणीवार निवेश का विवरण;

A-2.6 Details of investment category – wise;

तीन श्रेणियों अर्थात ट्रेडिंग हेतु धारित (एचएफटी), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के अंतर्गत निवेशों का विवरण निम्नानुसार हैं;

The Details of investments held under the three categories viz; Held for trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) are as under;

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020				31 मार्च 2019 को As on March 31, 2019			
		एचएफटी HFT	एएफएस AFS	एचटीएम HTM	कुल Total	एचएफटी HFT	एएफएस AFS	एचटीएम HTM	कुल Total
सरकारी प्रतिभूतियां	Government securities	203.54	80,641.30	1,67,324.64	2,48,169.48	678.11	61,349.38	1,00,243.00	1,62,656.28
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	Other approved securities	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.28	0.00	1.28
शेयर	Shares	0.00	4,651.98	10.42	4,662.40	10.63	3,320.23	5.25	3,336.13
डिबेंचर और बांड	Debentures and bonds	0.00	16,529.77	25	16,554.77	0.00	11,976.56	0.00	11,976.56
अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	Subsidiary / Joint ventures	0.00	0.00	3,468.79	3,468.79	0.00	0.00	3,610.11	3,610.11
अन्य	Others	0.00	4,573.11	182.83	4,755.94	0.00	2,152.87	230.21	2,383.08
कुल	**Total**	**203.54**	**1,06,397.57**	**1,71,011.68**	**2,77,612.79**	**688.74**	**78,800.32**	**1,04,088.57**	**1,83,963.44**

ए-2.7 मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां

A-2.7 Securities kept as margin

मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:

The details of securities that are kept as margin are as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S. No		विवरण		Particulars	31 मार्च को अंकित मूल्य FV as at March 31	
					2020	2019
i.		भारतीय समाशोधन निगम के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां		Securities kept as margin with Clearing Corporation of India towards:		
	ए)	संपार्श्विक और निधि प्रबंधन – प्रतिभूति सेगमेंट	a)	Collateral and funds management - Securities segment	3,200.00	700.00
	बी)	संपार्श्विक और निधि प्रबंधन – संपार्श्विकृत ऋण एवं उधार दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट / त्रिपक्षीय रेपो	b)	Collateral and funds management - Collateralized Borrowing and Lending Obligation (CBLO) segment / Triparty Repo	0.00	0.00
	सी)	चूक निधि – फॉरेक्स फॉरवर्ड सेगमेंट	c)	Default fund - Forex Forward segment	211.29	72.12
	डी)	चूक निधि – विदेशी मुद्रा निपटान सेगमेंट	d)	Default fund - Forex Settlement segment	29.38	23.38
	ई)	चूक निधि – रुपी डेरिवेटिव्स (गारंटित निपटान) सेगमेंट	e)	Default fund - Rupee Derivatives (Guaranteed Settlement) segment	55.30	2.83
	एफ)	चूक निधि – प्रतिभूति सेगमेंट	f)	Default fund - Securities segment	5.75	13.75
	जी)	चूक निधि – सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रेपो सेगमेंट	g)	Default fund - CBLO / Triparty repo segment	50.65	27.32

क्र. सं. S. No	विवरण	Particulars	31 मार्च को अंकित मूल्य FV as at March 31 2020	2019
ii	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	Securities kept as margin with the RBI towards:		
	ए) रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट (आरटीजीएस)	a) Real Time Gross Settlement (RTGS)		
	बी) रेपो संव्यवहार	b) Repo transactions		
	सी) रिवर्स रेपो संव्यवहार	c) Reverse repo transactions		
iii	एनएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम (एनएससीसीआईएल) के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	Securities kept as margin with National Securities Clearing Corporation of India (NSCCIL) towards NSE Currency Derivatives segment.	5.98	5.00
iv	बीएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	Securities kept as margin with Indian Clearing Corporation Limited towards BSE Currency Derivatives segment	1.00	0.90
V	एमसीएक्स मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय मेट्रोपॉलिटन समाशोधन निगम के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	Securities kept as margin with Metropolitan Clearing Corporation of India towards MCX Currency Derivatives segment.	1.00	0.50

तुलन पत्र की तारीख को अन्य निवेश में रु.397.69 करोड़ की वाणिज्यिक पेपर की राशि शामिल है (विगत वर्ष – रु 586.13 करोड़)

Other Investment as at the Balance sheet date include Commercial paper amounting to Rs.397.69 Cr (Previous Yr- Rs.586.13 Cr)

ए–2.8 एसजीएल फार्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

A-2.8 Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form	राशि Amount	टिप्पणी Remarks
2019-20	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2018-19	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

ए–2.9 डेरीवेटिव्स

A–2.9 .1 वायदा दर समझौता / ब्याज दर स्वैप

A-2.9 Derivatives

A-2.9.1 Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
स्वैप समझौते की कल्पित मूल राशि	The notional principal of swap agreements	52,645.65	42,267.76
समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	813.65	377.49
स्वैप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित संपाश्विक	Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	Concentration of credit risk arising from the swaps	1,480.09	829.06
स्वैप बही का उचित मूल्य	The fair value of the swap book	(339.80)	38.75

31 मार्च, 2020 तक वायदा एवं ब्याज दर स्वैप का प्रकार एवं शर्तें नीचे दी गई हैं: (₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2020 are given below:

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	4	175.00	INBMK	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	7	788.06	LIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	3	378.32	LIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	1	25.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	Trading	25	675.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	49	2,875.00	MIFOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	11	500.00	MIFOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	749	24,050.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	207	6,261.49	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	25	725.00	MIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	279	7,962.62	MIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	2	488.14	AU6MBA/LIBOR	अस्थायी देय / अस्थायी प्राप्य Pay Floating /Receive Floating
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	7	1,205.10	MIBOR/LIBOR	अस्थायी देय / अस्थायी प्राप्य Pay Floating /Receive Floating
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	8	2,981.67	Fixed	स्थायी प्राप्य अस्थायी देय Fixed receive floating pay
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	3	2,919.37	LIBOR	अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Floating receive floating pay
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	243.09	LIBOR	अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Floating receive floating pay
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	392.79	EURIBOR	अस्थायी प्राप्य अस्थायी देय Floating receive floating pay
			52,646.41		

31 मार्च, 2019 को वायदा दर समझौता और ब्याज दर स्वैप की प्रवृत्ति एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2019 are given below:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	4	175.00	INBMK	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	18	2,005.50	LIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1	172.89	LIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	6	484.08	LIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1	172.89	LIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	323	9,792.10	MIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	162	5,625.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	324	10,108.15	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	52	2350.00	MIFOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	9	425.00	MIFOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	25	675.00	MIBOR	स्थायी प्राप्य / अस्थायी देय Fixed Receivable/Floating Payable
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	9	425.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	4	700.40	MIBOR/LIBOR	अस्थायी देय / अस्थायी प्राप्य Pay Floating /Receive Floating
सीआईआरएस CIRS	हेजिंग Hedging	1	268.98	Receive USD 3 M LIBOR Pay EUR 3M EIEUR	अस्थायी देय / अस्थायी प्राप्य Pay Floating /Receive Floating
CIRS	हेजिंग Hedging	1	121.15	Receive GBP 3 M LIBOR Pay EUR 3M EIEUR	अस्थायी देय / अस्थायी प्राप्य Pay Floating /Receive Floating
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	6	466.73	LIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय Floating Receivable/Fixed Payable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	9	5,473.48	LIBOR	अस्थायी देय / स्थायी प्राप्य Floating Payable /Fixed Receivable
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	3	2,826.41	LIBOR	अस्थायी देय / अस्थायी प्राप्य Floating Payable /Floating receivable
			42,267.76		

A-2.9.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

A-2.9.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. S No	विवरण	Particulars	As on March 31, 2020	As on March 31, 2019
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives undertaken during the year (instrument-wise)		
	ए. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ)	A. Interest Rate Future (IRF)	35,135.16	12,180.64
	बी. करेंसी फ्यूचर्स	B. Currency Futures	1,29,974.98	62,044.60
	सी. ऑप्शन	C. Options	46,157.94	18,079.92
(ii)	यथा दिनांक एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स की (लिखतवार) बकाया कल्पित मूल राशि	Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding as on (instrument-wise)		
	ए. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ)	A. Interest Rate Future (IRF)	0.00	0.00
	बी. करेंसी फ्यूचर्स	B. Currency Futures	0.00	0.00
	सी. ऑप्शन	C. Options	115.53	1,590.39
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स की बकाया कल्पित मूल राशि तथा जो ?अत्यधिक प्रभावी" न हो (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
(iv)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स का मार्क-टू-मार्केट मूल्य तथा जो ?अत्यधिक प्रभावी? न हो (लिखतवार)	Mark-to-market (MTM) value of exchange traded interest rate & Currency derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil

A-2.9 .3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

A-2.9.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन एवं स्वर्ण, डिरिवेटिव प्रबंधन नीति में डेरीवेटिव्स लेन-देन के कार्यों के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट तथा काउन्टर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गयी हैं. बैंक अपने तुलन-पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेजिंग के लिए तथा बाज़ार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन-देनों का उपयोग करता है. मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन देनों में प्रतिफल बढ़ाने एवं प्रोपराइटरी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं.

बैंक में जिन जोखिमों की सम्भावना बनी रहती है, वे हैं: ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम. बैंक में जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं, जो एमटीएम जोखिम पर कीमत, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन-देनों की वित्तीय जोखिमों के आकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गयी हैं. इनकी बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा निगरानी की जाती है तथा इस बारे में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षतावाली निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है.

लेन-देनों की काउंटर पार्टियां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं. अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत व्यवहार किए जाते हैं. डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम आकलित करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टू-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात जब बैंक को काउंटर पार्टी से धन प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित ऋण रुपांतरण घटकों के साथ गुणा करके परिकलित की जाती है, निम्नानुसार है :-

(i) Qualitative Disclosure

Foreign exchange risk management & Gold, Derivative management policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transaction. The bank uses financial derivative transactions for hedging, its on or off balance sheet exposure as well as for market making .Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk, The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, Value at Risk (VaR) and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Managing Director.

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

कनवर्ज़न फैक्टर कल्पित मूलधन राशि पर लागू किया जाएगा

Conversion factor to be applied on notional principal amount

अवशिष्ट परिपक्वता	Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract		विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract	
		वि.व 2020 FY 2020	वि.व 2020 FY 2019	वि.व 2020 FY 2020	वि.व 2020 FY 2019
एक वर्ष से कम	Less than one year	0.50%	0.50%	2.00%	2.00%
एक वर्ष से पांच वर्ष	One year to Five Year	1.00%	1.00%	10.00%	10.00%
पांच वर्ष से अधिक	Over five years	3.00%	3.00%	15.00%	15.00%

हेज तथा गैर-हेज (ट्रेडिंग) लेनदेनों को अलग से दर्ज किया जाता है. जहां यह मार्क-टू-मार्केट के अधीन नहीं है, हेजिंग डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोजिशन (मार्क-टू-मार्केट) में लिया जाता है और परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि खाते में यदि कोई हानि हो, हिसाब में लिया जाता है. लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है. ब्याज दर स्वैप्स से संबंधित आय और व्यय निपटान की तारीख पर हिसाब में लिए जाते हैं. ट्रेडिंग स्वैप के समाप्त होन पर लाभ/हानि समाप्ति की तारीख पर आय/व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं.

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. In cases where the underlying is not subject to mark to market the hedging derivatives are accounted for on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण (ii) Quantitative Disclosures

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं S No	विवरण	Particular	31 मार्च, 2020 तक As on March 31, 2020		31 मार्च, 2019 तक As on March 31, 2019	
			करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	ए) हेजिंग के लिए	a) For hedging	635.89	36,435.65	390.13	20,606.61
	बी) ट्रेडिंग के लिए	b) For trading	115.53	15,574.12	1,590.39	21,271.02

क्र. सं. S No	विवरण	Particular	31 मार्च, 2020 तक As on March 31, 2020		31 मार्च, 2019 तक As on March 31, 2019	
			करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(ii)	मार्क्ड टू मार्केट स्थितियां	Marked to Market Positions				
	ए) आस्ति (+)	a) Asset (+)	42.80	773.16	33.83	345.50
	बी) देयताएं (-)	b) Liability (-)	-1.19	-1,154.64	-21.76	-318.81
(iii)	ऋण जोखिम	Credit Exposure	50.4	1,432.05	79.07	767.74
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव(100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) हेजिंग डेरिवेटिव पर	a) on hedging derivatives	-0.02	687.37	-0.08	130.61
	b) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	b) on trading derivatives	0.00	2.60	Nil	0.61
(v)	वर्ष के दौरान पाये गए अधिकतम तथा न्यूनतम (100*पीवी01)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	ए) हेजिंग पर (घरेलू)	a) on hedging (Domestic)	0&0	789.64&79.77	0&0	124.50&9.66
	बी) ट्रेडिंग पर (घरेलू)	b) on trading (Domestic)	7.27 & 0	55.83 &0.01	0&0	6.97&0.04
	सी) हेजिंग पर (विदेशी)	c) on hedging (Overseas)	0.05&-0.06	14.81&-56.61	0.04&-0.11	11.27&5.86
	डी) ट्रेडिंग पर (विदेशी)	d) on trading (Overseas)	0&0	0&0	0&0	0&0

निम्नलिखित खंड समान्यतः बैंक द्वारा किए जाने वाले डेरिवेटिव लेनदेन की प्रकृति एवं शर्तों की रूपरेखा को प्रदर्शित करते हैं.

The following sections outline the nature and terms of the derivative transactions generally undertaken by the Bank.

ब्याज दर अनुबंध

Interest rate contracts

फॉरवर्ड रेट करार खरीदार को एक निर्दिष्ट भविष्य की तारीख (निपटान तारीख) पर शुरू होने वाली निर्दिष्ट अवधि के लिए ब्याज की अंतर्निहित दर निर्धारित करने की क्षमता प्रदान करते हैं. मूलधन का कोई आदान-प्रदान नहीं होता है और निपटान तारीख पर निपटान प्रभावी होता है. निपटान राशि अनुबंधित दर और निपटान तारीख पर प्रचलित बाजार दर के बीच का अंतर है.

Forward rate agreements give the buyer the ability to determine the underlying rate of interest for a specified period commencing on a specified future date (the settlement date). There is no exchange of principal and settlement is effected on the settlement date. The settlement amount is the difference between the contracted rate and the market rate prevailing on the settlement date.

ब्याज दर स्वैप में अंतर्निहित (या कल्पित) मूलधन का आदान-प्रदान किए बिना निर्दिष्ट अवधि के लिए काउंटरपार्टी के साथ ब्याज दायित्वों का आदान-प्रदान शामिल है.

Interest rate swaps involve the exchange of interest obligations with the counterparty for a specified period without exchanging the underlying (or notional) principal.

ब्याज दर कैप एंड फ़्लोर्स खरीदार को अधिकतम या न्यूनतम ब्याज दर तय करने की क्षमता प्रदान करते हैं. कोंट्रैक्ट का राइटर उस राशि का भुगतान करता है जिससे बाजार दर क्रमशः कैप रेट या फ़्लोर रेट से अधिक या कम होता है. ब्याज दर कैप्स और फ़्लोर का संयोजन ब्याज दर कॉलर, कैप स्प्रेड और फ़्लोर स्प्रेड जैसी संरचनाएं बना सकता है.

Interest rate caps and floors give the buyer the ability to fix the maximum or minimum rate of interest. The writer of the contract pays the amount by which the market rate exceeds or is less than the cap rate or the floor rate respectively. A combination of interest rate caps and floors can create structures such as interest rate collar, cap spreads and floor spreads.

ब्याज दर वायदा सौदे एक मानकीकृत ब्याज दर डेरिवेटिव कांट्रैक्ट हैं जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कल्पित प्रतिभूति या अन्य किसी ब्याज के साथ वाले वाले लिखत या इस तरह के लिखतों के इंडेक्स की खरीद या बिक्री करने या कोंट्रैक्ट के समय भविष्य की किसी तारीख के लिए निर्धारित ब्याज दरों पर ट्रेड करने से है.

Interest rate futures are standardised interest rate derivative contracts traded on a recognised stock exchange to buy or sell a notional security or any other interest bearing instrument or an index of such instruments or interest rates at a specified future date, at a price determined at the time of the contract.

विनिमय दर अनुबंध

Exchange rate contracts

फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा कॉन्ट्रैक्ट भविष्य की तारीख पर विनिमय की सहमत दरों पर निश्चित मात्रा में मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए करार है. इन लिखतों को फेडाई (एफईडीएआई) दरों या बाजार कोटेशन के आधार पर उचित मूल्य पर खरीदा /बेचा जाता है.

Forward foreign exchange contracts are agreements to buy or sell fixed amounts of currency at agreed rates of exchange on future date. These instruments are carried at fair value, determined based on either FEDAI rates or market quotations.

क्रॉस करेंसी स्वैप विभिन्न मुद्राओं के मूल्य वर्ग में मूलधन राशि का आदान-प्रदान करने के लिए करार हैं. क्रॉस करेंसी स्वैप में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विनिर्दिष्ट मुद्रा में ब्याज भुगतान के लिए एक निर्दिष्ट मुद्रा पर ब्याज भुगतानों का आदान-प्रदान शामिल हो सकता है.

Cross currency swaps are agreements to exchange principal amounts denominated in different currencies. Cross currency swaps may also involve the exchange of interest payments on one specified currency for interest payments in another specified currency for a specified period.

मुद्रा विकल्प (एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्पों सहित) खरीददार को प्रीमियम के भुगतान पर निर्दिष्ट भविष्य की तारीख पर या उससे पहले एक्सचेंज की सहमत दरों पर मुद्रा की निश्चित मात्रा खरीदने या बेचने के लिए अधिकार, लेकिन दायित्व नहीं, देता है.

Currency options (including Exchange Traded Currency Option) give the buyer, on payment of a premium, the right but not an obligation, to buy or sell specified amounts of currency at agreed rates of exchange on or before a specified future date.

मुद्रा वायदा अनुबंध निर्दिष्ट मूल्य पर, भविष्य की एक निश्चित तारीख पर निश्चित अंतर्निहित परिसंपत्ति या लिखत खरीदने या बेचने के लिए किसी एक्सचेंज पर कारोबार किया जाने वाला एक मानकीकृत अनुबंध है. मुद्रा वायदा सौदे अनुबंध का अंतर्निहित लिखत विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये की एक इकाई के बीच विनिमय की दर है.

Currency futures contract is a standardized contract traded on an exchange, to buy or sell a certain underlying asset or an instrument at a certain date in the future, at a specified price. The underlying instrument of a currency future contract is the rate of exchange between one unit of foreign currency and the INR.

बैंक का डेरिवेटिव लेनदेन बिक्री और व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित है. बिक्री गतिविधियों में समय समय पर यथा लागू विनियामक फ्रेमवर्क के तहत ग्राहकों को डेरिवेटिव की स्ट्रक्चरिंग एवं मार्केटिंग भी शामिल है ताकि उनको अपने बाज़ार जोखिम (ब्याज दर एवं विनिमय जोखिम दोनों) को हेज करने में समर्थ बनाया जा सके. बैंक डेरिवेटिव में खुद के खाते (व्यापार गतिविधि) से सौदा करता है जो मूल रूप से मूल्य आय में लघु अवधि में होने वाले उतार-चढ़ाव या अंतर्निहित अस्थिरता से लाभ जनरेट करना है. बैंक अपने दायित्वों या तुलन पत्र आस्तियों में अंतर्निहित जोखिम को हेज करने के लिए भी डेरिवेटिव में सौदा करता है.

The Bank's derivative transactions relate to sales and trading activities. Sale activities include the structuring and marketing of derivatives to customers to enable them to hedge their market risks (both interest rate and exchange risks), within the framework of regulations as applicable from time to time. The Bank deals in derivatives on its own account (trading activity) principally for the purpose of generating a profit from short term fluctuations in price yields or implied volatility. The Bank also deals in derivatives to hedge the risk embedded in some of its Balance Sheet assets or liabilities.

डेरिवेटिव व्यवसाय में शामिल घटक

Constituents involved in derivative business

ट्रेजरी फ्रंट-ऑफिस ग्राहकों और अंतर-बैंक प्रतिपक्षों के साथ व्युत्पन्न लेनदेन करता है. नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास एक स्वतंत्र बैक-ऑफिस और मिड-ऑफिस है.

The Treasury front-office enters into derivative transactions with customers and inter-bank counterparties. The Bank has an independent back-office and mid-office as per regulatory guidelines.

प्रावधानीकरण, संपार्श्विक और ऋण जोखिम को कम करना

Provisioning, collateral and credit risk mitigation

बैंक अपनी व्यापारिक रैंकिंग और वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रतिपक्षों के साथ डेरिवेटिव लेनदेन करता है. बैंक एक्सपोजर के क्रिस्टलीकरण होने की स्थिति

में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिपक्ष की क्षमता का मूल्यांकन करने के उपरांत उचित सीमा निर्धारित करता है. उचित क्रेडिट प्रसंविदा जहां आवश्यक हो, निर्धारित की जाती हैं, ताकि जोखिम को समाहित करने के लिए संपार्श्विक की मांग की जा सके या लेनदेन को निरस्त किया जा सके.

The Bank enters into derivative transactions with counter parties based on their business ranking and financial position. The Bank sets up appropriate limits upon evaluating the ability of the counterparty to honor its obligations in the event of crystallization of the exposure. Appropriate credit covenants are stipulated where required, as trigger events to call for collaterals or terminate a transaction and contain the risk.

ए.2.9.4 ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) / A.2.9.4Credit Default Swaps (CDS)

मूल्यांकन प्रणाली– सीडीएस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 मई 2011 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को अपनी सीडीएस संविदाओं के मूल्यांकन हेतु एफ़आईएमएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व अथवा इससे अधिक संरक्षित मूल्यांकन होने पर किसी अन्य स्वामित्व मॉडल का उपयोग करना आवश्यक है. अपनी सीडीएस स्थितियों के मूल्यांकन के लिए हमारा बैंक एफ़आईएमएमडीए कर्व का ही उपयोग करता है सीडीएस मूल्यांकन के लिए बैंक किसी आंतरिक स्वामित्व मॉडेल का उपयोग नहीं करता है. यदपि दिनांक 31 मार्च 2020 को हमारे बैंक का कोई सीडीएस डील बकाया नहीं है.

Valuation Methodology- As per RBI guidelines on CDS dated 23rd May, 2011 the banks are required to value their CDS contracts by using daily CDS curve published by FIMMDA Or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. The Bank uses the FIMMDA curve for valuing CDS positions;the Bank does not use any internal proprietary model for CDS valuation. However, the Bankdoes not have any CDS deal outstanding as on 31st March 2020.

ए–2.10 आस्ति गुणवत्ता / A-2.10 Asset Quality

ए–2.10.1 अनर्जक आस्तियां / A-2.10.1 Non-Performing Assets

ए. अनर्जक आस्तियों का संचलन / A. Movement of NPAs

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	For the year ended March 31, 2020	For the year ended March 31, 2019
सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs (Opening Balance)	48,232.76	56,480.38
पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक के विलय के कारण जुड़े	Addition on Account of Merger of eDB and eVB	21,691.24	
वर्ष के दौरान जुड़े (नए एनपीए) *	Additions (Fresh NPAs) during the year *	23,315.41	13,613.61
उप–जोड़ (ए)	Sub-total (A)	93,239.41	70,093.99
घटाएं:–	Less:-		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up-gradations	1,394.12	819.61
(ii) वसूलियाँ (अपग्रेड किए गए खातों से हुई वसूलियों को छोड़कर)	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	6,577.80	7,939.78
बट्टे खाते डाली गयी राशि (विनिमय अंतर को शामिल करके)	(iii) Write-offs (including Exchange Differences)	15,886.06	13,101.84
उप योग (बी)	Sub-total (B)	23,857.98	21,861.23
सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए–बी)	**Gross NPAs (Closing Balance) (A-B)**	**69,381.43**	**48,232.76**

बी. अनर्जक आस्तियां / B. Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
(i) निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%)	(i) Net NPAs to Net Advances (%)	3.13	3.33
(ii) एनपीए का संचलन (सकल)	(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	48,232.76	56,480.38

विवरण	Particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
(बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक के विलय के कारण जुड़े	(b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB	21,691.24	0.00
(सी) वर्ष के दौरान जुड़े	(c) Additions during the year	23,315.41	13,613.61
(डी) वर्ष के दौरान घटाए गए	(d) Reductions during the year	23,857.98	21,861.23
(ई) अंतिम शेष	(e) Closing balance	69,381.43	48,232.76
(iii) निवल एनपीए का संचलन	(iii) Movement of Net NPAs		
(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	15,609.50	23,482.65
(बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक के विलय समामेलन के बाद जुड़े	(b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB	8,185.35	0.00
(सी) वर्ष के दौरान जुड़े	(c) Additions during the year	5,408.24	2,303.00
(डी) वर्ष के दौरान घटाए गए	(d) Reductions during the year	7,626.49	10,176.15
(ई) अंतिम शेष	(e) Closing balance	21,576.60	15,609.50
(iv) एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को छोड़कर)	(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(ए) अंतिम शेष	(a) Opening balance	32,623.26	32,997.76
(बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक एक समामेलन के बाद जुड़े	(b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB	13,505.90	0.00
(सी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(c) Provisions made during the year	17,907.17	11,310.61
(डी) वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान को बट्टा खाता डालना	(d) write back of excess provision during the year	16,231.49	11,685.11
(ई) अंतिम शेष	(e) Closing Balance	47,804.84	32,623.26

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
तकनीकी बट्टा खाता का संचलन	Movement of Technical Write offs		
तकनीकी /विवेक सम्मत अपलिखित की गई राशियों का प्रारंभिक शेष	Opening Balance of Technical / Prudential written-off account	24,987.68	15,128.29
पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक एक समामेलन के बाद जुड़े	Addition on Account of Merger of eDB and eVB	11,910.89	
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टा खाता राशि	Add : Technical / Prudential write-of during the year	17,291.13	11,103.95
उप योग (ए)	Sub Total (A)	54,189.70	26,232.24
घटाएं : वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टा खाता राशियों की वसूली (बी)	Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B)	8,003.14	1,244.56
अंतिम शेष (ए –बी)	Closing Balance (A-B)	46,186.56	24,987.68

सी. अनर्जक निवेश / C. Non-Performing Investment

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	As on March 31, 2020	As on March 31, 2019
(i) निवल निवेशों में निवल एनपीआई (%)	(i) Net NPIs to Net Investment (%)	0.07%	0.09%
(ii) अनर्जक निवेशों का संचलन (सकल)	(ii) Movement of NPIs (Gross)		
(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	1,649.21	1,947.75
(बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक के समामेलन उपरांत जुड़े	(b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB	602.41	0.00
(सी) वर्ष के दौरान जुड़े	(c) Additions during the year	425.10	452.22
(डी) वर्ष के दौरान घटाए गए	(d) Reductions during the year	453.48	750.76
(ई) अंतिम शेष	(e) Closing balance	2,223.24	1,649.21
(iii) एनपीआई के प्रावधानों का संचलन	(iii) Movement of provisions for NPIs		
(ए) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	1,484.53	1,428.92
(बी) पू.देना बैंक और पू.विजया बैंक के समामेलन उपरांत जुड़े	(b) Addition on Account of Merger of eDB and eVB	561.59	0.00
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(c) Provisions made during the year	412.63	697.86
(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पुनरांकन करना	(d) Write off/Write Back of Excess Provision	419.78	642.25
(डी) अंतिम शेष	(d) Closing balance	2,038.97	1,484.53

डी. परिपक्व एनपीआई (अन्य आस्तियों की अनुसूची 11 में शामिल) / D. Matured NPI (Included in Schedule 11 of other Assets

डी (ए) निवेश का मूल्य / D (a) Value of Investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए As on March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए As on March 31, 2019
(i) निवेश का सकल मूल्य	(i) Gross Value of Investments		
(a) भारत में	(a) In India	300.46	140.58
(b) भारत से बाहर	(b) Outside India	309.23	283.32
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation		
(a) भारत में	(a) In India	299.10	140.58
(b) भारत से बाहर	(b) Outside India	309.23	283.32
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	(iii) Net Value of Investments		
(a) भारत में	(a) In India	1.36	0.00
(b) भारत से बाहर	(b) Outside India	0.00	0.00

डी(बी). निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन / D (b). Movement of provisions held towards depreciation on investments

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए As on March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए As on March 31, 2019
(i) प्रारम्भिक शेष	(i) Opening balance	423.90	398.78
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(ii) Add: Provisions made during the year	184.52	23.30
(iii) जोड़े /(घटाएं): विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन	(iii) Add /(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment	0.00	1.82
(iv) घटाएं : अतिरिक्त प्रावधानों का परांकन	(iv) Less: Write-back of excess provisions	0.00	0.00
(v) अंतिम शेष	(v) Closing balance	608.42	423.90

ई. क्षेत्रवार एनपीए / E. Sector-wise NPAs

क्र सं. S No	क्षेत्र	Sector	क्षेत्र के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
			31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए As on March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए As on March 31, 2019
1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	Agriculture & allied activities	10.08%	10.06%
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	Industry (Micro & small, Medium and Large)	16.74%	17.85%
3	सेवाएं	Services	10.22%	8.56%
4	वैयक्तिक ऋण	Personal Loans	3.22%	4.3%

एफ़ विदेशी आस्तियां एनपीए तथा राजस्व : / F. Overseas Assets, NPAs and Revenue :

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए As on March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए As on March 31, 2019
कुल आस्तियां	Total Assets	2,01,930.75	1,70,893.99
कुल एनपीए	Total NPAs	8,937.42	7,845.14
कुल राजस्व	Total Revenue	6,574.93	6,273.38

जी. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.बीपी.बीसी. संख्या 32/21.04..01/2018-19 दिनांक 01 अफरील 2019 में दर्शाएं निर्देशानुसार आकस्मिक और या अथवा एनपीए के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधानों के पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के दौरान संदर्भित अवधि का कुल एनपीए वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक होने पर बैंकों द्वारा आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानों से संबन्धित विवेकपूर्ण मानदंडों से अलग होने पर इसे दर्शाएँ जाने की आवश्यकता होती है. उपर्युक्त के आलोक में हमारे बैंक के विचलन का विवरण निम्नानुसार है.

G. As per RBI circular No. DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional

provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period then banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning. In view of the above, details of divergence of our Bank is as under

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र सं. Sr.	विवरण	Particulars	राशि Amount
1.	31 मार्च 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा, पू.देना बैंक और पू. विजया बैंक द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार कुल सकल एनपीए	Total Gross NPA as on March 31, 2019 as reported by BOB, eDB and eVB	69,924
2.	31 मार्च 2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित सकल एनपीए	Gross NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	71,972
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	Divergence in Gross NPAs (2-1)	2,048
4.	31 मार्च 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा, पू.देना बैंक और पू. विजया बैंक द्वारा रिपोर्ट किए किए अनुसार कुल निवल एनपीए	Total Net NPA as on March 31, 2019 as reported by BOB, eDB and eVB	23,795
5.	31 मार्च 2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित निवल एनपीए	Net NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	26,323
6.	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	Divergence in Net NPAs (5-4)	2,528
7.	31 मार्च 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा, पू.देना बैंक और पू. विजया बैंक द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार एनपीए के लिए कुल प्रावधान	Total Provision for NPA as on March 31, 2019 as reported by BOB, eDB and eVB	46,001
8.	31 मार्च 2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित एनपीए के लिए प्रावधान	Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	49,611
9.	प्रावधानों में विचलन (8-7) *	Divergence in provisioning (8-7)*	3610
10.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किए अनुसार कर पश्चात निवल लाभ (पीएटी)	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019	(8,339)
11.	प्रावधानों में विचलन को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (नोशनल) कर पश्चात निवल लाभ	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019 after taking into account the divergence in provisioning	(10,686)

नोट : ऊपर दर्शाये गए सारे आंकड़े बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक के हैं. उपर्युक्त दर्शाये गए आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनके दिनांक 27 फरवरी 2020 के पत्र के माध्यम से खाते के आस्ति वर्गीकरण से संबंधित 31 मार्च 2019 की स्थिति बनाए रखने के निर्णय (पुनर विचार के लिए लंबित) पर विचार करने के बाद लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रिपोर्ट किए गए विचलन के एवज में बैंक ने पूरा प्रावधान किया है.

Note: All the figures reported hereinabove are for Bank of Baroda (BOB), e-Vijaya Bank (eVB) and e-Dena Bank (eDB).

The figures reported above are after considering the decision (pending re-examination) by Reserve Bank of India with respect to maintaining the status quo of the asset classification of an account as at March 31, 2019 vide their letter dated February 27, 2020. The Bank has made full provision against the reported divergence during the financial year 2019-20.

A-2.10.2 क्षेत्रवार अग्रिम

A-2.10.2 Sector-wise advances

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र सं. S. No	विवरण	31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020			31 मार्च 2019 को As on March 31, 2019		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	% उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	% उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that sector
ए A	**प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector**						
1	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	88,650.77	8,483.96	9.57	54,744.43	5,409.08	9.88

क्र सं. S. No	विवरण	31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020			31 मार्च 2019 को As on March 31, 2019		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	% उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	% उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that sector
2	प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत उधर हेतु पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	29,248.34	4,025.52	13.76	21,556.71	2,397.20	11.12
3	सेवाएँ Services	46,527.87	5,736.60	12.33	33,778.85	3,036.66	8.99
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	41,901.64	882.31	2.11	25,964.34	638.07	2.47
	उप जोड़ (ए) Sub – Total (A)	**2,06,328.62**	**19,128.39**	**9.27**	**1,36,044.33**	**11,481.01**	**8.44**
बी B	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-Priority Sector**						
1	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	1,349.68	588.54	43.61	1,476.35	245.37	16.62
2	उद्योग Industry	1,15,785.72	20,249.21	17.49	87,648.32	17,098.19	19.51
3	सेवाएँ Services	1,67,598.44	16,154.77	9.64	90,432.15	7,597.69	8.40
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	1,19,985.98	4,323.09	3.60	81,089.02	3,965.36	4.89
	उप जोड़ (बी) Sub – Total (B)	4,04,719.82	41,315.61	10.21	2,60,645.84	28,906.61	11.09
	अंतर्राष्ट्रीय International	1,27,050.58	8,937.43	7.03	1,05,015.99	7,845.14	7.47
	कुल (ए+बी) Total (A+B)	**7,38,099.02**	**69,381.43**	**9.40**	**5,01,706.16**	**48,232.76**	**9.61**

ए-2.10.3. प्रतिभूतिकरण /पुनर्गठन कंपनी अथवा आस्ति पुनर्गठन के लिए बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

A-2.10.3. Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company or Asset Reconstruction

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्रम सं. Sl. No	विवरण	Particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
(i)	खातों की संख्या	No. of accounts	Nil	Nil
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का नेट)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii)	कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	Nil	Nil
(iv)	प्रारम्भिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ /हानि	Aggregate gain/(loss) over net book value	Nil	Nil

ए – 2.10.4 प्रतिभूति रसीदों में निवेश का ब्यौरा

A – 2.10.4 Details of Investment in Security Receipts

31 मार्च 2020 को सुरक्षा प्राप्तियों के रूप में आयोजित निवेशों की अवधि में वृद्धि विवरण इस प्रकार है:

Details of ageing of investments held as Security Receipts as on March 31, 2020 are as follows:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर SRs issued within past 5 years	5 से 8 वर्षों के मध्य जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्षों से अधिक के बाद जारी एसआर SRs issued more than 8 years ago
(i)	अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य (श्रेणी I एसआर)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying (Category I SR)	480.27	832.04	51.74
	(i) के पेटे प्रावधान	Provision held against (i)	45.76	625.15	51.74
(ii)	अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं /गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying (Category II SR)	0.00	0.00	14.20
	(ii) के पेटे प्रावधान	Provision held against (ii)	0.00	0.00	14.20
	कुल (i) + (ii)	**Total (i) + (ii)**	**480.27**	**832.04**	**65.94**

31 मार्च 2019 को प्रतिभूति प्राप्तियों के रूप में आयोजित निवेशों की अवधि में वृद्धि इस प्रकार है.

Details of ageing of investments held as Security Receipts as on March 31, 2019 are as follows:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्रम सं. Sl. No	विवरण	Particulars	पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर SRs issued within past 5 years	5 से 8 वर्षों के मध्य जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्षों से अधिक के बाद जारी एसआर SRs issued more than 8 years ago
(i)	अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य (श्रेणी I एसआर)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying (Category I SR)	159.22	463.73	50.23
	(i) के पेटे प्रावधान	Provision held against (i)	15.95	272.27	50.23
(ii)	अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं /गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying (Category II SR)	-	-	-
	(ii) के पेटे प्रावधान	Provision held against (ii)	-	-	-
	कुल (i) + (ii)	**Total (i) + (ii)**	**159.22**	**463.73**	**50.23**

प्रतिभूति रसीदों में निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च 2019 को As on March 31, 2019
(i) अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित	(i) Backed by NPAs sold by the bank as underlying	1,378.25	673.18
(ii) अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं /गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित	(ii) Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions/ non-banking financial companies as underlying	-	-
कुल	**Total**	**1,378.25**	**673.18**

ए-2.10.5

दिनांक 31.03.2020 (वि.व 2019-20) तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं. S.No.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring / आस्ति वर्गीकरण Assets Classification		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanisam					एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
			मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल otal	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
	विवरण Details																					
1	01 अप्रैल, 2019 तक पुनर्गठित खाते Restructured Accounts as on April 01, 2019	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	5	3	17	0	25	6,735	107	1,822	1504	10,168	2710	567	15,753	2347	21377	9450	677	17,592	3,851	31,570
		बकाया राशि Amount outstanding	88.07	52.15	1,973.68	0.00	2,113.9	236.03	8.05	336.01	226.74	806.83	4,550.34	322.13	9,551.59	1,393.97	15,818.03	4,874.44	382.33	11,861.28	1,620.71	18,738.76
		उस पर प्रावधान Provision thereon	37.71	2.02	0.00	0.00	39.73	18.07	0.29	1.51	0.00	19.87	221.51	4.02	17.00	0.00	242.53	277.29	6.33	18.51	0.00	302.13
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन Fresh Restructuring during the year	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	31,079	624	56	81	31840	1297	49	11	5	1362	32376	673	67	86	33202
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.16	116.07	4.48	18.34	1,555.05	517.11	38.22	647.07	85.05	1,287.45	1,933.27	154.29	651.55	103.39	2,842.50
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0	62.33	3.61	0.20	0.00	66.14	5.56	4.76	0.02	0.00	10.34	67.89	8.37	0.22	0.00	76.48
3	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन Upgradation to restructured standard category during the FY 2019-20	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	1	0	-1	0	0	57	-31	-21	-5	0	263	-24	-231	-8	0	321	-55	-253	-13	0.00
		बकाया राशि Amount outstanding	19.08	0.00	-19.08	0.00	0	4.03	-2.11	-1.92	0.00	0.00	20.18	-16.46	-3.69	-0.03	0.00	43.29	-18.57	-24.69	-0.03	0.00
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
4	पुनर्गठित मानक खाते जिसने अतिरिक्त प्रावधानों को स्थगित कर दिया है और/या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अत्यधिक जोखिम धारित किया है तथा इस कारण से अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ से इन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिमों में दर्शाना अपेक्षित नहीं है. Restructured standard advances which ceased to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	1	0	0	0	1	-26	0	0	0	-26	-684	0	0	0	-684.00	-709	0.00	0.00	0.00	-709
		बकाया राशि Amount outstanding	559.39	0.00	0.00	0.00	559.39	-187.63	0.00	0.00	0.00	-187.63	81.81	0.00	0.00	0.00	81.81	453.57	0.00	0.00	0.00	453.57
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ए-2.10.5

दिनांक 31.03.2020 (वि.व 2019-20) तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं. S.No.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring / आस्ति वर्गीकरण Assets Classification		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanisam					एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण Details		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	otal	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
5	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Down gradation of restructured accounts during the FY 2019-20	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-2	0	2	0	0	-1,534	114	1283	137	0	-478	205	214	59	0	-2014	319.00	1,499.00	196.00	0.00
		बकाया राशि Amount outstanding	-603.81	0.00	603.81	0.00	0.00	-89.06	34.78	47.86	6.42	0.00	-519.03	141.12	376.43	1.47	-0.01	-1,211.90	175.90	1,028.10	7.89	-0.01
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते डाला गया Write off of restructured accounts during the FY 2019-20	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-1	-3	-10	0	-14	-1428	-116	-779	-588	-2911	-832	-549	-4647	-929	-6957	-2261	-668	-5,436	-1517	-9,882
		बकाया राशि Amount outstanding	-37.53	-52.15	-1,775.19	0.00	-1,864.87	-46.06	-12.17	-117.41	79.09	-96.55	-2,451.80	-331.62	-7,241.10	-197.88	-10,222.40	-2,535.39	-395.94	-9,133.70	-118.79	-12,183.82
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-19.96	-2.02	15.12	0.00	-6.86	-7.63	0.83	1.12	0.00	-5.68	-146.47	-3.33	6.57	0.00	-143.23	-174.06	-4.52	22.81	0.00	-155.77
7	31मार्च, 2020 तक पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2020	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	4	0	8	0	12	34,883	698	2361	1129	3,9071	2276	248	11100	1474	15098	37163	946	13,469	2603	54181
		बकाया राशि Amount outstanding	25.20	0.00	783.22	0.00	808.42	1,333.47	144.62	269.02	330.59	2,077.7	2,198.61	153.39	3,330.30	1,282.58	6,964.88	3,557.28	298.01	4,382.54	1613.17	9,851.00
		उस पर प्रावधान Provision thereon	17.75	0.00	15.12	0.00	32.87	72.77	4.73	2.83	0	80.33	80.61	5.45	23.58	0.00	109.64	171.13	10.18	41.53	0.00	222.84

* कुल बकाया राशि में पूर्ववर्ती विजया बैंक की रु. 708.80 करोड़ तथा पूर्ववर्ती देना बैंक की रु.3561.16 करोड़ की प्रारंभिक शेष राशि शामिल हैं.

*Total amount outstanding includes opening balance of eVijaya amounting to Rs.708.80 crores and eDena Bank amounting to Rs.3561.16 crores.

**कुल प्रावधानों में पूर्ववर्ती विजया बैंक की रु. 14.92 करोड़ तथा पूर्ववर्ती देना बैंक की रु. 20.92 करोड़ की प्रारंभिक शेष राशि शामिल हैं.

**Total Provisions includes opening balance of eVijaya amounting to Rs.14.92 crores and eDena Bank amounting to Rs.20.92 crores.

ए.2.10.6 दिनांक 31.03.2019 (वि.व 2018-19) तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण A.2.10.6 Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2019 (FY 2018-19)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं S.No.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring / आस्ति वर्गीकरण Assets Classification / विवरण Details		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
			मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	अवमानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	संदिग्ध Loss	हानि Total	कुल Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	01 अप्रैल, 2018 तक पुनर्गठित खाते Restructured Accounts as on April 01, 2018	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	11	-	12	3	26	400	28.	1,768	1,523	3,719	3,538	267	15,350	3,025	22,180	3,949	295	17,130	4,551	25,925
		बकाया राशि Amount outstanding	191.40	-	1,780.84	588.49	2,560.73	96.59	25.51	779.50	276.98	1,178.58	5,209.23	3,834.00	12,039.17	950.69	22,033.09	5,497.22	3,859.51	14,599.51	1,816.16	25,772.40
		उस पर प्रावधान Provision thereon	48.97	-	9.36	-	58.33	8.10	0.29	5.21	-	13.60	252.04	7.80	55.86	-	315.70	309.11	8.09	70.43	-	387.63
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन Fresh Restructuring during the year	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-	-	-	-	-	5,781	89	-	-	5,870	395	4	-	-	399	6,176	93	-	-	6,269
		बकाया राशि Amount outstanding	5.76	-	19.19	-	24.95	199.14	3.97	0.69	11.52	215.32	2,094.98	0.67	63.21	13.52	2,172.38	2,299.88	4.64	83.09	25.04	2,412.65
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-	-	-	-	-	8.07	0.20	-	-	8.27	2.41	0.02	0.01	-	2.44	10.48	0.22	0.01	-	10.71
3	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन Upgradation to restructured standard category during the FY 2018-19	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-	-	-	-	-	63	-7	-38	-18	-	298	-26	-237	-35	-	361	-33	-275	-53	-
		बकाया राशि Amount outstanding	-	-	-	-	-	17.61	-3.84	-3.12	-10.65	-	163.68	-1.18	-161.48	-1.02	0.00	181.29	-5.02	-164.60	-11.67	0.00
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ए.2.10.6 दिनांक 31.03.2019 (वि.व 2018-19) तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण A.2.10.6 Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2019 (FY 2018-19)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं S.No.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring / आस्ति वर्गीकरण Assets Classification		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	विवरण Details		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	अवमानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	संदिग्ध Loss	हानि Total	कुल Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
4	पुनर्गठित मानक अग्रिमो जिसने अत्यधिक प्रावधानों को स्थगित कर दिया है और/या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अतिरिक्त जोखिम धारित किया है तथा इस कारण से अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ से इन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिमों में दर्शाना अपेक्षित नहीं है. Restructured standard advances which ceased to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-	-	-	-	-	87	-	-	-	87	601	-	-	-	601	688	-	-	-	688
		बकाया राशि Amount outstanding	538.05	-	-	-	538.05	-18.02	-	-	-	-18.02	-1,866.87	-	-	-	-1,866.87	-1,346.84	-	-	-	-1,346.84
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Down gradation of restructured accounts during the FY 2018-19	ऋणियों कि संख्या No. of borrowers	-2	-	2	-	-	-68	2	57	9	-	-720	3	700	17	-	-790	5	759	26	-
		बकाया राशि Amount outstanding	-190.30	-	190.30	-	-	-11.61	0.12	-80.98	92.47	-0.00	-27.29	-33.19	-195.43	255.91	-0.00	-229.20	-33.07	-86.11	348.38	-0.00
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.73	-	-	-0.73	-	-0.73	-	-	-0.73

ए.2.10.6 दिनांक 31.03.2019 (वि.व 2018-19) तक पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण A.2.10.6 Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2019 (FY 2018-19)

(₹ करोड़ में ₹ in crores)

क्र. सं S.No.	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर कार्यप्रणाली के अधीन Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन कार्यप्रणाली के अधीन Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	आस्ति वर्गीकरण Assets Classification		मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	अवमानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	संदिग्ध Loss	हानि Total	कुल Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
	विवरण Details																					
6	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते डाला गया Write off of restructured accounts during the FY 2018-19	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	-4	-	-6	-3	-13	-230	-20	-577	-388	-1,215	-1,652	-238	-3,369	-1,409	-6,668	-1,886	-258	-3,952	-1,800	-7,896
		बकाया राशि Amount outstanding	-456.84	-	-770.09	-588.49	-1,815.42	-94.20	-21.67	-424.38	-172.50	-712.75	-1,754.82	-3,791.29	-4,048.87	-246.26	-9,841.24	-2,305.86	-3,812.96	-5,243.34	-1,007.25	-12,369.41
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-11.26	-	-9.36	-	-20.62	-1.73	-0.29	-3.91	-	-5.93	-46.31	-7.04	-51.43	-	-104.78	-59.30	-7.33	-64.70	-	-131.33
7	31मार्च, 2019 तक पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2019	ऋणियों की संख्या No. of borrowers	5	-	8	-	13	6,033	92	1,210	1,126	8,461	2,460	10	12,444	1,598	16,512	8,498	102	13,662	2,724	24,986
		बकाया राशि Amount outstanding	88.07	-	1,220.24	-	1,308.31	189.51	4.09	271.71	197.82	663.13	3,818.91	9.01	7,696.60	972.84	12,497.36	4,096.49	13.10	9,188.55	1,170.66	14,468.80
		उस पर प्रावधान Provision thereon	37.71	-	-	-	37.71	14.44	0.20	1.30	-	15.94	208.14	0.05	4.45	-	212.64	260.29	0.25	5.75	-	266.29

ए.–2.10.7. खरीदी गई/ बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

A-2.10.7. Details of non-performing financial assets purchased/sold

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	1. (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(बी) समग्र बकाया	(b) Aggregate outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2. (ए) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(बी) समग्र बकाया	(b) Aggregate outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil

बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण :

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
1. बेचे गए खातों की संख्या	1. No. of accounts sold	35	07
2. समग्र बकाया	2. Aggregate outstanding	2,722.23	2,217.27
3. समग्र प्राप्त प्रतिफल	3. Aggregate consideration received	910.81	1,709.38

सी. प्रतिभूतिकरण कंपनियों को बेचे गए अनर्जक खाते

C. Non Performing Accounts sold to Securitization Companies

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

Particulars	एनपीए के कारण बैंक द्वारा बिक्री की गई अंतर्निहित आस्तियां Backed by NPA sold by the Bank as underlying		एनपीए के कारण अन्य बैंकों/ वित्तीय/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री की गई अंतर्निहित आस्तियां Backed by NPAs sold by Other banks/ financial / non-banking financial companies underlying		कुल Total	
	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य Book Value of Investment in Security Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ए- 2.10.8. (i) मानक आस्तियों पर प्रावधान

A-2.10.8.(i) Provisions on Standard Assets

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets as per RBI norms	7,403.64	3,153.12

सतत प्रक्रिया के रूप में बैंक ने 15% की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता के सापेक्ष प्रतिभूत उप-मानक अग्रिमों पर 20% का प्रावधान करना जारी रखा है. उपर्युक्त के अलावा बैंक ने उधारकर्ता की निधि-आधारित सुविधा के आस्ति वर्गीकरण के आधार पर 50% ऋण रूपांतरण कारक (सीसीएफ़) को लागू कर एनपीए उधरकर्ताओं की गैर-निधि आधारित सुविधाओं पर प्रावधान करना जारी रखा है. बैंक ने अनर्जक रिटेल अग्रिमों की कुछ श्रेणियों के लिए 100% प्रावधान करना जारी रखा है

As a consistent practice, the Bank has continued to make a provision of 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the regulatory minimum requirement of 15%. In addition to the above, the Bank has also continued to maintain provision on non-fund based facilities of NPA borrowers, by applying 50% credit conversion factor (CCF), based on the asset class of the fund-based facility of the borrower. Bank also continue to make 100% provision on certain class of non-performing retail advances.

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07 जून, 2019 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित निपटान योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण:

(ii) Disclosure relating to Resolution Plans implemented during the year in terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC. 45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	खातों की संख्या जहां इस समय सीमा के दौरान आरपी कार्यान्वित किए गए No of Accounts where RPs Implemented during this time frame	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
पुनर्गठन के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि	Total amount of Loan assets subjected to restructuring	5	472.43
पुनर्गठन के अधीन मानक आस्तियों की राशि	The amount of standard assets subjected to restructuring	2	387.58
पुनर्गठन के अधीन एनपीए आस्तियों की राशि	The amount of NPA assets subjected to restructuring	3	84.85

साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.62/61.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अनुसार बैंक ने अपने किसी भी खाते की निपटान अवधि को नहीं बढ़ाया है

Further in terms of RBI circular No DBR.NO.BP.BC.62/61.04.048/2019-20 dated 17th April 2020 Bank has not extended resolution period in any of its account.

ए-2.10.9 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का सकेन्द्रन

A-2.10.9. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	As on March 31, 2020	As on March 31, 2019
(ए) जमाराशियों का सकेन्द्रन	(a) Concentration of Deposits		
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	Total Deposits of twenty largest depositors	40,534.97	46,374.46
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	4.28%	7.26%

विवरण		Particulars	As on March 31, 2020	As on March 31, 2019
(बी) अग्रिमों का संकेन्द्रन	(b)	Concentration of Advances		
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को दिया गया कुल अग्रिम		Total Advances to twenty largest borrowers	78,860.68	42,477.19
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत		Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	10.68%	8.42%
(सी) एक्सपोजर का संकेन्द्रन	(c)	Concentration of Exposures		
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल एक्सपोजर		Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	1,39,245.56	1,04,259.53
ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत		Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	13.19%	14.12%
(डी) एनपीए का संकेन्द्रन	(d)	Concentration of NPAs		
शीर्ष चार एनपीए खातों के लिए कुल एक्सपोजर		Total Exposure to top four NPA accounts	8,383.37	6,402.35
(ई) प्रावधान कवरेज अनुपात (सकल एनपीए पर पीसीआर)	(e)	Provision Coverage Ratio (PCR on Gross NPA)	81.33%	78.68%

ए-2.10.10 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर
A-2.10.10. Intra Group Exposures

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020			31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019		
		निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total
इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	Total Amount of Intra Group Exposures	318.00	3,468.79	3,786.79	268.00	3,610.11	3,878.21
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	318.00	3,457.38	3,775.38	268.00	3,610.11	3,878.21
ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए बैंक के कुल एक्सपोजर में इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.05	1.26	0.39	0.06	1.98	0.60
इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन का विवरण और उसपर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	-	-	-	-	-	-

ए-2.11 व्यावसायिक अनुपात / A-2.11 Business Ratios

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय[1]	Interest Income as a percentage to Average Working Funds[1]	5.92%	7.26%
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय	Net interest income as a percentage to working funds	2.14%	2.71%
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	Non-interest income as a Percentage to Average Working Funds	0.80%	0.88%
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	Operating Profit as a percentage to Average Working Funds	1.54%	1.96%
आस्तियों पर रिटर्न[2]	Return on Assets[2]	0.06%	0.06%
प्रति कर्मचारी कारोबार[3] (मूल जमाराशि प्लस निवल अग्रिम) (रु. करोड़ में)	Business[3] (Core Deposits plus Net Advances) per employee (Rs. in Crores)	18.77	18.88
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. करोड़ में)	Net Profit per employee (₹ in Crores)	0.01	0.08
सकल अग्रिमों के प्रति सकल अनर्जक अग्रिम	Gross non-performing advances to gross advances	9.40%	9.61%
निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक अग्रिम	Net Non Performing advances to net advances	3.13%	3.33%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ/ अस्थायी प्रावधान सहित)	Provision coverage ratio(Including TWO/Floating provision)	81.33%	78.68%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ के अलावा)	Provision coverage ratio (Excluding TWO)	68.90%	67.64%

व्यापार अनुपात/ सूचना से संबन्धित कुछ मदों की परिभाषाएं:

1. वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम कोई हो, 1949 की धारा 27 के तहत फॉर्म में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया गया है कि कार्यशील निधियों की कुल आस्तियों (संचित हानि, यदि कोई हो को छोड़कर) के औसत के रूप में गणना की गई है.
2. आस्तियों पर रिटर्न औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानि को छोड़कर कुल आस्तियां, यदि कोई हो) के संदर्भ में होगा.
3. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि प्लस अग्रिम) की गणना के उद्देश्य से अंतर बैंक जमाराशियों को शामिल नहीं किया गया है.

Definitions of certain items in Business ratios / information:

1. Working funds reckoned as average of Total Assets (Excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form Xunder section 27 of The Banking Regulations Act, 1949,during the 12 months of the Financial Year.
2. Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).
3. For the purpose of computation of Business per Employee (Deposit plus Advances) inter Bank Deposits are excluded.

ए-2.12 आस्तियों और देयताओं का प्रबंधन

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरुप

A-2.12 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

31.03.2020 को		एक दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन - 2 माह	2 माह से अधिक- 3 माह	3 माह से अधिक - 6 माह तक	6 माह से अधिक - 12 माह तक	1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
As on 31.03.2020		1 day	2-7 Days	8-14 Days	15-30 Days	31 Days - 2 Months	Over 2 M - 3 Months	Over 3 M - Up To 6M	Over 6 M -Up to 12 M	Over 1 Yr - UpTo 3 Yr	Over 3 Yr– Upto 5 Yr	Over 5 Yr	Total
जमाराशियाँ	Deposits	10,059.16	22,878.78	20,310.77	21,294.24	43,059.77	54,768.07	60,730.30	1,36,416.54	2,59,144.44	56,320.19	2,61,002.16	9,45,984.43
		(7,995.10)	(20,117.41)	(11,969.02)	(17,813.19)	(30,103.28)	(34,978.54)	(64,330.91)	(98,994.46)	(1,83,272.25)	(33,701.91)	(1,35,413.65)	(6,38,689.72)
अग्रिम*	Advances*	16,147.77	2,892.21	2,825.02	5,452.35	10,530.72	35,972.46	37,712.45	44,757.17	3,37,150.69	1,02,954.93	93,724.96	6,90,120.73
		(18,523.36)	(10,111.87)	(7,608.12)	(26,607.86)	(12,593.76)	(16,387.51)	(20,905.57)	(25,938.28)	(1,94,884.47)	(50,899.77)	(84,358.17)	(4,68,818.74)
निवेश	Investments	65,229.36	1,956.78	1,033.41	2,312.41	2,176.43	1,565.14	7,268.31	8,442.63	30,279.14	48,298.35	1,06,052.65	2,74,614.61
		(153.72)	(1,581.82)	(236.22)	(1,405.67)	(983.90)	(3,696.54)	(5,225.05)	(7,432.81)	(32,851.10)	(26,469.65)	(1,02,261.59)	(1,82,298.08)
उधार	Borrowings	614.31	2,471.28	35,190.90	2,331.25	604.64	2,132.25	2,466.96	5,036.53	23,251.92	14,462.68	4,506.29	93,069.01
		(1,573.24)	(14,428.61)	(15,700.00)	(0.00)	(2,472.51)	(538.04)	(10,488.65)	(8,376.75)	(7,361.20)	(6,262.31)	(0.00)	(67,201.30)
विदेशी मुद्रा आस्तियां	Foreign Currency assets	44,554.54	7,758.06	6,142.34	14,021.99	18,688.50	16,021.06	21,074.66	22,329.53	32,407.06	19,744.58	14,249.15	2,16,991.47
		(43,276.72)	(7,471.07)	(6,041.67)	(12,468.40)	(13,146.82)	(14,596.61)	(19,231.42)	(13,874.88)	(22,665.46)	(20,210.13)	(9,438.90)	(1,82,422.07)
विदेशी मुद्रा	Foreign Currency liabilities	9,016.32	13,390.30	5,485.21	11,716.37	16,411.26	14,525.78	21,510.73	35,263.61	20,504.04	15,482.19	13,775.49	1,77,081.28
		(9,189.86)	(24,612.43)	(3,696.62)	(10,485.28)	(24,889.29)	(13,865.04)	(32,449.24)	(34,881.80)	(29,425.19)	(9,827.41)	(1,287.37)	(1,94,609.53)

– कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं.
Figures in bracket denote previous year numbers

– आस्तियों एवं देयताओं का वितरण बैंक के ''समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति 2019'' के अनुसार किया गया है.
The distribution of Assets and Liabilities has been done as per the "Group Asset Liability Management Policy 2019" of the Bank.

* निवल अग्रिमों की गणना करते समय प्रावधानों एवं अन्य कटौतियों का विभाजन सकल मानक अग्रिमों के अनुपात में किया गया है.

* The Distribution of provisions and other deductions, while arriving at the net advances, has been done in proportion to the gross Standard Advances.

ए-2.13 एक्सपोजर
A-2.13 Exposure

ए-2.13.1 रीयल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर
A-2.13.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

श्रेणी	Category	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
ए) प्रत्यक्ष एक्सपोजर	a) Direct exposure		
(i) आवासीय बंधक –	(i) Residential Mortgages –		
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण प्रत्याभूत कर्ज,	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	85,720.60	49,702.22
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण	Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	38,911.97	21,032.86

श्रेणी	Category	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	(ii) Commercial Real Estate	15,995.18	12,974.13
वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रत्याभूत कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवारीय आवासीय भवन, बहु किराएदार, वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि). एक्सपोज़र में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल होंगी.	Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;		
(iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS)and other securitized exposures	154.25	0.00
ए. आवासीय	a. Residential	1.36	0.00
बी. वाणिज्यिक रियल एस्टेट	b. Commercial Real Estate	152.90	201.57
बी) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	b) Indirect Exposure		
निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	Fund based and non-fund based exposures		
(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	(i) National Housing Bank (NHB)	31,366.56	3,000.00
(ii) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	(ii) Housing Finance Companies (HFCs)	5,324.45	28,766.31
रियल एस्टेट क्षेत्र मे कुल एक्सपोजर	**Total Exposure to Real Estate Sector**	**1,38,561.04**	**94,644.23**

ए-2.13.2 पूंजी बाजार एक्सपोजर / A-2.13.2 Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंडों की यूनिट में प्रत्यक्ष निवेश जिसका कार्पस कॉर्पोरेट कर्ज में अलग से निवेश नहीं किया गया हो, में प्रत्यक्ष निवेश	(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	3,171.56	1,964.55
(ii) शेयरों, बॉण्डों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयरों (आइपीओ/ईएसओपीए सहित), परिवर्तनशील बॉन्डों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बाध आधार पर दिए गए अग्रिम	(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	243.79	4.08
(iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	74.16	2.64

(iv)	किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो कि शेयरों, परिवर्तनशील बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिट की संपार्श्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात् जहां कि शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी आधारित म्युचुअल फंडों के अलावा ली गई प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है.	(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	239.61	1166.81
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां	(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	0.90	1.53
(vi)	कॉर्पोरेट को शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी को प्रवर्तकों के अंशदान के लिए निर्बाध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम	(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii)	संभावित इक्विटी प्रवाह/ निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण.	(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.23
(viii)	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं.	(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	(ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.05	0.22
(x)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों) का समग्र एक्सपोज़र	(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) ;	1,075.29	603.63
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र		**Total Exposure to Capital Market**		**4,805.35**	**3,743.69**

पूंजी बाज़ार में रु. 4805.35 करोड़ का एक्सपोज़र रु. 14936.59 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31 मार्च 2019 को बैंक की निवल मालियत रु. 37341.47 करोड़ का 40%) है.

पूंजी बाज़ार में रु. 3171.56 करोड़ का एक्सपोजर रु. 7468.29 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 3 मार्च 2019 को बैंक की निवल मालियत रु. 37341.47 करोड़ का 20%) है

The exposure to Capital Market of Rs 4805.35 Crores is within the limit of Rs. 14936.59 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of Rs. 37341.47 Crores as on March 31, 2019).

The direct exposure to Capital Market of Rs. 3171.56 Crores is within the limit of Rs. 7468.29 Crores (i.e. 20% of the Bank's net worth of Rs. 37341.47 Crores as on March 31, 2019)

ए-2.13.3 जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

दिनांक 31.03.2020 को कुल निवल निधियन एक्सपोजर रु. 1,48,880.14 करोड़ है. दिनांक 31.12.2019 को बैंक की कुल आस्तियां रु. 10,93,563.33 करोड़ थीं जिसका 1% रु. 10,935.63 करोड़ है. यूएसए, यूके और यूएई जैसे तीन देशों का कुल निवल निधियन एक्सपोजर क्रमशः रु. 39,707.05 करोड़, रु. 16,485.10 करोड़ और रु. 37,989.50 करोड़ है जो कि दिनांक 31.12.2019 को बैंक की कुल आस्तियों के 1% से अधिक है. यदि दिनांक 31.03.2020 यूएसए, यूके और यूएई में बैंक का कुल निवल निधियन एक्सपोजर को कुल आस्तियों के 1% से अधिक होता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यूएसए के लिए रु. 32.97 करोड़ और यूके के लिए रु. 24.61 करोड़ तथा यूएई के लिए

A-2.13.3 Risk Category wise Country Exposure

Total Net Funded Exposure as on 31.03.2020 is Rs.1,48,880.14 Crores. Total assets of the bank as on 31.12.2019 were Rs.10,93,563.33 Crores, 1% of which comes to Rs.10,935.63 Crore. Total net funded exposure of three countries namely USA, UK and UAE are amounting to Rs.39,707.05 Crore, Rs.16,485.10 Crore & Rs.37,989.50 Crore respectively, is more than 1% of the total assets of the Bank as on 31.12.2019. In case, total net funded exposure of the bank on USA, UK and UAE happens to be more than 1% of total assets as on 31.03.2020, provision of Rs. 32.97 Crore for USA and Rs. 24.61 crores for UK and for UAE Rs.55.96 crores has been made in terms of RBI guidelines. As per Export Credit Guarantee

रु. 55.96 करोड़ का प्रावधान किया गया है. निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के वर्गीकरण के अनुसार यूएसए और यूके "नगण्य जोखिम श्रेणी" अर्थात् 'ए 1' तथा यूएई "कम जोखिम श्रेणी" अर्थात् 'ए 2' हैं.

Corporation of India (ECGC) classification, USA and UK is in the "Insignificant Risk Category" i.e. 'A1' and UAE is in the "Low Risk Category" i.e. 'A2'.

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

श्रेणी	Category	31 मार्च 2020, को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31st March 2020	31 मार्च 2020 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2020	31 मार्च 2019 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31st March 2019	31 मार्च 2019 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2019
नगण्य	Insignificant	81,780.08	57.58	66,846.59	47.92
कम	Low	59,000.55	55.96	34,492.03	25.01
मध्य	Moderate	3,383.21	0.00	4,360.05	0.00
उच्च	High	4,707.94	0.00	3,719.07	0.00
अधिक उच्च	Very High	3.76	0.00	19.49	0.00
सीमित	Restricted	4.58	0.00	1.66	0.00
ऑफ क्रेडिट	Off-credit	0.02	0.00	0.05	0.00
गैर-मूल्यांकित	Not Rated	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**Total**	**14,88,880.14**	**113.54**	**1,09,438.94**	**72.93**

ए-2.13.4 बैंक द्वारा पार की गयी एकल ऋणी सीमा (एसबीएल)/ समूह ऋणी सीमा (जीबीएल)

A-2.13.4 Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of Borrower	एकल कर्जदार एक्सपोजर सीमा Single Borrower Exposure limit	कुल मंजूर सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on March 31,
2019-20	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of Borrower	एकल कर्जदार एक्सपोजर सीमा Single Borrower Exposure limit	कुल मंजूर सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on March 31,
2019-20	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-

ए-2.13.5 गैर-जमानती अग्रिम राशि

A-2.13.5 Amount of Unsecured advances

(भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.संख्या 23/21.04.018/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के संदर्भ में)

(In terms of per RBI Circular No. DBR.BP.BC No.23/21.04.018/2015-16 dated 01st July 2015)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S. No.	विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को राशि Amount as on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को राशि Amount as on March 31, 2019
	अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकार पर प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि के रुप में रखी गई संपाश्विक प्रतिभूति इत्यादि से समर्थित अप्रत्याभूत ऋण.	Unsecured Loan backed by intangible assets, such as charge over the rights, licenses, authority etc. taken as collateral security.	669.23	3,392.95

(i)	अमूर्त आस्तियों का अनुमानित मूल्य जिसके लिए गैर-जमानती अग्रिम दिए जाने चाहिए.	Estimated Value of Intangible Assets for which unsecured advances should be given.	1,011.46	2,427.11
(ii)	उक्त (i) को छोड़कर गैर-जमानती ऋण	Unsecured Loans other than (i)	84,056.48	59,767.30

ए-2.14 विविध
A-2.14 Miscellaneous

ए-2.14.1 भारतीय रिजर्व बैंक/ विदेशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण.
A-2.14.1 Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिजर्व बैंक दवारा लगाया गया दंड	Penalties Imposed by RBI	126	4.92	125	5.25*
विदेशी क्षेत्रों /अनुषंगियों पर संबंधित विनियामकों दवारा लगाया गया दंड	Penalties Imposed on Overseas territories/subsidiaries by their respective regulators	2	0.18	1	0.001

*स्विफ्ट संबंधी परिचालनगत नियंत्रणों के क्रियान्वयन में विलंब के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रु. 4 करोड़ का लगाया गया दंड शामिल है.

*includes Rs. 4 crore penalty imposed by RBI on account of delay in implementation of SWIFT related operational controls.

ए-2.14.2 प्रायोजित तुलनपत्रेतर (ऑफ-बैलेंस शीट) एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करना अपेक्षित है).
A-2.14.2 Off-balance sheet SPVs sponsored (Which are required to be consolidated as per accounting norms)

विवरण	Particulars	प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
		घरेलू / Domestic	विदेशी / Overseas
31 मार्च, 2020 को	As on March 31, 2020	शून्य Nil	शून्य Nil
31 मार्च, 2019 को	As on March 31, 2019	शून्य Nil	शून्य Nil

ए-2.14.3 प्रतिभूतिकरण
A-2.14.3 Securitization

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S. No.	विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
1.	प्रतिभूतिकरण संव्यवहार के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	No. of SPVs sponsored by the bank for Securitization transaction	शून्य Nil	शून्य Nil
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूतिकरण आस्तियों की कुल राशि	Total amount of Securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank		
3.	तुलनपत्र की तिथि को न्यूनतम धारण आवश्यकता (एमआरआर) के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि	Total amount of exposures retained by the bank to comply with minimum retention requirement (MRR) as on the date of Balance Sheet		

क्र. सं. S. No.	विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	a) Off-balance sheet exposures First Loss Others	शून्य Nil	शून्य Nil
	बी) तुलनपत्र का एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	b) On balance sheet exposures First Loss Others		
4.	एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण अंतरण से एक्सपोजर की राशि	Amount of Exposures to securitization transactions other than MRR		
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र	a) Off-balance sheet exposures	शून्य Nil	शून्य Nil
	i) अपने प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि हानि/ अन्य	i) Exposures to own securitizations First Loss Loss/Others		
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि हानि/ अन्य	ii) Exposures to third party securitizations First Loss Loss/Others		
	बी) तुलन-पत्र का एक्सपोज़र i) अपने प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि हानि/ अन्य	b) On-balance sheet exposures i) Exposures to own securitizations First Loss Loss/Others	शून्य Nil	शून्य Nil
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण से एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	ii) Exposures to third party securitizations First Loss Others		

ए-2.15 दबावग्रस्त आस्तियों संबंधी प्रकटीकरण / A-2.15 Disclosure on Stressed Assets

ए-2.15.1 मौजूदा ऋणों के लचीले गठन का प्रकटीकरण / A-2.15.1 Disclosure of flexible structuring of Existing loans

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणकर्ताओं की संख्या No.of borrowers taken up for flexibly structuring	लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीले गठन हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोजर वेटेड औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीले गठन लागू करने से पहले Before applying flexible structuring	लचीले गठन लागू करने के बाद After applying flexible structuring
वित्तीय वर्ष FY:2019-20	-	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष FY:2018-19	-	-	-	-	-

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12.02.2018 द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया है.

The scheme is withdrawn as per RBI circular DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

ए-2.15.2 यथा 31.03.2020 को कार्यनीतिगत ऋण पुनर्गठन योजना पर प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टिल अवधि में हैं)

A-2.15.2 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2020

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऐसे खातों की संख्या, जहां एसडीआर सक्रिय किया गया है No.of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amountoutstanding ason the reporting date		जहां ऋण का इक्विटी में रूपान्तरण इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना लंबित है उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending		जहां ऋण का इक्विटी में रूपान्तरण हो गया है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
		मानक के रूप के वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
वित्तीय वर्ष FY:2019-20	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
वित्तीय वर्ष FY:2018-19	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12.02.2018 द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया है.
The scheme is withdrawn as per RBI circular DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

ए-2.15.3 एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं)

A-2.15.3 Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऐसे खातों की संख्या, जहां एसडीआर सक्रिय किया गया है No.of accounts where banks have decided to Effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date	जहां ऋण का इक्विटी में रूपान्तरण/ इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना लंबित है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		जहां ऋण का इक्विटी में रूपान्तरण / इक्विटी शेयरों के गिरवी को सक्रिय करना रह गया है ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		जहां नए शेयर जारी कर या प्रवर्तक की इक्विटी के विक्रय द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन हो गया है उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
		एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
वित्तीय वर्ष FY:2019-20	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	Nil
वित्तीय वर्ष FY:2018-19	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	Nil

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12.02.2018 द्वारा इस योजना को बंद दिया गया है.

The scheme is withdrawn as per RBI circular DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

ए-2.15.4 अनुपालन के अंतर्गत परियोजना के स्वामित्व का प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो इस समय स्टैंड-स्टील अवधि के अंतर्गत है)

A-2.15.4 Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऐसे परियोजना ऋण खातों की संख्या, जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन लागू करने का निर्णय लिया है. No.of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख पर बकाया राशि Amount out standing as on the reporting date		
		मानक के रूप के वर्गीकृत Classified as standard	मानक पुनर्गठित के रूप के वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
वित्तीय वर्ष FY:2019-20	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
वित्तीय वर्ष FY:2018-19	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12.02.2018 द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया है.

The scheme is withdrawn as per RBI circular DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

ए-2.15.5 दिनांक को दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए की योजना पर प्रकटीकरण (एस4ए)

A-2.15.5 Disclosure on the scheme for sustainable structuring of Stressed Assets (S4A)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	जहां एस 4ए लागू किया गया है, ऐसे खातों की संख्या No. of A/cs where S4A has been applied	31.03.2020				जहां एस 4ए लागू किया गया है, ऐसे खातों की संख्या No. of A/cs where S4A has been applied	31.03.2019			
			बकाया समग्र राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		रखा गया प्रावधान Provision held		बकाया समग्र राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		रखा गया प्रावधान Provision held
				भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B				भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत	Classified as Standard	6	1,481.99	916.57	565.42	156.86	8	1,223.90	698.03	525.87	116.00
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	Classified as NPA	4	903.00	852.09	50.91	-	9	1,177.61	937.70	239.91	-
कुल	Total	10	2,384.99	1,768.66	616.33	156.86	17	2,401.51	1,635.73	765.78	116.00

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12-2-2018 के परिपत्र डीबीआर.नं. बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 के अनुसार इस योजना को बंद कर दिया गया है.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पत्र आरबीआई/2017-18/131:डीबीआर सं.बीपी.बीसी.101/21.04.048/ 2017-18 दिनांक 12 फरवरी 2018 के माध्यम से दवाबग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए संशोधित फ्रेमवर्क जारी किया है तथा दवाबग्रस्त आस्तियों के निपटान हेतु मौजूदा फ्रेमवर्क जैसे कि तत्काल प्रभाव से दवाबग्रस्त आस्तियों की नवीनीकृत करना, कार्पोरेट ऋण नवीनीकरण योजना, मौजूदा दीर्घावधि परियोजना

The scheme is withdrawn as per RBI circular DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

RBI vide letter RBI/2017-18/131: DBR. No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated February 12, 2018 issued a revised framework on Resolution of Stressed Assets and withdrew the existing guidelines/instructions on resolution of stress assets such as framework for revitalizing Distressed Assets, Corporate Debt Restructuring Scheme, Flexible Structuring of Existing Long Term Project Loans, Strategic Debt

ऋण का फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग, नीतिगत ऋण पुनर्गठन योजना (एसडीआर), एसडीआर के इतर स्वामित्व में परिवर्तन और दवाबग्रस्त आस्तियों का दीर्घकालिक स्ट्रक्चरिंग (एस4ए) आदि मौजूदा दिशानिर्देशों/ निर्देशों को वापस ले लिया है. तदनुसार, संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) जो दवाबग्रस्त खातों के निपटान के लिए एक संस्थागत प्रणाली के रुप में कार्य करता था, को समाप्त कर दिया गया. संशोधित फ्रेमवर्क के अंतर्गत उन खातों के लिए जिनमें स्थिर (स्टैंड-स्टिल) लाभ लेने के लिए इन योजनाओं में से किसी को आरंभ किया गया था लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया था और तदनुसार इन खातों को आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण पर मौजूदा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 02.04.2019 के निर्णय के माध्यम से 12 फरवरी के परिपत्र को 'पूर्णतया अधिकाराती करार दिया है. इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई संशोधित दिशानिर्देश/ संशोधन जारी नही किया गया है.

Restructuring Scheme (SDR), Change in Ownership outside SDR, and Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), etc. with immediate effect. Accordingly, the Joint Lenders Forum (JLF) as an institutional mechanism for resolution of stressed accounts also stands discontinued. Under the revised framework, the stand-still benefits for accounts where any of these schemes had been invoked but not yet implemented were revoked and accordingly these accounts have been classified as per the extant RBI prudential norms on Income Recognition and Asset Classification.Further Supreme Court vide its judgement dated 02.04.2019 has held the February 12th Circular "Ültra vires as a whole". RBI has subsequently not issued any revised instructions /modifications in the matter till date.

ए-2.15.6 पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान इक्विटी में ऋण के रूपांतरण के कारण शेयरों का अधिग्रहण.

A-2.15.6 Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process.

दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/ 2018-19/203 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों के अधिग्रहण का विवरण निम्नानुसार है:

As per RBI Circular on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets vide letter RBI/2018-19/203 DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019, Details of Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process is as under:

विवरण	Particulars	शेयरों की संख्या No of Shares	प्रति शेयर अंकित मूल्य Face value per Share	अंकित मूल्य (करोड़ में) Face Value (In Crs.)	राशि (करोड़ में) Amt (In Crs.)
जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लि	GMR Chattisgarh Energy Ltd	20,84,445	100.00	20.84	20.84
जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड *	Jai Prakash Power Ventures Ltd*	8.00	1,00,000.00	0.08	0.08
जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड *	Jai Prakash Power Ventures Ltd*	1,403.00	10,00,000.00	140.30	140.30
कुल	Total			161.22	161.22

* Fully provided

ए -3 प्रावधानाओं एवं आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण

A-3 Breakup of Provisions and Contingencies

ए-3. लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण इस प्रकार है

A-3.1 Break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान (निवल प्रलेखित तथा बट्टे खाते डाले गए सहित)	Provision for depreciation on investment (net of written back and including write off)	986.74	158.62
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान (निवल प्रलेखित)	Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back)	16,517.06	12,313.42
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	3,085.48	(35.49)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
कर हेतु प्रावधान आस्थगित करों और संपदा कर सहित (प्रावधानों के प्रत्यावर्तन का निवल)	Provision for taxes including deferred taxes, and Wealth tax (net of reversal of provisions)	(2,348.29)	264.63
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Other Provision and Contingencies		
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के परित्याग हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	(112.16)	(121.02)
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	40.61	3.12
अन्य (इसमें धोखाधड़ियों, बैंक के विरुद्द दावों, संवेदनशील खातों आदि के प्रावधान शामिल हैं).	Others (includes provision for fraud, claim against bank, sensitive accounts etc.)	975.08	470.02
कुल	Total	19,145.23	13,053.30

ए-3.2 अस्थायी प्रावधान – व्यापक प्रकटीकरण (मानक अग्रिमों के लिए जेनरिक प्रावधान) – व्यापक प्रकटीकरण

A-3.2 Floating Provisions (Generic Provision for standard advances) – Comprehensive Disclosures

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

	विवरण		Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
ए.	अस्थायी प्रावधान खाते में आरंभिक शेष	a.	Opening balance in the floating provisions account	425.35	425.35
बी.	समामेलन से शामिल किया गया	b.	Addition on Amalgamation	71.35	0.00
c.	सी. लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	c.	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
डी.	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	d.	Closing balance in the floating provisions account	496.7	425.35

आरबीआई ने बैंक के निदेशक मंडल की अनुमोदित नीति के अनुरूप अस्थायी प्रावधान/काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफ़र' के उपयोग पर परिपत्र क्र. डीबीआर. सं. बीपी.बीसी. 79/21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च, 2015 के माध्यम से अनर्जक आस्तियों (एनपीए) हेतु विशिष्ट प्रावधान करने के लिए बैंकों द्वारा 31 दिसंबर, 2014 को धारित अस्थायी प्रावधानों सीसीपीबी में से 50% तक के उपयोग की अनुमति दी है. वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए हेतु निर्दिष्ट प्रावधान करने के लिए ऐसी कोई राशि प्रयोग नहीं की है.

RBI vide Circular No. DBR.No.BP.BC.79/21.04.048/2014-15 dated March 30, 2015 on 'Utilization of Floating Provisions/ Counter Cyclical Provisioning Buffer' has allowed the banks, to utilize up to 50 per cent of Floating Provisions CCPB held by them as on December 31, 2014, for making specific provisions for Non-Performing Assets (NPAs) as per the policy approved by the Bank's Board of Directors. During the year, Bank has not utilized such amount for making specific provision for NPAs.

ए-3.3. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर प्रावधान

बैंक ने मुद्रा आधारित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया स्थापित की है. ऋण मूल्यांकन ज्ञापन को आरंभ में तैयार किया जाता है और विनिमय जोखिम पर चर्चा करने कि ग्राहक, व्यापार संबंधी, विदेशी मुद्रा उधार और बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित सभी स्रोतों से कितना एक्स्पोज है, के लिए ऋण सुविधा की समीक्षा की आवश्यकता है. यह विनिमय जोखिम को कम करने के लिए ग्राहक को उपलब्ध प्राकृतिक हेज

A-3.3. Provision on Unhedged Foreign Currency Exposure

The Bank has in place a policy and process for managing currency induced credit risk. The credit appraisal memorandum prepared at the time of origination and review of a credit facility is required to discuss the exchange risk that the customer is exposed to from all sources, including trade related, foreign currency borrowings and external commercial borrowings. It

के साथ- साथ ग्राहकों द्वारा अपनायी जाने वाली अन्य हेजिंग की पद्धतियों को कवर कर सकता है. बैंक द्वारा परिभाषित प्रारंभिक सीमा के बाहर विदेशी मुद्रा ऋण देने के लिए ग्राहक को बैंक के साथ उचित जोखिम हेजिंग प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. वैकल्पिक तौर पर, बैंक स्वयं को संतुष्ट करेगा कि ग्राहक के पास उसके सामान्य व्यवसाय के दौरान भी विनिमय जोखिम को कम करने की वित्तीय क्षमता है और / अथवा जोखिम कम करने के लिए अन्य विकल्प हैं. बैंक के पास विनिमय दरों में अधिक अस्थिरता की अवधि के दौरान ग्राहक के सूचना के मासिक समीक्षा की नीति है. जब किसी ग्राहक को ऋण सुविधा प्रदान की जाती है उस ग्राहक की विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के अनहेज्ड भाग पर जानकारी की मासिक समीक्षा की नीति है. ग्राहक को ऋण सुविधाएं देते समय ग्राहक की अनहेज्ड विदेशी मुद्रा स्थिति के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित क्रेडिट जोखिम रेटिंग लिंक्ड सीमा लागू है. विनिमय दर में बृहद स्तर पर दुष्प्रभाव के चलन से प्रभावित ग्राहक के अनहैज्ड विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़र की सीमा सहित अनुपालन का मूल्यांकन ग्राहक की वार्षिक आय में ब्याज और मूल्यह्रास (ईबीआईडी) के पूर्व गिरावट का आकलन करके किया जाता है. जहां इस तरह के सिमुलेशन में उल्लंघन पाया जाता है, ग्राहक को सलाह दी जाती है कि वह अपने अनहेज्ड एक्स्पोज़र को कम करे.

could cover the natural hedge available to the customer as well as other hedging methods adopted by the customer to mitigate exchange risk. For foreign currency loans granted by the Bank beyond a defined threshold the customer is encouraged to enter into appropriate risk hedging mechanisms with the Bank. Alternatively, the Bank satisfies itself that the customer has the financial capacity to bear the exchange risk in the normal course of its business and / or has other mitigants to reduce the risk. The Bank has a policy of monthly review of information on the unhedged portion of foreign currency exposures of customers during the periods of high volatility in exchange rates. A Board approved credit risk rating linked limit on unhedged foreign currency position of customers is applicable when extending credit facilities to a customer. The compliance with the limit is assessed by estimating the extent of drop in a customer's annual Earnings Before Interest and Depreciation ('EBID') due to a potentially large adverse movement in exchange rate impacting the unhedged foreign currency exposure of the customer. Where a breach is observed in such a simulation, the customer is advised to reduce its unhedged exposure.

प्रावधानों का संचलन निम्नानुसार है.

Movement of the provision is as under.

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
प्रावधन खाते में आरंभिक राशि	a.	Opening balance provisions account	81.80	44.01
पूर्ववर्ती देना बैंक एवं पूर्ववर्ती विजया बैंक के विलय के परिणामस्वरूप शामिल	b.	Addition on account of merger of eDB and eVB	26.42	
लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों का हिस्सा (विनिमय अंतर सहित)	c.	The quantum of provisions made in the accounting year (incl. exchange difference)	47.11	30.75
लेखांकन वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि	d.	Amount Reverse during the accounting year	0.00	0.00
प्रावधान खाते में अंतिम शेष	e.	Closing balance in the provisions account	155.33	81.80

दिनांक 31 मार्च, 2020 तक उधारकर्ता के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर के सापेक्ष में बैंक का अग्रिम एक्सपोजर 80 बीपीएस प्रावधान रु.1,198.88 करोड़ था. रु.139.15 करोड़ की अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के सापेक्ष में इस एक्स्पोज़र पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए रु.1,279.53 करोड़ है.

As at March 31, 2020, the amount of bank's credit exposure against Unhedged Foreign Currency Exposure of borrowers attracting 80 bps provisions was Rs.1,198.88 Crores. The additional RWA on this exposure is Rs. 1,279.53 crores against this additional minimum capital requirement is Rs.139.15 crores.

ए 3.4 धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधानों पर प्रकटीकरण

A-3.4 Disclosure on provisioning pertaining to fraud accounts

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	Number of frauds reported during the year	350	191

शामिल राशि✲	Amounts Involved*	12,971.14	4,099.66
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान✲	Provisions made during the year*	11,728.61	3,604.92
समाप्त वर्ष पर धारित प्रावधान✲	Provisions held at the end of the year*	25,050.55	9,854.70
वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षित' को नामे कर ऋण चुकाने के लिए किया गया प्रावधान	Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	349.51	0.00

✲ इसमे अग्रिम एवं अन्य शामिल है.

* This includes Advances and others.

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) परिपत्र क्र. डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार बैंक ने चार तिमाहियों की अवधि के लिए देयता प्रदान करने का विकल्प लिया है. तदनुसार, 31 मार्च, 2020 को कैरी फारवर्ड प्रावधान रु. 349.51 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) रहा जिसे बैंक द्वारा अगली तिमाही में परिशोधित किया जाएगा.

As per the Reserve bank of India (RBI) circular no. DBR No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 the Bank has opted to provide the liability for frauds over a period of four quarters.

Accordingly, the carry forward provision as on March 31, 2020 is Rs.349.51 Crores (previous year NIL) which is to be amortized in the subsequent quarters by the bank.

ए -3.5 'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों' के अंतर्गत भूमि/आस्ति से संबंधित प्रावधान पर प्रकटीकरण?

A-3.5 Disclosure on provisioning pertaining to Land/Asset held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों' के अंतर्गत धारित भूमि	Amount of Land held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'	165.45	91.08
वर्ष के प्रारंभ में धारित प्रावधान	Provisions held at the beginning of the year	91.08	0.00
वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते को नामे करते हुए किए गए प्रावधान	Provisions made during the year by debiting profit and loss account	74.37	91.08
आरक्षित एवं अधिशेष के अंतर्गत लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि से नामे करते हुए अपरिशोधित प्रावधान	Unamortised provision debited from 'Balance in profit and loss account' under 'Reserves and Surplus'	0.00	0.00

अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन पहले प्रभार के लिए किया जाएगा फिर ब्याज आय और अंतिम में मूलधन शेष के लिए किया जाएगा.

Appropriation of Recoveries in Non-Performing Assets is first appropriated towards charges, then interest income and last inprincipal outstanding.

ए-3.6 ए) आरक्षित एवं अधिशेष

A-3.6 a) Reserves and Surplus

सांविधिक आरक्षित

बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 17 और आरबीआई के दिनांक 23 सितंबर, 2000 के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ में से रु. 136.54 करोड़ (पिछले वर्ष 108.38 करोड़) का समायोजन सांविधिक आरक्षित के लिए किया है.

Statutory Reserve

The Bank has made an appropriation of Rs.136.54crore (previous year: Rs.108.38 Crore) out of profits for the year ended March 31, 2020 to the Statutory Reserve pursuant to the requirements of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI guidelines dated September 23, 2000

आरक्षित पूंजी

आरक्षित पूंजी में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि, भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत निर्यात विकास परियोजनाओं/ लघु/ मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए सदस्यता राशि शामिल है

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, बैंक ने एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री और अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ, निवल कर और सांविधिक आरक्षित, लाभ एवं हानि खाते से आरक्षित पूंजी द्वारा रु. 822.25 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 210.36 करोड़) समायोजित किया है.

निवेश संबंधी उतार –चढ़ाव आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को राजकोषीय वर्ष 2019 की शुरुआत से 3 वर्षों की अवधि के अन्दर निवेश संबंधी उतार –चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) का निर्माण करना है जो उनके एचएफटी और एएफएस निवेश पोर्टफोलियों के 2% के समतुल्य होगा. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक नें लाभ एवं हानि खाते से निवेश संबंधी उतार –चढ़ाव आरक्षित निधि में शून्य समायोजन किया है. (पिछले वर्ष 21.57 करोड़)

निवेश आरक्षित खाता

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निवेश आरक्षित खाते से रु. 41.58 करोड़ की गिरावट हुई (31 मार्च, 2019 रु.88.88 करोड़)

शेयर प्रीमियम

बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान शेयर प्रीमियम से कोई ड्रा डाउन नहीं किया गया (पिछले वर्ष – शून्य)

ए–4 शिकायतों का प्रकटीकरण

I. ग्राहक शिकायते

Capital Reserve

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries and others.

During the year ended March 31, 2020, the Bank appropriated Rs.822.25 Crore (previous year: Rs. 210.36 crore), being the profit from sale of investments under HTM category and profit on sale of immovable properties, net of taxes and transfer to statutory reserve, from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve.

Investment Fluctuation Reserve

In accordance with RBI guidelines, banks are required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) equivalent to 2% of their HFT and AFS investment portfolios, within a period of three years starting fiscal 2019. During the year ended March 31, 2020, the Bank has made Nil appropriation to the Investment Fluctuation Reserve from the Profit and Loss Account. (Previous year:Rs.21.57 crs)

Investment Reserve Account

During the Financial Year 2019-20, there is draw down of Rs. 41.58 crore from the Investment Reserve Account (March 31, 2019: Rs.88.88 Crores).

Share Premium

The Bank has not undertaken any drawdown from share premium during the year ended March 31, 2020. (Previous Year – Nil)

A-4 Disclosure of complaints

I. Customer Complaints

(संख्या में / In Numbers)

	विवरण		Particulars	For the year ended March 31, 2020	For the year ended March 31, 2019
ए.	वर्ष के शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या	a.	No. of complaints pending at the beginning of the year	27,415	13,540
बी.	पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक के कारण शामिल	b.	Addition on account of eVB and eDB	2,233	0.00
सी.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	c.	No. of complaints received during the year	17,71,923	12,14,864
डी.	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या.	d.	No. of complaints redressed during the year	17,68,976	12,00,989
ई.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	e.	No. of complaints pending at the end of the year	32,595	27,415

कुल प्राप्त शिकायतों में से 494966 शिकायतों का समाधान (गत वर्ष 154416) उसी दिन (डी) तथा उसके अगले दिन (डी+) कर दिया गया.

Out of total complaints received, 494966 complaints (Previous year 154416) resolved on the same day (D) and on the next day (D+1).

कुल प्राप्त शिकायतों में से 27791 शिकायतें (गत वर्ष 25855) 30 दिनों से कम समय से लंबित है.

Out of these, 27791 nos. of complaint s (Previous year 25855 nos.) are pending for less than 30 days.

II. बैंक के एटीएम पर बैंक के ग्राहकों से संबंधित एटीएम लेन-देन विवाद

II. ATM transaction disputes relating to the Bank's customers on the Bank's ATMs

(संख्या में / In Numbers)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
वर्ष के प्रारंभ में एटीएम संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	No. of ATMs complaints pending at the beginning of the year	1,791	762
वर्ष के दौरान एटीएम संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या	No. of ATMS complaints received during the year	1,23,291	1,22,625
वर्ष के दौरान एटीएम संबंधी निस्तारित शिकायतों की संख्या	No. of ATMs complaints redressed during the year	1,24,095	1,21,596
वर्ष के अंत में एटीएम संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	No. of ATMs complaints pending at the end of the year	987	1,791
प्रति दस हजार लेन-देन पर शिकायतें	Complaints per ten thousand transactions	13	14

III. अन्य बैंकों के एटीएम पर बैंक के ग्राहकों से संबंधित एटीएम लेन-देन विवाद

III. ATM transaction disputes relating to the Bank's customers on other banks' ATMs

(संख्या में / In Numbers)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
वर्ष के प्रारंभ में एटीएम संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	No. of ATMs complaints pending at the beginning of the year	5,991	4,702
वर्ष के दौरान एटीएम संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या	No. of ATMS complaints received during the year	2,39,375	4,01,978
वर्ष के दौरान एटीएम संबंधी निस्तारित शिकायतों की संख्या	No. of ATMs complaints redressed during the year	2,41,964	4,00,689
वर्ष के अंत में एटीएम संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	No. of ATMs complaints pending at the end of the year	3,402	5,991
प्रति दस हजार लेन-देन पर शिकायतें	Complaints per ten thousand transactions	13	25

V. कुल ग्राहक शिकायतें और एटीएम लेन-देन विवाद [तालिका (II) एवं (III) उपर का कुल योग]

IV. Total customer complaints and ATM transaction disputes [total of tables (II) and (III) above]

(संख्या में / In Numbers)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
वर्ष के प्रारंभ में एटीएम संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	No. of ATMs complaints pending at the beginning of the year	7,782	5,464
वर्ष के दौरान एटीएम संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या	No. of ATMS complaints received during the year	3,62,666	5,24,603
वर्ष के दौरान एटीएम संबंधी निस्तारित शिकायतों की संख्या	No. of ATMs complaints redressed during the year	3,66,059	5,22,285
वर्ष के अंत में एटीएम संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	No. of ATMs complaints pending at the end of the year	4,389	7,782
प्रति दस हजार लेन-देन पर शिकायतें	Complaints per ten thousand transactions	26	39

V बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय

IV. Awards passed by the Banking Ombudsman

(संख्या में / In Numbers)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
वर्ष के शुरु में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	6	2
वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	No. of Awards implemented during the year	3	2
वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	No. of unimplemented Awards at the end of the year	3	0

ए-5. चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति

I. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

बैंक ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी/देशीय नियामकों द्वारा अपने विदेशी अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों के परिचालन को समर्थित करने के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया.

II. 31 मार्च, 2020 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति

बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों तथा संचयी वित्तीय जिम्मेदारियों का विवरण निम्नानुसार है.

ए) अपने जमाकर्ताओं व अन्य ऋणदाताओं को पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली अनुषंगी- बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. के संपूर्ण कर्ज को गारंटीकृत करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड को 2008-

A-5. Status of Letters of Comfort

I. Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year

During the current financial year the bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas/Domestic regulators to support the operations of its overseas subsidiaries/joint ventures.

II. Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31,2020

The LOC issued by the bank in the past and the cumulative financial obligation is as under:

A) LOC issued during 2008-09 to Reserve Bank of New Zealand guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary – Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors. As on 31st March

09 के दौरान चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया. यथा 31 मार्च, 2020 को अनुषंगी की जमा-राशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक के जमा के एवज में ऋण का निवल) रु 324.62 करोड़ हैं तथा बाह्य देयता रु. 5.04 करोड हैं (यथा रु. 329.67 करोड़ की कुल देयता). यथा 31 मार्च 2020 को अनुषंग की निवल मालियत हैं 221.99 है. इस सबंध में बैंक पर निवल आकस्मिक देयता रु. 107.67 करोड़ हैं.

बी) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने संयुक्त उद्यम बैंक – इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) में बैंक के 40% शेयरधारिता की सीमा तक बैंक ऑफ़ नेगारा मलेशिया को आश्वासन पत्र जारी किया है. दिनांक 31 मार्च, 2020 को आईआईबीएमबी की कुल जमा राशि रु. 391.76 करोड़ एवं अन्य देयताएं रु. 5.29 करोड़ (अर्थात कुल रु.397.05 करोड़ की कुल देयताएं) हैं. दिनांक 31 मार्च, 2020 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत रु. 573.07 करोड़ रहा. चूंकि आईआईबीएमबी का वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर, को होता है इसलिए 31 मार्च 2020 के आंकडे अलेखापरीक्षित विवरण से लिए गए है.

2020 the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are Rs. 324.62 Crores and outside liabilities are Rs. 5.04 crore (i.e. total liabilities of Rs. 329.67 Crores). The net worth of the subsidiary as on 31st March 2020 is Rs. 221.99 Crores. The net contingent liability on the Parent Bank is Rs. 107.67 Crores in this regard.

B) LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia upto our Bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank – 'India International Bank (Malaysia) Bhd (IIBMB). As on 31st March 2020 the deposits of IIBMB are Rs. 391.76 crore and other liabilities are Rs. 5.29Crores (i.e.Total liabilities of Rs. 397.05 crore). The net worth of the IIBMB as on 31st March 2020 is Rs. 573.07 crore. As the financial year end of IIBMB is 31st December, figure of 31st March 2020 have been taken from unaudited statements.

ए-6 तीसरी पार्टी के उत्पादों के विषणन से अर्जित आय

A-6 Income earned for marketing third party products

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

आय की प्रकृति	Nature of Income	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling life insurance policies	93.29	59.63
गैर जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling Non-life insurance policies	51.34	42.62
म्यूच्यूअल फंड प्रोजेक्टों की बिक्री हेतु	For selling mutual fund products	19.60	15.47
इक्विटी ब्रोकिंग उत्पाद	For selling on Equity product	0.00	0.36
प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना	Pradhan MantriJeevanBimaYojana	11.57	7.82
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना	Prime Minister SurakashaBimaYojana	2.46	4.46
यूआईडीएआई-आधर	UIDAI-Aadhar	5.83	2.57

ए-7 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

A-7 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	Opening balance of amount transferred to DEAF	615.41	429.31
पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक के विलय पर आरंभिक शेष को जोड़ा गया	Opening balance added due to merger of eVB and eDB	678.09	
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	Add: Amount transferred to DEAF during the year	984.40	186.61
घटायें: डीईएएफ द्वारा दावों के पेटे प्रतिपूर्ति की गयी राशि	Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	19.76	0.51
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष	Closing Balance of amounts transferred to DEAF	2258.14	615.41

ए–8 तरलता कवरेज अनुपात
A-8 Liquidity Coverage Ratio

ए–8.1 संख्यात्मक प्रकटीकरण
A-8.1 Quantitative Disclosure

अनुलग्नक बी / Annexure B

समेकित तरलता कवरेज (एलसीआर) प्रकटीकरण / Consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

	बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बड़ौदा	Name of the Bank : Bank of Baroda	मार्च 2020 को समाप्त क्यू 4 का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2020		दिसंबर 2019 को समाप्त क्यू 3 का दैनिक औसत Daily Averages of Q3 Ending December 2019		सितंबर 2019 को समाप्त क्यू 2 का दैनिक औसत Daily Averages of Q2 Ending September 2019		जून 2019 को समाप्त क्यू 4 का दैनिक औसत Daily Averages of Q1 Ending June 2019		मार्च 2019 को समाप्त क्यू 4 का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2019	
			कुल भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Weighted Value
	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां	High Quality Liquid Assets										
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		1,84,740.49		78,955.49		1,78,628.60		83,814.63		28,781.17
	नकद आउट फ्लो	**Cash Outflows**										
2	रिटेल जमा एवं लघु व्यवसाय वाले ग्राहकों की जमाएं जिसमे से:	Retail deposit and deposits from small business customers, of which:	5,96,083.29	55,542.74	5,97,710.61	54,630.25	5,72,206.69	52,245.85 4,974.81	5,63,713.88	51,427.55	3,95,892.46	35,768.30
(i)	स्थिर जमाएं	Stable Deposits	81,311.68	4,065.58	1,02,816.21	5,140.81	99,496.28		98,876.85	4,943.84	76,418.93	3,820.95
(ii)	घटाएं स्थिर जमाएं	Less Stable Deposits	5,14,771.61	51,477.16	4,94,894.40	49,489.44	4,72,710.41	47,271.04	4,64,837.03	46,483.70	3,19,473.53	31,947.35
3	गैर जमानती होलसेल निधियन जिसमे से:	Unsecured wholesale funding, of which:	1,60,020.66	92,023.56	1,57,457.04	92,448.16	1,55,665.54	92,549.64	1,63,123.06	1,00,851.48	1,34,499.67	75,578.98
(i)	परिचालन जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
(ii)	गैर परिचालन जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां)	Non-operational deposits (all counterparties)	1,60,020.66	92,023.56	1,57,457.04	92,448.16	1,55,665.54	92,549.64	1,63,123.06	1,00,851.48	1,34,499.67	75,578.98
(iii)	गैर जमानती कर्ज	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
4	जमानती होलसेल निधियन	Secured wholesale Funding	39,218.75	0.00	43,574.65	0.00	31,844.09	-	34,537.45	-	29,091.61	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिसमे से	Additional requirements, of which	1,03,900.45	19,411.24	68,105.35	25,209.20	72,036.50	25,259.06	73,995.11	25,143.15	50,686.42	23,227.70
(i)	डेरिवेटिव एक्स्पोज़र और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित आउटफ्लो	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	154.94	154.94	292.55	292.55	823.02	823.02	620.60	620.60	337.03	337.03
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित आउटफ्लो	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
(iii)	क्रेडिट और तरलता सुविधाएं	Credit and liquidity facilities	1,03,745.52	19,256.31	67,812.80	24,916.65	71,213.48	24,436.04	73,374.51	24,522.56	50349.40	22890.67
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	Other contractual funding obligations	2,670.25	2,670.25	7,163.33	7,163.33	7,679.95	7,679.95	1,755.50	1,755.50	1,232.75	1,232.75
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	Other contingent funding obligations	78,784.97	2,422.00	70,682.65	2,197.37	71,621.96	2,288.37	67,403.84	2,187.60	52354.24	1570.63
8	कुल नकद आउटफ्लो	TOTAL CASH OUTFLOWS	9,80,678.36	1,72,069.80	9,44,693.63	1,81,648.31	9,11,054.73	1,80,022.88	9,04,528.84	1,81,365.28	6,63,757.16	1,37,378.35

	नकद इन फ़्लो	Cash Inflows										
9	जमानती ऋण (उदाहरण रिवर्स रेपो)	Secured lending (e.g. reverse repos)	9,501.14	27.33	2,122.74	27.89	3,359.70	27.42	3,310.97	38.51	3,662.98	38.46
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोज़र से इनफ़्लो	Inflows from fully performing exposures	41,210.93	33,431.80	39,096.45	31,764.64	42,499.29	34,668.08	48,469.91	36,486.78	34,650.23	28,216.28
11	अन्य नकद इनफ़्लो	Other cash inflows	3,518.47	3,038.70	8,376.66	6,989.51	8,928.70	7,480.51	10,536.59	8,802.55	7,011.55	5,732.76
12	कुल नकद इनफ़्लो	TOTAL CASH INFLOWS	54,230.55	36,497.82	49,595.85	38,782.05	54,787.70	42,176.01	62,317.48	45,327.84	45,324.75	33,987.50
				कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	कुल एचक्यूएलए	TOTAL HQLA		1,84,740.49		1,78,955.49		1,78,628.60		1,83,814.63		1,28,781.17
14	कुल नेट नकद आउटफ़्लो	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		1,35,571.98		1,42,866.27		1,37,846.87		1,36,037.44		1,03,390.85
15	तरलता कवरेज अनुपात (%)	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		136.27%		125.26%		129.58%		135.12%		124.56%

ए- 8.2 गुणात्मक प्रकटीकरण

01 जनवरी, 2015 से बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित कर दिया गया है.

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे ताकि उसे अत्यधिक तरलता संबंधी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों के लिए इसकी चलनिधि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नकदी परिवर्तित किया जा सके. एलसीआर तथा निगरानी संबंधी उपाय प्रारंभ में दि. 01 जनवरी, 2015 से भारतीय बैंकों के लिए समग्रत: बैंक स्तर पर लागू है अर्थात शाखाओं के जरिए विदेशी परिचालन सहित स्टैंड अलोन आधार पर लागू हैं एवं बाद में दि. 01 जनवरी, 2016 से समेकित आधार पर अर्थात घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियों सहित लागू होंगे.

एलसीओआर के दो घटक हैं:

(i) दबावग्रस्त स्थितियों में उच्च-गुणवत्ता तरल अस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य - न्यूमरेटर (अंश-गणक)

(ii) कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह: लगातार 30 कैलेंडर दिनों (दबावग्रस्त अवधि) के लिए विनिर्दिष्ट दबावग्रस्त परिदृश्य में 'कुल अनुमानित नकद बहिर्प्रवाह' में से 'कुल अनुमानित नकद अंतर्प्रवाह को घटाकर 'कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह' परिभाषित होता है- डिनॉमिनेटर (विभाजक)

A-8.2 Qualitative Disclosure:

From 1st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The LCR and monitoring tools are applicable for Indian banks initially w.e.f. 1st January 2015 at whole bank level only i.e. on a stand-alone basis including overseas operations through branches and subsequently at consolidated basis w.e.f. 1st January 2016 i.e. including domestic and overseas subsidiaries.

The LCR has two components:

(i) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions. – The Numerator

(ii) Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period) – The Denominator.

$$\textbf{LCR} = \frac{\textbf{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\textbf{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} >= \textbf{100\%}$$

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, एलसीआर चरणबद्ध रुप में लागू किया जाएगा जो 01 जनवरी 2015 से न्यूनतम 60% से आरंभ होकर 01 जनवरी 2019 तक न्यूनतम 100% तक होगा.

According to RBI, the LCR has been introduced in a phased manner starting with a minimum requirement of 60% from January 1, 2015 and reaching minimum 100% on January 1, 2019.

	1 जनवरी, 2015 January 1 2015	1 जनवरी, 2016 January 1 2016	1 जनवरी, 2017 January 1 2017	1 जनवरी, 2018 January 1 2018	1 जनवरी, 2019 January 1 2019
न्यूनतम एलसीआर Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष मार्च, 2016 के लिए एलसीआर प्रकटीकरण एकल आधार पर किया है. दिनांक 01 जनवरी 2016 से भारतीय बैंकिंग उद्योग प्रणाली पर समेकित आधार पर प्रकटीकरण के लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जनवरी 2017 से शुरु होने वाले वर्ष के लिए बैंक को एलसीआर प्रकटीकरण दैनिक औसत के आधार पर करना है, इसलिए बैंक ने मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए एकल एवं समेकित दोनों आधार पर दैनिक औसत पर एलसीआर की गणना की है. बैंक ने जून 2017 से शुरू होने वाले सभी तिमाहियों के लिए दैनिक औसत आधार पर एलसीआर को एकल और समेकित स्तर पर और मार्च 2017 के बाद के सभी वित्तीय वर्षों के लिए दैनिक औसत आधार पर समेकित स्तर पर प्रकटीकरण किया है.

As per the RBI guidelines dated 31st March 2014 the Bank has made LCR disclosure on solo basis from the financial year ending March 2016. In terms of extant guideline, disclosure on consolidated basis was applicable to the Indian banking system from 1st January 2016. As starting from January 2017, banks has to disclose LCR on daily average basis, hence bank has computed LCR on daily average basis both for Solo and Consolidated Level for the quarter ended March 2017. The Bank further disclosed LCR at solo and consolidated level on daily average basis for all quarters starting June 2017 and at Consolidated level on daily average basis for all the financial years post March 2017.

एचक्यूएलए की संरचना

मार्च 2020, को समाप्त तिमाही के लिए दैनिक औसत के आधार पर अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियाँ एचक्यूएलए का अधिकतम हिस्सा अर्थात 65.81% है उसके बाद तरलता कवरेज अनुपात का लाभ उठाने हेतु सुविधा, जो कि एचक्यूएलए का 12.17% है. स्तर-2 की आस्तियां जोकि स्तर-4 की आस्तियों की तुलना में गुणवत्ता में निम्न है, वह 40% के अधिकतम अनिवार्य स्तर के सामने कुल एचक्यूएलए का 0.58% है.

Composition of HQLA

Based on daily averages for the quarter ended March 2020, Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion of HQLA i.e. 65.81% followed by excess SLR securities which constitute 12.17%. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute nominally 0.58% of total stock of HQLA against maximum mandated level of 40%.

उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	High Quality Liquid Assets (HQLAs)	Average percentage contribution to HQLA at consolidated\ basis
लेवल 1 आस्तियां	Level 1 Assets	
हाथ में नकदी	Cash in hand	3.24%
आधिक्य सीआरआर शेष	Excess CRR balance	6.48%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अलावा सरकारी प्रतिभूतियाँ	Government Securities in excess of minimum SLR requirement	12.17%
एमएसएफ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के तहत सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एमएसएफ के लिए तथा अनुमत एनडीटीएल की 3 प्रतिशत सीमा तक)	Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF(presently to the extent of 3 per cent of NDTL as allowed for MSF)	9.28%
बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% रिस्क-वेट वाले विदेशी संप्रभुओं द्वारा जारी की गयी अथवा प्रत्याभूत बाजार योग्य प्रतिभूतियां (मेमो क.सं. 1 के अंतर्गत देशवार विवरण)	Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach (country-wise details to be provided under memo item no.1)	2.44%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता हेतु सुविधा (वर्तमान में एमएफएस के लिए यथा अनुमत एनडीटीएल की 14.5 प्रतिशत सीमा तक)	Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio(presently to the extent of 14.5 per cent of NDTL as allowed for FALLCR)	65.81%
कुल समायोजित लेवल 4, आस्तियां	Total Adjusted Level 1 Assets	99.42%
कुल लेवल 2ए आस्तियां	Total Adjusted Level 2A Assets	0.50%
कुल लेवल 2बी आस्तियां	Total Adjusted Level 2B Assets	0.08%
एचक्यूएलए के कुल स्टॉक = लेवल 1 + लेवल 2ए+ लेवल 2बी - 15% अधिकतम सीमा के लिए समायोजित - 40% उच्चतम सीमा के लिए समायोजित.	Total Stock of HQLAs = Level 1 + Level 2A + Level 2B – Adjustment for 15% cap – Adjustment for 40% cap	100.00%

एलसीआर के प्रमुख वाहक:

समूह ने 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान 100% की न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता पर रु. 1,355,719.81 मिलियन की औसत आवश्यकता के सापेक्ष रु. 1,847,404.87 मिलियन एचक्यूएलए (मार्जिन के बाद) को बनाए रखा था. एचक्यूएलए मुख्य रूप से न्यूनतम एसएलआर के आधिक्य में सरकारी प्रतिभूतियों, मार्जिनल स्टैण्डिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) के तहत अनुमत सीमा तथा चलनिधि कवरेज अनुपात की सुविधा प्राप्त करने पर आधारित है. इसके अलावा, एचक्यूएलए के महत्वपूर्ण घटकों के अंतर्गत नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास एक्सेस सीआरआर तथा विदेशी सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां शामिल हैं. स्तर-2 के एचक्यूएलए में मुख्यतः एए- और उससे ऊपर के रेटेड कार्पोरट बॉन्ड और वाणिज्यिक प्रपत्र शामिल हैं.

Main drivers of LCR:

The Group, during the three months ended March 31, 2020, had maintained average HQLA (after haircut) of Rs.1,847,404.87 million. As against the average requirement of Rs.1,355,719.81 million at a minimum LCR requirement of 100%. HQLA is primarily driven by government securities in excess of minimum SLR, the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity coverage ratio. Also, cash, excess CRR maintained with RBI and other overseas central banks, securities issued by foreign sovereigns are important factors of HQLA. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.

अंत: अवधि परिवर्तन तथा समयोपरांत परिवर्तन :

100% की विनियामक आवश्यकताओं के सापेक्ष में जनवरी 2020, फरवरी 2020 तथा मार्च 2020 में समेकित आधार पर एलसीआर क्रमशः 146.93%, 128.62% तथा 136.12% था.

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण

महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक एकल काउंटर पार्टी या महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों का जुड़ा हुआ या संलग्न समूह, जिनका कुल हिस्सा बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है. 31 मार्च, 2020 को कोई महत्त्वपूर्ण काउंटर पार्टी जमाराशि नहीं थी.

एक ?महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद? को समान लिख्तों/ उत्पादों के समूह के एकल लिखत/ उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी सकल राशि बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है. निधियन लिखतों/ उत्पादों का उदाहरण-हॉलसेल जमाराशियां, जमाराशियों के प्रमाणपत्र, दीर्घावधि बॉन्ड इत्यादि. 31 मार्च 2020 तक घरेलू परिचालनों के महत्वपूर्ण लिखत/ उत्पाद, होलसेल जमाराशि अर्थात् ग्लोबल देयताओं का 8.73%, रिटेल मीयादी जमाराशियां अर्थात् ग्लोबल देयताओं का 32.68%, मांग जमाराशियां अर्थात् वैश्विक देयताओं का 4.25%, बचत जमाराशियों अर्थात ग्लोबल देयताओं का 22.98% और जमा प्रमाणपत्र अर्थात ग्लोबल देयताओं का 1.19% थे.

घरेलू परिचालनों में बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ता एकल आधार पर हमारी कुल जमाराशियों का 3.81% है.

डेरीवेटीव एक्सपोजर और संभावित संपाश्विक कॉल:

यथा 31 मार्च 2020 को बैंक का डेरिवेटीव एक्सपोजर निम्नानुसार हैं:

Intra-period changes as well as changes over time:

LCR on consolidated basis were 146.93%, 128.62% and 136.12% as at the months ended January 2020, February 2020 and March 2020 respectively as against the regulatory requirement of 100%.

Concentration of funding sources

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities. There were no significant counterparty Deposit as of 31st March 2020.

A "significant instrument/product" is defined as a single instrument/product of group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products - wholesale deposits, certificates of deposits, long term bonds, etc. Significant instrument/product of domestic operations as of 31st March 2020 were Wholesale Deposits i.e. 8.73% of Global Liabilities, Retail Term Deposits i.e 32.68% of Global Liabilities, Demand Deposits i.e 4.25% of Global Liabilities, Savings Deposits i.e 22.98% of Global Liabilities and Certificate of Deposits i.e 1.19% of Global Liabilities.

Top 20 depositors of the bank at Domestic operations constitute 3.81% of our total deposits on Solo basis.

Derivative exposures and potential collateral calls:

The bank's derivative exposure as on 31st March 2020 is as under:

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र. स. S.No.	विवरण	Description	राशि Amount
1	डेरीवेटीव एक्सपोज़र की काल्पनिक राशि	Notional amount of Derivative exposure	2,21,012.23
2	चालू एक्सपोज़र पद्धति के अनुसार एक्सपोज़र	Exposure as per Current Exposure method	7,765.86
3	अगले 30 दिनों के लिए डेरीवेटीव एक्स	Net Derivatives Cash outflow for next 30 days	44.11

एलसीआर में मुद्रा मिसमैच:

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, जहां केवल एक ही मुद्रा के लिए एलसीआर मानक का अनुपालन आवश्यक है, वहीं संभाव्य मुद्रा- मिसमैच पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक मुद्रा की निगरानी आवश्यक है. तदनुसार, बैंक दैनिक आधार पर भारतीय रुपये में एलसीआर सुनिश्चित कर रहा है और उसकी तुलना नियामक आवश्कयताओं के साथ की जाती है, किन्तु अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं (महत्वपूर्ण मुद्रा उसे कहते हैं जहां उस मुद्रा में दर्शायी गई कुल देयताएं, बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक होती है) के संबंध में बैंक "बीएलआर -4- एलसीआर" के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को मासिक आधार पर प्रस्तुत करने हेतु एलसीआर तैयार करता है और इसकी निगरानी करता है. प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर विनियामक सीमा के अनुसार बैंक को एलसीआर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है.

Currency mismatch in the LCR:

As per the RBI guidelines while the LCR standard is required to be met on one single currency, in order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR and the same is compared against the regulatory requirement, but on other significant currencies i.e(A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities) bank is preparing LCR on monthly basis for the submission to RBI under "BLR-4 – LCR" and to monitor the same. Bank is not required to maintain LCR as per regulatory limits on each significant currency.

मार्च 2020 माह समापन पर महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्राओं के लिए एलसीआर निम्नानुसार हैं–

The LCR for the significant foreign currencies as at the month ended March 2020 is as under:

क्र. स. S.No.	मुद्रा	Currency	एलसीआर का स्तर (%) LCR level (%)
1	यूएसडी	USD	212.45
2	जीबीपी	GBP	0.36
3.	ईयूआर	EUR	13.53

चलनिधि प्रबंधन की केंद्रीयकरण की डिग्री का विवरण तथा समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक संवाद:

उद्यमवार आधार पर बैंक के लिए चलनिधि प्रबंधन की जिम्मेवारी निदेशक मंडल की है. निदेशक मंडल अपनी यह जिम्मेवारी निदेशक मंडल की समिति को जिसे 'जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल' कहा जाता है, सौंप देता है.यह समिति विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा चलनिधि पर इसके प्रभाव के बीच सहबद्धता परिवेक्षण के लिए उत्तरदायी है. हमारे बैंक में ए.एल.एम. पॉलिसी ग्रुप है जो समूह के भीतर चल निधि एवं ब्याज दर जोखिम को संचालित करने के लिए बृहद दिशा निर्देश देता है. विदेशों में परिचालित बैंक की इकाइय क्षेत्रीय एएलएम पॉलिसी एवं समूह एएलएम पॉलिसी, दोनों के अनुरुप अपनी परिचालन चल निधि या अल्पावधि चल निधि को लगातार आधार पर या स्वयं ही प्रबंध कर लेती है. बैंक की चलनिधि एवं विदेशी व्यापार के ब्याज जोखिम प्रबंधन की मॉनिटरिंग बैंक के जोखिम प्रबन्धन विभाग के ग्लोबल मिड ऑफिस द्वारा की जाती है.

ए.एल.एम. समूह की पॉलिसी के संबंध में दिशा निर्देश, जब तक कि विशेष रुप से छूट प्राप्त न हो, विदेशी परिचालनों में भी लागू किए जाते है. बैंक की सभी वैधानिक संस्थाएं अर्थात अनुषंगिया, संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी लगातार अपने निजी प्रयासों से अपने व्यवसाय मॉडल तथा चल निधि आवश्यकता के अनुसार अपना प्रबन्ध करती है. वे अपनी निजी ए.एल.एम पॉलिसी रखते है. चूंकि वैधानिक संस्थाएं बैंकिंग व्यवसाय करती हैं. वे उस देश के दिशा–निर्देशों साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों–इनमें से जो ज्यादा कड़े है, उनके अनुसार कार्य करती है.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management for the Bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The Committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has Group ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the Group operate in terms of liquidity and interest rate risk. The bank's entities operating in foreign countries manage their operational liquidity or liquidity in the short-term on their own on an ongoing basis as per both respective territory's ALM policy and Group ALM policy. The monitoring of liquidity and interest rate risk management of the overseas operations of the bank is being done by the Bank's Global Mid-Office (ALM Cell) of Risk Management Department.

The guidelines of the Group ALM policy, unless otherwise specifically exempted, apply to overseas operations as well. All the legal entities of the bank i.e.-subsidiaries, joint ventures and associates manage their operational liquidity on an ongoing basis at their own according to their business models and liquidity requirement. As to the legal entities carrying out banking business, they have their own ALM Policy in line with the host country guidelines as well as RBI guidelines whichever is more stringent.

ए–9 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

A-9 Priority Sector Lending Certificate (PSLC)

The banks has purchased& sold the following PSLCs during the year:-

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्रम सं. Sr. No.	श्रेणी	Category	खरीद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलवी कृषि	PSLC Agriculture	Nil	Nil
2.	पीएसएलवी सामान्य	PSLC General	Nil	Nil
3.	पीएसएलवी छोटे एवं सीमांत किसान	PSLC Small and Marginal Farmers	Nil	Nil
4	एमएसएमई	MSME	Nil	Nil
	कुल	Total	Nil	Nil

ए-10 अग्रिमों के पुनर्गठन-सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र (एक बारगी पुनर्गठन) पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रांक डीबीआर.सं. बीपी.बीसी 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के अनुसरण में प्रकटीकरण उपर्युक्त निर्देशों के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित किए गए एमएसएमई खाते निम्नानुसार हैं-

A-10 Disclosure in term of RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019 on 'Restructuring of Advances – Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), MSME accounts restructured under above instructions during the year ended 31st March, 2020 as under: -

31.03.2020 को पुनर्गठित किए गए खातों की संख्या No. of Accounts Restructured 31.03.2020	31.03.2020 को राशि (रु. करोड़ में) Amount (Rs. in Crore) 31.03.2020	31.03.2019 को रिस्ट्रक्चर किए गए खातों की संख्या No. of Accounts Restructured 31.03.2019	31.03.2019 को राशि (रु. करोड़ में) Amount (Rs. in Crore) 31.03.2019
37,261	1,734.00	5640	190.75

बी. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

बी- 1 एएस-5 अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि, पूर्व अवधि हेतु मद तथा लेखांकन नीति में परिवर्तन (लेखांकन मानक-5)

वर्ष 2019-20 के लिए लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन नहीं

बी-2 - एएस 11- विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन :

विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व का संचलन

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

B-1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies(Accounting Standard -5)

No change in accounting policy for the year 2019-20.

B-2 - AS 11- Changes in foreign exchange rates:

Movement of foreign currency translation reserve

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विशेषताएं	Particulars	2019-20	2018-19
प्रारम्भिक शेष	Opening balance	2,441.04	2,084.97
वर्ष के दौरान जमा	Credited during the year	932.86	356.07
वर्ष के दौरान आहरण	Withdrawn during the year	0.00	0.00
अंतिम शेष	Closing Balance	3,373.90	2,441.04

बी -3 कर्मचारी लाभ (लेखांकन मानक- 45)

बी- 3.1 बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस- 45) को अपनाया है.

बी- 3.2 ग्रेच्युटी

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों जो प्रारंभिक पाँच वर्षों की सेवा के पश्चात बैंक की सेवा से एक्ज़िट हो जाते हैं, को ग्रेच्युटी का भुगतान करता है. तदनुसार, बैंक भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिग के लिए प्रत्येक वर्ष एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है. ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, अनुमानित इकाई ऋण बीमांकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमांकिक मूल्य की गणना की जाती है. निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

B-3 Employee Benefits (Accounting Standard -15)

B-3.1 The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI.

B-3.2 Gratuity

The Bank pays gratuity to employees who Exit from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना तीन विभिन्न योजनाओं (बीओबीएसओआर, 1979/ बीपीएस, ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 और बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रेच्युटी निधि नियम) के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता का निर्धारण जो योजना कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है.

बी-3.3 पेंशन

बी-3.3.1 बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को या उसके बाद परंतु 04.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है, उन्हें पेंशन, विनिर्दिष्ट लाभ का भुगतान करता है. यह योजना कर्मचारियों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अनुरूप उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् मासिक आधार पर पेंशन प्रदान करती है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है. कार्यकाल के समापन के समय, पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों को पेंशन के कम्यूटेशन का भुगतान उक्त विनियमनों के तहत किया जाता है. बैंक पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन एवं निश्चित भत्तों के 10% के बराबर अपना अंशदान करते समय बीमांकिक गणनाओं के आधार पर अतिरिक्त अंशदान भी करता है.

बी-3.3.2 नई पेंशन योजना

पेंशन का अन्य विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं. जिसका शुभारंभ बैंक ने संयुक्त नोट/ समझौते दिनांक 27.04.2010 के अनुसार शुरू किया है. जो दिनांक 01.01.2004 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी तथा समय-समय पर यथा संशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से संचालित योजना के समान है. अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं. दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवा ग्रहण करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में मूल वेतन से तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना के लिए कटौती की जाती है और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जाता है तथा एनएसडीएल को भेजा जाता है जो इन खातों को प्रबंधित करता है. निधियों का प्रबंधन पेंशन निधि प्रबंधक द्वारा किया जाता है.

बी-3.4 भविष्य निधि

बैंक के लिए अपने ऐसे कर्मचारियों, जिन्होने बैंक की सेवा दिनांक 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व ग्रहण की हैं, के सेवानिवृत्ति लाभों के भाग के रुप में भविष्य निधि रखना सांविधिक आवश्यकता है. इस निधि को बैंक द्वारा प्रबंधित न्यास द्वारा शासित किया जाता है. प्रत्येक कर्मचारी जो पीएफ का सदस्य है, अपने मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान करता है और बैंक पीएफ़ चयनकर्ता के मामले में उस राशि के बराबर राशि का अंशदान करता है. इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes (BOBOSR,1979 /BPS, Gratuity Act,1972 and Bank of Baroda Gratuity Fund Rules) and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

B-3.3 Pension

B-3.3.1 Bank pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund. At the time of cessation, those eligible for pension are paid commutation of Pension as provided by the said Regulations. While the Bank contributes its contribution at 10% of eligible employees' Basic and certain allowances, additional contribution is also made based on the Actuarial calculations.

B-3.3.2 New Pension Scheme

In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organizations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010 similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme introduced for the employees of Central Government w.e.f 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. In respect of the employees of the Bank, who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution by the Bank is being made and remitted to the NSDL which maintains the accounts. Funds are managed by the Pension Fund Manager.

B-3.4 Provident Fund

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee who is member of PF contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the PF in case of PF optee. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

बी-3.5 अवकाश नकदीकरण

कर्मचारी अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तारीख पर अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश को अधिकतम 240 दिनों के नकदीकरण का पात्र है.

तथापि, त्यागपत्र के मामले में कर्मचारी उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टियों के 50% तक, अधिकतम 120 दिनों के अधीन, नकदीकरण का पात्र है.

B-3.5 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

बी-3.6 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ योजना में यह प्रावधान है कि ऐसे अधिकारी जो दिनांक 01.07.1979 से पूर्व बैंक की सेवाएं ग्रहण की हैं, वे सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के रुप में 6 माह का वेतन पाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उसने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (पूर्ववर्ती विजया बैंक/ पूर्ववर्ती देना बैंक को छोड़कर) में 25 वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर ली हो और वह बीओबी अधिकारी सेवा विनियमों में दर्शाई गयी शर्तों को पूरा करता हो.

इसी प्रकार अवार्ड स्टाफ सदस्य सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने के लिए पात्र होगा, बशर्ते उन्होने बैंक में 30 वर्षों की सेवाएं पूरी की हो.

तथापि, बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र के मामले में, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होंगे, चाहे सेवा के कितने ही वर्ष पूरे कर लिए गए हों.

B-3.6 Additional Retirement Benefit (ARB)

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer who had joined the Bank prior to 01.07.1979 on his Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for payment of 6 months emoluments as additional retirement benefit, provided he had completed twenty-five years of service exclusively in Bank of Baroda (excluding eVB/eDB) and satisfy the conditions mentioned in BOB officer's service regulations.

In the same manner, award staff member on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the staff member had completed thirty-years of service in Bank of Baroda.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service.

बी-3.7 प्रकटीकरण

I. परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्युटी एवं पेंशन)

ए) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का वर्तमान मूल्य

B-3.7 Disclosures

Defined Benefit Plans (Gratuity and Pension)

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारम्भिक शेष	Opening Defined Benefit Obligation	13,675.83	13,357.19	1,596.49	1,678.33
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन	Add- Acquisition Adjustment	8,425.35	0.00	886.07	0.00
जोड़ें- व्याज लागत	Add- Interest Cost	1,440.76	985.86	157.07	116.43
जोड़ें- पिछली सेवा लागत	Add – Past Service Cost	-	-	-	-
जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत	Add- Current Service Cost	1,598.99	1,094.76	169.69	104.15
जोड़ें- प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	1,951.45	1,107.69	358.84	332.39
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ लाभ (-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	(747.62)	(654.29)	218.91	29.97
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष	Closing Defined Benefit Obligation	22,441.86	13,675.83	2,669.39	1,596.49

बी) योजनागत आस्तियों के समुचित मूल्य में परिवर्तन — b) Change in Fair value of Plan Assets

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का प्रारम्भिक शेष	Opening Fair Value of plan assets	13,462.89	13,101.69	1,187.30	1,185.58
जोड़ें– अधिग्रहण समायोजन	Add- Acquisition Adjustment	7,750.24	0.00	819.78	0.00
जोड़ें– योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	Add- Expected Return on Plan Assets	1,446.74	1,008.83	136.88	91.29
जोड़ें– अंशदान	Add- Contributions	1,131.08	338.40	491.43	201.52
घटाएं– प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	1,951.45	1,107.69	(358.84)	332.39
जोड़ें– बीमांकिक लाभ /(–) हानि	Add- Actuarial gain/(-)loss	6.72	1,21.66	(102.41)	41.30
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	Closing Fair Value of Plan Assets	21,846.22	13,462.89	2,174.14	1,187.30

सी) तुलन–पत्र में मान्य राशि — c) Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

	विवरण		Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
				31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
i)	परिभाषित लाभ देयताओं का अंतिम शेष	i)	Closing Defined Benefit Obligation	22,441.86	13,675.83	2,669.39	1,596.49
ii)	योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	ii)	Closing Fair Value of Plan Assets	21,846.22	13,462.89	2,174.14	1,187.30
iii)	अंतर	iii)	Difference	595.64	212.94	495.25	409.19
iv)	अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	iv)	Unrecognized transitional liability	-	-	-	-
v)	तुलन–पत्र में मान्य देयता	v)	Liability Recognized in the BS	595.64	212.94	495.25	409.19

डी) लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि

d) Amount recognized in the Profit& Loss Account

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

		Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
			31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
i)	वर्तमान सेवा लागत	i) Current Service Cost	1,598.99	1,094.76	187.34	104.15
ii)	पूर्व सेवा लागत	ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii)	ब्याज लागत	iii) Interest Cost	1,440.76	985.86	157.07	116.43
iv)	योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न	iv) Expected Return on Plan Assets	1,446.74	1,008.83	136.88	91.29
v)	निवल बीमांकिक हानि/लाभ (–)	v) Net Actuarial Loss/gain(-)	(754.34)	(775.95)	321.32	(11.23)
vi)	वर्ष के दौरान संक्रमणशील देयता का निर्धारण	vi) Transitional liability recognized in the year	-	-	-	-
लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित खर्च		Expenses Recognized in P&L	838.67	295.84	528.85	117.96

ई) निवेश पैटर्न: (% में)

e) Investment Pattern: (In %)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	Central Govt. Securities	2.22	3.11	12.51	20.24
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	State Government Securities	12.84	4.59	20.56	21.79
कॉर्पोरेट (पीएसयू)	Corporate (PSU)	8.76	6.41	10.86	9.74
कॉर्पोरेट (निजी)	Corporate (Private)	4.38	5.43	1.44	-
बीमा	Insurance	70.45	79.10	54.36	48.22
अन्य	Others	1.35	1.36	0.27	-
कुल	Total	100.00	100.00	100.00	100.00

एफ) मूल बीमांकिक धारणा [भारित औसत के रूप में]

f) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

As per the data available with management.

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
रियायती दर	Discount rate	6.82%	7.70%	6.82%	7.70%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	5.50%	6.00%	5.50%	6.00%
ह्रास दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ दर	Expected Rate of Return on plan Assets	6.82%	7.70%	6.82%	7.70%

मॉर्टेलिटी दर : आईएएलएम (2006-2008)

Mortality Rate: IALM (2006-2008)

जी) पेंशन हेतु पाँच वर्ष का प्रकटीकरण

g) Five year's disclosure for Pension

i) योजना में अधिशेष/ कमी

i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

तुलन-पत्र में मान्य राशि	Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2016 को As on March 31, 2016	31 मार्च, 2017 को As on March 31, 2017	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
वर्ष की समाप्ति पर देयता	Liability at the end of the year	11,947.17	12,811.00	13,357.19	13,675.83	22,441.86
वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair value of Plan Assets at the end of the year	9,031.10	12,637.67	13,101.69	13,462.89	21,846.22
अंतर	Difference	-2,916.07	-173.33	-255.50	-212.94	-595.64
अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत	Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्य राशि	Amount Recognized in the Balance Sheet	-2,916.07	-173.33	-255.50	-212.94	-595.64

एच) ग्रेच्युटी के लिए पाँच वर्षों का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष/ कमी

h) Five year's disclosure for Gratuity

i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

तुलन-पत्र में मान्य राशि	Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2016 को As on March 31, 2016	31 मार्च, 2017 को As on March 31, 2017	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020
वर्ष की समाप्ति पर देयता	Liability at the end of the year	1,346.55	1,349.83	1,678.33	1,596.49	2,669.40
वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair value of Plan Assets at the end of the year	1,325.99	1,239.77	1,185.58	1,187.30	2,174.14
अंतर	Difference	-20.56	-110.06	-492.75	-409.19	-495.26
अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत	Unrecognised Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transition Liability	0.00	0.00	291.23	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्य राशि	Amount Recognized in the Balance Sheet	-20.56	-110.06	-201.52	-409.19	-495.26

II. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अनिधिक दायित्व) : संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांक द्वारा बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित तालिका संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और एआरबी की स्थिति निर्धारित करती है:

II. Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave)& Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & ARB as per theactuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:-

ए) देयता के प्रारंभिक और अन्तिम शेष का रिकन्सिलेशन

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
		31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारम्भिक शेष	Opening Defined Benefit Obligation	925.84	878.52	292.79	331.05
अधिग्रहण समायोजन	Acquisition Adjustment	586.63	0.00	0.00	0.00
जोड़ें- ब्याज लागत	Add- Interest Cost	98.21	62.17	18.46	23.42
जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत	Add- Current Service Cost	233.07	48.02	0.00	9.85
जोड़ें- प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	145.00	142.10	44.15	53.78
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ लाभ (-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	11.09	79.23	29.41	-17.75
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष	Closing Defined Benefit Obligation	1,709.83	925.84	296.51	292.79

बी) लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित राशि
b) Amount recognized in the Profit& Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave encashment		एआरबी ARB	
		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
i) चालू सेवा लागत	i) Current Service Cost	233.07	48.02	-	9.85
ii) विगत सेवा लागत	ii) Past Service Cost	-	0	-	0
iii) ब्याज लागत	iii) Interest Cost	98.21	62.17	18.46	23.42
iv) निवल बीमांकिक हानि/ लाभ (-)	iv) Net Actuarial Loss/gain(-)	11.09	79.23	29.41	-17.75
लाभ एवं हानि खाते में मान्य खर्च	Expenses Recognized in P&L	342.36	189.42	47.87	15.52

सी) तुलन-पत्र में मान्य प्रारम्भिक और अंतिम देयता/ (आस्तियों का) रिकन्सिलेशन
c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
		31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
i) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारम्भिक शेष	i) Opening Defined Benefit Obligation	925.84	878.52	292.79	331.05
ii) निवल अधिग्रहण लागत	ii) Net Acquisition Cost	586.63		-	
iii) उपरोक्तानुसार खर्च	iii) Expenses as above	342.36	189.42	47.87	15.52
iv) प्रदत्त लाभ	iv) Benefit paid	145.00	142.10	44.15	53.78
vi) तुलन-पत्र में मान्य कुल देयता	vi) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	1,709.83	925.84	296.51	292.79

डी) मूल बीमांकिक धारणा [भारित औसत के रूप में व्यक्त]

d) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave encashment		एआरबी ARB	
		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2019
रियायती दर	Discount rate	6.82%	7.70%	6.82%	7.70%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	5.50%	6.00%	5.50%	6.00%
ह्रास दर	**Attrition Rate**	**2.00%**	**2.00%**	**2.00 %**	**2.00%**

मॉर्टेलिटी दर: आईएएलएम (2006-2008)

बीमांकिक मूल्यांकन में निहित भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमानों में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है. इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित विगत अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है. उक्त अनुमानों और मान्यताओं पर लेखापरीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है.

बी-4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (लेखांकन मानक - 17)

बी-4.1 सेगमेंट निर्धारण

I. प्राथमिक (व्यवसाय सेगमेंट): बैंक के प्रमुख सेगमेंट निम्नानुसार हैं: -

i. ट्रेजरी

ट्रेजरी सेगमेंट में समग्र निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा संविदा तथा डेरिवेटिव संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल है. ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रुप से ट्रेडिंग परिचालनों से शुल्क और लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल है.

ii. कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग

कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग सेगमेंट में रु 5.00 करोड़ और उससे अधिक के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं.

iii. रिटेल बैंकिंग

रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में रु 5.00 करोड़ से कम के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ता खाते शामिल हैं.

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन

उपर्युक्त (i) से (ii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए सेगमेंटों को इस प्राथमिक सेगमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

Mortality Rate: IALM (2006-2008)

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

B-4 Segment Reporting (Accounting Standard – 17)

B-4.1 Segment Identification

I. Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-

i. Treasury

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of Rs. 5.00 Crores and above.

iii. Retail Banking

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than Rs. 5.00 Crores.

iv. Other Banking Operations

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II) गौण (भौगोलिक सेगमेंट)

i घरेलू परिचालन – भारत में कार्यरत शाखाएं / कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन – भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएं / कार्यालय और भारत में परिचालन करने वाली ऑफसोर बैंकिंग इकाइयां

iii) राजस्व सेगमेंट बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है.

IV. **आय, व्यय, आस्ति एवं देयताओं का आवंटन**

ब्याज आय होलसेल बैंकिंग परिचालनों से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर आबंटित की जाती है. प्राप्त कुल ब्याज में से होलसेल बैंकिंग के ब्याज को घटाकर रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है.

सीधे व्यय नहीं किए गए खर्च को होलसेल बैंकिंग / रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर आबंटन किया जाता है. ट्रेजरी परिचालनों के खर्च ट्रेजरी परिचालनों से उपलब्ध विवरण के अनुरूप हैं.

प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित सेगमेंट की आस्तियों के अनुपात में आबंटित किया गया है.

बैंक की कुछ सामान्य आस्ति एवं देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता है, और उन्हें आबंटित माना गया है.

II) Secondary (Geographical Segment)

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

iii) Segment revenue represents revenue from external customers.

IV. **Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities**

The interest income is allocated on the basis of actual interest received from wholesale banking operations. The total interest received less interest of wholesale banking is taken to retail banking operations.

Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Expenses of treasury operations are as per the details available from treasury operations.

Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the respective segment.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

बी– 4.2 सेगमेंट संबंधी जानकारी

भाग ए: कारोबार सेगमेंट

B-4.2 Segment Information

Part A: Business Segments

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	ट्रेजरी Treasury		कॉर्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग Other Banking Operations		कुल Total	
		वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2018-19 FY: 2018-19	वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2018-19 FY: 2018-19	वित्तीय वर्ष: 2018-19 FY: 2018-19	वित्तीय वर्ष: 2018-19 FY: 2018-19	वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2018-19 FY: 2018-19	वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2018-19 FY: 2018-19
सेगमेंट राजस्व	Segment Revenue	25,565.63	17,001.92	31,107.87	20,697.78	29,560.92	18,161.90	66.56	203.50	86,300.98	56,065.10
सेगमेंट परिणाम	Segment Result	4,327.78	2,491.35	(8,634.01)	(5,576.69)	7,655.77	6,836.28	66.56	146.36	3,416.10	3,897.30
आबंटित खर्च	Unallocated Expense									5,218.21	3,199.15
परिचालनगत लाभ	Operating profit									(1,802.11)	698.15
घटाएं: कर के लिए प्रावधान	Less: Provision for tax									(2,348.29)	264.63
विशिष्ट लाभ/हानि	Extra-Ordinary Profit/Loss									-	-
निवल लाभ	Net Profit									546.18	433.52
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	3,89,692.06	2,23,894.46	5,23,782.08	3,54,966.45	2,31,541.50	1,89,984.09	-	-	11,45,015.64	7,68,845.00
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									12,899.87	12,142.40
कुल आस्तियां	Total Assets									11,57,915.52	7,80,987.40
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	3,65,509.13	2,09,278.56	4,91,277.98	3,31,794.13	2,17,172.84	1,77,581.87	-	-	10,73,959.94	7,18,654.56
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									12,099.35	11,349.74
कुल देयताएं	Total Liabilities									10,86,059.30	7,30,004.30
नियोजित पूंजी	Capital employed	24,182.93	14,615.90	32,504.10	23,172.32	14,368.66	12,402.22	--	-	71,055.70	50,190.44
अनाबंटित	Unallocated									800.51	792.66
कुल पूंजी	Total Capital									71,856.21	50,983.10

भाग बी – भौगोलिक खंड

Part B – Geographic Segments

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
		वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2018-19 FY: 2018-19	वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2018-19 FY: 2018-19	वित्तीय वर्ष: 2019-20 FY: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2018-19 FY: 2018-19
राजस्व	Revenue	79,824.37	49,803.80	6,476.61	6,261.30	86,300.98	56,065.10
आस्तियां	Assets	9,58,069.26	6,69,681.71	1,99,846.24	1,11,305.69	11,57,915.51	7,80,987.40

बी– 5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक –18)

संबंधित पक्षों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध:

I. संबंधित पार्टियों के नाम एवं उनके संबंध

ए) अनुषंगियां

i) घरेलू बैंकिंग अनुषंगी

1. नैनीताल बैंक लिमिटेड

ii) विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां

1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड
2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड
3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी.
4. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
5. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
6. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद और टोबैगो) लिमिटेड
7. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लिमिटेड
8. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड
9. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड

iii) घरेलू गैर–बैंकिंग अनुषंगियां

1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
2. बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (जिसे पहले बॉब काड्र्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
4. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
5. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड
6. बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

iv) विदेशी गैर–बैंकिंग अनुषंगी

1. बॉब (यूके) लिमिटेड

v) विदेशी गैर–बैंकिंग स्टेप–डाउन अनुषंगी

1. बड़ौदा कैपिटल मार्केट (युगांडा) लिमिटेड. (बैंक ऑफ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)

B-5 Related Party Disclosures (Accounting Standard -18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

I. Name of Related Parties & their relationship

a) Subsidiaries

i) Domestic Banking Subsidiary

1. The Nainital Bank Limited

ii) Foreign Banking Subsidiaries

1 Bank of Baroda (Kenya) Limited
2 Bank of Baroda (Uganda) Limited
3 Bank of Baroda (Guyana) Inc.
4 Bank of Baroda (UK) Limited.
5 Bank of Baroda (Tanzania) Limited
6 Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd.
7 Bank of Baroda (Ghana) Ltd.
8 Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
9 Bank of Baroda (Botswana) Limited

iii) Domestic Non- Banking Subsidiaries

1 BOB Capital Markets Limited
2 BOB Financial Solutions Limited (formerly known as BOB Cards Ltd)
3 Baroda Global Shared Services Ltd
4 Baroda Sun Technologies Ltd.
5 Baroda Asset Management India Limited
6 Baroda Trustee India Private Limited

iv) Foreign Non- Banking Subsidiary

1 BOB (UK) Ltd.

v) Foreign Non- Banking Step-down Subsidiary

1 Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)

बी) सहयोगी इकाइयां

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

1. इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड

सी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
3. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

b) Associates

i) Regional Rural Banks

1 Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
2. Baroda Rajasthan KshetriyaGramin Bank
3. Baroda Gujarat Gramin Bank

ii) Others

1 Indo Zambia Bank Limited

c) Joint Ventures

1. India First Life Insurance Company Limited
2. India International Bank (Malaysia) Bhd.
3. India Infradebt Limited

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

d) Key Management Personnel

(राशि ₹ /Amount in ₹)

क्र.सं S.No	नाम	Name	पदनाम	Designation	पारिश्रमिक Remuneration 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
1.	श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (20.01.2020 से प्रभावी)	MD & CEO (w.e.f. 20.01.2020)	Rs.6,96,137/-	-
2.	श्री पी एस जयकुमार	Shri P S Jayakumar	पूर्व- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (12.10.2019 तक)	Ex -MD & CEO (upto 12.10.2019)	Rs.29,70,048/-	Rs.33,45,175/-
3.	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	कार्यपालक निदेशक (सितंबर 2019 तक)	Executive Director (up to Sept 2019)	Rs.74,13,129/-	Rs.29,77,837/-
4.	श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	कार्यपालक निदेशक	Executive Director	Rs.31,64,877/-	Rs.15,15,397/-
5.	श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	कार्यपालक निदेशक	Executive Director	Rs.31,75,563/-	Rs.14,23,096/-
6.	श्री मुरली रामस्वामी	Shri Murali Ramaswami	कार्यपालक निदेशक (01.10.2019 से प्रभावी)	Executive Director (w.e.f. 01.10.2019)	Rs.45,05,016/-	-
7.	श्री मयंक मेहता	Shri Mayank Mehta	कार्यपालक निदेशक (सितंबर 2018 तक)	Executive Director (up to Sept 2018)	-	Rs. 55,24,659/-
8.	श्री अशोक कुमार गर्ग	Shri Ashok Kumar Garg	कार्यपालक निदेशक (जून 2018 तक)	Executive Director (up to June 2018)	-	Rs. 46,38,773/-

*सेवानिवृत्ति लाभ शामिल

*includes retirement benefits

लेखो के टिप्पणियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं.

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैरा 9 के अनुसार 'राज्य-नियंत्रित उद्यम' हैं. साथ ही लेखांकन मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधियों समेत बैंकर-ग्राहक के बीच लेनदेनों के स्वरूप का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

ई) संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहारों का विवरण

E) Details of transactions with Related parties

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र.सं S.No	संव्यवहार के प्रकार	Nature of Transaction	2019-2020	2018-2019
1	प्राप्त ब्याज	Interest Received	19.89	0.00
2.	प्राप्त लाभांश	Dividend Received	10.32	6.18
	अन्य आय	Other Income	0.00	0.01
3.	प्रदत्त कमीशन	Commission paid	0.00	2.09
4.	सेवाओं का प्रतिपादन	Rendering of Services	3.41	0.00
5.	एनसीडी पर ब्याज	Interest on NCDs	19.89	0.00
6.	जमा (कासा)	Deposits (CASA)	0.05	0.05
7.	निवेश	Investment	460.00	330.00

बी-6 प्रभावी पट्टा (लेखांकन मानक -19)

प्रभावी पट्टे पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं:

प्रभावी पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक की इच्छा पर है.

i) निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके प्रभावी पट्टे रद्द नहीं किए जा सकते:

B-6 Operating Lease (Accounting Standard -19)

Premises taken on operating lease are given below:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

i) The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

बाध्यताएं	Obligations	31 मार्च , 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च , 2019 को As on March 31, 2019
एक वर्ष से अधिक नहीं	Not later than one year	117.38*	61.33
एक वर्ष से अधिक व 5 वर्षों से अधिक नहीं	Later than one year and not later than five years	247.99	132.92
5 वर्षों से अधिक	Later than five years	278.65	129.31

* मासिक किरायेदारी / समाप्त पट्टे वाले परिसर शामिल

* includes premises with monthly tenancy/expired lease.

प्रभावी पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि रु. 827.04 करोड़ (31 मार्च, 2019: रु. 516.86 करोड़)

Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is Rs. 827.04 Crores (March 31, 2019: Rs. 516.86 Crores)

बी–7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक –20)

B-7 Earning per Share (Accounting Standard -20)

बैंक लेखांकन मानक 20 – 'प्रति शेयर आय' के अनुरूप प्रति शेयर इक्विटि में बुनियादी और न्यून आय दर्ज करता है. वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके ''मूल आय'' प्रति शेयर की गणना की जाती है.

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during theyear.

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
वर्ष के आरंभ में इक्विटि शेयरों की संख्या	Number of share at the beginning of the year	264,55,16,132	264,55,16,132
वर्ष के दौरान जारी शेयर	Shares Issued during the Year	197,50,50,454**	-
वर्षांत पर शेयरों की संख्या	Number of share at the end of year	462,05,66,586	264,55,16,132
प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर	Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	4,00,73,03,898	264,55,16,132
वर्षांत पर इक्विटि शेयरों की संभावित संख्या	Potential no. of equity shares as at end of year	लागू	42,85,59,286*
डायल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना करने के लिए शेयरों की संख्या	Number of share used in computing the diluted earnings per shares	4,00,73,03,898	3,07,40,75,418
कर के बाद निवल लाभ (रु. करोड़ में)	Net profit after tax (Rs in Crores)	546.18	433.52
मूल अर्जन प्रति शेयर (रु. में)	Basic earnings per share (In Rs.)	1.36	1.64
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (रु. में)	Diluted earning per share (In Rs.)	1.36	1.41
अंकित मूल्य प्रति शेयर (रु. में)	Nominal value per share (In Rs.)	Rs.2/- Face Value	Rs.2/- Face Value

* शेयर आवेदन प्राप्त धन के सापेक्ष भारत सरकार को जारी किए जा सकने वाले शेयरों की अधिकतम संख्या है (अनुसूची 18 के अंतर्गत नोट सं. ए-1 पूंजी का संदर्भ लें). संभावित वर्ष के लिए टियर I पूंजी की गणना के उद्देश्य से प्राप्त आवेदन राशि पर विचार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या डीबीआर.सीओ.बीपी सं. 9771/21.01.002/2018-19 दिनांक 17.05.2019 के आधार पर इन शेयरों को लेखांकन मानक 20 'प्रति शेयर अर्जन' के अनुसार संभावित इक्विटि माना गया है.

** समामेलन की योजना के अनुसार अप्रैल 2019 में पूर्ववर्ती विजया बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को जारी एवं आबंटित 52,42,00,772 पूर्णतः प्रदत्त शेयरों और पूर्ववर्ती देना बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को जारी एवं आबंटित 24,84,51,166 पूर्णतः प्रदत्त शेयर शामिल हैं.

* Represents maximum number of shares that can be issued to the Government of India against Share application money received (Refer note no A-1 Capital under Schedule 18). These shares have been considered as a Potential Equity in terms of Accounting Standard 20 "Earning per Share" based on the letter bearing No DBR. CO.BP No. 9771/21.01.002/2018-19 dated 17.05.2019 from Reserve Bank of India to consider the Application Money received for the purpose of calculation of Tier I Capital for the year.

** includes 52,42,00,772 fully paid up shares issued and allotted to equity shareholders of erstwhile Vijaya Banka and 24,84,51,166 fully paid up shares issued and allotted to equity shareholders of erstwhile Dena Bank on April, 2019, pursuant to scheme of Amalgamation.

बी–8 आय पर कारों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक –22)

वर्ष के दौरान कराधान के लिए प्रावधान

B-8 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard -22)

Amount of Provisions for Taxation during the year.

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
आस्थगित कर सहित कर हेतु प्रावधान	Provision for Tax including deferred tax	(2,348.29)	264.63
घटाएं : पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल	Less : reversal of Tax Provisions relating to previous years	0.00	0.00
कर के लिए निवल प्रावधान	**Net provision for Tax**	**(2,348.29)**	**264.63**

ए) वर्तमान कर:

वर्ष के दौरान वर्तमान कर के कारण बैंक ने लाभ और हानि खाते में रु. –360.29 करोड़ (31 मार्च, 2019: रु.1282.61 करोड़) नामे किए हैं. भारत में वर्तमान कर की गणना विदेशों में भुगतान किए गए करों के लिए उचित राहत लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है.

बी) आस्थगित कर:

वर्ष के दौरान आस्थिगत कर के कारण लाभ और हानि खाते में रु. 1988.00 (31 मार्च, 2019 : रु. 1017.98 करोड़) जमा किया गया है. बैंक का निवल डीटीए रु. 14538.63 करोड़ (31 मार्च, 2019 निवल डीटीए : रु. 7,408.36 करोड़) है. डीटीए और डीटीएल के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

a) Current Tax:

During the year the Bank has debited to Profit & Loss Account Rs. -360.29 Crores (March 31, 2019: Rs. 1282.61 Crores) on account of current tax. The Current Tax in India has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 after taking appropriate relief for taxes paid in foreign jurisdictions.

b) Deferred Tax:

During the year, Rs.1988.00 Crore has been credited to Profit and Loss Account (March 31, 2019 : Rs.1,017.98 Crores) on account of deferred tax. The Bank has a net DTA of Rs 14538.63 Crores (March 31, 2019: net DTA of Rs7,408.36 Crores). The major components of DTA and DTL is given below:

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
ए. घरेलू	A. Domestic		
आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए)	Deferred Tax Assets (DTA)		
अचल आस्तियों पर आयकार अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	546.08	127.58
गैर बैंकिंग आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Non Banking Assets	56.81	--
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	Provision for fraud	98.08	--
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल न की गई और वसूल की गई)	Foreign Currency Translation Reserve(Unrealized and Realized)	462.80	138.15
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for leave encashment	636.50	323.53
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	15,832.40	9,081.76
कुल डीटीए	Total DTA	17,632.67	9,671.02
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीएल)	Deferred Tax Liabilities (DTL)		

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	2,403.80	2,000.82
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं	Interest Accrued but not due	1,510.11	1,128.72
कुल डीटीएल	Total DTL	3,913.91	3,129.54
निवल आस्थिगत कर देयताएं (ए)	Net Deferred Tax Assets (A)	13,718.76	6,541.48
बी. वैश्विक (घरेलू एवं विदेशी परिचालन)	B. GLOBAL (Domestic & Overseas operations)		
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीए)	Deferred Tax Assets (DTA)		
आयकर अधिनियम के तहत स्थायी आस्तियों पर बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच का अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	545.95	127.35
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for leave encashment	636.78	330.99
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	16,653.36	9,940.98
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित	Foreign Currency Translation Reserve	462.80	138.15
गैर बैंकिंग आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Non Banking Assets	56.81	0.00
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	Provision for Fraud	98.08	0.00
अन्य	Others	0.31	0.43
कुल डीटीए	Total DTA	18,454.09	10,537.90
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीएल)	Deferred Tax Liabilities (DTL)		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	2,403.80	2,000.82
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं	Interest Accrued but not due	1,510.11	1,128.72
अन्य	Others	1.55	0
कुल डीटीएल	Total DTL	3,915.46	3,129.54
निवल आस्थिगत कर देयताएं (बी)	Net Deferred Tax Assets (B)	14,538.63	7,408.36

- भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2019 दिनांक 20 सितंबर, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 ("अधिनियम") में धारा 115बीएए सम्मिलित की है, जिसमें घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अधीन 1 अप्रैल, 2019 से कम दर पर कॉर्पोरेट कर के भुगतान हेतु एक नॉन-रिवर्सल विकल्प प्रदान किया है. बैंक ने अधिनियम के लागू होने की स्थिति का मूल्यांकन किया है और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कर की मौजूदा दर को जारी रखने के विकल्प का चयन किया है.
- वित्त विधेयक, 2020 में आयकर अधिनियम की धारा 72एए में संशोधन के आधार पर, बैंक समामेलित बैंकों को होने वाली अगली हानि के प्रतितुलन के लिए पात्र है. प्रबंधन ने पूर्ववर्ती बैंकों को होने वाली अगली हानि की समीक्षा की है (उनकी वित्त वर्ष 2019-20 की आय कर रिटर्न में रिपोर्ट की गई). चल रहे कर वाद को देखते हुए, बैंक का मानना है कि संबंधित समामेलित बैंकों को 31 मार्च, 2020 तक रु. 5712 करोड़ की हानि होने के संबंध में कोई आभासी निश्चितता नहीं है. तदनुसार, इस तरह की हानि पर डीटीए नहीं बनाया गया है.

- Government of India has inserted section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019, which provides a non-reversible option to domestic companies to pay corporate tax at reduced rate effective from April 01, 2019 subject to certain conditions. The bank has assessed the applicability of the Act and opted to continue the existing tax rate for the year ended March 31, 2020.
- By virtue of amendment in section 72AA of the Income Tax Act in the Finance Bill, 2020, the Bank is eligible to set off Brought forward losses of Amalgamating Banks. The Management has reviewed Brought forward losses of Erstwhile Banks (reported in their Income Tax Return for AY 2019-20).In view of the ongoing tax litigation, the Bank is of the view that there is no virtual certainty with respect to carried forward losses of Rs.5712 Crs as on March 31, 2020 of the respective amalgamating Banks. Accordingly, DTA has not been created on such losses.

- अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित विवादास्पद राशि शामिल है. रु. 5128.14 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 2615.39 करोड़) की विवादास्पद आयकर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि बैंक के विचार में, कर सलाहकारों के विधिवत राय में और / या ऐसे मुद्दे पर बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं हैं.

- भारत सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के पिछले विवादों के परिसमापन के लिए एक बारगी "सबका विश्वास (पुराने विवादों का निपटान) योजना" की शुरूआत की है. बैंक ने सेवा कर से संबंधित कुछ लंबित मुकदमों के निपटान के विकल्प का चयन किया है और ऐसे मामलों के निपटान के लिए पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में 16.66 करोड़ का भुगतान किया गया है, जिसमें सेवा कर की मांग 35.99 करोड़ थी.

बी-9 एएस 23 - समेकित वित्तीय विवरणी में सहबद्ध संस्था में निवेश हेतु लेखांकन चूंकि अपनी सहबद्ध संस्था में बैंक के निवेश सहभागी के रूप में होते हैं और बैंक के पास उनकी गतिविधियों को प्रभावित करने की शक्तियां होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है.

बी-10 परिचालन बंद करना (लेखांकन मानक - 24)

अपने परिचलनों में से किसी को भी बंद करने की बैंक की कोई योजना नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप देयता कम होती है और आस्तियों की वसूली होती है और ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिसके द्वारा उसके परिचालन को पूरी तरह से बंद किया जाए, जिसपर उपर्युक्त प्रभाव होगा.

बी-11 संयुक्त उद्यम में हितों का प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -27)

एएस 27 की आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में बैंक के हितों से संबन्धित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार है:

- Tax Paid in advance/Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/paid by the Bank in respect tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of Rs 5128.14 Crore (previous year Rs 2615.39 Crore) as in the bank's view, duly supported by Tax Consultant view and/or decision in bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable.

- Government of India has introduced "The Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme" as a one time measure for liquidation of past disputes of Central Excise and Service Tax. Bank has opted for settlement of certain pending litigations in respect of Service Tax and has paid Rs 16.66 Crore as full and final payment for settlement of cases wherein Service Tax demand was Rs 35.99 Crore.

B -9 AS 23- Accounting for Investments in Associates in Consolidated financial Statements since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

B-10 Discontinuing operations (Accounting Standard-24)

The Bank has no plan to discontinue any of its operations, which results in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue any operation in its entirety, which will have the above effect.

B-11 Disclosure of Interest in Joint Ventures (Accounting Standard -27)

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

नाम	Name	देश जहां विद्यमान है	Country of Incorporation	निवेश का स्वरूप	Nature of Investments	स्वामित्व का % / % of owner ship	
						31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	India First Life Insurance Company Ltd	भारत	India	संयुक्त उद्यम	Joint Venture	43.31%	44%
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.	India International Bank (Malaysia) Bhd	मलेशिया	Malaysia	संयुक्त उद्यम	Joint Venture	40%	40%
इंडिया इंफ्रा डेट लिमिटेड	India Infradebt Ltd.	भारत	India	संयुक्त उद्यम	Joint Venture	40.99%	40.99%

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
देयताएं	Liabilities		
पूंजी एवं प्रारक्षित निधि	Capital & reserve	1,328.57	1,208.87
जमाएं	Deposits	175.29	92.83
ऋण	Borrowings	4,112.29	3,471.58
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & provisions	6,432.15	6,678.66
कुल	Total	12,048.30	11,451.94
आस्ति	Asset		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमाशेष	Cash and Balances with RBI	1.95	1.17
बैंक के पास जमाशेष तथा मांगे जाने एवं अल्प सूचना पर देय राशि	Balances with banks and Money at call and short notice	556.27	436.59
निवेश	Investments	8,103.30	8,382.78
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	2,984.90	2,262.43
स्थायी आस्तियां	Fixed Assets	20.65	14.17
अन्य आस्तियां	Other Assets	381.23	354.80
कुल	Total	12,048.30	11,451.94
अन्य आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	26.76	35.44
आय	Income		
अर्जित आय	Income Earned	556.90	898.45
अन्य आय	Other Income	1,429.99	1,416.86
कुल	Total	1,986.89	2,315.31
व्यय	Expenditure		
ब्याज व्यय	Interest expended	322.98	274.51
परिचालनगत व्यय	Operating expenses	1,728.34	863.37
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & contingencies	-127.30	1,055.73
कुल	Total	1,924.02	2,193.61
लाभ	Profit	62.87	121.70

बी–12आस्तियों की हानि (लेखांकन मानक – 28)

बैंक के प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान आस्तियों को हानि का कोई संकेत नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 – 'आस्तियों की हानि' लागू होता है.

B-12 Impairment of Assets (Accounting Standard-28)

In the opinion of the Bank's management, there is no indication of impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 – "Impairment of Assets" applies.

बी.13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखांकन मानक – 29):

B-13 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AccountingStandard-29)

बी–13.1 बैंक की नीति के अनुसार, ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों हेतु प्रावधान निम्नानुसार किया गया है

B-13.1 As per the policy of the Bank, provision for the claims not been acknowledged as debt, has been provided for.

दावों के लिए प्रावधानों का संचलन

Movement of provisions for Claims

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण विधिक मामले/ आकस्मिकताएं	Particulars Legal Cases/Contingencies	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
प्रारंभिक शेष राशि	Opening balance	33.72	41.85
विलय के कारण जुड़े	Addition on account of merger.	23.78	
वर्ष के दौरान प्रावधान/समायोजन (इसमें पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक का जोड़ भी शामिल है)	Provided / Adjustment during the year (Includes Addition from eDena Bank and eVijaya Bank)	38.17	(8.13)
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	Amount Used during the year	0.85	
31 मार्च को शेष राशि	Balance as on 31st March	94.82	33.72
आउटफ़्लो/ अनिश्चितताओं का समय	Timing of outflow/ uncertainties	निपटान क्रिस्टलाइजेशन का आऊटफ्लो /Outflow on settlement/crystallization	

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता फैसलों/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान, मांग राशि, करार बाध्यता संबंधी शर्तों, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि पर निर्भर करती है. ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है.

बी) फरवरी 2019 में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (पीएफ अधिनियम) के तहत बाध्यताओं की गणना के लिए कतिपय विशेष भत्तों को भी गिना जाए. बैंक को कानूनी रूप से सूचित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का उक्त निर्णय बैंक पर लागू नहीं होता है क्योंकि बैंक अपनी स्वयं की निधि रखता है.

सी) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है.

आकस्मिक देयताओं का विवरण (अनुसूची 12 में भी उल्लिखित)

ए बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है;

ये वर्तमान में चल रहे विभिन्न विधिक मामलों से संबंधित सामान्य व्यवसाय में बैंक के विरुद्ध दायर दावों को दर्शाते हैं. इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई और बैंक द्वारा विवादित मांग भी शामिल हैं.

a. Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

b. In February 2019, the Honorable Supreme Court of India in its judgment clarified that certain special allowances should be considered to measure obligations under Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (the PF Act). The Bank has been legally advised that the said ruling by Supreme Court is not applicable to the Bank since the bank is maintaining its own fund.

c. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

Description of contingent liabilities. (Also Refer Schedule 12)

a. Claims against the Bank not acknowledged as debts;

These represent claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases currently in progress. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank.

बी. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता हेतु शेष अदत्त राशि को दर्शाता है.

सी. वायदा मुद्रा एवं डेरिवेटिव संविदाओं के कारण देयता:

बैंक ने अपने स्वयं और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा संविदा, मुद्रा ऑप्शन/स्वैप, ब्याज दर/मुद्रा फ्यूचर्स एवं वायदा दर करार किया है. वायदा मुद्रा संविदा अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है. मुद्रा स्वैप, लागू हाजिर दरों के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/ मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह का विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है. ब्याज दर स्वैप, स्थायी और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह को विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है. ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडड संविदा है जो एक नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देती है. वायदा दर करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है. विदेशी मुद्रा ऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य पर मुद्रा की एक निश्चित राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन संविदा, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा है, जो समाप्ति की तारीख पर नियत तारीख पर पूर्व-सहमत मुद्रा दर पर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि के विनिमय का अधिकार देता है, परंतु बाध्यता नहीं. मुद्रा फ्यूचर्स वायदा निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड संविदा है. आकस्मिक देयता की राशि संबंधित वायदा विनिमय और डेरिवेटिव संविदा के कल्पित मूलधन का प्रतिनिधित्व करती है.

डी. ग्राहकों के पक्ष में दी गई गारंटी

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक अंश के रूप में, समूह अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है. वह गारंटी अप्रतिसंहरणीय एश्योरेंस का प्रतिनिधित्व करती है जिससे ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा.

ई. स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व

इसमें समूह द्वारा अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत और पृष्ठांकित किया गया है, को शामिल किया गया है.

एफ. और अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है.

सी. अतिरिक्त प्रकटीकरण

सी-1 बहियों का मिलान एवं समाधान

अंतर कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षों के नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु दिनांक 31.03.2020 तक कर लिया गया है, इसमें उचित समाधान का कार्य प्रगति पर है.

b. Liability for partly paid investments

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments.

c. Liability on account of outstanding forward exchange and derivative contracts:

The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in two currencies, based on ruling spot rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. Interest rate futures are standardised, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period. A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period or at a specified future time. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardised foreign exchange derivative contract, which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry. Currency Futures contract is a standardised, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price. The amount of contingent liability represents the notional principal of respective forward exchange and derivative contracts.

d. Guarantees given on behalf of constituents

As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

e. Acceptances, endorsements and other obligations

These include documentary credit issued by the Bank on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

f. And other items for which Bank is Contingently liable.

C. Additional Disclosures

C-1 Balancing of Books and Reconciliation

Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2020, the reconciliation of which is in progress.

सी–2 निवेश

सी–2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने निवेश के एक भाग को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी एवं एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरित कर दिया है. अंतरित कर दिया है. रु. 214.63 करोड़ (31 मार्च, 2019: रु. 3.58 करोड़) के परिणामी मूल्यह्रास को लाभ एवं हानी लेखे में प्रभारित कर दिया गया है.

सी–3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, अत: एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रकटीकरण लागू नहीं है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गये हैं. और हमने उसे आधार के रुप में किया है.

सी–4 परिसर

सी–4.1 बैंक की कुल रु.168.72 करोड़ (31 मार्च, 2019: रु. 23.86 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है.

सी–4.2 पुनर्मूल्यांकित हिस्सा पर मूल्यह्रास – वित्तीय वर्ष 2019-20 (इसमें पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक का मूल्यह्रास शामिल है) के लिए रु. 792.97 करोड़ प्रभारित मूल्यह्रास और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल प्रभारित मूल्यह्रास रु. 1,659.64 करोड़ है.

बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम पर सी -10, जी ब्लॉक, बीकेसी, मुंबई में स्थित पूर्ववर्ती देना बैंक की संपत्ति के हस्तांतरण के पेटे रु. 2.15 करोड़ का परिवर्तन शुल्क मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में जमा किया है.

सी–5 बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफएसएल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गई.

बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.2.1991 से बॉब एफएसएल की सम्पूर्ण आस्तियां एवं देयताएं उसके पूर्ण व्यवसाय के समापन के फलस्वरूप एक गोइंग कंसर्न/ बिक्री के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को स्थानांतरित कर दिए गए. चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी. अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफएसएल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफएसएल को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया.

निदेशक मंडल द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ मेसर्स बॉब फिसकल सर्विसेज लि. के समामेलन को बैंक की दिनांक 28.01.2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया और बॉम्बे उच्च न्यायलय के सम्मुख बॉब के साथ बॉब एफएसएल समामेलन हेतु आवश्यक याचिका दर्ज करने के लिए प्रबंधन को प्राधिकृत किया. यह मामला अभी भी न्यायलय में लंबित है.

सी–6 वेतन संशोधन (01 नवंबर, 2017 से प्रभावी होने के कारण) पर प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौते के अनुसार, बैंक के पास 31 मार्च, 2020 तक रु. 1,921.73 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 624.86 करोड़) का प्रावधान है. तिमाही के दौरान बैंक ने वेतन संशोधन पर

C-2 Investments

C-2.1 In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Investment from HTM category to AFS category and AFS to HTM Category. The resultant depreciation of Rs. 214.63 Crores (March31, 2019:Rs.3.58 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.

C-3 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable. The details regarding Micro, Small and Medium Enterprises has been provided by the Management and relied upon by us.

C-4 Premises

C-4.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to Rs168.72 Crores (March 31, 2019:Rs23.86 Crores).

C-4.2 Depreciation on Revalued Portion- Rs.792.97 Crore depreciation charged for FY 2019-20 (This included depreciation of eDena Bank and eVijaya Bank) and Total depreciation charged during FY 2019-20 is Rs.1,659.64Crore.

Conversion fee of Rs. 2.15 Crores deposited with Mumbai Metropolitan Region Development Authority against conversion of eDB property at C-10, G Block, BKC, Mumbai in the name of Bank of Baroda.

C-5 BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda (BOB), had passed a special resolution for voluntary winding up of the Company on 24.09.1990 and the Liquidator was appointed for the same.

BOBFSL had entered into an agreement with BOB pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f. 28.2.1991. As the Company could not be liquidated due to pending legal cases, a decision to merge BOBFSL with BOB was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30th March 2007.

The Board of Directors of BOB has approved the merger of BOBFSL with BOB in its Board meeting on 28.01.2009 and authorized the Management to file necessary petition for merger of BOBFSL with BOB before the Bombay High Court. The matter is still pending before the judiciary.

C-6 Pursuant to the proposed bipartite agreement on wage revision (due with effect from November 01, 2017), bank holds provision of sum of Rs.1,921.73 Crores (previous year Rs.624.86 Crores) as of March 31, 2020. During the quarter, Bank has made provision of Rs.198.80 Crores (Previous

रु.198.80 करोड़ (पिछली तिमाही के रु. 64.86 करोड़) का प्रावधान किया है.

सी-7 बैंकों में भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एएस) के कार्यान्वयन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (भा. रि.बैं.) ने डीबीआर.बीपी.बीसी. नं.76/21.07.0001/ 2015-16 दिनांक 11 फरवरी,2016 द्वारा रोडमैप निर्धारित किया है एवं बैंकों को इस संबंध में हुई प्रगति सहित आईएनडी-एएस कार्यान्वयन हेतु रणनीति का प्रकटन करने की आवश्यकता है. तदनुसार बैंक ने आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन में सहायता हेतु एक कंसल्टेंट नियुक्त किया है. बैंक ने हुई प्रगति के पर्यवेक्षण हेतु एक स्टीयरिंग समिति बनाई है तथा लेखापरीक्षा समिति को समय-समय पर इसकी सूचना की जाती है. उक्त परिपत्र द्वारा निर्धारित आवश्यकतानुसार बैंक ने 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त अवधि हेतु भा.रि.बैं. को प्रारूप आईएनडी-एएस वित्तीय विवरणी प्रस्तुत कर दी है. इसके अतिरिक्त भा.रि.बैं. द्वारा जारी परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं. 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22.03.2019 के अनुसार अगले अनुदेशों तक बैंकों पर आईएनडी-एएस को लागू करना आस्थगित कर दिया गया है.

सी-8 बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक का समामेलन

ए) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श से, 02 जनवरी, 2019 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा (इसके बाद से अंतरिती बैंक के रूप में संदर्भित) के साथ विजया बैंक और देना बैंक (इसके बाद सामूहिक रूप से अंतरणकर्ता बैंक के रूप में संदर्भित) के समामेलन की योजना को अधिसूचित किया है. यह योजना 01 अप्रैल, 2019 को लागू हुई.

इस योजना के आरंभ होने पर, अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों को अंतरिती बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया. अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों, उनके अंतर्गत सभी कारोबार, आस्तियां (मूर्त एवं अमूर्त, चल एवं अचल सहित), देयताएं, आरक्षित एवं अधिशेष और अन्य सभी अधिकार और हित जो अंतरणकर्ता बैंकों की ऐसी संपत्ति के कारण उत्पन्न होते हैं जो इन उपक्रमों के संबंध में हैं, जैसा कि योजना के प्रारंभ से ठीक पहले थी, भारत के भीतर या बाहर अंतरणकर्ता बैंकों के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थी, समझी जाएगी.

बी) संबंधित लेखापरीक्षा समितियों, संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट और संबंधित बैंकों को जारी की गई निष्पक्षता संबंधी राय की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखने के बाद, संबंधित बैंकों के निदेशक मण्डल ने शेयर विनिमय अनुपात (सभी मामलों में समरूप रैंकिंग और समान अधिकार, अंतरिती बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के रूप में, लाभांश के संबंध में, यदि कोई हो, जो कि इस योजना के प्रारंभ होने के बाद अंतरिती बैंक द्वारा घोषित किया जा सकता है), को निम्नानुसार मंजूरी दी है:

i) विजया बैंक के प्रत्येक रु. 10 के 1000 इक्विटी शेयरों पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रत्येक रु. 2 के 402 इक्विटी शेयर

corresponding quarter Rs.64.86 Crores) on wage revision.

C-7 The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR. BP.BC. No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11th February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS) in the Banks and the Banks need to disclose the strategy for Ind-AS implementation, including the progress made in this regard. The Bank accordingly, has appointed a consultant to assist in implementation of the Ind-AS. The Bank has also constituted a Steering Committee to oversee the progress made and the Audit Committee of the Board is being apprised of the same from time to time. In terms of the requirement stipulated vide said circular, the Bank has submitted quarterly proforma Ind-AS financial statements to the RBI up to 31st December, 2019.Further, as per RBI circular DBR.BP.BC.No. 29/21.07.001/2018-19 dated 22.03.2019, the implementation of Ind AS on Banks has deferred till further notice.

C-8 Amalgamation of Erstwhile Vijaya Bank and Erstwhile Dena Bank with Bank of Baroda

a) In exercise of power conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970) and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 (40 of 1980), after consultation with the Reserve Bank of India, The Government of India has notified the scheme of amalgamation of Vijaya Bank and Dena Bank (hereinafter collectively referred to as Transferor Banks) with Bank of Baroda (hereinafter referred to as Transferee Bank) on 02nd January, 2019,. This scheme came into force on the 01st April, 2019.

On the commencement of this scheme, the undertakings of the Transferor Banks transferred to the Transferee Bank. Undertakings of the transferor Banks is deemed to include all business, assets (including tangible and intangible, movable and immovable), liabilities, Reserve & Surplus and all other rights and interests arising out of such property of the transferor Banks in relation to the undertakings as were immediately before the commencement of scheme, in the ownership, possession, power or control of the Transferor Banks within or Outside India.

b) After taking into consideration the recommendation of the respective Audit Committees, Joint Valuation Report and the fairness opinion issued to the respective banks, the Board of the respective banks had approved the Share Exchange Ratio (ranking paripassu in all respects and shall have the same rights attached to them as the then existing equity shares of the Transferee Bank, including, in respect of dividends, if any, that declared by the Transferee Bank, on or after the commencement of this scheme) as under:-

i) 402 equity shares of Rs. 2 each of Bank of Baroda of every 1000 equity shares of Rs. 10 each of Vijaya Bank.

ii) देना बैंक के प्रत्येक रु. 10 के 1000 इक्विटी शेयरों पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रत्येक रु. 2 के 110 इक्विटी शेयर

इक्विटी शेयरों के अंश की पात्रता के संबंध में, नकद भुगतान पर विचार किया जाएगा.

एएस 14 के पैरा 24 के अनुसार प्रकटीकरण – "समामेलन के लिए लेखांकन" निम्नानुसार है:

ए) समामेलित कंपनियों के व्यवसाय के सामान्य स्वरूप अर्थात् पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक का बैंकिंग व्यवसाय बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बैंकिंग व्यवसाय के समान है;

बी) लेखांकन उद्देश्यों के लिए समामेलन की प्रभावी तारीख; – 01-04-2019

सी) समामेलन को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त लेखांकन विधि अधिग्रहण

लेखा मानक 14 (एएस 14), "समामेलन के लिए लेखांकन" और अर्जन की अनुमोदित योजना के अनुसार 'पूलिंग ऑफ इन्टरेस्ट' विधि के तहत बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक के विलय का लेखांकन किया गया. बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य के 77,26,51,938 शेयरों और ऊपर उल्लिखित भिन्नात्मक पात्रता के लिए रु. 1.74 करोड़ के नकद भगतान पर विचार करते हुए अंतरणकर्ता बैंकों के रु. 3563.20 करोड़ (निवल) की कुल आस्तियों एवं देयताओं को प्रभावी तारीख को मौजूदा वहन (कैरिंग) राशि के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की बहियों में रिकॉर्ड किया गया है. पूर्ववर्ती देना और पूर्ववर्ती विजया अंतरण बैंक के और बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा संबद्ध निवेश की शेयर पूंजी के बीच का शुद्ध अंतर और शेयरों की भिन्नात्मक पात्रता के एवज़ में नकदी को पूंजी रिज़र्व में स्थानांतरित कर दिया गया है. समामेलन पर ली गई शुद्ध आस्तियां निम्नानुसार हैं

ii) 110 equity shares of Rs. 2 each of Bank of Baroda of every 1000 equity shares of Rs. 10 each of Dena Bank.

In respect of entitlements to fraction of equity shares, the consideration is paid in cash.

Disclosures as per para 24 of AS 14 – "Accounting for Amalgamations" is as under:

A) The general nature of business of the amalgamating companies i.e. eVijiya Bank and eDena Bank is same as that of the Banking business of Bank of Baroda i.e Banking;

B) Effective date of amalgamation for accounting purposes; - 01-04-2019

C) The method of accounting used to reflect the amalgamation

The merger of eDB and eVB with BoB, has been accounted under the 'pooling of interest' method as per Accounting Standard 14 (AS 14), "Accounting for amalgamation" and the approved Scheme of Acquisition. Pursuant thereto, all assets and liabilities amounting to Rs.3563.20 crore (net) of the transferor Banks have been recorded in the books of BoB at their existing carrying amounts as on effective date, in consideration for 77,26,51,938 shares of face value of Rs.2/- each of BoB and Rs.1.74 crore paid in cash towards fractional entitlements as stated above. The net difference between share capital of transferor banks of eDB and eVB and corresponding investments by BoB and cash in lieu of fractional entitlement of shares have been transferred to Capital Reserve. The net assets taken over on amalgamation are as under:

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	पूर्ववर्ती देना बैंक	पूर्ववर्ती विजया बैंक	कुल /Total
टेक ओवर की गई आस्तियां	Assets Taken Over			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	Cash and Balances with RBI	6,774.16	8,631.31	15,405.47
बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	1,554.46	53.04	1,607.50
निवेश	Investments	38,522.50	41,613.11	80,135.61
अग्रिम	Advances	51,958.97	1,30,606.32	1,82,565.29
स्थायी आस्तियां	Fixed Assets	1,765.22	1,691.27	3,456.49
अन्य आस्तियां	Other Assets	8,252.83	9,386.47	17,639.30
कुल आस्तियां (ए)	Total Assets (A)	1,08,828.14	1,91,981.52	3,00,809.66
टेक ओवर की गई देयताएं	Liabilities taken over			
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	813.79	7,415.08	8,228.87
जमाएं	Deposits	1,00,651.85	1,75,817.43	2,76,469.28
उधारियां	Borrowings	2,455.00	3,717.25	6,172.25
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	2,648.44	3,727.61	6,376.06
कुल देयताएं (बी)	Total Liabilities (B)	1,06,569.08	190,677.37	2,97,246.46
टेक ओवर की गई निवल आस्तियां (ए–बी)=(सी)	Net Assets taken over (A-B)=(C)	2,259.06	1,304.14	3,563.20
घटाएं :	Less :			

(डी) स्वीकृति के लिए बीओबी द्वारा जारी प्रत्येक रु. 2 के अंकित मूल्य के 77,26,51,938 शेयर	(D) 77,26,51,938 shares of face value of Rs.2 each issued by BoB as consideration	49.69	104.84	154.53
(ई) शेयरों की भिन्नात्मक पात्रता के एवज़ में नकदी	(E) Cash in lieu of fractional entitlement of shares	0.69	1.05	1.74
पूंजी आरक्षित में अंतरित अंतर = (सी-(डी+ई))	Difference transferred to Capital Reserve F = (C-(D+E))	2,208.68	1,198.25	3,406.93

सी-9 वर्ष के दौरान रु. 6.91 करोड़ (पीवाई - रु. 3.00 करोड़) की अदावाकृत लाभांश राशि बिना किसी देरी के निवेशक जागरूकता और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी गयी.

सी-10 भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.15199 / 21.04.048 / 2016-17 दिनांक 23 जून, 2017, तथा डीबीआर.नं. बीपी.1906 / 21.04.048 / 2017-18, दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों में शामिल खातों के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2020 को कुल रु. 10853.71 करोड़ (कुल बकाये का 98.73%) का प्रावधान किया है. (पिछले वर्ष रु. 6587.91 करोड़ (कुल बकाये का 88.76%))

सी - 11 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु रु. 4.33 करोड़ का परिचालन खर्च (पिछले वर्ष: रु. 0.04 करोड़) शामिल किया गया है.

बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अपने सीएसआर के एक अंश के तौर पर पिछले वर्ष बैंक के प्रकाशित लाभ का 1% अर्थात रु. 4.33 करोड़ खर्च किया है. एक जिम्मेदार बैंक के रूप में, हमने सीएसआर की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करते हुए सकारात्मक रूप से खर्च की एक ऐसी नींव रखी है, जिसपर बैंक आगामी परियोजनाओं और साझेदारी का निर्माण कर सके. बैंक अधिकतम प्रभाव प्रदान करने के लिए सीएसआर खर्च हेतु अपनी कार्यनीतियों का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है. आने वाले वर्षों में, बैंक आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को और मजबूत करेगा.

C-9During the year unclaimed dividend amount transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) without any delay is Rs6.91 Crores (PY – Rs.3.00 Crs).

C-10 As per RBI Circular no. DBR. No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR.No.BP.1906/21. 04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of Rs.10853.71Crores (98.73% of total outstanding) as on March 31, 2020 (previous year Rs.6587.91 Crores (88.76% of total outstanding).

C – 11 Corporate social responsibility

Operating expenses include Rs.4.33 crore (previous year: Rs.0.04 crore) for the year ended March 31, 2020 towards Corporate Social Responsibility (CSR), in accordance with Companies Act, 2013.

The Bank has spent Rs.4.33 Cr being 1% of the published profit of the Bank for the previous year as part of its CSR for the year ended March 31, 2020. As a responsible bank, it has approached the mandatory requirements of CSR spends positively by laying a foundation on which it would build and scale future projects and partnerships. The Bank continues to evaluate strategic avenues for CSR expenditure in order to deliver maximum impact. In the years to come, the Bank will further strengthen its processes as per requirement.

सीएसआर हेतु संबंधित वर्ष के दौरान खर्च राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

The details of amount spent during the respective year towards CSR are as under:

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020			31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019		
		खर्च राशि Amount spent	अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision	कुल Total	खर्च राशि Amount spent	अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision	कुल Total
सीएसआर निधि	CSR Fund	4.33	-	4.33	0.04	-	0.04

सी – 12 गैर–कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर–कार्यपालक निदेशकों को शुल्क के रूप में रु. 1.02 करोड़ के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया. (पिछले वर्ष: रु. 0.42 करोड़).

सी –13 पूंजी पर्याप्तता तथा चलनिधि मानक संशोधनों पर विवेकसम्मत दिशानिर्देशों के संबंध में जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.एनओ.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014–15 दिनांक 31 मार्च, 2015 के साथ पठित बासेल–III पूंजी विनियमन पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी.एनओ.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015–16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार बेसल– III फ्रेमवर्क के तहत बैंकों को लिवरेज अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सहित यथा लागू पिलर 3 का प्रकटीकरण करना आवश्यकता है. ये विवरण हमारी वेबसाइट "www.bankofbaroda.com" पर उपलब्ध कराए जा रहे है. ये प्रकटीकरण लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं.

सी–14 21 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड–19 प्रकोप को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया गया और इसने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ–साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है. वित्तीय बाजार में सतत अस्थिरता के कारण बैंक ने अग्रिमों की प्रतिलब्धता एवं उस पर प्रावधान, निवेश मूल्यांकन, बैंक की अन्य आस्तियों और देयताओं सहित वित्तीय विवरणी के विविध तत्वों पर प्रभाव का निर्धारण करने के लिए वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन की तारीख तक आर्थिक पूर्वानुमान एवं औद्योगिक रिपोर्ट सहित जानकारी के आंतरिक एवं बाह्य स्रोत पर विचार किया है. बैंक ने प्रयुक्त अनुमानों और मौजूदा संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया है, बैंक का अनुमान है कि अग्रिमों और निवेशों सहित आस्तियों की धारित राशि वसूल की जाएगी और पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध है. कोविड–19 महामारी के कारण अनिश्चितता के चलते बैंक भावी आर्थिक परिस्थिति में किसी भी वास्तविक परिवर्तन की सतत निगरानी कर रहा है जो भविष्य में इन वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन की तारीख को अनुमान से भिन्न विकास के आधार पर बैंक के परिचालनों और उसके वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकती है.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानों से संबंधित कोविड–19 विनियामक पैकेज संबंधी विविध दिशानिर्देश दिनांक 27 मार्च 2020, 17 अप्रैल 2020 और 23 मई 2020 जारी किए हैं. बैंक ने 29 फरवरी 2020 को मानक के रूप में वर्गीकृत पात्र उधारकर्ताओं को दिनांक 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2020 (अधिस्थगन अवधि) के बीच किस्तों और/या ब्याज, यथालागू के भुगतान पर अधिस्थगन को मंजूरी दी है भले ही अतिदेयता हो. इसे पुनर्संरचना नहीं माना जाएगा. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जब भी अधिस्थगन अवधि मंजूर की जाती है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, जब भी ऋणस्थगन अवधि की छूट दी जाएगी, बैंक द्वारा इसकी गणना आरबीआई के आय निर्धारण एवं संपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के अंतर्गत संपत्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से खाते में पिछले बकाया राशि के दिनों को छोड़ कर होगी और ऐसे ऋण खातों जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संपत्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किए गए हैं उनके संबंध में बैंक को बकाया अग्रिमों पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही की शुरूआत से दो तिमाहियों तक 10% की दर से प्रावधान करना आवश्यक होगा. तदनुसार बैंक के पास 31 मार्च 2020 को कोविड– 19 के संभावित प्रकोप के एवज में संबंधित समय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रावधान की व्यवस्था है. बैंक द्वारा ऐसे खातों और प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है:

C – 12 Disclosure on remuneration to Non-Executive Directors

Remuneration by way of sitting fees to the Non-Executive Directors for attending meetings of the Board and its committees during the year ended March 31, 2020 amounted to Rs.1.02 Crores (previous year:Rs.0.42 Crores).

C-13 RBI Circular DBOD.NO.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated July 01, 2015 on Basel III. : Capital Regulations read together with RBI circular no DBR.NO.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Liquidity Standards Amendments requires banks to make applicable Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel- III framework. These details are being made available on our website "www.bankofbaroda.com". These disclosures have not been subjected to audit by the auditors

C–14 The COVID-19 outbreak was declared a global pandemic by the World Health Organization on March 21, 2020 and affected world economy as well as Indian economy. On account of continuous volatility in financial market, the Bank has considered internal and external sources of information including economic forecasts and industry reports up to the date of approval of financial statements in determining the impact on various elements of its financial statements including recoverability of advances & provision thereon, investment valuation, other assets and liabilities of the Bank. The Bank has performed analysis on the assumptions used and based on the current indicators, the Bank expects the carrying amount of assets, including advances and investments, will be recovered and the sufficient liquidity is available. Given the uncertainty because of COVID-19 pandemic, the Bank is continuously monitoring any material change in future economic condition which may impact the Bank's operations and its financial results in future depending on the developments which may differ from that estimated as at the date of approval of these financial statements.

RBI has issued various guidelines relating to COVID -19 Regulatory Package on Asset Classification and Provisioning dated 27th March, 2020, 17th April 2020 and 23rd May, 2020 the Bank has granted a moratorium on the payment of installments and/or interest, as applicable, falling due between 1st March, 2020 and 31st August, 2020 (Moratorium period) to eligible borrowers classified as standard, even if overdue, as on 29th February,2020 without considering the same as restructuring. In accordance with RBI guidelines, the moratorium period, wherever granted, is excluded by the Bank from the number of days the account is past due for the purpose of Asset Classification under RBI's Income Recognition and Asset Classification norms and the Bank is required to make provision @ 10% of the outstanding advances over two quarters beginning with the quarter ended 31st March, 2020 in respect of such borrowal accounts where assets classification benefit has been granted as per RBI Guidelines. The Bank, accordingly, show provision as at 31st March 2020 against the potential impact of COVID 19 based on the information available upto point in time. Following are the details of such accounts and provisions made by the Bank.

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ Cr)

क्र.सं S. No	विवरण	Particulars	31.03.2020
1	जहां कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुरूप अधिस्थगन/आस्थगन में बढ़ोत्तरी की गई थी उन एसएमए/अतिदेय वर्ग में बकाया राशि	Amounts outstanding in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended as per COVID -19 Regulatory Package	79,588.69
2	जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ 31.03.2020 तक विस्तारित किए गए हैं वहां बकाया राशि	Amount outstanding where asset classification benefits is extended up to 31.03.2020	4,053.23
3	31.03.2020 को कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुच्छेद 5 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान (घरेलू)	Provisions made during the Q4FY2020 in terms of paragraph 5 of COVID -19 Regulatory Package as at 31.03.2020 (Domestic)	810.65*
4	स्लिपेज के पेटे संबंधित लेखांकन अवधि के दौरान समायोजित प्रावधान और 31.03.2020 को कोविड-19 के अनुच्छेद 6 के अनुरूप शेष प्रावधान	Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions in terms of paragraph 6 of COVID -19 Regulatory Package as at 31.03.2020	Nil

*भारतीय रिज़र्व बैंक के अपेक्षित 5% के न्यूनतम प्रावधान की आवश्यकता के सापेक्ष चालू तिमाही के दौरान अग्रिमों पर 20% की दर से रु. 810.65 करोड़ का प्रावधान किया गया.

सी-15 चालू वर्ष और पिछले वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए आंकड़े, पूर्ण वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों और तीसरी तिमाही तक प्रकाशित ईयर टू डेट आंकड़ों के बीच बैलेंसिंग आंकड़े है. तीसरी तिमाही की समाप्ति तक के आंकड़े केवल बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षित हैं और लेखापरीक्षा के अधीन नहीं है.

सी-16 बैंक की अन्य आय में दलाली, कमीशन, शुल्क, विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव से आय, निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि, बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रमाणपत्रों की बिक्री से आय आदि जैसी गैर-निधि आधारित गतिविधियां शामिल हैं.

सी-17 भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना एफ.नं.1/1/2017-बीओए दिनांक 2 जनवरी 2019 के माध्यम से बैंक ऑफ़ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक के समामेलन की योजना और 1 अप्रैल 2019 से समामेलन को मंजूरी दी. 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही/वर्ष और 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही के लिए परिणामों में पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक के परिचालन का समावेश होता है. अत: 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए परिणामों की तुलना 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष और पिछले वर्ष की संबंधित अवधि के साथ नहीं की जा सकती.

सी-18 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/2019-20/218 डीओआर.बीपी.बीसी.एनओ.64/21.02.067/20 19-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के माध्यम से सूचित किया है कि बैंक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ में से अगले अनुदेशों तक कोई लाभांश प्रदान नहीं करेगा ताकि कोविड-19 महामारी की वजह से अस्थिरता के परिवेश में पूंजी को संरक्षित रखा जा सके. तदनुसार बैंक के निदेशक मण्डल ने दिनांक 23 जून, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए किसी लाभांश का प्रस्ताव नहीं दिया है.

सी-19 जहां चालू वर्ष के लिए स्पष्टीकरण की पुष्टि करने की आवश्यकता है वहां पिछले वर्ष के आंकड़े को पुनः समूहित किया गया है.

ब्रैकेट में दिए गए आंकड़े, जहां कहीं दिए गए हो, पिछले वर्ष से संबंधित हैं.

*made provision @ 20% on advances amounting to Rs.810.65 Crores during current quarter as against RBI's minimum provision requirement of 5%.

C–15 The figures for last quarter of the current year and of the previous year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to third quarter. The figures up to the end of the third quarter were only reviewed by the Statutory Auditors of the Bank and not subjected to audit.

C–16 Other income of the Bank includes income from non-fund based activities such as brokerage, commission, fees, income from foreign exchange fluctuation, profit / loss on sale of investments, recovery from written off accounts and income from sale of priority sector lending certificates etc.

C–17 The Government of India through a gazette notification F.No.1/1/2017-BOA dated January 2, 2019 approved the scheme of amalgamation between Bank of Baroda, Dena Bank and Vijaya Bank and amalgamation w.e.f. April 1, 2019. The results for the quarter/ year ending March 31, 2020 and quarter ended December 31, 2019 includes operations of erstwhile Vijaya Bank and erstwhile Dena Bank. Hence the results for quarter/ year ended March 31, 2020 are not comparable with corresponding period of previous year and for the year ended March 31, 2019.

C–18 The Reserve Bank of India, vide its circular RBI/2019-20/218 DOR.BP.BC.No.64/21.02.067/20 19-20 dated April 17, 2020, has advised that banks shall not make any further dividend payouts from profits pertaining to the financial year ended March 31, 2020 until further instructions, with a view that banks must conserve capital in an environment of heightened uncertainty caused by COVID-19. Accordingly, the Board of Directors of the Bank at their meeting held on June 23, 2020 has not proposed any dividend for the year ended March 31, 2020.

C-19 Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.

Figures in the bracket wherever given relates to previous year.

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
Statement of Standalone of Cash Flow for the year ended 31st March 2020

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2019
ए. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities:		
कर से पूर्व निवल लाभ	**Net Profit before taxes**	**(1802,10,71)**	**698,14,96**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on fixed assets	1659,64,55	910,37,91
निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	986,73,60	158,62,32
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	16404,89,53	12192,39,70
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	3085,48,48	(35,49,49)
अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	Provision for Other items (Net)	1016,40,94	473,14,74
अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ) /हानि (निवल)	(Profit)/loss on sale of fixed assets (Net)	(3,69,60)	(15,35,54)
गौण ऋणों पर ब्याज हेतु भुगतान / प्रावधान (अलग से लिया गया)	Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately)	1674,43,08	1187,38,39
अनुषंगी इकाइयों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से लिया गया)	Dividend received from subsidiaries/ others (treated separately)	(99,90,62)	(154,08,40)
पूर्ण योग	**Sub total**	**22921,89,25**	**15415,14,59**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in investments	(13308,98,12)	(17678,96,58)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in advances	(55141,60,31)	(53579,30,19)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(increase)/Decrease in other assets	(8705,04,25)	1342,63,71
उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	11586,05,80	4075,02,58
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	30825,41,84	47374,89,48
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	12796,47,06	3070,23,76
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल राशि)	Direct taxes paid (Net of Refund)	(44,70,46)	(4139,30,16)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी (ए)	**Net cash from operating activities (A)**	**929,50,81**	**(4119,62,81)**

(₹ in 000's)

			31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2019
बी.	**निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	**B. Cash flow from investing activities:**		
	अचल आस्तियों की खरीद /अंतरण	Purchase/ Transfer in of fixed assets	(3247,25,14)	(2616,87,32)
	अचल आस्तियों की बिक्री/अंतरण	Sales/ Transfer out of fixed assets	3148,78,62	98,94,63
	व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)	Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	141,32,31	(1593,20,87)
	अनुषंगियों/अन्यों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/ others	99,90,62	154,08,40
	समामेलन के परिणाम स्वरूप पूर्ववर्ती विजया बैंक एवं देना बैंक के शेयरधारकों को आंशिक पात्रता के लिए प्रदत्त नकदी	Cash paid to shareholders of erstwhile Vijaya Bank and Dena Bank towards fractional entitlements consequent to amalgamation	(1,73,82)	-
	निवेश संबंधी गतिविधियों में उपयोग की गई निवल नकदी (बी)	**Net cash used in investing activities (B)**	**141,02,59**	**(3957,05,16)**
सी.	**वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	**C. Cash flow from financing activities:**		
	शेयर पूंजी/ शेयर आवेदन राशि/ शेयर प्रीमियम	Share Capital /Share application Money /Share premium	8154,47,15	5042,00,00
	गैर-जमानती गौण बांड	Unsecured Subordinated Bonds	8109,70,00	554,30,01
	लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश	Dividend paid including dividend tax	-	-
	गैर-जमानती प्रतिदेय बांडों पर प्रदत्त /देय ब्याज	Interest paid / payable on unsecured subordinated bonds	(1674,43,08)	(1187,38,39)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी (सी)	**Net cash from financing activities (C)**	**14589,74,07**	**4408,91,62**
	समामेलन के परिणाम स्वरुप प्राप्त नकदी एवं नकदी समतुल्य (डी)	**Cash & cash equivalents received on account of amalgamation (D)**	**17011,23,00**	**-**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य (ए)+(बी)+(सी)+(डी)	**Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)+(D)**	**32671,50,47**	**(3667,76,35)**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	89229,61,54	92897,37,89
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the year	121901,12,01	89229,61,54

टिप्पणी / **Notes:**

1. नकदी तथा नकदी समतुल्य में बैंक के पास नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा शामिल है.

1. Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.

2. **नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक** / 2. **Components of Cash & Cash Equivalents**

		As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	Cash & Balance with RBI	32645,85,26	26661,72,83
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	89255,26,75	62567,88,71
कुल	**Total**	**121901,12,01**	**89229,61,54**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors Report

प्रति,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण बैंक ऑफ़ बड़ौदा के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

राय

1. हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बैंक) के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र, लाभ और हानि खाते, समाप्ति वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी और के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल विवरणों के नोट जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय, 18 अंचल कार्यालय, 20 शाखाओं और 1 विशेषीकृत एकीकृत ट्रेजरी शाखा, संबंधित सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 4,227 घरेलू शाखाओं और संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 36 विदेशी शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाएं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाएं बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप चयन की गई हैं.

   तुलन-पत्र में लाभ एवं हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण संबंधी 5,235 घरेलू शाखाओं के रिटर्न भी शामिल हैं जो लेखा परीक्षा के अध्यधीन नहीं हैं. इन गैर लेखा-परीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिम का 9.52% और कुल जमाराशियों का 25.72%, ब्याज आय का 8.13% और ब्याज व्यय का 22.45% शामिल है.

   हमारी राय एवं हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी इस तरह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं, जिससे कि वे बैंक स्तर पर भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत के समनुरुप हों और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

   ए) दिनांक 31 मार्च, 2020 बैंक के तुलन पत्र के संबंध में सही और सत्य दृष्टिकोण;

   बी) संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते के मामले में लाभ संबंधी सही शेष; और

   सी) संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह के संबंध में सही और सत्य नकदी प्रवाह दृष्टिकोण

राय हेतु आधार

2. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा पर जारी मानकों (एसए) के अनुर्ष की है. उन लेखा-परीक्षा मानकों (एसए) के अंतर्गत हमारा और उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट की समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में वर्णित है. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा समेकित

To

The Members of Bank of Baroda

Independent Auditors' Report on Standalone Financial Statements of Bank of Baroda

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Bank of Baroda ("the Bank") which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2020, the Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which are included returns of head office, 18 Zone office , 20 branches and 1 Specialized Integrated Treasury Branch audited by us, 4,227 domestic branches audited by the respective Statutory Branch Auditors and 36 foreign branches audited by the respective Local Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India ("RBI").

   Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 5,235 domestic branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.52% of advances, 25.72% of deposits, 8.13% of interest income and 22.45% of interest expenses.

   In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act 1949 (the "Act") in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give:

   a. true and fair view in case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2020;

   b. true balance of Profit in case of Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

   c. true and fair view of the cash flows in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI") Our responsibility under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together

वित्तीय विवरण पत्रों की हमारी लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक आचार संहिताओं के साथ हैं, हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुरुप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है वह हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है.

विषयवस्तु का प्रभाव

3. हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं:

ए. वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 की नोट संख्या सी-.16 जो यह व्याख्या करती है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव का दायरा बैंक के परिचालन और वित्तीय परिणामों को प्रभावित करेगा, वो भविष्य के संभावनाओं पर निर्भर होगा, जो कि बहुत ही अनिश्चित है. बैंक लगातार वित्तीय स्थितियों की निगरानी कर रहा है और बैंक के परिचालन और वित्तीय विवरणियों पर को भी प्रभाव इन वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन की तारीख को अनिश्चित है.

बी. वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 की नोट संख्या ए-3.4 जो रू. 349.51 करोड़ (31 मार्च, 2019 शून्य) के प्रावधानों के आस्थगन से संबंधित है और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पहचान किए गए कुछ धोखाधड़ी खातों से संबंधित है और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर नं .बीपी.बीसी.92121.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीन तिमाहियों में लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए जाने हैं.

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है.

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे

4. हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मुद्दों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में और इसमें हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मुद्दों में अलग से राय नहीं देते हैं.

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	**हमारी लेखा परीक्षा कार्य में मुद्दों का किस तरह से निपटान किया गया**
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण. वर्ष के दौरान, 1 अप्रैल 2019 से देना बैंक और विजया बैंक के समामेलन को देखते हुए, जैसा कि वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 के नोट ए-1 (सी) और सी-8 में उल्लेखित किया गया है, बैंक संबंधित वर्टिकल यथा ईदेना बैंक शाखाओं, ईविजया बैंक शाखाओं	**हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण** हमने बैंक के सभी तीनों वर्टिकल के आईटी संबंधी वातावरण को समझा और तदुनसार, जोखिम मूल्यांकन हेतु आईटी एप्लिकेशनों, डेटाबेस और परिचालन प्रणालियों की पहचान की, जो वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकते हैं सकता है. इस क्षेत्र में सभी तीनों वर्टिकल के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा

with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis of our opinion.

Emphasis of Matter

3. We draw attention to –

a. Note no. C-16 of the Schedule 18 of the Financial Statements which explains that the extent to which COVID-19 pandemic will impact the Bank's operations and financial results is dependent on future developments, which are highly uncertain. The Bank is continuously monitoring the economic conditions and any impact on the Bank's Operations and Financial Statements is uncertain as on the date of approval of this financial statements.

b. Note no. A-3.4 of the Schedule – 18 of the Financial Statements relating to deferment of provision of Rs. 349.51 crore (March 31, 2019 Nil) pertaining to certain fraud accounts identified during the year ended March 31, 2020 and to be charged to the Profit & Loss Account in the three quarters of FY2020-21, in terms of RBI Circular DBR No. BP.BC.92121.04.048/2015-16 dated April 18, 2016.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Key Audit Matters	**How the matter was addressed in our audit**
Information Technology (IT) and controls impacting financial reporting During the year, in view of the amalgamation of Dena Bank and Vijaya bank with effect from April 1, 2019, as stated in note A-1(C) and C-8 of Schedule 18 of the Financial Statements, the bank operates in three different software for the respective verticals namely	**Our Audit Approach** We have obtained understanding of the IT related environment of all the three verticals of the Bank, and had accordingly identified IT applications, databases and operating systems to conduct risk assessment which may impact the financial reporting. Our audit procedures, with respect to all three verticals,

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	**हमारी लेखा परीक्षा कार्य में मुद्दों का किस तरह से निपटान किया गया**
और अन्य शाखाओं के लिए तीन अलग-अलग सॉफ्टवेयर में कार्य कर रहा है. उपर्युक्त को देखते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध में बैंक के परिचालन संबंधी आईटी वातावरण जटिल और व्यापक हो गया है क्योंकि यह काफी हद तक सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर है जिसमें स्वचालित और मैनुअल नियंत्रण और परिचालन संबंधी जटिलता और व्यापकता के कारण पूर्ण और सटीक इलेक्ट्रॉनिक डेटा की उपलब्धता शामिल है. तीनों सॉफ्टवेयर के लंबित सिस्टम एकीकरण/ माइग्रेशन के चलते, आंकड़ों के समेकन की प्रकिया मैनुअल रूप रिपोर्ट की जाएगी. अनधिकृत या व्यापक एक्सेस अधिकार, आईटी परिवेश में परिवर्तन, परिचालन नियंत्रण, कर्तव्यों के विभाजन में कमी जो वित्तीय जानकारी के गलत होने का जोखिम पैदा कर सकती है और वित्तीय विवरणों की पूर्ण और सटीकता पर गंभीर परिणाम हो सकता है. ऑटोमेशन के उच्च स्तर के कारण, उपयोग किए गए एकीकृत / गैर-एकीकृत प्रणालियों की संख्या, तीनों वर्टिकल के समेकन के लिए उपयोग की गई मैनुअल प्रक्रिया, यह हमारी लेखापरीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है.	प्रक्रियाओं में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: • यूज़र एवं एप्लिकेशन नियंत्रण, चेंज मैनेजमेंट नियंत्रण और डेटा बैकअप से संबंधित आईटी सामान्य नियंत्रणों का परीक्षण करना. • प्राधिकृत कर्मियों की अनुमतियों और जिम्मेदारियों की समीक्षा के माध्यम से कोर सिस्टम के एक्सेस पर उपयुक्त प्रतिबंधों का मूल्यांकन, • जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को करने का निर्धारण किया है, वहां हम मैन्युअल क्षतिपूर्ति नियंत्रणों पर निर्भर हैं; जैसे कि प्रणालियों और सूचना के अन्य स्रोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त जांच करना; पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने नमूना आकार का विस्तार किया है. • सभी वर्टिकल के आंकड़ों के मैनुअल समेकन प्रक्रियाओं के संबंध में नियंत्रण की समीक्षा और ऐसे समेकन के संबंध में यथार्थता को सुनिश्चित करना.
निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और उनके लिए प्रावधान बैंक का निवल अग्रिम धारक बैंक की कुल आस्तियों का 59.60% है, जो वित्तीय विवरणियों का एक महत्वपूर्ण भाग है.	**हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण** हमने अनर्जक आस्तियों, प्रावधान के निर्धारण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और इससे संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन में सम्मिलित प्रणाली में निर्मित नियंत्रणों, चेक और बैलेंस के बारे में बैंक से जाना और तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई.

Key Audit Matters	**How the matter was addressed in our audit**
EDena Bank branches, EVijaya Bank branches and other branches. In view of the above, the IT environment has become complex and pervasive to the operations of the Bank with regards to the financial reporting process since the same is highly dependent on information technology including automated and manual controls and availability of complete and accurate electronic data due to the size and complexity of the operations. Pending the systems integrated / migration of the three software, the process of consolidated of data to be reported is manual. Unauthorized or extensive access rights, changes in IT environment, operational controls, lack of segregation of duties which may cause a risk of misstatement of financial information and could have a material consequence on the completeness and accuracy of the financial statements. Due to high level of automation, number of integrated / non – integrated systems used, the manual process used for the consolidation of the three verticals, this is a significant matter for our audit.	in this area included, among others: • Testing IT general controls related to User and Application controls, Change Management Controls and Data backup. • Assessing whether appropriate restrictions were placed on access to core systems through reviewing the permissions and responsibilities of authorised personnel. • Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidences. • Reviewed the controls with respect to manual processes consolidation of data of all verticals and ensured data integrity with respect to such consolidation.
Classification of Loans and Advances, provision thereon and recognition of income The net advances of the Bank constitutes of 59.60% of the total assets, which is the significant part of the financial statements.	**Our Audit Approach** We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non – performing assets, provisioning and had accordingly planned our audit procedures.

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	हमारी लेखा परीक्षा कार्य में मुद्दों का किस तरह से निपटान किया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा, बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए कुछ नीतियां भी हैं. आहरण शक्ति गणनाओं, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए अन्य पक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, अग्रिम हानि के लिए प्रबंधन निर्णय, पुनर्गठित अग्रिमों के लिए घटते मूल्य की गणना और अनर्जक अग्रिमों में शामिल ब्याज आय निर्धारण के लिए उधारकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भरता के कारण; हमने इसे लेखापरीक्षा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना है.	हमने शीर्ष 20 घरेलू शाखाओं की लेखापरीक्षा की थी और अन्य घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए बैंक द्वारा चयनित शाखा लेखापरीक्षक द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर थे. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 द्वारा कोविड 19 महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन ने शाखा में भौतिक रूप से जाना निषेध कर दिया है. अत: हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई), ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्डस बोर्ड ऑफ़ आईसीएआई और इस मामले पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुरूप वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं पर निर्भर रहे हैं. सूचना के आधार पर बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारे द्वारा अपेक्षित दस्तावेज / जानकारी प्रदान की है. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, प्रधान कार्यालय में समेकन सहित शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालय और अंचल के अग्रिमों का पूर्ण सांविधिक लेखा परीक्षण संबंधित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों, एक्सेल वर्कशीट और अन्य दस्तावेजों साथ ही साथ हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप हमें प्रदान किए गए अतिरिक्त दस्तावेजों सहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिपोर्ट और दस्तावेजों के रूप में आंकड़ों के आधार पर किया गया है. प्रबंधन द्वारा यह प्रतिवेदन किया गया है कि हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से रिपोर्ट, रिकॉर्ड आदि के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किए गए आंकड़े और जानकारी सही, पूर्ण, विश्वसनीय है और यह बिना किसी मैनुअल संशोधन के सीधे बैंक के

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our audit
Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non – performing assets. Due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, management judgements for impairing advances, computation of diminution value for restructured advances and recognition of interest income including in non – performing advances; we have considered this to be a key audit matter.	We have audited top 20 domestic branches and have relied on the work done by the branch auditor for other domestic and foreign branches selected by the Bank. The lockdown announced due to Covid 19 pandemic by the Central Government and the State Government the Disaster Management (DM) Act, 2005, restricted the physical visit to be Branch. Thus we have relied on alternative audit procedures as per the Standards on Auditing prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Auditing and Assurance Standards Board of ICAI and RBI Directives on the matter. Based on the advisory the bank has provided documents/ information required by us through electronic medium. As a result of the above, the entire statutory audit of the advances of the branches, regional office, zonal office and zones including the consolidation at head office has been carried out based on data in the form of reports and documents, in an electronic form including scanned copies of the documents and excel worksheet and other documents as furnished by the respective units as well as additional documents provided to us in response to our requirements. It has been represented by the Management that the data and information provided electronically through reports, records etc for the purpose of our audit are correct, complete, reliable and are directly generated from the accounting system of the Bank extracted from

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	हमारी लेखा परीक्षा कार्य में मुद्दों का किस तरह से निपटान किया गया
	लेखांकन सिस्टम से जनरेट किए गए हैं, उधारकर्ता की फाइलों से निकाले गए हैं ताकि इसकी वास्तविकता, प्रामाणिकता, पठनीयता और पूर्णता को बनाए रखा जा सके. इसके अलावा, लेखा परीक्षा के तहत वर्ष हेतु विभिन्न आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट/निरीक्षण रिपोर्ट/समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर की गई हमारी समीक्षा में हमने ऐसा कुछ नहीं पाया है जिससे हमें ऐसा लगे कि ऐसी वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है. शीर्ष 20 घरेलू शाखाओं के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं उपरोक्त उल्लिखित प्रक्रिया पर आधारित थी जो निम्नलिखित पर केंद्रित हैं: • ऋण कार्यनिष्पादन निगरानी की प्रक्रिया के पास प्रमुख नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावकारिता की समीक्षा जिसमें आहरण शक्ति और प्रतिभूति मूल्यांकन के आकलन का आधार शामिल है. • नमूना आधार पर अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने संपार्श्विक एवं नकदी प्रवाह के मूल्यांकन सहित वित्तीय विवरणों, प्रतिभूति की मौजूदगी का निरीक्षण करने और लेखा बहियों में निर्धारित प्रावधानों की पर्याप्तता का आकलन करने हेतु ऋण फाइल की समीक्षा की है. • मूलधन, संविदागत ब्याज, मुद्राओं और परिपक्वता की तारीखों जैसे इनपुट डेटा के साथ मासिक आधार पर ब्याज आधारित आय का सत्यापन सारभूत परीक्षण एवं

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our audit
	the borrower files, without any further manual modifications so as to maintain its integrity, authenticity, readability and completeness. In addition, based on our review of the various internal audit reports / inspection reports / reports issued by the concurrent audit for the year under audit nothing has come to our knowledge that make us believe that such alternate audit procedure would not be adequate. Our audit procedures with respect to our audit of top 20 domestic branches based on the process described above, focused on – • Review of design and operating effectiveness of key controls around the process of loan performance monitoring which includes basis of assessing drawing power and security valuations. • For non-performing advances on sample basis, we have performed loan file reviews to inspect financial particulars, existence of security and assessed the adequacy of the provisions recognized in the books of accounts including valuation of collateral and the cash flows. • Verification of interest income credited on a monthly basis with the input data, such as principal amounts, contractual interest rates, currencies and maturity dates were tested through substantive testing

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	हमारी लेखा परीक्षा कार्य में मुद्दों का किस तरह से निपटान किया गया
	स्त्रोत दस्तावेजों की ट्रेसिंग के माध्यम से किया गया था. • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर चर्चा, ई-मेल और समान संप्रेषण माध्यमों द्वारा जांच की गई. उपरोक्त के अलावा, हमने समवर्ती लेखापरीक्षक की रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा करवाई गई अन्य लेखापरीक्षाओं की रिपोर्टों को भी ध्यान में रखा है. हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के अतिरिक्त, हमने अग्रिमों के वर्गीकरण, आय निर्धारण और अनर्जक अग्रिमों से संबंधित प्रावधान हेतु उपयोग किए गए आईटी सिस्टम के नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है.
निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों के अनसूची 18 के नोट ए-2 के साथ पठित अनुसूची 8) निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं. निवेश नियंत्रक बैंक की कुल संपत्ति का 23.71% है. ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं. आरबीआई के इन निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, आय की तद्नुरूपी अमान्यता और इसके प्रति प्रावधान शामिल हैं.	**हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण** आरबीआई के परिपत्रों / निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है. जैसा कि पिछले केएएम में कहा गया है, हमने आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं पर भरोसा किया है. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, ट्रेजरी शाखा की पूरी सांविधिक लेखा परीक्षा इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध रिपोर्ट और दस्तावेजों के डेटा के आधार पर की गई है जिसमें दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां और एक्सेल वर्कशीट तथा शाखा द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेज भी शामिल हैं. शाखा के प्रबंधक/ मुरूप प्रबंधक द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our audit
	and tracing to source documents. • Made enquiries through video conferencing, discussions over phone, emails and similar communication channels. Besides above, we have also referred to the reports of the concurrent auditor and other audits conducted by the Bank. In addition to the branches audited by us, we have carried out the Assessment of design, implementation and operating effectiveness of controls of IT System used with respect to the classification of advances, recognition of income and provisioning pertaining to non – performing advances.
Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 read with Note A-2 of Schedule 18 of the Financial Statements) Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. Investments constitute 23.71% of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.	**Our Audit Approach** Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/ directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non performing investments (NPIs), provisioning/ depreciation related to Investments. As stated in the earlier KAM, we have relied on alternative audit procedures as per the Standards on Auditing prescribed by the ICAI. As a result of the above, the entire statutory audit of the Treasury branch has been carried out based on data in the form of reports and documents in an electronic form including scanned copies of the documents and excel worksheet and other documents as furnished by the branch. It

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	हमारी लेखा परीक्षा कार्य में मुद्दों का किस तरह से निपटान किया गया
गैर-उद्धृत निवेश और कमजोर कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन बाजार में उतार-चढ़ाव, बेहतर कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है. तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित रही. उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है. मूल्यांकन, लेनदेनों की मात्रा, धारित निवेश और विनियामक केन्द्रित डिग्री में शामिल निर्णय सीमा और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दे के रूप में निर्धारित किया गया है.	से रिपोर्ट, रिकॉर्ड आदि के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किए गए डेटा और जानकारी सही, पूर्ण, विश्वसनीय हैं और सीधे बैंक की लेखा प्रणाली से जनरेट किए गए हैं. ट्रेजरी की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी ऑडिट प्रक्रिया निम्नलिखित पर केंद्रित है – ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है ; बी) धारित निवेश के चयनित नमूने के लिए हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्मूल्यांकन संबंधी दिशा-निर्देश के साथ इनकी सटीकता और अनुपालन की जांच की है. नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) नमूनों में शामिल हैं; सी) आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर गैर-उद्धृत निवेशों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन परीक्षण किया गया है.

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our audit
The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter.	has been represented by the manager/ Chief manager of the Branch that the data and information provided electronically through reports, records etc for the purpose of our audit are correct, complete, reliable and are directly generated from the accounting system of the Bank. Our audit procedures with respect to our audit of Treasury, focused on - a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/ depreciation related to investments; b) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample; c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the financial statements for the year ended March 31, 2019 in terms of the RBI guidelines.

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे	हमारी लेखा परीक्षा कार्य में मुद्दों का किस तरह से निपटान किया गया
	डी) हमने एनपीआई की पहचान और आय एवं प्रावधानों का रिवर्सल प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है; ई) हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यह्रास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाओं को अपनाया है. तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई संबंधित परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों को आरबीआई के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधानों की पुन: गणना की है;

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और शामिल लेखा परीक्षक रिपोर्ट से इतर अन्य जानकारियां

5. बैंक का निदेशक मण्डल अन्य जानकारी का उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी का समावेश है पर इसमें वित्तीय विवरणों और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का समावेश नहीं है. लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है.

   वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में बासेल III प्रकटीकरण के तहत पिलर III और अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन नहीं देंगे.

   वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि उपरोक्त निर्धारित अन्य जानकारी जब उपलब्ध हो जाए तो उसका अध्ययन करना और ऐसा करते समय यह विचार करना कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी वस्तुत: असंगत है या हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के समय या अन्यथा प्राप्त समझ वस्तुतः गलत प्रतीत होती है.

   जब हमने अन्य जानकारी को पढ़ा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां हैं, हमें इस मामले को उन्हें अवगत कराने की

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our audit
	d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision; e) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs;

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

   Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under Basel III disclosures and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   When we read the Other Information if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those

आवश्यकता है जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है और लागू कानूनों और विनियम तथा परिस्थितियों के परिणामस्वरूप अनिवार्य उपयुक्त कार्रवाई करने की जरूरत है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एव गवर्नेंस के प्रभारी व्यक्तियों की जवाबदेही

6. बैंक का प्रबंधन और निदेशक मण्डल, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों सहित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों जैसा कि बैंकों के लिए लागू होता है, के अनुरूप तैयार किए गए इन इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, कार्यकलापों तथा लाभ एवं नकदी प्रवाह का सह्दी एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, इनके लिए जवाबदेह है. इस जवाबदेही में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य विसंगतियों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए अधिनियमक के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डो के साथ-साथ उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग, निर्णय लेने और यह अनुमान लगाने कि ये व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हो तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डो की त्रुटिहीनता और पूर्णता के लिए प्रभावी रूप से परिचालित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी समाहित है जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक का प्रबंधन और निदेशक मण्डल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जबतक कि प्रबंधन का इरादा बैंक को लिक्विडेट करने या परिचालन समाप्त करने की न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

7. हमारा उद्देश्य यह भरोसा दिलाना है कि समग्र स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण कोई मिथ्याकथन न हो और ऐसी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित भरोसा एक उच्च स्तर का भरोसा होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे भौतिक तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

8. लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद

charged with governance and take appropriate actions necessitated by the circumstances and the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged With Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards specified by ICAI as applicable to banks, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by RBI from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone financial statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

8. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional

को बनाए रखते हैं. हम यह भी कहते हैं कि :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए भौतिक मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यनिष्पादन तथा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए भौतिक मिथ्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जानबुझकर छोड़ी गयी त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करना, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हो लेकिन यह राय व्यक्त करने के लिए नहीं है कि क्या कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है कि नहीं तथा इस तरह की आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता कितनी है.
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटिकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना.
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस का पता लगाना कि उन घटनाओं से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियाँ बनी है जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम निष्कर्ष निकालें कि भौतिक अनिश्चितता की संभावना है तो हमें हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों से संबंधित इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित कराने की अवश्यकता है या इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है. हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित है. तथापि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं.
- प्रकटीकरण सहित स्टरैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में बुनियादी लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसकी निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके.

वस्तुनिष्ठता विवरण में त्रुटियों का एक परिमाण है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभव बनाता है कि इससे विवरण के एक उपयुक्त जानकार यूजर के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) विवरण में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण(त्रुटियों) के प्रभावों का मूल्यांकन करने में इन मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं.

scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatement in the statement that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in; (i) planning the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effects of any identified misstatements in the statement.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control

हम अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध विस्तार एवं उसके समय का निर्धारण जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कोई कमियां सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो, जिसकी लेखापरीक्षा के दौरान हमने पहचान की है, के संबंध में गवर्नेंस के लिए प्रभारित व्यक्तियों के बारे में सूचित करते हैं.

हम गवर्नेंस के प्रभारी व्यक्तियों को यह बताते हैं कि हमने स्वतंत्रा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं और इनके साथ हमारी स्वतंत्रा, और जहां भी लागू हो, सावधानियों से संबंधित विषयों और अन्य मामलों जो तार्किक रूप से विचार में लाये जा सकते हैं का अनुपालन किया है.

गवर्नेंस के प्रभारी व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं. हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या एक दम विपरीत परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है.

अन्य मामले

9. हमने 4,227 घरेलू शाखाओं और 36 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण वर्ष की समाप्ति पर उस तारीख को 436,595.37 करोड़ रुपये के अग्रिम और रु. 43,690.98 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाते हैं जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है. इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और हमारी राय में यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, और यह पूरी तरह से उक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों पर आधारित है.

10. जैसा कि वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट सं. सी -17 में उल्लिखित है, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में बैंक के साथ 1 अप्रैल, 2019 को समामेलित हुए पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक के परिचालन भी शामिल हैं इसीलिए 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए संबंधित वर्ष के साथ तुलनीय नहीं हैं.

11. हमने बैंक के साथ समामेलन (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या ए-1 (सी) और सी- 8 देखें) के मद्देनजर वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक (अंतरणकर्ता बैंक) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसमें 1 अप्रैल, 2019 को कुल संपत्ति रु. 300,809.66 करोड़ और निवल संपत्ति रु. 11,792.07 करोड़ शामिल है. अंतरणकर्ता बैंकों के वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी को अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें सौंपी गई है और वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है जो ऐसे वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रदान की गई है.

that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

9. We did not audit the financial Statements of 4,227 domestic branches and 36 foreign branches whose financial statements reflects advances of Rs. 436,595.37 crore and total revenue of Rs. 43,690.98 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements of these branches have been audited by the Bank's Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the reports of such branch auditors.

10. As stated in Note no. C-17 of the Schedule 18 of the Financial Statement, the Financial Statements for the year ended March 31, 2020 includes operations of erstwhile Vijaya Bank and erstwhile Dena Bank which are amalgamated with the Bank w.e.f. April 1, 2019 and hence the figures for year ended March 31, 2020 are not comparable with corresponding year ended March 31, 2019.

11. We did not audit the financial statements of erstwhile Vijaya Bank and erstwhile Dena Bank (the "Transferor Banks"), included in the financial statements pursuant to amalgamation with the Bank (refer Note no. A-1(C) and C-8 of the Schedule 18 of the Financial Statements), which constitute total assets of Rs. 300,809.66 crore and net assets of Rs. 11,792.07 crore as at April 1, 2019. The financial statements and other financial information of the Transferor Banks have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion on the financial statements to the extent they have been derived from such financial statements is based solely on the report of such other auditors.

12. इस विवरण में बैंक के संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के आंकड़े भी शामिल हैं, जिनमें से तीन पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थे, जहां उन्होंने 22 मई 2019 की अपनी रिपोर्ट में इस तरह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय व्यक्त की थी.

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की गई.

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

13. तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार दर्शाएँ गए हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुसार अनियमित नहीं हैं:

14. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा अपेक्षित अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि;

ए) हमने सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं को अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया है जो कि हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है.

बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की शक्तियों के तहत हैं, और

सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाई गई हैं.

15. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारी राय में बैंक के पास कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखाबहियां हैं और उन बहियों की हमारी जांच से यह पता चलता है कि उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त हैं;

बी) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन एवं रिटर्न बहियों के अनुसार हैं;

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा हमें लेखापरीक्षित शाखा कार्यालय के लेखांकन पर रिपोर्ट भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उसका उचित अध्ययन किया है; और

डी) बैंक द्वारा 10 जून, 2020 को जारी अनुवर्ती संप्रेषण के साथ पठित "वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-2020 से एससीए के दायित्व की रिपोर्टिंग" संबंधी पत्र संख्या बीसीसी:सीएऐंडटी:एससीके/ 112/ 128 दिनांक 18 मार्च, 2020 की अपेक्षा अनुसार, हम उपर्युक्त पत्र में विनिर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार आगे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:

- हमारी राय में, तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह के विवरणों का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व

12. The Statement also includes figures for the year ended March 31, 2019, audited by the joint auditors of the Bank, three of whom were the predecessor audit firms, where they had expressed an unmodified opinion on such Standalone Financial Statements vide their report dated May 22, 2019.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Report on other legal and regulatory requirements

13. The Balance Sheet and the Profit and Loss account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and as per the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI:

14. As required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, we report that;

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

15. We further report that:

(a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

(b) The Balance Sheet and Profit and Loss account and Cash flow statements dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

(c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

(d) As required by the letter No. BCC:CA&T:SCK/112/128 dated March 18, 2020 on “Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) for Financial Year 2019-20 – Reporting Obligation of SCAs from Financial Year 2019-2020” to be read with subsequent communication dated June 10, 2020 issued by the Bank, we further report on the matters specified in the aforesaid letter as under:

- In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable

बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुसार अनियमित नहीं है;

- हमारी जानकारी में आए बैंक के संव्यवहार बैंक के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं.
- 31 मार्च, 2020 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर निदेशक मण्डल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए अनुसार कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2020 तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र नहीं है.
- हमारी राय में बैंक के पास कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखाबहियां हैं और उन बहियों की हमारी जांच से यह पता चलता है कि उन शाखाओं, जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त हैं;
- चूंकि धारक बैंक ने अपने पत्र क्र. 10 जून, 2020 के माध्यम से सूचित किया है कि बैंक ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के कार्यान्वयन के स्थगन का विकल्प चुना है. तद्नुसार, हमें 31 मार्च, 2020 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रण के परिचालनगत प्रभाव को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है.

accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

- The financial transactions of the Bank, which have come to our notice, do not have any adverse effect on the functioning of the Bank.
- On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2020 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2020 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act 2013.
- in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- Since the bank has informed us vide their letter dated June 10, 2020 that the bank has opted for the deferment of implementation of Internal Controls over Financial Reporting Accordingly, we are not required to report on the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and operating effectiveness of such controls as at March 31, 2020.

कृते **सिंघी एवं कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 302049ई
For **Singhi & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 302049E

(सीए श्वेता सिंघल)
साझेदार
एम नं. 414420
युडीआयएन: 20414420AAAABL8044
(CA Shweta Singhal)
Partner
M No. 414420
UDIN: 20414420AAAABL8044
स्थान: मुंबई Place : Mumbai

कृते **एस आर डिनोडिया एवं कंपनी** एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001478एन / एन500005
For **S R Dinodia & Co. LLP.**
Chartered Accountants
FRN : 001478N / N500005

(सीए संदीप डिनोडिया)
साझेदार
एम नं. 083689
युडीआयएन: 20083689AAAACC1917
(CA Sandeep Dinodia)
Partner
M No. 083689
UDIN: 20083689AAAACC1917
स्थान: नई दिल्ली Place : New Delhi

कृते **जी एम कपाडिया एवं कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104767डब्लु
For **G M Kapadia & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 104767W

(सीए राजेन अशर)
साझेदार
एम नं. 048243
युडीआयएन:20048243AAAAEX8738
(CA Rajen Ashar)
Partner
M No. 048243
UDIN: :20048243AAAAEX8738
स्थान: मुंबई Place : Mumbai

कृते **दास गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000112N
For **Dass Gupta & Associates**
Chartered Accountants
FRN : 000112N

(सीए पंकज मंगल)
साझेदार
एम नं. 097890
युडीआयएन: 20097890AAAAAW6454
(CA Pankaj Mangal)
Partner
M No. 097890
UDIN: 20097890AAAAAW6454
स्थान: नई दिल्ली Place : New Delhi

कृते **जे काला एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 118769W
For **J Kala & Associates**
Chartered Accountants
FRN : 118769W

(सीए जयेश काला)
साझेदार
एम नं. 101686
युडीआयएन: 20101686AAAAAL4226
(CA Jayesh Kala)
Partner
M No. 101686
UDIN: 20101686AAAAAL4226
स्थान: मुंबई Place : Mumbai

Date: June 23, 2020

अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा
Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के स्टैंड अलोन वार्षिक लेखों पर परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल हैं

We hereby declare that Auditors Report on Standalone Annual Accounts of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2020 contain unmodified opinion.

जी रमेश
प्रमुख
(कॉर्पोरेट लेखा और कराघान) एवं सीएफओ

श्री संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

G Ramesh
Head
(Corp. A/cs & Taxation) and CFO

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

दिनांक : 23 जून 2020
Date : 23rd June 2020

सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही /संपूर्ण वर्ष के लिए सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण –स्टैन्डअलोन

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 17(8) के अनुपालन स्वरूप हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते है:

ए. हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही /संपूर्ण वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया हैं.

ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.

बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किये गये जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण स्थापित करनें और बरकरार रखने का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के लिये जो उपाय किये हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

i. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन.

ii. अवधि के दौरान लेखा नीतयों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आये धोखाधड़ी संबंधी महत्वपूर्ण मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भमिका हो.

जी रमेश प्रमुख (कॉर्पोरेट लेखा और कराधान) एवं सीएफओ	**संजीव चड्ढा** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक : 23.06.2020
स्थान : मुंबई

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended 31st March 2020- Standalone

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statements for the quarter/ full year ended 31st March 2020 and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the period;

ii. Significant changes in accounting policies during the period and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

G Ramesh Head (Corporate Accounts & Taxation) and CFO	**Sanjiv Chadha** Managing Director & CEO

Date : 23.06.2020
Place : Mumbai

31 मार्च, 2020 का तुलन-पत्र
Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2020

(₹ in 000's)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020	31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019
पूंजी और देयताएं	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूंजी	Capital	1	**925,37,45**	530,36,44
आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	Share Application Money Pending Allotment	1A	**-**	5042,00,00
प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष	Reserves and Surplus	2	**75178,92,34**	49423,75,56
माइनॉरिटी ब्याज	Minority Interest	2A	**386,17,46**	341,36,48
जमाराशियाँ	Deposits	3	**973228,14,92**	665588,68,54
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	**95752,69,87**	68867,53,17
अन्य देयताएं और प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	**54470,81,56**	29878,24,27
कुल	**TOTAL**		**1199942,13,60**	819671,94,46
आस्तियां	**ASSETS**			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**34244,78,16**	28225,34,60
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**96760,29,11**	69659,49,37
निवेश	Investments	8	**289726,72,30**	195716,24,04
ऋण और अग्रिम	Loans & Advances	9	**706539,72,86**	484214,81,07
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	**9043,78,47**	7143,70,76
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	**63402,91,94**	34488,43,86
समेकन पर सुनाम	Goodwill on Consolidation		**223,90,76**	223,90,76
कुल	**TOTAL**		**1199942,13,60**	819671,94,46
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	**325173,65,39**	381543,49,32
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		**52285,39,27**	49212,85,81
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
खातों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	19		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुरली रामस्वामी
कार्यपालक निदेशक

शांति लाल जैन
कार्यपालक निदेशक

विक्रमादित्य सिंह खीची
कार्यपालक निदेशक

सुब्रत कुमार
महाप्रबंधक
ट्रेजरी परिचालन एवं खाते

जी रमेश
महाप्रबंधक
कार्पोरेट खाते एवं कराधान एवं सीएफओ

स्थानः मुंबई
दिनांक: 23-06-2020

कृते सिंघी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 302049ई

(सीए श्वेता सिंघल)
साझेदार
एम नं. 414420
स्थानः मुंबई

कृते जी एम कपाडिया एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104767डब्ल्यू

(सीए राजेन अशर)
साझेदार
एम नं. 048243
स्थानः मुंबई

कृते एस आर डिनोडिया एवं कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001478एन / एन500005

(सीए संदीप डिनोडिया)
साझेदार
एम नं. 083689
स्थानः नई दिल्ली

कृते दास गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000112N

(सीए पंकज मंगल)
साझेदार
एम नं. 097890
स्थानः नई दिल्ली

कृते जे काला एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 118769W

(सीए जयेश काला)
साझेदार
एम नं. 101686
स्थानः मुंबई

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा
Consolidated Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March 2020

(₹ in 000's)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2020 को Year Ended 31st March 2020	31 मार्च 2019 को Year Ended 31st March 2019
I. आय	I. INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	78894,69,77	52906,24,91
अन्य आय	Other Income	14	12191,33,17	7887,05,04
कुल	TOTAL		91086,02,94	60793,29,95
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
खर्च किया गया ब्याज	Interest Expended	15	50039,89,05	32505,71,72
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	20576,28,07	12768,96,71
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies		19527,67,38	14431,54,12
कुल	TOTAL		90143,84,50	59706,22,55
माइनॉरिटी ब्याज से पहले समेकित लाभ और सहयोगियों से आय का हिस्सा	**Consolidated Profit before Minority Interest and share of earning in Associates**		942,18,44	1087,07,40
सहयोगियों से आय का हिस्सा	Share of earnings in Associates	17	38,52,81	79,19,27
माइनॉरिटी ब्याज में कटौती के पश्चात वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ	**Consolidated Net Profit for the year before deducting Minority interest**		980,71,25	1166,26,67
घटाएं: माइनॉरिटी ब्याज	Less : Minority Interest		52,96,15	66,16,56
समूह हेतु स्रोतजन्य वर्ष के लिए समेकित लाभ	**Consolidated Profit for the year attributable to the group**		927,75,10	1100,10,11
आगे लाई गई लाभ और हानि खाते में शेष	Balance in Profit and Loss A/c brought forward		1109,40,23	942,26,19
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	**Amount available for appropriation**		2037,15,33	2042,36,30
III. विनियोजन	III. Appropriations			
सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		149,89,92	142,15,70
पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		822,24,62	210,36,34
धारा 36 (1) (viii) के अर्न्तगत विशेष प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Special Reserve u/s 36 (1) (viii)		180,00,00	183,91,29
राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		(331,41,19)	463,82,89
निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि में अंतरण	Tranbsfer to Investment Fluctuation Reserve		-	21,57,83
निवेश प्रारक्षित खाते में अंतरण	Transfer to Investment Reserve Account		(41,58,33)	(88,87,98)
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (Including Dividend Tax)		-	-
समेकित तुलन पत्र पर ले जायी गई शेष राशि	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		1258,00,31	1109,40,23
कुल	**TOTAL**		2037,15,33	2042,36,30
प्रति शेयर मूल आय (₹)	**Basic Earnings per Share (₹)**		2.32	4.16
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय (₹)	**Diluted Earnings per Share (₹)**		2.32	3.58
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	19		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग है.
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Murali Ramaswami
Executive Director

Shanti Lal Jain
Executive Director

Vikramaditya Singh Khichi
Executive Director

Subrat Kumar
General Manager
Treasury Operations & Accounts

G Ramesh
General Manager
Corp. A/Cs & Taxation
and CFO

Place: Mumbai
Date: 23-06-2020

For **Singhi & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 302049E

(CA Shweta Singhal)
Partner
M No. 414420
Place: Mumbai

For **G M Kapadia & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 104767W

(CA Rajen Ashar)
Partner
M No. 048243
Place: Mumbai

For **S R Dinodia & Co. LLP.**
Chartered Accountants
FRN : 001478N / N500005

(CA Sandeep Dinodia)
Partner
M No. 083689
Place: New Delhi

For **Dass Gupta & Associates**
Chartered Accountants
FRN : 000112N

(CA Pankaj Mangal)
Partner
M No. 097890
Place: New Delhi

For **J Kala & Associates**
Chartered Accountants
FRN : 118769W

(CA Jayesh Kala)
Partner
M No. 101686
Place: Mumbai

तुलन-पत्र की अनुसूचियां
Schedules to Balance Sheet

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020	31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019
अनुसूची -1 पूंजी	**SCHEDULE - 1 CAPITAL**		
प्राधिकृत पूंजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
(प्रति₹2/-के1,500,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 1,500,00,00,000 प्रति शेयर रु. 2/- के)	1,500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each (previous year 1,500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each)	**3000,00,00**	3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	**ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL**		
प्रति रु. 2/ - के 463,42,34,086 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 265,91,83,632 प्रति शेयर 2/- के)	463,42,34,086 Equity Shares of ₹ 2/- each (previous year 265,91,83,632 shares of ₹ 2/- each)	**926,84,68**	531,83,67
मांगी गई पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	**CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL**		
प्रति रु. 2/- के 462,05,66,586 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि 264,55,16,132) जिसमें केंद्र सरकार द्वारा धारित कुल रु. 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 167,34,59020 शेयर) शामिल हैं.	462,05,66,586 (previous period 264,55,16,132) Equity Shares of ₹ 2/- each including 330,81,84,689 Equity Shares (previous period 167,34,59,020 Shares) amounting to ₹ 661.64 crores held by Central Government	**924,11,33**	529,10,32
जोड़ें : **जब्त किए गए शेयर** (136,67,500 (पिछले वर्ष 136,67,500) इक्विटी शेयर	Add: **Forfeited Shares** 136,67,500 (P.Y. 136,67,500) equity shares	**1,26,12**	1,26,12
कुल	**TOTAL**	**925,37,45**	530,36,44

		31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020	31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019
अनुसूची- 1ए	**SCHEDULE - 1A**		
I आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि**	I Share Application Money Pending Allotment **	**-**	5042,00,00
		-	5042,00,00

**पिछले वर्ष में आबंटन बाकी हो ऐसे शेयर आवेदन की धनराशि, को भारत सरकार से प्राप्त आवेदन की है

** In previous year, share application money pending allotment represents application received from Government of India.

		31.03.2020		31.03.2019	
अनुसूची-2 आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	**SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS**				
I **सांविधिक आरक्षित निधियाँ**	I **Statutory Reserves**				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	**9801,41,91**		9671,61,47	
जोड़ें: लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	**149,89,92**		142,15,70	
जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	**3461,63,19**	**13412,95,02**	(12,35,26)	9801,41,91
II ए) पूंजीगत आरक्षित निधियाँ (रु. 6119.31 करोड़ की पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित (पिछली अवधि ₹ 4544.23 करोड़)	II a) Capital Reserves (including Revaluation Reserve of ₹ 6119.31 crores (previous periods ₹ 4544.23 crores)				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	**6105,57,26**		4552,51,04	

(₹ in 000's)

			31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019	
	जोड़ें / (घटाएं) लाभ एवं हानि खातों से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	**822,24,62**		210,36,34	
	जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	**5987,68,09**	**12915,49,97**	1342,69,88	6105,57,26
बी)	समेकन पर प्रारक्षित पूंजी	b) Capital Reserve on Consolidation				
	प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	**88,39,57**		73,91,78	
	जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	**(42,48,10)**	**45,91,47**	14,47,79	88,39,57
III	**शेयर प्रीमियम**	**III Share Premium**				
	प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	**16132,55,46**		16092,93,80	
	जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	**22088,59,70**	**38221,15,16**	39,61,66	16132,55,46
IV	**राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधि**	**IV Revenue & Other Reserves**				
ए	विशेष प्रारक्षित निधि धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत	a) Special Reserves u/s 36 (1) (viii)				
	प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	**4972,44,46**		4788,88,32	
	जोड़ें: लाभ हानि खाते से अंतरण/ समायोजन	Add: Transfer from P&L Accounts/Adjustment	**1159,25,74**	**6131,70,20**	183,56,14	4972,44,46
बी	रूपांतरित प्रारक्षित निधियाँ	b) Translation Reserve		**3368,94,56**		2298,39,40
सी	निवेश प्रारक्षित लेखा	c) Investment Reserve Account				
	प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	**41,58,33**		130,46,31	
	लाभ एवं हानि विनियोजन खाते से अंतरण	Transferred from P&L Appropriation A/c	**(41,58,33)**	**-**	(88,87,98)	41,58,33
डी	निवेश उतार चढ़ाव प्रारक्षित निधि	d) Investment Fluctuation Reserve				
	प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	**215,783**		-	
	अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	**-**	**21,57,83**	215,783	21,57,83
ई	राजस्व प्रारक्षित निधियाँ	e) Revenue Reserves				
	प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	**8852,41,11**		7874,46,34	
	जोड़ें : लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	**(331,41,19)**		463,82,89	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year	**2597,61,25**	**11118,61,17**	514,11,88	8852,41,11
	कुल – IV (ए, बी, सी, डी एवं ई)	**TOTAL - IV (a, b, c, d, & e)**		**20640,83,76**		16186,41,13
V	लाभ हानि खाते में शेष राशि	**V** Balance in Profit & Loss Account		**(10057,43,04)**		1109,40,23
	कुल (I से IV)	**TOTAL (I to V)**		**75178,92,34**		49423,75,56

पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक से प्राप्त शेष राशि सहित वर्तमान वर्ष के दौरान सांविधिक प्रारक्षित निधि में रु. 3569.30 करोड़, पूंजीगत प्रारक्षित निधि में रु. 3593.48 करोड़, शेयर प्रीमियम में रु. 8993.67 करोड़, विशेष प्रारक्षित निधि में रु. 979.26 करोड़, अन्य राजस्व निधियों में रु. 2141.61 करोड़ और लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष के अंतर्गत रु. (–) 11048.44 करोड़ जोड़ें. समामेलन के कारण समामेलित प्रारक्षित निधि रु. 3406.93 करोड़ सहित प्रारक्षित पूंजीगत निधि जोड़ें.

Additions during the current year includes balances carried forward from erstwhile Dena Bank and erstwhile Vijaya Bank of ₹ 3569.30 crore in Statutory reserve, ₹ 3593.48 crores in Capital reseves, ₹ 8993.67 crore in Share Premium, ₹ 979.26 crore in Special Reserve, ₹ 2141.61 crore in Other Reserves and ₹ (-) 11048.44 crore in Debit Balance in P&L Account.

Addition to capital reserve also includes Amalgamation reserve of ₹ 3406.93 crore on account of Amalgamation.

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019	
अनुसूची – 2ए – माइनॉरिटी ब्याज	**SCHEDULE - 2A MINORITY INTEREST**				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	**341,36,48**		272,52,41	
जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	**44,80,98**	**386,17,46**	68,84,07	341,36,48
कुल माइनॉरिटी ब्याज	Total Minority Interest		**386,17,46**		341,36,48
अनुसूची – 3 जमाराशियाँ	**SCHEDULE - 3 DEPOSITS**				
ए. I मांग जमाराशियाँ	**A. I Demand Deposits**				
i) बैंकों से	i) From Banks	**1490,13,66**		1038,36,39	
ii) अन्य से	ii) From Others	**64571,83,71**	**66061,97,37**	47191,73,86	48230,10,25
II बचत बैंक जमाराशियाँ	**II Savings Bank Deposits**		**274835,46,42**		182120,07,01
III मीयादी जमाराशियाँ	**III Term Deposits**				
i) बैंकों से	i) From Banks	**51560,03,60**		54133,20,65	
ii) अन्य से	ii) From Others	**580770,67,53**	**632330,71,13**	381105,30,63	435238,51,28
कुल (I से III)	**TOTAL (I to III)**		**973228,14,92**		665588,68,54
बी. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	**B. I Deposits of branches in India**	**816286,07,38**		525142,70,64	
II भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	**II Deposits of branches outside India**	**156942,07,54**		140445,97,90	
कुल (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**973228,14,92**		665588,68,54	
अनुसूची – 4 उधार ली गई राशियाँ	**SCHEDULE - 4 BORROWINGS**				
I भारत में उधार ली गयी राशियां	**I Borrowings in India**				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	**45792,00,00**		27500,00,00	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	**9193,78,37**		7119,11,31	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	**8649,20,37**		7930,18,45	
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**8283,50,00**		5961,50,00	
v) गौण बांड	v) Subordinated Bonds	**13106,50,00**	**85024,98,74**	6456,50,00	54967,29,76
II भारत के बाहर उधार ली गई राशियां	**II Borrowings outside India**		**10727,71,13**		13900,23,41
कुल (I एवं II)	**Total - Borrowings (I & II)**		**95752,69,87**		68867,53,17
उपर्युक्त I एवं II में शामिल जमानती उधार राशियां	Secured Borrowings included in I & II above		**52501,18,02**		34033,72,25

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019	
अनुसूची– 5 अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**				
I देय बिल	I Bills Payable		**2153,28,46**		1926,69,02
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued		**5137,11,88**		3848,10,45
III अंतर कार्यालय समायोजन	III Inter office Adjustments		**3919,05,69**		1083,12,54
IV आस्थगित कर देयताएँ	IV Deferred Tax Liabilities		**6,77,44**		2,43,67
V मानक अग्रिमों के सापेक्ष आकस्मिक प्रावधान	V Contingent Provision against Standard Advances		**7483,39,52**		3221,00,81
VI अन्य (प्रावधानों सहित)	VI Others (including provisions)		**35771,18,57**		19796,87,78
कुल (I से VI)	**Total (I to VI)**		**54470,81,56**		29878,24,27
अनुसूची– 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	**SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**				
I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)		**4887,95,48**		3458,94,12
II भारतीय रिज़र्व बैंक/ केन्द्रीय बैंक के पास शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India/ Central Bank :				
i) चालू खाते में	i) in Current Account	**28673,41,29**		24295,86,04	
ii) अन्य खाते में	ii) In Other Account	**683,41,39**	**29356,82,68**	470,54,44	24766,40,48
कुल (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**		**34244,78,16**		28225,34,60
अनुसूची– 7 बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	**SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**				
I भारत में	**I In India**				
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks				
ए) चालू खाते में	a) in Current Accounts	**337,62,39**		121,31,71	
बी) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	**6170,27,85**	**6507,90,24**	6800,07,95	6921,39,66
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice				
ए) बैंकों के पास	a) with Banks	**17000,00,02**		11,21,37	
बी) अन्य संस्थानों के पास	b) with Other institutions	**39,66,00**	**17039,66,02**	111,95,40	123,16,77
कुल (i और ii)	**TOTAL (i and ii)**		**23547,56,26**		7044,56,43
II भारत से बाहर	**II Outside India**				
i) चालू खाते में	i) in Current Accounts	**28748,78,85**		26795,68,83	
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	**31359,24,43**		24980,21,57	
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	iii) Money at Call and Short Notice with Banks	**13104,69,57**		10839,02,54	
कुल (i, ii और iii)	**TOTAL (i, ii and iii)**		**73212,72,85**		62614,92,94
कुल योग (I और II)	**TOTAL (I and II)**		**96760,29,11**		69659,49,37

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019	
अनुसूची– 8 निवेश	**SCHEDULE - 8 INVESTMENTS**				
I भारत में निवेश	**I Investments in India in**				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Govt Securities	**246979,23,69**		161675,54,35	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	**3315,50,83**		3549,60,00	
iii) शेयरों	iii) Shares	**3737,74,19**		3371,57,87	
iv) डिबेंचर और बांड	iv) Debentures and Bonds	**12297,09,71**		8537,58,67	
v) सहयोगियों में निवेश	v) Investment in Associates	**1065,84,25**		917,19,20	
vi) अन्य	vi) Others	**3786,12,16**		2116,92,62	
कुल (i से vi)	**Total (i to vi)**		**271181,54,83**		180168,42,71
II भारत से बाहर निवेश	**II Investments Outside India in**				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Govt Securities (incl. Local authorities)	**11458,03,95**		9780,80,58	
ii) सहयोगियों में निवेश	ii) Investment in Associates	**48,47,36**		100,76,21	
iii) अन्य	iii) Others	**7038,66,16**		5666,24,54	
कुल (i से iii)	**Total (i to iii)**		**18545,17,47**		15547,81,33
कुल योग (I एवं II)	**Grand Total (I & II)**		**289726,72,30**		195716,24,04
III भारत में निवेश	**III Investments in India**				
निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of Investments	**274187,06,78**		181844,75,10	
घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	**3005,51,96**		1676,32,39	
भारत में निवल निवेश	**Net Investments in India**	**271181,54,82**		180168,42,71	
IV भारत के बाहर निवेश	**IV Investments outside India**				
निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of Investments	**18980,45,89**		15844,61,68	
घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	**435,28,41**		296,80,35	
भारत के बाहर निवल निवेश	**Net Investments outside**	**18545,17,48**	**289726,72,30**	15547,81,33	195716,24,04

		31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020	31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019
अनुसूची– 9 अग्रिम	**SCHEDULE - 9 ADVANCES**		
ए. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	**33195,89,05**	26401,00,29
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	**271801,85,30**	207942,41,37
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	**401541,98,51**	249871,39,41
कुल (i से iii)	**Total (i to iii)**	**706539,72,86**	484214,81,07

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019	
बी. i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूत (बही ऋणों के सापेक्ष अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets(Includes advances against book debts)	**552076,74,78**		378702,90,92	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	**68671,55,89**		40958,73,55	
iii) गैरजमानती	iii) Unsecured	**85791,42,19**		64553,16,60	
कुल (i से iii)	**Total (i to iii)**		**706539,72,86**		484214,81,07
सी. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i. Priority Sector	**197336,21,05**		131745,66,13	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii. Public Sector	**69488,16,23**		37024,95,21	
iii) बैंक	iii. Banks	**520,77,03**		226,96,12	
iv) अन्य	iv. Others	**310192,96,09**	**577538,10,40**	207127,13,56	376124,71,02
II भारत के बाहर अग्रिम	II Advances Outside India				
i बैंकों से प्राप्य	i Due from Banks	**39331,50,23**		31227,97,25	
ii अन्य से प्राप्य	ii Due from Others				
ए) खरीदे और भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	**3895,31,61**		4206,54,37	
बी) समूहित ऋण	b) Syndicated Loans	**40673,37,20**		32404,64,99	
सी) अन्य	c) Others	**45101,43,42**	**129001,62,46**	40250,93,44	108090,10,05
कुल (सी.I +सी.II)	**TOTAL (C.I +C.II)**		**706539,72,86**		484214,81,07

अनुसूची– 10 अचल आस्तियां
SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS

I **परिसर**	I **Premises**				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	**8377,59,00**		6438,07,22	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/Adjustments during the year	**4050,38,33**		2064,96,96	
		12427,97,33		8503,04,18	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ समायोजन	Deductions/adjustments during the year	**352,14,83**		125,45,18	
(पुनर्मूल्यांकित राशि सहित)	(Includes revalued amount)	**12075,82,50**		8377,59,00	
आज की तारीख तक मूल्यहास	Depreciation to date	**4590,53,20**	**7485,29,30**	2557,11,33	5820,47,67
II **अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) :**	II **Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) :**				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	**5845,87,86**		5356,52,14	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/Adjustments during the year	**2709,45,03**		601,06,47	
		8555,32,89		5957,58,61	

(₹ in 000's)

			31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Deductions during the year	319,81,26		111,70,75	
		8235,51,63		5845,87,86	
आज की तारीख तक मूल्यह्रास	Depreciation to date	6677,02,46	1558,49,17	4522,64,77	1323,23,09
	TOTAL (I and II)		9043,78,47		7143,70,76

समामेलन के पश्चात पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक से रु. 3456.49 करोड़ की निवल बही मूल्यअंतरित किया किया गया है.
A Net Book value of ₹ 3456.49 crore has been transferred from erstwhile Dena Bank and erstwhile Vijaya Bank on merger.

अनुसूची– 11 अन्य आस्तियां / SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS

				31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020	31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019
I	उपचित ब्याज	I	Interest Accrued	6995,55,26	6256,60,90
II	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II	Tax paid in advance/tax deducted at source(net of Provisions)	8436,60,40	5993,52,00
III	लेखन सामग्री और स्टम्प	III	Stationery and Stamps	9,34,99	5,98,78
IV	आस्थगित कर आस्तियां	IV	Deferred Tax assets	14574,62,58	7446,55,17
V	अन्य	V	Others	33386,78,71	14785,77,01
	कुल (I से V		TOTAL (I to V)	63402,91,94	34488,43,86

अनुसूची– 12 आकस्मिक देयताएँ / SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES

				31 मार्च 2020 को As at 31st March 2020		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2019	
I	दावे जिन्हें देनदारी नहीं माना गया	I	Claims not acknowledged as debts		19001,50,79		2926,65,87
II	आंशिक चुकता निवेशों के लिए देयता	II	Liability for partly paid Investments		15,28,00		16,61,53
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III	Liability on account of outstanding forward exchange contracts		168478,34,51		260944,53,20
IV	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ	IV	Guarantees given on behalf of constituents :				
	ए) भारत में		a) In India	5347,38,32		26644,09,37	
	बी) भारत के बाहर		b) Outside India	1738,58,51	7085,96,83	4609,69,86	31253,79,23
V	स्वीकृतियां, प्रांकन एवं अन्य दायित्व	V	Acceptances, Endorsements and Other Obligations		10352,69,52		22759,69,18
VI	आकस्मिक देयताओं की अन्य मदें	VI	Other items of contingent liability		120239,85,74		63642,20,31
	कुल (I से VI)		TOTAL (I to VI)		325173,65,39		381543,49,32

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2020 को For the Year Ended 31st March 2020	31 मार्च 2019 को For the Year Ended 31st March 2019
अनुसूची -13 अर्जित ब्याज और लाभांश	**SCHEDULE - 13 INTEREST AND DIVIDENDS EARNED**		
I अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ बट्टा	I Interest/Discount on Advances/ Bills	**55491,07,26**	35623,20,03
II निवेशों पर आय	II Income on Investments	**19233,59,63**	14175,23,12
III भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशियाँ और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	**2160,15,09**	2013,21,92
IV अन्य	IV Others	**2009,87,79**	1094,59,84
कुल (I से IV)	**TOTAL (I to IV)**	**78894,69,77**	52906,24,91
अनुसूची - 14 अन्य आय	**SCHEDULE - 14 OTHER INCOME**		
I कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	I Commission, Exchange and Brokerage	**2676,14,68**	2139,68,73
II भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों (निवल) के बिक्रय पर लाभ/ (हानि)	II Profit/(Loss) on sale of Land, Buildings and Other Assets (Net)	**3,56,63**	15,43,31
III विनिमय लेनदेन पर लाभ (निवल)	III Profit on Exchange Transactions (Net)	**1020,77,05**	723,89,22
IV निवेशों की बिक्री पर लाभ (निवल)	IV Profit on sale of Investments(Net)	**2777,84,11**	997,73,41
V अर्जित प्रीमियम	V Premium earned	**1405,44,33**	1389,41,30
VI विविध आय	VI Miscellaneous Income	**4307,56,37**	2620,89,07
कुल (I से VI)	**TOTAL (I to VI)**	**12191,33,17**	7887,05,04
अनुसूची -15 खर्च किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED**		
I जमाराशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits	**44856,48,44**	28572,30,61
II भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	**2683,48,37**	2104,48,55
III अन्य	III Others	**2499,92,24**	1828,92,56
कुल (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**50039,89,05**	32505,71,72

(₹ in 000's)

		31 मार्च 2020 को For the Year Ended 31st March 2020	31 मार्च 2019 को For the Year Ended 31st March 2019
अनुसूची – 16 परिचालन व्यय	**SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES**		
I कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees	**9279,24,09**	5434,11,83
II किराया, कर और बिजली	II Rent, Taxes and Lighting	**1583,97,32**	1098,63,56
III मुद्रण और लेखन सामग्री	III Printing and Stationery	**124,61,60**	86,66,55
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity	**254,40,92**	138,70,79
V बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V Depreciation on Bank's Property	**1697,22,71**	948,25,01
VI निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses	**4,57,57**	4,41,87
VII लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)	**107,97,41**	66,17,96
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges	**168,85,84**	168,61,92
IX डाक, तार और टेलीफ़ोन आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.	**214,39,84**	119,71,81
X मरम्मत एवं रख–रखाव	X Repairs and Maintenance	**1147,53,08**	938,31,23
XI बीमा	XI Insurance	**1081,15,53**	716,68,33
XII अन्य खर्चे	XII Other Expenditure	**4912,32,16**	3048,65,85
कुल (I से XII)	**TOTAL (I to XII)**	**20576,28,07**	12768,96,71

अनुसूची – 17 सहयोगियों से अर्जित आय के शेयर	**SCHEDULE - 17 SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES**		
I आरआरबी	I RRB's	**60,76,49**	76,59,57
II अन्य	II Others	**(22,23,68)**	2,59,70
कुल (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**38,52,81**	79,19,27

अनुसूची-18 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरण संबंधी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

Schedule - 18 Significant Accounting Policies on The Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2020.

1. तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण-पत्र, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत के तहत तैयार किए गए हैं. ये भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है. विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्य प्रणाली का अनुपालन किया गया है.

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने में वित्तीय विवरण-पत्र की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं. भावी परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन / संशोधन वर्तमान/भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.

3. निवेश:

बैंक के द्वारा निवेशों के लिए, निपटान तारीख के आधार पर समरूप लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है. बैंक के निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन आरबीआई के परिपत्र डीबीआर. नं. बीपी.बीसी.6/21 .04.141/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार किया गया है.

3.1 वर्गीकरण

ए) वर्गीकरण का आधार

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो क़ो निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है

i. 'परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं.

ii. ''व्यापार हेतु धारित'' (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है. ऐसी प्रतिभूतियां जो खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर बिक्री हेतु रखी गई हैं उन्हें एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

iii. ''बिक्री हेतु उपलब्ध" (एएफएस) में वे निवेश शामिल हैं जो उपर्युक्त (ए) तथा (बी) में शामिल नहीं हैं अर्थात्जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं.

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilites (including contingent liabilites) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3 INVESTMENTS

The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Circular DBR. No. BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

3.1 Classification

a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

i. "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

ii. "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade. Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified under the HFT category.

iii. "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

तुलन-पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 ('निवेश') में छः समूहों (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉन्ड एवं डिबेंचर (ई) अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम और (एफ) अन्य के अंतर्गत यथा प्रकट के रुप में वर्गीकृत किया गया है.

बी) अधिग्रहण की लागत

निवेशों से संबंधित ब्रोकरेज आदि की लागत, जिसका अर्जन के समय भुगतान किया गया है और ब्रोकन अवधि का ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

सी) श्रेणियों के बीच अंतरण

एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों का पुनःवर्गीकरण, यदि कोई किया गया है तो, वह भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. एएफएस/ एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण निम्नतर बही मूल्य या बाजार मूल्य पर किया गया है. एचटीएम से एएफएस / एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में, एचटीएम के अंतर्गत बट्टे पर रखे गए निवेशों को एएफएस / एचएफटी श्रेणी में अर्जन मूल्य पर अंतरित किया गया है और एचटीएम श्रेणी में प्रीमियम पर रखे निवेशों को एएफएस/ एचएफटी में परिशोधित लागत पर अंतरित किया गया है.

एएफ़एस से एचएफ़टी में या एचएफ़टी से एएफ़एस में निवेशों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है. इस तरह के निवेशों पर लागू किसी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उसे भी एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित किया जाता है.

इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप मूल्यह्रास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया गया है.

3.2 मूल्यांकन

'परिपक्वता तक धारित' के रुप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अर्जित लागत पर लिया गया है, जब तक कि वह अंकित मूल्य से अधिक नहीं है, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों पर प्रीमियम के परिशोधीकरण संबंधी खर्च को आरबीआई के परिपत्र डीआरबी. नं. बीपी.बीसी.6/24.04.141/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार ब्याज आय से घटाया गया है.

'परिपक्वता तक धारित' के रुप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/ बॉन्ड शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है (जिनके लिए अग्रिमों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है.)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों, ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्रों में किए गए निवेशों को रख-रखाव की लागत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं हेतु खरीदे गए सर्टिफिकेटों के माध्यम से पास आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर मूल्यांकित किए गए हैं.

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups (a) government securities (b) other approved securities (c) shares (d) bonds and debentures (e) subsidiaries and joint ventures and (f) others.

b) Cost of acquisition

Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

c) Transfer between categories

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. Transfer of scrip from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In the case of transfer of securities from HTM to AFS / HFT category, the investments held under HTM at a discount are transferred to AFS / HFT category at the acquisition price and investments placed in the HTM category at a premium are transferred to AFS / HFT at the amortized cost.

Transfer of investments from AFS to HFT or vice-a-versa is done at the book value. Depreciation carried, if any, on such investments is also transferred from one category to another.

The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.2 Valuation

Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Amortization expense of premium on investments in the HTM category is deducted from interest income in accordance with RBI Circular DBR. No.BP.BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book Value in accordance with RBI guidelines.

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों में (भारत तथा विदेश दोनों में) अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यह्रास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है.

23.08.2006 के पश्चात्मूल संस्था द्वारा जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) की ईकाइयों में किए गए निवेश को आरम्भिक तीन वर्षों के लिए परिपक्वता तक धारित के तहत, श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तथा कीमत के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है. संवितरण के तीन वर्षों के पश्चात्इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एएफएस तथा मार्कड-टू-मार्केट में अंतरित किया जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ये वित्तीय विवरणियों के अनुसार वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य या घोषित एनएवी का प्रयोग कर मूल्यांकित किए गए हैं. यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो ₹ 1/- प्रति वीसीएफ.

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक आधार पर मार्क्ड-टू-मार्केट (एमटीएम) हैं. अनुसूची 8 ('निवेश') में उल्लिखित वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में यदि कोई निवल मूल्यह्रास है तो, उसे लाभ-हानि खाते में अंकित किया गया है. निवल विनियोजन, प्रत्येक वर्गीकरण श्रेणी में यदि कोई हो, को अनदेखा किया जाता है. अलग-अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य निवेशों के आवधिक मूल्यांकन के कारण नहीं बदलता है.

पुनर्संरचित अग्रिम योजना के बदले में प्राप्त निवेश का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है. इन निवेशों के मूल्यों में किसी तरह की कमी को उपलब्ध कराया जाएगा और इसे इसी श्रेणी के तहत अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोजन के मुक़ाबले निर्धारित नहीं किया जाएगा. पुनर्संरचित योजना के तहत बैंक द्वारा अधिग्रहित और धारित इक्विटि शेयर पर मूल्यह्लास रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा.

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित, ऐसे लिखतों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा. तद्नुसार, ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्सरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद से नकदी प्रवाह को संबंधित योजना के तहत लिखत को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों के वास्तविक प्राप्य राशियों तक सीमित किया जाता है तो बैंक प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को इस तरह के लिखतों के मूल्यांकन के लिए आस्ति पुनर्संरचना कंपनी से समय-समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्यों की गणना करेगा. 01 अप्रैल 2017 को या इसके बाद प्रतिभूति रसीद में किए गए निवेश, जो बैंक द्वारा 50% से ज्यादा बेचे गए दबावग्रस्त आस्तियों द्वारा समर्थित हो, के मूल्य में अवमूल्यन के लिए प्रावधान आस्ति पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) और प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान दर से अधिक होगा या मूल ऋण के लिए लागू मौजूदा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंड के अनुसार होगा और ऐसा माना जाएगा कि बैंक की बही में ऋण अनुमानतः जारी रहेगा. प्रतिभूति रसीद में अन्य सभी निवेशों का मूल्यांकन जारीकर्ता आरसी/एससी से प्राप्त एनएवी के अनुसार किया जाता है.

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS category. These are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF

Investments categorized under AFS and HFT categories are Marked-to-Market (MTM) on a periodical basis as per relevant RBI guidelines. Net depreciation, if any, in the category under the classification mentioned in Schedule 8 ('Investments') is recognized in the profit and loss account. The net appreciation, if any, in the category under each classification is ignored, except to the extent of depreciation previously provided. The book value of individual securities is not changed consequent to periodic valuation of investments.

Investments received in lieu of restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. Any diminution in value on these investments is provided for and is not used to set off against appreciation in respect of other performing securities in that category. Depreciation on equity shares acquired and held by the Bank under restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction company are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting date. In case of investment in Security Receipts on or after April 1, 2017 which are backed by more than 50% of the stressed assets sold by the bank, provision for depreciation in value is made at higher of – provisioning rate required in terms of net assets value declared by Reconstruction Company (RC)/ Securitization Company (SC) or the provisioning rate as per the extant asset classification and provisioning norms as applicable to the underlying loans, assuming that the loan notionally continue in the books of the Bank. All other investments in the Security Receipts are valued as per the NAV obtained from issuing RC / SC.

रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) / इचन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) के सूचीबद्ध लिखतों में निवेश अधिक मात्रा में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में समापन मूल्य पर होता है. यदि मूल्यांकन की तारीख से 15 दिनों के भीतर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर इनका क्रय-विक्रय नहीं होता है तो, उनका मूल्यांकन मूल्यांकक द्वारा निर्धारित नवीनतम एनएवी (जो 1 वर्ष से पुरानी न हो) के आधार पर किया जाता है.

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन रख-रखाव की लागत पर किया जा रहा है.

बैंक केंद्र सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प बिक्री लेनदेन करता है. शॉर्ट पोजीशन, बिक्री पर प्राप्त राशि के रूप में परिलक्षित होती है और निवेश अनुसूची में समायोजित होती है. शॉर्ट पोजीशन को बाजार और हानि के लिए चिन्हित किया जाता है, यदि कोई हो, और उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है जब उससे कोई लाभ हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है. शॉर्ट पोजीशन के निपटान से हुई लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

विशेष बॉन्ड जैसे कि तेल बॉन्ड, उर्वरक बॉन्ड, यूडीएवाय बॉन्ड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन एफआईबीएल के आधार पर किया जाता है.

'व्यापार के लिए धारित' तथा ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणी के उद्धृत निवेशों के मूल्यांकन के लिए बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरों हेतु फायनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है.

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

ए	सरकारी अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	परिपक्वता आधारित आय पर.
बी	इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर	-	नवीनतम तुलनपत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं के अनुसार ब्रेक अप मूल्य ('पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि', यदि कोई हो, पर विचार किए बिना) अन्यथा रु 1 प्रति कंपनी.
सी	अधिमानी शेयर और सर्टिफिकेटों के माध्यम से पारित (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को छोड़कर)	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता
डी	पीएसयू बॉन्ड	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर.
ई	म्युचुअल फंड की यूनिटें	-	फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/ एनएवी पर.

Investment in listed instruments of Real Estate Investment Trust (REIT) / Infrastructure Investment Trust (INVIT) is valued at closing price on a recognized stock exchange with the higher volumes. In case the instruments were not traded on any stock exchange within 15 days prior to date of valuation, valuation is done based on the latest NAV (not older than 1 year) submitted by the valuer.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is being valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short position is reflected as the amount received on sale and is netted in the Investment schedule. The short position is marked to market and loss, if any, is charged to the Profit and Loss account while gain, if any, is ignored. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc which are directly issued by Government of India, is valued based on FIBL valuation.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd(FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

a	Government / Approved securities	-	On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At break-up value (without considering 'Revaluation reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
c	Preference Shares & Pass through Certificates (other than priority sector)	-	On Yield to Maturity basis with appropriate Credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश की पहचान और उसके ऊपर अवमूल्यन / प्रावधान किया जाता है. मूल्यह्रास के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई सीमा से ऊपर और अधिक अतिरिक्त प्रावधान सृजित करते हैं. इस तरह के अनर्जक निवेश पर मूल्यह्रास प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोजन के मुक़ाबले निर्धारित नहीं किया जा सकता. अनर्जक निवेश पर ब्याज को लाभ-हानि खातों में तब तक दर्ज नहीं किया जाता जब तक उनकी वास्तविक प्राप्ति नहीं हो जाती है.

विदेशी शाखाओं में निवेश के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देश में से जिसके दिशानिर्देश अधिक कठोर हों, वे लागू होंगे. उन शाखाओं के मामलों में, जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां ऐसे कोई दिशानिर्देश निर्दिष्ट न हो, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश लागू होंगे.

3.3 निवेशों का निस्तारण

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया गया है एवं ''परिपक्वता तक धारित'' वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ को प्रारक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया है.

एएफएस/एचएफटी श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

3.4 रेपो / रिवर्स रेपो हेतु लेखांकन

बैंक ने पुनःखरीद तथा प्रत्यावर्तित पुन: खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है [परिपत्र सं. भा.रि.बैं./2016-17/ एफएमओडी.एम एओजी.नं./01.01.001/2016-17 दिनांक 15-09-2016 द्वारा भा.रि.बैं. के पास चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित]. रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों को, सहमत शर्तों पर पुनःखरीद करने के समझौते के साथ संपाश्विक उधार/ऋण के रूप में लिया गया है. रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को रिवर्स रेपो के तहत निवेश व खरीदी गई प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है, तथा उन्हें निवेशों में शामिल नहीं किया गया है. लागत तथा राजस्व की गणना, ब्याज व्यय/आय जैसा भी मामला हो, के रूप में की गयी है.

3.5 निवेश उतार- चढ़ाव प्रारक्षित

आय में वृद्धि के सापेक्ष संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर.नं.बीपी.बी सी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्त वर्ष 2018-19 से आईएफआर सृजित करने के लिए सूचित किया है.

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ या (ii) वर्ष के शुद्ध लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, का न्यून होगा, जब तक कि आइएफआर की राशि सतत आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत नहीं होती है.

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the RBI guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/ provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

3.4 Accounting for repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD.MAOG. No. /01.01.001/2016-17 Dated 15-09-2016. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transferred to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

3.6 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है. बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, एक्सचेंज ट्रेडेड रुपया ब्याज दर फ्यूचर तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं. बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर शामिल हैं. बैंक मार्केट मेकिंग/ ट्रेडिंग और तुलन-पत्र की आस्ति एवं देयताओं की व्यवस्था बचाव के लिए डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन करता है.

3.7 मूल्यांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/ गैर व्यवस्था बचाव (ट्रेडिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किए जाते हैं. बचाव व्यवस्था के रूप में नामित डेरिवेटिव संविदाएं तब तक बाजार भाव पर नहीं दर्शायी जाती हैं जब तक कि इनका अंतर्निहित बाजार भाव पर दर्शाया गया है. बचाव व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव संविदाएं एवं जहां अंतर्निहित बाजार भाव पर नहीं दर्शाया जाता है, उपचय आधार पर रिकॉर्ड होगे. ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स को बाजार चिन्हित किया गया है, तथा परिणामी हानि, यदि कोई हो, को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया गया है. लाभ, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है. ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय निपटान तारीख को लिया गया है. ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर हुए लाभ/ हानि को समाप्ति तिथि पर आय/ व्यय के रूप में दर्ज किया गया है.

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के उचित मूल्य की गणना उस राशि के आधार पर की गयी है जो कि तुलनपत्र की तारीख को स्वैप समझौतों से संबंधित लेनदेन की समाप्ति पर प्राप्य या देय होगा. इससे संबंधित हानि, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किए गए हैं जबकि लाभ, यदि कोई हो, की गणना नहीं की गई है.

बैंक एफईडीएआई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करता है. ऑप्शन ट्रांजेक्शनों पर प्रीमियम, ट्रांजेक्शन की अवधि समाप्ति या समयपूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में अंकित किया गया है.

ऑप्शन संविदाओं के निरस्तीकरण पर प्राप्त/ प्रदत्त राशि ऑप्शन पर प्राप्त लाभ/ हानि के रूप में अंकित की गई है. विदेशी विनिमय वायदा संविदाओं के निरस्तीकरण/ समाप्ति पर प्राप्य/ देय प्रभारों और स्वैप को निरस्तीकरण/ समाप्ति की तारीख को आय. व्यय के रूप में अंकित किया गया है.

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक संविदा के दैनिक निपटान मूल्य के आधार पर किया गया है.

विदेशी मुद्रा वाले डेरिवेटीव संविदाओं से संबंधित आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रिपोर्ट किया गया है.

3.6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities.

3.7 Valuation

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying is marked to market. In cases where the underlying of the hedge is not subject to mark to market, the hedging instrument is to be accounted for on accrual basis. Trading derivative positions are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account and Profit, if any, is ignored. Income and expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/ termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/ termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF) is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिम को मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और पैरा 4.3 में उल्लिखित अनुसार के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार अग्रिमों के लिए प्रावधान किए गए हैं. विदेशी शाखाओं द्वारा किए गए अग्रिम के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के अथवा मेजबान देश के स्थानीय कानूनों, जिसमें अग्रिम दिया गया है, द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों में से जो भी अधिक कठोर हो, के अनुरूप किया गया है.

4.2 अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, उचन्त ब्याज, वाद्ग्रस्त विविध जमा खातों में प्राप्त एवं रखी गई राशि, प्राप्त दावों के लिए किए गए प्रावधान की निवल राशि है.

4.3 सतत प्रक्रिया के रूप में बैंक ने निम्नलिखित पर अतिरिक्त प्रावधान किया है :

- 15% की विनियामक आवश्यकताओं के सापेक्ष सुरक्षित अवमानक अग्रिम पर 20% का प्रावधान.
- 50% क्रेडिट संपरिवर्तन घटक (सीसीएफ) लागू कर इसके द्वारा एनपीए उधारकर्ताओं की गैर-निधि आधारित सुविधाओं पर प्रावधान किए गए हैं. यह प्रावधान उधारकर्ता के निधि-आधारित सुविधा के आस्ति वर्ग पर आधारित है.
- 6 माह से पुराने और संपार्श्विक-मुक्त यथा ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण और मौजूदा एनपीए खातों के संबंध में बैंक ने 100% प्रावधान किया है.
- संपत्तियों के बंधक के सापेक्ष ऋण, जो कि 2 वर्षों से अधिक के लिये एनपीए है एवं सुरक्षित (संपाश्विक) है, के संबंध में बैंक ने 100% प्रावधान किया है.
- बैंक ने 6 माह से पुराने मौजूदा एनपीए खातों यथा ट्रैक्टर/ टिलर/ पॉवर टिलर हेतु ऋण के संबंध में भी 100% प्रावधान किया है.

4.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के लिए निवल मौजूदा मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए प्रावधान किया गया है.

4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) / प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है. वर्तमान में बैंक द्वारा अनुसरण किए जा रहे दिशानिर्देश ये हैं कि यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य घटाकर किया गया प्रावधान) से कम मूल्य पर हुई है तो कमी को उसी वर्ष कीमत लागत अंतर की अवधि में लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाए. यदि बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो जिस वर्ष में अधिक राशि प्राप्त हुई है उस राशि को लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर दिया जाता है.

बैंकों को बेची गई वित्तीय आस्तियों तथा निवल वही मूल्य (अर्थात बही मूल्य - किए गए प्रावधान) से कम मूल्य पर बिक्री के मामले मे कमी को उसी वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाएगा. यदि बिक्री मूल्य एनबीबी से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधानों को रिवर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन अन्य अनर्जक आस्तियों की बिक्री के कारण कमी / हानि को पूरा करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा.

4. ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 As a constant practice, the Bank has made the additional provision on the following:

- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
- Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan .
- With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.

4.4 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for dimunition in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.

4.5 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

In case of sale of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall be not reversed but will be utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.

5. अस्थायी प्रावधान :

अग्रिमों, निवेश एवं सामान्य उद्देश्यों के निर्माण एवं उपयोग के लिए बैंक की पृथक अस्थायी प्रावधान बनाने की नीति है. किए जाने वाले अस्थाई प्रावधान परिमाण का मूल्यांकन प्रति वर्ष किया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीतियों में निर्दिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले आकस्मिक व्यय के लिए अस्थायी प्रावधान का उपयोग किया जाता है.

6. अचल आस्तियां:

6.1 परिसरों और अन्य अचल संपत्तियों को पारंपरिक लागत (या पुनर्मूल्यांकित राशि, जैसा भी मामला हो), कम संचित मूल्यह्रास और ह्रास से नुकसान, यदि कोई हो, पर दर्शाई गई हैं. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए काम करने की स्थिति में तैयार करने संबंधी की कोई भी लागत शामिल है. उपयोग करने के लिए आस्तियों पर बाद में उपगत किए गए व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी आस्तियों के/ से भविष्य के लाभ/ कार्य क्षमता को बढ़ाता है. अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ बैंक के लाभ और हानि खाते का हिस्सा हैं.

6.2 अचल आस्तियों का पुनर्गठन

मौजूदा बाजार मूल्यांकन को दर्शाने के लिए अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो को समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है. बैंक के स्वामित्व वाली और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, कर्मचारियों के क्वार्टर आदि के रूप में उपयोग की जाने वाली सभी भूमि और भवन बैंक की अचल संपत्तियों की श्रेणी में स्वयं के परिसर के अंतर्गत वर्गीकृत हैं. पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को प्रारक्षित पूंजी के तहत पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अन्य राजस्व रिजर्व में विनियोजित किया जाता है.

6.3 'परिसर' में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है.

7 आरक्षित निधियां एवं अधिशेष:

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक आरक्षित निधियों को शामिल किया गया है.

8 राजस्व का निर्धारण:

8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में उल्लिखित मद से भिन्न)/ व्यय का निर्धारण सामान्यतः उपचय आधार पर किया गया है. विदेशी कार्यालयों के मामले में सम्बद्ध देश जहां विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय का निर्धारण किया गया है.

8.2 शुल्क के माध्यम से प्राप्त आय सभी कमीशन (सरकारी कारोबार और अन्य पक्ष उत्पादों की बिक्री से कमीशन को छोड़कर), गारंटी पर कमीशन, साख पत्र, विनिमय, दलाली तथा अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी इकाइयों में शेयरों के लाभांश को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है.

8.3 अनर्जक अस्तियों/ निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गयी है.

5 FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in fixed assets category. Appreciation, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6.3 Premises include land and building under construction.

7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

8.4 ऐसे पट्टे जहां स्वामित्व का जोखिम एवं लाभ पट्टादाता के पास रहता है उसे एएस 19 (पट्टा देना) के अनुसार परिचालन पट्टा के रुप में वर्गीकृत किया जाता है. इस तरह के पट्टे के भुगतान का रिकॉर्ड एएस 19 के अनुसार पट्टा मानदंड के ऊपर लाभ–हानि खाते में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है.

8.5 एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन:

समय–समय पर खातों में प्रभावी वसूली (जन धन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) निम्न तरीके से विनियोजित होनी चाहिये :

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किये गये सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के प्रति
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूल धन के भुगतान के प्रति

वाद दायर/ डिक्री खातों में वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार
- न्यायालय से कोई विशेष आदेश प्राप्त नहीं होने के मामले में गैर वाद दायर खातों में लागू अनुसार

समझौता /एनसीएलटी समा धान के माध्यम से वसूल की गई राशि:

एनसीएलटी के माध्यम से समझौता/ निपटान या समझौता स्वीकृत खातों के मामले में वसूली की राशि का विनियोजन समझौता स्वीकृति / समाधान निपटान के अनुसार किया जाएगा.

9. कर्मचारी लाभ:

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है जिसके तहत बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक की बाध्यता ऐसे निश्चित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है

9.2 ग्रेच्यूटी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्रेच्यूटी निधि नियमों एवं विनिमयों तथा ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम 972 के अनुसार ग्रेच्यूटी देयता एक सांविधिक दायित्व है जो कि ग्रेच्यूटी भुगतान से अधिक है. इसके संबंध में वित्तीय वर्ष की समाप्ति में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते है. बैंक द्वारा ग्रेच्यूटी के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं इसका प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्रेच्यूटी निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है.

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनिमय 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता एक निश्चित हितबाध्यता है और इसके संबंध वित्तीय वर्ष की समाप्ति में संचित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते हैं. यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास द्वारा योजना के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है.

8.4 Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease tern in accordance with AS 19.

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time should be appropriated in the following manner:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts should be appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/ resolution settlement.

9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates.The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

नयी पेंशन योजना, जो कि बैंक में 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, एक परिभाषित अंशदायी योजना है. बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक का दायित्व केवल निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

9.4 क्षतिपूरित अनुपस्थिति

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति जैसे कि अर्जित अवकाश (पीएल) तथा अप्रयुक्त चिकित्सा अवकाश का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी रियायत किराया (एलएफसी), और सेवानिवृति पर अतिरिक्त सेवानिवृति लाभ इत्यादि को बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है.

विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों के संबंध में कर्मचारियों से संबंधित लाभों को, प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को छोड़कर, संबंद्ध देश में लागू कानून के आधार पर मूल्यांकित तथा लेखाकृत किया जाता है.

10 मूल्यह्रास:

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (नीचे दिए गए पैरा 10.3 और 10.4 में संदर्भित को छोड़) कंपनी अधिनियम 2043 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्राषित बही मूल्य पद्धति के आधार पर, पुनर्मूल्यांकित आस्ति को छोड़ – जिसके संबंध में इन पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर ज्यादा मूल्यह्रास किया जाता है, प्रदान किया गया है.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10 DEPRECIATION

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

क्रम सं. Sr. No.		श्रेणी Category	मूल्यह्रास के प्रभावी दर Effective Rate of Depreciation	मूल्यह्रास प्रक्रिया Depreciation Method
1.		**फर्नीचर एवं फिटिंग्स FURNITURE & FITTINGS**		
	a.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स Furniture & Fittings	25.89%	अवलिखित मूल्य Written Down Value
	b.	वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.1%	अवलिखित मूल्य Written Down Value
	c.	सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण Safe Deposit Vault Equipments	18.1%	अवलिखित मूल्य Written Down Value
	d.	कैश वैन, जीप स्कूटर एवं अन्य वाहन Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles		Written Down Value
		– दो पहिया वाहन Two wheelers	25.89%	अवलिखित मूल्य Written Down Value
		– चार पहिया वाहन Four Wheelers	31.23%	अवलिखित मूल्य Written Down Value
	e.	कार्यालय के उपकरण Office Equipment	45.07%	अवलिखित मूल्य Written Down Value
2.		**बैंक का अपना परिसर BANK'S OWN PREMISES**		
		– आरसीसी एफ़आरएम संरचना – RCC Frame Structure	4.87%	अवलिखित मूल्य Written Down Value
		– आरसीसी एफ़आरएम संरचना – Without RCC Frame Structure	9.50%	अवलिखित मूल्य Written Down Value

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यह्रास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है.

10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग है, पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

10.4 एटीएम पर मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है.

10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास खरीद / उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है.

10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है.

11. आस्तियों का मूल्यह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यह्रास हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों का मूल्यह्रास) के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

यदि आंतरिक /बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आस्तियों की रखाव लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. मूल्यह्रास हानि की पहचान वहां की जाती है जहां आस्तियों की रखाव लागत राशि वसूली की राशि से अधिक हो जाती है. वसूली योग्य राशि आस्तियों की निवल बिक्री राशि और उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य से अधिक होती है. उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य में से बट्टा काट कर किया जाता है. इसके लिए पूर्व-कर बट्टा दर का उपयोग किया जाता है जो राशि के समय आधारित मूल्य और आस्ति से संबंधित विशेष जोखिम के वर्तमान बाज़ार मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है. मूल्यह्रास के बाद आस्तियों के शेष बची हुई उपयोग अवधि के ऊपर अवमूल्यन उपलब्ध कराया जाता है.

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव?, संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक (एएस) 11 के अनुरुप किया गया है.

12.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) पृथक परिचालनों के रुप में वर्गीकृत किया गया है. सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रुप में माना जाता है.

12.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

ए) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर एफईडीएआई द्वारा सूचित की गयी साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है.

बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गयी क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है.

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use..

10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease

11 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

12.3 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रुप में की गयी है तथा इन्हें तद्नुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है. विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/ रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

डी) तुलन पत्र की तारीख को व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा संविधाए फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग हाजिर एवं वायदा दरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविधाओं के अंतर्वेशी दरों पर मार्कड् टू मार्केट हैं. इस तरह प्राप्त एमटीएम मूल्य को मौजूदा एमटीएम मूल्य प्राप्त करने के लिए डिस्काउंट किया जाएगा. इस एमटीएम का उपयोग हाजिर एवं वायदा लेनदेनों को पीवी आधार पर पुनर्मूल्यित करने के लिए किया जाता है. परिणामी वायदा मूल्य लाभ अथवा हानि को लाभ हानि खाते में शामिल किया जाता है.

13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं. आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है. आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है.

14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है. आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है. यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है. आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणियों में प्रभारित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसी आय के निर्धारण के रुप में निकल सकता है जिसकी कभी वसूली संभव न हो.

16. सेगमेंट रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रुप में मान्यता देता है.

17. नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद एवं नकद के समतुल्य में हाथ में और एटीएम में नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन को शामिल करते हुए) शामिल है.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

16. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

अनुसूची – 19 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर नोट
Schedule-19 Notes on the Consolidated Financial Statements (CFS) for the year ended 31st March 2020

समेकित वित्तीय विवरण ''समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन'' पर ''समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन'' मानक 21, ''सहयोगियों में निवेश'' के लिए लेखांकन मानक 23 और 'संयुक्त उद्यम में ब्याज के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग' पर लेखांकन मानक 27 के अनुरूप तैयार किए गए हैं.

1. समूह के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल) और निम्नलिखित अनुषंगियों/ सहयोगियो/ संयुक्त उद्यमों के परिणाम शामिल हैं:

1.1 अनुषंगियां

The CFS are prepared in accordance with Accounting Standard 21 on "Accounting for Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 on Accounting for "Investment in Associates" and Accounting Standard 27 on "Financial Reporting of Interest in Joint Venture".

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprise the results of the Bank of Baroda (Parent) and the following Subsidiaries/Associates/ Joint Ventures:

1.1 **Subsidiaries**

अनुषंगियों के नाम	Name of subsidiaries	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
			मार्च 31, 2020 March 31, 2020	मार्च 31, 2019 March 31, 2019
देशी अनुषंगियां	Domestic Subsidiaries			
ए) बैंकिंग:	a) Banking:			
i. नैनीताल बैंक लि.	i. The Nainital Bank Limited	भारत India	98.57	98.57
बी) गैर बैंकिंग:	b) Non-Banking:			
i. बॉब कैपिटल मार्केट लि. भारत	i. BOB Capital Markets Limited.	भारत India	100.00	100.00
ii. बॉब फाइनैंशिल सॉल्युशन (पूर्व में बॉब कार्ड्स लि.)	ii. BOB Financial Solutions Limited (Formerly known as BOB Cards Limited)	भारत India	100.00	100.00
iii. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड	iii. Baroda Global Shared Services Limited	भारत India	100.00	100.00
iv. बड़ौदा सन टेक्नॉलोजीज लिमिटेड	iv. Baroda Sun Technologies Ltd.	भारत India	100.00	100.00
v. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड	v. Baroda Asset Management India Limited	भारत India	100.00	100.00
vi. बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	vi. Baroda Trustee India Private Limited	भारत India	100.00	100.00
विदेशी अनुषंगियां:	Overseas Subsidiaries:			
a) बैंकिंग:	a) Banking:			
i. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.	i. Bank of Baroda (Botswana) Limited	बोत्सवाना Botswana	100.00	100.00
ii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि.	ii. Bank of Baroda (Kenya) Limited	केन्या Kenya	86.70	86.70
iii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लि.	iii. Bank of Baroda (Uganda) Limited	युगांडा Uganda	80.00	80.00
iv. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी	iv. Bank of Baroda (Guyana) Inc.	गुयाना Guyana	100.00	100.00
v. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि.	v. Bank of Baroda (Tanzania) Limited	तंजानिया Tanzania	100.00	100.00

अनुषंगियों के नाम	Name of subsidiaries	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
			मार्च 31, 2020 March 31, 2020	मार्च 31, 2019 March 31, 2019
vi. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबेगो) लि.	vi. Bank of Baroda (Trinidad &Tobago) Limited.	त्रिनिदाद एवं टोबेगो Trinidad & Tobago	100.00	100.00
vii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि.	vii. Bank of Baroda (Ghana) Limited	घाना Ghana	100.00	100.00
viii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.	viii. Bank of Baroda (New Zealand) Limited	न्यूजीलैंड New Zealand	100.00	100.00
ix. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लि.	ix. Bank of Baroda (UK) Limited	युनाइटेड किंगडम United Kingdom	100.00	100.00
b) गैर-बैंकिंग:	b) Non-Banking:			
i. बॉब (यूके) लिमिटेड	i. BOB (UK) Limited	युनाइटेड किंगडम United Kingdom	100.00	100.00
ii. बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ़ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)	ii. Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Limited)	युगांडा Uganda	100.00	100.00

1.2 सहयोगी

समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों (सीएफएस) में समाहित सहयोगी इकाइयों के विवरण निम्नलिखित हैं:

1.2 Associates:

The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

सहयोगियों के नाम	Name of Associates	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Parent's ownership Interest (%) as on	
			मार्च 31, 2020 March 31, 2020	मार्च 31, 2019 March 31, 2019
ए) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड	a) Indo Zambia Bank Limited	जाम्बिया Zambia	20.00	20.00
बी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक i. बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	b) Regional Rural Banks i. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	भारत India	35.00	35.00
ii. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक)	ii. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Erstwhile Baroda Rajasthan Gramin Bank)	भारत India	35.00	35.00
iii. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक*	iii. Baroda Gujarat Gramin Bank*	भारत India	35.00	35.00

*वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 22.02.2019 की अधिसूचना के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 23 ए की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकार शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने गुजरात राज्य में कार्य कर रहे बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और देना गुजरात ग्रामीण बैंक को एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलित कर दिया है और नई इकाई का नाम बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक है जिसका कार्यालय दिनांक 01.04.2019 से वडोदरा में है

** As per notification dated 22.02.2019 of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt of India, the Central Govt in exercise of power conferred by sub section (1) of section 23 A of Regional Rural Bank Act 1976, Baroda Gujarat Gramin bank and Dena Gujarat Gramin Bank Functioning in state of Gujarat were Amalgamated into a single Regional Rural Bank and the name of new entity is Baroda Gujarat Gramin Bank with its Head office at Vadodara w.e.f 01-04-2019.*

1.3. संयुक्त उद्यम / 1.3. Joint Ventures

संयुक्त उद्यम नाम	Name of Joint Ventures	देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Parent's ownership Interest (%) as on	
			मार्च 31, 2020 March 31, 2020	मार्च 31, 2019 March 31, 2019
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि.	India First Life Insurance Company Limited	भारत India	43.31	44.00
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.	India International Bank (Malaysia) Bhd.	मलेशिया Malaysia	40.00	40.00
इंडिया इंफ्राडेब्ट लि.	India Infradebt Limited	भारत India	40.99	40.99

2. सहयोगियों के निवेश के विवरण: / 2. Particulars of the Investment in Associates:

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

क्र. सं.	विवरण	S. No.	Particulars	मार्च 31, 2020 March 31, 2020	मार्च 31, 2019 March 31, 2019
ए.	सहयोगियों में निवेश की लागत	a.	Cost of Investment in Associates	227.72	208.39
बी.	उपर्युक्त (ए) में शामिल अधिग्रहण पर सुनाम	b.	Goodwill on acquisition included in (a) above	-	--
सी.	उपरोक्त (ए) में अधिग्रहण पर प्रारक्षित पूंजी	c.	Capital reserve on acquisition included in (a) above	71.27	--
डी.	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि एवं विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के कारण परिवर्धन	d.	Additions on account of Revaluation reserve & Foreign Currency Translation reserve	-	2.20
ई.	अधिग्रहण उपरान्त साख / आरक्षित पूंजी के लाभ (निवल) का अंश	e.	Share of post acquisition profits (Net) of Goodwill/ Capital Reserve	815.32	807.36
एफ.	31 मार्च को निवेश (ए–बी–सी+डी +ई)	f.	Investment as at 31st March (a -b-c+d+e)	1,114.31	1,017.95
जी.	भारत में निवेश	g.	Investment in India	1,065.84	917.19
एच.	भारत के बाहर निवेश	h.	Investment outside India	48.47	100.76
आई.	कुल (जी + एच)	i.	Total (g + h)	1,114.31	1,017.95

3. अनुषंगियों/सहयोगियों के वित्तीय विवरण:

3.1 अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किया गया है जो मूल कंपनी (बैंक ऑफ़ बड़ौदा) के लिए तैयार की गई तारीख है अर्थात् 31 मार्च 2020, केवल निम्नलिखित को छोड़कर– बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड, (इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड सहित), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. (आईआईबीएमबी) और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, जिनके

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates:

3.1 The audited financial statements of the Subsidiaries, Joint Ventures and Associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March, 2020 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd, (including its wholly-owned subsidiary Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd.), Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Ghana) Ltd., Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB) and Indo Zambia Bank Ltd. which have been drawn up to 31st December, 2019. As certified by

विवरण यथा 31 दिसंबर, 2019 तक तैयार किये गए हैं. जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, 1 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेनदेन या अन्य गतिविधियां नहीं हैं जिनके लिए उसमें समायोजन की आवश्यकता हो.

3.2 समूह के चालू वित्तीय वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड., बॉब (यूके) लिमिटेड (गैर-परिचिलित) और इंडिया इंटरनेशलन बैंक मलेशिया बरहाद (जेवी (संयुक्त उद्यम) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं.

3.3 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित घरेलू सहायक कंपनियों के खाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अधीन हैं:

i. बॉब कैपिटल मार्केट्स लि.

ii. बीओबी फाइनेंसियल सॉल्यूशन्स लि. (पूर्ववर्ती बॉब कार्डर्स् लिमिटेड)

iii. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.

iv. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लि.

v. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लि.

vi. बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लि.

3.4 सहायक और संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण प्रबंधन के पास उपलब्ध विवरण के आधार पर दिए गए हैं. प्रबंधन की दृष्टि से इन ब्यौरों का उपलब्ध न होना, बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को प्रभावित नहीं करेगा.

3.5 एएस 21 के अनुसार, खंड 20 समेकित वित्तीय वविरणियां लेनदेन और अन्य समान परिस्थितियों में अन्य गतिविधियों जैसी एकसमान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार की जानी चाहिए. तथापि, इंडिया फर्स्ट कंपनी में निवेश और राजस्व निर्धारण के संबंध में विभिन्न लेखांकन नीतियों को लागू करना व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि यह आईआरडीए दिशानिर्देशों से शासित है.

3.6 बड़ौदा सन टेक्नॉलोजी लि. ने वर्ष के दौरान रू. 4.5 करोड़ राशि के राइट शेयर जारी किए हैं.

4. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां

पूंजीगत प्रारक्षित निधियों में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि, एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ (सांविधिक प्रारक्षित निधि के लिए कर और अंतरण का निवल) और भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत निर्यात विकास परियोजनाओं/लघु/मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए सदस्यता राशि शामिल है.

5. करों के लिए प्रावधान

अपीलीय प्राधिकरणों के निर्णय और सलाहकारों की सलाह पर विधिवत विचार करने के बाद करों के लिए प्रावधान किया गया है.

6. प्रारक्षित निधियों में से ड्रा डाउन

निवेश प्रारक्षित

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निवेश प्रारक्षिति खाते से रु 41.58 करोड़ का ड्रा डाउन है (यथा 31 मार्च, 2019: :रू. 88.88 करोड़).

the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January, 2020 to 31st March, 2020 requiring adjustment therein.

3.2 The Consolidated financial statements for the current financial year of the Group include unaudited financial statements of Baroda UP Gramin Bank, Bank of Baroda (UK) Ltd., BOB (UK) Ltd (non-functional) and India International Bank Malaysia Berhad (JV).

3.3 The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31st March, 2020 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) of the Companies Act, 2013:

i. BOB Capital Markets Ltd.

ii. BOB Financial Solutions Limited (Formerly known as BOB Cards Ltd.)

iii. Baroda Global Shared Services Ltd.

iv. Baroda Sun Technologies Ltd.

v. Baroda Asset Management India Ltd

vi. Baroda Trustee India Private Ltd

3.4 The disclosures in respect of subsidiaries and joint ventures are given to the extent details available with the management. In view of the management non availability of such details would not materially impact disclosure under the consolidated financial statements of the bank.

3.5 As per AS 21, Clause 20 "Consolidated Financial Statements should be prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. However, In India First Insurance Company, it is not practicable to quantify the impact of different accounting policies with respect to Investment and Revenue recognition because as the same is governed by IRDA guidelines.

3.6 Baroda Sun technologies Ltd. has issued Right Shares amounting to ₹4.5 Crs during the year.

4. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, profit on sale of HTM securities (net of tax and transfer to Statutory Reserve) and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries and others.

5. Provision for Taxes

Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

6. Draw Down from Reserves

Investment Reserve

During the Financial Year 2019-20, there is draw down of ₹ 41.58 crore from the Investment Reserve Account (March 31, 2019: ₹ 88.88 crore).

7. अस्थिर प्रावधानीकरण / काउंटर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर 7. Floating Provision/Countercyclical Provisioning Buffer

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण		Particulars		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
ए.	अस्थिर प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष राशि	a.	Opening balance in the floating provisions account	485.07	478.27
बी.	समामेलन पर जोड़	b.	Addition on Amalgamation	71.35	6.80
सी.	लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	c.	Amount of draw down made during the accounting year	-	-
डी.	अस्थिर प्रावधान खाते में अंतिम शेष राशि	d.	Closing balance in the floating provisions account	556.42	485.07

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'अस्थिर प्रावधानों का उपयोग/ काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफ़र' विषयक परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.79 / 21.04.048 / 2014-15 दिनांक 30 मार्च, 2015 के जरिए बैंकों को उनके द्वारा यथा 31 दिसंबर 2014 को धारित अस्थिर प्रावधान सीसीपीबी का 50 प्रतिशत तक का उपयोग, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने की अनुमति दी है. वर्ष के दौरान, बैंक ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान हेतु ऐसी राशि का उपयोग नहीं किया है.

8. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 21 मार्च, 2020 को कोविड 19- के प्रकोप को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया था और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई. वित्तीय बाजार में निरंतर अस्थिरता के कारण, बैंक ने ऋण वूसली और उसपर किए गए प्रावधान, निवेश मूल्यांकन, बैंक की अन्य परिसंपत्तियां एवं देयताओं पर प्रभाव के आकलन के लिए वित्तीय विवरणियों की मंजूरी की तारीख तक वित्तीय आर्थिक पूर्वानुमान और उद्योग रिपोर्ट सहित सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों पर विचार किया है. बैंक ने मौजूदा सूचकों के प्रयोग पर आधारित आकलनों का विश्लेषण किया है, बैंक का अनुमान है कि अग्रिमों और निवेशों सहित शेषराशि की वसूली होगी और पर्याप्त तरलता उपलब्ध होगी. कोविड - 19 महामारी की वजह से अस्थिरता को देखते हुए बैंक भविष्य में आर्थिक स्थिति में वस्तुगत परिवर्तनों की लगातार निगरानी कर रहा है, जो आगे की स्थिति के आधार पर भविष्य में बैंक के परिचालन एवं उसकी वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं और जो इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तारीख को लगाए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानों से संबंधित कोविड - 19 विनियामक पैकेज संबंधी विविध दिशानिर्देश दिनांक 27 मार्च 2020, 17 अप्रैल 2020 और 23 मई 2020 जारी किए हैं. बैंक ने 29 फरवरी 2020 को मानक के रूप में वर्गीकृत पात्र

RBI vide Circular No. DBR.No.BP.BC.79/21.04.048/2014-15 dated March 30, 2015 on 'Utilization of Floating Provisions/Counter Cyclical Provisioning Buffer' has allowed the banks, to utilize up to 50 per cent of Floating Provisions CCPB held by them as on December 31, 2014, for making specific provisions for Non-Performing Assets (NPAs) as per the policy approved by the Bank's Board of Directors. During the year, Bank has not utilized such amount for making specific provision for NPAs.

8. The COVID-19 outbreak was declared a global pandemic by the World Health Organization on March 21, 2020 and affected world economy as well as Indian economy. On account of continuous volatility in financial market, the Bank has considered internal and external sources of information including economic forecasts and industry reports up to the date of approval of financial statements in determining the impact on various elements of its financial statements including recoverability of advances & provision thereon, investment valuation, other assets and liabilities of the Bank. The Bank has performed analysis on the assumptions used and based on the current indicators, the Bank expects the carrying amount of assets, including advances and investments, will be recovered and the sufficient liquidity is available. Given the uncertainty because of COVID-19 pandemic, the Bank is continuously monitoring any material change in future economic condition which may impact the Bank's operations and its financial results in future depending on the developments which may differ from that estimated as at the date of approval of these financial statements.

RBI has issued various guidelines relating to COVID -19 Regulatory Package on Asset Classification and Provisioning dated 27th March, 2020, 17th April 2020 and 23rd May, 2020 the Bank has granted a moratorium on the payment of installments and/or interest, as

उधारकर्ताओं को दिनांक 1 मार्च 2020 और 31 अगस्त 2020 (अधिस्थगन अवधि) के बीच किस्तों और/या ब्याज, यथालागू के भुगतान पर अधिस्थगन को मंजूरी दी है भले ही अतिदेयता हो. इसे पुनर्संरचना नहीं माना जाएगा. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, जब भी ऋणस्थगन अवधि की छूट दी जाएगी, बैंक द्वारा इसकी गणना आरबीआई के आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से खाते में पिछले बकाया राशि के दिनों को छोड़ कर होगी और ऐसे ऋण खातों जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किए गए हैं उनके संबंध में बैंक को बकाया अग्रिमों पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही की शुरूआत से दो तिमाहियों तक 10 % की दर पर प्रावधान करना आवश्यक होगा. तद्नुसार बैंक के पास 31 मार्च 2020 को कोविड– 19 के संभावित प्रकोप के एवज में संबंधित समय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रावधान की व्यवस्था है. बैंक द्वारा ऐसे खातों और प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है:

applicable, falling due between 1st March, 2020 and 31st August, 2020 (Moratorium period) to eligible borrowers classified as standard, even if overdue, as on 29th February, 2020 without considering the same as restructuring. In accordance with RBI guidelines, the moratorium period, wherever granted, is excluded by the Bank from the number of days the account is past due for the purpose of Asset Classification under RBI's Income Recognition and Asset Classification norms and the Bank is required to make provision @ 10% of the outstanding advances over two quarters beginning with the quarter ended 31st March, 2020 in respect of such borrowal accounts where assets classification benefit has been granted as per RBI Guidelines. The Bank, accordingly, holds provision as at 31st March 2020 against the potential impact of COVID 19 based on the information available upto point in time. Following are the details of such accounts and provisions made by the Bank.

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

क्र. सं.	विवरण	S. No.	Particulars	31.03.2020
1	एसएमए/ अतिदेय श्रेणियों में बकाया राशियां, जिनमें कोविड– 19 विनियामक पैकेज के अनुसार ऋणस्थगन/ आस्थगन प्रदान किया गया था.	1	Amounts outstanding in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended as per COVID -19 Regulatory Package	79,588.69
2	बकाया राशि जिसके संबंध में दिनांक 31.03.2020 तक संपत्ति वर्गीकरण लाभ को विस्तारित किया गया है.	2	Amount outstanding where asset classification benefits is extended up to 31.03.2020	4,095.17
3	दिनांक 31.03.2020 को कोविड–19 विनियामक पैकेज के अनुच्छेद 5 के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान.	3	Provisions made during the Q4FY2020 in terms of paragraph 5 of COVID -19 Regulatory Package as at 31.03.2020	812.74
4	दिनांक 31.03.2020 को कोविड–19 विनियामक पैकेज के अनुच्छेद 6 के अनुसार स्लीपेज के लिए संबंधित लेखांकन अवधि के दौरान समायोजित प्रावधान और अवशिष्ट समायोजन.	4	Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions in terms of paragraph 6 of COVID -19 Regulatory Package as at 31.03.2020	Nil

9. प्रावधान और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे

समेकित लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाने वाले प्रावधानों और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

9. Break up of Provisions and Contingencies

The break-up of provisions and contingencies appearing in consolidated Profit & Loss Account is as under:

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/एनपीए हेतु किए गए प्रावधान	Bad debts written off / Provision made towards NPA	16,806.64	12,444.01
पुनर्संरचित मानक और उप–मानक खातों में छोड़ दिए गए ब्याज के लिए प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts	(112.16)	(121.02)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
देशी जोखिम प्रबंधन के लिए प्रावधान	Provision for Country Risk Management	40.61	3.12
करों के लिए प्रावधान (आस्थगित कर समेत)	Provision for taxes (including deferred Taxes)	(2,176.09)	437.51
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Provision for depreciation on investment	1,017.42	165.14
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for standard assets	3,122.59	(0.64)
अन्य	Others	828.66	1,503.42
कुल	Total	19,527.67	14,431.54

10. चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति

i. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी किए गए. बैंक ने अपनी विदेशी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालनों को सहयोग प्रदान करने हेतु विदेशी/ घरेलू विनियामकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है.

ii. 31 मार्च 2020 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति

ए) बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों तथा संचयी वित्तीय जिम्मेदारियों का विवरण निम्नानुसार है: अपने जमाकर्ताओं व अन्य ऋणदाताओं को पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली अनुषंगी– बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. के संपूर्ण कर्ज को गारंटीकृत करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ़ न्यूजीलैंड को 2008–09 के दौरान चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया. 31 मार्च, 2020 को अनुषंगी की जमा–राशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की स्वयं की जमाओं के एवज में ऋण का निवल) ₹ 324.62 करोड़ है तथा बाह्य देयता ₹ 5.04 करोड़ है (यथा 329.67 करोड़ की कुल देयता). यथा 31 मार्च 2020 को अनुषंगी की निवल मालियत ₹ 221.99 करोड़ है. इस संबंध में बैंक पर निवल आकस्मिक देयता ₹ 107.67 करोड़ है.

बी) वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान बैंक ने संयुक्त उद्यम बैंक – इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) में बैंक के 40% शेयरधारिता की सीमा तक बैंक ऑफ़ नेगारा मलेशिया को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया. दिनांक 31.03.2020 को आईआईबीएमबी की कुल जमा राशि ₹ 391.76 करोड़ एवं अन्य देयताएं ₹ 5.29 करोड़ (अर्थात कुल ₹ 397.05 करोड़ की कुल देयताएं) हैं. दिनांक 31 मार्च, 2020 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत ₹ 573.07 करोड है चूंकि आईआईबीएम के वित्तीय वर्ष का अंत 31 दिसंबर को होता है, 31 मार्च, 2020 के आंकड़े अलेखापरीक्षित विवरण से लिए गए हैं.

10. Status of Letters of Comfort

i) Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year. During the current financial year the bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas/Domestic regulators to support the operations of its overseas subsidiaries/joint ventures.

ii) Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31, 2020.

a) The LOC issued by the bank in the past and the cumulative financial obligation is as under: LOC issued during 2008-09 to Reserve Bank of New Zealand guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary - Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors. As on 31st March 2020 the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are ₹ 324.62 crores and outside liabilities are ₹ 5.04 crore (i.e. total liabilities of ₹ 329.67 Crores). The net worth of the subsidiary as on 31st March 2020 is ₹ 221.99 Crores. The net contingent liability on the Bank is ₹ 107.67 Crores in this regard.

b) LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia upto our Bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank - 'India International Bank (Malaysia) Bhd (IIBMB). As on 31st March 2020 the deposits of IIBMB are ₹ 391.76 crore and other liabilities are ₹ 5.29 Crores (i.e. Total liabilities of ₹ 397.05 crore). The net worth of the IIBMB as on 31st March 2020 is ₹ 573.07 crore. As the financial year end of IIBMB is 31st December, figure of 31st March 2020 have been taken from unaudited statements.

11. एनपीए के लिए संपत्ति के वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी. नं.32/21.04.018/2018-19, दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए हेतु अतिरिक्त प्रावधान, प्रावधानों से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक होता है और आकस्मिकताएं और/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भित अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए से 15% अधिक होता है तो बैंकों को आय निर्धारण, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड से विचलनों को प्रकट करना चाहिए. उपर्युक्त को देखते हुए, हमारे बैंक के विचलन का विवरण निम्नानुसार है:

11. Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

As per RBI circular No. DBR.BP.BC. No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period then banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning. In view of the above, details of divergence of our Bank is as under:

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. Sr.	विवरण	Particulars	राशि Amount
1.	दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा, पूर्ववर्ती देना बैंक, पूर्ववर्ती विजया बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल सकल एनपीए	Total Gross NPA as on March 31, 2019 as reported by BOB, eDB and eVB	70,312
2.	दिनांक 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आकलन किया गया है	Gross NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	72,422
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	Divergence in Gross NPAs (2-1)	2,110
4.	दिनांक 31 मार्च, 2019 को कुल निवल एनपीए, जैसा कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा, पूर्ववर्ती देना बैंक, पूर्ववर्ती विजया बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया है	Total Net NPA as on March 31, 2019 as reported by BOB, eDB and eVB	23,995
5.	दिनांक 31 मार्च, 2019 को निवल एनपीए, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आकलन किया गया है	Net NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	26,574
6.	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	Divergence in Net NPAs (5-4)	2,579
7.	दिनांक 31 मार्च, 2019 को एनपीए के लिए प्रावधान, जैसा कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा, पूर्ववर्ती देना बैंक, पूर्ववर्ती विजया बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया है	Total Provision for NPA as on March 31, 2019 as reported by BOB, eDB and eVB	46,176
8.	दिनांक 31 मार्च, 2019 को एनपीए के लिए प्रावधान, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आकलन किया गया है	Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	49,796
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)*	Divergence in provisioning (8-7)*	3,620
10.	दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए कर पश्चात् निवल लाभ (पीएटी)	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019	(8,312)
11.	प्रावधानीकरण में विचलन को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (अनुमानित) कर पश्चात् निवल लाभ (पीएटी)	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019 after taking into account the divergence in provisioning	(10,669)

नोट: उपर्युक्त रिपोर्ट किए गए सभी आंकड़े बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बीओबी), पूर्ववर्ती विजया बैंक, पूर्ववर्ती देना बैंक और नैनीताल बैंक के लिए हैं.

Note: All the figures reported hereinabove are for Bank of Baroda (BOB), e-Vijaya Bank (eVB), e-Dena Bank (eDB) and Nainital Bank.

उपर्युक्त रिपोर्ट किए गए आंकड़े दिनांक 31 मार्च 2019 को खाते के संपत्ति वर्गीकरण में यथा स्थिति को बरकरार रखने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 27 फरवरी 2020 के पत्र द्वारा निर्णय (लंबित पुनर्मूल्यांकन) पर विचार करने के बाद के हैं. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हुए विचलन के एवज में पूर्ण प्रावधान की व्यवस्था की है.

The figures reported above are after considering the decision (pending re-examination) by Reserve bank of India with respect to maintaining the status quo of the asset classification of an account as at March 31, 2019 vide their letter dated February 27, 2020. The Bank has made full provision against the reported divergence during the financial year 2019-20.

12. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) संबंधी प्रकटीकरण

12.1 एएस -5 अवधि के दौरान निवल लाभ अथवा हानि, लेखांकन नीतियों में परिवर्तन और अवधि की मदों से पूर्व

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन नहीं

12.2 एएस 11 - विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन

विदेशी विनिमय परिवर्तन प्रारक्षित में संचलन

12. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

12.1 AS – 5 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies

No change in accounting policy during the financial year 2019-20.

12.2 AS 11 – Changes in Foreign Exchange Rates.

Movement of Foreign Currency Translation reserve

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 March 31, 2020	31 मार्च, 2019 March 31, 2019
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	2,298.39	1,908.82
वर्ष के दौरान जमा	Credited during the year	1,070.55	389.57
वर्ष के दौरान निकासी	Withdrawn during the year	-	-
अंतिम शेष	Closing Balance	3,368.94	2,298.39

12.3 कर्मचारियों को लाभ (लेखांकन मानक -15)

I. **परिभाषित लाभ योजना (निधिगत बाध्यता - पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी)**

ए) परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

12.3 Employee Benefits (Accounting Standard-15)

I. **Defined Benefit Plans (Funded Obligation-Pension, Leave Encashment and Gratuity)**

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता	Opening Defined Benefit Obligation	13,954.53	13,604.50	19.72	21.37	1,641.50	1,726.97
आरंभिक समायोजित	Opening Adjusted	-	-	5.47	-	4.73	-
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन	Add: Acquisition Adjustment	8,425.35	-	-	-	886.07	-
जोड़ें : ब्याज लागत	Add: Interest Cost	1,461.94	1,005.03	1.88	1.66	160.81	120.20
जोड़ें: विगत सेवा लागत	Add: Past Service Cost	-	-	-	-	0.53	-
जोड़ें: चालू सेवा लागत	Add: Current Service Cost	1,603.41	1,099.46	3.02	1.00	172.99	106.39
घटाएं: प्रदत्त लाभ	Less: Benefits Paid	1,957.39	1,107.69	5.36	3.77	370.03	341.54
जोड़ें: बाध्यता पर एक्चूरियल हानि/ (लाभ)	Add: Actuarial loss/ (gain) on obligation	(726.27)	(646.77)	(0.25)	(0.54)	221.08	29.48
अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता	Closing Defined Benefit Obligation	22,761.57	13,954.53	24.48	19.72	2,717.68	1,641.50

बी) योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	Opening Fair Value of plan assets	13,609.10	13,255.34	21.86	24.14	1,238.42	1,233.63
आरंभिक समायोजित	Opening Adjusted	(5.30)	-	1.92	-	4.50	-
जोड़ें: योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय	Add: Expected Return on Plan Assets	7,750.24	-	-	-	819.78	-
जोड़ें: योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय	Add: Expected Return on Plan Assets	1,419.62	1,018.83	1.57	1.55	140.34	94.55
जोड़ें: योगदान	Add: Contributions	1,154.58	352.90	0.36	0.10	494.95	205.94
घटाएं: प्रदत्त लाभ	Less: Benefits Paid	1,957.39	1,140.70	4.66	3.77	370.03	341.53
जोड़ें: एक्चूरियल लाभ/(हानि)	Add: Actuarial gain/(loss)	6.72	122.73	(0.24)	(0.16)	(103.09)	41.36
योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	Closing Fair Value of Plan Assets	21,977.57	13,609.10	20.81	21.86	2,220.36	1,233.94

सी) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण		Particulars		पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
				31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
ए)	अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता	a)	Closing Defined Benefit Obligation	22,761.57	13,954.53	24.48	19.72	2,717.68	1,641.50
बी)	योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	b)	Closing Fair Value of Plan Assets	21,977.58	13,609.10	20.81	21.86	2,220.36	1,233.94
सी)	अंतर	c)	Difference	783.99	345.43	3.68	(2.14)	497.33	407.58
डी)	गैर मान्य प्राप्त अंतरण देयता	d)	Unrecognized transitional liability	-	-	-	-	-	-
ई)	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	e)	Liability Recognized in the BS	783.99	345.43	3.68	(2.14)	497.63	407.58

डी) लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
ए) चालू सेवा लागत	a) Current Service Cost	1,603.41	1,099.46	3.02	1.00	191.17	106.40
बी) विगत सेवा लागत	b) Past Service Cost	-	-	-	-	-	-
सी) ब्याज लागत	c) Interest Cost	1,461.94	1,005.03	1.75	1.66	160.81	120.20
डी) आयोजित आस्तियों पर अपेक्षित आय	d) Expected Return on Plan Assets	1,457.31	1,020.81	1.53	1.97	140.68	95.26
ई) निवल एक्चूरियल हानि/ (लाभ)	e) Net Actuarial Loss/ (gain)	(737.31)	(766.45)	0.08	(0.12)	324.54	(11.19)
एफ) वर्ष में मान्यता प्राप्त अंतरण देयता	f) Transitional liability recognized in the year	-	-	-	-	-	-
लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय	Expenses Recognized in P&L	870.73	317.23	3.32	0.57	535.83	120.15

ई) प्रिंसिपल एक्चुरियल पूर्वानुमान

e) Principal Actuarial Assumptions

विवरण	Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
बट्टा दर	Discount rate	6.81% - 6.82%	7.60% - 7.70%	6.55% - 6.82%	7.60%	6.40% - 7.00%	7.35% - 7.79%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	5.00% - 5.50%	5.00% - 6.00%	5.00% - 10.00%	5.00%	5.00% - 10.00%	5.00% - 10.00%
एट्रीशन दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00% - 31.00%	2.00%	2.00% - 18.00%	2.00% - 15.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय दर	Expected Rate of Return on plan Assets	6.82% - 7.50%	7.50% - 7.70%	7.50%	7.00%	6.82% - 7.50%	7.50% - 7.70%

II. परिभाषित लाभ योजनाएं (गैर निधिगत बाध्यता): संचित प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति (साधिकारी छुट्टी), ग्रेच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एक्चुरी द्वारा एक्चुरियल वैल्युशन के अनुसार संचित प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति (साधिकारी छुट्टी), ग्रेच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी) की स्थिति को दर्शाती है:

ए) देयता संबंधी आरंभिक एवं अंतिम शेष राशि का समायोजन

II. Defined Benefit Plans (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:-

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
		31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता	Opening Defined Benefit Obligation	930.39	880.92	2.53	2.02	292.79	331.05
आरंभिक समायोजित	Opening Adjusted	(2.96)	-	-	-	-	-
जोड़ें- ब्याज लागत	Add: Interest Cost	586.71	62.17	0.20	0.17	-	23.42
जोड़ें- चालू सेवा लागत	Add: Current Service Cost	98.42	50.48	0.39	0.42	18.46	9.85
जोड़ें- विगत सेवा लागत	Add: Past Service Cost	233.07	-	-	-	-	-
घटाएं- प्रदत्त लाभ	Less: Benefits Paid	145.14	142.41	0.25	0.10	44.15	53.78
जोड़ें- बाध्यता पर एक्चूरियल हानि/ (लाभ)	Add: Actuarial loss/(gain) on obligation	11.13	79.23	0.24	0.02	29.41	(17.75)
अंतिम परिभाषित लाभ बाध्यता	Closing Defined Benefit Obligation	1,711.62	930.39	3.10	2.53	296.51	292.79

बी) लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
ए) चालू सेवा लागत	a) Current Service Cost	233.28	50.48	0.39	0.42	-	9.85
बी) विगत सेवा लागत	b) Past Service Cost	-	-	0.02	-	-	-
सी) ब्याज लागत	c) Interest Cost	98.30	62.17	0.20	0.17	18.46	23.42

डी) निवल एक्चुरिल हानि/(लाभ)	d) Net Actuarial Loss/ (gain)	11.13	79.23	0.24	0.02	29.41	(17.75)
लाभ हानि खातों में मान्यता प्राप्त व्यय	Expenses Recognized in P&L	342.71	191.88	0.85	0.61	47.87	15.52

सी) तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त देयता/ (आस्ति) की आरंभिक व समाप्ति पर समायोजन

c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
		31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
a) आरंभिक परिभाषित लाभ बाध्यता	a) Opening Defined Benefit Obligation	930.39	880.92	2.50	2.02	309.58	331.05
b) आरंभिक समायोजित	b) Opening Adjusted	(2.96)	-	-	-	-	-
c) निवल अधिग्रहण लागत	c) Net Acquisition Cost	586.63	-	-	-	-	-
d) उपर्युक्तअनुसार व्यय	d) Expenses as above	342.70	191.88	0.85	0.61	-	15.52
e) प्रदत्त लाभ	e) Benefit paid	145.15	142.41	0.25	0.10	-	53.78
f) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	f) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	1,711.61	930.39	3.10	2.53	309.58	292.79

डी) प्रिंसिपल एक्चुएरियल एजंप्सन

d) Principal Actuarial Assumptions

विवरण	Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
बट्टा दर	Discount rate	6.55%-7.00%	7.20%-7.50%	6.55%-7.00%	7.20%	6.82%	7.70%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	7.00%-10.00%	6.00%-9.00%	7.00%-10.00%	6.00%	5.50%	6.00%
एट्रीशन दर	Attrition Rate	2.00%-12.12%	2.00%-15.00%	2.00%-12.12%	14.00%	2.00%	2.00%

एक्चुरिलय वैल्यूएशन में भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों का ध्यान रखा जाता है. ये अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और निकट अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है. लेखापरीक्षकों ने इन्हीं आंकलन और अनुमानों को आधार बनाया है.

12.4 खंड रिपोर्टिंग (एएस – 17)

1. खंड की पहचान:

I. प्राथमिक (व्यापार खंड): निम्नलिखित खंड बैंक के प्राथमिक खंड हैं:–

i. ट्रेजरी

ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा संविदा व व्युत्पन्न करार में लेनदेन कारोबार शामिल हैं. ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रुप से ट्रेडिंग परिचालनों से प्राप्त शुल्क, लाभ या हानि होती है और निवेश पोर्टफोलियो से प्राप्त ब्याज आय शामिल है.

ii. कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग

कॉरपोरेट / होलसेल बैंकिंग खंड में रु 5.00 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के ऋण के उधारकर्ताओं की गतिविधियां शामिल हैं.

iii. खुदरा बैंकिंग

खुदरा बैंकिंग खंड में रु 5.00 करोड़ से कम मूल्य के ऋण के उधारकर्ताओं की गतिविधियां शामिल हैं.

iv. अन्य बैंकिंग परिचालन

प्राथमिक खंड के अंतर्गत उपरोक्त (i) से (iii) से इतर खंड शामिल हैं.

II) गौण (भौगोलिक खंड)

i) घरेलू परिचालन – शाखाएं कार्यालय जिनका परिचालन भारत में है.

ii) विदेशी परिचालन – शाखाएं / कार्यालय जिनका परिचालन भारत के बाहर और जिन विदेशी बैंकिंग इकाइयों का परिचालन भारत में होता है.

III. खंड राजस्व बाहरी ग्राहकों से राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है

IV. आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

ब्याज आय को होलसेल बैंकिंग परिचालन से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर आबंटित किया जाता है. होलसेल बैंकिंग से प्राप्त ब्याज को कुल ब्याज में से घटाकर रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है.

होलसेल बैंकिंग/ रिटेल बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के

The estimates of future salary growth factored in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

12.4 Segment Reporting (AS – 17)

1. Segment Identification:

I. Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-

i. Treasury

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹ 5.00 Crores and above.

iii. Retail Banking

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹ 5.00 Crores.

iv. Other Banking Operations

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II) Secondary (Geographical Segment)

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. Segment revenue represents revenue from external customers.

IV. Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities

The interest income is allocated on the basis of actual interest received from wholesale banking operations. The total interest received less interest of wholesale banking is taken to retail banking operations.

Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment.

आधार पर सीधे संबद्ध नहीं होने वाले व्यय का आबंटन किया जाता है. ट्रेजरी परिचालन पर व्यय, ट्रेजरी परिचालन से प्राप्त विवरण पर आधारित है.

बैंक में कतिपय आस्तियां और देयताएं होती हैं, जिन्हें किसी भी खंड से जोड़ा नहीं जा सकता है और उन्हें किसी में आबंटित भी नहीं किया जा सकता.

Expenses of treasury operations are as per the details available from treasury operations.

Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the respective segment.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated

सेगमेंट संबंधी सूचना

Segment Information

भाग ए – व्यवसाय सेगमेंट

Part A – Business Segments

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	ट्रेजरी Treasury		कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
		वि.व.: 2019-20	वि.व.: 2018-19	वि.व.: 2019-20	वि.व.: 2018-19	वि.व.: 2019-20	वि.व.: 2018-19	वि.व.: 2019-20	वि.व.: 2018-19	वि.व.: 2019-20	वि.व.: 2018-19
सेगमेंट राजस्व	Segment Revenue	26,871.98	18,068.04	31,868.01	21,347.35	30,374.87	18,901.97	1971.17	2,475.94	91,086.03	60,793.30
सेगमेंट परिणाम	Segment Result	4,706.97	2,841.88	(8,440.80)	(5,313.60)	7,642.43	6,980.90	118.79	284.59	4,027.39	4,793.77
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense	-	-	-	-	-	-	-	-	5,275.73	3,256.16
परिचालनगत लाभ	Operating profit	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,248.34)	1,537.61
घटाएं: कर के लिए प्रावधान	Less: Provision for tax	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,176.09)	437.51
विशिष्ट लाभ-हानि	Extra-Ordinary Profit/Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ	Net Profit	-	-	-	-	-	-	-	-	927.75	1,100.10
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	4,12,229.22	2,43,216.70	5,32,131.92	3,63,662.75	2,37,490.84	1,96,365.87	5,157.84	4,251.51	11,87,009.82	8,07,496.83
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	12,932.31	12,175.11
कुल आस्तियां	Total Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	11,99,942.13	8,19,671.94
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	3,86,084.29	2,26,898.01	4,98,382.35	3,39,262.70	2,22,428.38	1,83,190.64	4,830.72	3,966.25	11,11,725.75	7,53,317.60
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	12,112.10	11,358.22
कुल देयताएं	Total Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	11,23,837.84	764675.82
नियोजित पूंजी	Capital employed	26144.93	16318.69	33749.57	24400.05	15062.45	13175.23	327.13	285.26	75284.08	54179.23
अनाबंटित	Unallocated	-	-	-	-	-	-	-	-	820.21	816.89
कुल पूंजी	Total Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	76104.29	54996.12

भाग बी -- भौगोलिक सेगमेंट

Part B – Geographic Segments

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	घरेलू परिचालन Domestic Operations		अंतर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations		कुल Total	
		वि.व.: 2019-20	वि.व.: 2018-19	वि.व.: 2019-20	वि.व.: 2018-19	वि.व.: 2019-20	वि.व.: 2018-19
राजस्व	Revenue	82,738.11	53,003.41	8,347.92	7,789.89	91,086.03	60,793.30
आस्तियां	Assets	9,69,814.47	6,85,302.03	2,30,127.66	1,34,369.91	11,99,942.13	8,19,671.94

12.5 संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण (लेखांकन मानक-18)

I. संबद्ध पक्ष का नाम व उनके संबंध

समूह के संबंधित पक्ष:

ए) अनुषंगियां

i) घरेलू बैंकिंग अनुषंगियां

1. द नैनीताल बैंक लिमिटेड

ii) विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां

1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड
2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड
3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी
4. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
5. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
6. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद और टोबैगो) लिमिटेड
7. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लिमिटेड
8. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड
9. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड

i) घरेलू गैर-बैंकिंग अनुषंगियां

1. बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (जिसे पहले बॉब काड्‌र्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
4. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
5. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड
6. बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ii) विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियां

1. बॉब (यूके) लिमिटेड

iii) विदेशी गैर-बैंकिंग स्टेप-डाउन अनुषंगी

1. बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड. (बैंक ऑफ़ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)

बी) सहयोगी

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

1. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड

सी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
3. इंडिया इंफ्रा डेट लिमिटेड

12.5 Related Party Disclosures (Accounting Standard-18)

I. Name of Related Parties & their relationship

Related Parties to the Group:

a) Subsidiaries

i) Domestic Banking Subsidiary

1. The Nainital Bank Limited

ii) Foreign Banking Subsidiaries

1. Bank of Baroda (Kenya) Limited
2. Bank of Baroda (Uganda) Limited
3. Bank of Baroda (Guyana) Inc.
4. Bank of Baroda (UK) Limited.
5. Bank of Baroda (Tanzania) Limited
6. Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd.
7. Bank of Baroda (Ghana) Ltd.
8. Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
9. Bank of Baroda (Botswana) Limited

i) Domestic Non- Banking Subsidiaries

1. BOB Capital Markets Limited
2. BOB Financial Solutions Limited (formerly known as BOB Cards Ltd)
3. Baroda Global Shared Services Ltd
4. Baroda Sun Technologies Ltd.
5. Baroda Asset Management India Limited
6. Baroda Trustee India Private Limited

ii) Foreign Non- Banking Subsidiary

1. BOB (UK) Ltd.

iii) Foreign Non- Banking Step-down Subsidiary

1. Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)

b) Associates

i) Regional Rural Banks

1. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
2. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
3. Baroda Gujarat Gramin Bank

ii) Others

1. Indo Zambia Bank Limited

c) Joint Ventures

1. India First Life Insurance Company Limited
2. India International Bank (Malaysia) Bhd.
3. India Infra Debt Limited

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (नवीनतम नाम शामिल हैं)

d) Key Management Personnel (Includes the latest Names)

क्र. सं S. No.	नाम	पदनाम	Name	Designation	पारिश्रमिक Remuneration	
					31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
1	श्री संजीव चड्ढा	प्रबंध निदेशक एवं मु. का.अ. (दिनांक 20.01.2020 से)	Shri Sanjiv Chadha	MD & CEO (w.e.f. 20.01.2020)	₹ 6,96,137/-	-
2.	श्री पी एस जयकुमार	पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मु. का.अ. (दिनांक 12.10.2019 तक)	Shri P S Jayakumar	Ex -MD & CEO (upto 12.10.2019)	₹ 29,70,048/-	₹ 33,45,175/-
3.	श्रीमती पापिया सेनगुप्ता *	कार्यपालक निदेशक (सितंबर 2019 तक)	Smt. Papia Sengupta*	Executive Director (up to Sept 2019)	₹ 74,13,129/-	₹ 29,77,837/-
4.	श्री शांति लाल जैन	कार्यपालक निदेशक	Shri Shanti Lal Jain	Executive Director	₹ 31,64,877/-	₹ 15,15,397/-
5.	श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	कार्यपालक निदेशक	Shri Vikramaditya Singh Khichi	Executive Director	₹ 31,75,563/-	₹ 14,23,096/-
6.	श्री मुरली रामास्वामी	कार्यपालक निदेशक (दिनांक 01.10.2019 से)	Shri Murali Ramaswami	Executive Director (w.e.f. 01.10.2019)	₹ 45,05,016/-	-
7.	श्री मयंक मेहता	कार्यपालक निदेशक (सितंबर 2018 तक)	Shri Mayank Mehta	Executive Director (up to Sept 2018)	-	₹ 55,24,659/-
8.	श्री अशोक कुमार गर्ग	कार्यपालक निदेशक (जून 2018 तक)	Shri Ashok Kumar Garg	Executive Director (up to June 2018)	-	₹ 46,38,773/-

**सेवानिवृत्ति लाभ शामिल*

लेखों पर टिप्पणियों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं. एएस-17 के अनुसार, वे सभी पूर्णकालिक निदेशक जो नीति निर्धारण के निर्णयों में शामिल हैं, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं.

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षों के साथ बैंक के लेनदेन के विवरण निम्नानुसार है:

संबद्ध पक्षों के साथ लेनदेन के विवरण

**includes retirement benefits*

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure. As per AS-17, those whole-time directors who are involved in the policy making decisions are Key Management Personnel.

The details of transactions of the Bank with its related parties during the year ended 31 March, 2020 are given below:

Details of transactions with Related parties

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

क्र. सं S. No.	लेनदेन का स्वरूप	Nature of Transaction	सहयोगी /संयुक्त उद्यम 2019-2020 Associate /JV 2019-2020	सहयोगी /संयुक्त उद्यम 2018-2019 Associate /JV 2018-2019
1	प्रदत्त ब्याज	Interest Paid	13.31	2.95
2.	एनसीडी पर अर्जित ब्याज	Interest Accrued on NCDs	7.14	-
3.	उधारियां	Borrowings	155.00	165.00

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैरा 9 के अनुसार "राज्य-नियंत्रित उद्यम" हैं.

इसके अलावा, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधियों समेत बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकार के लेनदेन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

12.6 लेखांकन मानक -19 'पट्टा'

प्रभावी पट्टे पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं:

प्रभावी पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक की इच्छा पर है.

i) निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके प्रभावी पट्टे रद्द नहीं किए जा सकते:

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18.

Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

12.6 Accounting Standard-19 "Leases":

Premises taken on operating lease are given below:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

i) The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

बाध्यताएं	Obligations	31 मार्च, 2020 के अनुसार As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 के अनुसार As on March 31, 2019
एक वर्ष से कम	Less than 1 year	**129.95**	63.42
1 वर्ष से 5 वर्ष	1 to 5 years	**276.77**	134.95
5 वर्ष और उससे अधिक	5 years and above	**279.94**	129.31

ii) प्रभावी पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि रु. 838.19 करोड़ है. (31 मार्च, 2019: रु. 522.43 करोड़)

बैंक के पास आकस्मिक किराए से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है.

नवीकरण/ खरीद विकल्प और किराया वृद्धि इस प्रकार के करारों में प्रचलित शर्तों के अनुरूप होते हैं. इन करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुष्कर शर्तें नहीं होती हैं.

12.7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक-20)

बैंक लेखांकन मानक-20 'प्रति शेयर आय' के अनुरूप प्रति इक्विटी शेयर में बुनियादी और डायल्यूटेड आय दर्ज करता है. वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके 'मूल आय' प्रति शेयर की गणना की जाती है.

ii) Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is ₹ 838.19 Crores (March 31, 2019: ₹ 522.43 Crores)

The Bank does not have any provisions relating to contingent rent.

The terms of renewal/purchase options and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.

12.7 Earnings per Share (Accounting Standard-20)

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
वर्ष के आरंभ में शेयर की संख्या	Number of share at the beginning of the year	**264,55,16,132**	2,64,55,16,132
वर्ष के दौरान जारी शेयर	Shares Issued during the Year	**197,50,50,454****	-
वर्षों के अंत में पर शेयरों की संख्या	Number of share at the end of year	**462,05,66,586**	2,64,55,16,132

प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर	Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	**4,00,73,03,898**	2,64,55,16,132
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या	Potential no. of equity shares as at end of year	**NA**	42,85,59,286*
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना के लिए शेयरों की संख्या	Number of share used in computing the diluted earnings per shares	**4,00,73,03,898**	3,07,40,75,418
कर के बाद निवल लाभ (रु. करोड़ में)	Net profit after tax (₹ in Crores)	**927.75**	1,100.10
मूल अर्जन प्रति शेयर (रु. में)	Basic earnings per share (In ₹)	**2.32**	4.16
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (रु. में)	Diluted earning per share (In ₹)	**2.32**	3.58
अंकित मूल्य प्रति शेयर (रु. में)	Nominal value per share (In ₹)	**2.00**	2.00

* प्राप्त शेयर आवेदन धन के पेटे भारत सरकार को जारी किए जा सकने वाले शेयरों की अधिकतम संख्या है (अनुसूची 18 के अंतर्गत नोट सं. ए-1 पूंजी का संदर्भ लें). वर्ष के लिए टीयर I पूंजी की गणना के उद्देश्य से प्राप्त आवेदन राशि पर विचार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या डीबीआर.सीओ.बीपी.एनओ. 9771/21.01.002/2018-19 दिनांक 17.05.2019 के आधार पर इन शेयरों को लेखांकन मानक 20 'प्रति शेयर अर्जन' के अनुसार संभावित इक्विटी माना गया है.

** समामेलन की योजना के अनुरूप अप्रैल 2019 को 52,42,00,772 पूर्ण प्रदत्त शेयर जारी किए गए और पूर्ववर्ती विजया बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को आबंटित किए गए तथा 24,84,51,166 पूर्ण प्रदत्त शेयर जारी किए गए और पूर्ववर्ती देना बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को आबंटित किए गए, को शामिल किया गया है.

* Represents maximum number of shares that can be issued to the Government of India against Share application money received (Refer note no A-1 Capital under Schedule 18). These shares have been considered as a Potential Equity in terms of Accounting Standard 20 "Earning per Share" based on the letter bearing No DBR.CO.BP No. 9771/21.01.002/2018-19 dated 17.05.2019 from Reserve Bank of India to consider the Application Money received for the purpose of calculation of Tier I Capital for the year.

**includes 52,42,00,772 fully paid up shares issued and allotted to equity shareholders of erstwhile Vijaya Banka and 24,84,51,166 fully paid up shares issued and allotted to equity shareholders of erstwhile Dena Bank on April, 2019, pursuant to scheme of Amalgamation.

12.8 आय पर करों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक-22)

ए. आस्थगित कर आस्तियां

12.8 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard-22)

a. Deferred Tax Assets

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 के अनुसार As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 के अनुसार As on March 31, 2019
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	**560.44**	146.82
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	**16,668.19**	9,954.97
आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आईए) के तहत अमान्य राशि	Amount Disallowable U/S 40(a)(ia) of the IT Act	**--**	0.02
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	Provision for leave encashment	**643.11**	333.20
विदेशी मुद्रा संव्यवहार आरक्षित	Foreign Currency Translation Reserve	**462.80**	138.15
धोखाधड़ी हेतु प्रावधान	Provision for Fraud	**98.30**	--
गैर-बैंकिंग आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for Non Banking Assets	**56.81**	--
कर्मचारी लाभ	Employee Benefit	**--**	4.23
अनिर्धारित व्यवसाय हानि	Unabsorbed Business Loss	**2.16**	--
अन्य	Others	**4.74**	4.86
कुल आस्थगित कर आस्तियां	**Total Deferred tax Asset**	**18,496.55**	10,582.25

बी. आस्थगित कर देयताएं | **b. Deferred Tax Liabilities**

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को As on March 31, 2019
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	**6.78**	0.22
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौतियां	Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	**2,410.24**	2,009.42
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं	Interest Accrued but not due	**1,510.11**	1,128.72
अन्य	Others	**1.57**	--
कुल आस्थगित कर देयताएं	**Total Deferred tax Liability**	**3,928.70**	3,138.36
निवल आस्थगित कर देयताएं	**Net Deferred tax Asset**	**14,567.85**	7,443.89

ए) अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित मूल बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित विवादास्पद राशि शामिल है. रु. 5128.14 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 2615.39 करोड़) के विवादास्पद आयकर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि मूल बैंक के विचार में, कर सलाहकारों के विधिवत राय में और / या ऐसे मुद्दे पर मूल बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं हैं.

बी) भारत सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के पिछले विवादों के परिसमापन के लिए एक बारगी "सबका विश्वास (पुराने विवादों का निपटान) योजना" की शुरूआत की है. मूल बैंक ने सेवा कर से संबंधित कुछ लंबित मुकदमों के निपटान के विकल्प का चयन किया है और ऐसे मामलों के निपटान के लिए पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में ₹16.66 करोड़ का भुगतान किया गया है, जिसमें सेवा कर की मांग ₹ 35.99 करोड़ थी.

सी) भारत सरकार ने कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश 2019 दिनांक 20 सितंबर, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 में धारा 115 बीएए सम्मिलित की है, जिसमें घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अधीन 1 अप्रैल, 2019 से कम दर पर कॉर्पोरेट कर के भुगतान हेतु एक नॉन-रिवर्सल विकल्प प्रदान किया है. मूल बैंक ने अधिनियम के लागू होने की स्थिति का मूल्यांकन किया है और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कर की मौजूदा दर को जारी रखने के विकल्प का चयन किया है.

डी) वित्त विधेयक, 2020 में आयकर अधिनियम की धारा 72एए में संशोधन के आधार पर, बैंक समामेलित बैंकों को होने वाली अगली हानि के प्रतितुलन के लिए पात्र है. प्रबंधन ने पूर्ववर्ती बैंकों को होने वाली अगली हानि की समीक्षा की है (उनकी वित्त वर्ष 2019 -20 रिटर्न में रिपोर्ट की गई). चल रहे कर वाद को देखते हुए, मूल बैंक का मानना है कि संबंधित समामेलित बैंकों को 31 मार्च, 2020 तक रु. 5712 करोड़ की हानि होने के संबंध में कोई आभासी निश्चितता नहीं है. तदनुसार, इस तरह की हानि पर डीटीए नहीं बनाया गया है.

a) Tax Paid in advance/Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/paid by the Parent Bank in respect tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹ 5,128.14 Crore (previous year ₹ 2,615.39 Crore) as in the Parent bank's view, duly supported by Tax Consultant view and/or decision in Parent bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable.

b) Government of India has introduced "The Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme" as a one time measure for liquidation of past disputes of Central Excise and Service Tax. Parent Bank has opted for settlement of certain pending litigations in respect of Service Tax and has paid ₹ 16.66 Crore as full and final payment for settlement of cases wherein Service Tax demand was ₹ 35.99 Crore.

c) Government of India has inserted section 115BAA in the Income Tax Act 1961 vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019, which provides a non-reversible option to domestic companies to pay corporate tax at reduced rate effective from April 01, 2019 subject to certain conditions. The parent bank has assessed the applicability of the act and opted to continue the existing tax rate for the year ended March 31, 2020.

d) By virtue of amendment in section 72AA of the Income Tax Act in the Finance Bill, 2020, the Bank is eligible to set off Brought forward losses of Amalgamating Banks. The Management has reviewed Brought forward losses of Erstwhile Banks (reported in their Income Tax Return for AY 2019-20).In view of the ongoing tax litigation, the parent Bank is of the view that there is no virtual certainty with respect to carried forward losses of ₹5,712.00 Crs as on March 31, 2020 of the respective amalgamating Banks. Accordingly, DTA has not been created on such losses.

12.9 परिचालन बंद करना (एएस-24)

समूह की अपने किसी भी परिचालन को बंद करने की कोई योजना नहीं है, जिससे देयताओं को पूरा कर दिया गया है और आस्तियों को भुनाया गया है तथा समग्र रूप से किसी परिचालन को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे ऐसा कोई प्रभाव पड़े.

12.10 आस्तियों की हानि (एएस-28)

बैंक के प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान आस्तियों को हानि का कोई संकेत नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 'आस्तियों की हानि' लागू होता है.

12.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (एएस-29):

प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

12.9 Discontinuing operations (AS-24)

The group has no plan to discontinuing operations of any of its operations, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect

12.10 Impairment of Assets (AS-28)

In the opinion of the Bank's management, there is no indication of impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 – "Impairment of Assets" applies.

12.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

Movement of provisions (excluding provisions for others)

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	विधिक मामले / आकस्मिकताएं Legal Cases / Contingencies	
		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
दिनांक 1 अप्रैल को शेष राशि	Balance as on 1st April	**34.00**	42.13
प्रारंभिक समायोजन	Opening Adjustment	**8.27**	-
वर्ष के दौरान प्रावधानीकृत/समायोजित	Provided/ Adjustment during the year	**58.56**	(8.13)
दिनांक 31 मार्च को शेष राशि	Balance as at 31st March	**100.83**	34.00
बाहर जाने वाली/ अनियमितताओं का समय	Timing of Outflow / uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता राशि/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान के परिणामों, साथ ही जो करार की बाध्यताओं, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि पर निर्भर है, ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है.

बी) फरवरी 2019 में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (पीएफ अधिनियम) के तहत बाध्यताओं को शामिल करने के लिए कतिपय विशेष भत्तों को गिना जाए. बैंक को कानूनी परामर्श करने पर सलाह दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय बैंक पर लागू नहीं होता है क्योंकि बैंक अपनी स्वयं की निधि बनाए हुए है.

सी) उपभोक्ता न्यायालयों में बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के खिलाफ दावे दायर किए गए लेकिन 16 मामलों में रु. 0.22 करोड़ कर्ज के रूप में माने नहीं गए (31 मार्च, 2019: रु. 0.88 करोड़)

डी) बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के खिलाफ आयकर की मांग रु. 0.77 करोड़ (31 मार्च, 2019: 6.03 करोड़) है. खर्चों के

A) Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

B) In February 2019, the Honorable Supreme Court of India in its judgment clarified that certain special allowances should be considered to measure obligations under Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (the PF Act). The Bank has been legally advised that the said ruling by Supreme Court is not applicable to the Bank since the bank is maintaining its own fund.

C) Claims filed against BOB Financial Solutions Limited in consumer courts but not acknowledged as debts ₹0.22 Crore in 16 cases (March 31, 2019: ₹0.88 Crore).

D) Income Tax demand against BOB Financial Solutions Limited is ₹ 0.77 Crore (March 31, 2019: 6.03 Crore). In view of nature of expenses and various judicial

स्वरूप और कंपनी के दृष्टिकोण के पक्ष में विभिन्न न्यायिक प्राधिकरणों के मद्देनजर, कंपनी किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं करती है.

ई) मेसर्स एसटीसीआई – स्टैंडर्ड चार्टर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (संयुक्त मर्चेंट बैंकर) द्वारा वर्ष 2010 में बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के साथ-साथ जारीकर्ता कंपनी (एसवीपीसीएल लिमिटेड) के विरुद्ध एसपीवीसीएल द्वारा दावाकृत रु. 15.23 करोड़ की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए मामला दर्ज किया गया था. उपरोक्त विवादित मामला माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष लंबित है. प्रबंधन की राय में यह निराधार मुकदमेबाजी है और कंपनी पर कोई देयता नहीं होगी और उनके अनुमान में न्यायालय का निर्णय कंपनी के पक्ष में होगा.

एफ) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है.

जी) **आकस्मिक देयताओं का विवरण**

ए) **बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है**;

व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न प्रोसीडिंग्स के पक्षकार हैं. यह अपेक्षा नहीं है कि समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन या नकदी प्रवाह के परिणाम पर ये प्रोसीडिंग्स के परिणाम वस्तुगत प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे. यह समूह विभिन्न कराधान मामलों के लिए पक्षकार है जिसके संबंध में अपील लंबित हैं. इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई और बैंक एवं उसकी अनुषंगियों द्वारा विवादित मांग भी शामिल हैं

बी) **आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता**

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता में अदत्त राशि को प्रतिबिंबित करता है.

सी) **वायदा मुद्रा एवं डेरिवेटिव संविदाओं के कारण देयता**

समूह ने स्वयं और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा संविदा, मुद्रा ऑप्शन/स्वैप, ब्याज दर/मुद्रा फ्यूचर्स एवं वायदा दर करार किया है. वायदा मुद्रा संविदा अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है. मुद्रा स्वैप, लागू हाजिर दरों के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/ मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह को विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है. ब्याज दर स्वैप, सावधि और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है. ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडड संविदा है जो एक नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देती है. वायदा दर करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है. विदेशी मुद्रा ऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य पर मुद्रा की एक निश्चित

Authorities favoring the Company's view, the company does not foresee any liability.

E) M/s STCI — Standard Chartered Capital Markets Limited (joint merchant banker) filed a case against BOB Capital Markets Limited in the year 2010 as well as the issuer company (SVPCL Limited) for indemnifying the damage of ₹15.23 Crore claimed by SVPCL Limited. The above disputed matter is pending before the Hon'ble High Court, Mumbai. In the opinion of the management this is a frivolous litigation and there would not be any liability on the company and the case, in all probability, would be decided in the company's favour.

F) Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

G) **Description of contingent liabilities**

a) **Claims against the Bank not acknowledged as debts;**

The parent and its constituents are parties to various proceedings in the normal course of business. It does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Group's financial conditions, results of operations or cash flows. The Group is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank and its subsidiaries.

b) **Liability for partly paid investments**

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments.

c) **Liability on account of forward exchange and derivative contracts**

The Group enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in two currencies, based on ruling spot rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. Interest rate futures are standardized, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period. A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period

राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन संविदा, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा है, जो समाप्ति की तारीख पर नियत तारीख पर पूर्व-सहमत विनिमय दर पर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि के विनिमय का अधिकार देता है, परंतु बाध्यता नहीं. मुद्रा फ्यूचर्स वायदा निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड संविदा है. अनुमानित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है. अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में, यह समूह आम तौर पर इंटरबैंक बाजार में ऑफसेट लेनदेन करता है. इससे अधिक संख्या में बकाया लेनदेन जनरेट होता है और जिससे पोर्टफोलियो में सकल अनुमानित मूलधन में भारी वृद्धि होती है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम है.

डी) ग्राहकों की ओर से में दी गई गारंटी

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, समूह अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है. वह गारंटी इरेवोकेबल एश्योरेंस को दर्शाती है कि ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा.

ई) स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व

इसमें समूह द्वारा अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत और पृष्ठांकित किया गया हैं, को शामिल किया गया है.

एफ) और अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से (कंटींजेंटली) उत्तरदायी है.

or at a specified future time. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardized foreign exchange derivative contract, which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry. Currency Futures contract is a standardized, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price. The notional amounts are recorded as contingent liabilities. With respect to the transactions entered into with its customers, The Group generally enters into offsetting transactions in the interbank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.

d) Guarantees given on behalf of constituents

As a part of its banking activities, the Group issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

e) Acceptances, endorsements and other obligations

These include documentary credit issued by the Group on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

f) And other items for which Bank is Contingently liable.

13 नियामकों द्वारा लगाया गया जुर्माना

13 Penalty Imposed by Regulators

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि (करोड़ में) Amount (in Cr)	मामलों की संख्या No of Cases	राशि (करोड़ में) Amount (in Cr)
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना**	Penalties Imposed by RBI**	**127**	**5.92**	125	5.25*
विदेशी टेरिटरी/अनुषंगियों पर उनके संबंधित नियामक द्वारा लगाया गया जुर्माना	Penalties Imposed on Overseas territories/subsidiaries by their respective regulators	**2**	**0.18**	3	0.49

**इसमें स्विफ्ट संबंधित परिचालन विलंब के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 18-19 में लगाया गया रु. 4 करोड़ का जुर्माना शामिल है.*

***अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्मानों का विवरण. (डिजिटल बैंकिंग विभाग)*

** includes ₹ 4 crore penalty imposed by RBI on account of delay in implementation of SWIFT related operational controls in FY 18-19.*

*** Details on penalty imposed by RBI on authorized payment system operators. (Digital Banking Department)*

14 अतिरिक्त प्रकटीकरण:

मूल कंपनी व अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त सूचना में प्रकटीकरण जिनका सीएफएस के सटीक और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उन मदों की सूचना जो कोई मायने नहीं रखती उन्हें सीएफएस के प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है.

14.1 समूह की संस्थाओं के बीच आपस में अंतर-बैंक/ कंपनी की शेष राशियों का समायोजन अविरत नेमी रूप से किया जाता है. इस तरह के समायोजन का चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.

14.2 वेतन संशोधन (1 नवंबर, 2017 से देय) के प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौते के अनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2020 को रु. 1,933.77 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 632.76 करोड़) का प्रावधान किया है.

14.3 बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक का समामेलन

ए) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श से, 02 जनवरी, 2019 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा (इसके बाद से अंतरिती बैंक के रूप में संदर्भित) के साथ विजया बैंक और देना बैंक (इसके बाद सामूहिक रूप से अंतरणकर्ता बैंक के रूप में संदर्भित) के समामेलन की योजना को अधिसूचित किया है. यह योजना 01 अप्रैल, 2019 को लागू हुई.

इस योजना के आरंभ होने पर, अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों को अंतरिती बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया. अंतरणकर्ता बैंकों के उपक्रमों, उनके अंतर्गत सभी कारोबार, आस्तियां (मूर्त एवं अमूर्त, चल एवं अचल सहित), देयताएं, आरक्षित एवं अधिशेष और अन्य सभी अधिकार और हित जो अंतरणकर्ता बैंकों की ऐसी संपत्ति के कारण उत्पन्न होते हैं जो इन उपक्रमों के संबंध में हैं, जैसा कि योजना के प्रारंभ से ठीक पहले थी, भारत के भीतर या बाहर अंतरणकर्ता बैंकों के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थी, समझी जाएगी.

बी) संबंधित लेखापरीक्षा समितियों, संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट और संबंधित बैंकों को जारी की गई निष्पक्षता संबंधी राय की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखने के बाद, संबंधित बैंकों के निदेशक मण्डल ने शेयर विनिमय अनुपात (सभी मामलों में समरूप रैंकिंग और समान अधिकार, अंतरिती बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के रूप में, लाभांश के संबंध में, यदि कोई हो, जो कि इस योजना के प्रारंभ होने के बाद अंतरिती बैंक द्वारा घोषित किया जा सकता है), को निम्नानुसार मंजूरी दी है:

i) विजया बैंक के प्रत्येक रु. 10 के 1000 इक्विटी शेयरों पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रत्येक रु. 2 के 402 इक्विटी शेयर

14 Additional Disclosures:

Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent and the Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the CFS and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

14.1 Inter- Bank/Company balances between group entities are being reconciled on an ongoing basis. No material effect is expected on the profit and loss account of the current year of such reconciliation.

14.2 Pursuant to the proposed bipartite agreement on wage revision (due with effect from November 01, 2017), bank holds provision of sum of ₹1,933.77 crs (previous year ₹ 632.76 crs) as of March 31, 2020.

14.3 Amalgamation of Erstwhile Vijaya Bank and Erstwhile Dena Bank with Bank of Baroda

a) In exercise of power conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970) and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 (40 of 1980), after consultation with the Reserve Bank of India, The Government of India has notified the scheme of amalgamation of Vijaya Bank and Dena Bank (hereinafter collectively referred to as Transferor Banks) with Bank of Baroda (hereinafter referred to as Transferee Bank) on 02nd January, 2019,. This scheme came into force on the 01st April, 2019.

On the commencement of this scheme, the undertakings of the Transferor Banks transferred to the Transferee Bank. Undertakings of the transferor banks is deemed to include all business, assets (including tangible and intangible, movable and immovable), liabilities, Reserve & Surplus and all other rights and interests arising out of such property of the transferor Banks in relation to the undertakings as were immediately before the commencement of scheme, in the ownership, possession, power or control of the Transferor Banks within or Outside India.

b) After taking into consideration the recommendation of the respective Audit Committees, Joint Valuation Report and the fairness opinion issued to the respective banks, the Board of the respective banks had approved the Share Exchange Ratio (ranking pari passu in all respects and shall have the same rights attached to them as the then existing equity shares of the Transferee Bank, including, in respect of dividends, if any, that declared by the Transferee Bank, on or after the commencement of this scheme) as under:-

i) 402 equity shares of ₹ 2 each of Bank of Baroda of every 1000 equity shares of ₹ 10 each of Vijaya Bank.

ii) देना बैंक के प्रत्येक रु. 10 के 1000 इक्विटी शेयरों पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रत्येक रु. 2 के 110 इक्विटी शेयर

इक्विटी शेयरों के अंश की पात्रता के संबंध में, नकद भुगतान पर विचार किया जाएगा.

एएस 14 के पैरा 24 के अनुसार प्रकटीकरण – "समामेलन के लिए लेखांकन" निम्नानुसार है:

ए) समामेलित कंपनियों अर्थात् पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना वैंक के व्यवसाय का सामान्य स्वरूप बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बैंकिंग व्यवसाय के समान अर्थात बैंकिंग है;

बी) लेखांकन उद्देश्यों के लिए समामेलन की प्रभावी तारीख; – 01-04-2019

सी) समामेलन को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त लेखांकन विधि

लेखा मानक 14 (एएस 14), "समामेलन के लिए लेखांकन" और अर्जन की अनुमोदित योजना के अनुसार 'पूलिंग ऑफ इन्टरेस्ट' विधि के तहत बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ पूर्ववर्ती देना बैंक और पूर्ववर्ती विजया बैंक के विलय का लेखांकन किया गया. बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य के 77,26,51,938 शेयरों और ऊपर उल्लिखित आंशिक पात्रता के लिए रु. 1.74 करोड़ के नकद भगतान पर विचार करते हुए अंतरणकर्ता बैंकों के रु. 3563.20 करोड़ (निवल) की कुल आस्तियों एवं देयताओं को प्रभावी तारीख को मौजूदा वहन (कैरिंग) राशि के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की बहियों में रिकॉर्ड किया गया है. पूर्ववर्ती देना और पूर्ववर्ती विजया अंतरण बैंक के और बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा संबद्ध निवेश की शेयर पूंजी के बीच का शुद्ध अंतर और शेयरों की भिन्नात्मक पात्रता के एवज़ में नकदी को पूंजी रिज़र्व में स्थानांतरित कर दिया गया है. समामेलन पर टेकओवर की गई शुद्ध आस्तियां निम्नानुसार हैं:

ii) 110 equity shares of ₹ 2 each of Bank of Baroda of every 1000 equity shares of ₹ 10 each of Dena Bank.

In respect of entitlements to fraction of equity shares, the consideration is paid in cash.

Disclosures as per para 24 of AS 14 – "Accounting for Amalgamations" is as under:

A) The general nature of business of the amalgamating companies i.e eVijiya Bank and eDena Bank is same as that of the Banking business of Bank of Baroda i.e Banking;

B) Effective date of amalgamation for accounting purposes; - 01-04-2019

C) The method of accounting used to reflect the amalgamation

The merger of eDB and eVB with BoB, has been accounted under the 'pooling of interest' method as per Accounting Standard 14 (AS 14), "Accounting for amalgamation" and the approved Scheme of Acquisition. Pursuant thereto, all assets and liabilities amounting to ₹3563.20 crore (net) of the transferor Banks have been recorded in the books of BoB at their existing carrying amounts as on effective date, in consideration for 77,26,51,938 shares of face value of ₹2/- each of BoB and ₹1.74 crore paid in cash towards fractional entitlements as stated above. The net difference between share capital of transferor banks of eDB and eVB and corresponding investments by BoB and cash in lieu of fractional entitlement of shares have been transferred to Capital Reserve. The net assets taken over on amalgamation are as under:

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	पूर्ववर्ती देना बैंक eDB	पूर्ववर्ती विजया बैंक eVB	कुल Total
टेक ओवर की गई आस्तियां	Assets Taken Over			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	Cash and Balances with RBI	6,774.16	8,631.31	15,405.47
बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	1,554.46	53.04	1,607.50
निवेश	Investments	38,522.50	41,613.11	80,135.61
अग्रिम	Advances	51,958.97	130,606.32	182,565.29
अचल आस्तियां	Fixed Assets	1,765.22	1,691.27	3,456.49
अन्य आस्तियां	Other Assets	8,252.83	9,386.47	17,639.30
कुल आस्तियां (ए)	**Total Assets (A)**	**108,828.14**	**191,981.52**	**300,809.66**
टेक ओवर की गई देयताएं	**Liabilities taken over**			
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	813.79	7,415.08	8,228.87

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	पूर्ववर्ती देना बैंक eDB	पूर्ववर्ती विजया बैंक eVB	कुल Total
जमाएं	Deposits	1,00,651.85	1,75,817.43	2,76,469.28
उधारियां	Borrowings	2,455.00	3,717.25	6,172.25
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	2,648.44	3,727.62	6,376.06
कुल देयताएं (बी)	**Total Liabilities (B)**	**1,06,569.08**	**1,90,677.38**	**2,97,246.46**
टेक ओवर की गई निवल आस्तियां (ए-बी)=(सी)	**Net Assets taken over (A-B)=(C)**	**2,259.06**	**1,304.15**	**3,563.20**
घटाएं :	Less :			
(डी) स्वीकृति के लिए बीओबी द्वारा जारी प्रत्येक रु. 2 के अंकित मूल्य के 77,26,51,938 शेयर	(D) 77,26,51,938 shares of face value of ₹2 each issued by BoB as consideration	49.69	104.84	154.53
(ई) शेयरों की आंशिक पात्रता के एवज़ में नकदी	(E) Cash in lieu of fractional entitlement of shares	0.69	1.05	1.74
पूंजी आरक्षित में अंतरित अंतर = (सी-(डी+ई))	Difference transferred to Capital Reserve F = (C-(D+E))	2,208.68	1,198.25	3,406.93

14.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को अपनाया गया है. तदनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त सांविधिक जानकारी का प्रकटन किया गया है जिसका समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही जो मदें वस्तुगत नहीं हैं उनसे संबंधित जानकारी को आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक प्रकटीकरण के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट नहीं किया गया है.

14.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.15199 / 21.04.048 / 2016-17 दिनांक 23 जून, 2017 तथा डीबीआर.नं. बीपी.1906 / 21.04.048 / 2017-18 दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत शामिल खातों के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2020 को कुल रु. 10906.17 करोड़ (कुल बकाया का 98.63%) का प्रावधान किया है.

14.6 बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('बीओबी) और बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड (बीएनपी एशिया) ने भारत में अपनी आस्ति प्रबंधन और ट्रस्टी कंपनियों के विलय के लिए 11 अक्टूबर 2019 को समझौतों पर हस्ताक्षर किए. समामेलन के परिणामस्वरूप, बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट उत्तरजीवी एएमसी और बड़ौदा ट्रस्टी उत्तरजीवी ट्रस्टी कंपनी होंगे. दोनों उत्तरजीवी एएमसी और ट्रस्टी कंपनियों के धारक बीओबी और बीएनपी एशिया होंगे और उन्हें प्रायोजक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. एएमसी के मामले में, बीओबी और बीएनपी एशिया के लिए शेयरधारिता क्रमशः 50.10% और 49.90% होगी, जबकि ट्रस्टी कंपनी के मामले में यह 50.70% और 49.30% होगी.

14.4 In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.

14.5 As per RBI letter no. DBR. No. BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR. No. BP. 1906/21.04.048/ 2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹10906.17 crore (98.63% of total outstanding) as on March 31,2020.

14.6 Bank of Baroda (BOB) and BNP Paribas Asset Management Asia Ltd. (BNP Asia) signed agreements on October 11th 2019 to merge their Asset Management and Trustee Companies in India. As a result of amalgamation, BNP Paribas Asset Management will be the surviving AMC and Baroda Trustee will be the surviving Trustee Company. Both the surviving AMC and Trustee Companies will be held by BOB and BNP Asia and will be classified as sponsors. In case of AMC, the shareholding will be 50.10% and 49.90% respectively for BOB and BNP Asia, while it will be 50.70% and 49.30% in case of the Trustee Company.

Approval from Competition Commission on India (CCI) has been received on Dec 16, 2019. The final hearing

दिसंबर, 2019 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से अनुमोदन प्राप्त हुआ है. राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष अंतिम सुनवाई जून के अंत में होने वाली है. विलय लेनदेन के संबंध में अन्य विनियामकों को आवश्यक प्रस्तुतियां की जा रही हैं.

इस लेनदेन के प्रयोजन से, नियत तारीख 1 अप्रैल, 2019 या ऐसी अन्य तारीख होगी, जिसमें पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति बने.

शेयरधारकों का समझौता बीओबी बीएनपीपी एएम और उत्तरजीवी एएमसी के बीच दर्ज की गई समापन तारीख से प्रभावी होगा.

वर्ष 2019-20 के लिए, कंपनी के वित्तीय विवरण कार्यशील संस्थान अवधारणा के तहत तैयार किए गए है. सभी विनियामक अनुमोदनों की प्राप्ति के अधीन, विलय लेनदेन की समापन तिथि 2020-21 में होने की अपेक्षा है.

14.7 कोविड-19 प्रभावों के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचना आरबीआई/2019-20/218डीओआर.बीपी.बीसी.नं.64/21.02.067 / 2019-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 द्वारा निर्णय लिया है कि आगामी अनुदेशों तक सभी बैंक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से किसी लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे. बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कोई अंतिम लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है.

14.8 पूंजी पर्याप्तता तथा चलनिधि मानक संशोधनों पर विवेकसम्मत दिशानिर्देशों के संबंध में जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के साथ पठित बासेल-III पूंजी विनियमन पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.एनओ.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 के अनुसार बासेल-III फ्रेमवर्क के तहत बैंकों को लिवरेज-अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सहित यथालागू पिलर-3 प्रकटीकरण करना आवश्यक है. ये विवरण हमारी वेबसाइट "www.bankofbaroda.com" पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. ये प्रकटीकरण लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा के अधीन नहीं है.

14.9 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, अत: एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रकटीकरण लागू नहीं है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और जिसे हमने आधार बनाया हैं.

14.10 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार बैंक ने चार तिमाहियों की अवधि में धोखाधड़ी के लिए देयता प्रदान करने का विकल्प चुना है. तदनुसार, 31 मार्च, 2020 तक कैरी फॉरवर्ड प्रावधान, रु. 34951 लाख (पिछले वर्ष शून्य था) है, जिसे बैंक द्वारा आगामी तिमाहियों में परिशोधित किया जाएगा.

14.11 भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना एफ. नं.1/1/2017-बीओए दिनांक 2 जनवरी, 2019 के माध्यम से बैंक ऑफ़ बड़ौदा, देना बैंक

before the National Company Law Tribunal (NCLT) is scheduled for June end. Necessary submissions are being made to other Regulators in connection with the merger transaction.

For the purpose of this transactions, the Appointed date shall be April 1, 2019 or such other date as shall be mutually agreed between the parties.

The Shareholders's agreement shall be effective from the Closing Date entered into between BOB BNPP AM and the surviving AMC.

For the year 2019-20, the financials of the Company have been prepared under the going concern concept. The closing date for the merger transaction is expected to be in 2020-21, subject to receipt of all regulatory approvals.

14.7 Vide notification RBI/2019-20/218 DOR.BP.BC. No.64/21.02.067/2019-20 dated April 17, 2020 due to Covid-19 impact, RBI has decided that all banks shall not make any further dividend pay outs from the profits pertaining to the financial year ended March 31, 2020 until further instructions. The Board of Directors of the Bank has not proposed any final dividend for the year ended March 31, 2020.

14.8 RBI Circular DBOD.NO.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated July 01, 2015 on Basel III. : Capital Regulations read together with RBI circular no DBR.NO.BP.BC. 80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Liquidity Standards Amendments requires banks to make applicable Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel- III framework. These details are being made available on our website "www.bankofbaroda.com". These disclosures have not been subjected to audit by the auditors

14.9 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable. The details regarding Micro, Small and Medium Enterprises has been provided by the Management and relied upon by us.

14.10 As per the Reserve bank of India (RBI) circular no. DBR No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 the Bank has opted to provide the liability for frauds over a period of four quarters. Accordingly, the carry forward provision as on March 31, 2020 is ₹34951 lakh (previous year NIL) which is to be amortised in the subsequent quarters by the bank.

14.11 The Government of India through a gazette notification F.No.1/1/2017-BOA dated January 2, 2019 approved

और विजया बैंक के 1 अप्रैल, 2019 से समामेलन की योजना का अनुमोदन किया है.

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के परिणामों में पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक के परिचालन शामिल हैं. अत: 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही / वर्ष के परिणाम पिछले वर्ष की इसी अवधि और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के साथ तुलनीय नहीं हैं.

14.12 अग्रिमों की रिस्ट्रक्चरिंग–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र (एक बारगी रिस्ट्रक्चरिंग) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018–19 दिनांक 1 जनवरी, 2019 के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 तक रु. 1734.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 190.75 करोड़) के 37261 (पिछले वर्ष 5640) एमएसएमई उधार खाते रिस्ट्रक्चर किए गए थे.

14.13 पिछले वर्ष के आंकडों को, चालू वर्ष के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार फिर से समूहों में वर्गीकृत किया गया है.

the scheme of amalgamation between Bank of Baroda, Dena Bank and Vijaya Bank and amalgamation w.e.f. April 1, 2019. The results for the quarter/ year ending March 31, 2020 and quarter ended December 31, 2019 includes operations of erstwhile Vijaya Bank and erstwhile Dena Bank. Hence the results for quarter/ year ended March 31, 2020 are not comparable with corresponding period of previous year and for the year ended March 31, 2019.

14.12 As per RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18 / 21.04.048 / 2018-19 dated January 1, 2019 on 'Restructuring of Advances - Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), 37261 (Previous Year -5640) MSME borrower accounts were restructured till March 31, 2020 amounting to ₹1734.00 crs (previous year ₹190.75 crs).

14.13 Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2020

(₹ in 000's)

				31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2019
ए.	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :**	A.	**Cash flow from operating activities:**		
	कर से पूर्व निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	**(1248,34,15)**	**1537,61,52**
	निम्नलिखित के लिए समायोजनः		Adjustments for:		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on fixed assets	1697,22,71	948,25,01
	निवेशों पर मूल्य ह्रास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)		Depreciation on investments (including on Matured debentures)	1017,42,15	165,13,96
	बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	16691,37,49	12322,98,35
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	3122,59,16	(64,07)
	अन्य मदों के लिए प्रावधान		Provision for Other items	872,37,84	1568,52,40
	अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ) /हानि		(Profit)/loss on sale of fixed assets	(3,56,63)	(15,43,31)
	गौण ऋणों पर ब्याज हेतु भुगतान / प्रावधान (अलग से लिया गया)		Payment/provision for interest on subordinated debt(treated separately)	1674,43,08	1187,38,39
	पूर्ण योग		**Sub total**	**23823,51,65**	**17713,82,25**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		Adjustments for:		
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in investments	(14892,29,41)	(20744,15,19)
	अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in advances	(57363,88,85)	(58596,53,45)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(increase)/Decrease in other assets	(7566,24,29)	1145,29,20
	उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease)in borrowings	12603,21,70	3453,41,46
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease) in deposits	31171,13,24	58137,32,06
	अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)		Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	14010,87,74	1741,61,22
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)		Direct taxes paid (Net of Refund)	(266,99,14)	(4299,84,12)
	परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी (ए)		**Net cash from operating activities (A)**	**1519,32,64**	**(1449,06,57)**
बी.	**निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :**	B.	**Cash flow from investing activities:**		
	अचल आस्तियों की खरीद /अंतरण		Purchase/Transfer in of fixed assets	(3303,35,36)	(2666,03,43)
	अचल आस्तियों की बिक्री/अंतरण		Sale/ Transfer out of fixed assets	3166,09,57	128,66,08

(₹ in 000's)

				31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष **Year ended 31st March 2020**	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2019
	समामेलन के परिणाम स्वरूप पूर्ववर्ती विजया बैंक एवं देना बैंक के शेयरधारकों को आंशिक पात्रता के लिए प्रदत्त नकदी		Cash paid to shareholders of erstwhile Vijaya Bank and Dena Bank towards fractional entitlements consequent to amalgamation	(1,73,82)	-
	निवेश संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी (बी)		**Net cash from investing activities (B)**	**(138,99,61)**	**(2537,37,35)**
सी.	**निवेश संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी**	**C.**	**Cash flow from financing activities:**		
	शेयर पूंजी/ शेयर आवेदन पूंजी/शेयर प्रीमियम		Share Capital /Share application money/ Share premium	8293,40,35	5081,61,66
	गैर-जमानती गौण बांड		Unsecured Subordinated Bonds	8109,70,00	554,30,00
	लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश		Dividend paid including dividend tax	-	-
	गैर जमानती प्रतिदेय बांडों पर प्रदत्त/देय ब्याज		Interest paid / payable on unsecured redeemable bonds	(1674,43,08)	(1187,38,39)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी (सी)		**Net cash from financing activities (C)**	**14728,67,27**	**4448,53,27**
	समामेलन के परिणाम स्वरुप प्राप्त नकदी एवं नकदी समतुल्य (डी)		**Cash & cash equivalents received on account of amalgamation (D)**	**17011,23,00**	**-**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य (ए)+(बी)+(सी)+(डी) में निवल वृद्धि		**Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)+(D)**	**33120,23,30**	**462,09,35**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	97884,83,97	97422,74,62
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		Cash and cash equivalents as at the end of the year	131005,07,27	97884,83,97

टिप्पणी: / **Notes:**

1 नकदी तथा नकदी समतुल्य में बैंक के पास नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा शामिल है.

1 Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.

2 नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक / 2 Components of Cash & Cash Equivalents

		31 मार्च 2020 को **As on 31st March 2020**	31 मार्च 2019 को As on 31st March 2019
भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष राशि	Cash & Balance with RBI	34244,78,16	28225,34,60
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	96760,29,11	69659,49,37
कुल	**Total**	**131005,07,27**	97884,83,97

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors Report

प्रति

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

राय

1. हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (''बैंक'' या ''धारक बैंक'') के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 का समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी नोट का समावेश है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

    ए. बैंक के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

    बी. 7 घरेलू अनुषंगियों, 2 घरेलू संयुक्त उद्यमों, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (सहयोगी), 7 विदेशी अनुषंगियों और 1 विदेशी सहयोगी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण.

    सी. 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सहयोगी), 3 विदेशी अनुषंगियों और 1 विदेशी संयुक्त उद्यम की अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी

धारक बैंक के साथ अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों को "समूह" के रूप में जाना जाता है.

2. हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए अलग-अलग वित्तीय विवरणों, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों की अन्य वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और अन्य लेखा परीक्षकों के विचारों से संबंधित रिपोर्ट पर निम्नानुसार प्रस्तुत हैं:.

    ए. 31 मार्च, 2020 को बैंक के कार्यों, समेकित तुलन पत्र की स्थिति का सत्य और निष्पक्ष अवलोकन;

    बी. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते के मामले में निवल लाभ; तथा

    सी. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में नकदी प्रवाह का सत्य और निष्पक्ष अवलोकन

राय हेतु आधार

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा पर जारी मानकों (एसए) के अनुसार की है. उन लेखा-परीक्षा मानकों (एसए) के अंतर्गत हमारा और उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट की समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में वर्णित

To

The Members of Bank of Baroda

Independent Auditors' Report on Consolidated Financial Statements of Bank of Baroda

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of Baroda (the "Bank" or "Holding Bank") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2020, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which following are incorporated –

    a. Audited Standalone Financial Statements of the Bank;

    b. Audited Financial Statements of 7 domestic Subsidiaries, 2 domestic Joint Ventures, 2 Regional Rural Banks (associates), 7 foreign subsidiaries and 1 foreign associate.

    c. Unaudited financial statements / financial information of 1 Regional Rural Banks (associates), 3 foreign subsidiaries and 1 foreign joint venture.

The Subsidiaries and Joint Ventures together with the Holding Bank are referred to as the "Group".

2. In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements, the unaudited financial statements and the other financial information of the subsidiaries, Joint Ventures and associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

    a. true and fair view in case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2020;

    b. true balance of Profit in case of Consolidated Profit & Loss account for the year ended on that date; and

    c. true and fair view of the cash flows in case of Consolidated Cash Flows Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the

है. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा समेकित वित्तीय विवरण पत्रों की हमारी लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक आचार संहिताओं के साथ हैं, हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुरुप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है वह हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है.

विषयवस्तु का प्रभाव

4. हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं:

ए. वित्तीय विवरणी की अनुसूची 19 की नोट संख्या सी-8 जो यह व्याख्या करती है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव का दायरा बैंक के परिचालन और वित्तीय परिणामों को प्रभावित करेगा, वो भविष्य के संभावनाओं पर निर्भर होगा, जो कि बहुत ही अनिश्चित है. बैंक लगातार वित्तीय स्थितियों की निगरानी कर रहा है और बैंक के परिचालन और वित्तीय विवरणियों पर को भी प्रभाव इन वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन की तारीख को अनिश्चित है.

बी. वित्तीय विवरणी की अनुसूची 19 की नोट संख्या 14.10 जो रू. 349.51 करोड़ (31 मार्च, 2019 शून्य) के प्रावधानों के आस्थगन से संबंधित है और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पहचान किए गए कुछ धोखाधड़ी खातों से संबंधित है और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर नं .बीपी.बीसी.92121.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीन तिमाहियों में लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए जाने हैं.

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है.

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे

5. हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मुद्दों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में और इसमें हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मुद्दों में अलग से राय नहीं देते हैं.

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे (धारक बैंक)	**हमारी लेखा परीक्षा कार्य में मुद्दों का किस तरह से निपटान किया गया**
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण. वर्ष के दौरान, 1 अप्रैल 2019 से देना बैंक और विजया बैंक के समामेलन को देखते हुए, जैसा कि वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 के नोट ए-1 (सी) और सी-8	**हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण** हमने बैंक के सभी तीनों वर्टिकल के आईटी संबंधी वातावरण को समझा और तदुनसार, जोखिम मूल्यांकन हेतु आईटी एप्लिकेशनों, डेटाबेस और परिचालन प्रणालियों की पहचान की, जो वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकते हैं सकता है.

Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associates in accordance with the "Code of Ethics" issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidences obtained by us and other auditors in terms of their reports referred to in "Other Matters" paragraph below, are sufficient and appropriate to provide a basis of our opinion.

Emphasis of Matter

4. We draw attention to –

a. Note no. 8 of Schedule 19 of the Consolidated Financial Statements which explains that the extent to which COVID-19 pandemic will impact the Group's operations and financial results are dependent on future developments, which are highly uncertain. The Bank is continuously monitoring the economic conditions and any impact on the Bank's Operations and financial results is uncertain as on the date of approval of this financial statements.

b. Note No. 14.10 of Schedule 19 of the Consolidated Financial Statements relating to deferment of provision of Rs. 349.51 crore (March 31, 2019 Nil) pertaining to certain fraud accounts identified during the year ended March 31, 2020 and to be charged to the Consolidated Profit & Loss Account in the three quarters of FY 2020-21, in terms of RBI Circular DBR No. BP.BC.92121.04.048/2015-16 dated April 18, 2016.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Key Audit Matters	**How the matter was addressed in our audit**
Information Technology (IT) and controls impacting financial reporting During the year, in view of the amalgamation of Dena Bank and Vijaya bank with effect from April 1, 2019,	**Our Audit Approach** We have obtained understanding of the IT related environment of all the three verticals of the Bank, and had accordingly identified IT applications, databases and operating

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे (धारक बैंक)	हमारी लेखा परीक्षा कार्य में मुद्दों का किस तरह से निपटान किया गया
में उल्लेखित किया गया है, बैंक संबंधित वर्टिकल यथा ईदेना बैंक शाखाओं, ईविजया बैंक शाखाओं और अन्य शाखाओं के लिए तीन अलग-अलग सॉफ्टवेयर में कार्य कर रहा है. उपर्युक्त को देखते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध में बैंक के परिचालन संबंधी आईटी वातावरण जटिल और व्यापक हो गया है क्योंकि यह काफी हद तक सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर है जिसमें स्वचालित और मैनुअल नियंत्रण और परिचालन संबंधी जटिलता और व्यापकता के कारण पूर्ण और सटीक इलेक्ट्रॉनिक डेटा की उपलब्धता शामिल है. तीनों सॉफ्टवेयर के लंबित सिस्टम एकीकरण/ माइग्रेशन के चलते, आंकड़ों के समेकन की प्रकिया मैनुअल रूप रिपोर्ट की जाएगी. अनधिकृत या व्यापक एक्सेस अधिकार, आईटी परिवेश में परिवर्तन, परिचालन नियंत्रण, कर्तव्यों के विभाजन में कमी जो वित्तीय जानकारी के गलत होने का जोखिम पैदा कर सकती है और वित्तीय विवरणों की पूर्ण और सटीकता पर गंभीर परिणाम हो सकता है. ऑटोमेशन के उच्च स्तर के कारण, उपयोग किए गए एकीकृत / गैर-एकीकृत प्रणालियों की संख्या, तीनों वर्टिकल के समेकन के लिए उपयोग की गई मैनुअल प्रक्रिया, यह हमारी लेखापरीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है.	इस क्षेत्र में सभी तीनों वर्टिकल के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा प्रकियाओं में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: • यूज़र एवं एप्लिकेशन नियंत्रण, चेंज मैनेजमेंट नियंत्रण और डेटा बैकअप से संबंधित आईटी सामान्य नियंत्रणों का परीक्षण करना. • प्राधिकृत कर्मियों की अनुमतियों और जिम्मेदारियों की समीक्षा के माध्यम से कोर सिस्टम के एक्सेस पर उपयुक्त प्रतिबंधों का मूल्यांकन, • जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को करने का निर्धारण किया है, वहां हम मैन्युअल क्षतिपूर्ति नियंत्रणों पर निर्भर हैं; जैसे कि प्रणालियों और सूचना के अन्य स्रोतों के बीच सामंजस्थ या अतिरिक्त जांच करना; पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने नमूना आकार का विस्तार किया है. • सभी वर्टिकल के आंकड़ों के मैनुअल समेकन प्रक्रियाओं के संबंध में नियंत्रण की समीक्षा और ऐसे समेकन के संबंध में यथार्थता को सुनिश्चित करना
ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण, उस पर प्रावधान और आय की गणना बैंक का निवल अग्रिम धारक बैंक की कुल आस्तियों का 59.60%	**हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण** हमने अनर्जक आस्तियों, प्रावधान के निर्धारण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और इससे संबंधित बैंक की नीतियों के

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our audit
as stated in note 14.3 of Schedule 19 of the notes on the Consolidated Financial Statements, the Bank operates in three different software for the respective verticals namely Edena bank branches, EVijaya bank branches and other branches. In view of the above, the IT environment has become complex and pervasive to the operations of the Bank with regards to the financial reporting process since the same is highly dependent on information technology including automated and manual controls and availability of complete and accurate electronic data due to the size and complexity of the operations. Pending the systems integrated / migration of the three software, the process of consolidated of data to be reported is manual. Unauthorized or extensive access rights, changes in IT environment, operational controls, lack of segregation of duties which may cause a risk of misstatement of financial information and could have a material consequence on the completeness and accuracy of the financial statements. Due to high level of automation, number of integrated / non – integrated systems used, the manual process used for the consolidation of the three verticals, this is a significant matter for our audit.	systems to conduct risk assessment which may impact on the financial reporting. Our audit procedures, with respect to all three verticals, in this area included, among others: • Testing IT general controls related to User and Application controls, Change Management Controls and Data backup. • Assessing whether appropriate restrictions were placed on access to core systems through reviewing the permissions and responsibilities of authorized personnel. • Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidences. • Reviewed the controls with respect to manual processes consolidation of data of all verticals and ensured data integrity with respect to such consolidation.
Classification of Loans and Advances, provision thereon and recognition of income	**Our Audit Approach** We had obtained understanding from the Bank about the controls

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे (धारक बैंक)	हमारी लेखा परीक्षा कार्य में मुद्दों का किस तरह से निपटान किया गया
है, जो वित्तीय विवरणियों का एक महत्वपूर्ण भाग है. भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा, बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए कुछ नीतियां भी हैं. आहरण शक्ति गणनाओं, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए अन्य पक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, अग्रिम हानि के लिए प्रबंधन निर्णय, पुनर्गठित अग्रिमों के लिए घटते मूल्य की गणना और अनर्जक अग्रिमों में शामिल ब्याज आय निर्धारण के लिए उधारकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भरता के कारण; हमने इसे लेखापरीक्षा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना है.	अनुपालन में सम्मिलित प्रणाली में निर्मित नियंत्रणों, चेक और बैलेंस के बारे में बैंक से जाना और तद्नुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई. हमने शीर्ष 20 घरेलू शाखाओं की लेखापरीक्षा की थी और अन्य घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए बैंक द्वारा चयनित शाखा लेखापरीक्षक द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर थे. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 द्वारा कोविड 19 महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन ने शाखा में भौतिक रूप से जाना निषेध कर दिया है. अत: हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई), ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्डस बोर्ड ऑफ़ आईसीएआई और इस मामले पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुरूप वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं पर निर्भर रहे हैं. सूचना के आधार पर बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारे द्वारा अपेक्षित दस्तावेज / जानकारी प्रदान की है. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, प्रधान कार्यालय में समेकन सहित शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालय और अंचल के अग्रिमों का पूर्ण सांविधिक लेखा परीक्षण संबंधित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों, एक्सेल वर्कशीट और अन्य दस्तावेजों साथ ही साथ हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप हमें प्रदान किए गए अतिरिक्त दस्तावेजों सहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिपोर्ट और दस्तावेजों के रूप में आंकड़ों के आधार पर किया गया है.

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our audit
The net advances of the Bank constitutes of 59.60% of the total assets of the Holding Bank, which is the significant part of the financial statements. Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non – performing assets. Due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, management judgments for impairing advances, computation of diminution value for restructured advances and recognition of interest income including in non – performing advances; we have considered this to be a key audit matter.	built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non – performing assets, provisioning and had accordingly planned our audit procedures. We have audited top 20 domestic branches and have relied on the work done by the branch auditor for other domestic and foreign branches selected by the Bank. The lockdown announced due to Covid 19 pandemic by the Central Government and the State Government the Disaster Management (DM) Act, 2005, restricted the physical visit to be Branch. Thus we have relied on alternative audit procedures as per the Standards on Auditing prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Auditing and Assurance Standards Board of ICAI and RBI Directives on the matter. Based on the advisory the bank has provided documents/ information required by us through electronic medium. As a result of the above, the entire statutory audit of the advances of the branches, regional office, zonal office and zones including the consolidation at head office has been carried out based on data in the form of reports and documents in an electronic form including scanned copies of the documents and excel worksheet and other documents as furnished by the respective units as well as additional documents provided to us in response

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे (धारक बैंक)	हमारी लेखा परीक्षा कार्य में मुद्दों का किस तरह से निपटान किया गया
	प्रबंधन द्वारा यह प्रतिवेदन किया गया है कि हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से रिपोर्ट, रिकॉर्ड आदि के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किए गए आंकड़े और जानकारी सही, पूर्ण, विश्वसनीय है और यह बिना किसी मैनुअल संशोधन के सीधे बैंक के लेखांकन सिस्टम से जनरेट किए गए हैं, उधारकर्ता की फाइलों से निकाले गए हैं ताकि इसकी वास्तविकता, प्रामाणिकता, पठनीयता और पूर्णता को बनाए रखा जा सके. इसके अलावा, लेखा परीक्षा के तहत वर्ष हेतु विभिन्न आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट/निरीक्षण रिपोर्ट/समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर की गई हमारी समीक्षा में हमने ऐसा कुछ नहीं पाया है जिससे हमें ऐसा लगे कि ऐसी वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है. शीर्ष 20 घरेलू शाखाओं के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं उपरोक्त उल्लिखित प्रक्रिया पर आधारित थी जो निम्नलिखित पर केंद्रित हैं: • ऋण कार्यनिष्पादन निगरानी की प्रक्रिया के पास प्रमुख नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावकारिता की समीक्षा जिसमें आहरण शक्ति और प्रतिभूति मूल्यांकन के आकलन का आधार शामिल है. • नमूना आधार पर अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने संपार्श्विक एवं नकदी प्रवाह के मूल्यांकन सहित वित्तीय विवरणों, प्रतिभूति की मौजूदगी का निरीक्षण करने और लेखा बहियों में निर्धारित प्रावधानों की पर्याप्तता का आकलन करने हेतु ऋण फाइल की समीक्षा की है.

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our audit
	to our requirements. It has been represented by the Management that the data and information provided electronically through reports, records etc. for the purpose of our audit are correct, complete, reliable and are directly generated from the accounting system of the Bank, extracted from the borrower files, without any further manual modifications so as to maintain its integrity, authenticity, readability and completeness. In addition, based on our review of the various internal audit reports / inspection reports / reports issued by the concurrent audit for the year under audit nothing has come to our knowledge that make us believe that such alternate audit procedure would not be adequate. Our audit procedures with respect to our audit of top 20 domestic branches based on the process described above, focused on – • Review of design and operating effectiveness of key controls around the process of loan performance monitoring which includes basis of assessing drawing power and security valuations. • For non-performing advances on sample basis, we have performed loan file reviews to inspect financial particulars, existence of security and assessed the adequacy of the provisions recognized in the books of accounts including valuation of collateral and the cash flows.

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे (धारक बैंक)	हमारी लेखा परीक्षा कार्य में मुद्दों का किस तरह से निपटान किया गया
	• मूलधन, संविदागत ब्याज, मुद्राओं और परिपक्वता की तारीखों जैसे इनपुट डेटा के साथ मासिक आधार पर ब्याज आधारित आय का सत्यापन सारभूत परीक्षण एवं स्त्रोत दस्तावेजों की ट्रेसिंग के माध्यम से किया गया था. • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर चर्चा, ई-मेल और समान संप्रेषण माध्यमों द्वारा जांच की गई. उपरोक्त के अलावा, हमने समवर्ती लेखापरीक्षक की रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा करवाई गई अन्य लेखापरीक्षाओं की रिपोर्टों को भी ध्यान में रखा है. हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के अतिरिक्त, हमने अग्रिमों के वर्गीकरण, आय निर्धारण और अनर्जक अग्रिमों से संबंधित प्रावधान हेतु उपयोग किए गए आईटी सिस्टम के नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है.
निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और उनके लिए प्रावधान निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं. निवेश नियंत्रक बैंक की कुल संपत्ति का 23.71% है. ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं. आरबीआई के इन निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, आय की	**हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण** आरबीआई के परिपत्रों / निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है. जैसा कि पिछले केएएम में कहा गया है, हमने आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं पर भरोसा किया है. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, ट्रेजरी शाखा की पूरी सांविधिक लेखा परीक्षा इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध रिपोर्ट

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our audit
	• Verification of interest income credited on a monthly basis with the input data, such as principal amounts, contractual interest rates, currencies and maturity dates were tested through substantive testing and tracing to source documents. • Made enquiries through video conferencing, discussions over phone, emails and similar communication channels. Besides above, we have also referred to the reports of the concurrent auditor and other audits conducted by the Bank. In addition to the branches audited by us, we have carried out the Assessment of design, implementation and operating effectiveness of controls of IT System used with respect to the classification of advances, recognition of income and provisioning pertaining to non – performing advances.
Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. Investments constitute 23.71% of the Holding Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions	**Our Audit Approach** Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/ directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non performing investments (NPIs), provisioning/ depreciation related to Investments. As stated in the earlier KAM, we have relied on alternative audit procedures as per the Standards on Auditing

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे (धारक बैंक)	हमारी लेखा परीक्षा कार्य में मुद्दों का किस तरह से निपटान किया गया
तदनुरूपी अमान्यता और इसके प्रति प्रावधान शामिल हैं. गैर-उद्धृत निवेश और कमजोर कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन बाजार में उतार-चढ़ाव, बेहतर कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है. तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित रही. उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है. मूल्यांकन, लेनदेनों की मात्रा, धारित निवेश और विनियामक केन्द्रित डिग्री में शामिल निर्णय सीमा और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दे के रूप में निर्धारित किया गया है.	और दस्तावेजों के डेटा के आधार पर की गई है जिसमें दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां और एक्सेल वर्कशीट तथा शाखा द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेज भी शामिल हैं. शाखा के प्रबंधक/ मुख्य प्रबंधक द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से रिपोर्ट, रिकॉर्ड आदि के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किए गए डेटा और जानकारी सही, पूर्ण, विश्वसनीय हैं और सीधे बैंक की लेखा प्रणाली से जनरेट किए गए हैं. ट्रेजरी की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी ऑडिट प्रक्रिया निम्नलिखित पर केंद्रित है – • हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है ; • धारित निवेश के चयनित नमूने के लिए हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्मूल्यांकन संबंधी दिशा-निर्देश के साथ इनकी सटीकता और अनुपालन की जांच की है. नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) नमूनों में शामिल हैं; • आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our audit
of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter.	prescribed by the ICAI. As a result of the above, the entire statutory audit of the Treasury branch has been carried out based on data in the form of reports and documents in an electronic form including scanned copies of the documents and excel worksheet and other documents as furnished by the branch. It has been represented by the manager/ Chief manager of the Branch that the data and information provided electronically through reports, records etc. for the purpose of our audit are correct, complete, reliable and are directly generated from the accounting system of the Bank. Our audit procedures with respect to our audit of Treasury, focused on - • We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/ depreciation related to investments; • For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे (धारक बैंक)	हमारी लेखा परीक्षा कार्य में मुद्दों का किस तरह से निपटान किया गया
	पर गैर-उद्धत निवेशों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन परीक्षण किया गया है. • हमने एनपीआई की पहचान और आय एवं प्रावधानों का रिवर्सल प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है; • हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यहास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाओं को अपनाया है. तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई संबंधित परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों को आरबीआई के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधानों की पुन: गणना की है; समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि उपरोक्त निर्धारित अन्य जानकारी जब उपलब्ध हो जाए तो उसका अध्ययन करना और ऐसा करते समय यह विचार करना कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी वस्तुत: असंगत है या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के समय या अन्यथा प्राप्त समझ वस्तुतः गलत प्रतीत होती है.

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से इतर अन्य जानकारी

6. बैंक का निदेशक मण्डल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी का समावेश है परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का समावेश नहीं है. लेखा परीक्षकों की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है.

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our audit
	the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample; • Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the financial statements for the year ended March 31, 2019 in terms of the RBI guidelines. • We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision; • We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs;

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual report, but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी तथा बेसल III प्रकटीकरणों के तहत पिलर III प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देंगे.

समेकित वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व उक्त निर्धारित सूचनाओं को हमें उपलब्ध होने पर पढ़ना तथा इस पर विचार करना कि अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणी अथवा लेखापरीक्षा में हमारी जानकारी से अत्यधिक असंगत नहीं है या अन्यथा अत्यधिक गलत बयानी नहीं लग रहा हैं.

जब हमने अन्य जानकारी को पढ़ा तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां हैं, हमें इस मामले को उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता है जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है और लागू कानूनों और विनियम तथा परिस्थितियों के परिणामस्वरूप अनिवार्य उपयुक्त कार्रवाई करने की जरूरत है.

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस के प्रभारी व्यक्तियों की जवाबदेही

7. बैंक का प्रबंधन और निदेशक मण्डल, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों सहित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों जैसा कि बैंकों के लिए लागू होता है, के अनुरूप तैयार किए गए इन समेकित वित्तीय विवरणों, कार्यकलापों तथा लाभ एवं नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, इनके लिए जवाबदेह हैं. इस जवाबदेही में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य विसंगतियों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डो के साथ-साथ उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग, निर्णय लेने और यह अनुमान लगाने कि ये व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हों तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की त्रुटिहीनता और पूर्णता के लिए प्रभावी रूप से परिचालित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी समाहित है जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक का प्रबंधन और निदेशक मण्डल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जबतक कि प्रबंधन का इरादा बैंक को लिक्विडेट करने या परिचालन समाप्त करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under Basel III disclosures and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Other Information if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions necessitated by the circumstances and the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged With Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Bank's management, Board of Directors are responsible for the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flow of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) as applicable to banks, provision of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective management and Board of Directors of the entities included in the Group are responsible for assessing the respective Group Entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Group Entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those Board of Directors' of the Group Entities are also responsible for overseeing the respective Group Entity's financial reporting process.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

8. हमारा उद्देश्य यह भरोसा दिलाना है कि समग्र समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण कोई मिथ्याकथन न हो और ऐसी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित भरोसा एक उच्च स्तर का भरोसा होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे भौतिक तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

9. लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद को बनाए रखते हैं. हम यह भी कहते हैं कि :

   ए. समेकित वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए भौतिक मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यनिष्पादन तथा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए भौतिक मिथ्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जालसाजी, जानबुझकर छोड़ी गयी त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.

   बी. परिस्थितियों के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करना, न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से,

   सी. प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटिकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना.

   डी. प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियाँ बनी है जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम निष्कर्ष निकालें कि भौतिक अनिश्चितता की संभावना है तो हमें हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणियों से संबंधित इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित कराने की अवश्यकता है या इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है. हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित है. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

9. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

   a. Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

   b. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.

   c. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

   d. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group Entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group Entity's to cease to continue as a going concern.

ई. समेकित वित्तीय विवरणों का समग्र रूप से प्रस्तुतिकरण, संरचना व प्रकटीकरण सहित विषयवस्तु का मूल्यांकन करना और यह देखना कि समेकित वित्तीय विवरण निष्पक्ष रूप से अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को उजागर करते हैं या नहीं.

एफ. विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं के भीतर ऐसी संस्थाओं के वित्तीय परिणाम/सूचना पर पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. हम ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के लेखापरीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं. विवरणों में शामिल अन्य इकाई के लिए, जिन्हें अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा जांचा गया है, उनकी दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए वे ही उत्तरदायी होंगे. हम केवल अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए ही उत्तरदायी हैं.

वस्तुनिष्ठता विवरण में त्रुटियों का एक परिमाण है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि इससे विवरण के एक उपयुक्त जानकार यूजर के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) समेकित वित्तीय विवरण में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण (त्रुटियों) के प्रभावों का मूल्यांकन करने में इन मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं.

हम अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध विस्तार एवं उसके समय का निर्धारण जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कोई कमियां सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिसकी लेखापरीक्षा के दौरान हमने पहचान की है, के संबंध में गवर्नेंस के लिए प्रभारित व्यक्तियों के बारे में सूचित करते हैं.

हम गवर्नेंस के प्रभारी व्यक्तियों को यह बताते हैं कि हमने स्वतंत्रा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं और इनके साथ हमारी स्वतंत्रा, और जहां भी लागू हो, सावधानियों से संबंधित विषयों और अन्य मामलों जो तार्किक रूप से विचार में लाये जा सकते हैं का अनुपालन किया है.

गवर्नेंस के प्रभारी व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं. हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या एक दम विपरीत परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है.

e. Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

f. Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial results/financial information of the entities within the Group and its associates to express an opinion on the Statement. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial information of such entities included in the Statement of which we are the independent auditors. For the other entities included in the Statement, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion

Materiality is the magnitude of the misstatement in the statement that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in; (i) planning the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effects of any identified misstatements in the Consolidated Financial Statement.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

अन्य मामले

10. समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल हैं:

- 7 घरेलू अनुषंगियों, जिनके वित्तीय परिणामों/ विवरणों में 31 मार्च, 2020 की रू. 9,275.65 करोड़ की कुल आस्तियां, रू. 1,171.13 करोड़ का कुल राजस्व और क्रमशः उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रू. (95.75) करोड़ की कर पश्चात कुल शुद्ध हानि तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रू. 223.27 करोड़ का शुद्ध नकदी आउटफ्लो शामिल है, जिसे इन विवरणियों में शामिल किया गया है जिनकी उनके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है.
- 2 घरेलू संयुक्त उद्यम, जिनके वित्तीय परिणामों/ विवरणों में 31 मार्च, 2020 की रू. 116.44 करोड़ की कुल आस्ति, रू. 1,971.41 करोड़ का कुल राजस्व, क्रमशः उस तारीख को समाप्त वर्ष का रू. 60.59 करोड़ का कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रू. 23.31 करोड़ का शुद्ध नकदी इनफ्लो शामिल है, जिसे इन विवरणियों में शामिल किया गया है जिनकी उनके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है.
- 2 घरेलू सहयोगी, जिनके वित्तीय परिणाम/विवरणी में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु क्रमशः रू.48.63 करोड़ के निवल लाभ का समूह शेयर शामिल है, जिनके वित्तीय परिणाम / विवरण पत्र, अन्य वित्तीय सूचनाओं की उनके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, को विवरण पत्र में शामिल किया गया है.
- 7 विदेशी अनुषंगियां जिनके वित्तीय परिणाम/विवरणी में 31 मार्च, 2020 तक कुल आस्तियां रू. 17,417.39 करोड़, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः रू.1,577.32 करोड़ के कुल राजस्व, कर पश्चात कुल निवल लाभ रू. 414.50 करोड़ और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध नकद अंतरप्रवाह रू. 1,241.06 करोड़ शामिल है, जिसकी उनके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा/समीक्षा की गई है, को विवरणी में शामिल किया गया है.
- 1 विदेशी सहयोगी जिसके वित्तीय परिणाम/विवरणी में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु क्रमशः रू.(22.24) करोड़ का निवल (हानि) के रूप में समूह शेयर शामिल है, जिनके वित्तीय परिणाम / वित्तीय विवरणी, अन्य वित्तीय सूचनाओं को उनके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, को विवरण पत्र में शामिल किया गया है.

इन इकाइयों के वित्तीय विवरणी/वित्तीय परिणाम/वित्तीय सूचना पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के संबंध में विवरणी में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण पर हमारी राय पूर्णतया उनके लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उपर्युक्त पैराग्राफ में हमारे द्वारा दर्शाई गई प्रक्रियाओं के आधार पर है.

Other Matters

10. The accompanying Consolidated Financial Statements includes the audited financial statements and other financial information, in respect of:

- 7 domestic subsidiaries, whose financial results/ statements include total assets of Rs. 9,275.65 crore as at March 31, 2020, total revenues of Rs 1,171.13 crore, total net loss after tax of Rs. (95.75) crore for the year ended on that date respectively, and net cash outflows of Rs. 223.27 crore for the year ended March 31, 2020, as considered in the Statement which have been audited by their respective independent auditors
- 2 domestic joint ventures, whose financial results/statements include total assets of Rs. 116.44 crore as at March 31, 2020, total revenues of Rs. 1,971.41 crore, total net profit after tax of Rs. 60.59 crore for the year ended on that date respectively, and net cash inflows of Rs. 23.31 crore for the year ended March 31, 2020, as considered in the Statement which have been audited by their respective independent auditors.
- 2 domestic associates, whose financial results/ statements include Group's share of net profit of Rs. 48.63 crore for the year ended March 31, 2020 respectively, as considered in the Statement whose financial results/financial statements, other financial information have been audited by their respective independent auditors.
- 7 foreign subsidiaries, whose financial results/ statements include total assets of Rs 17,417.39 crore as at March 31, 2020, total revenues of Rs 1,577.32 crore, total net profit after tax of Rs. 414.50 crore for the year ended on that date respectively, and net cash inflows of Rs. 1,241.60 crore for the year ended March 31, 2020, as considered in the Statement which have been audited / reviewed by their respective independent auditors.
- 1 foreign associates, whose financial results/ statements include Group's share of net (loss) of Rs. (22.24) crore for the year ended March 31, 2020 respectively, as considered in the Statement whose financial results/financial statements, other financial information have been audited by their respective independent auditors.

The independent auditor's report on the financial statements/financial results/financial information of these entities have been furnished to us by the Management and our opinion on the Statement in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, joint ventures and associates is based solely on the reports of such auditors and the procedures performed by us as stated in paragraph above.

11. संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पत्र में निम्नलिखित के संबंध में अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम / विवरण पत्र तथा अन्य अलेखापरीक्षित वित्तीय सूचनाएं शामिल हैं:

- 1 सहयोगी जिसके वित्तीय परिणाम / विवरण पत्र में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु क्रमशः रु 12.14 करोड़ का निवल लाभ का समूह शेयर शामिल है, जिनकी वित्तीय परिणाम / विवरण पत्र तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं की किसी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है, को विवरण पत्र में शामिल किया गया है.
- 3 विदेशी अनुषंगियां, जिसके 31 मार्च, 2020 तक के वित्तीय परिणाम / विवरण पत्र तथा अन्य वित्तीय सूचनाएं कुल रु 12,459.76 करोड़ की आस्तियों तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु क्रमशः रु 278.50 करोड़ का कुल राजस्व एवं इस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु रु 19.77 करोड़ के कर के पश्चात का कुल निवल लाभ तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु रु 1258.18 करोड़ का निवल नकदी बाह्यप्रवाह को दर्शाते हैं.
- 1 विदेशी संयुक्त उद्यम, जिसके 31 मार्च, 2020 तक के वित्तीय परिणाम / विवरण पत्र तथा अन्य वित्तीय सूचनाएं कुल रु 404.27 करोड़ की आस्तियों तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु क्रमशः रु 15.48 करोड़ का कुल राजस्व एवं इस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु रु 2.28 करोड़ के कर के पश्चात का कुल निवल लाभ तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु रु 80.32 करोड़ का निवल नकदी अंतर्प्रवाह को दर्शाते हैं.

ये अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण-पत्र/वित्तीय सूचना/वित्तीय परिणाम प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एवं हमें प्रदान किए गए हैं और विवरण पत्रों पर हमारी राय, जहां तक इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण-पत्र/वित्तीय सूचना/वित्तीय परिणामों पर आधारित है. हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण-पत्र/वित्तीय सूचना/वित्तीय परिणाम समूह के लिए प्रासंगिक नहीं है.

12. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण पत्रों की अनुसूची 19 की नोट संख्या 14.3 में उल्लेख किया गया है, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पत्रों में पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक के परिचालन शामिल हैं जोकि 01 अप्रैल, 2019 से बैंक में समामेलित हुए हैं और इसलिए 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े 31 मार्च, 2019 को समाप्त सम्बद्ध वर्ष के साथ तुलनीय नहीं हैं.

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है.

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

13. बैंक के समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार दर्शाएँ गए हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुसार असंगत नहीं हैं:

11. The accompanying Consolidated Financial Statements includes unaudited financial results /statements and other unaudited financial information in respect of:

- 1 associates whose financial results/statements includes the Group's share of net profit Rs 12.14 crore for the year ended March 31, 2020 respectively, as considered in the Statement whose financial results /statements and other financial information have not been audited by any auditor.
- 3 foreign subsidiaries, whose financial results/ statements and other financial information reflect total assets of Rs 12,459.76 crore as at March 31, 2020, and total revenues of Rs 278.50 crore, total net profit after tax of Rs. 19.77 crore for the year ended on that date respectively and net cash outflows of Rs. 1,258.18 crore for the year ended March 31, 2020.
- 1 foreign joint venture, whose financial results/ statements and other financial information reflect total assets of Rs 404.27 crore as at March 31, 2020, and total revenues of Rs 15.48 crore, total net profit after tax of Rs. 2.28 crore for the year ended on that date respectively and net cash inflows of Rs. 80.32 crore for the year ended March 31, 2020.

These unaudited financial statements/ financial information/ financial results have been approved and furnished to us by the Management and our opinion on the Statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, joint ventures and associates, is based solely on such unaudited financial statements/ financial information/ financial results. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements/ financial information/financial results are not material to the Group.

12. As stated in Note no. 14.3 of Schedule 19 of the Consolidated Financial Statements, the Financial Statements for the year ended March 31, 2020 includes operations of erstwhile Vijaya Bank and erstwhile Dena Bank which are amalgamated with the Bank w.e.f. April 1, 2019 and hence the figures for the year ended March 31, 2020 are not comparable with corresponding year ended March 31, 2019.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Report on other legal and regulatory requirements

13. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account of the Bank have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and as per the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI:

14. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा अपेक्षित अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि;

ए. हमने सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं को अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया है जो कि हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी. धारक बैंक के संव्यवहार, जो हमारी जानकारी में आए हैं धारक बैंक की शक्तियों के तहत हैं; और

सी. धारक बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाई गई हैं.

15. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. हमारी राय में धारक बैंक के पास कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखाबहियां हैं और उन बहियों की हमारी जांच से यह पता चलता है कि उन शाखाओं, जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त हैं;

बी. इस रिपोर्ट में उल्लिखित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन एवं रिटर्न बहियों के अनुसार हैं;

सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत धारक बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा हमें लेखापरीक्षित शाखा कार्यालय के लेखांकन पर रिपोर्ट भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उसका उचित अध्ययन किया है; और

डी. बैंक द्वारा 10 जून, 2020 को जारी अनुवर्ती संप्रेषण के साथ पठित "वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-2020 से एससीए के दायित्व की रिपोर्टिंग" संबंधी पत्र संख्या बीसीसी:सीएएंडटी:एससीके/ 112/ 128 दिनांक 18 मार्च, 2020 की अपेक्षा अनुसार, हम उपर्युक्त पत्र में विनिर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार आगे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:

- हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह के विवरणों का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुसार अनियमित नहीं है;
- धारक बैंक के संव्यवहार, जो हमारी जानकारी में आए हैं धारक बैंक के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं.
- 31 मार्च, 2020 तक धारक बैंक के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर धारक बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए अनुसार कोई

14. As required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, we report that;

a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b. The transactions of the Holding Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Holding Bank; and

c. The returns received from the offices and branches of the Holding Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

15. We further report that:

a. in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Holding Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b. The Consolidated Balance Sheet and Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statements dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

c. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Holding Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. As required by the letter No. BCC:CA&T:SCK/112/128 dated March 18, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) for Financial Year 2019-20 – Reporting Obligation of SCAs from Financial Year 2019-2020" to be read with subsequent communication dated June 10, 2020 issued by the Bank, we further report on the matters specified in the aforesaid letter as under:

- In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;
- The financial transactions of the Holding Bank, which have come to our notice, do not have any adverse effect on the functioning of the Holding Bank.
- On the basis of the written representations received from the directors of the Holding Bank as on March 31, 2020 taken on record by the Board of Directors of the

भी निदेशक 31 मार्च, 2020 तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र नहीं है.

- हमारी राय में धारक बैंक के पास कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखाबहियां हैं और उन बहियों की हमारी जांच से यह पता चलता है कि उन शाखाओं, जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त हैं;

- चूंकि धारक बैंक ने अपने पत्र क्र. 10 जून, 2020 के माध्यम से सूचित किया है कि बैंक ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के कार्यान्वयन के स्थगन का विकल्प चुना है. तदनुसार, हमें 31 मार्च, 2020 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रण के परिचालनगत प्रभाव को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है.

Holding Bank, none of their directors is disqualified as on March 31, 2020 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act 2013.

- in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Holding Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

- Since the Holding Bank has informed us vide their letter dated June 10, 2020 that the Bank has opted for the deferment of implementation of Internal Controls over Financial Reporting Accordingly, we are not required to report on the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and operating effectiveness of such controls as at March 31, 2020.

कृते **सिंघी एवं कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 302049ई
For **Singhi & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 302049E
(सीए श्वेता सिंघल)
साझेदार
एम नं. 414420
युडीआयएन: 20414420AAAABM6765
(CA Shweta Singhal)
Partner
M No. 414420
UDIN: 20414420AAAABM6765
स्थान: मुंबई Place : Mumbai

कृते **एस आर डिनोडिया एवं कंपनी** एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001478एन / एन500005
For **S R Dinodia & Co. LLP.**
Chartered Accountants
FRN : 001478N / N500005
(सीए संदीप डिनोडिया)
साझेदार
एम नं. 083689
युडीआयएन: 20083689AAAACD6810
(CA Sandeep Dinodia)
Partner
M No. 083689
UDIN: 20083689AAAACD6810
स्थान: नई दिल्ली Place : New Delhi

कृते **जी एम कपाडिया एवं कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104767डब्लु
For **G M Kapadia & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 104767W
(सीए राजेन अशर)
साझेदार
एम नं. 048243
युडीआयएन:20048243AAAAEY4252
(CA Rajen Ashar)
Partner
M No. 048243
UDIN: 20048243AAAAEY4252
स्थान: मुंबई Place : Mumbai

कृते **दास गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000112N
For **Dass Gupta & Associates**
Chartered Accountants
FRN : 000112N
(सीए पंकज मंगल)
साझेदार
एम नं. 097890
युडीआयएन: 20097890AAAAAX8044
(CA Pankaj Mangal)
Partner
M No. 097890
UDIN: 20097890AAAAAX8044
स्थान: नई दिल्ली Place : New Delhi

कृते **जे काला एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 118769W
For **J Kala & Associates**
Chartered Accountants
FRN : 118769W
(सीए जयेश काला)
साझेदार
एम नं. 101686
युडीआयएन: 20101686AAAAAO4661
(CA Jayesh Kala)
Partner
M No. 101686
UDIN: 20101686AAAAAO4661
स्थान: मुंबई Place : Mumbai

Date: June 23, 2020

अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा
Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक लेखों पर परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल हैं.

We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Accounts of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2020 contain unmodified opinion.

जी रमेश

जी रमेश
प्रमुख
(कॉर्पोरेट लेखा और कराधान) एवं सीएफओ

श्री संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

G Ramesh
Head
(Corp. A/cs & Taxation) and CFO

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

दिनांक : 23 जून 2020
Date : 23rd June 2020

सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ बड़ौदा
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : वर्ष 2019-20 हेतु सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण - समेकित

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण), विनियम, 2015 की धारा 17(8) के साथ पठित धारा 33 की अनुपालन स्वरूप हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं किः

ए. हमने वर्ष 2019-20 (समेकित) हेतु वित्तीय विवरणी और नकद-प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणियों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है.

ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.

बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किये गये जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध किमयों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के लिये जो उपाय किये हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

i. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन.

ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आये धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता,जिसकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग में अहम भूमिका हो.

जी रमेश

जी रमेश
प्रमुख (कॉर्पोरेट लेखा और कराधान) एवं सीएफओ

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक : 23.06.2020
स्थान : मुंबई

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the year 2019-20 - Consolidated

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2019-20 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting

G Ramesh
Head (Corporate Accounts & Taxation) and CFO

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Date : 23.06.2020
Place : Mumbai

लाभांश संवितरण नीति

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारक बैंक में शेयर-पूंजी में उनके निवेश पर दो तरीकों से प्रतिफल अर्जित करते हैं:

1. शेयर की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरुप पूंजीगत मूल्यवृद्धि, एवं
2. आवधिक लाभांश के रुप में नकद प्रतिफल.

बैंक मानता है कि शेयरधारकों को अपनी चलनिधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवधिक लाभांश की आवश्यकता होती है. साथ ही, लाभांश का भुगतान बैंक की भावी संभावनाओं के संकेत के रुप में देखा जाता है. बैंक के ये प्रयास रहते हैं कि अतिरिक्त नकद राशि को अपने शेयरधारकों में संवितरित की जाए.

सामान्यतया, बैंक लाभकर्ता वर्षों में लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा करते हैं. कितनी राशि लाभांश के रुप में संवितरित की जाए, इसका निर्णय निम्नलिखित सहित कई तथ्यों को ध्यान में लेते हुए किया जाता है:

ए) बैंक का वर्तमान एवं भविष्य का कार्यनिष्पादन.

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट पूंजी-पर्याप्तता संबंधी आवश्यकता

सी) बैंक की निवेश एवं विस्तार की योजना, और

डी) उसके प्रमुख शेयरधारक-भारत सरकार-एवं संस्थागत तथा खुदरा शेयरधारकों की अपेक्षाएं.

चूंकि बैंक वैश्विक आधार पर परिचालन कर रहा है, उसके लाभांश संबंधी निर्णय घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों और नियामक-आवश्यकताओं पर आधारित होता है.

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं तथा उसके निवेश के वित्तपोषण की आवश्यकताओं एवं विस्तार संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है. प्रतिधारित अर्जन अनपेक्षित घटनाओं के संबंध में कुशन उपलब्ध कराता है. बैंक निवेश की मांग के साथ उचित नकद प्रतिफल हेतु शेयरधारकों की आवश्यकता के संतुलन का प्रयास करता है.

आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए लाभांश के भुगतान के संबंध में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं:

- बैंक के पास निम्नलिखित होने चाहिए :
  - ए) पूरे किए गए दो वर्षों के लिए तथा जिस वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है उस वर्ष के लिए कम से कम 9% का पूंजी से जोखिम वेटेड आस्ति अनुपात (सीआरएआर) तथा
  - बी) शुद्ध एनपीए (गैर-निष्पादक आस्तियों) 7% से कम.
  - सी) यदि बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानदंड की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, परंतु जिस वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है उस वर्ष के लिए उसका सीआरएआर कम से कम 9% स्तर पर है, तो उसके शुद्ध एनपीए 5% से कम होने चाहिए.
- लाभांश केवल चालू वर्ष के लाभ से ही भुगतान किया जा सकता है.
- लाभांश पे-आऊट अनुपात (अर्थात् कर के बाद लाभ से लाभांश का अनुपात) 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लाभांश भुगतान अनुपात की अधिकतम अनुमत सीमा हेतु मापदंड का मैट्रिक्स अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है.

भारत सरकार ने निर्धारित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) 20% की प्रदत्त पूंजी या 20% कर-पश्चात का लाभ-इनमें से जो भी अधिक हो, कम से कम उतना भुगतान करेंगे. यदि कोई बैंक न्यूनतम लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है तो उसे भारत सरकार से विशिष्ट अनुमति मांगनी चाहिए.

Dividend Distribution Policy

Bank of Baroda's shareholders earn a return on their investment in the Bank's share capital in two ways:

(1) Capital appreciation resulting from increase in the share price, and

(2) Cash return in the form of a periodic dividend.

The Bank recognizes that its shareholders need periodic dividend to meet their liquidity needs. Also, payment of dividend is seen as a signal of the Bank's future prospects. The Bank endeavors to distribute surplus cash to its shareholders.

Normally, the Bank expects to pay dividend in profitable years. The decision on how much to distribute as dividend takes into consideration a number of factors including:

(a) The Bank's current and prospective financial performance,

(b) Capital adequacy requirements specified by Reserve Bank of India (RBI)

(c) The Bank's investment and expansion plans, and

(d) The expectations of its principal shareholder – the Government of India – and the institutional and retail investors.

Since the Bank has operations worldwide, its dividend decision is based on an assessment of domestic and international economic and financial conditions and regulatory requirements.

Retained earnings are utilized to meet the Bank's capital requirements and finance its investment and expansion activities. Retained earnings also provide a cushion to tide over unexpected events. The Bank strives to balance the demands for investment with the shareholders' need for a fair cash return.

The RBI has laid down the following eligibility conditions, among others, for payment of dividend by all banks:

- A bank should have:
  - (a) capital-to-risk weighted assets ratio (CRAR) of at least 9% for two completed years and the year for which it proposes to declare dividend and
  - (b) Net NPA (non-performing assets) of less than 7%.
  - (c) In case a bank does not meet the above CRAR norm but has CRAR of at least 9% for the year for which it proposes to declare dividend, its Net NPA should be less than 5%.
- Dividend can be paid only out of current year's profits.
- The dividend payout ratio (i.e. the ratio of dividend to profit after tax) cannot exceed 40 per cent. The Matrix of criteria for maximum permissible range of Dividend Payout Ratio as per RBI guidelines is enclosed in Annexure - A

The Government of India has stipulated that Public Sector Banks (PSBs) shall pay a minimum of 20% of paid-up capital or 20% of post-tax profits, whichever is higher. In case a bank is unable to pay the minimum dividend, it should seek specific permission of the Government of India.

अनुलग्नक - ए

Annexure – A

लाभांश भुगतान अनुपात की अधिकतम अनुपात सीमा हेतु मापदंड का मैट्रिक्स
(भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/2004-05/451; डीबीओडी. एनओ.बीपी.बीसी. 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04 मई, 2005 के अनुसार)

Matrix of Criteria for maximum permissible range of Dividend Payout Ratio
(As per RBI Circular No. RBI/2004-05/451; DBOD.NO.BP.BC. 88 / 21.02.067 / 2004- 05 dated May 04, 2005)

श्रेणी / Category	सीआरएआर / CRAR	निवल एनपीए अनुपात / Net NPA Ratio			
		शून्य / Zero	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम / More than zero but less than 3%	3% से लेकर 5% से कम तक / From 3% to less than 5%	5% से लेकर 7% से कम तक / From 5% to less than 7 %
		लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा / Range of Dividend Payout Ratio			
ए A	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 11% या अधिक 11% or more for each of the last 3 years	40 तक Up to 40	35 तक Up to 35	25 तक Up to 25	15 तक Up to 15
बी B	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 10% या अधिक 10% or more for each of the last 3 years	35 तक Up to 35	30 तक Up to 30	20 तक Up to 20	10 तक Up to 10
सी C	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 9% या अधिक 9% or more for each of the last 3 years	30 तक Up to 30	25 तक Up to 25	15 तक Up to 15	5 तक Up to 5
डी D	वर्तमान वर्ष में 9% या अधिक 9% or more in the Current year	10 तक Up to 10		5 तक Up to 5	शून्य Nil

बासेल III पिलर III प्रकटीकरण
Basel III Pillar III Disclosures

भारतीय रिज़र्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को पिलर III प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट के होम पेज पर बासेल III के तहत प्रकटीकरण के अंतर्गत अलग से प्रकट किए गए हैं. इस खंड का लिंक है https://www.bankofbaroda.in/disclosures-under-basel-III.htm.

इस खंड में निम्नलिखित प्रकटीकरण दिए गए हैं:

1. 31मार्च, 2020 को गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रकटीकरण
   - एप्लीकेशन का स्कोप
   - पूंजी पर्याप्तता
   - ऋण जोखिम पर सामान्य प्रकटीकरण
   - ऋण जोखिम - पोर्टफोलियो मानकीकृत पद्धतिके अधीन
   - न्यून ऋण जोखिम
   - प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर
   - बाजार जोखिम
   - परिचालनगत जोखिम
   - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
   - काउंटरपार्टी ऋण जोखिम
2. पूंजी के संघटक
3. पूंजी के संघटक - समाधान आवश्यकताएं
4. विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं
5. विनियामक पूंजी लिखतों की संपूर्ण नियम एवं शर्तें
6. बैंकिंग बही स्थितियों के लिए इक्विटी प्रकटीकरण
7. लीवरेज अनुपात

Pillar III disclosures at March 31, 2020 as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on Bank's website under "Disclosure under Basel III" on the home page. The link to this section is https://www.bankofbaroda.in/disclosures-under-basel-III.htm

The section contains the following disclosures :

1. Qualitative and quantitative disclosures at march 31, 2020
   - Scope of Applications
   - Capital Adequacy
   - General disclosures on Credit Risk
   - Credit risk - Portfolio subject to standardised approach
   - Credit risk Mitigation
   - Securitisation exposures
   - Market risk
   - Operational Risk
   - Interest rate risk in the banking book (IRRBB)
   - Counterparty credit risk
2. Composition of capital
3. Composition of capital – reconciliation requirements
4. Main features of regulatory capital instruments
5. Full terms and conditions of regulatory capital instruments
6. Equities disclosures for banking book positions
7. Leverage ratio

नोटिस 2019-20 / Notice 2019-20

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय: अलकापुरी, बड़ौदा - 390 007
कॉर्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
(**वेबसाइट:** www.bankofbaroda.co.in)

Bank of Baroda

Head Office: Alkapuri, Baroda – 390 007
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051
(**Website:** www.bankofbaroda.co.in)

नोटिस

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो वीजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2020 को प्रातः 10.00 बजे किया जाएगा:

सामान्य कार्यवाही:

मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2020 के तुलनपत्र, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना.

विशेष कार्यवाही:

मद संख्या 2: पूंजी-अर्जन योजना 2020-21

निम्नलिखित संकल्प पर एक **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करना एवं उचित पाए जाने पर उसे पारित करना.

"संकल्प पारित किया जाता है कि जहां भी आवश्यक हो, शेयरधारकों के अनुमोदन सहित सांविधिक/विनियामक अनुमोदन के अध्यधीन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम),राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (**"आरबीआई"**), भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (**"सेबी"**) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन 2018 (आईसीडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियनम 2015 यथा संशोधित, विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण) विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकारियों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Friday, 31st July, 2020 at 10.00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2020, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS:

Item Number 2: Capital Raising Plan 2020-21

To consider and if thought fit to pass the following resolution as a **Special Resolution.**

"RESOLVED THAT subject to Statutory/Regulatory approvals including Shareholders' approval wherever required as per applicable laws/regulations, authority be and is hereby given pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), the Government of India (**"GOI"**), the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India), Regulation, 2017 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities

बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, **बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक मंडल** (इसके पश्चात इसे **"बोर्ड"** कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को भारत में या भारत के बाहर दस्तावेज द्वारा या प्रोस्पेक्टस द्वारा या ऐसे किसी दस्तावेज द्वारा रु. 9,000/- करोड़ (रु. नौ हजार करोड़) की अतिरिक्त पूंजी को ऐसी संख्या में, रू. 2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर के एक अथवा अधिक बार में सृजन, ऑफ़र, जारी और आबंटित कर (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमति प्राप्त वैसे श्रेणी के व्यक्तियों और इश्यू के वैसे भाग को प्रतिस्पर्धी आधार पर और किसी फर्म को आबंटन के आरक्षण के प्रावधान सहित) प्राप्त करने के लिए अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ)/कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस)/अधिकार निर्गम/एडीआर-जीडीआर/इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसी विविध प्रणालियों और अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से बाजार मूल्य के प्रीमियम/रियायत जो वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी बैंक के रु. 3000/- करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है और इस प्रकार जारी किए जाएं कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की इक्विटी पूंजी के 52% से कम न हो."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आवंटन अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी स्थानन निर्गम के या किसी अन्य तरीके से जो उपयुक्त कानूनों द्वारा प्रदत्त हो, के जरिए किया जाएगा. अति-आबंटन विकल्प और ऐसे किसी ऑफर के साथ या उसके बिना प्रतिभूतियों का निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तातंरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं), अधिनियम, 2018 (**"आईसीडीआर विनियम"**) के प्रावधानों के अनुरूप और सेबी, आरबीआई तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी जैसा भी उपयुक्त समझा जाए द्वारा जारी दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों में इस तरह से और ऐसे नियम व शर्तों पर किया जाए जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर उन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे, जहाँ बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो आईसीडीआर अधिनियमों में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, इस तरह से और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों के साथ विचार-विमर्श से और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आईसीडीआर अधिनियमों, अन्य अधिनियमों और किसी और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों और/या, चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक में वर्तमान शेयरधारक हैं या नहीं."

from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent **of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank** (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) /prospectus or such other document (s), in India or abroad such number of equity shares of face value of Rs.2/- each of the Bank including premium aggregating up to Rs. 9,000/- crore (Rupees Nine Thousand crore) by way of various modes such as Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these at such premium/discount to the market price which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank of Rs.3000 crore, being the ceiling of the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the total paid-up Equity capital of the Bank.

"RESOLVED FURTHER THAT, such issue, offer or allotment of Securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**"ICDR Regulations"**) and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

आगे यह संकल्प पारित किया गया कि आईसीडीआर अधिनियमों के अध्याय VI के मुताबिक अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में-

क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर अधिनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत आने वाले अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को ही किया जाएगा, इस प्रकार की प्रतिभूतियों का पूरी तरीके से भुगतान होगा और ऐसे प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के दिन से 365 दिनों के भीतर या ऐसे किसी समय में पूरा हो जाएगा, जिसकी आईसीडीआर अधिनियमों में समय-समय पर अनुमति दी गई है.

ख) बैंक आईसीडीआर अधिनियमों के अधिनियम 176(1) के प्रावधानों का अनुसरण करेगा जिसमें न्यूनतम कीमत पर पांच प्रतिशत तक के बट्टे पर शेयर देने का प्राधिकार दिया गया है.

ग) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने की संबंधित तारीख आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/देते समय अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रतिभूतियां एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को जारी और आबंटित की जा रही हैं तो वह विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा, जैसा कि लागू होता है, परंतु अधिनियम और अन्य विनियामकों के तहत स्थापित उपर्युक्त समग्र सीमाओं के भीतर, जैसा भी लागू है, के अधीन होगी."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले नए उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक ऑफ बड़ौदा (शेयर व बैठक) अधिनियम, 1998 यथा संशोधित के अधीन होंगे और मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरुप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो, और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदार(रों), डिपोजिटरी(यों), कानूनी सलाहकार(रों) और ऐसी सभी एजेंसियों, जो उपर्युक्त प्रतिभूतियों को ऑफर करने और ऐसे सभी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या ऐसे किसी अन्य तरीके से लाभ प्रदान करने, और इन एजेंसियों के साथ ऐसे सभी प्रबंधों, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को बनाने व उनको निष्पादित करने से संबद्ध हो या उसमें शामिल हो के साथ ऐसी व्यवस्था करे व उसे निष्पादित करे."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को, अग्रणी प्रबंधकों, अंडरराइटरों, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निर्गम(मों), जिसमें ग्राहकों की वो श्रेणी भी शामिल हैं जिनके लिए प्रतिभूतियों का आबंटन किया गया, प्रत्येक अंश में उनकी आबंटित संख्या, निर्गम कीमत (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूति के जारी/संपरिवर्तन, वारंट/शोधन के प्रयोग पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर,

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutions placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable"

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations,1998 as amended and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies)), Legal Advisor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount

शोधन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों की संख्या या संपरिवर्तन करने पर अन्य प्रतिभूतियाँ या प्रतिभूतियों के शोधन या रद्द करना, कीमत, प्रतिभूतियों को निर्गम/संपरिवर्तन करने पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड तिथि का नियतन या बही बंदी तथा संबंधित या सहायक मामले, भारत तथा/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता का निर्धारण कर सकता है, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त शेयरों का, जो कि अभिदत्त नहीं हैं, बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार से उस प्रकार से निपटान किया जा सकता है जैसा बोर्ड उचित समझे तथा जैसा विधि द्वारा स्वीकार्य हो."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रुप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रुप से उसको अपना अनुमोदन दे दिया है."

"आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड की पूंजी प्राप्ति समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित करें."

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23 जून 2020

नोट:

1. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("इ-एजीएम") के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक**

- कोविड 19 महामारी के प्रकोप के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन की स्थिति और सामाजिक दूरी के अलावा आवाजाही पर प्रतिबंधों के मद्देनजर, एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र सं 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के माध्यम से सूचित किया है कि कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए कंपनियों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपने एजीएम के आयोजन की अनुमति है. एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप ही सेबी ने भी सूचीद्ध कंपनियों को अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के माध्यम से रियायतें दी हैं.

on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/ conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Capital Raising Committee of the Board/Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

FOR BANK OF BARODA

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 23rd June 2020

NOTES:

1. **ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING ("e-AGM")**

- In view of the prevailing lock down situation across the country due to outbreak of the COVID-19 pandemic and restrictions on the movements apart from social distancing, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular Nos. Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, companies are permitted to hold their AGM through VC/OAVM for the calendar year 2020. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020.

- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से किया जा रहा है यहां इसके बाद इसे **"ई-एजीएम" कहा जाएगा. 24वें एजीएम के आयोजन का स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय समझा जाए.**

2. **प्रॉक्सी और अधिकृत प्रतिनिधि/ प्रतिनिधियों की नियुक्ति:**

उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, इस ई-एजीएम बैठक में उपस्थित रहने तथा शेयरधारकों के लिए वोट देने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा शेयरधारकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी.

हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी / इकाई के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने सबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक, जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर इसे raju.sv@kfintech.com; / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 24 जुलाई 2020 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले नहीं भेज दी जाती है.

3. **व्याख्यात्मक विवरण**

मद संख्या 2 पर बैठक की कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

4. **ई-एजीएम प्रतिभागिता**

बैंक ने केफिन टक्नॉलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (KFin Technologies Private Limited), रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स को वार्षिक सामान्य बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु तथा ई-एजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स के लिए नियुक्त किया है.

वीसी/ ओएवीएम (ई-एजीएम) एजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के संबंध में:

ए) सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें प्रदान की गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए बैठक में भाग ले सकते हैं. बैठक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है.

बी) सदस्य की ओर से उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति सुविधा उपलब्ध नहीं है.

सी) निकाय कॉर्पोरट्स वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ई-एजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र हैं.

- सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले ई-एजीएम में शामिल हो सकते हैं. ई-एजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक सदस्य भाग ले सकते हैं
- बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के

- In compliance with the above provisions, Annual General Meeting of the Bank being conducted through Video Conferencing (VC) herein after called as **"e-AGM". The deemed venue for the 24th AGM shall be the Head Office of the Bank.**

2. **Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):**

Pursuant to the aforesaid Circulars the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the shareholders is not available for this e-AGM.

However, No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to raju.sv@kfintech.com; / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 4.00 p.m. on 24th July 2020.

3. **EXPLANATORY STATEMENT**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting at item no. 2 is annexed hereto.

4. **e-AGM Participation**

The Bank has appointed KFin Technologies Private Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the e-AGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of AGM on the VC / OAVM (e-AGM):

a) Members can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Members at the Meeting venue is not required.

b) Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the member is not available.

c) Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the e-AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

- The Members can join the e-AGM 15 minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 members will be able to join on a FIFO basis to the e-AGM.
- There will no restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons

संबंध में ई-एजीएम में फीफो के आधार पर प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

- ई-एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों (सदस्यों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी.
- एजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda पर अपलोड किया गया है. नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है. यह ई-वोटिंग एजेंसी मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (M/s KFin Technologies Private Limited) की वेबसाइट https://evoting.karvy.com/ पर भी उपलब्ध है.

5. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-एजीएम से जुड़ने हेतु सदस्यों के लिए निर्देश:**

- सदस्य को मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (KFin Technologies Private Limited) द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी. सदस्य इसे https://evoting.karvy.com/ पर दूरस्थ ईवोटिंग क्रेडेंशियल्स का प्रयोग करते हुए ईएजीएम-वीडियो कॉन्फ्रेंस & स्ट्रीमिंग आइकॉन पर क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद, शेयरधारकों को संबंधित घटना विवरण और बैंक का नाम चुनना होगा. कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं.
- सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम /फायरफॉक्स के साथ लैपटॉप /स्मार्ट फोन के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
- साथ ही, ऐसे सदस्य जो बैठक में बोलना चाहते हैं उन्हें कैमरा को ऑन (ऑन रखने की अनुमति) रखना होगा और अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी तरह के व्यवधान से बचा जा सके. सदस्य पहले भी उसी पोर्टल में स्पीकर रजिस्ट्रेशन के तहत उपलब्ध कराये गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं.
- कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े सदस्यों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/वीडियो में खराबी (बंद/रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. अतः उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फ़ाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें.
- सदस्य जो बैठक के दौरान अपने विचार रखना /प्रश्न पूछना चाहते हैं वे https://evoting.karvy.com/ पर लॉग-इन कर और **"पोस्ट योर क्वेरी"** पर क्लिक कर उपलब्ध कराये गए विंडो में अपने प्रश्न /विचार /समस्या अपने नाम डीमैट खाता संख्या /फोलियो संख्या ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या का उल्लेख करते हुए पोस्ट कर सकते हैं.

of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

- The attendance of the Members (members logins) attending the e-AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.
- The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.bankofbaroda.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. This is also available on the website of e-voting agency M/s KFin Technologies Private Limited at the website address https://evoting.karvy.com/

5. **INSTRUCTIONS FOR THE MEMBERS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:**

- Member will be provided with a facility to attend the e-AGM through video conferencing platform provided by KFin Technologies Private Limited. Members may access the same at https://evoting.karvy.com/ by clicking the Icon of "eAGM-Video Conference & Streaming" by using the remote evoting credentials. Upon login, shareholders needs to select respective event details and name of the Bank. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.
- Members are encouraged to join the Meeting through Laptops/Smart phones with Google Chrome/Firefox for better experience.
- Further Members who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The members can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration"
- Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may log into **https://evoting.karvy.com/** and click on "**Post your Queries**" and post their queries/views/questions in the window provided by mentioning the name, demat account number/folio number, email id and mobile number.

- कृपया नोट करें कि समस्या /विचार/प्रश्नों का जवाब केवल तभी दिया जाएगा जब शेयरधारक के पास कट ऑफ की तारीख अर्थात् 23 जुलाई 2020 तक शेयर धारित हों. एजीएम क्वेश्चन विंडो 27 जुलाई 2020 सायं 5:00 बजे से 29 जुलाई 2020 तक एक्टिवेट रहेगा.
- वार्षिक सामान्य बैठक में बोलने और प्रश्न पूछने के इच्छुक सदस्यों को https://evoting.karvy.com/ पर लॉग-इन करना होगा और **"स्पीकर रजिस्ट्रेशन"** पर क्लिक कर अपने नाम डीमैट खाता संख्या /फोलियो संख्या ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या का उल्लेख करते हुए सबमिट करना होगा. स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित होगा जिसे ई-एजीएम में प्रश्न एवं उत्तर सत्र के दौरान रिकॉल करने के लिए रखा जाना चाहिए.
- ऐसे सदस्य जो **विडियो कॉन्फ्रेंस** के माध्यम से बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं वे एजीएम की कार्रवाही का लाइव वेबकास्ट अपने रिमोट ई-वोटिंग विवरणों का उपयोग करते हुए केफिंटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट https://evoting.karvy.com/ पर लॉगिन कर देख सकते हैं.

6. **मतदान का अधिकार**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार से भिन्न संबद्ध नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत** से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा.

बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन,1998, यथा संशोधित, के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग दूरस्थ ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा.

7. **दूरस्थ ई-वोटिंग तथा वार्षिक समान्य बैठक में वोट के लिए निर्दिष्ट तारीख - शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :**

बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008, के विनियम 12, के साथ पठित (सूचीयन बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) सेबी विनियमन, 2015 की विनियम संख्या 42 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **शुक्रवार, 24 जुलाई 2020 से शुक्रवार, 31 जुलाई 2020 तक (दोनों दिन सहित)** 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा. तदनुसार वे शेयरधारक जिनके पास **गुरूवार, 23 जुलाई, 2020** तक बैंक के शेयर हैं, वे दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा ई-एजीएम में वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा बैठक की कार्यसूची पर मत देने के लिए प्राधिकृत होंगे.

- Please note that, member's queries/views/questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date i.e., 23rd July 2020. The "AGM Questions" window shall be activated from 10.00 AM on 27th July 2020 till 5.00 PM on 29th July 2020.
- Members intending to speak and raise questions at the AGM, may log into **https://evoting.karvy.com/** and click on "**Speaker Registration**" by mentioning the demat account number/folio number, city, email id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.
- Members who are not able to join this Meeting over **video conferencing will** be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of Kfintech at https://evoting.karvy.com/ using their remote e-voting credentials.

6. **Voting Rights:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the e-AGM) and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the e-AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

7. **Cut-Off Date for remote e-voting and voting at the e-AGM - Closure of Register of Shareholders**:

Pursuant to Regulation 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008, read with Regulations 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Friday, 24th July 2020 to Friday, 31st July 220 (both days inclusive)** for the purpose of 24th Annual General Meeting. Accordingly, The shareholders holding Bank's Shares as on **Thursday, 23rd July 2020** will be authorized to attend and vote for the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the e-AGM.

8. **दूरस्थ ई–वोटिंग**

सेबी के (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है. इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

क. बैंक ने ई–वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु **केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को दूरस्थ ई– वोटिंग एजेंसी** के रूप में नियुक्त किया है.

ख. **दूरस्थ ई–वोटिंग हेतु पोर्टल मंगलवार, 28 जुलाई, 2020 को सुबह 9.00 बजे से गुरुवार, 30 जुलाई 2020 को शाम 5 बजे तक पूरा समय खुला रहेगा (दोनों दिन सहित).**

ग. **दूरस्थ ई–वोटिंग वैकल्पिक है**. इस **निर्दिष्ट तारीख अर्थात गुरुवार, 23 जुलाई, 2020** को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे.

घ. **दूरस्थ ई–वोटिंग से संबंधित अनुदेश** निम्नानुसार हैं :–

i. जो शेयरधारक उपर्युक्त कट–ऑफ़–डेट को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई–वोटिंग के लिए **28 जुलाई 2020** को सुबह 9 बजे पोर्टल खुलने पर निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें : https://evoting.karvy.com

ii. लॉग–इन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें.

iii. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग–इन पर क्लिक करें.

iv. आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A से Z), एक लॉअर केस (a से z), एक अंक (0–9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई– मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. **यह दृढतापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.**

v. आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग–इन करना होगा.

vi. सफलतापूर्वक लॉग–इन के बाद, सिस्टम आपको EVEN अर्थात **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** का चयन करने हेतु निर्देश देगा. वोटिंग पृष्ठ पर, **निर्दिष्ट तारीख 23 जुलाई 2020)** पर शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी. आप ASSENT अथवा DISSENT,

8. **Remote E-Voting**

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed **KFIn Technologies Private Limited as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.

b) **The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Tuesday, 28th July 2020 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Thursday, 30th July 2020 (both days inclusive).**

c) **Remote e-voting is optional**. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Thursday, 23rd July 2020,** may cast their vote electronically.

d) The **instructions for remote e-voting** are as under:

i. The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date, to use the following URL for e-voting: https://evoting.karvy.com on opening of the same on **28th July 2020** at 9.00 a.m.

ii. Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.

iii. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

v. You need to login again with the new credentials.

vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda.** On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (23rd July 2020) will appear.

जैसा भी मामला हो, पर क्लिक कर सकते हैं. पुष्टि करने हेतु OK पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु CANCEL पर क्लिक करें. **एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने के पूर्व कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.**

vii. एक से अधिक फोलियो/डिमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगा. **तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी.**

viii. उपर्युक्त अनुरूप पोर्टल बंद हो जाएगा एवं बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी.

ix. बैंक ने श्री एस.एन. अनंतसुब्रमणयन, या उनकी अनुपस्थिति में मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं. के किसी भी भागीदार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.

x. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.

xi. ऐसे शेयरधारक, जो 24वीं एजीएम के लिए नोटिस/संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के प्रेषण हेतु कट-ऑफ़-डेट एवं ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ़-डेट के बीच शेयर प्राप्त करते हैं तथा अपना ई-मेल आईडी अपने संबंधित डीपी के साथ रजिस्टर करते हैं, उन्हें इस संबंध में आरटीए के माध्यम से सूचना दी जाएगी. ऐसे अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने हेतु बैंक की वेबसाइट देखें.

xii. आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्रा. लि. (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गाचीबावली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक्ट,

You will have option to vote for all the Resolutions in one go at the TOP by click on ASSENT or DISSENT. Alternatively you may vote individually for each Resolution separately by clicking ASSSENT or DISSENT for each Resolution. Click OK to confirm else CANCEL to modify. **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.**

vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. **However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**

viii. The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.

ix. The Bank has appointed M/s S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : scrutinizer@snaco.net

xi. Shareholders acquiring Shares between the Cut –Off Date for dispatch of the Notice for 24th AGM / Annual Report 2019-20 and the Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.

xii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com. or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Kfin Technologies Pvt. Ltd., (Unit :

नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद– 500 032 के उप महाप्रबंधक श्री एस वी राजू से ईमेल raju.sv@kfintech.com एवं दूरभाष संख्या 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

9. **वार्षिक सामान्य बैठक में चुनाव प्रक्रिया**

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, दूरस्थ ई–वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग के माध्यम से होगी. जो दूरस्थ ई–वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को ई–एजीएम में आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना वोट देने के पात्र होंगे.

10. **चुनाव का संवीक्षक**

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं., कंपनी सचिव बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संदर्भ में बैठक के दौरान आयोजित होने वाली दूरस्थ ई–वोटिंग एवं ई–वोटिंग दोनों के लिए में संवीक्षक के रूप में भी कार्य करेंगे.

11. **रिमोट ई–वोटिंग तथा मतदान का परिणाम**

ई–एजीएम में दूरस्थ ई–वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा दो दिनों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और केफिन टेक्नोलोजी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा.

12. **पते में परिवर्तन / लाभांश अधिदेश**

क. लाभांश के भुगतान के लिए बैंक एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत बैंक खाते और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए विवरण का उपयोग करेगा. इलेक्ट्रानिक फार्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनके बैंक विवरण संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन होने चाहिए जिससे कि बही बंदी के शुरू होने से पूर्व अद्यतन स्थिति प्राप्त की जा सके. बैंक या इसके रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट इलेक्ट्रानिक फार्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से बैंक विवरण या बैंक अधिदेश में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है. इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल सदस्यों के डिपॉजटरी सहभागी को ही सूचित किया जा सकता है.

ख. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और औपचारिक अनुरोध पत्र के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्रा.लि. हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी **प्रकार के परिवर्तन को अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ ही रजिस्टर करना चाहिए, बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है**.

ग. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र–व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

Bank of Baroda), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at e-mail raju.sv@kfintech.com at phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

9. **VOTING PROCESS AT THE e-AGM**

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the e-AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the e-AGM on the date of the meeting.

10. **SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL**

M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of all the agenda items of the meeting.

11. **RESULTS OF REMOTE EVOTING AND POLL**

The consolidated results of remote e-voting and voting at the e-AGM will be announced within two days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Kfin Technologies Pvt. Ltd.

12. **CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:**

a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Kfin Technologies Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must register change in address **with their respective Depository Participant only** and **not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**

c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

13. **फोलियो का समेकन**

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से भौतिक शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक ही खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

14. **भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण- एक विशेष अनुरोध:**

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमीशन अथवा ट्रांसपोजिशन को **छोड़कर प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि 01.04.2019 से ऐसी प्रतिभूतियां किसी डिपॉजिटरी के साथ अभौतिक रूप में नहीं रखी जाएं.** अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने भौतिक शेयरों को तुरंत अभौतिक रूप में परिवर्तित करा लें.

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण करने अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क कर सकते हैं जहां उनका अपना डीमेट खाता है. अभौतिकीकरण के लाभ निम्नलिखित हैं: (i) बाधारहित अंतरण (ii) शेयर प्रमाण पत्रों की गुमशुदगी से बचाव (iii) लाभांश/ कॉर्पोरेट लाभों को सीधे व त्वरित जमा कराया जा सकता है (iv) नामांकन सुविधा (v) एएसबीए/ आईपीओ आदि के जरिए सीधा आवेदन.

15. **पिछले वर्ष का दावा न किए गए/भुगतान न किए गए लाभांश, यदि कोई हो**

शेयरधारक यह नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 में संशोधन के फलस्वरुप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें.

"अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में अदावाकृत /अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2012-13 से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण के लिए भविष्य की निर्दिष्ट तारीखों को नीचे दिया गया है.

13. **CONSOLIDATION OF FOLIOS:**

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

14. **DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:**

SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, **requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019**. Hence, we request the shareholder to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA/ IPO, etc.

15. **UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:**

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/ unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2011-12 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2012-13 onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	लाभांश -अंतरिम / अंतिम	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख		
			बैंक ऑफ़ बड़ौदा	पूर्ववर्ती विजया बैंक	पूर्ववर्ती देना बैंक
1	2012-2013	अंतिम	29 जुलाई, 2020	02 अगस्त, 2020	02 अगस्त 2020
2	2013-2014	अंतरिम	14 फरवरी, 2021	5 मार्च, 2021	15 फरवरी, 2021
3	2013-2014	अंतिम	25 जुलाई , 2021	20 अगस्त, 2021	02 अगस्त, 2021
4	2014-2015	अंतिम	29 जुलाई, 2022	27 जुलाई, 2022	01 अगस्त, 2022
5	2015-2016	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	2016-2017	अंतिम	06 अगस्त, 2024	29 जुलाई, 2024	लागू नहीं
7	2017-2018	अंतिम	लागू नहीं	4 अगस्त, 2025	लागू नहीं
8	2018-2019	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012-13 से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट अथवा बैंक के निदेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	निवेशक सेवाएं विभाग
(यूनिट - बैंक ऑफ़ बड़ौदा) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 फोन न. 040 6716 2222 एवं टोल फ्री: 1800 345 4001 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com	बैंक ऑफ बड़ौदा, 7 वां तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 ई मेल :- investorservices@bankofbaroda.com

16. **सदस्यों से अनुरोध**

कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की प्रतियां, जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजीटरी/आरटीए/बैंक के साथ पंजीकृत करवा रखी हैं उन्हें ई-मेल द्वारा सॉफ्ट कापी के रूप में भेज दी गई हैं. वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofbaroda.co.in पर भी उपलब्ध है.

17. **ऐसे शेयरधारक जिनके ईमेल पते डिपोजीटरी के साथ या भौतिक फोलियो आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया:**

कोविड 19 महामारी के खतरे को देखते हुए और एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुपालन में बैंक ने शेयर धारकों के पंजीकृत ईमेल पते पर वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग को केवल इलेक्ट्रोनिक रुप में भेजा है. अतः ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से अपने ईमेल पते को पंजीकृत कर लें.

- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ईमेल पते और पते एवं बैंक के विवरण सहित मोबाइल नंबर को पंजीकृत किया /नहीं किया है वे ईलेक्ट्रोनिक फॉर्म में शेयर धारित होने पर डिपोजीटरी साझेदार से और भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें और अपने विवरणों को वैध /अद्यतन कराएं.

Sr. No	Financial Year	Dividend –Interim / Final	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank		
			Bank of Baroda	eVijaya Bank	eDena bank
1	2012-2013	Final	29th July, 2020	02nd August 2020	02nd August 2020
2	2013-2014	Interim	14th February, 2021	05th March 2021	15th February 2021
3	2013-2014	Final	25th July, 2021	20th August 2021	02nd August 2021
4	2014-2015	Final	29th July, 2022	27th July 2022	01st August 2022
5	2015-2016	NIL	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
6	2016-2017	Final	06th August, 2024	29th July 2024	Not Applicable
7	2017-2018	Final	Not Applicable	04th August 2025	Not Applicable
8	2018-2019	NIL	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2012-13 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

KFin Technologies Pvt. Ltd.	Investors' Services Department
(Unit :- Bank of Baroda) Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 Phone No. 040 6716 2222, Toll Free : 1800 345 4001 E-mail :einward.ris@kfintech.com,	Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051. E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

16. **REQUEST TO SHAREHOLDERS**:

Please note that copies of the Annual Report- 2019-20 has been sent in soft copy by emails to those Shareholders who have registered their email ids with the respective Depository/ RTA/Bank. The Annual Report is also hosted on the Bank's website i.e. "www. bankofbaroda.in"

17. **PROCEDURE FOR OBTAINING THE ANNUAL REPORT, E-AGM NOTICE AND E-VOTING INSTRUCTIONS BY THE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES OR WITH RTA ON PHYSICAL FOLIOS:**

On account of threat posed by COVID-19 and in terms of the MCA and SEBI Circulars, the Bank has sent the Annual Report, Notice of e-AGM and e-Voting instructions only in electronic form to the registered email addresses of the shareholders. Therefore, those shareholders who have not yet registered their email address are requested to get their email addresses registered by following the procedure given below:

- Those shareholders who have registered/not registered their mail address and mobile nos including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Bank's Registrar and

- शेयर धारक जिन्होंने अपने ईमेल पते को पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट, ई एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग की नोटिस प्राप्त नहीं कर सके हैं ऐसे शेयर धारक अस्थायी रूप से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराकर इस लिंक https://karisma.kfintech.com/emailreg पर क्लिक कर इसे प्राप्त कर सकते हैं. शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि ईमेल पते और मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए दी गई प्रक्रिया का पालन करें ताकि वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग सबंधी अनुदेशों की सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ यूजर आईडी और पासवर्ड को भेजा जा सके.
- शेयर धारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक रिपोर्ट और ई-एजीएम की नोटिस को डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट को विजिट करें.
- वैकल्पिक रूप से सदस्य वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामलें में ईमेल पते, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति, क्लाईंट मास्टर प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति को ईमेल अनुरोध के माध्यम से einward.ris@kfintech.com पर भेज सकते हैं.

विशेष ध्यानकर्षण हेतु अनुरोध

भारत सरकार द्वारा आंरभ की गई हरित पहल को सफल बनाने हेतु उन सभी शेयरधारकों, जिन्होंने संबंधित डिपोजीटरी /आरटीए/बैंक के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाया है, से अनुरोध है कि ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य पत्र प्राप्त करने हेतु इस नोटिस में उल्लिखित पैरा 15 के अंतर्गत दिए गए पते/ ई-मेल आईडी पर ई-मेल भेजकर/लिखित रूप में अनुरोध कर संबंधित डिपोजीटरी में अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाएं.

Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited in case the shares held in physical form.

- Shareholders who have not registered their mail address and in consequence the Annual Report, Notice of e-AGM and e-voting notice could not be serviced. Shareholders may temporarily get their email address and mobile number provided with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, by clicking the link: https://karisma.kfintech.com/emailreg for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.
- Shareholders are also requested to visit the website of the Bank at www.bankofbaroda.in or the website of the Registrar and Transfer Agent for downloading the Annual Report and Notice of the e-AGM.
- Alternatively member may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual Report, Notice of e-AGM and the e-voting instructions.

SPECIAL ATTENTION REQUESTED:

In order to support the green initiatives by Government of India, Shareholders who have not registered their email IDs with their respective Depositories/RTA/Bank, are requested to do so with their respective Depositories or by sending emails/request in writing to the RTA/Bank at the address/email ID stated at para no. 15 in this Notice in order to receive Annual Report and other communications over mail.

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 2 – पूंजी आयोजन 2019-20

बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णय / लिए जा सकने वाले निर्णय के अनुसार व्यवसाय आस्तियों में विस्तार करने के लिए बेसल III के दिशानिर्देशों के अंतर्गत न्यूनतम पूँजी एवं लीवरेज अनुपात की आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 और अद्यतन संशोधनों तथा इस संबंध में सेबी/भा.रि.बैं. के अन्य लागू विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन(क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ)/ अधिकार निर्गम/ एडीआर-जीडीआर/ इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/ अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसे विविध प्रणालियों और अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण के जरिए फंड जुटाने का प्रस्ताव करता है. क्यूआईपी के माध्यम से प्रतिभूतियां जारी करने के ऐसे मामले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप होने चाहिए.

वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उपयुक्त समय, प्रक्रिया, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित है.

विशेष संकल्प के अनुसार में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गमन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे. आपके निदेशकगण, इस सूचना में उल्लिखित विशेष संकल्पों की सिफारिश करते हैं.

किसी भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को उपर्युक्त संकल्प हेतु हितबद्ध नहीं समझा जाएगा.

निदेशक मण्डल प्रस्तावित विशेष संकल्प को पास करने की सिफ़ारिश करता है.

निदेशक मण्डल के आदेश से
बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक 23 जून 2020

EXPLANATORY STATEMENT

Item Number 2 – Capital Plan 2020-21

In order to meet the Minimum Capital and Leverage Ratio requirements under the BASEL- III guidelines for expansion of business assets, as decided / may be decided by the Board, the Bank proposes to raise common equity by way of Qualified Institutions Placement (QIP) / Follow on Public Offer (FPO) / Rights Issues / ADR - GDR / Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures or any other mode or combinations of these, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws. Your Directors recommend, the Special Resolutions as set out in the Notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives are interested or concerned in the aforementioned Resolution(s).

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

By Order of the Board of Directors
For BANK OF BARODA

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 23rd June 2020

हरित पहल – शेयर धारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट तथा
अन्य पत्राचार ई–मेल के माध्यम से प्राप्त करना

डिमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमैट खातों में ई–मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रुप से शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि –

अपनी सहमति हेतु इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें –
मेसर्स कार्वी फिनटेक टेक्नोलॉजिस् प्राइवेट लि.
(यूनिट : बैंक ऑफ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट क्र. 31 व 32,
गाचीबॉवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा,
सैरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032.
फोन नं. 040–6716 2222
ई–मेल : einward.ris@kfintech.com

GREEN INITIATIVE-APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat accounts are requested to: register an email ID in their Demat A/cs.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrars at their address given hereunder :
M/S Karvy Fintech Technologies Private Ltd.,
(Unit: Bank of Baroda),
Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal,
Hyderabad - 500 032.
Phone No. 040 – 6716 2222
E-mail : einward.ris@kfintech.com

बैंक ऑफ बड़ौदा की हरित पहल

दिनांक
मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लि.
(यूनिट : बैंक ऑफ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट क्र. 31 व 32,
गाचीबॉवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा,
सैरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032.

प्रिय महोदय,

मैं / हम ____________________________________ बैंक ऑफ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस के पर्यावरण सुरक्षा (हरत पहल) उपायों के एक प्रयास के रुप में बैंक ऑफ बड़ौदा से सभी संदेश अपने नीचे दिए गए ई–मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के __________________________ शेयर भौतिक रुप में हैं.

फोलियो नम्बर : ____________________

ई मेल आईडी : ____________________

मैं / हम इस आशय का वचन देता हूं / देते हैं कि मेरे / हमारे ई मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा हमें भेज गए दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं / हम यह भी वचन देता हूं / देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई–मेल हमें सही रुप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे.

____

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE OF BANK OF BARODA

Date:

M/S Karvy Fintech Technologies Private Ltd.,
(Unit: Bank of Baroda),
Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032

Dear Sir,

I/ We ____________________________ holding ________ shares of Bank of Baroda in physical form, intend to receive all communication from Bank of Baroda through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Bank of Baroda.

Folio Number: ______________

Email ID: ______________________________

I/ We also undertake that the communication received through my/ our email ID will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Bank of Baroda. I/ We further undertake that we would not hold Bank of Baroda, any of its employees, Registrars or its employees, responsible in case the communication is not properly received at my/ our email ID due to any technical/ other failures.

____

Signature of First Holder

प्रभावी व तत्काल सेवाओं के लये शेयरधारकों से अपील

1. **कृपया अपने भौतिक शेयर को डीमैट करें**
2. **कृपया लाभांश इलैक्ट्रॉनिक / सीधे अपने बैंक खाते में जमा करने के लये अपना मैनडेट रजिस्टर करें**
3. **कृपया ई- मेल के माध्यम से सन्देश पाने के लये अपना ई-मेल आईडी रजिस्टर करें**

अभौतिकीकरण (डिमटेरियलाइझेशन) के लाभ

1. शेयर सर्टिफिकेट के खोने का कोई डर नहीं
2. शेयर स्थानांतरण शुल्क अथवा स्टॅम्प शुल्क खर्च नहीं
3. सरल / परेशानी रहित स्थानांतरण/ संचरण
4. नामांकन सम्भव
5. लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा
6. अस्बा (एएसबीए) / आईपीओ आवेदन सम्भव

इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश भुगतान के लिए मैनडेट पंजिकृत कराने के लाभ

1. लाभांश भुगतान की तारीख को ही लाभांश प्रत्यक्ष जमा होना
2. लाभांश वारंट में देरी/ अप्राप्ति / पुनर्वैधता की कोई समस्या नहीं

ई- मेल आईडी पंजीकृत कराने के लाभ

1. भारत सरकार की हरित पहल का हिस्सा बनें
2. कार्पोरेट सूचनाएं तत्काल प्राप्त करना जिसमें एजीएम व ईजीएम/ वार्षिक रिपोर्ट / छमाही सूचना इत्यादि की तत्काल प्राप्ति भी शामिल है

Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. **Please Demat your Physical Shares**
2. **Please register your Mandate for Electronic / direct credit of Dividend amount in your Bank A/c**
3. **Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail**

Benefits of Dematerialization

1. No threat of loss of Share Certificate
2. No Share Transfer Fees or Stamp Duty Expenses
3. Easy / hassle free Transfer / Transmission
4. Nomination possible
5. Dividend directly credited to your Bank A/c
6. ASBA/IPO Application possible

Benefits of Registering Mandate for payment of Dividend through Electronic Mode

1. Direct credit of dividend on Dividend payment date itself
2. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants

Benefits of Registering E-mail ID

1. Be a part of Green Initiative of Government of India (GOI)
2. Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Half Yearly communication, etc

बैंक ऑफ बड़ौदा

इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अधिदेश
(इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से)

1.	प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	:	
2.	पता	:	
3.	शेयरधारक की फोलियो संख्या (भौतिक रूप में रखने के लिए) डी. पी. आईडी / ग्राहक आईडी संख्या (इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए)	:	
4.	बैंक खाते का विवरण	:	
क.	बैंक का नाम	:	
ख.	शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड	:	
ग.	खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दिया गया है)	:	
घ.	खाता प्रकार (कृपया टिक करें) (बचत बैंक खाता/चालू खाता या नकद-उधार खाता)	:	बचत बैंक ☐ चालू ☐ नकद उधार ☐
ङ.	आईएफएससी कोड	:	
च	बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में मुद्रित बैंक और शाखा की 9 अंकीय कोड़ सं.	:	☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. कृपया पहचान के प्रमाण स्वरूप अपने पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति तथा कोड संख्या की सत्यता की जांच के लिए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित, आपके बैंक द्वारा जारी चेक के पन्ने की फोटो कापी/ कोरा रद्द किया गया चेक संलग्न करे.

घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषित करता/ती हूं कि उपर्युक्त विवरण सही व पूर्ण हैं. यदि अपूर्ण जानकारी के कारणों से लेनदेन में देरी होती है या यह प्रभावी नहीं होता है तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/गी.

स्थान :

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

टिप्पणी :

1. **यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं** : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अद्यतन करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों सहित अपने प्रतिभागी डिपॉजिटरी को प्रस्तुत करें.
2. **यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं** : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, गोची बॉवली, फाइनान्सियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा, सेरीलंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद-500 032 अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, सातवा तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26,जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051 के पते पर भेज दें.

BANK OF BARODA

Mandate for Payment of Dividend on Equity Shares
(Through Electronic Mode)

1.	First Shareholder's Name (in Block Letters)	:	
2.	Address	:	
3.	Shareholder's Folio number (for holding in physical form) D. P. ID / Client ID number (for holding in electronic form)	:	
4.	Particulars of Bank Account	:	
A.	Bank Name	:	
B.	Branch Name & City Pin Code	:	
C.	Account No. (as appearing on the cheque book)	:	
D.	Account Type (please Tick) : (SB Account / Current A/c. or Cash Credit A/c)	:	SB ☐ Current ☐ Cash Credit ☐
E.	IFSC Code	:	
F.	9 Digit Code No. of the Bank Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank	:	☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. Please attach a self-attested photocopy of your PANCARD as Proof of Identity alongwith a photocopy of a Cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the Code numbers

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not affected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible.

Place: Signature of the First Holder

Date:

Note:

1. **If the shares are held in electronic mode:** Please complete the form, sign and submit alongwith the required documents to your Depository Participant for necessary updation.
2. **If the shares are held in physical mode:** Please complete the form, sign and mail alongwith the required documents at the address of Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. KFin Technologies Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gochibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032 OR at Bank of Baroda, Investors' Services Dept. 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

विजया VIJAYA | देना DENA

HAVE YOU GOT THE APP EVERYONE IS TALKING ABOUT?

BARODA M-CONNECT plus
Mobile Banking App

- BIOMETRIC LOGIN
- SET DEBIT CARD LIMITS
- CARDLESS CASH WITHDRAWAL AT ATMs
- QUICK VIEW BALANCE
- PAY UTILITY BILLS, RECHARGE FASTag ETC.

& MANY MORE...

*T&C Apply

Call Toll Free No. (24x7): 1800 258 44 55 | 1800 102 44 55

www.bankofbaroda.in

Follow us on

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2019-20

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
विजया VIJAYA | देना DENA

प्रधान कार्यालय
बड़ौदा भवन, आर.सी. दत्त रोड,
अलकापुरी, बड़ौदा – 390007
फ़ोन: (0265) 2316010

कॉर्पोरेट कार्यालय
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, प्लॉट नंबर. सी–26, ब्लॉक जी,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051
फ़ोन: (022) 6698 5000–04 (पीबीएक्स)

HEAD OFFICE
Baroda Bhavan, R C Dutt Road,
Alkapuri, Baroda - 390007
Ph : (0265) 2316010

CORPORATE CENTRE
Baroda Corporate Centre, Plot No. C-26, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051
Ph : (022) 6698 5000-04 (PBX)

Getting closer to our customers by serving them better, resolving their queries and keeping them updated.

Empowering our customers by promoting products & services through online videos.

Interacting, engaging and connecting with our audience and building a following with our potential customers.

Aiming to become a part of our customer's everyday life and help them create beautiful stories.

Developing meaningful connections because, strong bonds go a long way.